

हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

हिन्दी व्याकरण की मानक मार्गदर्शिका

तृतीय
संस्करण

हिन्दी वर्णमाला

● स्वर : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ	- 11
● अयोगवाह : अं, अः	- 2
● स्पर्श व्यंजन (25) : क वर्ग : क, ख, ग, घ, ङ	- 5
च वर्ग : च, छ, ज, झ, ञ	- 5
ट वर्ग : ट, ठ, ड, ढ, ण	- 5
त वर्ग : त, थ, द, ध, न	- 5
प वर्ग : प, फ, ब, भ, म	- 5
● अन्तःस्थ व्यंजन : य, र, ल, व	- 4
● ऊष्म व्यंजन : श, ष, स, ह	- 4
● द्विगुण व्यंजन : झ, ढ	- 2
● संयुक्त व्यंजन : क्ष, त्र, ज्ञ, श्र	- 4
● कुल वर्ण	- 52

● डॉ. विनय कुमार पाठक ● डॉ. विनोद कुमार वर्मा

हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

हिन्दी व्याकरण की मानक मार्गदर्शिका

संस्कृति विभाग, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर (छ.ग.) के सहयोग से प्रकाशित

ISBN (13) : 978-81-932534-3-4

हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

संस्करण : 2021 (प्रथम)
2022 (द्वितीय)
2024 (तृतीय)

मूल्य : ₹ 560/-

प्रकाशक : वदान्या पब्लिकेशन, नेहरू नगर, बिलासपुर
मो. 98266-77946
77710-30030

आवरण सज्जा : Shweta Kashyap

टाइप सेट : Om Computer, Ashok Nagar Bilaspur

मुद्रक : Shriram Offset Lodhipara Chowk Kapa
Raipur -492004(C.G.)

© प्रकाशकाधीन सुरक्षित

- इस पुस्तक का कोई भी अंश बिना अनुमति प्रकाशित करना अविधिमान्य होगा। अतः इस पुस्तक के किसी भी अंश की नकल करने या फोटोकापी, विद्युत-ग्राफिक अथवा अन्य रूप में छापने वाला व्यक्ति इसकी क्षति के लिए जिम्मेदार तथा कॉपीराइट एक्ट के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भागी होगा।
- इस पुस्तक को यथासंभव त्रुटिहीन एवं अद्यतन रूप से प्रकाशित करने के सभी प्रयास किए गए हैं, फिर भी संयोगवश यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए प्रकाशक अथवा लेखक उत्तरदायी नहीं हैं।
- किसी भी परिवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ही होगा।

HINDI KA SAMPURNA VYAKARAN (Chhattisgarh Ke Vishesh Sandarbh Mein)

By : Dr. Vinay Kumar Pathak and Dr. Vinod Kumar Verma

Justic Gautam Chourdiya
High Court of Chhattisgarh



Bungalow No. A-2/6, Sector-1
High Court Residential Premises
Chakrabhata Bodri
Bilaspur (C.G.)
PIN- 495220
(O) : 07752-241013

संदेश

दिनांक - 25/11/2020

भाषा शब्दों से बनती है, शब्दों के भेदों-उपभेदों से संबद्ध जानकारी व्याकरण देता है। इस प्रकार किसी भी भाषा को जानने और समझने के लिए व्याकरण एक मुख्य आधार है। मुझे प्रसन्नता है कि लेखकद्वय डॉ. विनोद कुमार वर्मा और डॉ. विनय कुमार पाठक ने 'छत्तीसगढ़ी का सम्पूर्ण व्याकरण' (2018) के बाद अब 'हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण' ग्रंथ का लेखन किया है। 09 खण्डों और 49 अध्यायों में विभाजित यह ग्रंथ अकादमिक दृष्टिकोण से - महाविद्यालयीन और स्कूली पाठ्यक्रम हेतु उपयोगी तो है ही, साथ ही यह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उतने ही महत्व का है क्योंकि यह पढ़ने में सरल और बोधगम्य है।

दोनों ही विद्वान लेखकों को मैं कई वर्षों से जानता हूँ। इनकी अनेक कृतियों को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है व संदर्भ ग्रंथ के रूप में भी पढ़ा जाता है। इन्हें मानक पुस्तकों के लेखन के कारण देश-प्रदेश में जाना जाता है। 'हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण' भी एक मानक ग्रंथ है। हिन्दी हमारी राजभाषा है और पूरे राष्ट्र की सम्पर्क भाषा भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ हिन्दी भाषा न समझी जाती हो। भारत में हिन्दी बोलने वालों की तादात् 43 प्रतिशत से भी अधिक है इसीलिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। वस्तुतः यह हमारे देश की जीवन-रेखा है। पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा है- 'हिन्दी भारत की अमरवाणी है। यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है।' आध्यात्मिक गुरु महर्षि अरविंद घोष ने आजादी से पूर्व ही देशवासियों से अपील करते हुए कहा था - 'लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी को ग्रहण करें।'।

यह तो सर्वविदित ही है कि भारत की राजभाषा हिन्दी है। संविधान के भाग-17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसमें 343 (1) के अनुसार 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।' हिन्दी को आज वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है। माँ वीणापाणि सरस्वती की कृपा से रचित लेखकद्वय का यह ग्रंथ लोगों को हिन्दी सीखने-सिखाने में उपयोगी होगा- ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ।

शुभकामनाओं सहित।

(गौतम चौरडिया)

अन्बलगत पी आईएस
सचिव
Anbalagan P IAS
Secretary



छत्तीसगढ़ शासन
Government Chhattisgarh
संस्कृति विभाग
Culture Department
कक्ष क्र. एस-1/24, महानदी भवन, मंत्रालय
Room No. S-1/24, Mahanadi Bhawan, Mantralaya
नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ - 492002
Nava Raipur, Atal Nagar, Chhattisgarh - 492002
दूरभाष / Phone - 071-2221977, 2229977
ईमेल / Email - anbalagan.p@gov.in

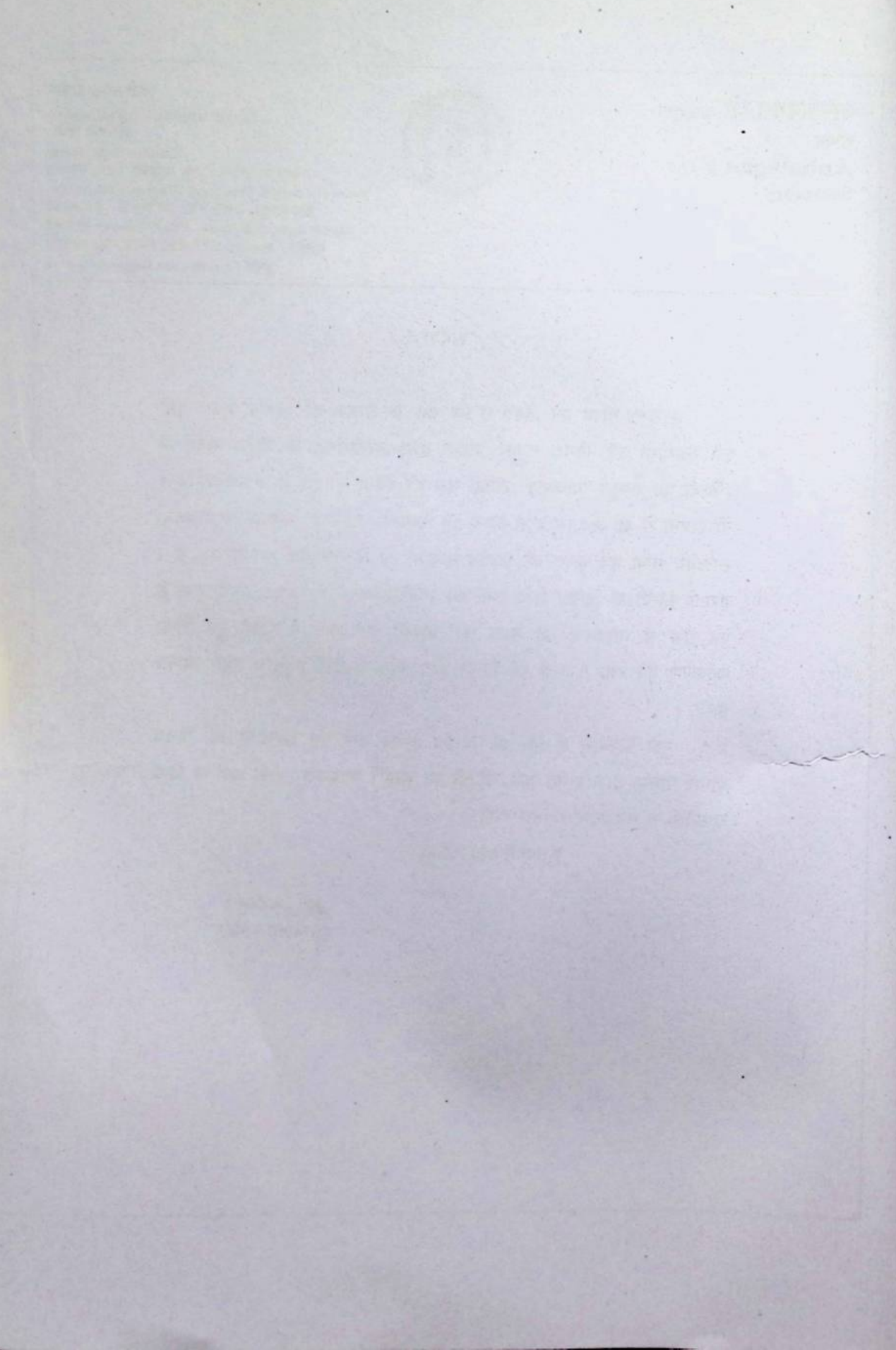
// संदेश //

अत्यन्त गौरव का विषय है कि ग्रंथ के लेखक डॉ. विनोद कुमार वर्मा एवं सहयोगी डॉ. विनय कुमार पाठक द्वारा छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में "हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण" संबंधी ग्रंथ की रचना की गई है। ग्रंथ को कुल नौ खण्डों में 49 अध्याय द्वारा विश्व की भाषाओं, राजभाषा, संवैधानिक प्रावधान, शास्त्रीय भाषा एवं भारत की प्राचीन भाषाओं को विस्तारपूर्वक बताया गया है। ग्रंथ में हिन्दी के विविध शब्द रूपों को समाहित करने का प्रयास किया गया है एवं ग्रंथ में व्याकरण की भाषा की बारिकी को ध्यान में रखते हुए हिन्दी व्याकरण को रचा गया है जो हिन्दी ज्ञान कोष के लिये बहुमूल्य मोती साबित होगी।

2/ मुझे विश्वास है कि डॉ. विनोद कुमार वर्मा एवं सहयोगी डॉ. विनय कुमार पाठक द्वारा रचित ग्रंथ "हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण" सभी वर्गों के लिये उपयोगी व मददगार साबित होगी।

शुभकामनाओं सहित

(अन्बलगत पी.)



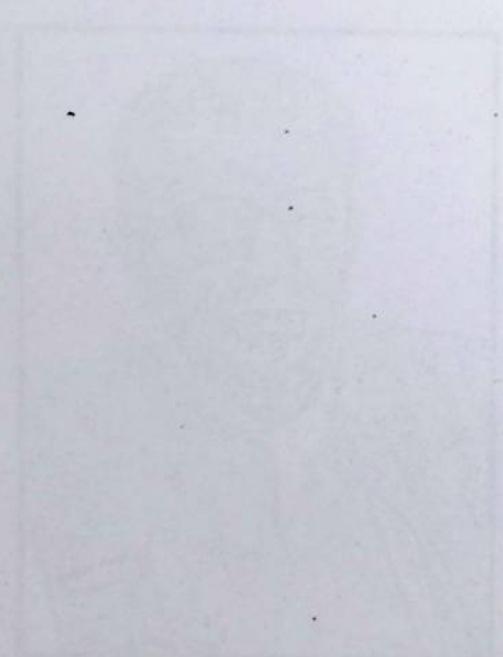
स्नेह के अविरल स्रोत
कर्म-निष्ठा का प्रदीप्त प्रकाश
सामाजिक सेवाभाव का विलक्षण व्यक्तित्व
नैतिक मूल्यों और सिद्धान्तों के आदर्श
श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ
पूज्य श्री भवानी लाल वर्मा



(12 जनवरी 1926 - 30 दिसम्बर 2000)

को
सादर समर्पित

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY



ASTOR LENOX TILDEN FOUNDATION

1892

भूमिका

‘व्याकरण’ का शाब्दिक अर्थ है—‘वह विद्या जिसके द्वारा भाषा के शब्दों, उनके रूपों, प्रयोगों आदि का ज्ञान होता है’ जबकि इसका अर्थ—विकास ‘भेद’ (अंतर), ‘व्याख्या’, ‘प्रकाशन’, ‘निर्माण’ (रचना) और ‘प्रक्रिया’ से पुष्ट होकर ‘शब्द-व्युत्पत्ति’ और ‘सिद्ध’ से युक्त होकर व्याकरण के नियमानुसार होता है। यद्यपि अष्टाध्यायी के सूत्रों के सहारे वैयाकरणों के अनेक पक्षों पर चिंतन करके इस परम्परा को प्रोन्नत-परिपुष्ट किया तथापि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने ‘अष्टाध्यायी भाष्य’ नामक ग्रंथ के द्वारा इसका विशद विवेचन करके इसे संस्कारी पाठकों तक प्रेषित करने का महत् दायित्व-निर्वाह किया। संस्कृत में व्याकरण के प्रचलन की सर्वाधिक प्राचीन और समृद्ध परंपरा विद्यमान है। अष्टाध्यायी में पाणिनि ने अपने पूर्ववर्ती दस व्याकरणाचार्यों का उल्लेख किया है जिससे प्रमाणित होता है कि अत्यंत प्राचीनकाल से भारत में पठन-पाठन प्रतिष्ठित रहा। त्रेता युग में विद्या के रूप में व्याकरण के विज्ञ होने के साक्ष्य संस्थित हैं।

भारत में व्याकरण-लेखन की परंपरा विश्व में किसी भी भाषा की तुलना में अति प्राचीन और गौरवशाली रही है। देववाणी के रूप में प्रतिष्ठित संस्कृत-व्याकरण के सृजनहार ब्रह्मा ने बृहस्पति के माध्यम से क्रमशः इंद्र और भारद्वाज से होते हुए, ब्राह्मणों को प्रदान किया। इस परम्परा में पाणिनि के ‘अष्टाध्यायी’ को संस्कृत के सर्वोत्कृष्ट व्याकरण ग्रंथ की प्रतिष्ठा तो मिली ही, विश्व-स्तर पर कीर्तिमान और अभिनव प्रतिमान के रूप में प्रस्थापना उपलब्ध हुई। भाषा (व्याकरण) के आधार पर संस्कृत की संस्कृति, पाली-प्राकृत की प्रकृति और अपभ्रंश की आंचलिकता से विकसित अर्थात् शौरसेनी से उद्भूत हिंदी एक ओर जहाँ संस्कृत की संयोगात्मक भाषा से विलग वियोगात्मक विनिर्दिष्ट हुई, वहीं दूसरी ओर संस्कृत से संपृक्त होने के कारण प्रायः पूर्णतः प्रकृतस्थ भी प्रमाणित हुई। इसके बावजूद हिंदी की स्वस्थ परम्परा विकसित नहीं हो सकी। इसका प्रमुख कारण यदि हिंदी गद्य के व्यवस्थित रूप का अभाव था तो दूसरा कारण संक्रमण की इस संस्थिति में तत्कालीन शासक अंग्रेजों द्वारा शोषण की प्रक्रिया में हिंदी जानने-समझने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर सामान्य व्यवहार की दृष्टि से कामचलाऊ हिंदी को प्रतिष्ठित करने की जल्दबाजी भी रही। यही कारण है कि उन्होंने अंग्रेजी-व्याकरण के साँचे में ढालकर हिंदी व्याकरण के लेखन की दिशा में प्रवेश किया। अंग्रेज भाषा के महत्व से सुपरिचित थे अतः जनभावनाओं में रच-बस कर उन्होंने शोषण के क्रम को जारी रखने और परतंत्रता की परंपरा की पृष्ठभूमि को पुष्ट करने हेतु अपनी सुविधा और सहजता के सहारे हिंदी व्याकरण को प्रस्थापित किया। इस उपक्रम में अनेक छिटपुट प्रयास हुए लेकिन 10 जुलाई सन् 1800 को कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के साथ गिलक्राइस्ट के प्राध्यापक पद पर प्रतिष्ठा के पश्चात अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए और उनके निर्देशन में हिन्दुस्तानी भाषा पर कार्य शुरू हुआ। वे अंग्रेजी के साथ उर्दू, अरबिक एवं संस्कृत के भी विद्वान थे। इस काल में अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिन्दी, उर्दू आदि भाषा के पुस्तकों के अनुवाद का कार्य प्रारंभ किया गया। इसी काल लंदन से प्रकाशित एवं हेरासिम लेवेडक द्वारा

लिखित 'व्याकरण' (1801) के साथ विशेष रूप से रोएबेक का व्याकरण फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रसिद्ध हुआ। इसी क्रम में गार्सा द तासी के हिंदी भाषा और व्याकरण की दिशा में किए गए कार्य उल्लेखनीय सिद्ध हुए। सन् 1800 से 1854 ई. के बीच आधुनिक खड़ी बोली गद्य का क्रमबद्ध विकास प्रारंभ हुआ जो आगे चलकर भारतीय विद्वानों के सम्यक् चिंतन और प्रयास से गद्य हिन्दी साहित्य में आधुनिकता का प्रतीक बनकर आया। यद्यपि उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्ध में हिंदी और भारतीय भाषाओं के व्याकरण-लेखन में विदेशियों का वर्चस्व रहा तथापि प्रथमतः पंडित श्रीलाल शुक्ल ने 'भाषा-चंद्रोदय' (1855) शीर्षक से इस प्रतिमान को न केवल ध्वस्त किया, वरन् इसे मौलिक, गंभीर और आदर्श बनाने के लिए एक स्वस्थ और विदेशियों द्वारा प्रवर्तित कृत्रिम स्वरूप से पृथक् प्रादर्श प्रस्तुत किया। इसके बाद भारतीय चिंतन की दृष्टि के साथ अनेक भारतीय व विदेशी विद्वानों ने इस परम्परा को समानांतर रूप से समादृत किया।

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल हिंदी भाषा के मूल चरित्र को अक्षुण्ण रखकर हिंदी गद्य को व्यवस्थित करने का अभियान आरंभ किया, वरन् मौलिक और अनूदित गद्य साहित्य-सृजन के समानांतर प्रथम 'हिंदी व्याकरण' (1884) को लोकार्पित किया। इस परम्परा को अनेक वैयाकरणों ने विकसित किया। चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा द्वारा लिखित 'हिंदी व्याकरण-शिक्षा' (1912) नामानुरूप परंपरा के प्रतिरोध में प्रस्तुत व्याकरण का ऐसा प्रकर्ष प्रमाणित हुआ कि इस आधार पर सम्यक् शिक्षा प्रदान की जा सकती थी। इसकी भूमिका में उन्होंने प्रस्तुत ग्रंथ की सार्थकता सिद्ध करते हुए स्वतः लिखा है- 'इन दिनों जो भी व्याकरण लिखे जा रहे हैं, उनमें अंग्रेजी व्याकरण की ज्यों की त्यों नकल की गयी है और अंग्रेजी विचार हिंदी में गढ़कर समझाए गए हैं। ऐसे लोगों से हम यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है। अंग्रेजी व्याकरण के सहारे हिंदी व्याकरण समझना उल्टी-गंगा बहाने के समान है।' पंडित अम्बिकाप्रसाद त्रिपाठी द्वारा लिखित 'हिंदी कौमुदी' (1919) ऐसा प्रथम प्रयास कहा जा सकता है जिसमें व्याकरण के प्रायः समग्र पक्षों और विभिन्न बिंदुओं पर गहन-सघन विचार किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली के उबड़-खाबड़ पथ को समतल-सपाट बनाने की दृष्टि से युगांतरकारी प्रयास किया। इस उपक्रम में उन्होंने न केवल 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से एक आंदोलन का आरंभ किया, वरन् युगानुरूप हिंदी की प्रवृत्ति के अनुकूल स्वतंत्रचेता व्याकरण-ग्रंथ के लेखन पर लोगों का ध्यानाकृष्ट कराया। इससे प्रभावित होकर कुछ व्याकरण ग्रंथ प्रकाशित अवश्य हुए लेकिन संतुष्टि न मिलने पर आचार्य द्विवेदी और माधवराव सप्रे के निवेदन पर पंडित कामताप्रसाद गुरु का 'हिंदी व्याकरण' (1921) नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हुआ। यद्यपि इस प्रामाणिक ग्रंथ से पूर्व इनके एतद्विषयक अनेक लेखों और व्याकरणिक कृतियों के प्रयास महत्वपूर्ण रहे तथा इनके द्वारा लिखित छात्रोपयोगी व्याकरण उल्लेखनीय प्रमाणित हुए तथापि अंग्रेजी के अनुकरण अर्थात् बने-बनाए साँचे पर लिखना उन्होंने उपयुक्त समझा क्योंकि संस्कृत व्याकरण पर आधृत करके लिखना उनके लिए दुरूह-दुर्गम था। इनके अनुकरण पर अनेक लोगों ने लेखनी चलायी जिनमें विशेषतः डॉ. धीरेन्द्र वर्मा और डॉ. बाबूराम सक्सेना जैसे प्रख्यात भाषाविदों के समवेत प्रयास से 'नवीन हिंदी व्याकरण' (1933) का आगम अविस्मरणीय कहा जा सकता है। इसी क्रम को उन्नत करते हुए डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने सन् 1937 में 'ब्रजभाषा का व्याकरण' और सन् 1959

में 'ग्रामीण हिंदी' जैसी रचनाओं का प्रणयन किया। इसी तारतम्य में संस्कृत व्याकरण पर आधृत पंडित गोपाल शास्त्री द्वारा लिखित 'हिंदी दीपिका' (1938) का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण प्रमाणित हुआ।

विश्वविद्यालयों में भाषाविज्ञान विषय के समारंभ के साथ-व्याकरण पर भी शोध की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस दिशा में पंडित किशोरीदास बाजपेयी के अनेक ग्रंथ सामने आए जिनमें नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी से प्रकाशित व्याकरण 'हिंदी शब्दानुशासन' (1958) अत्यंत उपादेय प्रमाणित हुआ। इनके एतद्विषयक अनेक ग्रंथ भी उल्लेखनीय सिद्ध हुए हैं। स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात् इस दिशा में अनेक वैयाकरणों के ग्रंथ प्रकाशित हुए जिनमें से महत्वपूर्ण कहे जाने वाले ग्रंथ अधोलिखित हैं -

1. भाषा विज्ञान- डॉ. भोलानाथ तिवारी (1951)
2. शुद्ध हिंदी- शिवप्रसाद अग्रवाल (1952)
3. हिंदी ग्रामर- शास्त्री और आपटे (1958)
4. हिंदी व्याकरण और रचना- वासुदेवनंदन प्रसाद (1959)
5. राजभाषा हिंदी- सेठ गोविंद दास (1962)
6. अच्छी हिंदी कैसे लिखें- डॉ. भगीरथ मिश्र (1963)
7. हिंदी भाषा का स्वरूप और विकास- शंभूनाथ सिंह (1964)
8. हिंदी में प्रत्यय विचार- मुरारीलाल उप्रेति (1964)
9. हिंदी : समस्याएँ और समाधान- देवेन्द्रनाथ शर्मा (1965)
10. शुद्ध हिंदी- डॉ. हरदेव बाहरी (1965)
11. प्रामाणिक हिंदी व्याकरण- श्यामनंदन शास्त्री (1967)
12. हिंदी का व्यावहारिक रूप- डॉ. विनय मोहन शर्मा (1968)
13. हिंदी ध्वनि और ध्वनिमी- डॉ. रमेश चंद्र महरोत्रा (1970)
14. हिंदी धातु और क्रियापद- करुणापति त्रिपाठी (1971)
15. हिंदी भाषा का विकास- देवेन्द्रनाथ शर्मा/रामदेव त्रिपाठी (1971)

संविधान में हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान मिलने, भाषाविज्ञान को पाठ्यक्रम और शोध में समावेश करने, केंद्रीय और राज्यस्तरीय परीक्षाओं में इससे संबंधित उत्तर पूछने, इसके प्रयोजनशील स्वरूप के विकसित होने, इसके नये-नये स्वरूपों के उभरने, रोजगार के लिए सुअवसर प्रदान करने तथा देश-विदेश में इस भाषा के व्यापक प्रभाव को दृष्टिगत रखने हेतु सर्वसामान्य को भी हिंदी व्याकरण की आवश्यकता आभासित हुई। इस तरह हिंदी व्याकरण पर आधारित अनेक ग्रंथ सामने आए, जो इक्कीसवीं सदी के द्वितीय दशक तक भी सतत गतिमान हैं।

शिक्षा-संबंधी राष्ट्रीय नीति-संकल्प के अनुरूप विश्वविद्यालयों में उच्चतम स्तर के शिक्षा के मानदण्डों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए 'हिंदी का सम्पूर्ण व्याकरण (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)' ग्रंथ का लेखन छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग के सहयोग

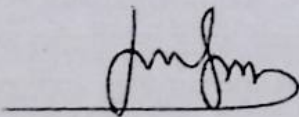
से किया गया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि नौ खण्डों में विभाजित व उनचास अध्यायों को समेटे यह ग्रंथ हिंदी विषय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुपयोगी और मार्गदर्शक तो सिद्ध होगा ही, व्याकरण के प्रायः सभी पक्षों को एक स्थल पर प्रस्तुत यह बहुप्रतीक्षित ग्रंथ समग्रता को समेटने का संयोजन भी सिद्ध होगा।

पत्र-लेखन (अध्याय-44) में जहाँ छत्तीसगढ़ शासन के शासकीय/अर्धशासकीय पत्रों, परिपत्र, अधिसूचना, पृष्ठांकन आदि के नमूने निर्दिष्ट हैं, वहीं पाद-टिप्पणी (अध्याय 45) में छत्तीसगढ़ शासन के कार्यालयों में प्रयुक्त टिप्पण-लेखन को हिंदी व अंग्रेजी के साथ संयोजित किया गया है। अनुवाद (अध्याय-46) व अपठित गद्यांश (अध्याय-49) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर लेखन किया गया है, जैसे- गढ़कलेवा, पंडवानी, पंथी नृत्य, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, चित्रकोट जलाशय, चैतुरगढ़, तातापानी, बैगानी करमा नृत्य, हुलकी नृत्य, माओपाट नृत्य, दंडामी माड़िया नृत्य, छत्तीसगढ़ का लोकसाहित्य आदि। खण्ड (1) का संबंध हिंदी भाषा के वैश्विक व राष्ट्रीय संदर्भों से है जबकि खण्ड (2) हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित है। खण्ड (3) से (8) तक हिंदी व्याकरण के अन्तर्गत शब्द-साधन व शब्द-रचना की विभिन्न विधियों, रस, छंद, अलंकार, कहावत, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द आदि को सरल व सुगम-सुबोध भाषा-शैली में विवेचित किया गया है।

‘छत्तीसगढ़ी का सम्पूर्ण व्याकरण’ की लोकप्रियता और इसके छत्तीसगढ़ से इतर प्रदेशों में मांग को ध्यान में रखकर प्रस्तुत ग्रंथ के प्रणयन की पीठिका विनिर्मित हुई। आज आपके समक्ष इस ग्रंथ को राष्ट्रीय क्षितिज पर स्थापित करते हुए हमें गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। व्याकरण की संपूर्णता को गागर में सागर या बूंद में समुद्र-सदृश संधारण करने वाला यह ग्रंथ न केवल साहित्य और भाषा के अध्येताओं, शोधकर्ताओं और हिंदी के प्रति सजग-सचेष्ट सर्जकों और पाठकों को प्रबुद्ध करेगा, वरन् हिंदी की समझ विकसित करने वालों को भी उद्बुद्ध करेगा। भाषा और साहित्य के संस्कारी पाठकों और व्याकरण के विज्ञानों की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित रहेगी।

शुभकामनाओं सहित।

लेखक द्वय



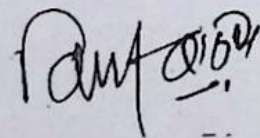
डॉ. विनोद कुमार वर्मा

सम्पादक, समीक्षक एवं कहानीकार

एम.एस.-सी. (कृषि), पी-एच.डी.

रिटायर्ड प्रोफेसर, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय

एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर (छ.ग.)



डॉ. विनय कुमार पाठक

एम.ए., पी-एच.डी., डी. लिट् (हिन्दी)

पी-एच.डी., डी. लिट् (भाषा विज्ञान)

पूर्व अध्यक्ष - छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग

छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)

विषय-सूची

भूमिका

XI

विषय-सूची

XV

खण्ड 1

1. विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण..... 03
2. भारोपीय / प्राक् आर्य भाषा परिवार 05
3. हिन्दी भाषा का विकासक्रम एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ..... 09
4. राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संवैधानिक प्रावधान व संस्थाएँ,
राष्ट्रीय पुरस्कार एवं विश्व हिन्दी सम्मेलन 18
5. आठवीं अनुसूची में शामिल भारत की भाषाएँ एवं
भारत की शास्त्रीय भाषाएँ 35
6. वैदिककालीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ 44
7. भारत में लिपियों का विकासक्रम एवं ब्राह्मी लिपि..... 49
8. वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध 56
9. हिन्दी में विराम चिह्नों का प्रयोग..... 79

खण्ड 2

10. हिन्दी साहित्य का इतिहास एवं काल-विभाजन..... 87
11. हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाएँ (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)..... 107
12. हिन्दी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का योगदान
(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में).....121

खण्ड 3

13.	शब्द साधन.....	129
14.	संज्ञा.....	133
15.	सर्वनाम.....	137
16.	विशेषण.....	139
17.	क्रिया.....	143
18.	वाच्य.....	145
19.	अव्यय/अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक) एवं निपात.....	146
20.	कारक.....	149
21.	काल.....	152
22.	लिंग.....	155
23.	वचन.....	162

खण्ड 4

24.	शब्द रचना की विधियाँ (उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास).....	167
25.	उपसर्ग.....	168
26.	प्रत्यय.....	178
27.	सन्धि.....	198
28.	समास.....	221

खण्ड 5

29.	रस.....	239
30.	छन्द.....	248
31.	अलंकार.....	262

खण्ड 6

32.	लोकोक्ति (कहावत).....	275
33.	मुहावरा.....	288

खण्ड 7

34.	पर्यायवाची.....	309
35.	विलोम शब्द.....	321
36.	अनेक शब्दों के लिए एक शब्द.....	337
37.	समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म).....	350
38.	अनेकार्थक शब्द.....	365
39.	संख्यावाची गूढ़ अर्थ वाले शब्द.....	373

खण्ड 8

40.	तत्सम एवं तद्भव शब्द.....	377
41.	वर्तनी/शब्द शुद्धि.....	385
42.	वाक्य संरचना.....	394
43.	वाक्य शुद्धि.....	398

खण्ड 9

44.	पत्र-लेखन (छत्तीसगढ़ के शासकीय पत्रों के संदर्भ में).....	411
45.	पाद-टिप्पणी/टिप्पण-लेखन (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में).....	429
46.	अनुवाद (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में).....	441
47.	पल्लवन.....	451
48.	सार-लेखन	454
49.	अपठित गद्यांश (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में).....	457

परिशिष्ट

I.	संदर्भ ग्रंथ.....	465
II.	लेखक परिचय : डॉ. विनय कुमार पाठक, डॉ. विनोद कुमार वर्मा.....	469

-----^ ^ ^ ^ ^ ^ ^-----

खण्ड - 1

1. विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण
2. भारोपीय / प्राक् आर्य भाषा परिवार
3. हिन्दी भाषा का विकासक्रम एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ
4. राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संवैधानिक प्रावधान
व संस्थाएँ, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं विश्व हिन्दी
सम्मेलन
5. आठवीं अनुसूची में शामिल भारत की भाषाएँ
एवं भारत की शास्त्रीय भाषाएँ
6. वैदिककालीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ
7. भारत में लिपियों का विकासक्रम एवं ब्राह्मी लिपि
8. वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध
9. हिन्दी में विराम चिह्नों का प्रयोग

नोट्स (Notes)

विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण

इसे भी जानिए

‘चार कोस मा पानी बदले, आठ कोस मा बानी।’

हर चौथे कोस में पानी का स्वाद और भाषा आठवें कोस पर कुछ न कुछ परिवर्तित हो जाती है तो इतने लंबे-चौड़े संसार में कितनी अधिक भाषाएँ और बोलियाँ होगी? गणना करने वालों ने इसकी संख्या 2796 से भी अधिक बतलायी है।

संसार में भाषाओं का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं-

1. महाद्वीप के आधार पर- जैसे एशियाई भाषाएँ, यूरोपीय भाषाएँ, अफ्रीकी भाषाएँ आदि।
2. देश के आधार पर- जैसे चीनी भाषाएँ, भारतीय भाषाएँ आदि।
3. धर्म के आधार पर- जैसे मुसलमानी भाषाएँ, हिन्दू भाषाएँ, ईसाई भाषाएँ आदि।
4. काल के आधार पर- जैसे प्रागैतिहासिक भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ, मध्ययुगीन भाषाएँ, आधुनिक भाषाएँ।
5. भाषाओं की आकृति के आधार पर- जैसे अयोगात्मक तथा योगात्मक भाषाएँ।
6. परिवार के आधार पर- जैसे भारोपीय परिवार की भाषाएँ, द्रविड़ भाषाएँ, चीनी भाषाएँ आदि।
7. प्रभाव के आधार पर- जैसे संस्कृत प्रभावित भाषाएँ, फारसी प्रभावित भाषाएँ आदि।

इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पारिवारिक वर्गीकरण है जिसे वंशात्मक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं।

पारिवारिक वर्गीकरण के अन्तर्गत मुख्यतः

13 (तेरह) भाषा परिवार माने गए हैं

1. भारोपीय/प्राक् आर्य
2. चीनी-तिब्बती
3. द्रविड़
4. सेमेटिक-हैमेटिक
5. यूराल-अल्ताइक
6. काकेशियन
7. जापानी-कोरियाई

8. मलय-पालिनेशियन
9. आस्ट्रो-एशियाटिक/आग्नेय
10. बुशमैन
11. बांटू
12. सूडान
13. अमरीकी

1. भारोपीय/प्राक् आर्य परिवार

भारोपीय/प्राक् आर्य भाषा परिवार की भाषाओं पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा, इसलिए इसका विस्तृत उल्लेख अध्याय 2 में किया गया है।

2. चीनी-तिब्बती परिवार

इसे चीनी-तिब्बती या एकाक्षरी भाषा परिवार भी कहते हैं।

क्षेत्र-चीन, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, मणिपुर व असम (भारत)
मुख्य भाषाएँ- मंदारिन (चीन की राष्ट्रभाषा), कैटनी, फुकनी।
भारत के उत्तर-पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में इस परिवार की मैते (मणिपुर), गारो, बोड़ो, नागा, नेवारी आदि भाषाएँ बोली जाती हैं।

विशेषताएँ- इस परिवार की भाषाएँ अयोगात्मक हैं अर्थात् दो शब्द एक में नहीं मिलते। प्रत्येक शब्द एक अक्षर का होता है, जो न बढ़ता है न घटता है और न विकृत होता है। वाक्य में चाहे जहाँ भी रखें इसके रूप में कोई परिवार नहीं मिलेगा।

यहाँ भाषा का व्याकरण नहीं होता जबकि भारोपीय परिवार की भाषाएँ व्याकरण पर आधारित हैं। एक ही शब्द स्थान और आवश्यकतानुसार संज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि हो जाता है।

अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग की यहाँ बहुलता है। इस परिवार की तिब्बती, वर्मी आदि भाषाओं की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि की ही पुत्री हैं।

3. द्रविड़ परिवार

क्षेत्र- इस परिवार का क्षेत्र दक्षिणी भारत, उत्तरी श्रीलंका, लक्षद्वीप, बलूचिस्तान, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, बिहार एवं उड़ीसा का कुछ भाग है।

मुख्य भाषाएँ- तमिल, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़, गोंडी (बुंदेलखण्ड के आसपास), ओराँव (बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र) व ब्राहुई (बलूचिस्तान)।

संस्कृत से इस परिवार की भाषाएँ बहुत प्रभावित हैं। इस परिवार की लिपि ब्राह्मी से निकली है।

4. सेमेटिक-हैमेटिक परिवार

क्षेत्र- यह परिवार उत्तरी अफ्रीका तथा पास के पश्चिम एशिया में फैला है। मिस्र, ईराक, अरब, सीरिया, फिलिस्तीन, इथियोपिया, मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया।

मुख्य भाषाएँ- हिब्रू, अरबी, अकादियन, सुमेरियन। इन सभी भाषाओं में अरबी भाषा सम्पन्न रही है और उसके शब्दों ने यूरोप और एशिया की भाषाओं (अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, हिंदी, मराठी, गुजराती आदि) को प्रभावित किया है।

5. यूराल-अल्ताइक परिवार

क्षेत्र- इसका क्षेत्र यूराल और अल्ताई पर्वत के बीच तुर्की, सोवियत संघ, हंगरी, फिनलैंड आदि में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में यह भारोपीय के बाद सबसे बड़ा परिवार है।

मुख्य भाषाएँ- यूराली-फिनिश (फिनलैंड), इस्तोनियन, (इस्तोनिया), हंगेरियन (हंगरी), अल्ताई-तुर्की (तुर्की), अजरबैजानी (अजरबैजान), उजबेक (उजबेकिस्तान), मंगोलियन (मंगोलिया), कजाक (कजाकिस्तान), किरगिज (किरगिजिया)।

6. काकेशियन परिवार

क्षेत्र- इस परिवार का क्षेत्र कैस्पियन सागर और कृष्ण सागर के बीच में काकेशस पर्वत का पहाड़ी क्षेत्र व आसपास का भूभाग।

मुख्य भाषाएँ- चेचेन, कवार्दियन, अवर, अवरवासियन, जार्जियन, मिग्रेलियन।

7. जापानी-कोरियाई परिवार

क्षेत्र- यह परिवार जापान, कोरिया तथा आसपास के कुछ द्वीपों में फैला है।

मुख्य भाषाएँ- जापानी तथा कोरियाई।

8. मलय-पोलिनेशियन परिवार

क्षेत्र- यह परिवार पश्चिम में मैडागास्कर से लेकर पूर्व में ईस्टर द्वीप तक तथा उत्तर में फारमोसा से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, पिलीजीन, न्यूजीलैंड, हेवार्ड,

मलाया, फारमोसा आदि में फैला हुआ है।

मुख्य भाषाएँ- मलय, इंडोनेशियन, न्यूजीलैंडी।

9. आस्ट्रो-एशियाटिक/आग्नेय परिवार

इसे आस्ट्रिक अथवा आग्नेय परिवार भी कहा जाता है।

क्षेत्र- इस परिवार का क्षेत्र विस्तृत था परन्तु अब म्यांमार, निकोबार, कम्बोडिया, बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों तक सीमित हो गया है।

मुख्य भाषाएँ- संथाली (पूर्वी बिहार तथा पश्चिम बंगाल), मुंडारी (पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु,) भूमिज, मूडा, कोल।

10. बुशमैन परिवार

क्षेत्र- इसका क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में ऑरेंज नदी से नगामी झील तक है। यहाँ मुख्यतः बुशमैन जाति के लोग रहते हैं।

मुख्य भाषाएँ- ऐकवे, औकवे, होंतेर्तात।

11. बांटू परिवार

क्षेत्र- यह लगभग 150 भाषाओं का परिवार है। यह परिवार मध्य तथा दक्षिणी अफ्रीका तथा जंजीबार द्वीप में फैला हुआ है।

मुख्य भाषाएँ- काफिर, स्वाहिली, जुलु, सेसुतो।

12. सूडान परिवार

क्षेत्र- लगभग सवा चार सौ भाषाओं का यह परिवार अफ्रीका में भूमध्य रेखा के उत्तर हैमेटिक भाषा क्षेत्र के दक्षिण-पूर्व से पश्चिम तक एक पतले भाग में फैला हुआ है।

मुख्य भाषाएँ- हौसा, सोहंगदू, इबे, बोटू।

13. अमरीकी परिवार

क्षेत्र- अमेरिका में मुख्यतः अंग्रेजी, स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, जर्मन तथा इटैलियन भाषाएँ बोली जाती हैं, किन्तु इसके अतिरिक्त वहाँ के आदिवासियों द्वारा व्यवहृत लगभग एक हजार बोलियाँ/भाषाएँ ऐसी हैं जो मूलतः वहाँ की हैं, उन्हें ही अमरीकी भाषाएँ कहते हैं। ये भाषाएँ उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ग्रीनलैंड तथा आसपास के द्वीपों में बोली जाती हैं।

मुख्य भाषाएँ - एस्कमो (ग्रीनलैंड), अथबस्कन (कनाडा तथा संयुक्त राज्य), नहुअल्ल (मैक्सिको)।

भारोपीय / प्राक् आर्य भाषा परिवार

प्राचीन भारत-हिट्टाइट भाषिक परिवार पर एक दृष्टि

प्राचीन भारत-हिट्टाइट भाषिक परिवार में एशिया, यूरोप, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका एवं अमेरिका की हजारों बोलियाँ और भाषाएँ (जीवित या मृत) शामिल हैं। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इस भाषिक परिवार का उत्पत्तिकाल 2900 ई.पूर्व से 2400 ई.पूर्व माना जाता है। 2400 ई.पूर्व के लगभग इससे दो शाखाएँ विकसित हुईं। 1. एनाटोलियन और 2. भारोपीय। 2000 ई.पूर्व के लगभग एनाटोलियन से जो भाषाएँ विकसित हुई, उनमें से छः का नाम प्रमुखतः उल्लेख्य है- लीडियन, लीसियन, हीरोग्लाफिक हिट्टाइट, पलेइक, लूवियन और हिती या हिट्टाइट। एनाटोलियन भाषा समूह में सबसे अधिक सामग्री हिती या हिट्टाइट की मिली है। हिती साहित्य का सबसे प्रमुख एक ग्रंथ है जो अश्वविद्या से संबंधित है।

हिती और भारोपीय भाषाओं में समानता

1. बहुत से वैदिक देवी-देवताओं के नाम हिती में थोड़े परिवर्तन के साथ मिले हैं :

संस्कृत के शब्द

सूर्य

मरुतः

इन्द्रः

वरुणः

हिती के शब्द

शुरियशः

मरुतशः

ईन्द्र

उरुवन

2. क्रिया रूप में समानता है :

संस्कृत के शब्द

यामि

यासि

नयन्ति

हिती के शब्द

इइआमि

इइआसि

नेयन्तिस

3. संज्ञा रूप में समानता है :

संस्कृत

उद्

हेमन्त

नामन्

हिती

वेदर

केमन्ज

लमन्

अन्य

वाटर (अंग्रेजी)

नौमन (लैटिन)

एनाटोलियन समूह की भाषाएँ दीर्घ जीवन नहीं पा सकी, इनमें से *हिती भाषा के ही कुछ साहित्य उपलब्ध हैं इसलिए उसे भी भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा मानी जाती है।

नामकरण एवं विस्तार

भारत से लेकर पूरे यूरोप तक इस परिवार की भाषा को बोले जाने के कारण इसे भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है।

भारोपीय = भा (रत) + (यू) रोपीय

इसे प्राक् आर्य भाषा परिवार भी कहा जाता है। भारोपीय परिवार की मुख्यतः दस (केल्टिक, इटैलियन, जर्मनिक, हेलेनिक, हिती, तोखारी, इलीरियन, बाल्टिक, स्लाव तथा भारत-ईरानी) शाखाएँ मानी जाती हैं, जिन्हें वंश-वृक्ष के रूप में देखा जा सकता है।

क्षेत्र- एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, यूरोप में रूस, रूमानिया, फ्रांस, स्कॉटलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैण्ड, जर्मनी आदि।

मुख्य भाषाएँ

(अ) प्राचीन- लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, फ्रांसीसी, अवेस्ता, ग्रीक, लैटिन आदि।

(ब) आधुनिक - अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, इतावली, फारसी, हिन्दी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, असमी आदि।

इसे प्राक् आर्य भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अभिप्राय आर्य जाति की भाषाओं से है जिनके

वंशज भारत, फारस, जर्मनी, पोलैंड, बुल्गारिया, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड आदि विश्वविख्यात देशों में फैले हुए हैं, और जिनकी सभ्यता संसार के इतिहास में अपना स्वतंत्र और अद्भुत स्थान रखती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी का संबंध इसी प्रमुख शाखा से है।

एक परिवार की भाषा होने के कारण अनेक शब्दों में समानता मिलती है, जैसे संस्कृत के 'पितृ' शब्द को लें जिसे भारोपीय भाषा परिवार के अनेक भाषाओं में बोले जाने पर शब्दों में काफी समानता है।

भाषा	शब्द
संस्कृत	पितृ
हिन्दी	पिता
अंग्रेज़ी	Father
फारसी	पिदर
ग्रीक	Pater
लैटिन	Pater
फ्रेंच	Pere
जर्मन	Vater

भारोपीय/प्राक् आर्य भाषाओं का उत्पत्ति स्थान

भारोपीय भाषाओं के उत्पत्ति स्थान की जानकारी के लिए प्राचीन साहित्य, प्राचीन भूगोल, जलवायु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, पुरातत्व, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान तथा जातीय मानव विज्ञान आदि अनेक शाखाओं का सहारा लिया गया।

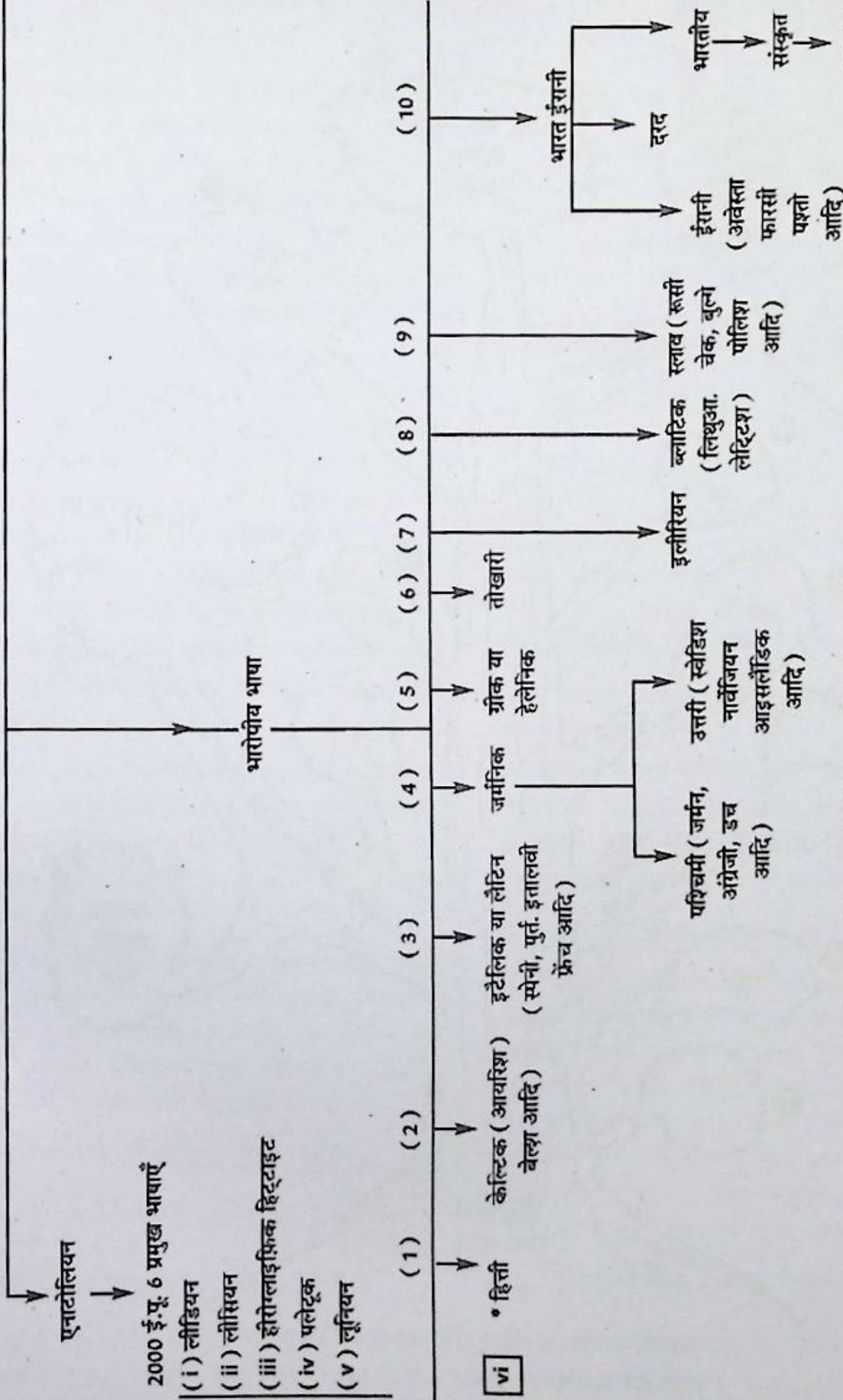
मुख्यतः चार मत सामने आये हैं-

- मूल स्थान भारत में था।
- मूल स्थान भारत से बाहर एशिया में कहीं था।
- मूल स्थान यूरोप में कहीं था।
- मूल स्थान एशिया और यूरोप के संधि-स्थल पर उसके आसपास था।

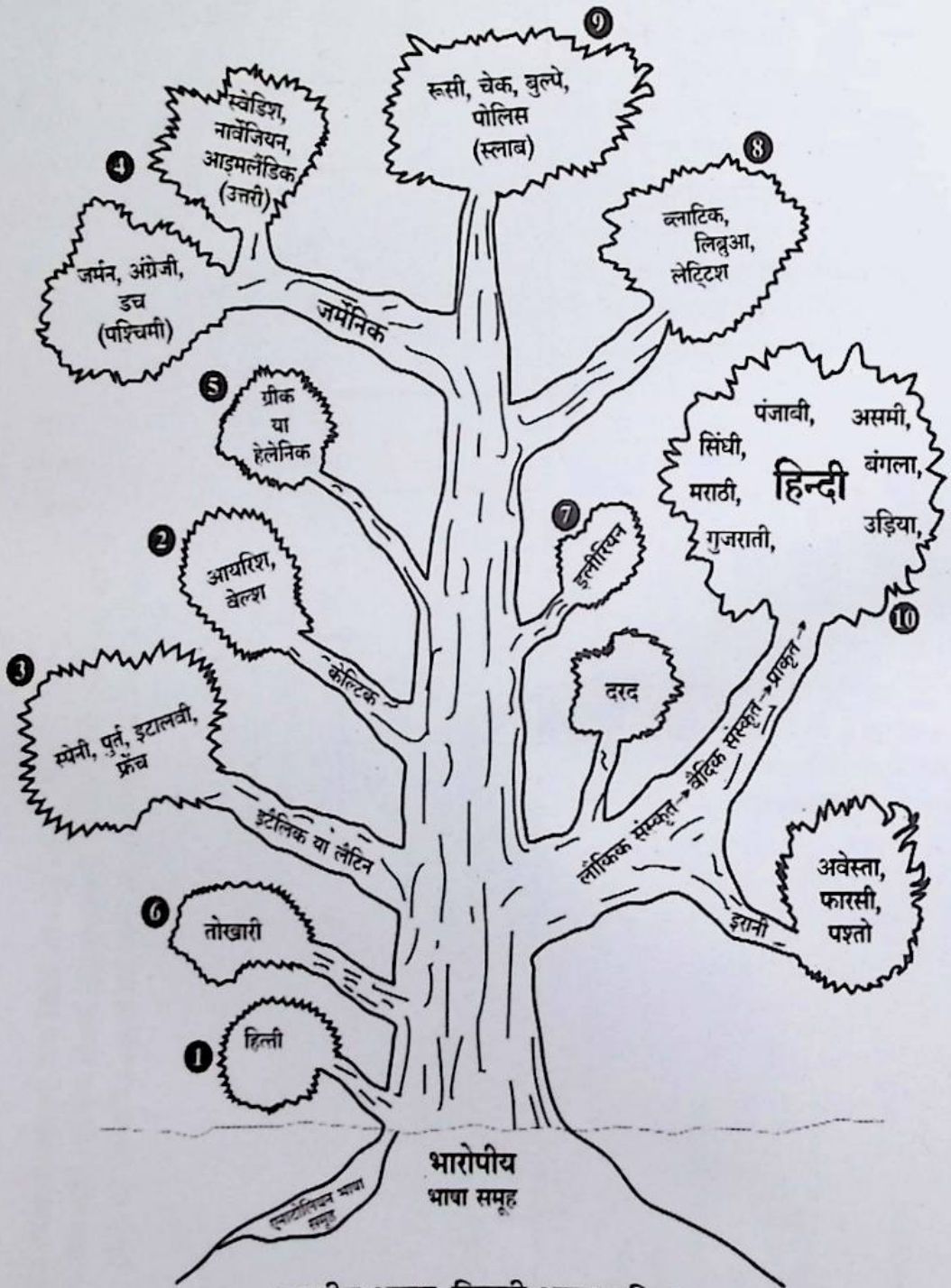
यह भाषा परिवार आर्यों की सभ्यता से जुड़े होने के कारण उसके मूल स्थान के निर्णय के लिए इतिहासकारों ने श्लाघनीय परिश्रम किया है। संस्कृत, फारसी, यूनानी, लैटिन तथा अंग्रेज़ी के वाक्यों की तुलना करने पर इनका एक मूल से निकलना सभी मानते हैं किन्तु वह स्थान कौन-सा है इस पर एकमत नहीं है। अर्थात् आर्यों का आदि-निवास कहाँ था-इस पर मतभेद है।

● **महत्व-** भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। साहित्य सृजन के क्षेत्र में इस परिवार की भाषाएँ अग्रणी हैं। इस परिवार की भाषाओं को बोलने वालों की संख्या अन्य भाषा परिवारों से काफी ज्यादा है।





* हिती या हिट्टाइट एनाटोलियन समूह की भाषाओं में से एक है। हिती को छोड़कर इस समूह की शेष भाषाएँ दीर्घजीवन नहीं पा सकीं, इसीलिए हिती को भी भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा मान ली गई।



प्राचीन भारत-हिन्दी भाषा परिवार
भाषा की उत्पत्ति काल 2900 ई.पू. से 2400 ई.पू.

हिन्दी भाषा का विकासक्रम एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ

विश्व के विशाल भू-भाग में बोली जाने वाली हिन्दी एक विशाल वेगवती नदी की भाँति है जिसमें अनेक नदियाँ अपने उद्गम से सैकड़ों-हजारों मील का सफर तय कर मिल जाती हैं। कालखंड को यदि नदी की धारा मान लें तो आधुनिक हिन्दी का रूप आते-आते उसमें विभिन्न बोलियाँ, अलग-अलग युगों (सदियों) में मिलती गई हैं और इस तरह हिन्दी का क्रमिक विकास होता चला गया है। वैश्विक दृष्टि से देखें तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में मंदारिन (चीनी) व अंग्रेजी के बाद हिन्दी तीसरे क्रम में है। अनेक विद्वानों ने हिन्दी को बोलियों के समूह से उपजी भाषा माना है- इन बोलियों के प्राचीन साहित्य भी हैं और वर्तमान साहित्य भी। वर्तमान में हिन्दी के अन्तर्गत भारत की 56 से भी अधिक बोलियों का समावेश है। हिन्दी के विकासक्रम के भिन्न-भिन्न कालखण्डों में हिन्दी के विविध रूप मिलते हैं जैसे- राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, मैथिली; इसीलिए इनमें रचे गए साहित्य को प्राचीन हिन्दी का साहित्यिक रूप कहा गया है। आधुनिक हिन्दी का स्वरूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है परन्तु, हिन्दी के अन्तर्गत विभिन्न भाषा-रूपों का प्रतिनिधित्व खड़ी बोली ही करती है- ऐसा नहीं है।

हिन्दी के लगभग एक हजार साल के जीवन काल में उसके जिन-जिन रूपों में साहित्य की कालजयी रचनाएँ निःसृत हुई हैं- जिसके कारण वह बोलचाल के ग्रामीण रूप से ऊपर उठकर स्थिरकृत हुई, उनमें प्रमुख हैं- राजस्थानी, खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और मैथिली।

हिन्दी 'भारोपीय भाषा परिवार' के अन्तर्गत एक आधुनिक 'भारतीय आर्य भाषा' है; जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा 'संस्कृत' से हुआ है। 'भारतीय आर्य भाषा' का इतिहास लगभग 3500 वर्ष प्राचीन है। ऐतिहासिक विकासक्रम की दृष्टि से इसे तीन काल-खण्डों में विभाजित किया जा सकता है-

1. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा

(1500 ई.पू. से 500 ई.पू.)

(i) वैदिक संस्कृत (1500 ई.पू. से 800 ई.पू.)

इस काल में चार वेदों- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना की गई।

(ii) लौकिक संस्कृत (800 ई.पू. से 500 ई.पू.)

लौकिक संस्कृत बोलचाल की तथा लोकसाहित्य की भाषा थी। इस काल में रामायण एवं महाभारत जैसे उच्च कोटि के महाकाव्यों की रचना की गई। इस काल की भाषा योगात्मक थी, शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे और भाषा संगीतात्मक थी। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी।

2. मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा (500 ई.पू. से 1000 ई.)

(i) प्रथम प्राकृत : पालि (500 ई.पू. से 01 ई.)

इस काल में बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। भगवान बुद्ध पालि भाषा में उपदेश देते थे। इस काल को 'पालि भाषा काल' के नाम से भी जाना जाता है।

(ii) द्वितीय प्राकृत : प्राकृत (01 ई. से 500 ई.)

जब पालि भाषा भी जनभाषा से दूर होती चली गयी तब प्राकृत भाषा की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः यह संस्कृतिष्ठ कठिन भाषा का जनभाषा में रूपान्तरण था इसलिए इसमें 'तद्भव' शब्दों की बहुलता है। 'तद्भव' उसका जनभाषा में रूपान्तरण है। इस काल में नाटकों, काव्यों और कथाओं का विस्तृत प्रयोग हुआ। इसे 'प्राकृत भाषा काल' के नाम से भी जाना जाता है।

(iii) (अ) तृतीय प्राकृत : अपभ्रंश (500 ई. से. 1000 ई.)

'अपभ्रंश' मध्यकालीन प्राकृत और आधुनिक काल की भाषाओं के बीच कड़ी के रूप में है। यह मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। वस्तुतः प्राकृत से उद्भूत आर्यभाषा की अंतिम अवस्था को 'अपभ्रंश' के नाम से जाना जाता है। 'अपभ्रंश' का शाब्दिक अर्थ है-बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचन्द्र व वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को 'ग्राम्य भाषा' कहा। इस काल में ध्वनि एवं व्याकरण के स्तर में अनेक परिवर्तन हुए और अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। इस काल को 'अपभ्रंश भाषा काल' भी कहा जाता है।

(iii) (ब) तृतीय प्राकृत : अवहट्ट काल (900 ई. से. 1100 ई.)

यह अपभ्रंश और आधुनिक काल के बीच भाषायी दृष्टिकोण से संक्रांतिकाल है जो 900 ई. से 1100 ई. माना जाता है। अपभ्रंश

के ही परवर्ती रूप को विद्वानों ने 'अवहट्ट' का नाम दिया। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार अवहट्ट केवल एक भाषिक शैली नहीं बल्कि एक स्वतंत्र भाषा है। इसी संक्रांतिकाल में अनेक भारतीय भाषाओं ने आकार लिया।

3. आधुनिक भारतीय आर्य भाषा (1000 ई. से अब तक)

अपभ्रंश भाषाओं का प्रयोग जब साहित्य में अधिक होने लगा तब इनके व्याकरण संबंधी नियम भी बनते चले गए और लोकभाषाओं ने अपने-अपने स्वरूप में परिवर्तन किया। अंततोगत्वा वे अपनी पूर्ववर्ती भाषाओं से प्रचुर शब्द-सम्पदा लेकर विकास के पथ पर अग्रसर हुईं और अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। आधुनिक भारतीय भाषाओं का उत्पत्ति काल 1000 ई. के आसपास माना जाता है।

अपभ्रंश भाषाएँ	आधुनिक भारतीय भाषाएँ
(अ) शौरसेनी अपभ्रंश	पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती
(ब) ब्राह्म-पैशाची अपभ्रंश	सिन्धी, पंजाबी
(स) महाराष्ट्री अपभ्रंश	मराठी
(द) अर्धमागधी अपभ्रंश	पूर्वी हिन्दी
(ई) मागधी अपभ्रंश	बिहारी, ओड़िया, बंगला, असमिया
(फ) खस अपभ्रंश	पहाड़ी

हिन्दी भाषा उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास				
संस्कृत ⇨	पालि ⇨	प्राकृत ⇨	अपभ्रंश ⇨	हिन्दी
⇩	⇩	⇩	⇩	⇩
1500 ई. पूर्व से 500 ई. पूर्व	500 ई. पूर्व से 01 ई. पूर्व	01 ई. पूर्व से 500 ई. पूर्व	500 ई. पूर्व से 1000 ई. पूर्व	1000 ई. पूर्व से अब तक
वैदिक एवं लौकिक संस्कृत	बुद्ध के उपदेश	जन सामान्य की भाषा	लोक भाषा	हिन्दी के विविध रूप

■ आधुनिक हिन्दी भाषा का विकास पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी और पहाड़ी उपभाषाओं से हुआ है।

हिन्दी भाषा की मुख्य बोलियाँ

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिन्दी भाषा बोलने वालों की संख्या 52,83,47,193 है जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 43.63 प्रतिशत है। वस्तुतः हिन्दी किसी एक भाषा का ही नहीं बल्कि एक भाषा-समष्टि का नाम है; जिसमें हिन्दी की पाँच उपभाषाओं के अन्तर्गत विभिन्न बोलियाँ मुख्य रूप से सम्मिलित हैं। पाँच उपभाषाओं के अन्तर्गत, मुख्य बोलियाँ 17 हैं।

(अ) पश्चिमी हिन्दी उपभाषा

1. कन्नौजी
2. बुंदेली
3. ब्रजभाषा
4. खड़ी बोली (कौरवी)
5. हरियाणवी (बाँगर)

(ब) राजस्थानी उपभाषा

1. मारवाड़ी
2. जयपुरी (ढूँढाड़ी)
3. मेवाती
4. मालवी

(स) पूर्वी हिन्दी उपभाषा

1. अवधी
2. वधेली
3. छत्तीसगढ़ी

(द) बिहारी उपभाषा

1. भोजपुरी
2. मैथिली *
3. मगही

(इ) पहाड़ी उपभाषा

1. गढ़वाली
2. कुमाऊँनी

* 92वाँ संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 'मैथिली बोली' को भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अतः मैथिली अब हिन्दी के समान एक स्वतंत्र अनुसूचित भाषा हो गई है। 'मैथिली' हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में से 8 वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, जिसे अब एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है।

हिन्दी की मुख्य बोलियों का संक्षिप्त विवरण

(अ) पश्चिमी हिन्दी उपभाषा की पाँच मुख्य बोलियाँ हैं जो शौरसेनी अपभ्रंश से व्युत्पन्न हुए।

(1) कन्नौजी

पुराने कन्नौज राज्य की बोली को कन्नौजी कहते हैं। वर्तमान में यह क्षेत्र उत्तरप्रदेश में स्थित है। इसका क्षेत्र ब्रज और अवधी के मध्य स्थित है। पूर्व में कानपुर एवं दक्षिण में हरदोही, शाहपुर, पीलीभीत तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। कन्नौजी का ब्रजभाषा से काफी साम्यता है इसलिये कन्नौजी साहित्य की गिनती ब्रजभाषा के अन्तर्गत ही की जाती है।

(2) बुंदेली

बुंदेला राजपूतों के प्रभुत्व के कारण इस क्षेत्र को बुंदेलखण्ड एवं यहाँ की बोली को बुंदेली या बुंदेलखण्डी कहा जाता है। इसका क्षेत्र झाँसी (उत्तरप्रदेश), ओरछा तथा सागर (मध्यप्रदेश) के आसपास का भूभाग है। हिन्दी प्रदेश की प्रसिद्ध लोकगाथा 'आल्हा' बुंदेली में लिखा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार बुंदेलखण्डी बोलने वालों की जनसंख्या भारत में 56,26,356 है।

(3) ब्रजभाषा

ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, एटा, बदायूँ, बरेली तथा आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। साहित्य और लोकसाहित्य दोनों ही दृष्टियों से ब्रजभाषा बहुत सम्पन्न है। यहाँ तक कि हिन्दी प्रदेश के बाहर भी भारत के अनेक क्षेत्रों में ब्रजभाषा में साहित्य रचना होती रही है। सूरदास, तुलसीदास, नंददास, रहीम, रसखान, बिहारी, देव, रत्नाकर आदि इसके पुराने कवि हैं। यह मध्ययुग की साहित्यिक भाषा थी, इसीलिए 'ब्रज' के साथ 'भाषा' शब्द जुड़ गया। इसकी गिनती पश्चिमी हिन्दी की मुख्य बोलियों में होती है। जनगणना 2011 के अनुसार 'ब्रजभाषा' बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 15,56,314 है।

(4) खड़ी बोली (कौरवी)

'खड़ी बोली' नाम का प्रयोग दो अर्थों में होता है— एक तो 'मानक हिन्दी' के लिए क्योंकि आधुनिक हिन्दी भाषा इसी से

विकसित हुई है और दूसरे उस लोक बोली के लिए जो दिल्ली-मेरठ में तथा आसपास बोली जाती है। यहाँ 'खड़ी बोली' नाम का प्रयोग दूसरे अर्थ में किया जाता है। यह क्षेत्र पुराना 'कुरु' जनपद है, इस अर्थ में 'कौरवी' नाम का प्रयोग इस बोली के लिए होता रहा है। इसी आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने इस बोली को 'कौरवी' कहा है जो प्रासंगिक है।

एक प्रश्न उठता है कि 'खड़ी बोली' अब तो भाषा (हिन्दी) है, इसे 'बोली' क्यों कहते हैं? वास्तव में मूलतः दिल्ली-मेरठ की बोली को ही 'खड़ी-बोली' कहा गया है। बाद में इसका तथा कुछ और बोलियों का आधार लेती हुई जो बोली सामने आई उसे भी 'खड़ी बोली' कहा गया और उसी ने 'आधुनिक हिन्दी भाषा' का स्वरूप ग्रहण किया।

(5) हरियाणवी (बाँगरु)

यह पश्चिमी हिन्दी की एक बोली है जो हरियाणा और दिल्ली के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 'हरियाणवी' को 'बाँगरु' नाम दिया क्योंकि यह 'बाँगर' या 'बाँगड़' क्षेत्र की बोली है। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणवी बोली बोलने वालों की जनसंख्या भारत में 98,06,519 है। हरियाणा प्रदेश में अहीर और जाटों की बहुलता है और यह बोली उनके द्वारा प्रयुक्त होती है इसलिए इसे 'जाटू' भाषा भी कहा जाता है। हरियाणवी में साहित्य का अभाव है।

(ब) राजस्थानी उपभाषा की मुख्य 4 बोलियाँ हैं। ये बोलियाँ भी शौरसेनी अपभ्रंश से व्युत्पन्न हुए हैं।

(1) मारवाड़ी

मारवाड़ी भाषा का प्राचीन नाम 'मरुभाषा' है। राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली 'मारवाड़ी' कही जाती है, इसका शुद्ध रूप जोधपुर और उसके आसपास के स्थानों में देखने को मिलता है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप 'डिंगल' कहा जाता है। मीराबाई की रचनाएँ मारवाड़ी में हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मारवाड़ी बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 78,31,749 है।

(2) जयपुरी (ढूँढ़ाड़ी)

यह पूर्वी राजस्थान की बोली है जो पूर्व में जयपुर, कोटा और बूँदी राज्यों में बोली जाती थी। यह वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके साहित्यिक रूप में ब्रजभाषा, गुजराती और मारवाड़ी का प्रभाव है। जनगणना 2011 के अनुसार जयपुरी बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 14,76,446 है।

(3) मेवाती

राजस्थान में जहाँ 'मेओ' जाति के लोग निवास करते हैं उस क्षेत्र को मेवात तथा वहाँ की बोली को 'मेवाती' कहा जाता है। अलवर-भरतपुर के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र तथा गुड़गाँव के आसपास मेवाती बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचनाओं का अभाव है। जनगणना 2011 के अनुसार मेवाती बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 8,56,643 है।

(4) मालवी

मध्यप्रदेश के दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से जुड़े क्षेत्र को 'मालवा' व इस क्षेत्र की बोली को 'मालवी' कहा जाता है। इस क्षेत्र में रतलाम, भोपाल, ग्वालियर, नीमच, इंदौर, प्रतापगढ़, उज्जैन आदि जिले आते हैं। मालवी बोली में भी साहित्य का अभाव है। जनगणना 2011 के अनुसार मालवी बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 52,12,617 है।

(स) पूर्वी हिन्दी उपभाषा की मुख्य तीन बोलियाँ हैं। पूर्वी हिन्दी की बोलियाँ अर्धमागधी अपभ्रंश से व्युत्पन्न हैं।

(1) अवधी

इस बोली का केन्द्र 'अयोध्या' है। अयोध्या शब्द का ही विकसित रूप 'अवध' है व इस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को 'अवधी' कहा जाता है। अवधी बोली मुख्य रूप से लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बाराबंकी के आसपास बोली जाती है। अवधी में लोक-साहित्य और साहित्यिक रचनाएँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। तुलसीदास की 'रामचरित मानस' अवधी में लिखी गयी है जो सम्पूर्ण हिन्दी क्षेत्रों में आज भी पढ़ी जाती है। जायसीकृत सूफी महाकाव्य 'पद्मावत' अवधी में ही लिखी गई है। वस्तुतः 'खड़ी बोली' का वर्चस्व बढ़ने के बाद 'ब्रजभाषा' के समान 'अवधी' भी पिछड़ गई और अंततोगत्वा

'खड़ी बोली' ने आधुनिक हिन्दी का रूप ले लिया। जनगणना 2011 के अनुसार अवधी बोली बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 38,50,906 है।

(2) बघेली

'अवधी' और 'छत्तीसगढ़ी' के मध्य भाषायी क्षेत्र में 'बघेली' बोली जाती है। वस्तुतः बघेलखंड में बघेल राजाओं का राज्य था जिसकी राजधानी रीवा थी इसीलिए इस बोली का नाम 'बघेली' पड़ा। यह रीवा, बाँदा, जबलपुर, बालाघाट, सतना, शहडोल आदि जिलों में बोली जाती है। इसे 'बघेलखंडी' बोली के नाम से भी जाना जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार 'बघेली' बोली बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 26,79,129 है। बघेली में विशेष साहित्यिक रचनाएँ नहीं मिलती।

(3) छत्तीसगढ़ी

01 नवम्बर 2000 को 'छत्तीसगढ़' भारत का 26वाँ राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद 28 नवम्बर 2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा ने सर्वसम्मति से 'छत्तीसगढ़ राजभाषा (संशोधन) विधेयक 2007' पारित कर छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा दिया। उपरोक्त तथ्य छत्तीसगढ़ी की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिये पर्याप्त है, हालांकि अभी तक छत्तीसगढ़ी को भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है व इसे पूर्वी हिन्दी की समर्थ विभाषा माना गया है जिसकी दो भगनियाँ अवधी और बघेली हैं। छत्तीसगढ़ी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है।

प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था एवं यहाँ बोले जाने वाली छत्तीसगढ़ी भाषा को 'कोसली' कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी गद्य का प्राचीनतम रूप 'दंतेवाड़ा के शिलालेख' में मिला है।

छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिले हैं—कबीरधाम (कवर्धा), कोरबा, कोरिया, कांकेर, कोण्डागाँव, गरियाबंद, जशपुर, जांजगीर-चाम्पा, दंतेवाड़ा, दुर्ग, धमतरी, नारायणपुर, बिलासपुर, बस्तर, बेमेतरा, महासमुंद, मुंगेली, राजनांदागाँव, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, सुकमा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बालोद, बीजापुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर व सक्ती।

वस्तुतः छत्तीसगढ़ी प्रदेश के सभी तैंतीस जिलों में किसी न किसी रूप में बोली जाती है परन्तु जाँजगीर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाने वाली छत्तीसगढ़ी अधिक सम्पन्न मानी जाती है।

डॉ. रमेशचन्द्र महरोत्रा ने छत्तीसगढ़ी की उपबोलियों पर शोध कर भौगोलिक आधार पर छत्तीसगढ़ी को पाँच क्षेत्रीय रूपों में वर्गीकृत किया है—

(1) केन्द्रीय छत्तीसगढ़ी (मूल छत्तीसगढ़ी) -

बिलासपुरी, रायपुरी, बैगानी, कवर्धाई, कांकेरी, खैरागढ़ी, देवरिया

(2) पश्चिमी छत्तीसगढ़ी- खल्टाही, कमारी, मरारी

(3) उत्तरी छत्तीसगढ़ी- सरगुजिहा, सदरी-कोरवा

(नागपुरिया), पंडो, नागवंशी

(4) पूर्वी छत्तीसगढ़ी- लरिया, बिंझवारी, कलंगा, भुलिया

(5) दक्षिणी छत्तीसगढ़ी- हल्बी (बस्तरी), धाकड़, मिरगानी

● जनगणना 2011 के अनुसार मूल छत्तीसगढ़ी (केन्द्रीय छत्तीसगढ़ी) बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 1,62,45,190 है।

● जनगणना 2011 के अनुसार मूल छत्तीसगढ़ी, पूर्वी छत्तीसगढ़ी, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी, उत्तरी छत्तीसगढ़ी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ी की सभी उपबोलियों को बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 1,90,27,743 है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 1.57 प्रतिशत है।

(द) हिन्दी की उपभाषा 'बिहारी' की तीन मुख्य बोलियाँ हैं। ये सभी मागधी अपभ्रंश से व्युत्पन्न हैं।

(1) भोजपुरी

बिहार राज्य के आरा जिले के एक गाँव 'भोजपुर' के नाम पर इस भाषा का नाम 'भोजपुरी' पड़ा। राजा भोज के वंशजों ने यहाँ आकर अपना नया राज्य बसाया था जिसकी राजधानी 'भोजपुर' थी। इस बोली का क्षेत्र बिहार राज्य के शाहाबाद, सारन, चंपारण, राँची, जसपुर तथा मुजफ्फरपुर जिले एवं उत्तरप्रदेश के वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गोरखपुर, आजमगढ़ आदि जिलों तक फैला हुआ है। भोजपुरी, मागधी परिवार की पश्चिमी बोली है। जनगणना 2011 के अनुसार भोजपुरी बोली बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 5,05,79,447 है। यह भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली है।

(2) मैथिली *

क्षेत्र- बिहार (दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मुंगेर आदि जिला)

लिपि- तिरहुता/देवनागरी

जनसंख्या - 1,35,83,464 (1.12 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है जो बिहार राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। यह तिरहुता एवं देवनागरी दो लिपियों में लिखा जाता है- तिरहुता को मिथिलाक्षर या बैदेही लिपि के नाम से भी जाना जाता है। 92वाँ संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 'मैथिली बोली' को भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है; अतः मैथिली अब हिन्दी के समान एक स्वतंत्र अनुसूचित भाषा हो गई है। 'मैथिली' हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में से 8 वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एक मात्र बोली है, जिसे अब एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है।

(3) मगही

मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली 'मगही' कहलाती है। इसमें बिहार प्रदेश के पटना, गया, हजारीबाग, भागलपुर, मुंगेर आदि क्षेत्र आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार मगही बोली बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 1,27,06,825 है। भोजपुरी और मगही में अत्यधिक समानताएँ हैं।

(इ) हिन्दी की पहाड़ी उपभाषा खस अपभ्रंश से व्युत्पन्न हैं। इसकी दो मुख्य बोलियाँ हैं।

(1) गढ़वाली

यह बोली उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है। इसके अन्तर्गत टिहरी, गढ़वाल, उत्तरकाशी, चमोली जिले शामिल हैं। गढ़वाली में लोक साहित्य प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 'गढ़वाली' बोली बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 24,82,089 है।

(2) कुमाऊँनी

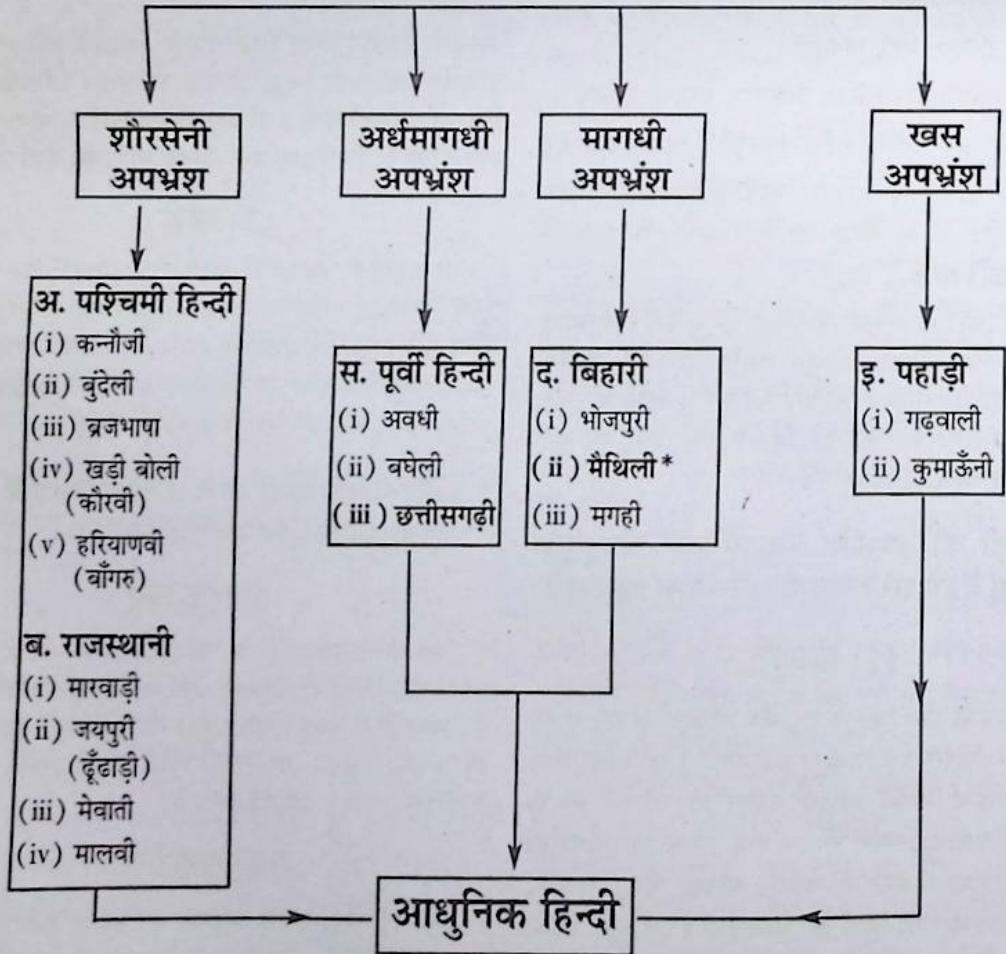
कुमाऊँनी बोली का क्षेत्र उत्तराखंड के नैनीताल, अलमोड़ा, रानीखेत, देहरादून, पिथौरागढ़ जिले हैं। भाषायी दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाली, तिब्बती और पश्चिमी हिन्दी से घिरी है। जनगणना 2011 के अनुसार कुमाऊँनी बोलने वालों की कुल जनसंख्या भारत में 20,81,057 है।

हिन्दी की उत्पत्ति का विकासक्रम

प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (वैदिक संस्कृत 1500 ई.पू. से 1000 ई.पू., लौकिक संस्कृत 1000 ई.पू. से 500 ई.पू.) → मध्यकालीन आर्य भाषा (प्रथम प्राकृत/पालि 500 ई.पू. से 01 ई. तक, द्वितीय प्राकृत 01 ई. से 500 ई.तक, तृतीय प्राकृत/अपभ्रंश 500 ई. से. 1000 ई. एवं अवहट्ट 900 ई. से 1100 ई. तक)

अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई.)

अवहट्ट (900 ई. से 1100 ई.) - संक्रांतिकाल



* 92वाँ संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 'मैथिली बोली' को भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया है। अतः 'मैथिली' अब हिन्दी के समान एक स्वतंत्र अनुसूचित भाषा हो गई है। 'मैथिली' हिन्दी क्षेत्र की बोलियों में से 8 वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, जिसे अब एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है।

हिन्दी की शैलियाँ

साहित्यिक विचार प्रगट करने का ढंग ही भाषा की शैली है। वास्तव में किसी भाषा को लिखने या बोलने की अपनी अलग विशेषता लिए हुए अनेक स्वरूप हो सकते हैं अर्थात् एक से अधिक वाक्य अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी संरचनात्मक रूप से भिन्न हो सकते हैं। समय पूछने के लिए हम इनमें से किसी भी वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं—

1. कितने बजे हैं?
2. कितना समय हुआ है?
3. कितने बज गये ?
4. समय कितना हुआ?
5. अरे, समय बताओ न?

अतः यह स्पष्ट है कि हम अपनी बात कहने के लिए कई विकल्पों में से एक को चुनते हैं। यही बात विचारों, भावों और अर्थ के विविध रूपों और अभिव्यक्तियों के संदर्भ में भी लागू होता है। वस्तुतः चयन की इस प्रक्रिया में समरूप स्वरूपों की अपनी अलग विशेषता लिए हुए समूह विकसित हो जाते हैं, इसे ही शैली कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि भाषा शैली साहित्यिक विचार प्रगट करने का एक मुनासिब तरीका है।

भाषा में शैली का होना अनिवार्य है। किसी भी भाषा में शैली भेद के मूल चार आधार होते हैं— इतिहास, भूगोल, समाज और व्यक्ति। इन्हीं आधारों पर शैलियों के विविध रूप निर्मित और विकसित होते हैं।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि शैली बदल जाने से न भाषा बदलती है, न भावबोध बदलते हैं। हिन्दी की विभिन्न शैलियों के देवनागरी लिपि में लिखे साहित्य को सभी हिन्दी भाषा-भाषी आसानी से पढ़-लिख और बोल सकते हैं। इसे निम्न उदाहरणों से समझा जा सकता है—

मानक हिन्दी शैली— 'भगवान की कृपा है।'

मानक उर्दू शैली— खुदा का शुक्र है।

मानक हिन्दी शैली संस्कृतनिष्ठ होती है। 'कृपा' संस्कृत शब्द है जबकि मानक उर्दू शैली में अरबी-फारसी शब्दों की बहुलता रहती है। 'शुक्र' अरबी शब्द है।

आम बोलचाल में यह आवश्यक नहीं कि लोग 'मानक हिन्दी

शैली' या फिर 'मानक उर्दू शैली' का ही प्रयोग करें। वे अन्य विकल्प चुनने के लिए भी स्वतंत्र हैं।

जैसे— 'भगवान का शुक्र है।' या 'खुदा की कृपा है।'।

वस्तुतः यही हिन्दुस्तानी शैली है जिसमें सरल हिन्दी और सरल उर्दू शब्दों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में हिन्दुस्तानी शैली का प्रभावशाली उपयोग किया गया था।

काल भेद, स्थान भेद तथा हिन्दी में प्रयुक्त शब्द समूहों के आधार पर हिन्दी के कई स्वरूप माने गये हैं, ये ही मानक हिन्दी की विभिन्न शैलियाँ हैं। हिन्दी की पाँच प्रमुख शैलियाँ हैं—

1. हिन्दवी
2. दक्खिनी
3. रेख्ता
4. उर्दू
5. हिन्दुस्तानी

(1) हिन्दवी

यह मध्यकाल में मध्यदेश दिल्ली व आसपास के शिष्ट एवं शिक्षित हिन्दू-मुसलमानों की भाषा रही है। पं. चंद्रबली पाण्डे के मतानुसार इसमें न तो तत्समनिष्ठ संस्कृत शब्दावली का बाहुल्य है न ही अरबी-फारसी शब्दों की भरमार। इसमें आंचलिक शब्दावली भी बहुत कम है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो (1253-1325 ई.) ने मध्यदेश की भाषा के लिए हिन्दवी का प्रयोग किया। पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल : 1318-1643 ई.) और उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल : 1643-1843 ई.) में यह फलती-फूलती रही। इसे राजाश्रय भी प्राप्त था। सैयद इंशा अल्लाह खाँ (1752-1817 ई.) की 'रानी केतकी की कहानी' हिन्दवी शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस कहानी की रचना उन्होंने 1803 ई. के आसपास की। प्रस्तुत है कहानी के अंश—

“.....वह उड़नखटोले वालियाँ जो अधर में छत बाँधे हुए थिरक रही थी, भर-भर झोलियाँ और मुट्ठियाँ हीरे और मोतियों से निछावर करने के लिए उतर आइयाँ और उड़नखटोले ज्यों के त्यों अधर में छत बाँधे खड़े रहे। दूला-दुल्हन पर से सात-सातवारी फेरे होने में पिस-पिस गइयाँ और उन सभी को एक

चक्की-सी लग गई। राजा इन्दर ने दूलन की मुँह दिखाई में एक हीरे का इकडाल छपरखट और पेड़ी पुखराज की दी और एक पारजात का पौधा जिससे जो फल माँगिए सो ही मिले, दूलहन के साम्हने लगा दिया और एक कामधेनु गाय की पठिया बछिया भी उसके नीचे बाँध दी।.....”

(2) दक्खिनी

हिन्दी की दक्खिनी शैली का जन्म 14वीं शताब्दी में हुआ जब उत्तर भारत के मुसलमान शासकों ने दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया तब दिल्ली और उसके आसपास के हिन्दी भाषी लोग उनके साथ दक्षिण में गये। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ ही दक्षिण के सम्पर्क से हिन्दी की एक नई शैली का जन्म हुआ जिसे दक्खिनी शैली कहा जाता है। हैदराबाद इसका केन्द्र है। इसमें फारसी-हिन्दी शब्दों की बहुलता है, कहीं-कहीं मराठी, तेलगु, कन्नड़ जैसी भारतीय भाषाओं के आँचलिक शब्द भी प्रयुक्त होते हैं। गुलबर्गी, बीजापुरी, हैदराबादी हिन्दी की दक्खिनी शैली की प्रमुख उपबोलियाँ हैं। हिन्दी की दक्षिणी शैली के गद्य का एक उदाहरण-

“गोलकुंडा के कुतुबशाही सुल्तानों द्वारा बसाया गया हैदराबाद शहर खूबसूरत इमारतों, निजामी शानों शौकत और लजीज खाने के कारण मशहूर है और भारत के मानचित्र पर एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में अपनी अलग अहमियत रखता है। निजामी ठाठ-बाट के इस शहर का मुख्य आकर्षण चारमीनार, हुसैन सागर झील आदि है। किसी समय नवाबी परम्परा के इस शहर में शाही हवेलियाँ और निजामों की संस्कृति के बीच हीरे जवाहरात का रंग उभरकर सामने आया तो कभी स्वादिष्ट नवाबी भोजन का स्वाद।..”

(3) रेख्ता

17वीं शताब्दी में उर्दू की पद्य भाषा को रेख्ता कहा गया। रेख्ता का अर्थ है- बनाना या मिलाना। रेख्ता हिन्दी की वह शैली है जिसमें हिन्दी व्याकरण में अरबी-फारसी शब्दावली मिलाकर पद्य रचना की जा रही थी। मुसलमान शासकों के दरबार में शायरी के लिए हिन्दी की इसी शैली को अपनाया गया। पुरुषों की इस मिश्रित भाषा शैली को रेख्ता तथा स्त्रियों की भाषा शैली को रेख्ती कहा गया। यह फारसी-अरबी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जा रही थी।

नेताओं व गलत कार्यों में लिप्त व्यक्तियों पर कटाक्ष करने के लिए गुजरे जमाने के मशहूर शायर रियासत हुसैन रिजवी का यह शेर देश में आज भी लोकप्रिय है-

“बर्बाद गुलिस्ताँ करने को, बस एक उल्लू काफी था।
हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा?”

(4) उर्दू

खड़ी बोली में अरबी-फारसी शब्दों तथा मुहावरों के मिश्रण से बनी भाषा उर्दू है। हिन्दी की इस मिश्रित शैली का जन्म 13वीं शताब्दी में ही हो गया था किन्तु इसका नामकरण 18वीं शताब्दी में हुआ। इसकी लिपि फारसी-अरबी है। वस्तुतः यह मध्यकाल में दिल्ली के आसपास बोली जाने वाली हिन्दवी का ही एक रूप है जिसमें संस्कृत शब्दावली का प्रयोग कम और अरबी-फारसी शब्दावली का प्रयोग ज्यादा हुआ है। उर्दू का प्रयोग अब भाषा-विशेष के रूप में पृथक् से हो रहा है। उर्दू की प्रारंभिक पुस्तक ‘बानो बहार’ मानी जाती है जिसकी रचना 18वीं शताब्दी में हुई। मिर्जा गालिब, फिराक गोरखपुरी, साहिर लुधियानवी सहित दर्जनों प्रसिद्ध शायरों के कलाम उर्दू में हैं। उच्च उर्दू शैली में गद्य साहित्य की रचना करने वाले साहित्यकारों में सआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, राजेन्द्र सिंह बेदी व कृष्ण चन्दर की कहानियाँ और उपन्यास भारत में लोकप्रिय हैं।

प्रस्तुत है उर्दू पद्य और गद्य के उदाहरण-

“ये हम जो हिज्र में दीवार-ओ-दर को देखते हैं।
कभी सबा को, कभी नामाबर को देखते हैं।
वो आये घर में हमारे, खुदा की कुदरत है।
कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं।”

- मिर्जा गालिब

इस्मत चुगताई की कहानी ‘लिहाफ’ के अंश-

“यह जब का जिक्र है, जब मैं छोटी-सी थी और दिन-भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार-कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी-कभी मुझे ख्याल आता कि मैं कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने-पराये हर लड़के और लड़की से जूतम-पैजार में मशगूल थीं।

यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगीं तो हफ्ता-भर के लिए मुझे अपनी एक मुंहबोली बहन के पास छोड़ गई।

उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थीं कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़-भिड़ न सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई।

वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। ये वो बेगम जान थीं जिनके गरीब माँ-बाप ने नवाब साहब को इसलिए दामाद बना लिया कि वह पकी उम्र के थे मगर निहायत नेक।.....”

(5) हिन्दुस्तानी

जब सामान्य हिन्दी शैली में मुस्लिम संस्कृति से संबद्ध शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उस शैली को हिन्दुस्तानी शैली कहते हैं। वस्तुतः हिन्दुस्तानी शैली हिन्दी और उर्दू का मिला-जुला रूप है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिन्दुओं और मुसलमानों की समान भागीदारी थी। अतः स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए संस्कृत और अरबी-फारसी के सरल से सरल शब्दों को अपनाते हुए “हिन्दुस्तानी” का रूप दिया गया। यह संस्कृतनिष्ठ मानक हिन्दी और अरबी-फारसी निष्ठ मानक उर्दू से सरल और व्यावहारिक था। इससे स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली।

हिन्दी और उर्दू के वाक्यों में लिंग स्तर पर भी भेद मिलता है। जैसे-

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. शासन किया। (हिन्दी) | हुकूमत की। (उर्दू) |
| 2. जीवन छोटा है। (हिन्दी) | जिन्दगी छोटी है। (उर्दू) |
| 3. कहानी बन गई। (हिन्दी) | अफ़साना बन गया। (उर्दू) |
| 4. अच्छी व्यवस्था थी। (हिन्दी) | माकूल इंतजाम था। (उर्दू) |

हिन्दुस्तानी शैली में प्रेमचंद ने प्रचुर साहित्य रचा। उनके उपन्यास गोदान, गबन, निर्मला, सेवासदन, हिन्दुस्तानी शैली की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इसी शैली में अमृतलाल नागर, भगवती चरण वर्मा, राही मासूम रजा, गोविन्द मिश्र, श्रीलाल शुक्ल आदि साहित्यकारों ने साहित्य रचा।

मुंशी प्रेमचंद की कहानी ‘ईदगाह’ के अंश-

“रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। किसी के कुरते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई-तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी-पानी दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जाएगा। तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना-भेंटना, दोपहर से पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं; लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोज़े बड़े-बूढ़ों के लिए होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई।...”



राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संवैधानिक प्रावधान व संस्थाएँ, राष्ट्रीय पुरस्कार एवं विश्व हिन्दी सम्मेलन

राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा का अर्थ किसी देश की उस भाषा से है जिससे उस देश की जनता का भावनात्मक जुड़ाव हो, जिसका प्रयोग विस्तृत और देशव्यापी हो तथा जो देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक एकता स्थापित करने में समर्थ हो। इसका शाब्दिक अर्थ है-समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात् आम लोगों की भाषा। उदाहरण के लिए चीन की राष्ट्रभाषा मंदारिन है। यह उनके पूरे देश में बोली जाती है, इनके साथ उनके समस्त शासकीय-अशासकीय कार्यों की भाषा भी है। उसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, अतः वह राजभाषा भी है।

'राष्ट्रभाषा' राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीय संवाद-संपर्क की आवश्यकता है। राष्ट्रभाषा शब्द कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, राम, कृष्ण एवं बुद्ध को ईश्वर का रूप माना गया तो यह कोई संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं हुआ है वल्कि यह जनमान्यता के कारण है, जन-स्वीकृति है। गांधी जी को किसी ने महात्मा कहा तो किसी ने कुछ और कहा। 6 जुलाई 1944 को सुभाषचन्द्र बोस ने रेडियो पर बोलते हुए गांधीजी को संबोधित करते हुए कहा- "भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता! भारत की मुक्ति के लिए उस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं।" अनेक लोग गांधीजी की विचारधारा और कार्यपद्धति से सहमत नहीं थे। इसके बावजूद गांधी जी को हमने 'महात्मा' की उपाधि दी, 'बापू' कहा, 'राष्ट्रपिता' माना तो यह जनस्वीकृति का रूप है, यह कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है।

स्वातंत्र्य-आंदोलन में राष्ट्रीय एकीकरण का माध्यम हिन्दी भाषा ही था। उस समय महात्मा गांधी ने कहा था- 'सारे संसार में भारत ही एक अभागा देश है, जहाँ सारा कारोबार एक विदेशी भाषा में होता है। हम संकल्प लें कि हम अपना अधिकतम काम हिन्दी में करेंगे।'

पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने कहा- 'हिन्दी भारत की अमरवाणी है। यह स्वतंत्रता और सम्प्रभुता की गरिमा है'। स्वातंत्र्योत्तर भारत के तीसरे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा- 'प्रत्येक देश को किसी संपर्क भाषा की आवश्यकता होती है और वह स्थान भारतवर्ष में केवल हिन्दी भाषा ही ले सकती है।'

आध्यात्मिक गुरु महर्षि अरविंद घोष ने कहा था- 'लोग अपनी-अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी को ग्रहण करें।' स्वामी विवेकानन्द ने कहा- 'हिन्दी के द्वारा ही सारे भारत को एक रूप में पिरोया जा सकता है।'

विगत एक सहस्राब्दी में दो बड़े आंदोलन हुए। पहला भक्ति आंदोलन (1318 ई. से 1643 ई.) एवं दूसरा स्वातंत्र्य आंदोलन (1857 ई. से 1947 ई.) उक्त दोनों ही आंदोलनों की जनभाषा हिन्दी रही। बीसवीं सदी में चला स्वातंत्र्य आंदोलन (1900 ई. से 1947 ई.) में हिन्दी की प्रमुख भूमिका को देखते हुए यह स्वयं सिद्ध है कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोली जाती है। हिन्दी बोलने वालों की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 52,83,47,193 है जो देश की जनसंख्या का 43.63 प्रतिशत है। संप्रति भारत में अन्य भाषाओं को बोलने वालों का प्रतिशत दहाई आँकड़ा तक भी नहीं पहुँचा है।

राजभाषा

राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है- राजकाज की भाषा अर्थात् जिस भाषा का प्रयोग देश के राजकाज के लिए प्रयुक्त होती है वही राजभाषा है।

भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितम्बर 1949 को निर्णय लिया कि 'हिन्दी' भारत संघ की राजभाषा होगी। अस्तु 'राजभाषा' एक संवैधानिक शब्द है जो केवल हिन्दी के लिए प्रयुक्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 14 सितम्बर को पूरे राष्ट्र में 'हिन्दी दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिसमें 343 (1) के अनुसार- 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।'

मुख्य बिन्दु -

- राजभाषा वह भाषा है जिसमें राजकाज का कार्य किया जाता है।
- भाषा के साथ लिपि भी जुड़ी रहती है। भारत संघ की राजभाषा हिन्दी है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी।
- प्रदेशों की राजकाज की भाषा हिन्दी या अन्य अनुसूचित भाषाएँ हो सकती हैं।

- हिन्दी भाषी प्रदेशों में उनके राज्य के राजकाज की भाषा देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी होगी।
- गैर हिन्दी प्रदेशों में उनके राज्य के राजकाज की भाषा वे भाषाएँ हैं, जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं और वहाँ बोली जाती हैं, जैसे तमिलनाडु राज्य की राजभाषा तमिल है।

भारत संघ की राजभाषा नीति द्विभाषिकता की है, अर्थात् इसमें संघ के सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी और अंग्रेज़ी दोनों भाषा के प्रयोग का प्रावधान है। किसी भी राज्य की राजभाषा हिन्दी के अतिरिक्त यदि कोई अन्य भाषा है तो केन्द्र सरकार के साथ पत्र-व्यवहार में उन्हें हिन्दी या अंग्रेज़ी अनुवाद को भेजना अनिवार्य है अर्थात् यदि वे केवल अपने प्रदेश की राजभाषा में कोई पत्र केन्द्र सरकार को भेजेंगे तो उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगी।

राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर

1. राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वाभाविक रूप से सृजित शब्द है। इस प्रकार राजभाषा प्रशासन की भाषा है तथा राष्ट्रभाषा जनता की भाषा।
2. समस्त राष्ट्रीय तत्वों की अभिव्यक्ति राष्ट्रभाषा में होती है, जबकि केवल प्रशासनिक अभिव्यक्ति राजभाषा में होती है।
3. राजभाषा की शब्दावली सीमित है, जबकि राष्ट्रभाषा की शब्दावली विस्तृत।
4. राजभाषा नियमों से बंधी होती है, जबकि राष्ट्रभाषा स्वतंत्र या मुक्त प्रकृति की होती है।
5. राजभाषा में शब्दों का प्रवेश, निर्माण अथवा अनुकूलन (विशेषकर तकनीकी प्रकृति के शब्दों का) विद्वानों एवं विशेषज्ञों की समिति की राय से किया जाता है, जबकि राष्ट्रभाषा में शब्द समाज से आते हैं तथा प्रचलन के आधार पर रूढ़ होकर मान्यता प्राप्त करते हैं। इसके निर्माण में सभी का हाथ होता है।
6. राजभाषा हिन्दी भाषा का प्रयोजन मूलक रूप है इसलिए तकनीकी सृजन है। जबकि राष्ट्रभाषा हिन्दी भाषा का स्वाभाविक तथा पारंपरिक रूप है।
7. राजभाषा के प्रयोग का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का क्षेत्र इतना व्यापक कि उसका व्यवहार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी होता है।

8. राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर अंग्रेज़ी की जगह पर हो रहा है जबकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग स्वाभाविक रूप से देश-विदेश सर्वत्र हो रहा है।

भाषायी दृष्टि से देश का वर्गीकरण

राजभाषा अधिनियम 1963 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के कार्यालयों आदि में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए 'राजभाषा नियम, 1976' बनाए गए हैं। इन नियमों के अनुसार भाषायी आधार पर देश को तीन क्षेत्रों 'क', 'ख' एवं 'ग' में वर्गीकृत किया गया है। इन क्षेत्रों की भाषायी स्थिति को ध्यान में रखकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय हिन्दी के प्रयोग का लक्ष्य वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित करता है, जिसका अनुपालन संबंधित क्षेत्र के कार्यालय द्वारा किया जाना आवश्यक है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है-

'क' क्षेत्र- 'क' क्षेत्र का तात्पर्य है- हिन्दी भाषी क्षेत्र अथवा जिन क्षेत्रों की सरकार (केन्द्रशासित/राज्य) ने हिन्दी को राजभाषा माना है। इस क्षेत्र में हैं- बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं अंडमान-निकोबार द्वीप समूह।

'ख' क्षेत्र- 'ख' क्षेत्र का तात्पर्य है- अर्ध हिन्दी भाषी क्षेत्र अर्थात् जहाँ की भाषा या लिपि हिन्दी या देवनागरी में समानता रखती है या मिलती-जुलती है। इस क्षेत्र में हैं- गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन, दीव तथा दादर व नगर हवेली।

'ग' क्षेत्र- 'ग' क्षेत्र का तात्पर्य है- हिन्दीतर भाषी क्षेत्र अर्थात् जहाँ की भाषा या लिपि हिन्दी से अलग है। उपर्युक्त 'क' एवं 'ख' क्षेत्रों के अलावा शेष सभी राज्य/ संघ राज्य 'ग' क्षेत्र में आते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 (1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के लागू होने की तारीख (अर्थात् 26 जनवरी 1965) से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर गठित की जाएगी। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने

का प्रावधान है (20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) जो क्रमशः लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तदनुसार जनवरी 1976, में 'संसदीय राजभाषा समिति' का गठन किया गया। बाद में 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनावों के पश्चात् समिति का पुनर्गठन हुआ।

भारत के संविधान में राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधान

(अ) संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा- राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध के अंतर्गत भारतीय संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 120 (1) में कहा गया है-संसद में कार्य हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा, परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति, किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की आज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 120 (2) के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उसमें से लुप्त कर दिए गए हैं।

(ब) विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा- भारतीय संविधान के भाग-6 के अनुच्छेद 210 (1) के अनुसार राज्य के विधानमंडल के कार्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परन्तु यथास्थिति, विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद् का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अनुच्छेद 210 (2) के अनुसार जब तक राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के आरंभ में पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो कि 'या अंग्रेजी में' ये शब्द उनमें से लुप्त कर दिए गए हैं।

परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्य के विधानमंडलों के संबंध में इस प्रकार प्रभावी होगा कि मानों उसमें आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'पच्चीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों।

इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 'पंद्रह वर्ष' शब्दों के स्थान पर 'चालीस वर्ष' शब्द रख दिए गए हों।

(स) भाग 17 (अनुच्छेद 343-351 तक)- भारतीय संविधान के 17 वें भाग में राजभाषा संबंधी उपबंध दिए गए हैं, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक है। इन अनुच्छेदों का विवरण नीचे दिया जा रहा है-

भाग 17 राजभाषा : अनुच्छेद 343-351 तक

■ अध्याय- 1 संघ की भाषा :

- अनुच्छेद- 343 : संघ की राजभाषा।
- अनुच्छेद- 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति।

■ अध्याय- 2 प्रादेशिक भाषाएँ :

- अनुच्छेद- 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ।
- अनुच्छेद- 346 : एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा।
- अनुच्छेद- 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध।

■ अध्याय 3 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि की भाषा :

- अनुच्छेद- 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- अनुच्छेद- 349 : भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया।

■ अध्याय- 4 विशेष निर्देश :

- अनुच्छेद- 350 : व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
- अनुच्छेद- 350 (क) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ।

● अनुच्छेद- 350 (ख) : भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी।

● अनुच्छेद- 351 : हिन्दी भाषा के विकास के निर्देश।

■ अनुच्छेद 343 : संघ की राजभाषा-

संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी संघ की राजभाषा होगी तथा संघ में सरकारी प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप प्रयोग होगा। अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक यानी 26 जनवरी, 1965 तक हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी होता रहेगा। अनुच्छेद 343 (3) के अनुसार संसद इस अवधि को आगे भी बढ़ा सकता है।

● संसद ने राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया। जिसके अनुसार अंग्रेजी का हिन्दी के साथ अनिश्चित काल के लिए प्रयोग किया जाता रहेगा। इस अधिनियम में सन् 1967 में संशोधन किया गया जिसमें अंग्रेजी के प्रयोग को हिन्दी के साथ निम्नलिखित दशाओं में अनिवार्य कर दिया गया-

(अ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासकीय या अन्य रिपोर्ट, प्रेस संचार।

(ब) संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली प्रशासकीय या अन्य रिपोर्ट और कार्यालयी पत्र।

(स) केन्द्र सरकार या निगम या सरकारी कम्पनी द्वारा जारी लाइसेंस, परमिट, नोटिस, किए गए करार या संविदा इत्यादि।

■ अनुच्छेद 344 : राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति-

अनुच्छेद 344 (1) राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक दस वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग गठित करेगा।

अनुच्छेद 344 (2) में आयोग के कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं जिसमें हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बन्धन, न्यायालयीन भाषा, अंकों का रूप एवं संघ-राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपेगा।

अनुच्छेद 344 (3) में भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति एवं लोक सेवाओं के संबंध में अहिन्दी भाषी लोगों में न्यायसंगत दावों व हितों पर विचार करेगा।

अनुच्छेद 344 (4) में एक समिति के गठन का प्रावधान है, जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। जिसमें लोकसभा के 20 एवं राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। सदस्यों का चुनाव आनुपातिक पद्धति एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा।

अनुच्छेद 344 (5) में समिति के कर्तव्य सुनिश्चित किए गए हैं। यह समिति आयोग की सिफारिशों का परीक्षण कर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 344 (6) में यह प्रावधान है कि समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद राष्ट्रपति निदेश जारी करेंगे।

(अ) तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा 7 जून 1955 में बालगंगाधर खेर (बी.जी.खेर) की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने 31 जुलाई 1956 को राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन सौंपा।

(ब) राजभाषा आयोग के प्रतिवेदन की जाँच के लिए 16 नवम्बर 1957 को गोविन्द वल्लभ पन्त की अध्यक्षता में संसदीय समिति का गठन किया गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को 8 फरवरी 1959 को सौंपा। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर राजभाषा अधिनियम 1963 बनाया गया।

■ अनुच्छेद 345 : राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ-

अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के उन भीतरी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

■ अनुच्छेद 346 : संघ और राज्यों के बीच पत्राचार की भाषा-

संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के माध्यम की व्यवस्था की गई और कहा गया कि जो भाषा संघ के सरकारी कामकाज में

प्रयोग के लिए इस समय प्राधिकृत है, वही संघ और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए प्रयुक्त की जाएगी। संविधान बनाते समय यह भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन आपसी राय से राज्य में हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।

■ अनुच्छेद 347 : किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध-

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा की उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

■ अनुच्छेद 348 : उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा-

अनुच्छेद 348 खंड (1) में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई दूसरा कानून नहीं बनाती तब तक उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियाँ अंग्रेजी में होंगी। संसद और राज्य विधान मंडल के कानून के साथ संविधान के या संविधान के तहत बनाए गए नियमों, आदेशों, विनियमों और उपविधियों का प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 348 के खंड (2) के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्णयों, आदेशों आदि को छोड़कर बाकी सभी कार्यवाहियों के लिए हिंदी या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है।

अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसार यदि किसी राज्य में विधि के लिए अंग्रेजी को छोड़कर कोई दूसरी भाषा नियत की गई है तो राज्यपाल के प्राधिकार से राज्य के गजट में प्रकाशित विधियों, नियमों आदि का अंग्रेजी में अनुवाद उनका प्राधिकृत पाठ होगा।

■ अनुच्छेद 349 : भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-

अनुच्छेद 349 में यह कहा गया है कि 348 (1) में उल्लिखित भाषा की व्यवस्था में परिवर्तन के लिए यदि 1965 के

पहले कानून बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी। राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के अधीन गठित आयोग और समिति की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही अपनी अनुमति दे सकते थे। तदनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही राजभाषा अधिनियम 1963 को (जिसमें 348 वें अनुच्छेद में की गई कानूनी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन सुझाया गया था।) संसद में पेश किया गया था।

■ अनुच्छेद 350 : आवेदन/अभ्यावेदन की भाषा-

अनुच्छेद 350 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी व्यथा के निवारण के संबंध में अपना आवेदन/अभ्यावेदन सरकारी पदाधिकारी के सामने किसी भी भाषा में प्रस्तुत कर सकता है। यह शर्त जरूर है कि अगर आवेदन संघ के पदाधिकारी को लिखा गया है तो संघ में प्रयुक्त भाषाओं में से कोई एक में होना चाहिए और अगर यह किसी राज्य के अधिकारी को संबोधित है तो उस राज्य में प्रयुक्त भाषाओं में से किसी एक भाषा में होना चाहिए।

■ अनुच्छेद 350 (क) : प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं-

अनुच्छेद 350 (क) के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें एवं स्थानीय प्राधिकारी प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति इस संबंध में राज्य को आवश्यकतानुसार निर्देश दे सकेगा। यह अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया है।

■ अनुच्छेद 350 (ख) : भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-

अनुच्छेद 350 (ख) के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। यह अनुच्छेद 7वें संविधान संशोधन, 1956 द्वारा जोड़ा गया है।

■ अनुच्छेद 351 : हिन्दी भाषा के विकास के लिए निर्देश -

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

संविधान में भाषा संबंधी अन्य उपबंध

- (1) अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
- (2) अनुच्छेद-30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार
- (3) अनुच्छेद 394 (क) : हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

(1) अनुच्छेद-29 : अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण -

- भारत के राजक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा।
- राज्य द्वारा पोषित या राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा।

(2) अनुच्छेद-30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार-

- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा।
- शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है।

(3) अनुच्छेद 394 (क) : हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ -

- भारतीय संविधान में 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987

के द्वारा अनुच्छेद 394 (क) जोड़कर संविधान का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत अनुवाद का उपबंध किया गया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन को हिन्दी भाषा में अनुवादित करने का प्रावधान किया गया है, परन्तु ऐसे अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है। अनुवाद में उत्पन्न किसी भी कठिनाई का पुनरीक्षण राष्ट्रपति कर सकता है।

राजभाषा विभाग

● स्थापना- 1975

● मुख्यालय- नई दिल्ली

- राजभाषा विभाग भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। राजभाषा के बारे में संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के अनुपालन तथा संघ के कार्यालयीन प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए जून 1975 में, गृह मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वतन्त्र विभाग के रूप में राजभाषा विभाग की स्थापना की गयी। तभी से यह विभाग भारत में कार्यालयीन प्रयोजनों हेतु हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सतत् प्रयासरत है।

● प्रमुख उद्देश्य

1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के हिन्दी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं और उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व।
2. संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिसमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य-विवरण, पाठ्य-पुस्तकें, प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं।

राजभाषा विभाग के प्रकाशन एवं पुरस्कार

- (1) राजभाषा भारती पत्रिका का प्रकाशन
- (2) गृह पत्रिका पुरस्कार योजना
- (3) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (4) राजभाषा गौरव पुरस्कार

(1) राजभाषा भारती पत्रिका का प्रकाशन-

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका- 'राजभाषा भारती' केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 से निरंतर किया जा रहा है तथा हर अंक की पांच हजार प्रतियाँ छपवाई जाती हैं। चार हजार से ज्यादा प्रतियाँ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि को भेजी जाती हैं। पत्रिका की शेष प्रतियाँ स्थानीय स्तर पर वितरित की जाती हैं।

पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में सूचनाप्रद और ज्ञानवर्द्धक लेख प्रकाशित किए जाते हैं। केन्द्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियों को प्रमुखता से स्थान दिया जाता है। विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में श्रेष्ठ व स्तरीय आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को भी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं।

(2) गृह पत्रिका पुरस्कार योजना -

वर्ष 2005-2006 से केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं के लिए एक पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत क, ख और ग क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों व बैंकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(3) राजभाषा कीर्ति पुरस्कार (प्रारंभ 2015-2016) -

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और हिंदी गृह पत्रिकाओं को सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शील्ड प्रदान की जाती है।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छः श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं-

- (क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (ग) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (घ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (ङ) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि के लिए समेकित रूप से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार
- (च) हिंदी गृह पत्रिका के लिए कीर्ति पुरस्कार

(4) राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना (प्रारंभ 2015-2016)-

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना का मूल उद्देश्य मौलिक रूप से हिंदी भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अंतर्गत तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं-

(क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विजेता को निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है-

प्रथम पुरस्कार (एक)	2,00,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक)	1,25,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक)	75,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार (दस)	10,000 रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक विजेता को निम्नलिखित पुरस्कार देने की व्यवस्था है-

प्रथम पुरस्कार	1,00,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
----------------	--

द्वितीय पुरस्कार	75,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार	60,000/- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
प्रोत्साहन पुरस्कार	30,000 /- रुपये, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित) को हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार

	हिंदी भाषी	हिंदीतर भाषी
प्रथम	20,000/- रुपये	25,000/- रुपये
द्वितीय	18,000/- रुपये	22,000/- रुपये
तृतीय	15,000/- रुपये	20,000/- रुपये

केंद्रीय हिन्दी निदेशालय

● स्थापना- 1 मार्च 1960

● मुख्यालय- नई दिल्ली

हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में सम्पूर्ण भारत के सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी के विकास करने हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च, 1960 में तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत की गई थी। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद और गुवाहाटी में स्थित हैं। इसकी स्थापना किए जाने की तारीख से निदेशालय हिन्दी के प्रचार-प्रसार और विकास के लिए बहुत-सी योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है।

● प्रमुख उद्देश्य एवं योजनाएँ- निदेशालय निम्नानुसार योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है-

- सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी-केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम, हिन्दी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम, उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम और सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम जैसे बहुत से पाठ्यक्रम संचालित करना।
- एक भाषा में द्विभाषी, त्रिभाषी और बहुभाषी शब्दकोशों के प्रकाशन की योजना।

- पुस्तकों के प्रकाशन/खरीद करने के लिए सहायता की योजना सहित हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान देना।
- निःशुल्क वितरण हेतु हिन्दी पुस्तकों की खरीद करना।
- विदेशी भाषाओं एवं भारतीय भाषाओं के लिए शब्दकोश का निर्माण करना।
- हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के तुलनात्मक व्याकरण का निर्माण करना।
- प्रकाशकों के सहयोग से लोकप्रिय पुस्तकों को प्रकाशित करना।
- विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा हिन्दी भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों का समन्वय करना।
- देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण करना।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

● स्थापना - 1 अक्टूबर 1961

● मुख्यालय- नई दिल्ली

● वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खण्ड (4) के उपबंधों के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 1 अक्टूबर 1961 में किया गया था- हिन्दी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना; शब्दावलियों को प्रकाशित करना; पारिभाषिक शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना; यह देखना कि विकसित किए गए शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचती रहे; (कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रबोधन कार्यक्रमों के जरिए) किए गए कार्य के संबंध में उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके उचित उपयोग/आवश्यक/अद्यतन/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सभी राज्यों के साथ समन्वय करना।

आयोग निम्नलिखित कार्य करता है-

- (1) अंग्रेजी/हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दावलियाँ तैयार करना तथा उनका प्रकाशन करना।

- (2) राष्ट्रीय शब्दावली तैयार करना और उसका प्रकाशन करना।
- (3) स्कूल स्तर की शब्दावली और विभागीय शब्दावलियों की पहचान करना और उनका प्रकाशन करना।
- (4) अखिल भारतीय शब्दों की पहचान करना।
- (5) पारिभाषिक शब्दकोशों और विश्वकोशों को तैयार करना।
- (6) विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों, मोनोग्राफों और पत्रिकाओं को तैयार करना।
- (7) ग्रंथ अकादमियों, पाठ्य-पुस्तक बोर्डों और विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों को क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए सहायता अनुदान।
- (8) प्रशिक्षण/प्रबोधन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और संगोष्ठियों आदि के माध्यम से गढ़े गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार-प्रसार, विस्तार और ध्यानपूर्वक समीक्षा करना।
- (9) राष्ट्रीय अनुवाद मिशन को आवश्यक शब्दावली उपलब्ध कराना।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

- **स्थापना- 1 मार्च 1971**
- **मुख्यालय- नई दिल्ली**
- राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में अनुवाद की महत्वपूर्ण और अपरिहार्य आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार के प्रशासनिक ढांचे में अनुवाद की सुनियोजित व्यवस्था आवश्यक थी। वर्ष 1960 में शिक्षा मंत्रालय के अधीन केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना करने असांविधिक साहित्य के हिन्दी अनुवाद का कार्य आरंभ किया गया। लेकिन राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय के अधीन होने के कारण केंद्र सरकार के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद का दायित्व भी गृह मंत्रालय को सौंपा गया। तदनुसार 1 मार्च 1971 को गृह मंत्रालय के अधीन "केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो" की स्थापना की गई और केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि के असांविधिक प्रक्रिया साहित्य का अनुवाद कार्य केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया। वर्तमान में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है।
- अनुवाद में सरलता, सहजता और शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने तथा अनुवाद कौशल विकसित करने के

लिए वर्ष 1973 से अनुवाद प्रशिक्षण का कार्य ब्यूरो को सौंपा गया। इस प्रकार ब्यूरो अनुवाद प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर असांविधिक प्रक्रिया साहित्य के अनुवाद और अनुवाद कौशल-विकास के प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भारत सरकार की एकमात्र मानक संस्था है।

भारतीय भाषा संस्थान

- **स्थापना-17 जुलाई 1969**
- **मुख्यालय- मैसूर (कर्नाटक)**
- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (कर्नाटक) जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, की स्थापना 17 जुलाई 1969 में की गई थी। इसकी स्थापना भारत सरकार की भाषा नीति को तैयार करने और इसके कार्यान्वयन में सहायता करने तथा भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षा शास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी और समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास में समन्वय करने हेतु स्थापित की गई है। संस्थान बहुत-सी विस्तृत योजनाओं के जरिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देता है। अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत

(नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया)

- **स्थापना- 1957**
- **मुख्यालय- नई दिल्ली**
- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (एनबीटी) सन् 1957 में भारत सरकार (उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा स्थापित एक शीर्ष निकाय है। एनबीटी का उद्देश्य अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा भारतीय भाषाओं में उच्च कोटि के साहित्य का प्रकाशन और पुस्तकों के प्रोन्नयन को प्रोत्साहित करना तथा ऐसा साहित्य लोगों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध करवाना है, साथ ही पुस्तक सूची का प्रकाशन करना, पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों तथा संगोष्ठियों की व्यवस्था करना और लोगों में पुस्तक पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाना है।

प्रमुख उद्देश्य-

- (1) भारत के प्राचीन श्रेष्ठ साहित्य का प्रकाशन करना।
- (2) भारतीय भाषाओं में भारतीय लेखकों की उत्कृष्ट कृतियों का एक भारतीय भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना।
- (3) विदेशी भाषाओं की श्रेष्ठ पुस्तकों का भारतीय भाषा में अनुवाद करना।
- (4) जनसामान्य तक आधुनिक ज्ञान से परिपूर्ण श्रेष्ठ पुस्तकों के प्रसार हेतु, पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।
- (5) नेशनल बुक ट्रस्ट समाज के हर वर्ग और आयु के पाठकों के लिए कथा-साहित्य, सामाजिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी आदि सामान्य विषयों पर पुस्तकें प्रकाशित करता है।
- (6) नेशनल बुक ट्रस्ट- बच्चों के लिए विभिन्न विषयों की पुस्तकों तथा नवसाक्षरों हेतु उत्तर साक्षरता पठन सामग्री उचित मूल्य पर विभिन्न पुस्तकमालाओं के अंतर्गत अंग्रेजी तथा भारत की प्रमुख भारतीय भाषाओं जैसे- हिन्दी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओड़िया, पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, सिंधी, तेलुगू और उर्दू में पुस्तकें प्रकाशित करता है।
- (7) नेशनल बुक ट्रस्ट उन विषयों की पुस्तकों के प्रकाशन पर विशेष ध्यान देता है जो अन्य प्रकाशकों द्वारा पर्याप्त रूप से प्रकाशित नहीं की जाती। इनमें विशेष रूप से सामान्य पाठकों के लिए तैयार की गई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, भारत और देश और उसके लोगों से संबंधित विषय तथा ब्रेललिपि में प्रकाशित पुस्तकें शामिल हैं।

प्रकाशन विभाग

● स्थापना- 1941

● मुख्यालय- नई दिल्ली

- प्रकाशन विभाग की स्थापना 1941 में हुई थी और यह राष्ट्रीय महत्व के विषयों तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को रेखांकित करने वाली पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं का खजाना है। यह भारत सरकार के ऐसे प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभर कर सामने आया है जो ज्ञान के राष्ट्रीय भंडार को समृद्ध करने में निम्नलिखित तरीके से अपना योगदान कर रहा है-

- (1) भारत भूमि और यहाँ के लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, जीव-जंतु और वनस्पतियों, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों, संस्कृति, दर्शन, विज्ञान, साहित्य आदि के क्षेत्र की महान हस्तियों के बारे में श्रेष्ठतम पुस्तकें प्रकाशित करके भारत की धरोहर का संरक्षण और प्रदर्शन।
 - (2) राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के भाषणों के प्रकाशन के साथ समसामयिक घटनाक्रम को लिपिबद्ध करना, समसामयिक विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर भारतीय समाज और पाठकों के लिए रुचिकर पुस्तकें छापना।
 - (3) बच्चों को ज्ञानोपयोगी जानकारी के साथ-साथ मनोरंजन, देश की धरोहर, संस्कृति तथा समाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं बच्चों में मानवीय जीवन मूल्यों तथा वैज्ञानिक मनोवृत्ति के विकास के लिए बाल साहित्य (कथा और कथेतर) का प्रकाशन।
- प्रकाशन विभाग का अनूठा योगदान इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि यह एक ओर अन्य प्रकाशकों के साथ बाजार की प्रतिस्पर्धा में शामिल है तो दूसरी ओर सरकार का अग्रणी प्रकाशन गृह भी है। प्रकाशन विभाग ने भारत के प्रकाशन जगत् में तब से अग्रणी भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण गौरव ग्रंथ प्रकाशित किए हैं जब भारत का प्रकाशन उद्योग अपने शुरुआती दौर में था और मीडिया की पहुँच बहुत सीमित थी।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रमुख पत्रिकाएँ

- (1) योजना- प्रकाशन विभाग की प्रमुख पत्रिका योजना 1957 से निरंतर प्रकाशित हो रही है। समाज के सभी अंगों के योजनाबद्ध विकास की जानकारी देने वाली यह पत्रिका सामाजिक-आर्थिक मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच भी प्रदान करती है। 13 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका की प्रसार संख्या 2 लाख प्रतियों से अधिक है और इस तरह यह पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी पत्रिकाओं में से एक है। पिछले एक वर्ष के दौरान योजना ने विमुद्रीकरण, जीएसटी, सामाजिक सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण, छोटे और मझोले उद्योगों तथा उपभोक्ता संगठन के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाशित की है।

- (2) कुरुक्षेत्र - कुरुक्षेत्र पत्रिका 1952 से अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित हो रही है। यह ग्रामीण विकास के मुद्दों से

जुड़ी है और ग्रामीण विकास की नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा का मंच प्रदान करती है। हिन्दी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों की सम्मिलित प्रसार संख्या लगभग एक लाख प्रतियाँ प्रति माह है। कुरुक्षेत्र ने अपने पिछले अंकों में स्वच्छता, किसानों की आय बढ़ाने के उपाय, ग्रामीण स्वास्थ्य, सिंचाई और जलसंरक्षण, डिजिटल ग्रामीण भारत और ग्रामीण युवाओं में कुशलता का विकास जैसे विषयों पर विशेष सामग्री प्रकाशित की है।

(3) बाल भारती- बाल भारती 1948 से निरंतर प्रकाशित हो रही लोकप्रिय हिन्दी मासिक बाल पत्रिका है। इसका उद्देश्य कहानियों, कविताओं, चित्रकथाओं और लेखों के जरिए बच्चों को मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा और मानवीय मूल्यों के संस्कार देना है।

(4) आजकल (हिन्दी एवं उर्दू)- आजकल (हिन्दी) 1945 से और आजकल (उर्दू) 1942 से निरंतर प्रकाशित साहित्य और संस्कृति की प्रतिष्ठित मासिक पत्रिकाएँ हैं। समय-समय पर दोनों ही पत्रिकाएँ विभिन्न साहित्यिक-सांस्कृतिक विषयों पर विशेषांक प्रकाशित करती हैं।

(5) इम्प्लॉयमेंट न्यूज- इम्प्लॉयमेंट न्यूज प्रकाशन विभाग का प्रमुख पाक्षिक पत्र है। देश के युवा वर्ग को रोजगार और कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए 1976 में यह प्रकाशन शुरू किया गया था। हिन्दी और उर्दू में रोजगार समाचार नाम से यह पाक्षिक प्रकाशित किया जाता है।

संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समितियाँ

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति- इस समिति के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री होते हैं एवं उपाध्यक्ष गृहमंत्री।
2. हिन्दी सलाहकार समिति- इस समिति के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय के मंत्री होते हैं।
3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति- इस समिति के अध्यक्ष सचिव (राजभाषा) होते हैं।
4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति- इस समिति के अध्यक्ष संबंधित नगरों में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं।
5. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति- इस समिति के अध्यक्ष संबंधित मंत्रालय/विभाग में हिन्दी का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव होते हैं।

केन्द्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन की समीक्षा मानीटरिंग आदि करने के लिए ही इन समितियों का गठन किया जाता है, जिनका विस्तृत विवरण आगे दिया जा रहा है-

1. केन्द्रीय हिन्दी समिति

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति का गठन केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में समन्वय स्थापित करने के आशय से वर्ष 1967 में हिन्दी के व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रगामी प्रयोगार्थ किया गया था। यह राजभाषा नीति के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश देने वाली सर्वोच्च समिति है। समिति में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त 08 केन्द्रीय मंत्री (गृहमंत्री उपाध्यक्ष, गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग के प्रभारी मंत्री-सदस्य), 06 राज्यों के मुख्यमंत्री, 04 संसद सदस्य तथा हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विद्वान इस समिति के सदस्य होते हैं।

इस समिति द्वारा हिन्दी के विकास, प्रसार-प्रचार से सम्बन्धित लिए गए निर्णय प्रकारांतर से भारत सरकार के निर्णय माने जाते हैं, क्योंकि सभी प्रमुख मंत्रालयों के मंत्री तथा कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति की समय-समय पर बैठकें होती रहती हैं। समय-समय पर इस समिति को पुनर्गठित किया जाता रहता है।

2. हिन्दी सलाहकार समिति

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारू रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियाँ गठित होती हैं। इस समिति की वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित करना अपेक्षित है।

3. केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के

उपाय सुझाने के उद्देश्य से सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) समिति के पदेन सदस्य होते हैं। इसकी वर्ष में एक बैठक आयोजित करना अपेक्षित है।

4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास)

- **नराकास का गठन-** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहाँ केन्द्रीय सरकार के दस या इससे अधिक कार्यालय हैं, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा सकता है। समिति का गठन राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर भारत सरकार के सचिव (राजभाषा) की अनुमति से किया जाता है।
- **उद्देश्य-** केन्द्रीय सरकार के देश भर में फैले हुए कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के मार्ग में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए एक संयुक्त मंच की आवश्यकता महसूस की गई ताकि वे मिल-बैठकर सभी कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि चर्चा कर सकें। फलतः नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के गठन का निर्णय लिया गया। इन समितियों के गठन का प्रमुख उद्देश्य केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना, इसे बढ़ावा देना और इसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है।
- **अध्यक्षता-** इन समितियों की अध्यक्षता नगर विशेष में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के वरिष्ठतम अधिकारियों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष को राजभाषा विभाग द्वारा नामित किया जाता है। नामित किए जाने से पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष से समिति की अध्यक्षता के संबंध में लिखित सहमति प्राप्त की जाती है।

- **सदस्यता-** नगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों/प्रशासनिक प्रधानों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।
- **सदस्य-सचिव-** समिति के सचिवालय के संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष द्वारा अपने कार्यालय से अथवा किसी सदस्य कार्यालय से एक हिन्दी विशेषज्ञ को उसकी सहमति से समिति का सदस्य-सचिव मनोनीत किया जाता है। अध्यक्ष की अनुमति से समिति के कार्यकलाप सदस्य-सचिव द्वारा किए जाते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य में नराकास की कुल 11 नगर राजभाषा कार्यालय समितियाँ कार्यरत हैं

1. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति- अम्बिकापुर
2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति- कोरबा
3. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-जगदलपुर
4. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-भिलाई
5. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-राजनांदगाँव
6. बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-रायपुर
7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति- रायपुर
8. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-बालोद
9. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-धमतरी
10. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-महासमुंद
11. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति-गरियाबंद

5. विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ गठित हैं। मंत्रालयों/विभागों में इन समितियों में संयुक्त सचिव स्तर अथवा उससे ऊपर के अधिकारी अध्यक्ष होते हैं तथा विभिन्न प्रभागों के अधिकारी इनमें सदस्य होते हैं। इसकी बैठक तीन माह में एक बार आयोजित होती है। बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं।

साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान

भारतीय गणराज्य कला, साहित्य, सामाजिक सेवा, विज्ञान, चिकित्सा, खेलकूद आदि क्षेत्रों में अपने नागरिकों को उनके उत्कृष्ट योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उन्हें प्रतिवर्ष पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान करती है। इसी तारतम्य में अनेक संस्थाओं द्वारा भी प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार एवं सम्मान प्रदान किये जाते हैं। साहित्य से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान निम्नानुसार हैं-

1. साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

- (i) साहित्य अकादमी पुरस्कार
- (ii) साहित्य अकादमी फैलोशिप
- (iii) भाषा सम्मान
- (iv) युवा पुरस्कार
- (v) बाल साहित्य पुरस्कार
- (vi) साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार

2. ज्ञानपीठ पुरस्कार

3. मूर्तिदेवी पुरस्कार

4. के.के. बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

- (i) सरस्वती सम्मान
- (ii) व्यास सम्मान
- (iii) बिहारी सम्मान
- (iv) वाचस्पति सम्मान
- (v) शंकर पुरस्कार

1. साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार

'साहित्य अकादमी' भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्तशासी संस्था है, जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। साहित्य अकादमी का मुख्य कार्य विभिन्न भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रोत्साहन देना, उनका अनुवाद व प्रकाशन कराना, विभिन्न भाषाओं के लेखकों से सम्पर्क स्थापित कर उनमें सांस्कृतिक एकता स्थापित करना है। नई दिल्ली स्थित रवीन्द्र भवन में अकादमी का एक पुस्तकालय है जहाँ भारतीय व विदेशी भाषाओं की लगभग 90,000 पुस्तकों का संकलन है। अब तक 24 भाषाओं की लगभग 1500 पुस्तकों का प्रकाशन अकादमी द्वारा किया जा चुका है। अकादमी द्वारा अंग्रेजी द्विमासिक पत्रिका 'इण्डियन लिटरेचर', हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका 'समकालीन भारतीय

साहित्य' संस्कृत अर्धवार्षिक पत्रिका 'संस्कृत प्रतिभा' और हिन्दी की अर्धवार्षिक पत्रिका 'आलोक' का प्रकाशन किया जाता है। अकादमी का क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और मुम्बई में कार्यरत है।

अकादमी एक निन्यानवे सदस्यीय परिषद (सामान्य परिषद) में न्यस्त है, जिसका गठन निम्नांकित ढंग से होता है- अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार द्वारा मनोनीत पाँच सदस्य, भारत सरकार के राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के पैंतीस प्रतिनिधि, साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के चौबीस प्रतिनिधि, भारत के विश्वविद्यालयों के बीस प्रतिनिधि, साहित्य क्षेत्र में अपने उत्कर्ष के लिए परिषद द्वारा निर्वाचित आठ प्रतिनिधि एवं संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, भारतीय प्रकाशक संघ और राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के एक-एक प्रतिनिधि।

साहित्य अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष निम्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं-

(i) साहित्य अकादमी पुरस्कार - साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष 24 भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ एवं अंग्रेजी, राजस्थानी) में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान करती है। पहली बार 1955 में यह पुरस्कार प्रदान किये गये थे। वर्तमान में पुरस्कार के रूप में एक उत्कीर्ण ताम्रफलक, शॉल और एक लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(ii) साहित्य अकादमी फैलोशिप- साहित्य अकादमी एक गौरवशाली फैलोशिप (महत्तर सदस्यता) प्रदान करती है, जिसे 'साहित्य अकादमी फैलोशिप' के नाम से जाना जाता है। यह साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी का फैलो चुना जाना, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने से भी अधिक उच्च सम्मान है।

किसी एक साल में फैलोशिप प्राप्त करने वालों की अधिकतम संख्या 21 तक हो सकती है।

(iii) भाषा सम्मान - साहित्य अकादमी अपने द्वारा मान्य 24 भाषाओं (आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ एवं अंग्रेजी, राजस्थानी) में उत्कृष्ट पुस्तकों तथा उत्कृष्ट अनुवादों के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान करती है। फिर भी, अकादमी यह महसूस करती है कि भारत जैसे बहुभाषी देश में गैर मान्यता

प्राप्त भाषाओं में भी सृजनात्मक साहित्य के साथ-साथ शैक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना चाहिए। अकादमी ने इसलिए सन् 1996 में 'भाषा सम्मान' की स्थापना की, ताकि संबंधित भाषाओं के प्रचार, आधुनिकीकरण या उसके संवर्धन के लिए यथेष्ट योगदान देने वालों को इस सम्मान से विभूषित किया जा सके। सम्मान स्वरूप एक फलक के साथ सृजनात्मक साहित्य के लिए दी जाने वाली पुरस्कार राशि 1,00,000/-रु. प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर प्रत्येक वर्ष यह सम्मान 3-4 व्यक्तियों को विभिन्न भाषाओं के लिए दिया जाता है।

(iv) युवा पुरस्कार - साहित्य अकादमी ने वर्ष 2011 से अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं (आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ एवं अंग्रेजी, राजस्थानी) में युवा लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु युवा पुरस्कार प्रारंभ किया। युवा पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषा चयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। यह पुरस्कार 35 वर्ष तक की आयु अथवा पुरस्कार वर्ष में 1 जनवरी को उससे कम आयु के युवा लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में एक ताम्रफलक और 50,000/- रूपए की राशि प्रदान की जाती है।

(v) बाल साहित्य पुरस्कार- साहित्य अकादमी ने सन् 2010 से अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने हेतु बाल साहित्य पुरस्कार प्रारंभ किया। बाल साहित्य के लिए पुस्तकों का चयन संबंधित भाषा चयन समितियों की अनुशंसा के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार में एक ताम्रफलक और 50,000/- रूपए की राशि प्रदान की जाती है।

(vi) साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार- सर्जनात्मक लेखन के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों के अतिरिक्त अकादमी सन् 1989 से अनुवादों के लिए पुरस्कार प्रदान कर रही है। यह पुरस्कार अकादमी की मान्यता प्राप्त 24 भाषाओं (आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएँ एवं अंग्रेजी, राजस्थानी) में विशिष्ट अनुवादकों को दिए जाते हैं। पुरस्कार में एक ताम्रफलक और 50,000/- रु. की राशि प्रदान की जाती है।

2. ज्ञानपीठ पुरस्कार

ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह उन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा या अंग्रेजी में साहित्यिक रचना का निर्माण करते हैं। पुरस्कार में 11 लाख की धन राशि, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह पुरस्कार मरणोपरान्त नहीं दिया जाता।

साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' के संस्थापक जैन परिवार द्वारा संचालित निधि (ट्रस्ट) भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। ट्रस्ट की स्थापना सन् 1961 में की गई।

सन् 1965 में मलयालम लेखक जी.शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। हिन्दी के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रानंदन पंत को दिया गया। हिन्दी साहित्य के लिए जिन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है उनमें रामधारी सिंह 'दिनकर' (1972), सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय (1978), महादेवी वर्मा (1982), नरेश मेहता (1992), निर्मल वर्मा (1999), कुँवर नारायण (2005), अमरकान्त और श्रीलाल शुक्ल (हिन्दी), केदारनाथ सिंह (2013) और कृष्णा सोबती (2017) शामिल हैं। अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार अमिताव घोष को वर्ष 2018 के लिए 54 वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार 13 जून 2019 को प्रदान किया गया। यह अंग्रेजी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है।

3. मूर्तिदेवी पुरस्कार

भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्र में संविधान में उल्लेखित 22 भारतीय भाषाओं व अंग्रेजी में से किसी एक में श्रेष्ठ साहित्यिक रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ न्यास (ट्रस्ट) द्वारा 'मूर्ति देवी पुरस्कार' प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में 4 लाख रुपये की धनराशि, सरस्वती की प्रतिमा और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है।

4. के. के. बिड़ला फाउंडेशन पुरस्कार

उद्योगपति व समाजसेवी कृष्ण कुमार बिड़ला द्वारा 1991 में के.के.बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना की गई। उक्त फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार व शंकर पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(i) **सरस्वती सम्मान**- यह प्रतिवर्ष दिया जाने वाला पुरस्कार है जिसकी गिनती भारत में साहित्य के लिए दिये जाने वाले उच्चतम पुरस्कारों में होती है। इस पुरस्कार का नाम ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में गद्य या पद्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्यकारों का चयन उनके साहित्यिक कार्य या उनके पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर किया जाता है। इसमें हित्यकार को प्रशस्ति-पत्र और पट्टिका एवं 15 लाख रुपये दान किए जाते हैं। पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हरिवंशराय बच्चन को उनकी चार भागों में प्रकाशित आत्मकथा (हिन्दी) के लिए दिया गया।

(ii) **व्यास सम्मान**- हिन्दी भाषा में प्रकाशित साहित्य के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया जाता है। व्यास सम्मान के अन्तर्गत प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिह्न और पाँच लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

(iii) **बिहारी पुरस्कार**- बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किसी लेखक को उनकी हिन्दी/राजस्थानी कृति के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार का चयन साहित्यकार की पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिह्न व एक लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाती है।

(iv) **वाचस्पति पुरस्कार**- पिछले 10 वर्षों की अवधि में भारतीय नागरिक द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट संस्कृत साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिह्न व डेढ़ लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाती है।

(v) **शंकर पुरस्कार**- भारतीय दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति और कला से संबंधित हिन्दी की उत्कृष्ट कृति के लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। पुरस्कार में प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिह्न व डेढ़ लाख रुपये की सम्मान निधि प्रदान की जाती है।

भाषा विश्वविद्यालय

भारत में 6 भाषा विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से तीन समवत विश्वविद्यालय और तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं। समवत विश्वविद्यालय संस्कृत भाषा के संवर्धन के लिए हैं और तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से एक-एक अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं, हिन्दी भाषा और उर्दू भाषा के लिए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) इन विश्वविद्यालयों को निधि प्रदान करता है।

- (1) श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली
- (2) राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति (आंध्रप्रदेश)
- (3) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद (तेलंगाना)
- (4) महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)
- (5) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद (तेलंगाना)
- (6) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

विश्व हिन्दी सम्मेलन

विश्व हिन्दी सम्मेलन हिन्दी भाषा का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिन्दी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिन्दी प्रेमी जुटते हैं। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय-समय पर हिन्दी की विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिन्दी साहित्य के प्रति सरोकारों को और दृढ़ करने, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने तथा हिन्दी के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावुकतापूर्ण व महत्वपूर्ण रिश्तों को और अधिक गहराई व मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 1975 में विश्व हिन्दी सम्मेलनों की श्रृंखला आरम्भ की गई। इस बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहल की थी। पहला विश्व हिन्दी सम्मेलन राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा के सहयोग से नागपुर में सम्पन्न हुआ जिसमें प्रसिद्ध समाजसेवी और स्वतंत्रता सेनानी विनोबा भावे ने अपना विशेष सन्देश भेजा।

प्रारम्भ में इसका आयोजन हर चौथे वर्ष आयोजित किया जाता था लेकिन अब यह अन्तराल घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया है। अब तक 12 विश्व हिन्दी सम्मेलन हो चुके हैं।

विश्व हिंदी सम्मेलन की संकल्पना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा 1973 में शुरू की गई थी। वर्धा, नागपुर में प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन (1975) का आयोजन किया गया था।

विश्व हिंदी सचिवालय

- शिलान्यास- 1 नवंबर 2001
- आधिकारिक कार्यारंभ - 11 फरवरी 2008
- मुख्यालय - इंडिपेंडेंस स्ट्रीट फेनिक्स, मॉरीशस

1975 में नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान मॉरीशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने विश्व स्तर पर हिंदी संबंधित गतिविधियों के समन्वयन के लिए एक संस्था की स्थापना का विचार रखा। विचार ने मंतव्य का रूप धारण किया और लगातार कई विश्व हिंदी सम्मेलनों में मंथन के बाद मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित करने पर भारत और मॉरीशस सरकारों के बीच सहमति हुई। दोनों सरकारों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तथा मॉरीशस की विधानसभा में अधिनियम पारित किया गया। 11 फरवरी 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय ने आधिकारिक रूप से कार्यारंभ किया। सचिवालय का मुख्य उद्देश्य एक अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करना तथा हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए एक वैश्विक मंच तैयार करना है।

- विश्व हिन्दी सचिवालय वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार-प्रसार में संलग्न भारत एवं मॉरीशस की द्विपक्षीय संस्था है।
- 12 नवंबर 2002 को मॉरीशस सरकार द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना व प्रबंधन से संबंधित अधिनियम पारित किया गया। हिंदी का अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार तथा हिंदी को संयुक्त राष्ट्रसंघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मंच तैयार करने के उद्देश्य से सचिवालय की स्थापना हुई।
- 13 फरवरी 2018 को फेनिक्स, मॉरीशस में विश्व हिंदी सचिवालय मुख्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन भारत गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद के कर-कमलों द्वारा मॉरीशस गणराज्य के प्रधानमंत्री, माननीय श्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ की उपस्थिति में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

विश्व हिन्दी सम्मेलन की तिथियाँ व आयोजन स्थल

तिथि	स्थल	देश
(1) 10-12 जनवरी 1975	नागपुर	भारत
(2) 28-30 अगस्त 1976	पोर्ट लुई	मॉरीशस
(3) 28-30 अक्टूबर 1983	नई दिल्ली	भारत
(4) 02-04 दिसम्बर 1993	पोर्ट लुई	मॉरीशस
(5) 04-08 अप्रैल 1996	पोर्ट ऑफ स्पेन	ट्रिनिडाड एवं टोबैगो
(6) 14-18 सितंबर 1999	लंदन	ब्रिटेन
(7) 06-09 जून 2003	पारामारिबो	सूरीनाम
(8) 13-15 जुलाई 2007	न्यूयॉर्क	अमेरिका
(9) 23-24 सितम्बर 2012	जोहान्सबर्ग	दक्षिण अफ्रीका
(10) 10-12 सितम्बर 2015	भोपाल	भारत
(11) 18-20 अगस्त 2018	पोर्ट लुई	मॉरीशस
(12) 15-17 फरवरी 2023	नांदी	फिजी

विश्व हिन्दी दिवस

विश्व हिन्दी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना तथा हिन्दी को अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। विदेशों में भारत के दूतावास इस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में विभिन्न विषयों पर हिन्दी में व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। विश्व में हिन्दी का विकास करने और इसे प्रचारित-प्रसारित करने के उद्देश्य से विश्व हिन्दी सम्मेलनों की शुरुआत की गई और प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित हुआ था।

इसी परिप्रेक्ष्य में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस मनाये जाने की घोषणा की। इसके बाद 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिन्दी दिवस मनाया गया।

विश्व हिंदी डेटाबेस

- विश्व हिंदी डेटाबेस की नौवें दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नगर में 22-24 सितंबर, 2012 के दौरान आयोजित नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में रखी गई थी। सम्मेलन के अपने मुख्य विषय (भाषा की अस्मिता और हिंदी का वैश्विक संदर्भ) के अनुरूप ही उसके समापन के अवसर पर पारित मंतव्यों में यह बिंदु भी शामिल किया गया कि हिंदी विद्वानों तथा संस्थाओं के एक वैश्विक डेटाबेस का निर्माण किया जाना चाहिए और यह दायित्व विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस को सौंपा जाना चाहिए।
- विश्व हिंदी सचिवालय, मॉरीशस द्वारा विकसित यह विश्व हिंदी डेटाबेस इसी परिकल्पना को फलीभूत करने का प्रयास है। हिंदी को वैश्विक दृष्टि से देखने, उसकी ज्ञान-विविधता का रसास्वादन करने तथा विभिन्न परिस्थितियों, पृष्ठभूमियों तथा माध्यमों में हिंदी को आगे बढ़ाने में जुटे विश्व समुदाय के संकल्प को अभिव्यक्त करने वाला यह डेटाबेस एक निरंतर अद्यतन एवं परिमार्जित होने वाला इंटरनेट आधारित मंच है। विश्व में कहीं भी, हिंदी शिक्षण, विकास, प्रचार-प्रसार, सर्जनात्मक कार्यों, विशेषज्ञतापूर्ण प्रयोगों, प्रशिक्षण, शोध आदि में संलग्न विद्वानों एवं संगठनों का इस मंच पर स्वागत है।

भाषा को बढ़ावा देने के लिए स्थापित संस्थान

संस्थान	स्थान
1. भारतीय भाषा संस्थान	मैसूर (कर्नाटक)
2. महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय	वर्धा (महाराष्ट्र)
3. अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय	हैदराबाद (तेलंगाना)
4. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	नई दिल्ली
5. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	नई दिल्ली

6. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ	तिरुपति (आन्ध्रप्रदेश)
7. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	हैदराबाद (तेलंगाना)
8. शास्त्रीय तमिल केन्द्रीय संस्थान	चेन्नई (तमिलनाडु)

महत्वपूर्ण तथ्य

1. राज्यों द्वारा अपनी शासकीय भाषा का निर्धारण करने में आठवीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के अतिरिक्त भी अन्य भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है।
2. अधिकांश राज्यों ने क्षेत्रीय भाषा को शासकीय भाषा के रूप में अपनाया है, जैसे-
आंध्रप्रदेश- तेलुगू, पं. बंगाल- बंगाली
केरल- मलयालम, ओडिशा- उड़िया
गुजरात- हिंदी के साथ गुजराती
गोवा- मराठी के साथ कोंकणी
मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड- अंग्रेजी
छत्तीसगढ़, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा - हिन्दी
3. राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार संघ एवं गैर हिन्दी भाषी राज्यों के मध्य संचार की भाषा अंग्रेजी होगी। हिन्दी भाषी एवं गैर हिन्दी भाषी राज्यों के मध्य संचार के लिए हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग होगा।

हिन्दी दिवस

भारत की संविधान निर्मात्री सभा ने 14 सितम्बर 1949 को मुंशी-आयंगर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। तब से प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

आठवीं अनुसूची में शामिल भारत की भाषाएँ एवं भारत की शास्त्रीय भाषाएँ

संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 को आठवीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया था। सन् 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा पन्द्रहवीं भाषा के रूप में सिंधी को शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा तीन अन्य भारतीय भाषाएँ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें चार और भाषाएँ बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली को शामिल किया गया। इस तरह संविधान की आठवीं अनुसूची में निहित अनुच्छेद 344 (1) और 351 के अन्तर्गत 22 भाषाओं को मान्यता मिली है।

आठवीं अनुसूची

(अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351)

भाषाएँ

1. हिन्दी
2. संस्कृत
3. बंगला (पश्चिम बंगाल)
4. ओड़िया (ओड़िशा)
5. उर्दू
6. मराठी (महाराष्ट्र)
7. गुजराती (गुजरात)
8. तमिल (तमिलनाडु)
9. पंजाबी (पंजाब)
10. कश्मीरी (जम्मू व कश्मीर)
11. असमिया (असम)
12. मलयालम (केरल)
13. तेलुगू (आंध्रप्रदेश)
14. कन्नड (कर्नाटक)
15. सिंधी (राजस्थान) - 1967, 21वां संविधान संशोधन
16. कोंकणी (गोवा) - 1992, 71वां संविधान संशोधन

17. मणिपुरी (मणिपुर) - 1992, 71वां संविधान संशोधन
18. नेपाली (सिक्किम, उत्तर-पूर्वी राज्य) - 1992, 71वां संविधान संशोधन
19. बोडो (असम) - 2003, 92वां संविधान संशोधन
20. मैथिली (बिहार) 2003, 92वां संविधान संशोधन
21. डोंगरी (हिमाचल प्रदेश) 2003, 92वां संविधान संशोधन
22. संथाली (झारखण्ड) 2003, 92वां संविधान संशोधन

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित 121 भाषाएँ और 270 बोलियाँ हैं। इन्हें भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाटिक और चीनी-तिब्बती परिवारों में बाँटा गया है। भारोपीय भाषा परिवार में- हिन्दी, असमिया, बंगला, ओड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, संस्कृत, डोंगरी, नेपाली, मैथिली और उर्दू शामिल हैं। जबकि द्रविड़ भाषा परिवार में- तमिल, तेलुगू, कन्नड और मलयालम एवं आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार में- संथाली शामिल है। इसी तरह चीनी-तिब्बती भाषा परिवार में- बोडो व मणिपुरी भाषा शामिल हैं।

भारत संघ के लिए अनुसूचित 22 भाषाओं की संक्षिप्त जानकारी आगे दी जा रही है

(1) हिन्दी

क्षेत्र- हिन्दी एकमात्र ऐसी भाषा है जो भारत संघ के लगभग सभी प्रदेशों में बोली/समझी जाती है। यह उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि प्रमुख राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है।

लिपि- देवनागरी

जनसंख्या - 52,83,47,193 (43.63 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार।)

हिन्दी को वैश्विक भाषा का दर्जा प्राप्त है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में मंदारिन (चीनी) और अंग्रेजी के बाद हिन्दी तीसरे नंबर पर है। यह भारत के अलावा अन्य कई देशों में लिखी व समझी जाने वाली भाषा है।

जिसमें फिजी, मॉरीशस, गयाना, सूरीनाम, नेपाल, भूटान आदि शामिल हैं।

हिन्दी का विकास 500 ई. से 1000 ई. के मध्य 'अपभ्रंश' से हुआ है। भारतीय संविधान के राजभाषा विषयक अनुच्छेद 343 (1) के अन्तर्गत उल्लेख है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।' अनुच्छेद 351 में हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश है कि भारत संघ हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए व उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। विदित हो कि बीसवीं सदी के पूर्वार्ध (सन् 1900 से 1947) काल में भारत के स्वातंत्र्य-आंदोलन में हिन्दी की प्रमुख भूमिका रही है।

(2) संस्कृत

क्षेत्र- यह भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन भाषा है, जो अब लुप्तप्राय है।

लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 24821 (जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है, जिससे अनेक आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ है। यह हिंदी, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, ओड़िया आदि भाषाओं की जननी है। संप्रति संस्कृत (1500 ई.पू. से 500 ई.पू.) से पालि (500 ई.पू. से 01 ईस्वी), प्राकृत (01 ईस्वी से 500 ई.), अपभ्रंश (500 ई. से 1000 ई.) होते हुए अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है।

संस्कृत का प्राचीन रूप हमें वेदों में दिखाई देता है विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद को माना जाता है। समस्त वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र, महाकाव्य रामायण और महाभारत प्राचीन संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में लिखे गए। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन संस्कृत साहित्य का संकलन 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया।

संस्कृत व्याकरण का विकास 'पाणिनि' के समय उनकी पुस्तक 'अष्टाध्यायी' के साथ ई.पू. 400 में आरंभ हुआ। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी ग्रंथ है। संस्कृत का प्रांजल स्वरूप 300 ई.पू. से 200 ई.पू. के बीच विकसित हुआ। यह वैदिक संस्कृत का परिष्कृत संस्करण था। संस्कृत को सन् 2005 में 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा दिया गया।

(3) बंगला

क्षेत्र- पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय
लिपि- बंगला

जनसंख्या- 9,72,37,699 (8.03 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

असमिया, उड़िया और मैथिली की भाँति बंगला भाषा का उद्भव भी अपभ्रंश से हुआ है जो कि भारतीय-आर्य भाषाओं की एक प्रशाखा थी। बंगला भाषी लंबे समय तक विदेशी प्रभाव में रहे इसलिए बंगला भाषा की शब्दावली भाव और अलंकरण में गैर आर्य तत्व काफी मात्रा में देखे जाते हैं।

बंगला भाषा पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम, बिहार व पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बंगला भाषा का उद्भव हुआ, जबकि बंगला भाषा की लिपि का उद्भव 7 वीं शताब्दी में पूर्वी ब्राह्मी से हुआ।

(4) ओड़िया

क्षेत्र- ओड़िशा, पश्चिम बंगाल, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड
लिपि- ओड़िया

जनसंख्या- 3,75,21,324 (3.10 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह मुख्य रूप से ओड़िशा राज्य में बोली जाती है यह ओड़िशा की राजभाषा है। ओड़िया, भारोपीय भाषा परिवार की एक मुख्य भाषा है जिसका नेपाली, बांग्ला, असमिया और मैथिली से निकट संबंध है। इसका उद्भव 'अपभ्रंश' से हुआ है इसका उत्पत्ति-काल सातवीं शताब्दी (ईस्वी) माना गया है। ओड़िया भाषा को वर्ष 2014 में 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त हुआ।

(5) उर्दू

क्षेत्र- उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली

लिपि- फारसी-अरबी

जनसंख्या- 5,07,72,631 (4.19 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

'उर्दू' भारोपीय भाषा परिवार की भारत-ईरानी उपशाखा की एक मुख्य भाषा है। यह मुख्यतया दक्षिण एशिया में बोली जाती

है और पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। फारसी-अरबी लिपि में यह दायें से बायें लिखी जाती है। भारत में उर्दू देवनागरी लिपि में बायें से दायें लिखी जाती है। हिन्दी और उर्दू में समानता के कारण इन्हें दो बहनें कहा गया है।

(6) मराठी

क्षेत्र- महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव

लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 8,30,26,680 (6.86 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। यह 'अपभ्रंश' से विकसित हुई है। मराठी में साहित्य सृजन बारहवीं शताब्दी से आरंभ हुआ। मराठी में संस्कृत का अत्यधिक प्रभाव है। मुंबई जैसे बड़े बंदरगाह के समीप होने के कारण विदेशी भाषाओं अरबी, फारसी और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द मराठी में घुल-मिल गये।

'मोड़ी' लिपि का प्रयोग सन् 1950 से पहले मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था परन्तु सन् 1950 के पश्चात् मराठी भाषा के लेखन के लिए आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि को मान्य कर लिया गया।

(7) गुजराती

क्षेत्र- गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली

लिपि- गुजराती/देवनागरी

जनसंख्या- 5,54,92,554 (4.58 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह गुजरात राज्य की प्रमुख भाषा है। गुजराती साहित्य भारतीय भाषाओं के सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से एक है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है।

(8) तमिल

क्षेत्र- तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, पुडुचेरी

लिपि- तमिल

जनसंख्या- 6,90,26,881 (5.70 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह द्रविड़ भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसका उत्पत्ति काल ईसा पूर्व 300 माना गया है। यह तमिलनाडु की राजभाषा है। सिंगापुर और श्रीलंका में आधिकारिक भाषा के रूप में इसका प्रयोग होता है। यह भारत की पहली 'शास्त्रीय भाषा' है जिसे सन् 2004 में यह दर्जा दिया गया है।

(9) तेलुगू

क्षेत्र- तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा

लिपि- तेलुगू

जनसंख्या- 8,11,27,740 (6.70 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह द्रविड़ भाषा परिवार की प्रमुख भाषा है। यह आंध्रप्रदेश और तेलंगाना प्रदेश की मुख्य भाषा है। वर्ष 2008 में इसे 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

(10) कन्नड

क्षेत्र- कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, गोवा

लिपि- कन्नड

जनसंख्या- 4,37,06,512 (3.61 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह द्रविड़ भाषा परिवार की एक मुख्य भाषा है। यह कर्नाटक राज्य में बोली जाने वाली भाषा तथा कर्नाटक की राजभाषा है। शब्द समूह और वाक्य रचना में कन्नड भाषा तमिल से मिलती-जुलती है। कन्नड भाषा का उत्पत्तिकाल ईसा पूर्व 400 माना जाता है। वर्ष 2008 में इसे 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्राप्त हो चुका है।

(11) मलयालम

क्षेत्र- केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षदीप

लिपि- मलयालम

जनसंख्या- 3,48,38,819 (2.88 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

द्रविड़ भाषा परिवार की एक मुख्य भाषा मलयालम है। मलयालम लिपि तमिल लिपि के काफी निकट है। केरल एवं

लक्षदीप की आम भाषा मलयालम है। 12 वीं सदी में लिखित 'रामचरितम्' को मलयालम भाषा का आदिकाव्य माना जाता है। वर्ष 2013 में इसे भारत सरकार द्वारा 'शास्त्रीय भाषा' का दर्जा प्रदान किया गया है।

(12) कश्मीरी

क्षेत्र- जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश

लिपि- फारसी-अरबी/शारदा/देवनागरी

जनसंख्या- 67,97, 587 (0.56 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह आर्य भाषा परिवार की एक भाषा है। यह न तो कश्मीर की राजभाषा है न ही शिक्षा का माध्यम, इसीलिए इसकी प्रशासनिक और राजकीय भूमिकाएँ सीमित हैं। हालाँकि यह तीन लिपियों में लिखी जाती है परन्तु कश्मीर सरकार के द्वारा फारसी-अरबी लिपि को मान्यता देने के बाद कश्मीरी भाषा की अधिकांश पुस्तकें इसी लिपि में छप रही हैं। यह आठवीं अनुसूची की एक मात्र भाषा है, जिसको लिखने के लिए वर्तमान में तीन लिपियों-फारसी-अरबी/शारदा/देवनागरी का प्रयोग किया जाता है।

(13) पंजाबी

क्षेत्र- पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़

लिपि- गुरुमुखी

जनसंख्या- 3,31,24,726 (2.74 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

पंजाबी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की एक मुख्य भाषा है इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। पंजाबी भाषी लोग पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलावा बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान एवं कनाडा में रहते हैं।

(14) असमिया

क्षेत्र- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय

लिपि- असमिया

जनसंख्या- 1,53,11,351 (1.26 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की अपभ्रंश से विकसित असम

प्रदेश की मुख्य भाषा है। बंगला भाषा से इसका घनिष्ठ संबंध है। असम प्रदेश में बंगला का इतना गहरा प्रभाव है कि शिक्षित असम निवासी व्यवहार में बंगला भाषा का प्रयोग कर लेता है इसलिए असमिया साहित्य का विशेष विकास नहीं हो पाया।

(15) सिंधी

क्षेत्र- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश

लिपि- फारसी-अरबी/देवनागरी

जनसंख्या- 27,72,264 (0.23 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

सिंधी भाषा को सन् 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। यह भारोपीय भाषा परिवार की ब्राचड अपभ्रंश से विकसित एक भाषा है।

भारत के पश्चिमी हिस्से में और मुख्य रूप से सिन्धु प्रान्त में बोली जाने वाली भाषा है जो अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में सिंधी लिखने के लिए फारसी-अरबी लिपि का प्रयोग किया जाता है जबकि भारत में यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।

(16) कोंकणी

क्षेत्र- गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र

लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 22,56,502 (0.19 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह मुख्य रूप से गोवा राज्य की भाषा है। यह भी भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। कोंकणी भाषा को सन् 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

(17) मणिपुरी

क्षेत्र- मणिपुर, असम, त्रिपुरा

लिपि- मैतेई

जनसंख्या - 17,61, 079 (0.15 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह मणिपुर राज्य एवं असम के निचले हिस्से में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। यह चीनी-तिब्बती परिवार की एक भाषा

है। मणिपुरी भाषा को सन् 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसकी लिपि 'मैतेई' वास्तव में बंगला लिपि के ही समान है। मणिपुरी भाषा में अंग्रेजी व फारसी-अरबी के हजारों शब्द प्रयुक्त होते हैं।

(18) नेपाली

क्षेत्र- सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड
लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 29,26,168 (0.24 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है। यह नेपाल की राष्ट्रभाषा है और भारत में मुख्य रूप से सिक्किम राज्य के साथ भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में बोली जाती है। नेपाली भाषा को सन् 1992 में 71 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

(19) बोडो

क्षेत्र- असम
लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 14,82,929 (0.12 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह मुख्य रूप से तिब्बती-बर्मो भाषा है जिसे भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों, नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो समुदाय के लोग बोलते हैं। यह चीनी-तिब्बती भाषा परिवार की एक भाषा है। बोडो भाषा को सन् 2003 में 92 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

(20) मैथिली

क्षेत्र-बिहार
लिपि- तिरहुता, देवनागरी

जनसंख्या- 1,35,83,464 (1.12 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है जो बिहार राज्य में मुख्य रूप से बोली जाती है। यह तिरहुता एवं देवनागरी दो लिपियों में लिखी जाती है। तिरहुता को मिथिलाक्षर या बैदेही लिपि के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली भाषा को सन् 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। मैथिली हिन्दी क्षेत्र की बोलियों से 8 वीं अनुसूची में स्थान पाने वाली एकमात्र बोली है, जिसे अब एक स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है।

(21) डोंगरी

क्षेत्र- जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख
लिपि- देवनागरी

जनसंख्या- 25,96,767 (0.21 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह भारोपीय भाषा परिवार की एक भाषा है जो मुख्य रूप से जम्मू क्षेत्र में बोली जाती है। डोंगरी भाषा को सन् 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

(22) संथाली

क्षेत्र- झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार
लिपि- ओलचिकि, देवनागरी

जनसंख्या- 73,68,192 (0.61 प्रतिशत, जनगणना 2011 के अनुसार)

यह आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार की एकमात्र भाषा है जिसे आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसकी पुरानी लिपि का नाम ओलचिकि है परन्तु वर्तमान में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जा रहा है। संथाली भाषा को सन् 2003 में 92 वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय भाषाओं की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया है।

जनगणना 2011 के अनुसार आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को प्रथम भाषा के रूप में बोलने वालों की संख्या (अवरोही क्रम में)

क्र.	भाषा	जनसंख्या	जनसंख्या प्रतिशत में
1	हिन्दी	52,83,47,193	43.63 %
2.	बंगला	9,72,37,669	8.03 %
3.	मराठी	8,30,26,680	6.86 %
4.	तेलुगू	8,11,27,740	6.70 %
5.	तमिल	6,90,26,881	5.70 %
6.	गुजराती	5,54,92,554	4.58 %
7.	उर्दू	5,07,72,631	4.19 %
8.	कन्नड	4,37,06,512	3.61 %
9.	ओड़िया	3,75,21,324	3.10 %
10.	मलयालम	3,48,38,819	2.88 %
11.	पंजाबी	3,31,24,726	2.74 %
12.	असमिया	1,53,11,351	1.26 %
13.	मैथिली	1,35,83,464	1.12 %
14.	संथाली	73,68,192	0.61 %
15.	कश्मीरी	67,57,587	0.56 %
16.	नेपाली	29,16,168	0.24 %
17.	सिंधी	27,72,264	0.23 %
18.	डोंगरी	25,96,767	0.21 %
19.	कोंकणी	22,56,502	0.19 %
20.	मणिपुरी	17,61,079	0.15 %
21.	बोडो	14,82,929	0.12 %
22.	संस्कृत	24,821	-

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ

भारत के भाषायी विविधता के संरक्षण एवं संवर्द्धन के उद्देश्य से भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है।

ठीक इसी तरह प्राचीन साहित्यिक परंपरा के संरक्षण एवं संवर्द्धन करने के उद्देश्य से कुछ भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है।

शास्त्रीय भाषा के मापदंड-

- (1) इनके प्रारंभिक ग्रंथों के अभिलिखित इतिहास की प्राचीनता 1500-2000 वर्षों या उससे भी पूर्व की होनी चाहिए।
- (2) भाषा का साहित्य मूल हो और वह किसी अन्य समुदाय या भाषा से न लिया गया हो।
- (3) किसी भी भाषा के परवर्ती रूपों तथा उसकी उप शाखाओं में अनिरंतरता हो सकती है जिसके कारण शास्त्रीय भाषा के पूर्ववर्ती और आधुनिक रूप भिन्न हो सकते हैं।
- (4) उस भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा रही हो।

भारत में अब तक 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण नीचे दिया जा रहा है-

भारत की शास्त्रीय भाषाएँ	शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने का वर्ष
1. तमिल	2004 (प्रथम शास्त्रीय भाषा)
2. संस्कृत	2005
3. तेलुगू	2008
4. कन्नड	2008
5. मलयालम	2013
6. ओड़िया	2014 (नवीनतम शास्त्रीय भाषा)

-----▲▲▲▲▲-----

भारतीय राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों में विभिन्न भाषाओं (अनुसूचित एवं गैर अनुसूचित भाषा) के बोलने वालों की जनसंख्या अवरोही क्रम में (ज्यादा से कम) : स्रोत- जनगणना 2011

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
A-1. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	बंगला	हिन्दी	तमिल	तेलुगू	निकोबारी *
A-2. आंध्रप्रदेश	तेलुगू	उर्दू	हिन्दी	तमिल	मराठी
A-3. अरुणाचल प्रदेश	निस्सी/डाफला *	आदि *	बंगला	हिन्दी	नेपाली
A-4. असम	असमिया	बंगला	हिन्दी	बोडो	मिरी/मिशिंग *
B-1. बिहार	हिंदी (भोजपुरी और मगही सहित) **	मैथिली	उर्दू	बंगला	संथाली
C-1. चंडीगढ़	हिन्दी	पंजाबी	उर्दू	नेपाली	बंगला
C-2. छत्तीसगढ़	हिंदी (छत्तीसगढ़ी सहित) **	गोंडी *	ओड़िया	हल्बी *	कुरुख/ओरांव *
D-1. दमन और दीव	गुजराती	हिन्दी	मराठी	बंगला	ओड़िया
D-2. दादर और नगर हवेली	भीली/ भीलोडी *	हिन्दी	गुजराती	मराठी	कोंकणी
D-3. दिल्ली	हिन्दी	पंजाबी	उर्दू	बंगला	मैथिली
G-1. गोवा	कोंकणी	मराठी	हिन्दी	कन्नड	उर्दू
G-2. गुजरात	गुजराती	हिन्दी	सिंधी	मराठी	भीली/ भीलोडी *
H-1. हरियाणा	हिंदी (हरियाणवी/ बांगरु सहित) **	पंजाबी	उर्दू	बंगला	लहंदा *
H-2. हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	पंजाबी	नेपाली	कश्मीरी	डोंगरी
J-1. जम्मू और कश्मीर	कश्मीरी	हिन्दी	डोंगरी	पंजाबी	भोटिया *
J-2. झारखंड	हिंदी (भोजपुरी और मगही सहित)	संथाली	बंगला	उर्दू	हो *
K-1. कर्नाटक	कन्नड	उर्दू	तेलुगू	तमिल	मराठी
K-2. केरल	मलयालम	तमिल	तुलु *	कन्नड	कोंकणी
L-2. लक्षद्वीप	मलयालम	तमिल	हिन्दी	बंगला	तेलुगू
M-1. मध्यप्रदेश	हिन्दी (बघेली और बुंदेली सहित) **	भीली/ भीलोडी *	मराठी	गोंडी *	उर्दू
M-2. महाराष्ट्र	मराठी	हिन्दी	उर्दू	गुजराती	भीली/भीलोडी *
M-3. मणिपुर	मणिपुरी	माओ *	थाडो *	तांगखुल *	कबुई *
M-4. मेघालय	खासी *	गारो *	बंगला	हिन्दी	नेपाली

M-5. मिजोरम	मिजो/लुशाई*	बंगला	लाखेर*	त्रिपुरी*	पड़ते*
N-1. नागालैंड	कोनयक*	अओ(AO)*	लोथा*	अंगमी*	चोकरी/चकरु*
O-1. ओडिशा	ओड़िया	हिन्दी	कुई*	संथाली	उर्दू
P-1. पुडुचेरी	तमिल	तेलुगू	मलयालम	उर्दू	हिन्दी
P-2. पंजाब	पंजाबी	हिन्दी	उर्दू	बंगला	लहंदा*
R-1. राजस्थान	हिन्दी (मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी सहित)**	भीली/भीलोडी*	पंजाबी	उर्दू	सिंधी
S-1. सिक्किम	नेपाली	हिन्दी	भोटिया*	लेप्चा*	लिम्बू*
T-1. तमिलनाडु	तमिल	तेलुगू	कन्नड	उर्दू	मलयालम
T-2. त्रिपुरा	बंगला	त्रिपुरी*	हिन्दी	मोघ*	ओड़िया
U-1. उत्तरप्रदेश	हिंदी (भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली सहित)**	उर्दू	पंजाबी	बंगला	सिंधी
U-1. उत्तराखंड	हिंदी (गढ़वाली और कुमाऊँनी सहित)**	उर्दू	पंजाबी	बंगला	नेपाली
W-1. पश्चिम बंगाल (West Bengal)	बंगला	हिन्दी	संथाली	उर्दू	नेपाली

* निकोवारी, निस्सी/डाफला, आदि मिरी/मिशिंग, गोंड़ी, हल्बी, कुरूख/ओरांव, भीली/भीलोडी, लहंदा, भोटिया, हो, तुलु, माओ, थाडो, तांगखुल, कबुई, खासी, गारो, मिजो/लुशाई, लाखेर, त्रिपुरी, पड़ते, कोनयक, अओ (AO), लोथा, अंगमी, चोकरी/चकरु, कुई, लेप्चा, लिम्बू और मोघ गैर-अनुसूचित भाषाएँ हैं, अर्थात् ये सब गैर-अनुसूचित भाषाएँ स्थानीय बोलियाँ हैं।

** भोजपुरी, मगही, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली (कौरवी), हरियाणवी, गढ़वाली और कुमाऊँनी हिन्दी की प्रमुख बोलियाँ हैं।

भारतीय राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषाएँ

राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	आधिकारिक भाषा	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	आधिकारिक भाषा
● उत्तरी जोन-			
चंडीगढ़	अंग्रेजी	मिजोरम	मिजो, अंग्रेजी, हिन्दी
दिल्ली	हिन्दी, अंग्रेजी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-पंजाबी, उर्दू)	नागालैंड	अंग्रेजी
हरियाणा	हिन्दी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-अंग्रेजी)	ओडिशा	ओड़िया
हिमाचल प्रदेश	हिन्दी	सिक्किम	अंग्रेजी
जम्मू और कश्मीर	उर्दू	त्रिपुरा	बंगला, अंग्रेजी, कोकबोरोक
पंजाब	पंजाबी	पश्चिम बंगाल	बंगला
राजस्थान	हिन्दी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-अंग्रेजी)	● पश्चिमी जोन-	
● मध्य जोन-		दादर और नगर हवेली	हिन्दी, गुजराती
बिहार	हिन्दी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-उर्दू)	दमन और दीव	हिन्दी, अंग्रेजी
छत्तीसगढ़	हिन्दी	गोवा	कोंकणी
झारखंड	हिन्दी	गुजरात	गुजराती
मध्यप्रदेश	हिन्दी	कर्नाटक	कन्नड
उत्तराखंड	हिन्दी	महाराष्ट्र	मराठी
उत्तरप्रदेश	हिन्दी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-उर्दू)	● दक्षिणी जोन-	
● पूर्वी जोन-		अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	हिन्दी, अंग्रेजी
अरुणाचल प्रदेश	अंग्रेजी	आन्ध्रप्रदेश एवं तेलंगाना	तेलुगू (द्वितीय आधिकारिक भाषा-उर्दू)
असम	असमिया	केरल	मलयालम
मणिपुर	मणिपुरी (द्वितीय आधिकारिक भाषा-अंग्रेजी)	लक्षद्वीप	अंग्रेजी
मेघालय	अंग्रेजी	पुडुचेरी	तमिल, तेलुगू, मलयालम, अंग्रेजी
		तमिलनाडु	तमिल

SOURCE : 52ND REPORT OF THE COMMISSIONER FOR LINGUISTIC MINORITIES IN INDIA (JULY 2014 TO JUNE 2015)

वैदिककालीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ

साहित्य लेखन भाषा और लिपि के बिना संभव नहीं है। भाषा और लिपि में अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी दोनों एक नहीं हैं यद्यपि दोनों में ध्वनि संकेतों का ही व्यवहार होता है और दोनों ही विचार और भावों की अभिव्यक्ति के साधन हैं परन्तु दोनों एक नहीं है भाषा आत्मा है तो लिपि शरीर।

विश्व में 4000 ईसा पूर्व तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति कहीं भी विकास नहीं हुआ था। सिंधु लिपि को भारत की प्राचीनतम लिपि मानी जाती है, इसका संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से है जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी में मिले हैं जिसका कालखंड ईसा पूर्व 3250 से 2500 ईसा पूर्व माना गया है, परन्तु सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। भारत की प्राचीनतम उद्घातित लिपि (जिसे पढ़ा जा सका) 'ब्राह्मी लिपि' है जो शिलालेखों आदि कार्बन डेटिंग में ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी का माना गया है। अतएव प्राचीन भारतीय साहित्य का यही प्रस्थान बिन्दु है। 'ब्राह्मी लिपि' कब बना या किसने बनाया यह किसी को ज्ञात नहीं। डॉ. राजबली पाण्डेय के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्म (वेद अर्थात् ज्ञान) की रक्षा के लिए जिस लिपि को बनाया उसे ही 'ब्राह्मी लिपि' कहा जाता है। प्रारंभ में वेद (ज्ञान) ब्राह्मण परिवार की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे लेकिन इतिहासकारों का अनुमान है कि 1500 ईसा पूर्व-1000 ईसा पूर्व के आसपास इसे संकलित किया गया, अर्थात् वेदों का संकलन प्राचीन संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन और एकमात्र जीवित भाषा 'संस्कृत' है। प्राचीन संस्कृत भाषा को विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक माना गया है।

संस्कृत व्याकरण का विकास 'पाणिनि' के समय उनकी पुस्तक 'अष्टाध्यायी' के साथ ईसा पूर्व 400 में आरंभ हुआ। यह संस्कृत व्याकरण की सबसे पुरानी ग्रंथ है। संस्कृत का प्रांजल स्वरूप 300 ई.पूर्व से 200 ई.पू. के बीच विकसित हुआ। यह वैदिक संस्कृत का परिष्कृत संस्करण था।

भारोपीय [भा (रत)+(यू) रोपीय] भाषा परिवार को 'प्राक् आर्य भाषा परिवार' भी कहा जाता है। इस परिवार की

सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। संस्कृत का प्राचीन रूप हमें वेदों में दिखाई देता है। समस्त वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म-सूत्र महाकाव्य रामायण और महाभारत प्राचीन संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में लिखे गए।

वैदिक ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार दो भागों में विभाजित किया जा सकता है-

(i) प्रारंभिक वैदिक काल (ई.पू. 1500 से ई.पू. 1000) के ग्रंथ।

(ii) उत्तर वैदिक काल (ई.पू. 1000 से ई.पू. 600) के ग्रंथ।

प्रारंभिक वैदिक काल में 'ऋग्वेद' की रचना की गई इसलिए इस काल को 'ऋग्वैदिक काल' भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में शेष वेदों, उसकी विशद व्याख्या तथा सहयोगी ग्रंथों की रचना हुई।

वेद

'वेद' शब्द ज्ञान का प्रतीक है। ये ग्रंथ वास्तव में पृथ्वी पर और उससे परे अपने समस्त जीवन का संचालन करने हेतु मनुष्यों को ज्ञान उपलब्ध कराने के विषय में है। इन्हें काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और इनकी भाषा प्रतीकों और मिथकों से भरी है। हिन्दू परम्परा में इनकी उत्पत्ति दैवीय व पवित्र माना गया है। उनके मत में समस्त वेद मनुष्यों के मार्गदर्शन हेतु देवताओं द्वारा विहित किया गया है। प्रारंभ में वेद (ज्ञान) ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे। भारतीय ऋषियों द्वारा लिखे गए चार वेद निम्नानुसार हैं-

(i) ऋग्वेद

(ii) यजुर्वेद

(iii) सामवेद

(iv) अथर्ववेद

(i) ऋग्वेद

ऋग्वेद विश्व की प्राचीनतम धार्मिक पुस्तक है और संभवतः मानव जाति का प्रथम ग्रंथ है, जिसमें अनेक ऋषियों द्वारा रचित ऋचाओं अथवा सूक्तों (श्लोकों) का संकलन है। यह प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ है। इतिहासकारों के अनुसार इसकी रचना सप्त संधव (सप्त-सिंधु) क्षेत्र में ई.पू. 1500 से ई.पू. 1000 के

मध्य आयों द्वारा की गई। ऋग्वेद में 1028 स्तुतियों का संग्रह है जो 10 मंडलों (पुस्तकों) में विभाजित है जिसमें लगभग 10,600 मंत्र हैं। ऋग्वेद का दो से सातवाँ मण्डल प्रमाणित और शेष को प्रक्षिप्त माना गया है। इसका अर्थ यह है कि ऋग्वेद संहिता की 1, 8, 9 और 10 मंडल की पुस्तकें उत्तर वैदिक काल (ई.पू. 1000 से 500 ई.पू.) में लिखी गयी।

- ऋग्वेद के श्लोक देवताओं को समर्पित हैं। ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता इन्द्र माने गए हैं। ऋग्वेद में वर्णित अन्य प्रमुख देवता अग्नि (आग के देवता), वरुण (जल के देवता), वायु (वायु के देवता) तथा अश्विन हैं। नारी देवियों जैसे उषा (भोर की देवी), पृथ्वी (पृथ्वी की देवी) और वाक् (भाषा की देवी) को भी समर्पित कई श्लोक हैं।
- सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न गायत्री मंत्र- 'ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्।' ऋग्वेद के सातवें मंडल में है जो सूर्य की स्तुति के लिए है।
- ऋग्वेद का सृजन सप्त-सिंधु क्षेत्र में हुआ। वैदिक साहित्य में इस क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया है।
- ऋग्वेद के सूक्त रचनाकार- विश्वामित्र, गृत्समद, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ तथा महिला रचनाकार- लोपामुद्रा, घोषा, सची और काक्षवृत्ती हैं। वैदिक ऋचाओं की रचयिता लोपामुद्रा महान ऋषि अगस्त्य की पत्नी थीं।
- ऋग्वेद में लिखे गए अधिकांश सूक्त मानव जीवन के उच्चतम मूल्यों से संबंधित हैं तथा इसमें प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया गया है।
- ऋग्वेद को यूनेस्को (UNESCO) द्वारा विश्व मानव विरासत को दर्शाने वाले साहित्य की सूची में रखा गया है।

प्रारंभिक आर्य सप्त-सिंधु की भूमि पर रहते थे और इन्होंने ही सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास किया। सात नदियों के कारण इस क्षेत्र का नाम 'सप्त सिंधु' पड़ा। ये सात नदियाँ हैं- सिंधु व उसकी पाँच प्रमुख सहायक नदियाँ- झेलम (वतिस्ता), व्यास (विपासा), चेनाब (अस्किनी), रावी (पुरुषनी), सतलज (सुतुद्री) एवं सातवीं नदी सरस्वती (आधुनिक घग्गर हाकरा)। इन नदियों के अन्तर्गत पूर्वी अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश के किनारे तक के ज्यादा क्षेत्र आते थे। ऋग्वैदिक साहित्य में यमुना नदी (2 बार) और गंगा (एक बार) का यदा-

कदा उल्लेख इस बात की ओर इशारा करता है कि ऋग्वैदिक आर्यों ने तब तक इन क्षेत्रों में बसना आरंभ नहीं किया था।

(ii) यजुर्वेद

यजुर्वेद की रचना उत्तर वैदिक काल (ई.पू. 1000 से ई.पू. 600 के मध्य) में कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। इससे पता चलता है कि आर्य सप्त सिंधु क्षेत्र से आगे बढ़ गए थे और वे प्रकृति पूजा के प्रति उदासीन होने लगे थे। यजुर्वेद में धार्मिक कर्मकांड एवं उससे संबंधित मंत्रों का वर्णन किया गया है। यजुर्वेद में मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को 'अध्वर्यु' कहा जाता था। यह मुख्य रूप से आनुष्ठानिक वेद है और यज्ञीय अनुष्ठान करने वाले ऋषियों/पुजारियों के लिए मार्गदर्शक पुस्तक की भाँति कार्य करता था। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। तत्कालीन समाज के प्रकृति पूजा के प्रति उदासीनता एवं धार्मिक कर्मकांड की ओर झुकाव के कारण यह चारों वेदों में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ।

यजुर्वेद के दो भाग हैं - (अ) कृष्ण यजुर्वेद (ब) शुक्ल यजुर्वेद

कृष्ण यजुर्वेद में छन्दोबद्ध मंत्र के साथ गद्यात्मक वाक्य हैं जो मंत्रों की व्याख्या और समीक्षा करते हैं। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र हैं, इसके 40 अध्याय हैं और प्रत्येक का संबंध किसी न किसी याज्ञिक अनुष्ठान से हैं इसलिए यह ज्यादा लोकप्रिय है। यजुर्वेद में कई प्रकार के यज्ञों का विधान उल्लिखित है जैसे- बाजपेय, राजसूय, अश्वमेध, अग्निहोत्र, चातुर्मास आदि।

(iii) सामवेद

सामवेद में ऋग्वैदिककालीन मंत्रों के संगीतमय उच्चारण करने की विधि का वर्णन है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ (श्लोक) हैं जिसमें से 75 मूल एवं शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। मंत्रों के संगीतमय गायन विधि के कारण सामवेद को 'भारतीय संगीत का जनक' कहा जाता है। सामवेद में 1810 रागों का संग्रह है जिसमें प्रसिद्ध राग ध्रुपद भी शामिल है जिसके गायन के कारण तानसेन प्रसिद्ध हुए। देवता विषयक विवेचन की दृष्टि से सामवेद के प्रमुख देवता 'सविता' या 'सूर्य' हैं। सामवेद के प्रथम द्रष्टा महर्षि वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है।

(iv) अथर्ववेद

चारों वेद में अथर्ववेद की रचना सबसे अन्त में की गई। इसे ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। इसके दृष्टा अथर्व और अंगिरा नाम के दो ऋषि थे। अथर्ववेद मुख्य रूप से मानव समाज की शांति और समृद्धि से संबंधित है और मनुष्य के दैनिक जीवन से संबद्ध सभी पहलुओं की इसमें चर्चा है। इस ग्रंथ को लगभग 99 रोगों के उपचार परामर्श के लिए भी जाना जाता है। इस संहिता के 20 काण्डों में 5987 मंत्रों का संग्रह है। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। रोग-निवारण, तंत्र-मंत्र, जादू-टोना, शाप, वशीकरण, स्तुति, प्रायश्चित्त, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन अथर्ववेद से प्राप्त होता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के सिद्धांत तथा व्यवहार जगत की बातें भी हैं।

चार मुख्य वेदों के चार उपवेद भी हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है-

वेद	उपवेद	प्रणेता	विवरण
1. ऋग्वेद	आयुर्वेद	धन्वंतरि	चिकित्सा शास्त्र से संबंधित।
2. यजुर्वेद	धनुर्वेद	विश्वामित्र	युद्ध कला से संबंधित।
3. सामवेद	गांधर्ववेद	भरतमुनि	कला एवं संगीत से संबंधित।
4. अथर्ववेद	शिल्पवेद	विश्वकर्मा	भवन निर्माण कला से संबंधित।

इसका अर्थ यह है कि उपवेद 'आयुर्वेद' ऋग्वेद से उद्भूत है और उस पर आश्रित भी। आयुर्वेद चिकित्सा की नींव महर्षि धन्वंतरि ने रखी इसलिए उन्हें भारतीय परंपरा में आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र का भगवान माना जाता है।

उपनिषद

उपनिषदों की रचना ई.पू. 1000 से 300 ई.पू. में हुई। चूंकि ये वेदों का अंतिम भाग हैं इसलिए इन्हें 'वेदान्त' भी कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 108 है परन्तु 13 प्रसिद्ध हैं जो इस प्रकार हैं- ईश, केन, कठ, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, कौषीतकि, मुंडक, प्रश्न, मैत्रायणीय। कुछ उपनिषदों की रचना गद्य में की गई है तो कुछ उपनिषदों की रचना पद्य में।

यह गुरु-शिष्य परम्परा का अंग थी जिसे गुरु अपने शिष्यों

को सामान्यतः वनों में मौखिक रूप से प्रदान करते थे। वस्तुतः उपनिषद का सार जीवन, ब्रह्माण्ड, स्वयं, शरीर, यज्ञ से संबंधित दर्शन पर केन्द्रित है इसलिए गुरुकुल में 'आत्मा' और 'ब्रह्मा' पर ध्यान केन्द्रित करने की शिक्षा दी जाती थी।

वेद और उनके उपनिषदों की संख्या

(1) ऋग्वेद	: कुल उपनिषद	10
(2) अ. शुक्ल यजुर्वेद	: कुल उपनिषद	19
ब. कृष्ण यजुर्वेद	: कुल उपनिषद	32
(3) सामवेद	: कुल उपनिषद	16
(4) अथर्ववेद	: कुल उपनिषद	31

वेदों की संख्या 4 : उपनिषदों की संख्या 108

वेदांग

'वेदांग' का अर्थ 'वेदों का अंग' है। ये वे सहायक ग्रंथ हैं जो वेदों को पूरी तरह पढ़ने और समझने में मदद करते हैं। कालान्तर में अनेक ऋषियों/मनीषियों ने वेदों का अध्ययन किया उसके मुख्य विषयों को चुना और उन पर ग्रंथ लिखे जिन्हें 'सूत्र' कहा जाता है। यह समस्त मानव जाति के विचारों और व्यवहार को नियमन करने वाले सामान्य नियमों को परिभाषित करते हैं। सूत्रों की संख्या छः है जो निम्नानुसार हैं-

1. शिक्षा (ध्वनि शास्त्र)
2. कल्प (कर्मकांडी विज्ञान)
3. ज्योतिष (नक्षत्र विद्या या खगोल विज्ञान)
4. व्याकरण (शब्द शास्त्र)
5. निरुक्त (शब्द व्युत्पत्ति या शब्द की उत्पत्ति)
6. छंद (निरूपण)

1. शिक्षा (ध्वनि शास्त्र) - वैदिक मंत्रों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध स्वर क्रिया की विधियों के ज्ञानार्थ लिखित साहित्य को 'शिक्षा' के नाम से जाना जाता है। इस तरह वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु 'शिक्षा' का निर्माण हुआ। वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य 'प्रातिशाख्य' है। वस्तुतः यही भाषा (प्राचीन संस्कृत) और लिपि (ब्राह्मी) का प्रस्थान बिन्दु है जो हमें ज्ञात है।

2. **कल्प (कर्मकाण्डी विज्ञान)** - 'कल्प' दूसरा वेदांग है जिसमें वेद निहित कर्मों के विविध विधानों को सूक्ष्म आकार में प्रस्तुत करने के लिए 'कल्प-सूत्रों' का निर्माण हुआ। कल्पसूत्र चार प्रकार के हैं-श्रौतसूत्र, गृह्य सूत्र, धर्मसूत्र और शूल्ब सूत्र। ये क्रमशः याज्ञिक कर्मकांड, गृहस्थ जीवन के विविध संस्कार, धर्म के संस्कार और यज्ञ वेदी के निर्माण से संबंधित हैं।

3. **व्याकरण (शब्द शास्त्र)** - शब्दों की मीमांसा करने वाला शास्त्र 'व्याकरण' कहा गया। इसके अन्तर्गत नामों एवं धातुओं की रचना, समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रयोग आदि नियम बताए गए हैं। इसका आधारभूत ग्रंथ पाणिनि कृत 'अष्टाध्यायी' (5वीं शती ई.पू.) है जिसमें 8 अध्याय व 400 सूत्र हैं। ई.पू. चौथी शताब्दी में कात्यायन ने संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले नये शब्दों की व्याख्या के लिए 'वार्तिक' लिखा। ई.पू. द्वितीय शताब्दी में पतंजलि ने पाणिनीय सूत्रों पर महाभाष्य लिखा।

4. **निरुक्त** - शब्दों की व्युत्पत्ति की व्याख्या करने वाला शास्त्र 'निरुक्त' है। इस दृष्टि से 'निरुक्त' 'व्याकरण' का पूरक है। इसे 'भाषा-विज्ञान' के नाम से भी जाना जाता है। अत्यन्त कठिन वैदिक शब्दों का संकलन 'निघण्टु' में किया गया था जिसकी व्याख्या हेतु 'यास्क' ने 'निरुक्त' की रचना की थी इसीलिए 'निरुक्त' को भाषाशास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है।

5. **छंद** - वैदिक मंत्र प्रायः छन्दबद्ध हैं। वैदिक साहित्य में मुख्य रूप से गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, वृहती छंदों का प्रयोग किया गया है। छंद शास्त्र पर पिंगलमुनि का ग्रंथ 'छन्द सूत्र' सुप्रसिद्ध है।

6. **ज्योतिष** - शुभ मुहूर्त में याज्ञिक अनुष्ठान करने के लिए ग्रहों तथा नक्षत्रों का अध्ययन करके सही समय ज्ञात करने की विधि से वेदांग ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष की सर्वप्राचीन रचना 'लगध मुनि' कृत 'वेदांग ज्योतिष' है जिसमें कुल 44 श्लोक हैं। नारद, पराशर, वशिष्ठ आदि ऋषियों के ग्रंथों के साथ वराहमिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य के ज्योतिष ग्रंथ प्रख्यात हैं। प्राचीन काल में पृथ्वी से सूर्य की दूरी के साथ ही चन्द्रमा, सौरमंडल के अन्य ग्रह-मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र व शनि की दूरी व परिक्रमा पथ की गणना कर ली गई थी-जो कल्पना से परे है।

पुराण

पुराण का शाब्दिक अर्थ 'प्राचीन आख्यान' है। अथर्ववेद में चारों वेदों के बाद पुराणों का उल्लेख मिलता है। ये प्राचीन भारतीय पौराणिक ग्रंथ हैं जिसमें ब्रह्मांड के निर्माण के विषय में कथात्मक कहानियाँ हैं और जो ब्रह्मांड के कल्पित विनाश तक के इतिहास का वर्णन करते हैं। इनमें राजाओं, नायकों, संतों, यक्ष-यक्षिणियों की कहानियाँ हैं। लेकिन यह हिंदुओं के त्रयीतीन भगवानों-ब्रह्मा, विष्णु और महेश पर केन्द्रित हैं। वस्तुतः सभी पुराण वेदों में निहित संदेशों-उपदेशों आदि को दृष्टान्तों और दंतकथाओं के माध्यम से सरल रूप में आमजनों तक पहुँचाते हैं। अंततोगत्वा जटिल वेदों को समझ न पाने वाले आम लोगों के बीच पुराणों को अपार लोकप्रियता मिली।

पुराणों के आदि संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। वस्तुतः पुराण सरल एवं व्यावहारिक भाषा में लिखे गए जनता के ग्रंथ हैं। इनमें प्राचीन ज्ञान-विज्ञान, पशु-पक्षी एवं वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद आदि सभी का समावेश है इस प्रकार ये ज्ञान के विश्वकोश ही हैं।

महाभारत के अध्ययन से पता चलता है कि अनेक पुराण ग्रंथ महाभारत काल से पूर्व ही अस्तित्व में आ चुके थे। महाभारत के वक्ता महर्षि लोमहर्ष के पुत्र उग्रश्रवा पुराणों के ज्ञाता थे।

मुख्य पुराण 18 हैं। इनके नाम हैं मत्स्य, मार्कण्डेय, भविष्य, भागवत, ब्रह्माण्ड, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कन्द। इन्हें महापुराण कहा जाता है। इनके अतिरिक्त अनेक उपपुराण भी हैं- नरसिंह, आश्चर्य, शिवधर्म, कपिल, नारदीय, सनतकुमार, औशनस, वरूण, कलिका, माहेश्वर, सौर, पाराशर, साम्ब, भार्गव, मानीय आदि।

पुराणों से वैदिकोत्तर भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसके अलावा इतिहासकारों को भूगोल, इतिहास और वंशवादी वंशावलियों के विषय में भी जानकारी मिलती है।

रामायण और महाभारत

वैदिक काल में रचित दो महान ग्रंथों रामायण और महाभारत को आदि महाकाव्य कहा जाता है। वस्तुतः ये दोनों महाकाव्य हिन्दू धर्म का पालन करने वाले लोगों की सामूहिक स्मृति का

भाग बन गए हैं। दोनों ग्रंथों को युगों में संकलित और जोड़ा गया है और हम जो आज पढ़ते हैं या सुनते हैं— वह ऋषियों के साथ ही चारणों या कहानीकारों द्वारा किए गए अनेक प्रेषणों का समामेलन है। उन दोनों ग्रंथों में भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों का सम्यक् निरूपण मिलता है। वस्तुतः रामायण और महाभारत दोनों ही हमारी संस्कृति की अक्षय निधियाँ हैं।

(i) रामायण

रामायण नामक सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित ग्रंथ आदिकवि या कवियों में प्रथम कहलाने वाले ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित है। अधिकांश इतिहासकारों का मत है कि पहली बार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इसे संकलित किया गया था। यह महाकाव्य प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इस महाकाव्य में आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत राम की कहानी के माध्यम से मानव जाति के चार उद्देश्यों (पुरुषार्थों)—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विषय में निर्देश दिए गए हैं।

रामायण में 24,000 पद हैं और यह काण्ड नामक सात अध्यायों में विभाजित है। इसमें राम की पत्नी सीता के अपहरण को लेकर भगवान राम और राक्षस राजा रावण के बीच युद्ध का विवरण प्रस्तुत किया गया है। इसमें हनुमान, लक्ष्मण, विभीषण जैसे कई प्रमुख पात्र हैं जिन्होंने लंका (आधुनिक श्रीलंका) में लड़े गए इस युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और वे अपनी पत्नी को वापस लाए। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है।

(ii) महाभारत

महाभारत के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय 'वेद व्यास' द्वारा लिखित महाभारत है। इसे संस्कृत में लिखा गया है। प्रारंभ में इसके 8,800 छंद थे। बाद में अनेक कहानियाँ, छंदों के माध्यम से जोड़ा गया। प्रारंभिक वैदिक जनजाति के नाम पर इसका नामकरण भारत किया गया। वर्तमान रूप में इसमें एक लाख छंद हैं जो 'इतिहास पुराण' कहलाने वाले ग्रंथों सहित 18 पर्वों (अध्याय) में विभाजित है।

इसकी कहानी मुख्यतः हस्तिनापुर सिंहासन पर दावा करने के अधिकार को लेकर कौरवों एवं पांडवों के बीच संघर्ष पर आधारित

है। इस कहानी के सूत्रधार भगवान कृष्ण हैं। महाभारत के छठवें पर्व— 'भीष्म पर्व' में हिंदुओं के पवित्र उपदेशात्मक ग्रंथ 'भगवद्गीता' का भी समावेश है। पवित्र ग्रंथ भगवद्गीता मुख्य रूप से अहिंसा बनाम हिंसा, कर्म बनाम अकर्म और अंत में धर्म के विषय में प्रकाश डालते हुए मनुष्य को निष्काम कर्म अर्थात् निःस्वार्थ रूप से परिवार और विश्व के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख देती है।

महाभारत ग्रंथ में इस समय एक लाख श्लोकों का संग्रह है जिसमें भाषा शैली छन्दोदि की दृष्टि से भारी विषमता है। इससे स्पष्ट है कि इसकी रचना किसी एक कवि द्वारा एक समय में नहीं की गई है। प्रारंभ में प्रचलित गाथाओं एवं आख्यानों को एकत्र करके महर्षि वेदव्यास ने इसे काव्य का स्वरूप प्रदान किया। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत की रचना 800 ई.पू. प्रारंभ हो गई थी व इसका अन्तिम लक्ष्य श्लोकी संस्करण ई.पू. 4 थी या 5 वीं शताब्दी ई.पू. तक निर्मित है।

महाभारत में कुल 18 पर्व अर्थात् अध्याय हैं

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. आदि पर्व | 2. सभा पर्व |
| 3. वन पर्व | 4. विराट पर्व |
| 5. उद्योग पर्व | 6. भीष्म पर्व |
| 7. द्रोण पर्व | 8. कर्ण पर्व |
| 9. शल्य पर्व | 10. सौप्तिक पर्व |
| 11. स्त्री पर्व | 12. शान्ति पर्व |
| 13. अनुशासन पर्व | 14. अश्वमेध पर्व |
| 15. आश्रमवासी पर्व | 16. मौसल पर्व |
| 17. महाप्रस्थानिक पर्व | 18. स्वर्गारोहण पर्व |

इसके अतिरिक्त 'हरिवंश' इसका परिशिष्ट (खिल्य पर्व) है।

अनेक काव्यों, महाकाव्यों, नाटकों तथा आख्यानों का स्रोत महाभारत ही है। यह साहित्य की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टि से अत्युत्तम है। भीष्म पर्व का अंग गीता है, जिसमें कर्म, ज्ञान तथा भक्ति का सुन्दर समन्वय मिलता है। शान्ति पर्व में राजधर्म का अच्छा विवेचन मिलता है, जहाँ राजा और प्रजा के कर्तव्यों तथा अधिकारों का अलग-अलग वर्णन है। अनुशासन पर्व में धर्म तथा नीति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन है। महाभारत का मुख्य प्रतिपाद्य धर्म की प्रतिष्ठा है। संप्रति, महाभारत हमारी सांस्कृतिक धरोहर है।



भारत में लिपियों का विकासक्रम एवं ब्राह्मी लिपि

● **भाषा-** भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वाचिक ध्वनियों का उपयोग करता है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों का समूह या ध्वनियाँ होती हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों/विचारों का संप्रेषण दूसरे मनुष्यों तक कर पाता है। वस्तुतः भाषा ध्वनियों का समूह मात्र है जो मुख से उच्चारित होता है।

नन्हें शिशु को जब भूख लगती है तो वह ध्वनियों के माध्यम से ही अपने भावों का संप्रेषण माँ तक पहुँचाता है चाहे वह ध्वनि रोने की ही क्यों न हो! आदि काल में मनुष्य ध्वनियों के माध्यम से ही पशु-पक्षी को अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते थे। अस्तु, मूल रूप में भाषा उच्चारित ध्वनियों का समूह है।

● **लिपि-** लिपि शब्द का अर्थ है- लिखावट। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियाँ सुनने वालों के कानों तक पहुँचने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती हैं। उन्हीं ध्वनियों को दृश्य रूप में चिह्नित करने के लिए कुछ विशेष आकृतियाँ-रेखाचित्रों को ताड़-पत्रों, पत्थरों आदि में बनाये गए और इस तरह भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों ने लिखित रूप में लिपि का रूप धारण किया। अस्तु 'भाषा की सभी ध्वनियों के लिए निर्धारित प्रतीक चिह्नों (लिखित) का सामूहिक रूप ही लिपि है।' पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 'लिखित भाषा के मूल ध्वनियों के लिए जो चिह्न मान लिए गए हैं वे भी वर्ण कहलाते हैं; पर जिस रूप में ये लिखे जाते हैं, उसे लिपि कहते हैं।'।

भाषा और लिपि में अभिन्न सम्बन्ध होते हुए भी दोनों एक नहीं हैं, बल्कि बहती नदी के दो अलग-अलग किनारे हैं, यद्यपि दोनों में ध्वनि संकेतों का ही व्यवहार होता है और दोनों ही विचार और भावों की अभिव्यक्ति के साधन हैं परन्तु दोनों एक नहीं हैं। भाषा आत्मा है तो लिपि शरीर।

लिपि की उत्पत्ति और विकासक्रम

भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि पर आश्रित है। वह केवल तभी सुनी जा सकती है जब बोली जाती है और वहीं तक सुनी जा सकती है जहाँ तक आवाज जा सकती है। काल और स्थान की इस सीमा के बंधन से भाषा को निकालने के लिए

लिपि का जन्म हुआ है। लिपि का उद्भव मानव सभ्यता की सबसे बड़ी खोज है इसीलिए लिपि या अक्षर को 'ब्रह्म' की संज्ञा दी गई है।

आज तक लिपि के संबंध में जो भी प्राचीनतम सामग्री विश्व में उपलब्ध है इस आधार पर कहा जा सकता है कि ईसा पूर्व 10000 से ईसा पूर्व 4000 के बीच लगभग 6000 वर्षों में अत्यंत धीरे-धीरे लिपि का प्रारंभिक विकास होता रहा। अर्थात् ईसा पूर्व 4000 तक लेखन की किसी भी व्यवस्थित पद्धति का विश्व में कहीं भी विकास नहीं हुआ था। लिपि के विकासक्रम में निम्न प्रकार की लिपियाँ मिलती हैं-

चित्रलिपि ⇒ सूत्रलिपि ⇒ प्रतीकात्मक लिपि ⇒ भावमूलक लिपि ⇒ भावध्वनि मूलक लिपि ⇒ ध्वनिमूलक लिपि

(1) **चित्रलिपि-** चित्रलिपि ही लेखन इतिहास की पहली सीढ़ी है। आदिकाल में मानव कंदराओं-गुफाओं में रहते थे; तब दीवारों में, पत्थर, हड्डी, काठ, पेड़ की छाल, मिट्टी के बर्तन आदि में चित्र बनाये जाते थे जैसे सूर्य के लिए गोला और चारों ओर निकलती रेखायें, आदमी का चित्र, जानवरों का चित्र, विभिन्न अंगों का चित्र आदि।

इस काल में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को व्यक्त करने का कोई साधन नहीं था जैसे वे स्त्री या पुरुष का चित्र तो बना सकते थे, परन्तु वह राम, मोहन या श्याम कौन है इसे व्यक्त करना मुमकिन न था।

(2) **सूत्रलिपि-** आज भी महिलाएँ किसी बात को याद रखने के लिए अपने साड़ी के पल्लू में एक-दो-या तीन गांठ बांध लेती हैं। सूत्र रूप में गांठ बांधकर या भिन्न-भिन्न रंगों के मोती, घोंघे, मूंगे आदि बांधकर किसी बात को याद रखने की परंपरा बहुत पुरानी है। जैसे पन्द्रह मानव शिकार के लिए गुफा से बाहर निकले तो रस्सी में प्रत्येक के लिए एक-एक गांठ। शाम तक 10 मानव वापस आए तो दस गांठ खोल दी। फिर दूसरे दिन 3 मानव वापस लौटे तो तीन गांठ खोल दी। अब दो शेष बचे जो कभी वापस ही नहीं लौटे। तब वे समझ जाते थे कि शेष दोनों मृत हो गए हैं। सूत्र रूप में दीवारों आदि में चिह्न अंकित कर किसी बात या घटना को याद रखना ही सूत्र लिपि है।

भाषा और लिपि में अन्तर

भाषा	लिपि
1. ध्वनियाँ 'श्रव्य' रूप में व्यक्त होती हैं।	1. लिपियाँ 'दृश्य' रूप में व्यक्त होती हैं।
2. भाषा मौखिक है।	2. लिपि लिखित है।
3. भाषा सुनने वाले के कानों तक पहुँचने के बाद अस्तित्वहीन हो जाती है।	3. लिपि का अस्तित्व सदैव बना रहता है जब तक उसे नष्ट न किया जाये।
4. भाषा का क्षेत्र सीमित है और वह समय-काल एवं स्थान के दायरे में बंधी होती है क्योंकि वह 'श्रव्य' है।	4. लिपि को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता क्योंकि वह 'दृश्य' या लिखित रूप है। लिपि के माध्यम से सहस्राब्दियों बाद भी भावों का संप्रेषण किया जा सकता है।
5. आदि कवि वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, कबीर, सूरदास, तुलसीदास आदि ने जो कुछ भी गाकर सुनाया उसे सिर्फ उसी समय के लोग ही सुन पाए।	5. लिपि ने महाकवियों को युग-युगान्तर तक जीवित रखा। उनके काव्य के उपदेशों, कथाओं, विचारों का उसी रूप में संप्रेषण आज भी है।
6. भाषा लिपि के बिना अधूरी है- इसका कोई भी रूप लिपि के बिना सुरक्षित नहीं रखा जा सकता।	6. लिपि किसी भी भाषा को उसके पूर्ण शुद्ध, मूल और वास्तविक रूप में सुरक्षित रखती है। पूरी दुनिया में ज्ञान-विज्ञान, प्रौद्योगिक, तकनीक, प्रशासन, न्याय-व्यवस्था, चिकित्सा आदि विषयों से संबंधित ज्ञान आज भी संरक्षित हैं- सुरक्षित हैं चाहे वह प्राचीन क्यों न हो।
7. एक अन्य मत में कोई भी भाषा अपने लिपि की तुलना में अधिक व्यापक है। भाषा का प्रयोग शिक्षित एवं अशिक्षित व्यक्ति समान रूप से कर सकते हैं।	7. लिपि का संबंध केवल साक्षर व्यक्तियों से है। निरक्षर व्यक्ति लिखित सामग्री को नहीं पढ़ सकता। लिपि का ज्ञान न होने पर साक्षर व्यक्ति भी अन्य भाषाओं के लिखित साहित्य को नहीं पढ़ सकता।
8. संक्षेप में भाषा अपने संरक्षण और प्रसार हेतु लिपि पर निर्भर है।	8. लिपि अपने अस्तित्व हेतु भाषा पर निर्भर है ; अगर कोई भाषा मृत होती है तो उसके साथ उसकी लिपि भी मृत होती है।

(3) **प्रतीकात्मक लिपि-** कोई प्रतीक के माध्यम से अपने विचारों या भावों का संप्रेषण करते थे। जैसे किसी चिड़िया को मारकर ताड़-पत्र वगैरह में लपेटकर अपने साथी को भेजना। इससे दूसरे गुफा में रहने वाला उसका साथी समझ जाता था कि अब किसी अन्य कबीले का आक्रमण होने वाला है और उसे युद्ध के लिए तैयार रहना है। शुद्ध अर्थों में इसे लिपि तो नहीं कह सकते परन्तु आदिकाल में लोग ताड़पत्रों आदि में विभिन्न रंगों के प्रतीक चिह्न बनाकर अपने साथियों को भेजते थे व अपनी भावना या विचारों का संप्रेषण करते थे।

(4) **भावमूलक लिपि-** भावमूलक लिपि वस्तुतः चित्रलिपि का ही विकसित रूप है जिसके माध्यम से उस युग के मानव अपनी भावों की अभिव्यक्ति करते थे, जैसे सूर्य के लिए एक गोला बनाते थे व उसमें रंग भरकर सुबह, दोपहर, संध्या या सूर्य देवता की अभिव्यक्ति करते थे। इसी तरह दुःख के लिए आँख का चित्र और उससे बहता आँसू। मैत्री संबंध के लिए हाथ जोड़ने का चिह्न आदि। चीनी भाषा मंदारिन की लिपियों के बहुत चिह्न आज तक इसी श्रेणी के हैं।

(5) **भाव-ध्वनिमूलक लिपि-** लिपियाँ जब परिष्कृत रूप में व्यवहृत होने लगी तब कुछ लिपियाँ ऐसी विकसित हुई जिसमें लिपियों के कुछ चिह्न चित्रात्मक और भावमूलक होते थे तो कुछ ध्वनिमूलक और दोनों का ही यथासमय उपयोग होता था। आधुनिक चीनी लिपि भी कुछ अंशों में इसी के अन्तर्गत आती है। सिंधुघाटी की सभ्यता प्राचीन मानी जाती है व सिंधु घाटी में प्रचलित लिपि भी इसी श्रेणी की थी।

(6) **ध्वनिमूलक लिपि-** विशुद्ध ध्वनिमूलक लिपि का आविष्कार वर्तमान मानव सभ्यता की नाँव है। इसमें ध्वनिमूलक लिपि के संकेतक चिह्न किसी वस्तु या भाव को प्रकट नहीं करते बल्कि किसी ध्वनि को प्रगट करते हैं और उन्हें जोड़कर किसी वस्तु या भाव का नाम लिखा जाता है। जैसे क, ल, म देवनागरी लिपि के तीन वर्ण हैं इन्हें कई क्रमों में या इनके साथ भिन्न-भिन्न स्वर मिलाकर अनेक शब्द बनाये जा सकते हैं, जिसके अलग-अलग भाव हैं जैसे- कलम, कमल, काल, कल, काला, केला, मेल आदि। ध्वनि मूलक लिपि के दो भेद हैं-

ध्वनिमूलक लिपि के भेद

ध्वनिमूलक लिपि के दो भेद हैं-

- (i) अक्षरात्मक (Syllabic)
- (ii) वर्णात्मक (Alphabetic)

ध्वनिमूलक लिपि

अक्षरात्मक

जैसे- देवनागरी (हिन्दी),
फारसी-अरबी, बंगला आदि

वर्णात्मक

जैसे- रोमन लिपि
(अंग्रेजी)

(i) **अक्षरात्मक लिपि-** इस लिपि में चिह्न किसी अक्षर (Syllable) को व्यक्त करते हैं वर्ण (Alphabet) को नहीं जैसे- देवनागरी लिपि के 'क' चिह्न में क्+अ (दो वर्ण) मिले हैं अर्थात् उक्त दो वर्णों के मेल से अक्षर 'क' बना है, इसलिए देवनागरी अक्षरात्मक लिपि है।

देवनागरी, फारसी-अरबी, बंगला, गुजराती, ओड़िया, तमिल, तेलुगू लिपियाँ आक्षरिक हैं।

(ii) **वर्णात्मक लिपि-** वर्णात्मक लिपि में ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग चिह्न होते हैं जिसे वर्ण (Alphabet) कहते हैं। जैसे-a,b,c,d,e... भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह आदर्श लिपि है। रोमन लिपि वर्णात्मक है जिसमें अंग्रेजी भाषा लिखी जाती है।

अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक लिपि में अन्तर

उदाहरण के लिए हिन्दी के 'कक्ष' शब्द को लें जो देवनागरी लिपि में लिखी गयी है।

कक्ष = क्+अ+क्ष+अ

= क्+अ+क्+प्+अ

(क्+अ=क) (क्+प्+अ=क्ष)

'कक्ष' देखने पर यह स्पष्ट नहीं होता कि उसमें कितने वर्ण (ध्वनि) मिले हुए हैं। जबकि रोमन लिपि में 'कक्ष' लिखने पर उसकी ध्वनियाँ स्पष्ट दिखाई पड़ती है जैसे-कक्ष= kaksha

अतएव ध्वनि की प्रत्येक इकाई के लिए अलग-अलग चिह्न

होने के कारण भाषा-विज्ञान की दृष्टि से वर्णात्मक लिपि ज्यादा अच्छी मानी गयी है।

भारत की प्राचीन लिपियाँ

प्राचीन काल में भारत में तीन लिपियाँ प्रचलित थीं—

(i) सिंधु लिपि (ii) खरोष्ठी लिपि (iii) ब्राह्मी लिपि

सिंधु लिपि एवं खरोष्ठी लिपि विलुप्त हो चुकी है। भारत की अधिकांश आधुनिक लिपियाँ – देवनागरी, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, ओड़िया, बंगला / असमिया आदि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। वस्तुतः ब्राह्मी लिपि समस्त भारतीय लिपियों की जननी है।

(i) **सिन्धु लिपि** – यह भारत की प्राचीनतम लिपि है जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका। यह सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा है जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी में आर्यों ने इस लिपि का निर्माण किया।

सिन्धु लिपि के प्राचीनतम नमूने सिंधु घाटी (पंजाब के मांटगोमरी जिले के हड़प्पा तथा सिंधु के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ों से प्राप्त सीलों पर) में मिले हैं जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद् जॉन मार्शल के अनुसार यह कालखण्ड ईसा पूर्व 3250 से ईसा पूर्व 2750 है। अर्नेस्ट मैके ने यह कालखण्ड ई.पू. 2800-2500 और रॉबर्ट एच. ब्रुन्सविग ने ई.पू. 2800-2000 माना। जिस दिन सिंधु लिपि को पढ़ लिया जाएगा वह दिन भारतीय लिपि के इतिहास में एक प्रस्थान बिन्दु (Turning point) माना जाएगा। भारत की प्राचीनतम उद्वाचित लिपि (जिसे पढ़ा जा सका) ब्राह्मी लिपि है, जिसके नमूने को कार्बन डेटिंग में ईसा पूर्व छठवीं शताब्दी का माना गया है।

(ii) **खरोष्ठी लिपि** – भारत के पश्चिमोत्तर इलाकों पर ईरानियों का अधिकार होने के परिणामस्वरूप ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में आरमेइक लिपि से एक नवीन लिपि का विकास हुआ जिसे 'खरोष्ठी' लिपि कहा जाता है। खरोष्ठी लिपि का प्रचलन भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में लगभग एक हजार वर्ष तक रहा। प्राकृत भाषा में लिखी जाने वाली खरोष्ठी लिपि में संयुक्त अक्षर बहुत ही कम मात्रा में थे। यह ब्राह्मी लिपि के समकालीन थी। खरोष्ठी लिपि पहले दायें से बायें लिखी जाती थी कालान्तर में ब्राह्मी लिपि के प्रभाव से यह बायें से दायें लिखा जाने लगा। खरोष्ठी लिपि को बैक्ट्रियन तथा इन्डो-बैक्ट्रियन नामों से भी जाना जाता है। खरोष्ठी लिपि का प्राचीनतम नमूना शाहबाजगढ़ी (पंजाब

प्रांत, पाकिस्तान) और मानसेरा (पंजाब प्रांत, पाकिस्तान) में मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में प्राप्त हुआ है।

(iii) **ब्राह्मी लिपि** – भारत की प्राचीनतम उद्वाचित लिपि 'ब्राह्मी लिपि' है इसीलिए भारत में लिपि के विकास की परंपरा में 'ब्राह्मी लिपि' को प्रस्थान बिन्दु (Turning Point) माना जाता है। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मी अभिलेख उत्तर-मध्य भारत में सम्राट अशोक के शिलालेख में मिले ईसा पूर्व 250-232 के हैं। इस लिपि का कूटवाचन 1837 ई. में जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया।

इस लिपि के 'ब्राह्मी' पढ़ने के संबंध में कई किंवदंतियाँ हैं परन्तु यह सत्य है कि इस लिपि को किसने बनाया यह किसी को ज्ञात नहीं। हिन्दू पौराणिक ग्रंथों में 'ब्रह्मा' को मानव का सृष्टिकर्ता माना गया है अर्थात् उन्होंने ही सर्वप्रथम नर और नारी को बनाया जिससे यह सृष्टि आगे बढ़ी। उन्होंने ही 'अक्षर' (लिपि) को बनाया, इसलिए 'अक्षर' को 'ब्रह्म' की संज्ञा दी गई है।

चीनी विश्वकोश में फा-वान-शु-लिने (668 ई.) ने लिखा है कि ब्राह्मी लिपि का सृजन 'ब्रह्मा' नाम के आचार्य ने किया; इसलिए इसका नाम 'ब्राह्मी लिपि' पड़ा।

डॉ. राजबली पाण्डेय के अनुसार भारतीय आर्यों ने ब्रह्म (वेद अर्थात् ज्ञान) की रक्षा के लिए जिस लिपि को बनाया उसे ही 'ब्राह्मी लिपि' कहा जाता है। प्रारंभ में वेद (ज्ञान) ब्राह्मण परिवारों की पीढ़ियों द्वारा मौखिक रूप से प्रदान किए जाते थे लेकिन इतिहासकारों द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व-1000 ईसा पूर्व के आसपास इन्हें संकलित किया गया; अर्थात् वेदों का संकलन प्राचीन संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में 1500 ईसा पूर्व- 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया। भारत के समस्त वेद-पुराण, रामायण, महाभारत महाकाव्य की रचना प्राचीन संस्कृत भाषा (ब्राह्मी लिपि) में किया गया है।

ब्राह्मी लिपि बाएँ से दाएँ लिखी जाती है। ब्राह्मी अबुगिडा (Abugida) है अर्थात् प्रत्येक इकाई व्यंजन पर आधारित है और स्वर संकेतन द्वितीयक है।

मूल रूप से ब्राह्मी लिपि भारत के अधिकांश लिपियों की जननी है 5 वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक इसका एक ही रूप मिलता है अर्थात् लगभग आठ-नौ सौ सालों तक अपने पूर्ण विकसित अवस्थाओं में रहने के बाद गुप्त काल (319 ई. से 550 ई.) में

इसकी उत्तरी और दक्षिणी दो शैलियाँ विकसित हो गई।

विन्ध्य पर्वत के दक्षिण में प्रचलित ब्राह्मी लिपि की शैली से तमिल, तेलुगू, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ जबकि विन्ध्य पर्वत के उत्तर में प्रचलित उत्तरी शैली की ब्राह्मी लिपि 'गुप्त लिपि' के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आठवीं सदी तक पहुँचते-पहुँचते ब्राह्मी की उत्तरी शैली के 'गुप्त लिपि' का परिवर्तन 'कुटिल लिपि' में हुआ और वह दो शाखाओं में बंट गई। (अ) शारदा लिपि (ब) प्राचीन नागरी लिपि। संप्रति, उत्तरी शैली से जिन भारतीय लिपियों का विकास हुआ उनमें देवनागरी, बंगला, कैथी, मोड़ी, गुजराती, ओड़िया, मैथिली, गुरुमुखी, असमिया, कश्मीरी, डोंगरी, सिन्धी प्रमुख हैं।

ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से उत्पन्न भारत की प्रमुख लिपियों का संक्षिप्त विवरण

(1) प्राचीन नागरी लिपि— इसका प्रसार उत्तर भारत में 9 वीं सदी में मिलता है। आधुनिक काल की देवनागरी, गुजराती, महाजनी, राजस्थानी तथा महाराष्ट्री (मोड़ी) आदि लिपियाँ प्राचीन नागरी के ही पश्चिमी रूप से विकसित हुई हैं और इसके पूर्वी रूप से कैथी, बंगला, उड़िया, मैथिली आदि लिपियों का विकास हुआ है।

(2) शारदा लिपि— 'शारदा' कश्मीर की आराध्य देवी हैं चूँकि कश्मीर में ही इस लिपि का उद्भव हुआ इसलिए यह लिपि 'शारदा लिपि' के नाम से भी जानी जाती है। हिमाचल प्रदेश के चम्बा से प्राप्त अनेक अभिलेखों की लिपि शारदा है। इसका विकास 8 वीं शताब्दी के दौरान हुआ और उस समय इसका प्रयोग संस्कृत और कश्मीरी लिखने के लिए किया जाता था। इसका प्रयोग शुरु में व्यापक था परन्तु बाद में कश्मीर तक सीमित रह गया। आधुनिक काल की गुरुमुखी, डोंगरी, सिन्धी आदि लिपियाँ इसी से निकली हैं।

(3) बंगला लिपि— यह बंगला भाषा की लिपि है। प्राचीन नागरी की पूर्वी शैली से 11 वीं सदी में इसका जन्म हुआ है। कुछ लोग इसका जन्म 7 वीं सदी भी मानते हैं। इसका क्षेत्र पश्चिम बंगाल है। प्राचीन बंगला लिपि से वर्तमान नेपाली, मैथिली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी, आधुनिक बंगला आदि लिपियों का विकास हुआ है।

(4) मैथिली लिपि— यह बंगला लिपि का परिवर्तित रूप है; मिथिला के ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण इसका नाम 'मैथिली' लिपि पड़ा। इसे 'तिरहुता' या 'मिथिलाक्षर' लिपि के नाम से भी जाना जाता है। इस लिपि का प्रयोग बिहार के अतिरिक्त नेपाल, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में भी होता है।

(5) ओड़िया लिपि— यह प्राचीन बंगला लिपि से विकसित मानी जाती है परन्तु इसमें तेलुगू तथा तमिल लिपियों का भी प्रभाव है इसी कारण थोड़ा कठिन भी है। वर्तमान में यह ओड़िया भाषा के लिए प्रयुक्त होती है इसका मुख्य क्षेत्र ओड़िशा राज्य है।

(6) असमिया— यह बंगला लिपि की बहन है। केवल 'र' तथा 'व' के रूप इससे भिन्न हैं। यह असमिया भाषा की लिपि है और इसका क्षेत्र असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य राज्य हैं।

(7) मणिपुरी— इसका क्षेत्र मणिपुर है। यह मणिपुरी भाषा की लिपि है इस लिपि को 'मैतेई' भी कहते हैं। यह बंगला का ही एक अन्य रूप है।

(8) नेवारी— यह बंगला से उत्पन्न लिपि है और नेपाल की नेवारी भाषा की लिपि रही है इसे नेपाली भी कहते हैं। वर्तमान में भारत में नेपाली भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। नेपाली भाषा भारत के नेपाल से सटे उत्तर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में प्रयोग किया जाता है।

(9) मोड़ी लिपि— मोड़ी लिपि का प्रयोग सन् 1950 से पहले मराठी भाषा लिखने के लिए किया जाता था मगर 1950 ई. के बाद मराठी भाषा लेखन के लिए आधिकारिक तौर पर देवनागरी लिपि को मान्य कर लिया गया। शिवाजी तथा अन्य पेशवाओं के शासनकाल में मोड़ी लिपि काफी लोकप्रिय थी।

(10) गुजराती लिपि— यह लिपि भी प्राचीन नागरी लिपि से ही निकली है। यह हिन्दी में प्रयुक्त देवनागरी की बहन है। यह लिपि सम्पूर्ण गुजरात में गुजराती भाषा के लिए प्रयुक्त होती है।

(11) देवनागरी लिपि— देवनागरी लिपि का मूल ब्राह्मी लिपि है। भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिन्दु माना जाता है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। 5 वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक इसका एक ही रूप मिलता है किन्तु आगे चलकर यह दो शाखाओं में विभाजित हो गई। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि एवं प्राचीन नागरी लिपि का

विकास हुआ, जबकि इसकी दक्षिण शैली से तेलुगू, कन्नड़, तमिल, ग्रंथ, कलिंग, मध्यदेशी एवं पश्चिमी लिपि का विकास हुआ। इसी प्राचीन नागरी लिपि से पुनः कई आधुनिक भाषाओं— हिन्दी, गुजराती, मराठी एवं बंगला के लिए अलग-अलग लिपियाँ विकसित हुईं।

देवनागरी लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि। यह भारत और नेपाल की अनुगिड़ा वर्णमाला है। चूँकि नागरी लिपि देवभाषा 'संस्कृत' के लिए प्रयुक्त हुई है इसलिए नागरी के हिन्दी भाषा के व्यवहृत लिपि को 'देवनागरी' कहा गया। वर्ष 1950 के पश्चात् हिन्दी के लिए स्वीकृत देवनागरी लिपि को आंशिक परिवर्तन के साथ मराठी भाषा ने भी अपना लिया। इसका उपयोग हिन्दी, मराठी, नेपाली, पालि, कोंकणी, सिंधी, मैथिली सहित 120 से अधिक बोलियों/भाषाओं के लिए किया जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने एवं अपनाई जाने वाली लेखन प्रणालियों में से एक है। वर्तमान में 'देवनागरी लिपि' का उपयोग शास्त्रीय संस्कृत लेखन के लिए भी किया जाता है।

(12) गुरुमुखी लिपि— यह लिपि पंजाबी भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। यह ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित शारदा लिपि का परिवर्तित रूप है। सिक्खों के दूसरे गुरु 'गुरु अंगद देव' द्वारा इस लिपि का विकास किया गया। सिक्खों के पवित्र ग्रंथ 'गुरु ग्रंथ साहिब' की रचना इसी लिपि में की गई है। यह लिपि पंजाब राज्य के अलावा हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली आदि के कुछ हिस्सों में प्रचलित है।

ब्राह्मी लिपि के दक्षिणी शैली से उत्पन्न भारत की प्रमुख लिपियों का संक्षिप्त विवरण

(1) तेलुगू-कन्नड़ लिपि— ये ब्राह्मी लिपि की दक्षिण शैली से विकसित दो लिपियाँ हैं जिसमें काफी समानता है। ये दोनों लिपियाँ प्रारंभ में एक ही थीं। इस लिपि के प्राचीनतम अभिलेख हलेबीद-शिलालेख हैं जो पाँचवीं शताब्दी के हैं। 13वीं शताब्दी के बाद तेलुगू और कन्नड़ लिपियों का अलग-अलग स्वतंत्र विकास हुआ हालाँकि दोनों में अभी भी काफी समानताएँ हैं। तेलुगू लिपि में तेलुगू भाषा लिखी जाती है जो आंध्रप्रदेश व तेलंगाना की भाषा है। कन्नड़ लिपि में कन्नड़ भाषा लिखी जाती है जो कर्नाटक राज्य की भाषा है।

(2) तमिल— तमिल लिपि ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से विकसित लिपि है। इस लिपि का विकास ईसा की 7 वीं शताब्दी में हुआ। तमिल लिपि एवं ग्रंथ लिपि में काफी समानताएँ हैं।

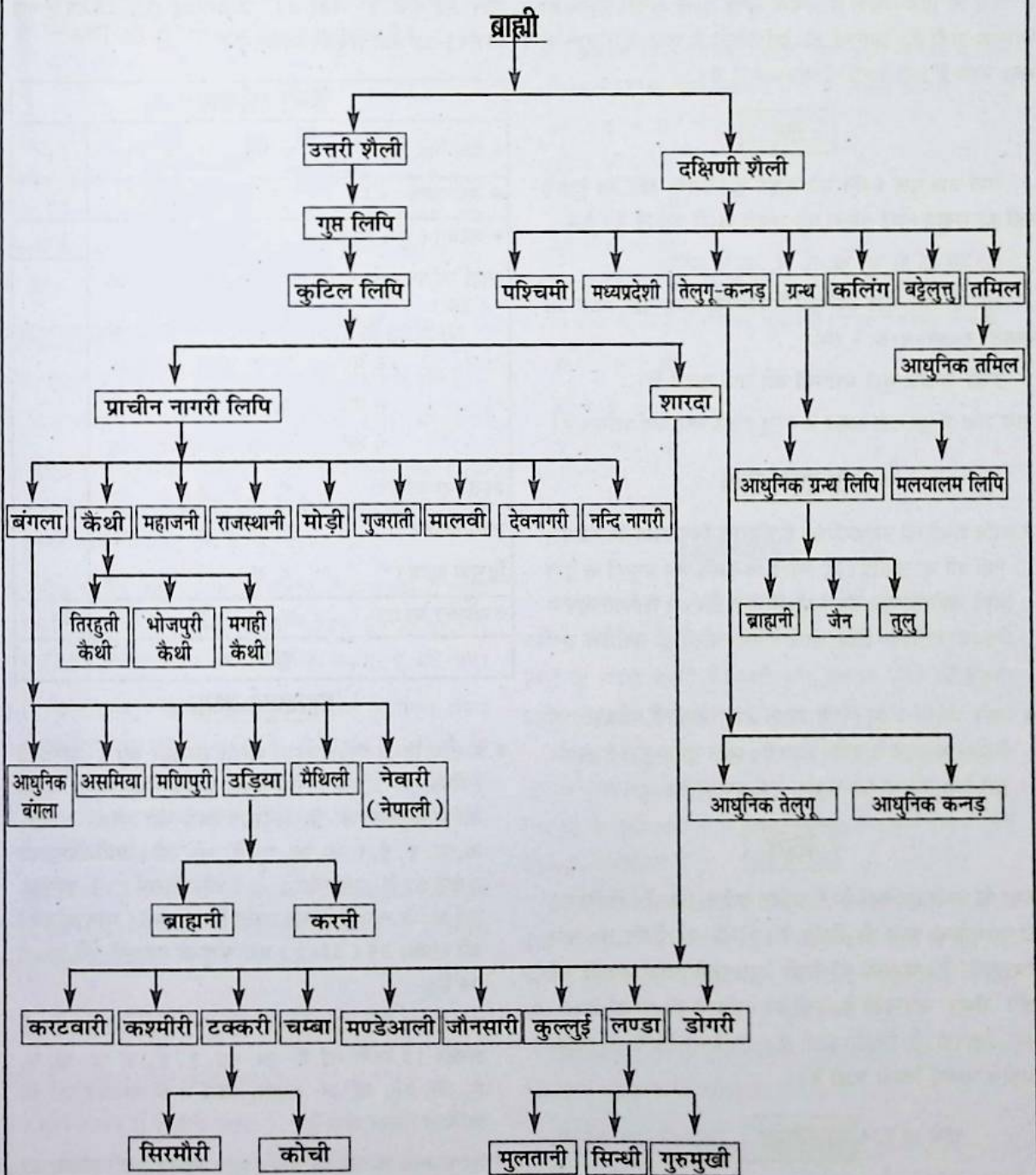
'तमिल लिपि' तमिल भाषा की लिपि है जो तमिलनाडु में बोली जाती है।

(3) मलयालम— यह ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से विकसित ग्रंथ लिपि का परिष्कृत रूप है। मलयालम भाषा मलयालम लिपि में लिखी जाती है। मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं की लिपियाँ

क्र.	भाषा	लिपि
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी
3.	कोंकणी	देवनागरी
4.	डोगरी	देवनागरी
5.	नेपाली	देवनागरी
6.	बोडो	देवनागरी
7.	मराठी	देवनागरी
8.	मैथिली	तिरहुता/ देवनागरी
9.	संथाली	ओलचिकि/देवनागरी
10.	गुजराती	गुजराती/देवनागरी
11.	कश्मीरी	फारसी-अरबी/शारदा/ देवनागरी
12.	सिंधी	फारसी-अरबी/ देवनागरी
13.	असमिया	असमिया
14.	ओड़िया	ओड़िया
15.	उर्दू	फारसी-अरबी
16.	कन्नड़	कन्नड़
17.	तमिल	तमिल
18.	तेलुगू	तेलुगू
19.	पंजाबी	गुरुमुखी
20.	बंगला	बंगला
21.	मणिपुरी	मैतेई
22.	मलयालम	मलयालम

ब्राह्मी लिपि एक विहंगावलोकन (ब्राह्मी से उद्भूत प्रमुख भारतीय लिपियाँ)



वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध

हम जो कुछ बोलते हैं अथवा सुनते हैं, वे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। ध्वनियाँ ही वर्ण बनती हैं वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं तथा शब्दों से वाक्य बनते हैं।

वर्ण

वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते। यह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे-

अ, आ, इ, ई, क्, ख्, ग्, च्, छ्, ज् आदि।

राम में चार मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किये जा सकते। र्+आ+म्+अ = राम

इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं।

राम शब्द में कुल दो अक्षर हैं परन्तु इसमें चार वर्ण शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

- ध्वनि शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती। अ, आ, इ, ई आदि जब मनुष्यों के द्वारा बोले जाते हैं, तब यह ध्वनियाँ होती हैं। इसे लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए ध्वनि चिन्ह बनाते हैं-तब इसे वर्ण कहते हैं।
- ध्वनि बोलने व सुनने के लिए प्रयोग होती है, जबकि वर्ण लिखने व पढ़ने में प्रयोग होता है। ध्वनि दृष्टव्य नहीं है अर्थात् उसे देख नहीं सकते जबकि वर्ण दृष्टव्य है।

लिपि

भाषा के सभी ध्वनियों के निर्धारित प्रतीक चिन्हों (लिखित) का सामूहिक रूप ही लिपि है। हिन्दी की लिपि का नाम 'देवनागरी' है। पंजाबी की लिपि 'गुरुमुखी' और अंग्रेजी की लिपि 'रोमन' कहलाती है। इसी प्रकार विश्व की भाषाएँ भिन्न-भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। देवनागरी-लिपि में अनेक भारतीय भाषाएँ लिखी जाती हैं।

वर्णमाला

वर्णों के क्रमिक/व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। हिन्दी भाषा में

कुल 52 वर्ण हैं- स्वर-11, अयोगवाह-02, व्यंजन (मूल व्यंजन)-35 तथा संयुक्त व्यंजन-04

हिन्दी वर्णमाला	
● स्वर- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ	11
● अयोगवाह- अं (--) = अनुस्वार, अः (:) = विसर्ग	02
● व्यंजन (मूल व्यंजन) (33+2)	35
स्पर्श व्यंजन क वर्ग : क, ख, ग, घ, ङ 05 (25) च वर्ग : च, छ, ज, झ, ञ 05 ट वर्ग : ट, ठ, ड, ढ, ण 05 त वर्ग : त, थ, द, ध, न 05 प वर्ग : प, फ, ब, भ, म 05	
अन्तःस्थ व्यंजन : य, र, ल, व 04	
ऊष्म व्यंजन : श, ष, स, ह 04	
द्विगुण व्यंजन* : ङ, ढ 02	
● संयुक्त व्यंजन : क्ष, त्र, ज्ञ, श्र 04	
कुल वर्ण	52

महत्वपूर्ण तथ्य

- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार की ई-पुस्तिका (संस्करण-2019) 'देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण' के अनुसार स्वरों की संख्या-11 है- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। अयोगवाह की संख्या 02 है- अनुस्वार (--) और विसर्ग (:), इसे अं, एवं अः के रूप में लिखा जाता है। व्यंजनों (मूल व्यंजन) की संख्या 35 (33+2) एवं संयुक्त व्यंजनों की संख्या 04 हैं।
- परम्परागत रूप या लेखन की दृष्टिकोण से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः अर्थात् स्वरों में अयोगवाह को भी शामिल किया गया है।
- * परम्परागत रूप से व्यंजनों (मूल व्यंजन) की संख्या 33 मानी गई है। जिसमें द्विगुण व्यंजन 02-ङ, ढ को शामिल नहीं किया गया था, परन्तु वर्तमान में केन्द्रीय हिन्दी

निदेशालय द्वारा द्विगुण व्यंजन 02- ड, ढ को व्यंजनों (मूल व्यंजन) में शामिल कर लिया गया है। इस तरह व्यंजनों (मूल व्यंजन) की कुल संख्या 35 (33+2) हो गई है।

● व्यंजन वर्णों को ही 'मूल व्यंजन' कहा जाता है।

स्वर

स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिसका उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है अर्थात् जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। मानक रूप में स्वरों की संख्या 11 है- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

मात्रा/उच्चारण समय के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण

मात्रा/उच्चारण समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं-

(i) ह्रस्व या लघु स्वर, (ii) दीर्घ या गुरु स्वर, (iii) प्लुत स्वर

(i) ह्रस्व या लघु स्वर- जिनके उच्चारण में कम समय (एक मात्रा का समय) लगता है, उसे ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 04 है- अ, इ, उ, ऋ।

(ii) दीर्घ या गुरु स्वर- जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय (दो मात्रा का समय) लगता है, उसे दीर्घ या गुरु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 07 है- आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ।

(iii) प्लुत स्वर- जिनके उच्चारण में ह्रस्व से तिगुना समय (तीन मात्रा का समय) लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। किसी को देर तक पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग होता है। इसके लिए ऽ चिह्न का प्रयोग करते हैं। जैसे- राऽऽऽम।

वैदिक मंत्रों के उच्चारण में प्लुत स्वर सामान्यतया त्रिमात्रिक होता है तब वहाँ इसे लिखने के लिए तीन के अंक (3) का प्रयोग होता है जैसे-ओ३म्।

उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के भेद

उत्पत्ति के अनुसार स्वरों के दो भेद हैं-

(i) मूल स्वर (ii) संधि स्वर

(i) मूल स्वर- अ, इ, उ, ऋ ये चार मूल स्वर हैं। चूँकि इनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से नहीं होती है और इनका परस्पर मेल नहीं होता है, अतः इन्हें मूल स्वर कहते हैं।

(ii) संधि स्वर- जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है और जिनका परस्पर मेल होता है, उन्हें संधि स्वर कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं-

(क) संयुक्त स्वर- जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों के मेल से होती है, उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या चार है-

अ + इ = ए

आ + ए = ऐ

अ + उ = ओ

आ + ओ = औ

(ख) दीर्घ स्वर- जिनकी उत्पत्ति उसी वर्ण में उसी वर्ण के मेल से होती है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या तीन है-

अ + अ = आ

इ + इ = ई

उ + उ = ऊ

अयोगवाह

अनुस्वार (-) और विसर्ग (:) को अयोगवाह माना गया है क्योंकि ये दोनों न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन। ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। जैसे- अंगूर (स्वर), रंग (व्यंजन)।

चूँकि इन दोनों का जातीय योग न तो स्वर के साथ होता है और न ही व्यंजन के साथ, इसीलिए इन्हें अयोग कहा गया है, फिर भी ये अर्थ ग्रहण करते हैं या अर्थ का निर्वाह (वाह) करते हैं, अतः अयोगवाह हैं।

पं किशोरीदास बाजपेयी के अनुसार- 'इनकी स्वतंत्र गति नहीं इसलिए ये स्वर नहीं हैं और व्यंजन की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात् आते हैं इसलिए ये व्यंजन भी नहीं हैं। दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन में जो-जो गुण हैं, वे गुण इनमें नहीं हैं।'

अयोगवाह स्वर के बाद आते हैं, और व्यंजन स्वर के पहले। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है-

व्यंजन-स्वर के पहले

अयोगवाह-स्वर के बाद

ग+अ=ग

ग+अ + - = गं

म्+अ=म

म्+अ + : = मः

अनुस्वार (ँ-ँ) - अनुस्वार का चिह्न शिरोरेख के ऊपर बिंदु (ँ-ँ) है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। यह स्वर के बाद आने वाली व्यंजनवत् ध्वनि है। जैसे-बंदर, कंधा, शंभू, दंत, कंठ।

विसर्ग (ः) - यह भी अनुस्वार की भांति स्वर के बाद आता है और व्यंजन की तरह उच्चारित होता है। इसके उच्चारण में 'ह' की ध्वनि होती है। यह कंठ से बोला जाता है जैसे-प्रातः-प्रातह, नमः-नमह।

अनुनासिक (ँ) - यदि स्वरों का उच्चारण मुख और नाक (नासिका) से किया जाय और उसमें लघुता/कोमलता हो तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका चिह्न चंद्रबिन्दु (ँ) होता है। अनुनासिक स्वर की गिनती वर्ण में नहीं होती है। जैसे-

चाँद = च् + औ + द

पूँछ = प + ऊँ + छ

हँसना = ह् + अँ + स + ना

व्यंजन (मूल व्यंजन)

परिभाषा - जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों को ही 'मूल व्यंजन' कहा जाता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में 'अ' की ध्वनि छिपी रहती है। 'अ' के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित होते हैं। जैसे-

क् + अ = क

ख् + अ = ख

मानक रूप में व्यंजन (मूल व्यंजन) की कुल संख्या 35 (33+2) है- स्पर्श व्यंजन 25, अन्तःस्थ व्यंजन 04, ऊष्म व्यंजन 04 और द्विगुण व्यंजन 02 हैं।

(अ) स्पर्श व्यंजन - जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा(तालु का ऊपरी भाग), ओंठ, दाँत आदि के स्पर्श से बोले जाते हैं, उन्हें स्पर्श व्यंजन या स्पर्शा कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 'वर्गीय व्यंजन' भी कहते हैं, क्योंकि ये पाँच वर्गों में बाँटे हुए हैं। प्रत्येक वर्ग का नामकरण उनके प्रथम वर्ण के आधार पर किया गया है।

क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग

वर्ग	वर्ण	उच्चारण स्थान	वर्ण-नाम
क वर्ग	क, ख, ग, घ, ङ	कंठ	कंठ्य
च वर्ग	च, छ, ज, झ, ञ	तालु	तालव्य
ट वर्ग	ट, ठ, ड, ढ, ण	मूर्धा	मूर्धन्य
त वर्ग	त, थ, द, ध, न	दाँत	दंत्य
प वर्ग	प, फ, ब, भ, म	ओष्ठ	ओष्ठ्य

(ब) अन्तःस्थ व्यंजन - हिन्दी व्यंजन ध्वनियों में चार अंतःस्थ व्यंजन हैं-य, र, ल, व। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दाँत और ओंठों को परस्पर सटाना पड़ता है, किन्तु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अन्तःस्थ व्यंजन 'अर्द्धस्वर' भी कहलाते हैं।

(स) ऊष्म व्यंजन - श, ष, स और ह ऊष्म व्यंजन हैं। इनका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म (गरम) वायु से होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है।

(द) द्विगुण व्यंजन - ड और ढ द्विगुण व्यंजन हैं। जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में स्पर्श कराने से ड और ढ (द्विस्पृष्ट व्यंजनों) का उच्चारण होता है। डॉ. हरदेव बाहरी ने इन्हें 'उत्क्षिप्त व्यंजन' कहा है। ये ट-वर्गीय व्यंजन ड और ढ के नीचे बिंदु लगने से बनते हैं। शब्दों में इनका प्रयोग बीच में या अंत में होता है। शब्दों के शुरुआत में द्विगुण व्यंजनों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे-

शब्दों के बीच में- पढ़ना, ओढ़ना, लड़का, सड़क आदि।

शब्दों के अंत में- बाढ़, आपाढ़, कड़ी, हथकड़ी आदि।

संयुक्त व्यंजन

क्ष, त्र, ज्ञ और श्र को हिन्दी वर्णमाला में स्थान दिया गया है, लेकिन ये मूल व्यंजन नहीं हैं। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से हुई है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर कहते हैं। ये स्वतंत्र व्यंजन नहीं हैं। जैसे-

● क् + ष = क्ष

● त् + र = त्र

● ज् + ञ = ज्ञ

● श् + र = श्र

महत्वपूर्ण तथ्य

(अ) हल चिह्न - हिंदी के सभी स्वर अक्षर हैं। ये स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं किंतु मूल व्यंजन स्वर रहित होते हैं। इसलिए इनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। इन्हें उच्चारण योग्य बनाने के लिए इनमें 'अ' या अन्य किसी स्वर को मिलाना पड़ता है। जैसे- क्+अ=क। यदि 'क्' को अपने मूल रूप में दिखाना हो तो उसे हल चिह्न के साथ दिखाना होता है। अतः हल चिह्न स्वर रहित होने का चिह्न है।

कभी-कभी बिना स्वर के केवल व्यंजन लिखना पड़ता है। इसके लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं। एक व्यवस्था यह है कि स्वररहित व्यंजन दिखाने के लिए उस व्यंजन के नीचे हल चिह्न () लगा दिया जाए।

जैसे-क्, च्, ट्, त्, प्।

दूसरी व्यवस्था व्यंजन को अर्धअक्षर के रूप में लिखना है जैसे क्, र्, ङ्, व्, ल् आदि।

(ब) संख्या चिह्न- मानक वर्णमाला में अंकों के लिए प्राचीन भारतीय अंकों का आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानक रूप प्रयुक्त होता है।

जैसे-

देवनागरी अंक 0 १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

मानक अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

(स) वर्णों की मात्राएँ- व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिह्नों का व्यवहार होता है, उन्हें मात्राएँ कहते हैं। ये मात्राएँ दस हैं। जैसे- ा (आ), ि (इ), ि (ई), उ (उ), ू (ऊ), ृ (ऋ), ॄ (ॠ), ए (ए), ऐ (ऐ), ओ (ओ), औ (औ)

ये मात्राएँ केवल व्यंजनों में लगती हैं। जैसे-का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ। व्यंजनों में लगने पर स्वर उपर्युक्त दस रूपों के हो जाते हैं।

(द) पंचमाक्षर और अनुस्वार-हिन्दी में अनुनासिक वर्णों की संख्या पाँच है- ङ, ज, ण, न और म। ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। संस्कृत के नियमानुसार शब्द का अंतिम अक्षर जिस वर्ग का हो, उसके पहले उसी वर्ग का पंचमाक्षर प्रयुक्त हो सकता है अन्य वर्ग का नहीं।

ये जब अपने वर्ग के व्यंजन से हल् रूप में जुड़ते हैं, तब लेखन सुविधा हेतु इन्हें अनुस्वार (ँ) में बदल दिया जाता है। जैसे-

क वर्ग के साथ (ङ्)- अङ्क/अङ्क=अंक। पङ्ख/पङ्ख=पंख।

अङ्ग/अङ्ग=अंग। जङ्घा/जङ्घा=जंघा।

च वर्ग के साथ (ञ्)- पञ्च=पंच। पञ्छी=पंछी। झञ्झट=झंझट।

ट वर्ग के साथ (ण्)- घण्टा=घंटा। कण्ठ=कंठ। दण्ड=दंड।

ढण्ढार=ढंढार।

त वर्ग के साथ (न्)- हिन्दी=हिंदी। पन्त=पंत। पन्थ=पंथ। बन्द=बंद।

अन्धा=अंधा।

प वर्ग के साथ (म्)- कम्प=कंप। जम्फर=जंफर। अम्बा=अंबा।

दम्भ=दंभ।

लिखाई, छपाई और टंकन में अनुस्वार का प्रयोग सुविधाजनक है इसीलिए यह ज्यादा प्रचलित एवं मान्य है।

दो पंचमाक्षर एक साथ अपने मूल रूप में ही आते हैं। जैसे-

अक्षुण्ण, निम्न, अन्न, चम्मच, जन्म, मरम्मत

जिन शब्दों के पहले सम् उपसर्ग लगता है, वहाँ म् के बदले अनुस्वार का प्रयोग होता है।

सम् + यम = संयम, सम् + रक्षण = संरक्षण,

सम् + लाप = संलाप, सम् + वाद = संवाद,

सम् + शय = संशय, सम् + सार = संसार

घोष और अघोष

संपूर्ण स्वर और व्यंजन वर्णों को स्वरतंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में बाँटा गया है-

(1) घोष या सघोष और (2) अघोष

(1) घोष (सघोष)- जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। जैसे-

(1) सभी स्वर

(2) प्रत्येक वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम तथा

(3) अंतःस्थ और ह।

इन्हें घेरे के अंदर दिखलाया गया है-

सभी स्वर -

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

घोष/सघोष

(अ) स्पर्श व्यंजन

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म

(ब) अन्तःस्थ व्यंजन

य र ल व

(स) ऊष्म व्यंजन

श ष स ह

(2) अघोष- जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरतंत्रियों में कंपन नहीं होता है, उन्हें अघोष कहते हैं। जैसे-

(1) प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय

(2) श, ष और स।

इन्हें घेरे के अंदर दिखलाया गया है-

अघोष

(अ) स्पर्श व्यंजन

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म

(ब) अन्तःस्थ व्यंजन

य र ल व

(स) ऊष्म व्यंजन

श ष स ह

अल्पप्राण और महाप्राण

श्वास-वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद हैं-

(1) अल्पप्राण (2) महाप्राण

(1) अल्पप्राण- जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास (प्राण) वायु की मात्रा कम (अल्प) होती है, उन्हें अल्पप्राण वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में 'हकार' की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती है, उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। ये हैं-

(1) प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण तथा

(2) अंतःस्थ व्यंजन।

इन्हें घेरे के अंदर दिखलाया गया है-

अल्प प्राण

(अ) स्पर्श व्यंजन

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म

(ब) अन्तःस्थ व्यंजन

य	र	ल	व
---	---	---	---

(स) ऊष्म व्यंजन

श	ष	स	ह
---	---	---	---

(2) महाप्राण- जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास-वायु की मात्रा अधिक होती है, अर्थात् जिनके उच्चारण में 'हकार' की ध्वनि सुनाई पड़ती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। ये हैं-

(1) प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा (2) ऊष्म व्यंजन। इन्हें घेरे के अंदर दिखलाया गया है-

महाप्राण

(अ) स्पर्श व्यंजन

प्रथम	द्वितीय	तृतीय	चतुर्थ	पंचम
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	ड	ढ	ण
त	थ	द	ध	न
प	फ	ब	भ	म

(ब) अन्तःस्थ व्यंजन

य	र	ल	व
---	---	---	---

(स) ऊष्म व्यंजन

श	ष	स	ह
---	---	---	---

वर्णों के उच्चारण स्थान

किसी भी वर्ण के उच्चारण के लिए मुख के विभिन्न भागों का सहारा लेना पड़ता है। मुख के जिस भाग (अवयव) से वर्ण का उच्चारण किया जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण-स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान मुख्यतः छः हैं-

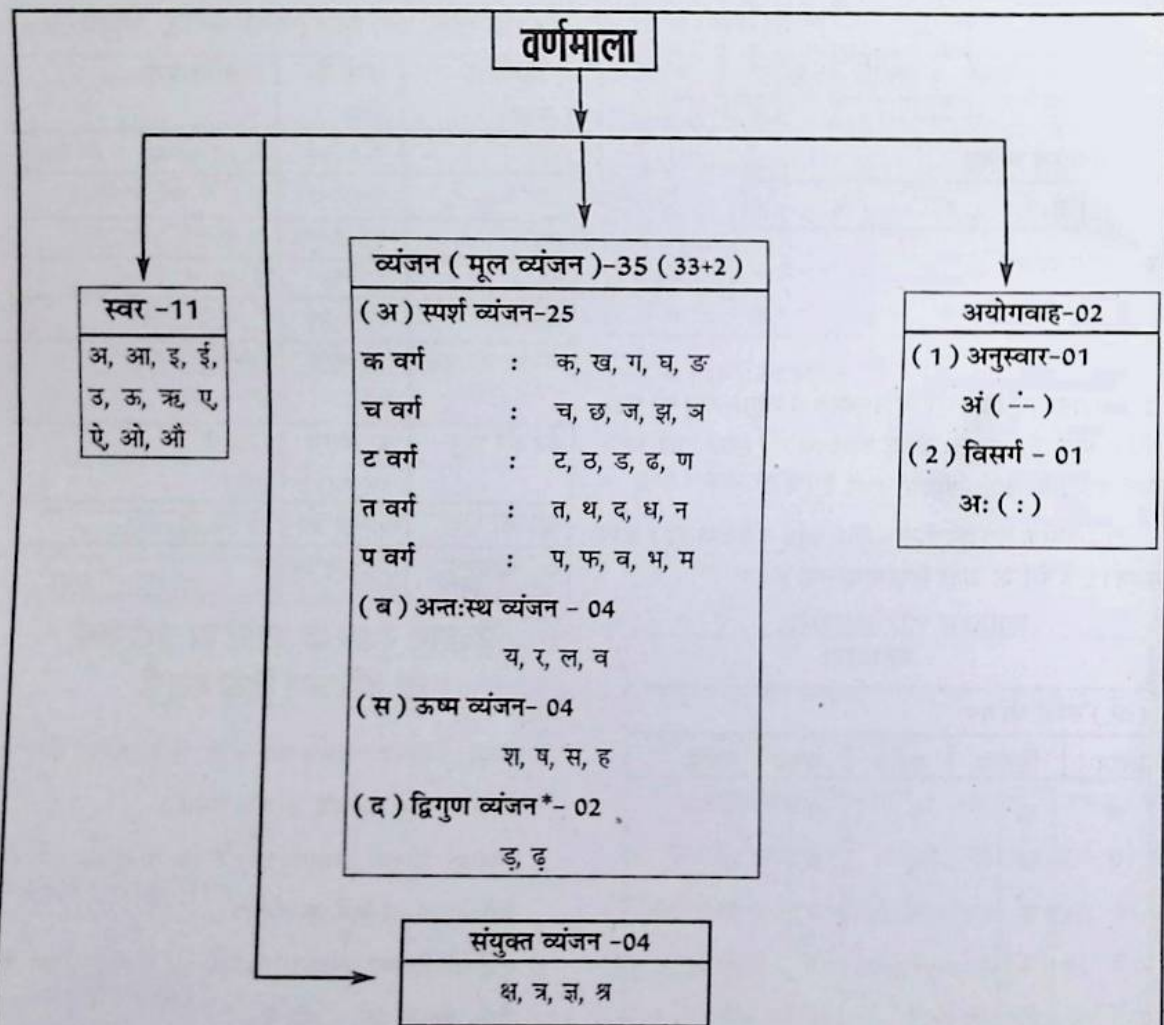
- (1) कंठ (2) तालु (3) मूर्द्धा (तालु का ऊपरी भाग)
(4) दंत (दाँत) (5) ओष्ठ (ओँठ) और (6) नासिका (नाक)

उच्चारण स्थान	वर्णों के नाम	उच्चरित वर्ण
कंठ	कंठ्य वर्ण	अ, आ, क-वर्ग, ह और विसर्ग
तालु	तालव्य वर्ण	इ, ई, च-वर्ग, य और श
मूर्द्धा	मूर्द्धन्य वर्ण	ऋ, ट-वर्ग, र और ष
दंत	दंत्य वर्ण	त-वर्ग, ल और स
ओष्ठ	ओष्ठ्य वर्ण	उ, ऊ और प-वर्ग
नासिका और मुख	अनुनासिक वर्ण	पंचमाक्षर, अनुस्वार और चन्द्रबिंदु
कंठ और तालु	कंठ-तालव्य वर्ण	ए तथा ऐ
कंठ और ओष्ठ	कंठोष्ठ्य वर्ण	ओ तथा औ
दंत और ओष्ठ	दंतोष्ठ्य वर्ण	व

उच्चारण स्थान के आधार पर सभी वर्णों का वर्गीकरण किया गया है

- कंठ्य- जिनका उच्चारण कंठ से हो, वे कंठ्य वर्ण हैं।
जैसे- अ, आ, क-वर्ग, ह और विसर्ग।
- तालव्य- जिनका उच्चारण तालु से हो, वे तालव्य वर्ण हैं।
जैसे- इ, ई, च-वर्ग, य और श।
- मूर्द्धन्य- जिनका उच्चारण मूर्द्धा से हो, वे मूर्द्धन्य वर्ण हैं।
जैसे- ऋ, ट-वर्ग, र और ष।
- दंत्य- जिनका उच्चारण दाँत से हो, वे दंत्य वर्ण हैं।
जैसे- त-वर्ग, ल और स।
- ओष्ठ्य- जिनका उच्चारण ओँठ से हो, वे ओष्ठ्य वर्ण हैं।
जैसे- उ, ऊ और प-वर्ग।

6. अनुनासिक- जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो, वे अनुनासिक वर्ण हैं। जैसे- पंचमाक्षर (ङ, ञ, ण, न, म), अनुस्वार और चन्द्रबिंदु।
7. कंठ-तालव्य- जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो, वे कंठ-तालव्य वर्ण हैं। जैसे- ए तथा ऐ।
8. कंठोष्ठ्य- जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो, वे कंठोष्ठ्य वर्ण हैं। जैसे- ओ तथा औ।
9. दंतोष्ठ्य- जिसका उच्चारण दंत और ओष्ठ से हो, वह दंतोष्ठ्य वर्ण है। जैसे- व।



* परम्परागत रूप से व्यंजनों (मूल व्यंजन) की संख्या 33 मानी गई है। जिसमें द्विगुण व्यंजन 02-ड़, ढ़ को शामिल नहीं किया गया था, परन्तु वर्तमान में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा द्विगुण व्यंजन 02- ङ, ढ को व्यंजनों (मूल व्यंजन) में शामिल कर लिया गया है। इस तरह व्यंजनों (मूल व्यंजन) की कुल संख्या 35 (33+2) हो गई है।

स्वरो के अन्य भेद

स्वरो का वर्गीकरण मुख्य रूप से 'मात्रा/उच्चारण समय के आधार पर' एवं 'उत्पत्ति के अनुसार' किया जाता है, परंतु इसके अलावा भी स्वरो को अन्य आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है-

1. मुँह के खुलने के आधार पर
2. अनुनासिकता के आधार पर
3. जिह्वा (जीभ) के प्रयोग के आधार पर
4. ओष्ठाकृति के आधार पर
5. जाति के आधार पर
6. उच्चारण स्थान के आधार पर

1. मुँह के खुलने के आधार पर-

इस आधार पर स्वरो के चार भेद होते हैं-

(क) विवृत (Open) स्वर- जिस स्वर के उच्चारण में मुँह सबसे अधिक लगभग पूरा खुलता है, वे विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर हैं-

आ

(ख) संवृत (Close) स्वर- जिन स्वरो के उच्चारण में मुँह सबसे कम खुलता है अर्थात् लगभग बन्द-सा रहता है, वे संवृत स्वर कहलाते हैं। संवृत स्वर हैं-

इ ई उ ऊ

(ग) अर्ध विवृत (Half Open) स्वर- जिन स्वरो के उच्चारण में मुँह विवृत की तुलना में थोड़ा कम खुलता है अर्थात् मुँह आधे से ज्यादा खुलता है, वे अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध विवृत स्वर हैं-

अ ऐ औ

(घ) अर्ध संवृत (Half Close) स्वर- जिन स्वरो के उच्चारण में मुँह संवृत की तुलना में थोड़ा ज्यादा खुलता है अर्थात् मुँह आधे से भी कम खुलता है वे अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं। अर्ध संवृत स्वर हैं-

ए ओ

2. अनुनासिकता के आधार पर-

स्वरो के उच्चारण में हवा के मुँह व नाक से निकलने के आधार पर स्वरो के दो भेद हैं-

(क) निरनुनासिक स्वर- वे स्वर जो केवल मुख से उच्चरित होते हैं अर्थात् जिन स्वरो के उच्चारण में हवा केवल मुँह से निकलती है, निरनुनासिक स्वर कहलाते हैं। निरनुनासिक स्वर हैं-

अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ

(ख) अनुनासिक स्वर- जिन स्वरो का उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है अर्थात् जिन स्वरो के उच्चारण में हवा मुँह के साथ-साथ नाक से भी निकलती है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं। इसको लिखने के लिए शिरोरेखा के उपर चंद्रबिंदु (ँ) का प्रयोग होता है, परन्तु यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी हो तो चंद्रबिंदु के स्थान पर केवल बिन्दु लगा दिया जाता है। अनुनासिक स्वर हैं-

अँ आँ ईँ ईँ उँ ऊँ एँ ऐँ ओँ औँ

नोट- अँ, आँ, ईँ, उँ, ऊँ, एँ में तो चंद्रबिंदु अपनी मूल स्थिति में आया है, परन्तु यदि शिरोरेखा के उपर पहले से ही मात्रा हो तो दुविधा की स्थिति से बचने के लिए चंद्रबिंदु के स्थान पर मात्र बिन्दु लगाया जाता है। जैसे-

ईँ	ँ	→	ई
ऐँ	ँ	→	ऐ
ओँ	ँ	→	ओं
औँ	ँ	→	ओं

3. जिह्वा (जीभ) के प्रयोग के आधार पर-

स्वरो के उच्चारण में जिह्वा (जीभ) की सक्रियता के आधार पर स्वरो के तीन भेद हैं-

(क) अग्र स्वर- जिन स्वरो के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग (अग्रभाग) ऊपर-नीचे उठता है, वे अग्र स्वर कहे जाते हैं। अग्र स्वर हैं-

इ ई ए ऐ

(ख) मध्य स्वर - जिस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा-सा ऊपर उठता है, उसे मध्य स्वर कहते हैं। इसे केन्द्रीय स्वर भी कहा जाता है। मध्य स्वर हैं-

अ

(ग) पश्च स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग (पश्च भाग) सामान्य स्थिति से ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। पश्च स्वर हैं-

आ उ ऊ ओ औ

4. ओष्ठाकृति के आधार पर-

स्वरों के उच्चारण करते समय ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं-

(क) वृत्मुखी स्वर- वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात् वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, वे वृत्मुखी स्वर कहे जाते हैं। वृत्मुखी स्वर हैं-

उ ऊ ओ औ

(ख) अवृत्मुखी स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ गोलाकार न होकर किसी अन्य आकार के होते हैं, वे अवृत्मुखी स्वर कहे जाते हैं। अवृत्मुखी स्वर हैं-

अ आ इ ई ए ऐ

5. जाति के आधार पर-

जाति के आधार पर स्वरों के दो भेद हैं-

(क) सवर्ण स्वर- जिन स्वरों का उच्चारण समान स्थान और समान प्रयत्न से होता है, वे सवर्ण या सजातीय स्वर कहे जाते हैं। सवर्ण स्वर हैं-

अ, आ इ, ई उ, ऊ

नोट-

• 'अ' मूल स्वर है जिससे 'आ' उत्पन्न हुआ है। (अ+अ=आ)
इसलिए अ, आ सजातीय स्वर हैं।

• 'इ' मूल स्वर है जिससे 'ई' उत्पन्न हुआ है। (इ+इ=ई)
इसलिए इ, ई, सजातीय स्वर हैं।

• 'उ' मूल स्वर है जिससे 'ऊ' उत्पन्न हुआ है। (उ+उ=ऊ)
इसलिए उ, ऊ सजातीय स्वर हैं।

(ख) असवर्ण स्वर- जिन स्वरों का उच्चारण अलग-अलग स्थानों तथा असमान प्रयत्नों से होता है; वे असवर्ण या विजातीय स्वर कहे जाते हैं। असवर्ण स्वर हैं-

ए, ऐ ओ, औ

नोट- ए, ऐ और ओ, औ संयुक्त स्वरों में परस्पर सर्वणता नहीं है क्योंकि ये असवर्ण स्वरों से उत्पन्न हुए हैं।

• अ + इ (परस्पर असवर्ण) = ए

• आ + ए (परस्पर असवर्ण) = ऐ

• अ + उ (परस्पर असवर्ण) = ओ

• आ + ओ (परस्पर असवर्ण) = औ

6. उच्चारण स्थान के आधार पर-

मुख के जिस भाग (अवयव) से स्वर का उच्चारण किया जाता है, वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के छः भेद हैं-

(क) कंठ्य स्वर - जिन स्वरों का उच्चारण कंठ से होता है, वे कंठ्य स्वर कहलाते हैं। कंठ्य स्वर हैं-

अ आ

(ख) तालव्य स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि तालु से आती हुई प्रतीत होती है, वे तालव्य स्वर हैं- तालव्य स्वर हैं-

इ ई

नोट- 'तालु' मुँह के अंदर का वह उपरी भाग है जो उपर वाले दाँतों की पंक्ति और गले के कौए तक विस्तृत रहता है।

(ग) ओष्ठ्य स्वर- जिन स्वरों के उच्चारण में ध्वनि ओंठ (ओष्ठ) से आती हुई प्रतीत होती है, वे ओष्ठ्य स्वर कहलाते हैं। ओष्ठ्य स्वर हैं-

उ ऊ

(घ) मूर्धन्य स्वर- जिस स्वर का उच्चारण मूर्धा से हो, उसे मूर्धन्य स्वर कहते हैं। मूर्धन्य स्वर हैं-

ऋ

(च) कंठ-तालव्य स्वर- जिस स्वर का उच्चारण कंठ और तालु से हो, वे कंठ-तालव्य स्वर कहे जाते हैं। कंठ-तालव्य स्वर हैं-

ए ऐ

(छ) कंठोष्ठ्य स्वर- जिस स्वर का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से हो, वे कंठोष्ठ्य स्वर कहे जाते हैं। कंठोष्ठ्य स्वर हैं-

ओ औ

स्वर वर्गीकरण तालिका			
स्वर	मुँह का खुलना	जिह्वा का प्रयोग	उच्चारण काल
अ	अर्द्ध विवृत	मध्य	ह्रस्व स्वर
आ	विवृत	पश्च	दीर्घ स्वर
इ	संवृत	अग्र	ह्रस्व स्वर
ई	संवृत	अग्र	दीर्घ स्वर
उ	संवृत	पश्च	ह्रस्व स्वर
ऊ	संवृत	पश्च	दीर्घ स्वर
ऋ	संवृत	पश्च	ह्रस्व स्वर
ए	अर्द्ध संवृत	अग्र	संयुक्त स्वर
ऐ	अर्द्ध विवृत	अग्र	संयुक्त स्वर
ओ	अर्द्ध संवृत	पश्च	संयुक्त स्वर
औ	अर्द्ध विवृत	पश्च	संयुक्त स्वर

इसे भी जानें -

- हिन्दी और संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
- हिन्दी में स्वरों की संख्या 11 है- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।
- संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 है, क्योंकि संस्कृत में 'ऋ' एवं 'लृ' की गिनती स्वरों में होती है।

● हिन्दी में 'ऋ' का वर्तमान उच्चारण- र्+इ= 'रि' होने लगा है, जिसके कारण उच्चारण करते समय जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है अतः हिन्दी में यह शुद्ध स्वर नहीं है, इसीलिए हिन्दी में शुद्ध स्वरों की संख्या 10 मानी जाती है।

● आगत ध्वनि 'ऑ' का प्रयोग अंग्रेजी माध्यम के अनेक शब्दों में हो रहा है जो देवनागरी लिपि में लिखे जा रहे हैं जैसे डॉक्टर। इस ध्वनि को 'आ' के साथ ही पश्च स्वर के अन्तर्गत रखा जा सकता है।

वर्ण विच्छेद (वर्ण विन्यास)

(Dissection of Alphabet)

किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग-अलग करके दर्शाने की प्रक्रिया को वर्ण-विच्छेद या वर्ण विन्यास कहा जाता है; जैसे-

राम	- र् + आ + म् + अ
कमल	- क् + अ + म् + अ + ल् + अ
भारतीय	- भ् + आ + र् + अ + त् + ई + य् + अ
योग्यता	- य् + ओ + ग् + य् + अ + त् + आ
विद्यालय	- व् + इ + द् + य् + आ + ल् + अ + य् + अ
अनजान	- अ + न् + अ + ज् + आ + न् + अ
आधार	- आ + ध् + आ + र् + अ
उपर्युक्त	- उ + प् + अ + र् + य् + उ + क् + त् + अ
उद्यम	- उ + द् + य् + अ + म् + अ
इतिहास	- इ + त् + इ + ह् + आ + स् + अ
धृतराष्ट्र	- ध् + ऋ + त् + अ + र् + आ + ष् + द् + र् + अ
स्वस्थ	- स् + व् + अ + स् + थ् + अ
रहीम	- र् + अ + ह् + ई + म् + अ
महाजन	- म् + ह् + आ + ज् + अ + न् + अ
आक्रमण	- आ + क् + र् + अ + म् + अ + ण् + अ
जलज	- ज् + अ + ल् + अ + ज् + अ
पंकज	- प् + अ + ङ् + क् + अ + ज् + अ
चश्मा	- च् + अ + श् + म् + आ
मेज	- म् + ए + ज् + अ
चारपाई	- च् + आ + र् + अ + प् + आ + ई
संचय	- स् + अ + ज् + च् + अ + य् + अ

ज्ञान	- ज् + ज् + आ + न् + अ
त्रिभुज	- त् + र् + इ + भ् + उ + ज् + अ
कक्षा	- क् + अ + क् + ष् + आ
श्रीमती	- श् + र् + ई + म् + अ + त् + ई
राष्ट्र	- र् + आ + ष् + ट् + र् + अ

वर्ण संयोग

वर्णों के परस्पर मेल को वर्ण संयोग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, शब्द के बिच्छेद किए गए वर्णों को मिलाकर पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है। इसे ही वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग की दो स्थितियाँ होती हैं-

1. व्यंजन का स्वर से संयोग
2. व्यंजन का व्यंजन से संयोग

1. व्यंजन का स्वर से संयोग- व्यंजनों का उच्चारण स्वरों के मेल के बिना नहीं हो पाता। व्यंजनों के साथ जब स्वरों को मिलाकर लिखा जाता है तो वह व्यंजन और स्वर का संयोग कहलाता है।

जैसे- क् + ए = के, क् + आ = का

स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं। जब किसी व्यंजन में स्वर न मिला हो, तो उसके नीचे हलन्त (ँ) चिह्न लगा देते हैं।

जैसे- क्, च्, ट्, त्, प्

2. व्यंजन और व्यंजन का संयोग- व्यंजन और व्यंजन के मेल से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। व्यंजन को व्यंजन से मिलाने के भी कुछ नियम हैं-

नियम 1 - जिन व्यंजनों के अंत में खड़ी रेखा होती है, उसे पाई कहते हैं। पाई वाले व्यंजन हैं- ख्, ग्, घ्, च्, ज्, झ्, ण्, त्, थ्, ध्, न्, प्, ब्, भ्, म्, य्, ल्, व्, श्, ष्, स्।

जब इन व्यंजनों को आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। जैसे-

ख् + य = ख्य (ख्याति)

ग् + य = ग्य (ग्यारह)

च् + च = च्च (वच्चा)

त् + य = त्य (सत्य)

म् + ल = म्ल (अम्ल)

स् + त = स्त (स्तुति)

नियम 2 - बिना पाई वाले व्यंजन ; जैसे- झ्, छ्, ट्, द्, ड्, ढ्, द्, ह जब किसी व्यंजन से मिलते हैं, तो इनमें हल्, चिह्न (हलन्त) लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखा जाता है या वह उसके साथ जुड़कर लगता है। जैसे-

ट् + ट = टट (लट्टू/लट्टू)

द् + ध = दध (शुद्ध/शुद्ध)

द + भ = दभ (अद्भुत/अद्भुत)

ह् + न = हन (चिह्न/चिह्न)

नियम 3 - 'क' और 'फ' वर्ण की पाई बीच में होती है। इसलिए दूसरे वर्णों के साथ संयुक्त करते हुए इन वर्णों की घुंड़ी का झुका भाग हटा दिया जाता है। जैसे-

क् + क = कक = पक्का

क् + त = कत = रक्त

क् + य = क्य = वाक्य

फ् + त = फत = दफ्तर

फ् + त = फत = हफ्ता

फ् + त = फत = रफ्तार

नियम 4 - व्यंजनों में 'र' के संयोग में सबसे अधिक अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। 'र' के संयोग से संबंधित प्रमुख नियमों का विवरण नीचे दिया जा रहा है-

(i) जब 'र' स्वर रहित (स्वर के बिना) होता है, जिसे 'रेफ' भी कहते हैं, तो यह अपने आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है। इस स्थिति में 'र' रेफ (ँ) बनकर अपने से बाद वाले अक्षर पर सवार हो जाता है। जैसे-

र् + क = कँ (अर्क, तर्क)

र् + ग = गँ (मार्ग, दुर्ग)

र् + ज = जँ (जर्जर, दुर्जन)

र् + त = तँ (नर्तकी, बर्तन)

र् + द = दँ (दर्द, मर्द)

र् + ध = धँ (निर्धन, धनुर्धर)

र् + प = पँ (अर्पण, दर्पण)

र् + ब = बँ (दुर्बल, निर्बल)

र् + म = मँ (कर्म, धर्म)

र् + य = यँ (आश्चर्य, तिर्यक)

र् + ल = लँ (दुर्लभ, निर्लज्ज)

र् + व = वँ (पर्वत, निर्वाह)

र + श = श (दर्शन, मार्शल)

र + ष = ष (वर्ष, हर्ष)

(ii) 'र' से पूर्व कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, तो 'र' उसके पैरों में (नीचे की ओर) लगाया जाता है तथा इसका रूप निम्नलिखित हो जाता है। जैसे-

क् + र = क्र (विक्रेता)

गृ + र = ग्र (संग्रहालय)

जृ + र = ज्र (वज्र)

तृ + र = त्र (पत्र)

दृ + र = द्र (समुद्र)

पृ + र = प्र (प्रकाश)

(iii) ट या ड के साथ 'र' नीचे () के रूप में जुड़ता है।

जैसे- ट + र = ट्र (ट्रक, ट्रेन)

ड + र = ड्र (ड्रम, ड्रेस)

(iv) श् के साथ 'र' का प्रयोग होने पर 'श्र' बन जाता है।

जैसे- श् + र = श्र (श्रम, श्री, श्रीमान, श्रेष्ठ)

(v) त् के बाद 'र' आने पर 'त्र' हो जाता है।

जैसे- त् + र = त्र (मित्र, पत्र)

(vi) स् के साथ 'र' का प्रयोग होने पर 'स्र' बन जाता है।

जैसे- स् + र = स्र (सहस्र, स्रोत)

ध्यान रखिए - स् + त्र = स्त्र के रूप में लिखा जाता है।

जैसे- शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र आदि।

'स्र' और 'स्त्र' के अंतर को जाने बिना सहस्र को सहस्त्र तथा स्रोत को स्त्रोत लिख देते हैं, जो अशुद्ध है।

(vii) 'र्' के साथ 'उ' तथा 'ऊ' की मात्राएँ बीच में लगती हैं।

जैसे- र् + उ = रु (रुपया)

र् + ऊ = रू (रूप)

इसे भी जानें-

रि - ऋ का अंतर

अक्सर ऋ (२-) को रि समझने की गलतियाँ देखने में आती हैं। लेकिन इनमें अंतर जानना आवश्यक है। ऋ स्वर है और इसकी मात्रा २- है; जबकि र् व्यंजन है, जिसमें इ की मात्रा लगाकर रि बनता है। देखिए २- = ऋ

● रि = र् + इ

'र' और 'ऋ' की मात्रा में अंतर

दो शब्द देखिए- ग्रह, गृह।

● 'ग्र' में ग् + र है।

● 'गृ' में ग् + ऋ है।

वर्ण विच्छेद द्वारा ऋ - रि का अंतर जानिए-

कृषक - क् + ऋ + ष् + अ + क् + अ

तृण - त् + ऋ + ण् + अ

हृदय - ह् + ऋ + द् + अ + य् + अ

रिपु - र् + इ + प् + उ

रियासत - र् + इ + य् + आ + स् + अ + त् + अ

सरिता - स् + अ + र् + इ + त् + आ

विशेष वर्ण

अर्ध व्यंजनों के लेखन-प्रयोग में भिन्नता के कारण भ्रम की स्थिति निर्मित होती है; अतएव विच्छेद की दृष्टि से कुछ अर्धव्यंजनों के शब्दों में प्रयोग के उदाहरण यहाँ दिए जा रहे हैं-

व्यंजन	विच्छेद	वर्ण प्रयोग
द्य/द्य	द् + य	विद्या-विदया, विद्युत-विद्युत, विद्यमान-विद्यमान
द्व/द्व	द् + व	द्वंद्व-द्वंद्व, द्वारा-द्वारा, द्वितीय-द्वितीय
द्ध/द्ध	द् + ध	सिद्ध-सिद्ध, वृद्ध-वृद्ध, कुद्ध-कुद्ध
द्य/दम्	द् + म	पद्य-पद्य, छद्य-छद्य
द्र	द् + र	द्रव्य, दरिद्र
द्व/द्व	द् + द	रद्द-रद्द, भद्दा-भद्दा
त्त/त्त	त् + त	वृत्त-वृत्त, उत्तर-उत्तर
क्त/क्त	क् + त	रक्त-रक्त, भक्त-भक्त
प्र	प् + र	प्रमोद, प्रथम
क्र	क् + र	क्रम, क्रोध
कृ	क् + ऋ	कृपा, कृष्ण
ड्र	ड् + र	ड्रम, ड्रेस
ट्र	ट् + र	ट्रक, ट्रैक
न्न/न्न	न् + न	अन्न-अन्न, प्रसन्न-प्रसन्न

ह/हम	ह + म	ब्रह्म-ब्रह्म, ब्राह्मण-ब्राह्मण
ह/हन	ह + न	चिह्न-चिह्न
ह/हव	ह + व	विह्वल-विह्वल, आह्वान-आह्वान
ह/हल	ह + ल	आह्लाद-आह्लाद, प्रह्लाद-प्रह्लाद
ह	ह + ऋ	हृदय, हृषिकेश, हृष्ट
ह	ह + र	ह्रस्व, ह्रास
ह/हय	ह + य	ह्रूमस-ह्रूमस

कुछ रोचक तथ्य

(1) क्ष (क्+ष) स्पष्ट है कि यह कंठ+ऊष्म व्यंजन से मिलकर बना है किन्तु कुछ लोग क्ष के स्थान पर छ बोलते हैं; जैसे- सक्षम को सक्छम, लक्ष्मण को लछ्मण, क्षत्रिय को छत्रिय, क्षमा को छमा। ऐसा स्थानीय बोली के आधार पर होता है किन्तु इस भ्रम को दूर कर बोलने एवं लिखने की स्पष्ट कल्पना छात्रों को देना होगी।

(2) त्र (त्+र) स्पष्ट है कि त्र में त् आधा तथा र पूरा है लेकिन त् को बनावट कुछ ऐसी है कि इसमें (ः) चिह्न के रूप 'र' मिलाने पर एक त्रिकोण बनने 'त्रि' का खतरा रहता है, अतः लेखन सुविधा की दृष्टिकोण से इसे 'त्र' इसी रूप में लिखा जाता है; जैसे- पत्र, पत्रिकाएँ आदि।

(3) ज्ञ (ज्+ञ) का उच्चारण प्रायः 'ज्यं' की भाँति होता है, किन्तु 'ज्यं' की नासिक्य कठिनता के कारण इसे 'ज्य' बोला जाता है। अब हिन्दी में यही उच्चारण कठिनता के कारण इसे 'ज्य' बोला जाता है। अब हिन्दी में यही उच्चारण प्रचलित हो गया है। इससे एक भ्रम हो गया है कि 'ज्ञ' 'ग्+य' का संयुक्त रूप है। इस भ्रम को दूर किया जाना उचित होगा; जैसे- यज्ञ, प्रतिज्ञा, आदि बोलकर अभ्यास कराएँ।

(4) श्र (श्+र) स्पष्ट है कि 'श्' आधा तथा 'र' पूरा है, जिसे 'श्र' इस प्रकार लिखा जाना चाहिए किन्तु इससे किसी अन्य वर्ण का भ्रम न हो; इसलिए 'श' के नीचे वाली घुंटी को हटाकर (श्र+र) श्र के रूप में बदल दिया गया; जैसे- श्रीमान्, विश्राम आदि।

(5) संयुक्त व्यंजन	मिले हुए वर्ण	शब्द
क्ष	क्+ष	क्षमा, क्षति, कक्षा
त्र	त्+र	त्रिनेत्र, त्रस्त
ज्ञ	ज्+ञ	ज्ञान, ज्ञानी
श्र	श्+र	श्रम, श्रीमान
		श्री, श्रीमती

(6) मात्राएँ :	१ (आ)	ि (इ)	ी (ई)	ु (उ)
	ू (ऊ)	ॄ (ऋ)	ॅ (ए)	ै (ऐ)
	ौ (औ)			ो (ओ)

(7) बारहखड़ी- किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएँ (ऋ छोड़कर) अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बारहखड़ी कहते हैं। जैसे-

क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः

ख खा खि खी खु खू खे खो खौ खं खः

इसी प्रकार अन्य व्यंजनों की बारहखड़ी लिखी जाती है।

(8) 'र्' व्यंजन में उ और ऊ की मात्राएँ अन्य व्यंजनों की भाँति न लगाई जाकर निम्न प्रकार से लगती हैं-

र् + उ = रु

र् + ऊ = रू

कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ

संगम

उच्चारण के समय दो शब्दों के मध्य अल्पकालीन विरामावस्था (मौनावस्था) को संगम कहते हैं।

जैसे- मैंने दूध पी लिया।

यहाँ चारों शब्दों के बीच अल्पकालीन विराम की स्थिति है अर्थात् चारों शब्दों को अलग-अलग पढ़ा या लिखा जा रहा है। 'पी' और 'लिया' के बीच से संगम को हटा लिया जावे तो वह नया शब्द 'पीलिया' बन जावेगा जो एक बिमारी का नाम है।

जैसे- वह पीलिया से ग्रस्त है।

इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं-

'अशोक पुत्र के साथ बाजार गया।'

उपरोक्त वाक्य का अर्थ है कि अशोक नाम का व्यक्ति अपने पुत्र के साथ बाजार गया।

यदि अशोक और पुत्र के बीच से संगम को हटा लें और 'अशोक-पुत्र' के रूप में वाक्य बनावें तो इस तरह का वाक्य बनेगा-

'अशोक-पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुँचा।'

इसका अर्थ है- अशोक का पुत्र श्रीलंका में बुद्ध का संदेश लेकर पहुँचा। (यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 'अशोक' श्रीलंका नहीं पहुँचे बल्कि बुद्ध का संदेश लेकर उनका पुत्र श्रीलंका गया।)

तान (Tone)

स्वरतंत्रियों में होने वाले कंपन या घोष के उतार-चढ़ाव को तान कहते हैं। इसका अर्थ है मुख विवर से निकलने वाली वह ध्वनि जो लय से युक्त होती है। तान को सुर भी कहते हैं। वस्तुतः एकाधिक ध्वनियों से शब्द बनता है तथा तान शब्द स्तर पर होता है।

हिंदी तान प्रधान भाषा नहीं है। कुछ भाषाएँ तान प्रधान होती हैं, क्योंकि उनमें तान के कारण शब्दों के अर्थ में भेद होता है। जैसे- मंदारिन (चीन की राष्ट्रभाषा), थाई भाषा, पंजाबी भाषा।

अनुतान (Intonation)

किसी शब्द अथवा वाक्य का उच्चारण करते समय उसमें सुर के उतार-चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। सुर के उतार-चढ़ाव से एक लहर-सी बन जाती है इसीलिए अनुतान को सुर-लहरी भी कहा जाता है। विराम चिह्नों के प्रयोग से शब्दों और वाक्यों में अनुतान होता है; इसमें वाक्य के अर्थ में आंशिक या कभी कभी पूर्ण रूपेण परिवर्तन भी आ जाता है। जैसे-

रोको, मत जाने दो।

रोको मत, जाने दो।

उक्त दोनों वाक्यों के अर्थ में अल्प विराम चिह्न के कारण परिवर्तन आ गया है और अर्थ उलट गया है।

अनुतान के तीन प्रकार होते हैं-

(1) आरोही (Rising)- नीचे सुर से ऊँचे सुर की ओर जाना।

(2) अवरोही (Falling) ऊँचे सुर से नीचे सुर की ओर जाना।

(3) सामान्य (Level) सुर का समान रहना।

इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है-

(1) भारत जीत गया ? (प्रश्न वाचक वाक्य, नीचे सुर से ऊँचे सुर की ओर जाना; आरोही)

(2) वाह ! भारत जीत गया। (विस्मय बोधक वाक्य, ऊँचे सुर से नीचे की ओर जाना; अवरोही)

(3) भारत जीत गया। (स्वीकरोक्तिपूर्ण वाक्य, सुर का समान रहना : सामान्य)

बलाघात

बल+आघात से बना है- बलाघात। बलाघात से तात्पर्य है किसी अक्षर या शब्द पर बल देना।

किसी शब्द का उच्चारण करते समय उसके 'अक्षर' विशेष पर बल दिया जाता है या वाक्य का उच्चारण करते समय किसी 'शब्द' पर बल दिया जाता है तो उसे बलाघात कहते हैं। बलाघात के दो भेद हैं-

(1) शब्द बलाघात - (Word Accent)

(2) वाक्य बलाघात - (Sentence Accent)

(1) शब्द बलाघात (Word Accent) - शब्द बोलते समय जब किसी अक्षर पर बल दिया जाता है तो उसे शब्द बलाघात कहते हैं।

(अ) एक से अधिक अक्षर वाले शब्दों में जब सभी वर्ण ह्रस्व (लघु) हो तो बलाघात अंतिम से पहले अक्षर पर होता है।

जैसे- अहमद, पुलकित, सलिल, सड़क, उपरोक्त शब्दों में रेखांकित म, कि, लि, ड, अक्षरों में बलाघात है।

(ब) शब्दों के बीच में जब एक ही अक्षर दीर्घ हो व बाकी अक्षर ह्रस्व (लघु) हों तो दीर्घ अक्षर पर बलाघात पड़ता है।

जैसे- अमरकंटक, कमंडल, गिलास, पहाड़, मकान, मित्रेश।

उपरोक्त शब्दों में रेखांकित कं, मं, ला, हा, का, त्रे, दीर्घ अक्षरों में बलाघात है।

(स) ह्रस्व (लघु) अक्षर वाले शब्दों के बीच में अर्ध अक्षर हो तो बलाघात अर्ध अक्षर के पहले अक्षर पर पड़ता है।

जैसे- अग्नि, किन्वित, भक्त, सत्य, उपरोक्त शब्दों में रेखांकित अ, कि, भ, स, अक्षरों में बलाघात है।

2. वाक्य बलाघात (Sentence Accent) - जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के उच्चारण पर जोर दिया जाता है तो उसे वाक्य बलाघात कहते हैं। जैसे-

(अ) i. वह स्कूल नहीं जायेगा। (किसी शब्द पर बलाघात नहीं है।)

ii. वह स्कूल नहीं जायेगा? ('नहीं' शब्द पर बलाघात है।)

पहला वाक्य (i) सामान्य स्थिति को दर्शा रहा है कि वह बच्चा स्कूल नहीं जायेगा। जबकि दूसरे वाक्य (ii) में 'नहीं' पर बलाघात देने पर वह वाक्य प्रश्नवाचक बन गया है और अर्थ में विशिष्टता आ गई है।

(ब) निपात शब्द- विविध अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों का एक वर्ग है जिसे निपात शब्द कहते हैं। जैसे- तक, तो, न, भर, भला, भी, ही शब्द निपात के रूप में अधिक प्रयुक्त होते हैं। निपात शब्दों पर प्रायः बलाघात रहता है और इसके कारण उसके पूर्व पद में विशिष्टता आ जाती है। जैसे-

(i) तुम भी घर से चले जाओ।

(ii) तुम ही घर से चले जाओ।

पहले वाक्य (i) में 'भी' पर बलाघात है, जिसका अर्थ है कि अन्य लोगों के साथ तुम भी घर से चले जाओ। दूसरे वाक्य में 'ही' पर बलाघात है जिसका अर्थ है कि केवल तुम्हें घर से जाना है, अन्य लोगों को नहीं।

शिरोरेखा

वर्ण/शब्द पर लगने वाली रेखा शिरोरेखा कहलाती है।

(i) राम घर चला गया।

(ii) राम घर चला गया।

पहले वाक्य (i) में शिरोरेखा नहीं लगा है जबकि दूसरे वाक्य (ii) में शिरोरेखा लगा है।

ज्ञातव्य-

(i) देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली सभी भाषाएँ शिरोरेखा से युक्त रहती हैं। जैसे- हिन्दी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएँ।

(ii) अंग्रेजी भाषा शिरोरेखा विहीन होती है। अर्थात् अंग्रेजी भाषा में शिरोरेखा नहीं होती।

(iii) कुछ मात्राएँ केवल शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं।

जैसे - (ए), (ऐ)

(iv) कुछ मात्राएँ शिरोरेखा के नीचे लगती हैं। जैसे- ि (आ), उ- (उ), - (ऊ) - (ऋ)

(v) कुछ मात्राएँ शिरोरेखा के ऊपर और नीचे दोनों ओर लगती हैं। जैसे- ि (इ), ि (ई), ि (ओ), ि (औ)

उच्चारण

वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं, वह उच्चारण है। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। हिंदी भाषा में लिखित व उच्चरित रूप एक जैसा होता है। भाषा का शुद्ध लेखन भी शुद्ध उच्चारण पर निर्भर करता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियाँ हो जाती हैं। जैसे-

स्वर - अ, आ की अशुद्धियाँ-

अशुद्ध	शुद्ध
अगामी	आगामी
अधार	आधार
अलोचना	आलोचना
आधीन	अधीन
संसारिक	सांसारिक
सप्ताहिक	साप्ताहिक

मात्रा

हिन्दी में स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है- स्वतंत्र प्रयोग और व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयोग। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलाकर किया जाता है, तब उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के इसी बदले हुए रूप को मात्रा कहते हैं।

सभी व्यंजन 'अ' की सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए जब किसी व्यंजन में 'अ' की ध्वनि नहीं मिलती होती, तो उसके नीचे () चिह्न लगा देते हैं; जैसे- क्, न्, य्, र्, ल्, व् आदि। इसे 'हल चिह्न' या 'हलंत' कहते हैं। 'अ' लगने पर व्यंजनों के नीचे का 'हलंत' हट जाता है और तब वे इस प्रकार लिखे जाते हैं- क, न, य, र, ल, व आदि।

मात्राएँ (स्वर चिह्न) (Dependent Vowel Signs)

व्यंजन के बाद स्वरों के बदले हुए स्वरूप (सांकेतिक रूप) को मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएँ निम्नलिखित हैं-

स्वर	मात्रा (स्वर चिह्न)	व्यंजन + मात्रा = अक्षर
अ	अ की मात्रा नहीं होती।	(क) = क
आ	।	(क + ।) = का
इ	ि	(क + ि) = कि
ई	ी	(क + ी) = की
उ	ु	(क + उ) = कु
ऊ	ू	(क + ू) = कू
ऋ	ॄ	(क + ॄ) = कृ
ए	े	(क + े) = के
ऐ	ै	(क + ै) = कै
ओ	ो	(क + ो) = को
औ	ौ	(क + ौ) = कौ

लेखन में मात्राएँ हमेशा किसी न किसी व्यंजन के साथ ही प्रयोग में लाई जाती हैं। 'अ' वर्ण (स्वर) की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन वर्णों के अपने मूल स्वरूप में 'अ' स्वर अंतर्निहित होता है। किसी मात्रा के लगने पर यह अंतर्निहित 'अ' हट जाता है।

द्वित्व व्यंजन

जब किसी स्वर-रहित व्यंजन का अपने ही समरूप स्वर-युक्त व्यंजन से मेल होता है तो ऐसे व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं।

उदाहरण-

1. क् + क = क्क (पक्का, सिक्का, धक्का)
2. त् + त = त्त (कुत्ता, पत्ता, गत्ता)
3. प् + प = प्प (चप्पा, ठप्पा, कुप्पा)
4. ल् + ल = ल्ल (लल्ला, बल्ला, पिल्ला, छल्ला)

संयुक्ताक्षर

अगर एक स्वर रहित व्यंजन का मेल किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन से होता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं।

उदाहरण -

- क् + य = क्य (क्योंकि, क्यारी)
 च् + छ = च्छ (स्वच्छ, अच्छा)
 त् + य = त्य (त्याग, त्योहार)
 द् + य = द्य (विद्यार्थी, विद्या)
 प् + य = प्य (प्यारा, प्यास)

अनुस्वार व अनुनासिक में अंतर

- | | |
|---|---|
| क्र. अनुस्वार (-) | अनुनासिक (-) |
| 1. अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक और मुँह दोनों से निकलती है। | अनुनासिक के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है। |
| 2. अनुस्वार का चिह्न शिरोरेखा के ऊपर बिन्दी (-) है। जैसे- हंस, दंत, कंठ | अनुनासिक का चिह्न शिरोरेखा के ऊपर चंद्रबिन्दी (-) है। जैसे- हँसना, आँख, पूँछ |
| 3. स्पर्श व्यंजन के अर्ध पंचमाक्षर वर्णों (ङ्, ञ्, ण्, न्, म्) के लेखन के लिए अनुस्वार चिह्न (-) का प्रयोग किया जाता है। जैसे- घण्टा→घंटा, हिन्दी→हिंदी, कम्प→कंप | स्वरों का उच्चारण मुख और नाक से किया जावे और उसमें लघुता/कोमलता हो तब उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे- चाँद, पूँछ, हँस, हँसना। |
| 4. अर्धव्यंजन होने के कारण अनुस्वार की गिनती वर्णों में होती है। | अर्धस्वर होने के कारण अनुनासिक की गिनती वर्णों में नहीं होती। जैसे- हँस - 1+1= 2 मात्रा |

जैसे- हंस - 2+1=3 मात्रा

नोट- हंस (एक पक्षी) और हँसना का उच्चारण करके अनुस्वार (-) और अनुनासिक (-) चिह्न के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं।

इसे भी जानें

अक्षर (Syllable) और वर्ण (Letter)

प्रायः अक्षर और वर्ण को पर्यायवाची माना जाता है परन्तु ऐसा मानना भाषा विज्ञान की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है।

‘अक्षर’ उच्चारण को व्यक्त करता है, जबकि ‘वर्ण’ ध्वनि के दृश्य रूप को व्यक्त करता है। ‘दृश्य रूप’ से तात्पर्य यह है कि उच्चरित ध्वनि को लिपि द्वारा जब लेखन में प्रस्तुत किया जाता है तब वह दिखाई देता है- तब वह वर्ण कहलाता है।

हिन्दी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या 52 है जिसमें स्वर, अयोगवाह और व्यंजन शामिल हैं।

वह ध्वनि अथवा ध्वनि-समूह अक्षर कहलाता है जिसका उच्चारण एक सांस या एक प्रयत्न में ही होता है, अर्थात् एक अक्षर में एक ही स्वर ध्वनि होती है, परन्तु यह ध्यान देने की बात है कि एक स्वर ध्वनि में एक या एक से अधिक वर्ण हो सकते हैं।

निम्न उदाहरणों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें-

- एक अक्षर वाले शब्द - मैं, भी, ही, फल, कल, मल, आप
- दो अक्षर वाले शब्द - कमल (क/मल), सफल (स/फल), काला (का/ला), पानी (पा/नी)
- तीन अक्षर वाले शब्द - आदेश (आ/दे/श), समूह (स/मू/ह) सफलता (स/फल/ता)

व्याख्या - उपरोक्त उदाहरण के फल, कल, मल, आप में दो-दो वर्ण हैं। उनका वर्ण विच्छेद करने पर-

फल = फ + अ + ल् + अ

कल = क् + अ + ल् + अ

मल = म् + अ + ल् + अ

आप = आ + प् + अ

लेखन में प्रत्येक वर्ण में दो-दो स्वर हैं परन्तु जब हम उच्चारण करते हैं तो अंतिम स्वर ‘अ’ का लोप हो जाता है और हम उन शब्दों को फल, कल, मल, आप उच्चरित करते हैं। इस तरह उपरोक्त शब्दों के उच्चारण में केवल एक ही स्वर ध्वनि शेष रहने के कारण उन्हें एकाक्षरी माना गया है।

इसी तरह ‘आस’ व ‘मान’ भी एकाक्षरी शब्द माने गये हैं। यदि उन्हें जोड़ दें तो ‘आसमान’ शब्द बनता है।

आसमान = आ + स + मा + न (चार वर्ण)
= आस + मान (दो अक्षर)

[क्योंकि उच्चारण करते समय आस् + मान् = आसमान उच्चारण करते हैं, ‘स’ और ‘न’ से स्वर ध्वनि ‘अ’ का लोप हो जाता है ; अतएव चार वर्णों के शब्द ‘आसमान’ में केवल दो स्वर ध्वनि (आ, मा) शेष रहने के कारण दो-अक्षरी माना गया है। अक्षर उच्चारण-ध्वनि पर निर्भर होता है इसे ध्यान में रखना आवश्यक है।]

आगत ध्वनियाँ

‘आगत’ शब्द का अर्थ है- बाहर से आया हुआ। इस प्रकार आगत ध्वनियों से तात्पर्य उन ध्वनियों से हैं जो पहले हिन्दी भाषा में नहीं थी, किंतु विदेशी भाषाओं के शब्द आ जाने के कारण हिन्दी में अपना ली गई हैं।

मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की तथा अंग्रेजी भाषाओं की अनेक ध्वनियाँ हिन्दी भाषा में मिलती हैं। विदेशी भाषाओं से जो वर्ण हिन्दी में आ गये हैं, उन्हें ‘आगत’ वर्ण कहते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण हैं।

1. आगत स्वर - अर्ध चंद्राकार (~)

हिन्दी में अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द आए हैं और इसीलिए हिन्दी में अंग्रेजी ध्वनियाँ भी स्थान पा चुकी हैं। ऐसी ही एक ध्वनि है - ‘ऑ’। इसके लिए (~) अर्धचंद्र लगाया जाता है। यह ‘आ’ और ‘ओ’ के मध्य की ध्वनि है।

इस ध्वनि के उच्चारण के लेखन के लिए (~) का प्रयोग करते हैं।

उदाहरण-

1.	Block	ब्लॉक
2.	Call	कॉल
3.	Chalk	चॉक
4.	Coffee	कॉफी
5.	College	कॉलेज
6.	Colony	कॉलोनी
7.	Commerce	कॉमर्स

8.	Doctor	डॉक्टर
9.	Football	फुटबॉल
10.	Frock	फ्रॉक
11.	Hall	हॉल
12.	Polish	पॉलिश

2. आगत व्यंजन - नुक्ता (.)

स्वर की भाँति कुछ विदेशी व्यंजन ध्वनियाँ भी हिंदी भाषा में अपनाई गई हैं। अरबी-फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, भाषा से आए कुछ आगत शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए उनमें नुक्ता (.) लगाया जाता है।

(i) ज़ - यह आगत वर्ण फ़ारसी से लिया गया है। अंग्रेज़ी में इसके लिए जेड (Z) वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे- ज़ायकेदार- Zaykedar, ज़मीन- Zameen आदि।

इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर के दाँतों के पास खुरदरे हिस्से से थोड़ा-सा ऊपर मुँह की छत यानी मूर्धा के किनारे को बहुत हल्के-से छूता है और हवा हल्की सीटी-सी बजाती है।

'ज' तथा 'ज़' के बोलने में अंतर - 'ज' के उच्चारण में जीभ केवल मूर्धा को छूती है। जैसे जीवन, जगत, जवान, जब आदि। जबकि 'ज़' के उच्चारण में जीभ मूर्धा को हल्के से छूती है तथा हवा हल्की-सी सीटी बजाते हुए बाहर निकलती है। जैसे- मिज़ाज, मेज़ ज़्यादा, जोरदार आदि।

(ii) फ़ - यह आगत वर्ण अरबी भाषा से लिया गया है। अंग्रेज़ी में इसके लिए एफ़ (F) वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे फ़ालतू Faltoo, फ़र्श- Farsh आदि।

'फ़' तथा 'फ' दोनों ही वर्णों को होंठों के सहारे बोला जाता है। 'फ़' को बोलते समय दोनों होंठों को मिलाया नहीं जाता है। जैसे- ज़ाफ़रानी, तूफ़ान, फ़ौरन, फ़ालतू आदि। जबकि हिंदी के 'फ' वर्ण के उच्चारण में होंठ आपस में मिल जाते हैं। जैसे- फल, फूल, सफल आदि।

(iii) उर्दू भाषा में प्रयुक्त 'ज़' और 'फ़' के अलावा 'क़' 'ख़' और 'ग़' ध्वनियाँ भी हिन्दी से भिन्न हैं। हालाँकि विदेशी भाषाओं से हिन्दी में आगत शब्दों के क, ख, ग, में अब नुक्ता लगाने की विशेष आवश्यकता नहीं समझी जा रही है। जैसे- काग़ज (फ़ारसी), क़िला (अरबी), क़लम (अरबी) को हिन्दी

में क्रमशः कागज, किला, कलम लिखा जा रहा है।

फिर भी जहाँ उनका शुद्ध विदेशी रूप में प्रयोग आवश्यक हो, अथवा उच्चारण-भेद और अर्थ भेद स्पष्ट करना हो, वहाँ नुक्ता अवश्य लगाना चाहिए। जैसे-

नुक्ते के बिना

नुक्ते के साथ

1. खाना (भोजन)	ख़ाना (अलमारी का खाना)
2. खुदा (खुदा हुआ)	ख़ुदा (ईश्वर)
3. जरा (बुढ़ापा)	ज़रा (थोड़ा)
4. फन (साँप का)	फ़न (हुनर)
5. बाग (घोड़े की)	बाग़ (बगीचा)
6. राज (शासन)	राज़ (रहस्य)

भाषा बोध

व्याकरण

परिभाषा - भाषा के शुद्ध प्रयोग और उसके नियमों की व्याख्या करने वाला शास्त्र ही 'व्याकरण' है। व्याकरण किसी भी भाषा को नियमबद्ध कर मानक रूप प्रदान करता है ताकि उस भाषा को बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सरल हो जाये और हम अपनी भावाभिव्यक्ति लिखकर या बोलकर दूसरों तक ठीक-ठीक पहुँचा सकें।

भाषा

- भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के 'भाष्' धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है।
- भाषा ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था है जिसको समझकर मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर एक-दूसरे को आदान-प्रदान कर सकते हैं।
- पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार- 'भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रगट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।' उपर्युक्त विवेचन से भाषा के

निम्नलिखित लक्षण स्पष्ट होते हैं-

- भाषा मूलतः ध्वनि-संकेतों की एक व्यवस्था है।
- यह विचारों के आदान-प्रदान का एक सामाजिक साधन है।
- यह मनुष्यों के बीच आपसी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है।
- इसके शब्द के अर्थ प्रायः रुढ़ होते हैं।

भाषा के दो रूप होते हैं-

(1) मौखिक और (2) लिखित

1. **मौखिक भाषा-** यह भाषा के बोलचाल का रूप है। इसकी आधारभूत इकाई ध्वनि है। भाषा का प्रयोग मौखिक तभी किया जाता है जब श्रोता और वक्ता पास-पास होते हैं। हालांकि अब दूरसंचार साधनों के विकास के साथ ही मौखिक भाषा का प्रयोग मोबाईल, वीडियो कालिंग आदि में किया जाने लगा है।

2. **लिखित भाषा-** यह भाषा का लिखित रूप है। इसकी आधारभूत इकाई वर्ण है। यह भाषा का स्थायी रूप है, जिसमें हम अपने भावों-विचारों को अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

भाषा की चार इकाइयाँ होती हैं-

1. **ध्वनि** - मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है; जैसे- अरे! वाह! हैं
2. **वर्ण** - वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है, जिसके खंड (भाग) नहीं हो सकते; जैसे- अ, इ, उ, ए, ओ, लृ आदि।
3. **शब्द** - वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं; जैसे- क+ल+म= कलम।
4. **वाक्य** - एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है; जैसे- राम पुस्तक पढ़ता है।

इस वाक्य में राम, पुस्तक, पढ़ता, है- अलग-अलग शब्द हैं, परंतु इनके एक साथ प्रयोग करने से एक अर्थ निकल रहा है। अतः यह वाक्य है।

भाषा की विशेषताएँ-

भाषा की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं-

- (i) प्रत्येक भाषा की संरचना अलग-अलग होती है।

(ii) भाषा सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है।

(iii) भाषा की धारा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर बहती है; जैसे नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर बहती हैं। इसीलिए भाषा के कठिन रूप से अनेक सरलतम भाषाओं का जन्म हुआ जिससे बोलना, समझना और लिखना आसान हो गया।

(iv) जीवन्त भाषा 'बहता नीर' की तरह है जो बिना रुके सदा प्रवाहित होती रहती है अर्थात् सतत् साहित्य सृजन जीवन्त भाषा की पहचान है।

(v) भाषा किसी की पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि यह आद्यन्त सामाजिक वस्तु है।

(vi) भाषा के द्वारा हम अपने भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुँचाते हैं। पशु-पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कह सकते क्योंकि उनकी ध्वनियाँ सूक्ष्म भावों और विचारों को व्यक्त करने में असमर्थ है। आज से हजारों साल पहले पशु-पक्षी जैसा बोलते थे वैसे ही वे आज भी बोल रहे हैं अर्थात् उनकी बोलियों का कोई विकास नहीं हुआ। भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को जीव-जन्तुओं से अलग और श्रेष्ठ सिद्ध करती है।

बोली

सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। यह भाषा का सीमित और लघु रूप है। इसे भाषा की प्राथमिक इकाई भी कह सकते हैं जिसमें घरेलू शब्दावली और देशज शब्दों की बहुलता रहती है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से इसमें मानकीकरण का अभाव होता है और इसमें साहित्यिक रचनाओं का प्रायः अभाव रहता है। जैसे- पंडो, नागवंशी, मरारी, धाकड़, मिरगानी, दोर्ला, मुरिया, अबूझमाड़िया आदि।

भाषा और बोली में अन्तर-

भाषा और बोली में विभाजक रेखा खींच पाना कठिन है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा 'बोली' कहलाती है और वह बोली जब विस्तृत क्षेत्र में व्यवहृत होने लगती है तब भाषा कहलाती है। वैज्ञानिक अध्ययन के दृष्टिकोण से भाषा और बोली में निम्नलिखित अंतर माने जा सकते हैं-

- (1) भाषा का भौगोलिक क्षेत्रफल विस्तृत होता है जबकि बोली का सीमित।
- (2) एक भाषा के अन्तर्गत कई बोलियाँ और उपबोलियाँ हो सकती हैं जबकि बोली के अन्तर्गत भाषाएँ नहीं होती। बोली के अन्तर्गत उपबोलियाँ हो सकती हैं।
- (3) भाषा का एक मानक रूप होता है किन्तु बोली का मानक रूप नहीं होता।
- (4) भाषा का प्रयोग साहित्य सृजन, शिक्षा, शासन-प्रशासन में होता है जबकि बोली का प्रयोग दैनिक बोलचाल और लोकसाहित्य में होता है।
- (5) जिस तरह भाषा का भौगोलिक क्षेत्र विस्तृत होता है उसी तरह उसके बोलने वालों की संख्या ज्यादा होती है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित और बोलने वालों की संख्या कम होती है।

विभाषा (उपभाषा)

बोली जब अधिक परिष्कृत और सम्पन्न हो जाती है उसका स्वयं का व्याकरण विकसित हो जाता है और वह एक प्रदेश अथवा प्रदेश के बड़े भूभाग में सामान्य बोलचाल, साहित्य सृजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में प्रयुक्त होने लगती है तब उसे विभाषा या उपभाषा कहते हैं। एक भाषा की कई विभाषा या उपभाषा हो सकती हैं। जैसे- अवधी, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी आदि हिन्दी की विभाषाएँ हैं।

सम्पर्क भाषा (लिंग्वा-फ्रेंका)

सम्पर्क भाषा का अर्थ है- ऐसी भाषा जो दो विभिन्न भाषिक क्षेत्रों के बीच सम्पर्क सेतु का कार्य करें।

सम्पर्क भाषा को अंग्रेजी में 'लिंग्वा-फ्रेंका' (Lingua Franca) कहते हैं। अस्तु, एक प्रदेश या एक भाषा के बोलने वाले लोग अन्य भाषा-भाषियों से जिस भाषा के माध्यम से अपने विचारों का आदान-प्रदान करते हैं, उसे 'लिंग्वा फ्रेंका' अथवा 'सम्पर्क भाषा' कहा जाता है। जैसे-

- (i) छत्तीसगढ़ राज्य में 'छत्तीसगढ़ी' सम्पर्क भाषा का कार्य करती है क्योंकि यह पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है।
- (ii) पूरे भारत में 'हिन्दी' सम्पर्क भाषा के रूप में भी काम करती है क्योंकि भारत के सभी प्रदेशों में हिन्दी बोली जाती है।

- (iii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'अंग्रेजी' सम्पर्क भाषा का काम करती है क्योंकि प्रायः विश्व के सभी देशों में अंग्रेजी बोली जाती है।

मानक भाषा

मानक भाषा का सामान्य अर्थ है आदर्श भाषा, शुद्ध भाषा, टकसाली भाषा और परिनिष्ठित भाषा, परिष्कृत भाषा, व्याकरणबद्ध भाषा जो उच्चारण एवं लेखन में समरूप हो। अंग्रेजी के 'Standard Language' शब्द का हिन्दी पर्याय 'मानक भाषा' को ही कहा जाता है। 'मानक भाषा' किसी राष्ट्र और समाज की वह आदर्श भाषा है, जिसका प्रयोग वहाँ के शिष्ट समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, विधि, न्याय, व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि सभी औपचारिक कार्यों में समान रूप से किया जाता है।

भाषा का मानकीकरण

'भाषा का मानकीकरण' से अभिप्राय है उसका 'बोली' रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी 'परिनिष्ठित भाषा' का रूप धारण कर लेना जो शिक्षा, साहित्य, धर्म एवं प्रशासनिक कार्यकलाप में सर्वमान्य माध्यम बन सके। भाषा का बोलचाल के स्तर से ऊपर उठकर मानक रूप ग्रहण कर लेना ही उसका मानकीकरण है। मानकीकरण से भाषा का व्याकरणिक रूप परिष्कृत हो जाता है।

मानकीकरण के तीन सोपान होते हैं

बोली → भाषा → मानक भाषा

1. **प्रथम सोपान-** पहले सोपान में भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली 'बोली' का होता है। जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जाता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है और इसका अपना व्याकरण नहीं होता इसलिए इसे शिक्षा, आधिकारिक कार्य व्यवहार या साहित्य का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

2. **द्वितीय सोपान-** कोई भी बोली जब विशेष भौगोलिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, राजनैतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है, उसका लिखित रूप विकसित होने

लगता है और वह व्याकरण के साँचे में ढलने लगती है तब वह 'बोली' न रहकर 'भाषा' की संज्ञा प्राप्त कर लेती है और पत्राचार, शिक्षा, व्यापार, प्रशासन आदि में उसका प्रयोग होने लगता है।

3. तृतीय सोपान- यह वह स्तर है जब भाषा के प्रयोग का क्षेत्र तो विकसित होता ही है इसके साथ वह एक आदर्श रूप ग्रहण कर लेती है और उसका परिनिष्ठित रूप सामने आता है; जिसमें उसकी अपनी शैक्षणिक, वाणिज्यिक, तकनीकी एवं कानूनी शब्दावली के साथ उसका साहित्यिक एवं शास्त्रीय रूप सामने आता है। यही 'मानक भाषा' कही जाती है।

मूलभाषा

मूलभाषा से अभिप्राय उस प्रारंभिक भाषा से है जो किसी एक स्थान में उत्पन्न होकर कालांतर में विभिन्न स्थानों में अनेक भाषाओं के रूप में विकसित हुई। विश्व की भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार मूलभाषा ही है। जैसे- आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की मूलभाषा 'भारोपीय भाषा' को माना जाता है।

प्राचीन शिलालेखों के अनुसार प्राचीन भारत-हिट्टाइट भाषिक परिवार का उत्पत्ति काल 2900 ई. पू. से 2400 ई.पू. माना जाता है, मगर वह भाषा के रूप में विन्यस्त बहुत बाद में हुई और भारोपीय भाषा परिवार की पीठिका बनी। भारत से लेकर पूरे यूरोप तक इस परिवार की भाषा को बोले जाने के कारण इसे भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है।

भारोपीय भाषा = भा (रत) + (यू) रोपीय भाषा

इसे 'प्राक् आर्य भाषा परिवार' भी कहा जाता है। भारोपीय भाषा परिवार की प्राचीन भाषाओं में लौकिक संस्कृत, अवेस्ता, फारसी, लैटिन, जर्मनिक शामिल हैं, परन्तु सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं हिन्दी, ओड़िया, बंगला, मराठी, सिंधी, पंजाबी आदि का जन्म हुआ। संप्रति, भारतीय आर्य भाषाओं की जननी (मूलभाषा) संस्कृत है।

जनभाषा

जनभाषा का साधारण-सा अर्थ है- 'जनता की भाषा।' जो भाषा किसी क्षेत्र के सामान्य लोगों द्वारा बोली और समझी जाती है, वह 'जनभाषा' होती है। जनभाषा वस्तुतः आम आदमी की

भाषा होती है, जो न तो व्याकरण के कठोर नियमों में बंधी होती है, और न ही राजकीय आदेशों व साहित्यिक प्रतिमानों से अनुशासित होती है। जनभाषा के लिए यह भी आवश्यक नहीं कि वह लिखी भी जाए। सदियों से लोक साहित्य व लोक कथाएँ मौखिक रूप में पीढ़ी-दर-पीढ़ी बोली-सुनी जाती रही हैं।

राजभाषा का निर्णय संविधान व विधान द्वारा होता है, जबकि जनभाषा जनता द्वारा स्वतः निर्णीत व स्वतः निर्मित होती है। बुद्ध व महावीर ने जनभाषा के महत्त्व को समझते हुए संस्कृत के स्थान पर पालि व प्राकृत को अपनी वाणी का माध्यम बनाया था। नानक, कबीर, तुलसी, दादू, रैदास जैसे भक्त कवियों ने जनभाषा में काव्य रचकर जन के मन में अपना स्थान बनाया और उपदेशों को आम लोगों तक पहुँचाया।

मातृभाषा

शिशु अपने माता-पिता व परिवारजनों से जो भाषा सीखता है या जिस भाषा के आश्रय में शिशु पलता-बढ़ता है, वही उसकी मातृभाषा है। अगर घर में माता-पिता व परिवारजन मराठी में बात करते हैं तो उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा व्यवहृत करने वाले परिवार में जन्मे बच्चे की मातृभाषा 'छत्तीसगढ़ी' होगी। भारत में अनेक भाषाएँ हैं इसलिए मातृभाषाएँ भी अनेक हैं।

सांकेतिक भाषा

जब विचारों और भावों को संकेतों के द्वारा प्रगट किया जाता है, तब उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। हालांकि केवल संकेतों द्वारा हर बात को प्रगट नहीं की जा सकती, इसके लिए हमें लिखित या मौखिक रूपों का प्रयोग करना जरूरी हो जाता है। इसी कारण सांकेतिक भाषा को व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है।

कूटभाषा (Secret Language)

यह भाषा संकेतात्मक एवं गोपनीय होती है। विशिष्ट शब्दों या संकेतों आदि के द्वारा विशेष अर्थ में प्रयुक्त होने वाली भाषा ही कूट भाषा है। गुप्तचरों, क्रांतिकारियों, विद्रोहियों, क्राइम-ब्रांच से जुड़े अधिकारियों द्वारा कूट भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि उसे कोई दूसरा समझ न सके।

विदेशी भाषा

किसी देश में पढ़ी और समझी जाने वाली किसी दूसरे देश की भाषा जो उस देश की मूलभाषा, मातृभाषा या राष्ट्रभाषा नहीं होती, उस देश के लिए विदेशी भाषा कहलाती है। अंग्रेजी, रूसी, मंदारिन (चीनी), जापानी आदि हमारे लिए विदेशी भाषा हैं।

राजनयिक भाषा

दो देशों के मध्य राजनयिक पत्र-व्यवहार अथवा वार्तालाप की भाषा राजनयिक भाषा कहलाती है। इस भाषा का स्वरूप अत्यंत शिष्ट एवं औपचारिक होता है।

अंतरराष्ट्रीय भाषा

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच प्रयुक्त होने वाली भाषा को अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। यह विश्व के अलग-अलग राष्ट्रों के बीच संपर्क-सेतु का काम करती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के कार्य अंग्रेजी, चीनी (मंदारिन), फ्रेंच, रूसी, स्पेनिश और अरबी-कुल छः भाषाओं में संपन्न होते हैं। अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग अंग्रेजी का होता है उसके बाद दूसरे नंबर पर फ्रेंच है।

स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और सेतु भाषा

स्रोत भाषा वह है जिस भाषा में मूल कृति लिखी गई है। लक्ष्य भाषा वह है जिसमें कृति को मूल भाषा से अनुवादित किया जाता है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में लिखे गये 'रामायण' को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया है। यहाँ रामायण की पहली भाषा संस्कृत 'स्रोत भाषा' है तथा बाद की भाषा अंग्रेजी 'लक्ष्य भाषा' है।

यदि रामायण का अनुवाद अंग्रेजी से स्पेनिश भाषा में किया जाता है तो यहाँ अंग्रेजी 'सेतु भाषा' कही जायेगी क्योंकि वह रामायण की मूल भाषा संस्कृत और स्पेनिश के बीच सेतु का काम कर रही है। अतः स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा और सेतु भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। यह इस बात पर निर्भर है कि वह मूलभाषा से अनुवादित है या अनुवाद का अनुवाद है।

● **स्रोत भाषा**— मूलपाठ की भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं वस्तुतः 'स्रोत भाषा' शब्द का प्रयोग अनुवाद के संदर्भ में ही किया जाता है। यदि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है, तो अंग्रेजी स्रोत भाषा कहलाएगी। जैसे विलियम शेक्सपियर के अंग्रेजी में लिखे सुप्रसिद्ध नाटकों 'हैमलेट' और 'जुलियस सीजर' का हिन्दी में अनुवाद अमृतराय ने किया। यहाँ अंग्रेजी स्रोत भाषा कही जायेगी। इसी तरह मुंशी प्रेमचंद के सुप्रसिद्ध हिन्दी उपन्यास 'गोदान' का अंग्रेजी भाषा में 'द गिफ्ट ऑफ़ काओ (The Gift of Cow)' के नाम से अनुवाद किया गया। यहाँ हिन्दी स्रोत भाषा कही जायेगी। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह मूलपाठ और उसमें व्यक्त अर्थ को ग्रहण कर लक्ष्य भाषा में उपयुक्त ढंग से अभिव्यक्त कर सके।

● **लक्ष्य भाषा**— जिस भाषा में मूलपाठ का अनुवाद किया जाता है, उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। लक्ष्य भाषा शब्द का प्रयोग अनुवाद के संदर्भ में ही किया जाता है। यदि अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद किया जा रहा है तो हिन्दी लक्ष्य भाषा कहलाएगी। जैसे- विलियम शेक्सपियर के हैमलेट, जुलियस सीजर, ओथेलो आदि अंग्रेजी भाषा में लिखे नाटकों का हिन्दी में अनुवाद किया गया है, यहाँ हिन्दी लक्ष्य भाषा मानी जायेगी। इसी तरह प्रेमचंद के हिन्दी में लिखे अनेक उपन्यासों गोदान, प्रतिज्ञा, सेवासदन, निर्मला, गबन, कर्मभूमि आदि का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। यहाँ अंग्रेजी लक्ष्य भाषा मानी जायेगी। अनुवादक को लक्ष्य भाषा और स्रोत भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए ताकि वह मूलपाठ और उसमें व्यक्त अर्थ को ग्रहण कर लक्ष्य भाषा में उपयुक्त ढंग से व्यक्त कर सके।

● **सेतु भाषा**— बहुत से अनुवाद ऐसे भी होते हैं जो मूल भाषा से नहीं किये जाते हैं। ऐसे अनुवाद वस्तुतः 'अनुवाद का अनुवाद' होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि स्रोत भाषा (मूल भाषा) और लक्ष्य भाषा के बीच एक और भाषा आ जाती है इसे ही सेतु भाषा कहते हैं। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। अंग्रेजी में अनुवादित संस्कृत ग्रंथ 'रामायण' का स्पेनिश में अनुवाद अंग्रेजी से किया गया। यहाँ स्रोत भाषा संस्कृत है व लक्ष्य भाषा स्पेनिश है परन्तु अंग्रेजी ने सेतुभाषा का काम किया है अतः यहाँ अंग्रेजी 'सेतु भाषा' होगी। अतः

ग्रंथ 'रामायण' का स्पेनिश या अन्य कोई भाषा में अनुवाद अंग्रेजी से किये जाने पर स्रोत भाषा संस्कृत व लक्ष्य भाषा स्पेनिश (या अन्य) होगी, परन्तु अंग्रेजी ने सेतु का काम किया, अतः यहाँ अंग्रेजी 'सेतुभाषा' होगी।

विशेष- यह ध्यान देने की बात है कि अनुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा या फिर सेतु भाषा कोई भी भाषा हो सकती है। वैश्वीकरण के इस युग में सभी भाषाओं के प्रमुख ग्रंथों/साहित्य का अनुवाद लगभग सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अतएव विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ग्रंथों के अनुवाद में स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा व सेतुभाषा का होना इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रंथों का किस भाषा से किस भाषा में अनुवाद किया गया है।

भाषिक युग्म

अनुवाद हमेशा दो भाषाओं- स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सम्पन्न होती है, इन दोनों भाषाओं को 'भाषिक युग्म' कहा जाता है। यदि हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है या अंग्रेजी से हिन्दी में, ये दोनों भाषाएँ- हिन्दी और अंग्रेजी 'भाषिक युग्म' होंगे।

द्विभाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद का महत्व-

अनुवाद का व्यावहारिक संबंध एक साथ दो भाषाओं के साथ सम्पन्न होता है इसलिए यह द्विभाषिक गतिविधि है जो केवल अनुवाद द्वारा ही सम्पन्न की जा सकती है। द्विभाषिक गतिविधि के रूप में अनुवाद भाषिक अवरोध को दूर करके सम्प्रेषण का विस्तार करता है। अनुवादक द्वारा 'मूल पाठ' का 'अनुदित पाठ' में बदला जाता है। मूलपाठ की भाषा को 'स्रोत भाषा' और अनुदित पाठ की भाषा को 'लक्ष्य भाषा' कहा जाता है। बहुत से अनुवाद ऐसे भी होते हैं जो मूलभाषा (स्रोत भाषा) से नहीं किये जाते बल्कि अनुदित पाठ को पुनः अन्य भाषा में अनुवादित किया जाता है। ऐसे अनुवाद वस्तुतः 'अनुवाद के अनुवाद' होते हैं, ऐसी स्थिति में 'स्रोत भाषा' और 'लक्ष्य भाषा' के बीच एक और भाषा आ जाती है जिसे 'सेतु भाषा' कहा जाता है। इसे इस उदाहरण से समझा जा सकता है। संस्कृत महाकाव्य 'रामायण' का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है तो स्रोत भाषा संस्कृत और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी होगी। अब यदि अंग्रेजी में अनुदित रामायण का अंग्रेजी से स्पेनिश भाषा में अनुवाद किया जाता है तो यहाँ पर अंग्रेजी 'सेतु भाषा' कही जायेगी क्योंकि वह संस्कृत और स्पेनिश के बीच सेतु का काम कर रही है। अनुवाद के संदर्भ में जितना महत्व स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा का है उससे ज्यादा महत्व सेतु भाषा का है क्योंकि वैश्वीकरण के इस युग में सभी अनुवादकों का स्रोत भाषा में पारंगत होना असंभव है इसीलिए वे सेतु भाषा का उपयोग ज्यादा करते हैं।

-----▲▲▲▲▲-----

हिन्दी में विराम चिह्नों का प्रयोग

विराम का अर्थ है 'ठहराव'। किसी वाक्य को लिखते या बोलते समय कहीं-कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थपूर्ण एवं भावपूर्ण हो जाती है।

■ लिखित भाषा में ठहराव को प्रदर्शित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिह्नों का प्रयोग किया जाता है जिसे 'विराम चिह्न' कहा जाता है।

■ विराम चिह्नों का प्रयोग भाषा की सुस्पष्टता के लिए आवश्यक है। विराम चिह्नों के अभाव में कभी-कभी अर्थ भी बदल जाते हैं; जैसे-

- (अ) रोको मत जाने दो।
(ब) रोको, मत जाने दो।
(स) रोको मत, जाने दो।

उपर्युक्त वाक्यों में से पहले वाक्य में अर्थ की स्पष्टता नहीं है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में विराम चिह्न देने के बाद अर्थ स्पष्ट है परन्तु वे एक-दूसरे के विपरीत हैं।

देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाले छत्तीसगढ़ी, हिन्दी सहित अन्यान्य भाषाओं में विराम चिह्नों का प्रयोग एक जैसा ही है जिसकी संख्या 20 है।

हिन्दी में प्रचलित विराम-चिह्न

क्र.	विराम चिह्न के प्रकार	विराम चिह्न
1.	पूर्ण विराम का चिह्न	।
2.	उप विराम/अपूर्ण विराम चिह्न	:
3.	अर्द्धविराम चिह्न	;
4.	अल्प विराम चिह्न	,
5.	प्रश्नवाचक चिह्न	?
6.	विस्मयादिबोधक चिह्न	!
7.	उद्धरण /अवतरण चिह्न	" "
	● एकल/इकहरा उद्धरण चिह्न	' '
	● दोहरा उद्धरण चिह्न	" "

8.	योजक/समास चिह्न	-
9.	विवरण चिह्न	:-
10.	निर्देशक/डैश चिह्न	—
11.	कोष्ठक चिह्न	(), { }, []
12.	हंसपद/त्रुटिबोधक चिह्न	^
13.	रेखांकन चिह्न	—
14.	लाघव/संक्षेपण चिह्न	o
15.	लोप/वर्जन चिह्न	
16.	तुल्यता सूचक चिह्न	=
17.	समाप्ति सूचक चिह्न	---0---
18.	विकल्प चिह्न	/
19.	पुनरुक्ति चिह्न	---''---''---
20.	टीका सूचक/संकेत चिह्न	+, 1, *

1. पूर्ण विराम (।) चिह्न

पूर्ण विराम का अर्थ है, पूरी तरह रुकना या ठहरना। वाक्य में जब भाव या विचार की पूर्णता होती है, तब पूर्ण विराम चिह्न (।) का प्रयोग किया जाता है। सामान्य/सरल, मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिह्न प्रयोग किया जाता है; जैसे-

(अ) राम स्कूल जाता है। (सरल वाक्य)

(ब) यदि राम पढ़ता, तो अवश्य उत्तीर्ण होता।

(मिश्र वाक्य)

(स) राम पढ़ेगा मगर कमला खाना बनाएगी।

(संयुक्त वाक्य)

अप्रत्यक्ष प्रश्नवाचक वाक्य के अन्त में पूर्ण विराम चिह्न का ही प्रयोग होता है; जैसे-

- राम ने बताया नहीं कि वह कहाँ जा रहा है।

नोट- अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान पूर्ण विराम (।) के स्थान पर केवल बिन्दी (.) अंग्रेजी में फुल-स्टाप का प्रयोग करने लगे हैं; किन्तु हिन्दी की प्रकृति के अनुसार खड़ी पाई (।) का ही प्रयोग किया जाना चाहिए।

2. उपविराम/अपूर्ण विराम (:) चिह्न

उपविराम/अपूर्ण विराम (:) चिह्न का प्रयोग तब किया जाता है जब उपवाक्यों के बीच कोई संयोजक चिह्न (-) न हो या वाक्य पूरा होने से पहले ही किसी वस्तु या विषय के बारे में बताया जाना हो; जैसे-

- (अ) जनधन योजना : गरीबों का साथी
- (ब) छोटा सवाल : बड़ा सवाल
- (स) आतंकवाद : एक चुनौती

3. अर्ध विराम (;) चिह्न

जब किसी वाक्य में पूर्ण विराम (।) की अपेक्षा कम समय किन्तु अल्प विराम (,) की अपेक्षा अधिक समय रुकना पड़े तब वहाँ अर्ध विराम (;) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- (अ) उसने पढ़ लिया ; परीक्षा भी दे आया परन्तु आगे क्या होगा ; नहीं जानता ।

4. अल्प विराम (,) चिह्न

अल्प विराम का शाब्दिक अर्थ थोड़ा ठहरना या रुकना होता है। जब किसी वाक्य को पढ़ते या बोलते समय अल्प समय के लिए रुकना हो या फिर अर्ध विराम (;) की तुलना में कम समय रुकना हो तो अल्प विराम (,) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- (अ) सीता, गीता और माला खेल रहे हैं।

- (ब) हाँ, लिख सकता हूँ।

■ संबोधन सूचक शब्दों के बाद अल्प विराम (,) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

सीता, तुम भीतर आओ।

■ पत्र लेखन में संबोधन के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

महोदय, मान्यवर, आदरणीय मंत्री महोदय,

■ किसी उद्धरण के पूर्व 'कि' के बदले में अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो।

5. प्रश्नवाचक (?) चिह्न

प्रश्नवाचक (?) चिह्न का प्रयोग ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिसमें प्रश्न या सवाल पूछा जाता है। इस चिह्न का प्रयोग पूर्ण विराम चिह्न की भाँति वाक्य के अंत में किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रायः प्रश्नवाचक शब्द (कौन, क्या, कहाँ) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- (अ) कौन जा रहा/रही है?

- (ब) इसका क्या करोगे ?

■ ऐसे वाक्य जहाँ स्थिति निश्चित न हो, वहाँ भी प्रश्न वाचक चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- आप शायद बिलासपुर जा रहे हैं?

6. विस्मयादिबोधक (!) चिह्न

इस चिह्न का प्रयोग विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए अन्त में या सूचक शब्दों के बाद भी किया जाता है; जैसे-

- (अ) वाह ! तुम यहाँ कब आये?

- (ब) अरे! वह मर गया !

7. उद्धरण/अवतरण चिह्न

उद्धरण चिह्न दो प्रकार के होते हैं-

- (क) एकल/इकहरा उद्धरण चिह्न- ' '
- (ख) दोहरा उद्धरण चिह्न- " "
- (क) एकल/इकहरा उद्धरण चिह्न- (' ')

जब कोई विशेष शब्द, पदवाक्य खंड, कवि का उपनाम, पुस्तक का नाम, पत्र-पत्रिका का नाम, लेख या कविता के शीर्षक का उल्लेख करना हो तो एकल/इकहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- (अ) 'रामचरितमानस' के रचयिता तुलसीदास जी हैं।
- (ब) जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' को हिन्दी का प्रथम 'पिंगल शास्त्री' माना गया है।

नोट - 'पिंगल' संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ 'छंदशास्त्र' है।

- (ख) दोहरा उद्धरण चिह्न (" ")

जब किसी वक्ता के कथन को या पुस्तक के किसी अंश को ज्यों का त्यों उद्धरित किया जावे तब दोहरा उद्धरण चिह्न का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- (अ) महावीर ने कहा, "अहिंसा परमोधर्मः।"
- (ब) पिताजी कहते थे, "जीवन में अनुशासन आवश्यक है।"

8. योजक/समास चिह्न (-)

यह चिह्न सामासिक शब्दों (जिसमें दोनों पद प्रधान हो), तुलनात्मक (सा, सी, से) शब्दों के पहले, एक अर्थ वाले सहचर शब्दों के बीच तथा सार्थक-निरर्थक शब्द-युग्मों के बीच किया जाता है; जैसे-

- (अ) पाप-पुण्य (सामासिक शब्द)

गुरु-चेला (सामासिक शब्द)

- (ब) चांद-सा चेहरा (तुलनात्मक शब्द)
- (स) ● कपड़ा-लत्ता (एक अर्थ वाले सहचर शब्द)
- अनाप-शनाप (सार्थक-निरर्थक शब्द युग्म)

9. विवरण चिह्न (:-)

जब किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति का वर्णन किया जाता है तब विवरण चिह्न (:-) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- तीन लोक :- धरती, आकाश और पाताल
- चार प्राचीन संस्कृत ग्रंथ :- रामायण, महाभारत, वेद एवं पुराण
- ग्रंथों में उल्लेखित तीन देव :- ब्रह्मा, विष्णु और महेश
- चार युग :- सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग
- पांच प्राचीन नगर :- मणिपुर (रतनपुर), काशी (वाराणसी), पाटलिपुत्र (पटना), प्रयाग (इलाहाबाद) और अवन्ति (उज्जैन)

10. निर्देशक/डैश चिह्न (—)

निर्देशक/डैश (रेखिक) चिह्न (—), योजक चिह्न (—) से बड़ा होता है। इसका प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, किसी सूची से पूर्व या उदाहरण देने से पूर्व किया जाता है; जैसे-

- (अ) संवाद को लिखने के लिए
- मोहन — तुम कहाँ जा रहे हो?

- (ब) सूची से पूर्व

● उत्तीर्ण होने वाली लड़कियाँ — सरस्वती, कमला, मोना, बबली

- (स) उदाहरण देने से पूर्व

● इन शहरों में प्रदूषण ज्यादा है — दिल्ली, रायपुर, कोरबा

- रामू बाजार से कुछ सामान — चावल, दाल, शक्कर आदि खरीदने गया है।

नोट - निर्देशक चिह्न / डैश चिह्न को रेखिक चिह्न भी कहा जाता है।

11. कोष्ठक चिह्न [] { } ()

कोष्ठक के भीतर उस सामग्री को रखा जाता है जो उस वाक्य के अंग होते हुए भी पृथक् किए जा सकते हैं। कोष्ठक के भीतर किसी शब्द या वाक्यांश विशेष को सुस्पष्ट करने हेतु किया जाता है। नाटकों में निर्देशों को कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है जबकि पूर्ण वाक्यों के बाद उसके संदर्भों को भी कोष्ठक में लिखा जाता है।

कोष्ठक तीन प्रकार के होते हैं-

बड़ा कोष्ठक [], सर्पाकार कोष्ठक { } और छोटा कोष्ठक ()

नोट : बड़ा कोष्ठक के भीतर छोटा कोष्ठक और सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग गणित के नियमों की ही तरह होता है।

उदाहरण -

- (अ) व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिपि परिवर्तन- शंकर (Shankar) को संकर (Sankar) लिखना गलत है।
- (ब) राजा मोरध्वज के समय दक्षिण कोसल की राजधानी मणिपुर (वर्तमान रतनपुर) और राजा बभ्रुवाहन के समय चित्रांगदपुर (वर्तमान सिरपुर) था।
- (स) कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें।

[(संलग्न 1)-पृ.सं.-3]

12. हंसपद/त्रुटिबोधक चिह्न (^)

जब किसी वाक्य या वाक्यांश को लिखते समय कोई शब्द छूट जाता है तब उस छूटे हुए शब्द को उसी स्थान पर हंसपद चिह्न (^) लगाकर उसके ऊपर लिख दिया जाता है; जैसे-

फूल

(अ) मैं तुम्हें ^ देना चाहता हूँ।

13. रेखांकन चिह्न (-)

किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द या वाक्यखंड को उसके नीचे रेखा खींचकर रेखांकित किया जाता है। कभी-कभी किसी दस्तावेज में महत्वपूर्ण वाक्यों को रेखांकन चिह्न द्वारा रेखांकित किया जाता है ताकि उस पर ध्यान आकर्षित हो; जैसे-

- प्रेमचंद द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान है।

14. लाघव चिह्न (०)

किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए शब्द के प्रथम अक्षर के बाद लाघव चिह्न (०) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- बिलासपुर न०पा०नि० - बिलासपुर नगर पालिक निगम
- द०पू०म०रे० - दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

15. लोप/वर्जन चिह्न (.....)

लोप चिह्न का प्रचलित नाम वर्जन चिह्न है। यह सूक्ष्म बिन्दुओं की कुछ लम्बाई है जो किसी कथन के लोपन के स्थान में प्रयोग होता है और उसके स्थान पर बिन्दुओं की छोटी-सी कतार रख दी जाती है। जब किसी वाक्य या अनुच्छेद के कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो भी लोप चिह्न का ही प्रयोग किया जाता है; जैसे-

(अ) गांधी जी ने कहा, "परीक्षा की घड़ी आ गई है.... हम करेंगे या मरेंगे।"

(ब) मैं जितना कहता हूँ उतना ही करो, अन्यथा.....

16. तुल्यतासूचक चिह्न (=)

किसी शब्द के समान अर्थ बताने अथवा समान मूल्य या मान बताने के लिए तुल्यतासूचक चिह्न (=) का प्रयोग किया जाता है; जैसे-

- 1 मीटर = 100 सेन्टीमीटर

● विद्या + आलय = विद्यालय

● परसा फूल (छत्तीसगढ़ी) = पलाश का फूल (हिन्दी)

17. समाप्ति सूचक चिह्न (--0-- , ..0..)

किसी लेख, अध्याय या पुस्तक की समाप्ति पर जिस चिह्न का प्रयोग किया जाता है उसे समाप्ति सूचक चिह्न कहते हैं। इसका प्रारूप कुछ इस प्रकार होता है-

.....0..... अध्याय की समाप्ति पर

----0---- कहानी, नाटक या उपन्यास की समाप्ति पर।

समाप्ति सूचक के लिए वर्तमान में अन्य चिह्नों का भी प्रयोग हो रहा है; जैसे-

X----X----X----X----X----X

▲----▲----▲----▲----▲

✱----✱----✱----✱----✱

-----▲▲▲▲▲-----

18. विकल्प चिह्न (/)

जब दो में से किसी एक को चुनने का विकल्प हो तब आड़े चिह्न (/) का प्रयोग किया जाता है, इसे ही विकल्प चिह्न कहा जाता है; जैसे-

-----▲▲▲▲▲-----

● संस्कृत को देवों की भाषा कहा गया है, परन्तु यह पंडितों/विद्वानों की ही भाषा रही है।

19. पुनरुक्ति चिह्न (,, ,, ,, या --,,-- --,,--,,--)

जब ऊपर लिखे किसी वाक्य या वाक्य खंड को ज्यों का त्यों नीचे लिखना हो तो उस वाक्य के नीचे पुनः वही शब्द न लिखकर इस चिह्न का प्रयोग करते हैं; जैसे-

सचिन दसवीं में पढ़ता है।

सुभाष --,,--,,--

पवन नवमीं में पढ़ता है।

राजू --,,--,,--

20 टीका सूचक/संकेत चिह्न (+ , 1 , *)

कार्यालयीन कार्यों में तारांकित या धनांकित चिह्नों का प्रयोग विशेष बिन्दुओं/ तथ्यों पर ध्यान आकर्षित कराने के लिए किया जाता है। सूचना या तथ्यों का विवरण हासिए में या पृष्ठ के नीचे भाग में लिखा जाता है। तारांकित वाक्यों या शब्दों में एकतारा (*), एक धन (+), दो धन (++) या कोई अंक (1 , 2 , 3 आदि) का संकेत चिह्न अंकित रहता है और उसका विवरण हासिए या पृष्ठ के नीचे भाग में लिख दिया जाता है। शोध ग्रंथों की पाद टिप्पणियों में अंकों का प्रयोग होता है और टीकासूचक अंकों के द्वारा संदर्भों का विवरण अध्याय के अंत में दिया जाता है।

नोट्स (Notes)

खण्ड - 2

10. हिन्दी साहित्य का इतिहास एवं काल-विभाजन
11. हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाएँ
(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)
12. हिन्दी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का योगदान
(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

नोट्स (Notes)

हिन्दी साहित्य का इतिहास एवं काल-विभाजन

सामान्य इतिहास लेखन में तथ्यों का-घटनाओं का अंकन होता है, जैसे उस कालखंड में कौन-कौन राजा हुए, किसने किसको हराकर राज्य प्राप्त किया, शासन व्यवस्था कैसी थी, आदि-आदि। जबकि साहित्य के इतिहास लेखन में जनता की भावनाओं एवं समाज के विचारों का चित्रण रहता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य, वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिम्ब होता है। वस्तुतः जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अन्त तक जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन देश-काल की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। वस्तुतः जनता या समाज की परम्परा का साहित्य परम्परा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।

आज की मानक हिन्दी का आधार खड़ी बोली है जो देश के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। हिन्दी साहित्य के पूर्ववर्ती काल में काव्य लेखन की ही परम्परा रही है, गद्यलेखन का विकास आधुनिक काल में हुआ।

राहुल सांकृत्यायन ने 'सरहपा' को पुरानी हिन्दी का कवि माना है। इस दृष्टि से उन्होंने हिन्दी का उद्भव काल नौवीं शताब्दी माना है, हालांकि 'सरहपा' की रचनाएँ बहुत कम मात्रा में प्राप्त हुई हैं।

हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रन्थकार

हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन का वास्तविक सूत्रपात 19 वीं शताब्दी से माना जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की शुरुआत फ्रेंच विद्वान गार्सा-द-तासी (1839 ई.) से हुई जो अब तक चली आ रही है। विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना कर महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथकारों का संक्षिप्त परिचय नीचे दिया जा रहा है।

1. गार्सा-द-तासी-

गार्सा-द-तासी एक फ्रेंच विद्वान हैं। उनके द्वारा रचित 'इस्त्वार द ला लितरेत्यूर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी' ग्रंथ को हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम ग्रंथ माना गया है। इस ग्रंथ के प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ई. में हुआ जबकि द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ई. में हुआ।

- इस ग्रंथ में 783 कवियों/लेखकों का वर्णन है जिनमें से 72 कवियों का संबंध हिन्दी से है जबकि शेष उर्दू कवि हैं।
- इस ग्रंथ के प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में उनकी रचनाओं के उदाहरण फ्रेंच भाषा में अनुदित हैं।
- इस ग्रंथ को हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन की परम्परा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है।

2. शिवसिंह सेंगर-

इतिहास लेखन परम्परा से जुड़ा दूसरा ग्रंथ 'शिवसिंह सरोज' है। इस ग्रंथ की रचना शिवसिंह सेंगर ने 1883 ई. में की थी। इस ग्रंथ में 838 कवियों का जीवन-चरित तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है।

- यह ग्रंथ परवर्ती इतिहासकारों के लिए एक मुख्य आधार रहा, यही इस महाग्रंथ की महत्ता भी है।

3. सर जार्ज ए. ग्रियर्सन-

सन् 1888 ई. में 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' की पत्रिका के विशेषांक के रूप में सर जार्ज ए. ग्रियर्सन द्वारा रचित 'द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' का प्रकाशन हुआ।

- ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 हिन्दी कवियों को शामिल किया है।
- ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को 11 अध्यायों में बांटा है जिसमें प्रत्येक अध्याय एक काल विशेष का सूचक है। अर्थात् ग्रियर्सन ने रचनाकारों, कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है।
- ग्रियर्सन ने 16 वीं -17 वीं शताब्दी को हिन्दी काव्य का स्वर्ण युग कहा है।
- ग्रियर्सन ने पहली बार भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए हिन्दी को संस्कृत-प्राकृत एवं अरबी-फारसी मिश्रित उर्दू से पृथक् किया।
- ग्रियर्सन द्वारा लिखित 'द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान' का प्रकाशन अंग्रेजी में हुआ।
- स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इसका प्रकाशन सन् 1889 में हुआ जबकि 1888 ई. में यह 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था।
- अनेक विद्वानों व शोधार्थियों ने ग्रियर्सन द्वारा रचित उक्त

ग्रंथ को हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ माना है, क्योंकि उन्होंने तथ्यों को न केवल क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया, बल्कि व्याख्या व विश्लेषण का भी प्रयास किया व पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों की कमियों को दूर करने का भी कार्य किया।

4. मिश्रबन्धु-

- मिश्रबन्धु द्वारा चार भागों में लिखित 'मिश्रबन्धु विनोद' के प्रथम तीन भाग का प्रकाशन 1913 ई. में व चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1914 ई. में हुआ।
- इस ग्रंथ की रचना तीन भाइयों-कृष्ण बिहारी मिश्र, शुक्रदेव बिहारी मिश्र तथा गणेश बिहारी मिश्र द्वारा किया गया। ये तीनों लेखक 'मिश्रबन्धु' के नाम से जाने जाते हैं।
- इस ग्रंथ में पाँच हजार कवियों के बाबत विवरण संगृहीत है। यह एक विशाल ग्रंथ है इसीलिए हिन्दी साहित्य इतिहास लेखन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
- इस ग्रंथ में रचना काल को आठ खण्डों में विभाजित कर विभाजन का न केवल समुचित प्रयास किया गया वरन् कवियों के परिचयात्मक विवरण के साथ उनके साहित्यिक अवदान पर भी प्रकाश डाला गया।

5. आचार्य रामचंद्र शुक्ल-

- आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सन् 1929 में 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' नामक ग्रंथ की रचना की।
- उनके इस ग्रंथ में लगभग एक हजार रचनाकारों को शामिल किया गया है।
- उनके द्वारा रचित इस ग्रंथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने प्रत्येक रचनाकार के साहित्यिक अवदान पर अपना आलोचनात्मक मत दिया है।
- शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य इतिहास के 900 वर्षों को चार कालखण्डों में विभाजित किया है जो निम्न हैं-
(i) आदिकाल (वीरगाथाकाल)
(ii) पूर्व-मध्यकाल (भक्तिकाल)
(iii) उत्तर-मध्यकाल (रीतिकाल)
(iv) आधुनिककाल (गद्यकाल)
- आचार्य रामचंद्र शुक्ल के परवर्ती साहित्य इतिहास लेखकों ने

इसी विभाजन को मान्यता दी एवं इसी को आधार बनाकर थोड़ा-बहुत परिवर्तन कर अपने काल विभाजन एवं कालों का नामकरण प्रस्तुत किया।

- इस ग्रंथ का संशोधित तथा संवर्धित संस्करण सन् 1940 में प्रकाशित हुआ।
- आचार्य शुक्ल ने कवियों के जीवन-वृत्त के स्थान में उनके साहित्यिक अवदान का मूल्यांकन किया जो इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

6. डॉ. रामकुमार वर्मा-

- डॉ. रामकुमार वर्मा ने सन् 1938 में 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' नामक ग्रंथ की रचना की।
- डॉ. वर्मा ने अपने ग्रंथ में 693 ई. से लेकर 1693 ई. तक के कालावधि अर्थात् संधिकाल से लेकर भक्तिकाल तक के कवियों के अवदान का विवेचन-विश्लेषण किया है।

7. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी-

- आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी साहित्य के तीन इतिहास ग्रन्थों की रचना की-
(i) हिन्दी साहित्य की भूमिका (1940)
(ii) हिन्दी साहित्य : उद्भव और विकास (1952)
(iii) हिन्दी साहित्य का आदिकाल (1952)
- आचार्य द्विवेदी ने देश की प्राचीन परम्पराओं तथा संस्कृति के धारावाहिक रूप के संदर्भ में - प्रत्येक कालखण्ड में रचित हिन्दी साहित्य का मूल्यांकन किया।
- इन्होंने सिद्धों और नाथों का वर्णन करके कबीर पर इनका प्रभाव दिखाया है।
- इन्होंने आदिकाल पर अनुसंधानपरक खोज कर सन् 1952 में अलग से ग्रंथ की रचना की।

8. डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त-

- डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त ने सन् 1965 में 'हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास' नामक ग्रंथ की रचना की।
- डॉ. गुप्त ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल-विभाजन को स्वीकार न करते हुए हिन्दी साहित्य के इतिहास को तीन

खण्डों में विभाजित किया है-

- (i) प्रारंभिक काल
- (ii) मध्यकाल
- (iii) आधुनिक काल

डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त ने हिन्दी साहित्य इतिहास की पूर्व प्रतिष्ठित अनेक मान्यताओं का तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से खंडन करते हुए नयी मान्यताओं को स्थापित किया।

हिन्दी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रन्थ

ग्रंथ	ग्रंथकार
● इस्त्वार द ला लिटरेच्युर ऐन्दुई ऐन्दुस्तानी (सन् 1839 ई.)	गार्सा-दा-तासी
● शिवसिंह सरोज (सन् 1883 ई.)	शिवसिंह सेंगर
● द माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिन्दुस्तान (सन् 1888 ई.)	जार्ज ग्रियर्सन
● मिश्रबन्धु विनोद (सन् 1913 ई.)	मिश्रबन्धु
● हिन्दी साहित्य का इतिहास (सन् 1929 ई.)	आचार्य रामचंद्र शुक्ल
● हिन्दी भाषा और साहित्य (सन् 1931 ई.)	श्यामसुन्दर दास
● हिन्दी भाषा और विकास (सन् 1934 ई.)	श्यामसुन्दर दास
● हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास (सन् 1934 ई.)	सूर्यकान्त शास्त्री
● हिन्दी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास (सन् 1934 ई.)	अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'
● आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास (सन् 1934 ई.)	कृष्ण शंकर शुक्ल
● हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास (सन् 1938 ई.)	डॉ. रामकुमार वर्मा
● हिन्दी साहित्य की भूमिका (सन् 1940 ई.)	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
● हिन्दी साहित्य का आदिकाल (सन् 1952 ई.)	आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी
● हिन्दी साहित्य : उद्भव व विकास (सन् 1952 ई.)	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
● आधुनिक हिन्दी का विकास (सन् 1941 ई.)	श्री कृष्ण लाल
● हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी (सन् 1942 ई.)	आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी
● आधुनिक साहित्य (सन् 1950 ई.)	आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी
● हिन्दी काव्यधारा (सन् 1944 ई.)	राहुल सांकृत्यायन
● हिन्दी भाषा और साहित्य का इतिहास (सन् 1949 ई.)	चतुरसेन शास्त्री
● आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका (सन् 1952 ई.)	लक्ष्मीसागर वाष्णोय
● आधुनिक हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियाँ (सन् 1954 ई.)	डॉ. नामवर सिंह
● हिन्दी साहित्य का अतीत (दो खण्डों में प्रथम सन् 1959 ई., द्वितीय सन् 1960 ई.)	विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
● हिन्दी साहित्य का वृहत् इतिहास (सन् 1961 ई.)	नागरी प्रचारिणी सभा
● हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास (सन् 1965 ई.)	डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त
● हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिदृश्य (सन् 1967 ई.)	अज्ञेय
● हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास (सन् 1985 ई.)	डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी

हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन और नामकरण

■ सर जॉर्ज ए. ग्रियर्सन का काल-विभाजन-

1. चारण काल 700-1300 ई.
2. 15 वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण
3. जायसी की प्रेम कविता
4. ब्रज का कृष्ण सम्प्रदाय
5. मुगल दरबार
6. तुलसीदास
7. रीतिकाल
8. तुलसी के अन्य परवर्ती
9. 18 वीं शताब्दी
10. कम्पनी के शासन में हिन्दुस्तान
11. महारानी विक्टोरिया के शासन में हिन्दुस्तान

■ मिश्र बन्धुओं का काल-विभाजन-

- | | |
|--------------------|---|
| 1. प्रारम्भिक काल- | पूर्व प्रारम्भिक काल (700-1343 वि.सं.)
उत्तरारम्भिक काल (1344-1444 वि.सं.) |
| 2. माध्यमिक काल- | पूर्व माध्यमिक काल (1445-1560 वि.सं.)
प्रौढ़ माध्यमिक काल (1561-1680 वि.सं.) |
| 3. अलंकृत काल | पूर्वालंकृत काल (1681-1790 वि.सं.)
उत्तरालंकृत काल (1791-1889 वि.सं.) |
| 4. परिवर्तन | (1890-1924 वि.सं.) |
| 5. वर्तमान काल | (1926 वि.सं. से अब तक) |

■ आचार्य शुक्ल का काल-विभाजन-

- | | |
|------------------|--------------------------------|
| 1. आदिकाल | (वीरगाथाकाल, वि.सं. 1050-1375) |
| 2. पूर्व-मध्यकाल | (भक्तिकाल, वि.सं. 1375-1700) |
| 3. उत्तर-मध्यकाल | (रीतिकाल, वि.सं. 1700-1900) |
| 4. आधुनिक काल | (गद्यकाल, वि.सं. 1900-1984) |

■ डॉ. रामकुमार वर्मा का काल-विभाजन-

- | | |
|---------------|------------------------|
| 1. संधि काल | (वि.सं. 750-1000) |
| 2. चारण काल | (वि.सं. 1000-1375) |
| 3. भक्ति काल | (वि.सं. 1375-1700) |
| 4. रीतिकाल | (वि.सं. 1700-1900) |
| 5. आधुनिक काल | (वि.सं. 1900 से अब तक) |

■ डॉ. गणपतिचन्द्र गुप्त का काल-विभाजन-

- | | |
|------------------|------------------------|
| 1. आदिकाल | (सन् 1184-1350 ई.) |
| 2. पूर्व-मध्यकाल | (सन् 1350-1600 ई.) |
| 3. उत्तर-मध्यकाल | (सन् 1600-1857 ई.) |
| 4. आधुनिक काल | (सन् 1857 ई. से अब तक) |

■ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल-विभाजन-

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. आदिकाल | (सन् 1000-1400 ई.) |
| 2. पूर्व-मध्यकाल | (सन् 1400-1700 ई.) |
| 3. उत्तर-मध्यकाल | (सन् 1700-1900 ई.) |
| 4. आधुनिक काल | (सन् 1900 ई. से आगे) |

काल-विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया है। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया है पर संवत् के स्थान पर ईसवी सन् का प्रयोग कर उन्होंने काल-विभाजन को और व्यवस्थित कर दिया है। दोनों के कालावधियों में कुछ ही वर्षों का फर्क है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य के काल-विभाजन का आधार बनाया है।

विभिन्न कालखण्डों का नामकरण

● आदिकाल का नामकरण-

नाम	प्रयोक्ता
चारण काल	जार्ज ग्रियर्सन
प्रारम्भिक काल	मिश्र बन्धु

बीज वपन काल	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी
सिद्ध सामंत काल	पं. राहुल सांकृत्यायन
वीरकाल	आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
संधिकाल एवं चारण काल	डॉ. रामकुमार वर्मा
आदिकाल	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
आधार काल	सुमन राजे

● भक्तिकाल का नामकरण-

माध्यमिक काल	मिश्रबन्धु
भक्तिकाल	आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉ. रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
पूर्व-मध्यकाल	डॉ. गणपति चन्द्र गुप्त

● रीतिकाल का नामकरण-

रीतिकाव्य	जॉर्ज ग्रियर्सन
अलंकृत काल	मिश्र बन्धु
रीतिकाल	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
शृंगारकाल	आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र
कला काल	रमाशंकर शुक्ल 'रसाल'

● आधुनिक काल-

वर्तमान काल	मिश्रबन्धु
गद्यकाल	आचार्य रामचंद्र शुक्ल
आधुनिक काल	हजारी प्रसाद द्विवेदी

हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन

हिन्दी साहित्य के इतिहास का आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन अधिक प्रचलित है। हिन्दी साहित्य के इतिहास को कालक्रम और युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर निम्नानुसार चार भागों या कालों में विभाजित किया गया है-

क्र.	कालक्रम के आधार पर नामकरण	युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण	कालखण्ड	
			विक्रम संवत्	ईस्वी सन्
1.	आदिकाल	वीरगाथाकाल	1050 से 1375 वि.सं.	993 से 1318 ई.
2.	पूर्व-मध्यकाल	भक्तिकाल	1375 से 1700 वि.सं.	1318 से 1643 ई.
3.	उत्तर-मध्यकाल	रीतिकाल	1700 से 1900 वि.सं.	1643 से 1843 ई.
4.	आधुनिक काल	गद्यकाल	1900 वि.सं. से आरंभ	1843 ई. से आरंभ

उपरोक्त में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल नाम सबसे अधिक प्रचलित है।

1. आदिकाल/ वीरगाथाकाल (विक्रम संवत् 1050 से 1375/ ईस्वी सन् 993 से 1318)-

इस काल में विभिन्न राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता के वर्णन के लिए उनकी प्रशंसा में कविताएँ लिखी, इसलिए इस काल को वीरगाथा काल कहा गया। यह देश में राजनीतिक उथल-पुथल का काल था। चारों ओर अशांति का वातावरण था। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् राज्यों में विघटन की स्थिति थी। छोटे-छोटे रजवाड़ों के अधिपति (तोमर, राठौर, चौहान, सोलंकी, चंदेल आदि) राजपूत आपस में लड़कर देश की शक्ति को क्षीण कर रहे थे। सामान्यतः

विदेशी हमलों के समय ये एक-दूसरे की सहायता नहीं करते थे। कभी-कभी अपने ही देश के शत्रु राजाओं के विरुद्ध विदेशी आक्रांताओं से मिल भी जाते थे। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुसलमानों ने देश के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) इस काल में अपभ्रंश से हिंदी के आरंभिक भाषा रूप का जन्म हुआ।
- (2) इस काल में काव्य के क्षेत्र में वीर रस की प्रधानता रही। कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की वीरता को बढ़ा-चढ़ाकर लिखा।

- (3) इस काल में वर्णनात्मक काव्यों का ही अधिक सृजन हुआ।
- (4) इस काल की रचनाओं पर स्वदेश का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है।
- (5) इस काल की अधिकांश रचनाएँ ऐतिहासिकता की दृष्टि से संदिग्ध हैं क्योंकि कवियों ने अतिशयोक्तिपूर्ण लेखन कर राजाओं की प्रशंसा में काव्य की रचना की इसलिए वे यथार्थ के अधिक निकट नहीं हैं।
- (6) कवियों ने जनसाधारण की भावनाओं और उनकी समस्याओं की पूरी तरह उपेक्षा की।
- (7) कवियों की रचनाओं में युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस काल में कवि न केवल काव्य की रचना करते थे वरन् युद्ध क्षेत्र में जाकर तलवार भी उठाते थे।
- (8) इस काल में वीर रस के साथ-साथ शृंगार रस के गीतों की भी प्रधानता रही।
- (9) इस काल में कवियों ने डिंगल-पिंगल भाषा (प्राकृत, अपभ्रंश मिश्रित) का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है।
- (10) इस काल में कवियों ने अपने काव्य में छंदों का भरपूर प्रयोग किया है। विशेषकर दोहा, छप्पय, तारुं क आदि छंदों में वीर रस व शृंगार रस की कविताएँ लिखी।

आदिकाल/वीरगाथा काल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	चंदबरदाई	पृथ्वीराज रासो (हिन्दी का प्रथम महाकाव्य)
2.	अमीर खुसरो	पहेलियाँ, दो सखुनें, आवाज ए खुसरवी, खालिकबारी (फारसी-हिन्दी शब्दकोश), नुहसिपहर (भारतीय बोलियों का वर्णन), मुकरियाँ, गजल, ढकोसला
3.	विद्यापति	पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपताका
4.	नरपति नाल्ह	बीसलदेव रासो
5.	जगनिक	परमाल रासो (आल्हाखंड)
6.	दलपत विजय	खुमान रासो
7.	भट्ट केदार	जयचंद प्रकाश
8.	श्रीधर	रणमल्ल छन्द

2. पूर्व-मध्यकाल/ भक्तिकाल (विक्रम संवत् 1375 से 1700/ ईस्वी सन् 1318 से 1643 तक)

वीरगाथा काल के समाप्त होने से पहले ही साहित्य के क्षेत्र में बदलाव आने लगा था। दिल्ली सहित देश के बड़े भाग पर मुसलमानों का आधिपत्य हो गया था। हिंदुओं के हृदय में भय और आतंक व्याप्त था। उनके पास अपने धर्म की रक्षा की शक्ति नहीं बची थी। उनका धर्म, संस्कृति, आत्मविश्वास सभी कुछ खतरे में था। ऐसी ही निराशाजनक स्थिति में भक्ति का उदय हुआ। इसी समय दक्षिण में उत्पन्न भक्ति आंदोलन का प्रचार रामानंद ने उत्तर में किया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक ओर तो संत कवियों ने हिंदू और मुसलमानों में समान रूप से स्वीकार्य निर्गुण (निराकार) ईश्वर की भक्ति में काव्य लिखा तो दूसरी ओर राम और कृष्ण की भक्ति पर आधारित सगुण काव्य की रचना आरंभ हुई।

यहाँ भगवान के निर्गुण और सगुण रूप के अंतर को समझना आवश्यक है। निर्गुण भक्ति में भगवान का कोई रूप या आकार नहीं होता। निर्गुण भक्त निराकार भगवान से या तो प्रेम करता है या प्रेम की अपेक्षा ज्ञान प्राप्त करने पर अधिक बल देता है। इसी कारण भक्ति काल में निर्गुण भक्ति की प्रेममार्गी और ज्ञानमार्गी दो प्रकार की धाराएँ प्रवाहित होती दिखाई देती हैं।

दूसरी ओर सगुण भक्ति में भक्त भगवान को रूप और आकार वाला मानता है। वह इस साकार भगवान से प्रेम करता है। उसका यह प्रेम अत्यंत स्वाभाविक है। वह उसका प्रेम पाने के लिए उसकी पूजा करता है। इस सगुण भगवान के भी दो रूप हैं। ये दो रूप विष्णु के अवतार राम और कृष्ण हैं। इस प्रकार सगुण भक्ति की दो शाखाएँ हो गईं— एक राम भक्ति शाखा और दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा।

हिन्दी काव्य का स्वर्ण युग—

हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल को अपनी असाधारण और अभूतपूर्व विशेषताओं के कारण हिन्दी साहित्य का स्वर्णयुग भी कहा जाता है। बाबू श्यामसुंदर दास के शब्दों में— जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे कवियों की वाणी देश के कोने-कोने में फैली थी, वह निश्चय ही हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग था।

इस युग में बीजक (कबीर), पद्मावत (जायसी),

रामचरितमानस (तुलसीदास), सूरसागर (सूरदास), गीत गोविंद का टीका (मीराबाई), प्रेमवाटिका (रसखान) जैसे महाग्रंथों का सृजन हुआ।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) इस काल में कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसी, मीराबाई, रसखान जैसे महाकवियों की कलम से असाधारण एवं अभूतपूर्व महाकाव्यों के सृजन के कारण इसे हिन्दी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है।
- (2) इस काल के कवियों ने अपने आराध्य के प्रति अटूट भक्ति-भावना का परिचय दिया। तुलसी ने राम के प्रति, तो मीरा व सूरदास ने कृष्ण के प्रति भक्ति-भावना से ओत-प्रोत काव्य का सृजन किया। वहीं कबीर ने ज्ञान को ही भक्ति का आधार मानते हुए ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की।
- (3) भक्तिकालीन कवियों ने मनुष्य को ब्रह्म का रूप माना और मनुष्य भाव की रक्षा के लिए जाति व्यवस्था व संप्रदाय से ऊपर उठकर राम और रहीम की एकता स्थापित कर भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया।
- (4) इस काल के कवियों ने मानव ही नहीं सम्पूर्ण प्राणिमात्र के लिए हिंसा का विरोध किया।

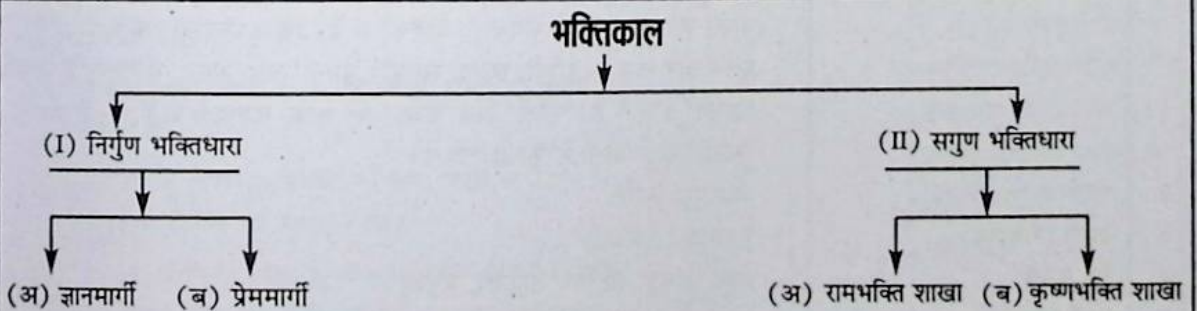
- (5) भक्तिकाल की रचनाओं में भारतीय संस्कृति, धर्म, दर्शन और अध्यात्म को विशेष महत्व दिया।
- (6) इस काल के कवियों ने बाह्य आडंबरों-माला फेरना, सिर मुड़ाना, रोजा रखना आदि का विरोध किया।
- (7) जाति-पाँति और छुआछूत का विरोध किया। कबीर ने लिखा है- "जाति न पूछौ साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।"
- (8) भक्तिकालीन कवियों ने गुरुओं की महिमा का बखान करते हुए उसे अपना सच्चा मार्गदर्शक बताया। कबीर ने लिखा भी है कि-
"गुरु गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पाय।
बलिहारि गुरु आपनी, गोविंद दिया बताय।"
- (9) भक्तिकालीन कवियों ने अपने काव्य में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, कुण्डलिया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग किया।
- (10) भक्तिकालीन कवियों ने खड़ी बोली (वर्तमान हिन्दी भाषा-कबीर), अवधी भाषा (तुलसीदास) और ब्रजभाषा (सूरदास, मीराबाई) का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया।
- (11) भक्तिकालीन रचनाओं में लोक कल्याण, समाज-सुधार की भावना के प्रति विशेष आग्रह परिलक्षित होता है।

भक्तिकाल का विभाजन

भक्तिधारा के अनुसार भक्तिकाल को दो भागों में विभाजित किया गया है-

(I) निर्गुण भक्ति धारा

(II) सगुण भक्ति धारा



ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर माने जाते हैं। इन्होंने ज्ञान के महत्व (ज्ञानमार्गी) को प्रतिष्ठित किया। प्रेममार्गी शाखा के प्रधान कवि मलिक मुहम्मद जायसी हैं। सगुण भक्तिधारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं तथा कृष्णभक्ति शाखा के सर्वोच्च कवि सूरदास हैं।

(I) निर्गुण भक्ति धारा

वीरगाथा काल या आदिकाल में दिल्ली सहित देश के बड़े भूभाग पर मुसलमान शासकों का आधिपत्य हो गया था। लोग राजाओं या राजव्यवस्थाओं के अत्याचार से तो पीड़ित थे ही, युद्ध ने उनकी कमर तोड़ दी थी इसलिए वे कर्मकांड, अंधविश्वास, कुरीतियों, जात-पाँत और साम्प्रदायिकता के जाल में धंसते चले गए। इस समय हिन्दू और मुसलमान धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे थे। ऐसे समय में कबीर, नानक आदि संतों ने उन्हें उपदेश दिया कि हिन्दुओं का राम और मुसलमानों का रहीम उसी परमात्मा का नाम है जिसकी हम सन्तान हैं। इन संतों ने दोनों धर्मों के आडंबरों एवं कट्टरपंथ पर कठोर प्रहार किया। इन्होंने ईश्वर के निराकार रूप को प्रतिष्ठित किया। इनमें एक वर्ग ऐसा था जो ज्ञान द्वारा निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति पर बल देता था जबकि दूसरा वर्ग प्रेम के द्वारा। इस तरह यह धारा दो भागों में प्रवाहित हुई— (अ) ज्ञानमार्गी शाखा (ब) प्रेममार्गी शाखा।

(अ) ज्ञानमार्गी शाखा—

इस शाखा के प्रमुख कवि संत कबीर थे। उन्होंने अपने काव्य में आडम्बर का खुलकर विरोध करते हुए, हिन्दू और मुसलमान दोनों की रुढ़िवादिता, धार्मिक संकीर्णता का तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया। उन्होंने आचरण की शुद्धता और समता की महत्ता को प्रतिष्ठित

किया। इस धारा के काव्य में ज्ञान, प्रेम, योग तथा भक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। ज्ञानमार्गी शाखा को 'सन्त काव्य धारा' या 'ज्ञानाश्रयी शाखा' के नाम से भी जाना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ—

- (1) इस शाखा का जन्म हिन्दू-मुस्लिम एकता की भावना को स्थापित करने के लिए हुआ।
- (2) इस शाखा के कवियों ने इस्लाम के एकेश्वरवाद और हिंदुओं के अद्वैतवाद को महत्व दिया।
- (3) इन कवियों ने मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा, व्रत-उपवास, रोजा, नमाज आदि मिथ्या आडंबरों का विरोध किया।
- (4) ये कवि सांप्रदायिकता, वर्णाश्रम व्यवस्था और जात-पाँत के विरोधी थे। ये इंद्रिय निग्रह और साधना पर जोर देते थे।
- (5) इस शाखा के कवियों पर सिद्धों, योगियों और नाथपंथ का प्रभाव था इसलिए इनके काव्य में हठयोग की प्रधानता रही। हठयोगी हृदय के भीतर ब्रह्म का साक्षात्कार करने पर बल देते हैं।
- (6) इस शाखा के कवि संत कहलाए। इनकी कविता उपदेश प्रधान रही।
- (7) इनके काव्य पर अहिंसा, भक्ति भावना की महत्ता की प्रधानता है।
- (8) ये सच्चे अर्थों में मानव धर्म के पथ-प्रदर्शक थे।

भक्तिकाल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	संत कबीर	● बीजक कबीर की रचनाओं का संकलन 'बीजक' में है। इसके संकलनकर्ता धर्मदास हैं। इसके तीन भाग हैं— रमैनी, सबद, साखी। 'रमैनी' और 'सबद' में गेयपद हैं जबकि 'साखी' दोहों में है। 'रमैनी' और 'सबद' की भाषा, ब्रजभाषा के निकट है जबकि 'साखी' खड़ी बोली में लिखा गया है।
2.	धर्मदास	अमरसुख निधान
3.	रैदास (रविदास)	रैदासबानी (संकलित)
4.	गुरु नानक	असा दी वार, रहिरास, सोहिला, जपुजी
5.	गुरु अर्जुन देव	गुरुग्रंथ साहिब (संकलित)
6.	मलूकदास	ज्ञानबोध, रत्नखान
7.	दादूदयाल	हरडे बानी, अंग वधू, काया बोली
8.	सुंदरदास	सुंदर विलास

(ब) प्रेममार्गी शाखा-

वस्तुतः वीरगाथा काल (आदिकाल) संक्रान्ति का समय था जब दो सभ्यताओं का परस्पर मिलन हुआ। संत कबीर ने सबसे पहले इस भावना को प्रतिष्ठित किया कि ईश्वर या खुदा में कोई फर्क नहीं है दोनों एक ही हैं।

बाद में सूफी मत का उदय हुआ। सूफी संतों का जीवन सीधा-सरल था और उनके उच्च आध्यात्मिक विचार थे। उन्होंने प्रेमार्थियों के माध्यम से हिन्दू-मुसलमानों में एकता का प्रयास किया। उनके आख्यानों में ईश्वर के प्रति प्रेम की झलक मिलती है। सूफी संत थे तो मुसलमान-परन्तु उन पर पूर्णतः भारतीय प्रभाव था। उनके आख्यानों में उत्कृष्ट पति-प्रेम और नायिका के सतीत्व का वर्णन मिलता है। कबीर का रहस्यवाद जहाँ दार्शनिक रहस्यवाद था वहीं सूफी संतों का रहस्यवाद माधुर्य भावना का रहस्यवाद था।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) प्रेममार्गी शाखा को 'सूफी काव्य धारा' या 'प्रेमश्रयी शाखा' के नाम से भी जाना जाता है। लौकिक प्रेम कथाओं में अलौकिक (ईश्वरीय) प्रेम की अभिव्यक्ति इन कवियों की सबसे बड़ी विशेषता थी।
- (2) इनकी कथाएँ हिन्दू जीवन से संबंधित हैं, इनमें भौतिक प्रेम के आधार पर ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है।
- (3) इन्होंने भक्त को प्रेमी और भगवान को प्रेयसी के रूप में स्वीकार किया है।
- (4) इनकी भाषा अवधी है।
- (5) इन्होंने मुख्य रूप से दोहा और चौपाई छन्दों का प्रयोग किया है।
- (6) कवियों ने अपनी भावनाओं को प्रगट करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लिया।
- (7) वस्तुतः प्रेममार्गी शाखा सूफी मत पर आधारित है। सूफी मत ईश्वर और जीव में प्रेम संबंध मानता है। इनमें आत्मा प्रेमी और परमात्मा प्रियतमा है।
- (8) इस शाखा के सभी कवि मुसलमान थे जो हिंदू धर्म की सामान्य बातों से भलीभाँति परिचित थे।

- (9) इन्होंने मुख्य रूप से 'प्रबंध काव्य' की रचना की जिसमें ऐतिहासिक घटनाक्रम के कुछ भाग को अपने 'प्रबंध काव्य' का मुख्य विषय बनाया।

भक्तिकाल के प्रेममार्गी शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	मलिक मुहम्मद जायसी	पद्मावत (1540 ई.) ● इस महाकाव्य की रचना 1540 ई. में की गई। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन एवं सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेमकथा का वर्णन है। 'पद्मावत' अवधी भाषा में रचित हिन्दी का विशद प्रबंध काव्य है। पद्मावत में कल्पना एवं ऐतिहासिकता का अद्भुत मिश्रण किया गया है। ● जायसी की अन्य रचनाएँ हैं- अखरावट, आखिरी कलम
2.	मुल्ला दाऊद	चंदायन (1379 ई.) ● 'चंदायन' को 'लोरिकहा' या 'लोर कथा' के नाम से भी जाना जाता है। इसका रचनाकाल 1379 ई. है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेमकथा पर आधारित लोककथा है।
3.	कुतुबन	मृगावती
4.	मंझन	मधुमालती
5.	उसमान	चित्रावली
6.	कासिम शाह	हंस जवाहिर
7.	नूर मुहम्मद	इंद्रावती, अनुराग बाँसुरी

(II) सगुण भक्तिधारा

भगवान के साकार रूप की उपासना करने वाले सगुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। सगुण भक्तिधारा में अवतारवाद को विशेष महत्व दिया गया, जिसने तत्कालीन समय में जनमानस के हृदय में राम और कृष्ण को प्रतिष्ठित किया।

सगुण भक्तिधारा स्पष्ट रूप से दो शाखाओं में विभक्त हुई—

(अ) राम भक्ति शाखा

(ब) कृष्ण भक्ति शाखा

(अ) राम भक्ति शाखा—

सगुण भक्तिधारा की एक शाखा राम भक्ति धारा के रूप में प्रवाहित हुई जिसमें भगवान राम के सगुण रूप को प्रतिष्ठित किया गया। इस शाखा के सगुण कवि गोस्वामी तुलसीदास हैं। उन्होंने आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य 'रामायण' को आधार बनाकर 'रामचरितमानस' की रचना 'अवधी' में की। उन्होंने जनमानस में इस बात को प्रतिष्ठित किया कि भगवान पापियों का संहार करने के लिए संसार में अवतार लेते ही हैं। आमजनों में इसे अपार लोकप्रियता मिली और यह घर-घर व चौपालों में पढ़ा जाने लगा। वस्तुतः तत्कालीन समय में लोग राजाओं के अत्याचार और विनाशकारी युद्धों से पीड़ित थे। राम भक्त कवियों की संख्या अपेक्षाकृत कम होने का मुख्य कारण 'रामचरितमानस' जैसे विशाल महाकाव्य का जनमानस में प्रतिष्ठित होना है, जिसके बाद राम के बारे में और लिख पाने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। संप्रति, भक्तिकाल के कवियों में तुलसीदास का नाम सर्वोपरि है।

मुख्य विशेषताएँ—

- (1) इस शाखा के कवियों ने राम को विष्णु का अवतार मानते हुए राम और सीता को इष्ट माना और सेवक भाव से उनकी उपासना की।
- (2) इस काव्यधारा का केन्द्रीय मूल्य 'सामाजिक मर्यादा' है, इसीलिए राम को 'मर्यादा पुरुषोत्तम' के रूप में प्रतिष्ठित

किया। राम का चरित्र, समाज के विभिन्न रिश्तों को मर्यादा में रहने की प्रेरणा देता है। वे अयोध्या के राजा हैं परन्तु सामन्तवादी चेतना व बहुपत्नीवाद के विरोधी हैं इसीलिए यह महाकाव्य शासन व्यवस्था में 'राम-राज्य' की कल्पना को प्रतिष्ठित करता है जहाँ मनुष्य दैहिक, दैविक, भौतिक तापों से मुक्त होकर जीवन व्यतीत कर सकता है।

'दैहिक दैविक भौतिक तापा,

राम राज नहीं काहुहि व्यापा।'

—तुलसीदास

- (3) लोकमंगल की कामना कर साहित्य का सृजन किया गया।
'परहित सरिस धरम नहीं भाई।
परपीड़ा सम नहीं अधमाई।'

—तुलसीदास

- (4) आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में 'भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो।' तुलसी ने समन्वय की विराट चेष्टा की, जो उनके महाकाव्य 'रामचरितमानस' में देखा जा सकता है।
- (5) इस काव्यधारा के कवियों ने न केवल अपने काल-खण्ड में समाज को दिशा प्रदान की बल्कि परवर्ती कालों में आजपर्यन्त उसका स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है।
- (6) राम भक्त कवियों ने वर्ण व्यवस्था को समाज के संगठन का अनिवार्य अंग मानते हुए सिद्धान्तः समर्थन किया जबकि भक्तिमार्ग के ज्ञानमार्गी कवि कबीर, नानक व सूफी कवि जायसी ने वर्ण व्यवस्था का खंडन किया।
- (7) इस काव्यधारा के कवियों की रचनाएँ अवधी व ब्रज में मिलती हैं।
- (8) इस काव्यधारा के अधिकांश कवियों ने दोहा, चौपाई, कुण्डलिया, छप्पय, कवित्त, सवैया आदि छन्दों का प्रयोग किया। भावों के अनुरूप छन्दों का प्रयोग करने में वे अत्यन्त कुशल थे।

भक्तिकाल के रामभक्ति शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	गोस्वामी तुलसीदास	● रामचरितमानस (1574 ई.) भगवान राम का सम्पूर्ण जीवन चरित्र वर्णित है। यह हिन्दी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। ● कवितावली (1612) कवित्त छन्द में रामकथा का वर्णन सात काण्डों में विभक्त है। ● गीतावली (1571 ई.) मुक्तक छन्द में रामकथा का वर्णन सात-काण्डों में विभक्त है। ● जानकी मंगल (1586 ई.) राम-सीता के विवाह का वर्णन है। ● पार्वती मंगल (1586 ई.) शिव-पार्वती के विवाह का वर्णन है। ● विनय पत्रिका (1585 ई.), दोहावली (1583 ई.), कृष्ण गीतावली (1571 ई.), रामलला नहछू (1586 ई.), वैराग्य संदीपनी (1612 ई.), बरवै रामायण (1612), रामाज्ञा प्रश्न (1612 ई.)
2.	केशव दास	● रामचन्द्रिका (1601 ई.) वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामकथा वर्णित। ● केशव दास को भक्तिकाल और रीतिकाल दोनों युगों को जोड़ने वाला कवि कहा जाता है। इनकी 'रामचन्द्रिका' रचना भक्तिकाल से संबंधित है। जबकि इनकी अन्य रचनाएँ जिनसे उन्हें ख्याति मिली वे रीतिकाल काव्य हैं जैसे-कवि प्रिया, रसिक प्रिया।
3.	स्वामी अग्रदास	हितोपदेश उपरवाणों बावनी,
4.	नाभादास	ध्यानमंजरी, रामध्यान मंजरी, कुण्डलिया भक्तमाल
5.	प्राणचंद चौहान	रामायण महानाटक
6.	हृदयराम	हनुमन्नाटक

(ब) कृष्ण भक्ति शाखा-

'कृष्ण काव्य' सगुण भक्तिधारा की एक शाखा है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण को आराध्य मानकर रचनाएँ लिखी गई हैं। मध्यकालीन सगुण भक्ति के आराध्य देवों में भगवान श्रीकृष्ण का स्थान सर्वोच्च है। संस्कृत में जयदेव ने गीत-गोविंद की रचना करके कृष्ण की मधुर भक्ति की परंपरा शुरू की थी जो हिन्दी साहित्य में भी चलती रही।

कृष्ण भक्ति धारा का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया। रामभक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा में एक बड़ा अंतर यह है कि राम भक्त स्वयं को राम का सेवक या दास समझते थे जबकि कृष्णभक्त स्वयं को कृष्ण का सखा मानते थे। कृष्णभक्त कवियों ने भक्त और भगवान के बीच प्रेमी-प्रेमिका के संबंध को अपने काव्य का आधार बनाया।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन विशेष रूप से किया है। सूरदास ने कृष्ण के लोकरंजनी रूप को अपने काव्य का आधार बनाया।
- (2) कृष्ण के प्रेम संबंधी चित्रण के साथ ही उनके वात्सल्य रूप का मनोहारी चित्रण कृष्ण काव्य में मिलता है।
- (3) कृष्ण भक्ति धारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि सूरदास ने 'साहित्य लहरी' में नायिका भेद एवं अलंकार का वर्णन करते हुए नीति तत्व का समावेश किया है। इसी तरह नन्ददास ने 'रस मंजरी' में नायिका भेद का वर्णन किया है।
- (4) सूरदास, मीरा आदि की रचनाओं में प्रेमचित्रण में स्वातंत्र्य का भाव अन्तर्निहित है।
- (5) कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में जहाँ-जहाँ राधा-कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है वहाँ-वहाँ ब्रजभूमि के सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है।
- (6) कृष्णभक्ति काव्य धारा में कृष्ण की बाल-लीला के चित्रण में जहाँ वात्सल्य रस की प्रधानता है वहीं प्रणय-क्रीड़ाओं के चित्रण में शृंगार रस की प्रधानता है।
- (7) कृष्णभक्ति काव्य की भाषा ब्रज है। सूरदास ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रज भाषा में लिखे उनके काव्य भाषा के माधुर्य, सरसता, कोमलता आदि गुणों के कारण 'ब्रज' काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

- (8) सूरदास, मीरा, नन्ददास, रसखान आदि कृष्ण भक्त कवियों के काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना आदि अलंकारों और दोहा, चौपाई, कुण्डलिया आदि छन्दों का प्रयोग बहुतायत से मिला है।

भक्तिकाल के कृष्ण भक्ति-शाखा के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	सूरदास	●सूरसागर (1530-1547 ई.), श्रीमद्भागवत की पद्धति पर द्वादश स्कन्धों में वर्णित कृष्णभक्ति का सर्वश्रेष्ठ काव्य। सूरसारावली (1548 ई.), साहित्य लहरी (1550 ई.)
2.	रसखान	प्रेमवाटिका, सुजान रसखान
3.	मीरा बाई	गीतगोविन्द टीका, नरसी जी का मायरा, राग गोविन्द, राग सोरठ (पद संग्रह)
4.	रहीम (अब्दुल रहीम खानखाना)	रहीम दोहावली (शृंगार सतसई), बरवै नायिका भेद, शृंगार सोरठा, मदनाष्टक
5.	नन्ददास	रासपंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी
6.	चतुर्भुजदास	द्वादशशय, भक्तिप्रताप, हितजू को मंगल
7.	श्री भट्ट	युगल शतक

3. रीतिकाल/उत्तर-मध्यकाल (विक्रम संवत् 1700 से 1900/ ईस्वी सन् 1643 से 1843 तक)

हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के पूर्वार्ध में जहाँ भक्ति साहित्य का सृजन जनकल्याण के लिए किया गया; संत कबीर, गुरुनानक, मलिक मुहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, केशवदास, सूरदास, मीराबाई आदि संतों और सूफियों की वाणी ने ईश प्रेम का संदेश देते हुए जनकल्याण की धारा को प्रवाहित किया और जनता के हृदय में आशा और विश्वास की भावना का संचार किया वहीं मध्ययुग के उत्तरार्ध में भक्ति साहित्य ने कलात्मक सौंदर्य का रूप ले लिया। प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति की प्रवृत्ति शृंगारिका में बदल गई। इस काल में रीतिबद्ध और रीतिमुक्त

काव्य की रचना की गई। रीतिबद्ध से आशय संस्कृत काव्य शास्त्र के नियमों का अनुसरण था जबकि रीतिमुक्त का आशय स्वच्छंद काव्य प्रवृत्ति है।

इस काल में कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, सामंतों को रिझाने के लिए शृंगारिक मुक्तकों आदि की रचना की इसलिए प्रबंध काव्य का लगभग अभाव रहा। इस काल में सुरा-सुंदरी का प्रभाव बढ़ गया। नारी विलास का साधन समझी जाने लगी। वस्तुतः इस काल में दरबारी संस्कृति का भरपूर विकास हुआ और शासकों के मनोरंजन के लिए रुचि अनुसार शृंगारिक काव्य का सृजन दरबारी कवियों ने किया।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) शृंगारिक भावों से युक्त पदों की रचना रीतिकालीन साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस काल के दरबारी कवियों ने रसों में से मात्र शृंगार रस को ही प्रश्रय दिया और उसका केन्द्र बिन्दु नारी देह से शुरु होकर देह के उतार-चढ़ाव तक सीमित हो गया।
- (2) शृंगारी कवियों ने राधा और कृष्ण को सामान्य नायक एवं नायिका के रूप में चित्रित करते हुए छिछले प्रेम का प्रदर्शन अपने काव्य में किया।
- (3) इस काल में नीतिपरक काव्यों का भी सृजन हुआ परन्तु उसमें कोई नवीनता नहीं थी। वस्तुतः नीतिपरक काव्यों का सृजन संस्कृत के आचार्य भर्तृहरि ने शुरुआत की थी जो विकसित होकर अपभ्रंश के कवि हेमचन्द्र आदि से होते हुए और अधिक परिपक्व होकर कबीर, तुलसी, सूरदास, रहीम आदि में दिखी।
- (4) रीतिकालीन कवियों ने अपने काव्य में अपनी बहुज्ञता अर्थात् विभिन्न विषयों से संबंधित अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने में कोई संकोच नहीं किया। वे नायक-नायिका के प्रेम प्रसंगों को वर्णित करने में जितने पारंगत थे उतने ही पारंगत ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के वर्णन में भी थे।
- (5) इस काल में रीतिबद्ध काव्यों के सृजन के साथ रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्यों का भी सृजन किया गया। इस काल के रीतिबद्ध काव्यों में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का व्यापक प्रयोग किया गया।
- (6) इस काल में ब्रजभाषा मुख्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई जबकि भक्तिकाल में वह द्वितीय भाषा के रूप में प्रयुक्त थी।

रीतिकाल के प्रमुख रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ	क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	केशवदास	● कविप्रिया, रसिकप्रिया, नखसिख, बारहमासा, विज्ञानगीता, जहाँगीर जस चन्द्रिका ● केशवदास को भक्तिकाल और रीतिकाल को जोड़ने वाला कवि कहा जाता है। उन्होंने 'राम-चन्द्रिका' की रचना 1601 ई.में की, जिसमें वाल्मीकि रामायण के आधार में रामकथा वर्णित है। यह भक्तिकाल की प्रमुख रचना मानी जाती है।	9.	श्रीपति	काव्यसरोज, कविकल्पद्रुम, रससागर
2.	चिन्तामणि त्रिपाठी	कविकुल कल्पतरु, छंद विचार, काव्य प्रकाश, काव्य विवेक	10.	भिखारीदास	रससारांश, काव्यनिर्णय, शृंगारनिर्णय, शतरंजशतिका, छंदार्णव पिंगल
3.	बिहारी	बिहारी सतसई	11.	देवकीनंदन	शृंगारचरित, अवधूतभूषण, सरफराजचंद्रिका
4.	पद्माकर	जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगालहरी, हिम्मतबहादुर विरुदावली	12.	सबलसिंह चौहान	● महाभारत (दोहों व चौपाइयों में) ● सबल सिंह चौहान द्वारा दोहों व चौपाइयों में लिखा गया 'महाभारत' छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध लोकनाट्य 'पंडवानी' का मूल आधार है। ● रूप विलास (कालिदास कृत ऋतुसंहार का काव्यानुवाद)
5.	महाराज जसवंत सिंह	भाषाभूषण	13.	गुरु गोविंद सिंह जी (सिक्खों के दसवें धर्मगुरु)	सुनीतिप्रकाश, सर्वलोहप्रकाश, प्रेमसुमार्ग, बुद्धिसागर, चंडीचरित्र
6.	मतिराम	मतिराम सतसई, ललितललाम, छन्दसार रसराज, लक्षण शृंगार, साहित्यसार	14.	श्रीधर (मुरलीधर)	जंगनामा (यह ऐतिहासिक प्रबंधकाव्य है जिसमें फरुखसियर और जहाँदारशाह के युद्ध का वर्णन है।)
7.	भूषण	शिवराजभूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दसक	15.	घनानंद	सुजानसागर, विरहलीला, कोकसागर, रसकेलिवल्ली, कृपाकंद
8.	देव	भावविलास, भवानीविलास, कुशलविलास, प्रेमचंद्रिका, रसविलास, शब्दरसायन	16.	याकूब खाँ	रसभूषण
			17.	रघुराज सिंह	रामस्वयंवर

4. आधुनिकाल/गद्यकाल (विक्रम संवत् 1900/ईस्वी 1843 से अब तक)

हिन्दी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का महत्व सर्वोपरि है क्योंकि इसी काल के पूर्वार्ध में खड़ी बोली हिन्दी भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। 14 सितम्बर 1949 को आजादी के बाद हिन्दी को संवैधानिक तरीके से राजभाषा का दर्जा मिला। हिन्दी भाषा की तीव्रगामी प्रगति के कारण यह भारोपीय भाषा परिवार की अंग्रेजी के समानान्तर प्रमुख भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई।

इस काल के पूर्वार्ध में राष्ट्रव्यापी पराधीनता की प्रतिक्रिया स्वरूप राष्ट्रप्रेम की भावना का उदय हुआ। रीतिकाल की राजभक्ति ने देशभक्ति

का रूप धारण किया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आगमन हुआ; उसी के माध्यम से देश में पश्चिमी देशों के नवीन विचारों ने चेतना फैलाई। नए उद्योग, रेल, डाक, तार, मुद्रणकला के विस्तार, शिक्षा के प्रचार-प्रसार के कारण पुनर्जागरण युग आया व देश में नूतन वैचारिक जागृति का आलोक आया जिसका प्रभाव हिन्दी साहित्य पर पड़ा। इसी नवीन चेतनामय वातावरण में हिन्दी साहित्य में आधुनिक काल का उदय हुआ। स्वातंत्र्य आंदोलन के जनजागरण से जब पूरा देश आंदोलित हुआ तो हिन्दी साहित्य उससे अछूता कैसे रहता। इस काल के पूर्वार्ध में खड़ी बोली के हिन्दी रूप में प्रतिष्ठित होने के बाद हिन्दी ने प्रगति की तीव्रगामी गति प्राप्त की। साहित्य में राज-भक्ति, चारण-भक्ति ऐसे विलुप्त हुए मानो वह पानी के भीतर कोई हवा का बुलबुला हो।

इस काल में पद्य के साथ गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना आदि का सृजन प्रारंभ हुआ जो आज पर्यन्त जारी है।

हिन्दी साहित्य के विभिन्न कालखण्डों का निर्धारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों के उस काल के काव्य के प्रवृत्ति के आधार पर किया है क्योंकि आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल में हिन्दी में गद्य साहित्य का विकास हुआ ही नहीं था। अस्तु काव्य को आधार मानकर आधुनिक काल को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है—

(i) भारतेन्दु युग सन् 1850 से 1900 ई. तक

(ii) द्विवेदी युग सन् 1900 से 1918 ई. तक

(iii) छायावाद युग सन् 1918 से 1936 ई. तक

छायावाद युग के बाद छायावादोत्तर युग को हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने तीन भागों में वर्गीकृत किया है—

(iv) प्रगतिवाद युग सन् 1936 से 1943 ई. तक

(v) प्रयोगवादी युग सन् 1943 से 1951 ई. तक

(vi) नई कविता का युग सन् 1951 ई. से अब तक

(i) भारतेन्दु युग (1850 ई. से 1900 ई. तक)–

हिन्दी साहित्य के इतिहास में 1850 ई. से 1900 ई. तक के कालखण्ड को भारतेन्दु युग कहा जाता है। इसका नामकरण भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के नाम पर किया गया है। भारतेन्दु युग को आधुनिक हिन्दी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस युग

में हिन्दी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं का विकास हुआ। रीतिकालीन ब्रजभाषा के स्थान पर 'खड़ी-बोली' हिन्दी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। इस युग के साहित्य में देश-प्रेम तथा राष्ट्रीय चेतना की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

मुख्य विशेषताएँ—

- (1) इस युग के कवियों ने देश-प्रेम की भावना को रचनाओं के माध्यम से जनमानस में फैलाया जिसने राष्ट्रीय भावना के बीजारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।
- (2) इस युग के कवियों ने अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार का विरोध अपनी कविताओं में किया।
- (3) इस युग के कवियों ने विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत व सामाजिक अंधविश्वास को दूर करने के लिए काव्य सृजन किया।
- (4) इस युग में काव्य के विविध रूप-मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य मिलते हैं।
- (5) इस युग के कवियों ने अपनी रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का जमकर प्रयोग किया।
- (6) इस युग की कविताओं में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष आदि अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ।
- (7) भारतेन्दु युग के कवियों की अधिकतर रचनाएँ ब्रज भाषा में हैं। इस समय गद्य साहित्य में खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ किन्तु काव्य में उसे विशेष सफलता नहीं मिली।

भारतेन्दु युग के रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ	क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, विजयवल्लरी, वेणुगीत	4.	जगमोहन सिंह	प्रेम सम्पत्तिलता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी, श्यामालता
2.	बद्रीनारायण चौधरी 'प्रेमधन'	ब्रजचन्द पंचक, आनन्द अरुणोदय, लालित्य लहरी, मयंक महिमा	5.	अम्बिका दत्त व्यास	सुकवि सतसई, पावस पचासा, हो हो होरी
3.	प्रताप नारायण मिश्र	प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, शृंगार विलास, लोकोक्तिशतक	6.	राधाकृष्ण दास	भारत बारहमासा, देश दशा
			7.	राधाचरण गोस्वामी	नवभक्तमाल, भारत संगीत, विधवा-विलाप, प्रेम बगीची

(ii) द्विवेदी युग (1900 ई. से 1918 ई. तक)-

द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना से अनुप्राणित जितना साहित्य इस युग में लिखा गया उतना अन्य किसी कालखण्ड में नहीं। इस कालखण्ड के पथ-प्रदर्शक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नामकरण हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन् 1903 से लेकर 1920 तक 'सरस्वती' नामक पत्रिका का संपादन किया। इसी युग में हिन्दी भाषा का शुद्ध रूप प्रचलित हुआ।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) देशभक्ति की भावना को द्विवेदीयुगीन कवियों ने व्यापक आधार दिया। भारतेन्दु युग में यह सीमित था।
- (2) द्विवेदीयुगीन कविता में विदेशी भाषा 'अंग्रेजी' की शिक्षा के प्रति बहिष्कार का स्वर मिलता है।
- (3) इस युग की कविताओं में मानव मात्र के प्रति प्रेम की भावना का उदात्त स्वर मिलता है।
- (4) इस युग में प्रकृति का अत्यंत रमणीय चित्रण मिलता है। जैसे- मैथिलीशरण गुप्त जी का 'पंचवटी' में किया गया ऋतु वर्णन-
चारु चंद्र की चंचल किरणें, खेल रही थी जल-थल में,
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई थी, अवनित और अंबर तल में।
हैं बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर,
रवि बटोर ले जाता उसे, सदा सबेरा होने पर।
- (5) इस युग की सबसे बड़ी विशेषता 'खड़ी बोली हिन्दी' को सरल सुबोध व्याकरण सम्मत बनाना है।
- (6) इस युग के कवियों ने दोहा-चौपाई के स्थान पर रोला, गीतिका, हरिगीतिका आदि छन्दों का सुंदर प्रयोग किया है।

द्विवेदी युग के रचनाकार एवं उनकी प्रमुख रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	महावीर प्रसाद द्विवेदी	● 'सरस्वती' पत्रिका का सम्पादन (सन् 1903 से 1920) ● काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक, विनय शतक, भर्तृहरि (अनुदित), विहार-वाटिका (अनुदित), ऋतु तरंगिणी (अनुदित), गंगा लहरी (अनुदित), कान्य कुब्ज, अबला-विलाप
2.	मैथिलीशरण गुप्त	● भारत भारती, शकुन्तला, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया, रंग में भंग, किसान, जय भारत, द्वापर ● इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में भी जाना जाता है।
3.	अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध'	प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, रस कलश, वैदेही वनवास
4.	गया प्रसाद शुक्ल 'सनेही'	त्रिशूल तरंग, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा
5.	रामनरेश त्रिपाठी	मिलन, पथिक, मानसी
6.	गिरिधर शर्मा 'नवरत्न'	मातृवंदना
7.	नाथूराम शर्मा 'शंकर'	अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरण्डा रहस्य
8.	कामताप्रसाद गुरु	भैसासुर वध, दासीरानी, पद्य पुष्पावली, विनय पचासा, शिवाजी
9.	रामचरित उपाध्याय	राष्ट्रभारती, देवदूत
10.	श्रीधर पाठक	कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनोविनोद, धनविजय
11.	मुकुटधर पाण्डेय	पूजा के फूल, विश्वबोध ● ये द्विवेदीयुग के प्रमुख प्रगीत मुक्तकाव्य माने जाते हैं। इन्हें 'छायावाद' का प्रवर्तक माना जाता है।

(iii) छायावाद युग (1918 ई. से 1936 ई. तक)-

छायावादी कविता में प्रेम और सौंदर्य का उदात्त चित्रण मिलता है। इस युग के कवियों ने प्रकृति को नारी के रूप में चित्रित किया है। छायावादी कवियों का मूल प्रेरणास्त्रोत, भारतीय आत्मदर्शन और प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। इन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया और उस पर चेतना को आरोपित किया। इनकी कविताओं में रहस्य का पुट दिखाई देता है।

डॉ. नामवर सिंह के अनुसार 'छायावाद' उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है, जो एक ओर पुरानी रुढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। छायावाद का प्रवर्तन पं. मुकुटधर पाण्डेय ने किया। छायावाद युग को रहस्यवाद युग के नाम से भी जाना जाता है।

हिन्दी साहित्य में 'छायावाद' शब्द का प्रथम लिखित प्रयोग मुकुटधर पाण्डेय द्वारा किया गया। मुकुटधर पाण्डेय ने सन् 1920 ई. में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका 'श्रीशारदा' में 'हिन्दी में छायावाद' शीर्षक लेख चार किस्तों में लिखकर छायावाद की आरंभिक विवेचना की। मुकुटधर पाण्डेय ने अपने लेखों में छायावाद की पाँच विशेषताओं का उल्लेख किया जो इस प्रकार हैं- 1. वैयक्तिकता 2. स्वातंत्र्य चेतना 3. रहस्यवादिता 4. शैलगीत वैशिष्ट्य 5. अस्पष्टता। सरस्वती पत्रिका, जुलाई 1920 ई. तक अंक में प्रकाशित मुकुटधर पाण्डेय की कविता 'कुररी के प्रति' छायावाद की प्रथम कविता मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने मुकुटधर पाण्डेय को 'छायावाद' का प्रवर्तक स्वीकार किया है।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) छायावादी कवि मूलतः प्रेम व सौंदर्य के कवि हैं। इन्होंने नारी को प्रेमिका के रूप में ग्रहण किया जो हृदय व यौवन की सम्पूर्ण विभूतियों से परिपूर्ण है-

नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो ज्यों विजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।।

जयशंकर प्रसाद

- (2) छायावादी कवियों ने नारी के उदात्त रूप का चित्रण करते हुए उसे पुरुष के प्रेरक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। नारी दया, क्षमा, साहस, प्रेम, करुणा की मूर्ति है, श्रद्धा की पात्र है-
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में।
पीयूष स्त्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

जयशंकर प्रसाद

- (3) छायावादी काव्य में दुःख और वेदना की अभिव्यक्ति प्रमुखता से हुई है-
में नीर भरी दुःख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना,
मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही,
उमड़ी कल थी मिट आज चली।

- महादेवी वर्मा

- (4) छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति रहस्यवाद है-
न जाने कौन अये द्युतिमान,
जान मुझको अबोध अज्ञान।
सुझाते हो तुम पथ अनजान,
फूँक देते छिद्रों में गान।।

-सुमित्रानंदन पंत

- (5) छायावादी कवि विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहते थे-
निशा को धो देता राकेश, चाँदनी में जब अलकें खोल,
कली से कहता था मधुमास, बता दे मधु मदिरा का मोल।

छायावाद युग के प्रमुख चार रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	जयशंकर प्रसाद	झरना (1918 ई.), आँसू (1925 ई.), लहर (1933 ई.), कामायनी (1935 ई.), उर्वशी (1909 ई.), वन मिलन (1909 ई.), प्रेम राज्य (1909 ई.), अयोध्या का उद्धार (1910 ई.), शोकोच्छवास (1910 ई.), बभ्रुवाहन (1911 ई.), कानन कुसुम (1913 ई.), प्रेम पथिक (1913) - ● कामायनी छायावादी महाकाव्य है तथा अपने समय की श्रेष्ठतम कृति है।
2.	सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'	अनामिका (1923 ई.), परिमल (1930 ई.), गीतिका (1936 ई.), तुलसीदास (1938 ई.), कुकुरमुत्ता (1941 ई.), अर्चना (1950 ई.),

3. सुमित्रानन्दन पन्त	सरोजस्मृति, आराधना (1953 ई.), गीतगुंज (1954 ई.) उच्छवास (1920 ई.), ग्रन्थि (1020 ई.), वीणा (1927 ई.), पल्लव (1926 ई.), गुंजन (1932 ई.), ग्राम्या (1940 ई.), युगान्त (1936 ई.), युगवाणी (1939 ई.), युगपथ (1948 ई.)
4. महादेवी वर्मा	नीहार (1930 ई.), रश्मि (1932 ई.), नीरजा (1935 ई.), सांध्यगीत (1936 ई.), यामा (1940 ई.) ● महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है।

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	माखनलाल चतुर्वेदी	हिमकिरीटिनी (1943 ई.), हिमतरंगिनी (1949 ई.), माता (1951 ई.), युग-चरण (1956), वेणुलो गूँजे धरा (1960), मरण ज्वार (1963 ई.)
2.	रामधारी सिंह 'दिनकर'	रेणुका (1935 ई.), हुँकार (1938 ई.), रसवती (1940 ई.), द्वन्द्वगीत (1940 ई.), कुरुक्षेत्र (1946 ई.), सामधेनी (1946 ई.), धूप और धुआँ (1951 ई.), इतिहास के आँसू (1951 ई.), रश्मिरथी (1952 ई.), नीलकुसुम (1954 ई.), उर्वशी (1961 ई.), परशुराम की प्रतीक्षा, दिल्ली, नीम के पत्ते
3.	सुभद्राकुमारी चौहान	मुकुल (1930 ई.), त्रिधारा

छायावाद युग के अन्य रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	रामकुमार वर्मा	रूपराशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा
2.	उदयशंकर भट्ट	तक्षशिला, राका, युगदीप, मानसी, अमृत और विष, यथार्थ और कल्पना, विसर्जन
3.	लक्ष्मीनारायण मिश्र	अंतर्जगत्

छायावादी युग की अन्य काव्य धाराएँ

छायावादी युग में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं, जिन्होंने छायावाद की परंपरा से हटकर भी लेखन कार्य किया। इन कवियों ने काव्य लेखन तो छायावादी युग से प्रारंभ किया तथा आगे भी लिखते रहे, परन्तु इनका लेखन कार्य न तो विशुद्ध छायावादी प्रवृत्ति का और न ही विशुद्ध प्रगतिवादी प्रवृत्ति का था। अतः छायावादी युग में ही दो स्वतंत्र स्वच्छंद धाराओं का विकास हुआ—

1. राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा

2. व्यक्ति चेतना प्रधान काव्यधारा (प्रेम और मस्ती का काव्य)

इन्हीं दो स्वच्छंद धाराओं को ही उत्तर छायावाद के नाम से जाना जाता है।

2. व्यक्ति चेतना प्रधान काव्य धारा के रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	हरिवंशराय बच्चन	मधुशाला (1935), मधुबाला (1936), मधुकलश (1937), निशा निमन्त्रण (1938), एकान्त संगीत (1939), आकुल अन्तर (1943), प्रणय पत्रिका, सतरंगिणी (1945), मिलन यामिनी (1950)
2.	रामेश्वर शुक्ल 'अंचल'	मधुलिका (1938), अपराजिता (1939), करील (1942), किरणबेला (1941), लाल चूतर (1944)
3.	नरेन्द्र शर्मा	शूल-फूल (1934), प्रभात फेरी (1938), प्रवासी के गीत (1939), पलाशवन (1943), कामिनी (1943), हंसमाला (1946), रक्तचंदन (1949)

(iv) प्रगतिवाद युग (1936 ई. से 1943 ई. तक)-

प्रगतिवाद का मूल आधार सामाजिक समता और राजनैतिक जागृति है। प्रगतिवादी साहित्य में विकासशीलता के बीज तो छिपे ही हैं साथ ही यह घोर विषमता विरोधी है। पूर्ववर्ती काल में शोषितों के लिए सहानुभूति व दया की भावना थी जबकि इस युग में शोषकों के विरुद्ध विद्रोह के स्वर स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है- शोषक चाहे अंग्रेज हो या सामंत-जमींदार वस्तुतः इस युग में मार्क्सवादी विचारधारा की लहर चल पड़ी थी-जिसमें मनुष्य का स्थान सबसे ऊपर माना गया है। प्रगतिवादी काव्य शोषक के खिलाफ संघर्ष के स्वर को मुखर करता है।

मुख्य विशेषताएँ-

- (1) प्रगतिवादी काव्य में पूंजीवादी शोषक व्यवस्था के प्रति घृणा का भाव दृष्टिगोचर होता है।
- (2) प्रगतिवादी काव्य समतामूलक समाज का पोषक है जिसमें लोग धर्म, जाति, वर्ग, भाषा के भेदभाव से ऊपर उठकर मनुष्य को मनुष्य समझें।
- (3) प्रगतिवादी साहित्यकारों ने नारी को पुरुष के समकक्ष माना और वे नारियों को उतने ही अधिकार देने के पक्षधर थे जितने पुरुषों को प्राप्त है।
- (4) प्रगतिवादी कवियों ने नवीन प्रतीकों को अपनाया। जैसे- प्रलय, ताण्डव, मशाल, कुरुरमुता आदि।
- (5) प्रगतिवादी कवियों ने सुन्दर, भव्य और औदात्त (महानता) का चित्रण करने के स्थान पर यथार्थ जीवन का चित्रण किया जिसमें दुःख, परेशानियाँ एवं कुरुपता हमेशा विद्यमान रहता है।
- (6) इस युग में सरल और स्वाभाविक भाषा शैली का प्रयोग किया गया।

4.	शिवमंगल सिंह 'सुमन'	एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, विश्वास बढ़ता ही गया, जीवन के गान, प्रलय सृजन, हिल्लोल
5.	रांगेय राघव	अजेय खण्डहर, मेधावी, पांचाली, राह के दीपक

(v) प्रयोगवाद युग (1943 ई. से 1951 ई. तक)-

इस युग में कवियों ने जहाँ कविता में नये-नये प्रयोग किए वहीं नये-नये विषयों का चयन भी किया। कवियों ने छन्द को छोड़कर गद्य जैसी अतुकांत कविताएँ लिखीं। कविता में बौद्धिकता को विशेष महत्व दिया गया एवं जीवन का यथार्थ चित्रण किया। नये प्रतिमाओं और शब्दों का प्रयोग इस युग की विशेषता रही। हिन्दी काव्य में 'प्रयोगवाद' का प्रारंभ सन् 1943 में 'अज्ञेय द्वारा सम्पादित' 'तार-सप्तक' का प्रकाशन माना जाता है जिसमें देश के शीर्षस्थ सात कवियों की रचनाएँ संकलित हैं। संप्रति, अज्ञेय को प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है।

(vi) नई कविता का युग (1951 ई. से अब तक)-

'प्रयोगवाद' का विकास ही कालान्तर में 'नई कविता' के रूप में हुआ। डॉ. शिवकुमार शर्मा के अनुसार - ये दोनों एक ही धारा के विकास की दो अवस्थाएँ हैं। प्रयोगवाद उस काव्यधारा की आरम्भिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। वस्तुतः प्रयोगवाद और नई कविता में कोई सीमा रेखा खींचना संभव नहीं है क्योंकि जो कवि पहले प्रयोगवादी रहे, वही बाद में 'नई कविता' के प्रमुख हस्ताक्षर बने। 'नई कविता' के प्रारंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद है परन्तु अज्ञेय द्वारा संपादित 'दूसरे सप्तक' का प्रकाशन वर्ष 1951 से 'नयी कविता' का प्रारंभ माना जाना समीचीन है।

'नयी कविता' भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गयी उन कविताओं को कहा जाता है जिनमें परम्परागत कविता से आगे नये भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नये मूल्यों और नये शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया।

प्रगतिवाद युग के रचनाकार एवं उनकी रचनाएँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	नागार्जुन (वैद्यनाथ मिश्र)	युगधारा, तुमने कहा था, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, भस्मांकुर
2.	त्रिलोचन	धरती, शब्द, मैं उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ
3.	केदारनाथ अग्रवाल	युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आइना, समय- समय पर, अपूर्वा

‘अज्ञेय’ द्वारा संपादित तारसप्तक एवं उसके रचनाकार

(1) प्रथम तारसप्तक (1943) के कवि

1. नेमीचन्द्र जैन 2. गजानन माधव मुक्तिबोध 3. भारत भूषण अग्रवाल 4. प्रभाकर माचवे 5. गिरिजा कुमार माथुर 6. रामविलास शर्मा 7. अज्ञेय

(2) द्वितीय तारसप्तक (1951) के कवि

1. भवानी प्रसाद मिश्र 2. शकुन्तला माथुर 3. हरिनारायण व्यास 4. शमशेर बहादुर 5. नरेश मेहता 6. रघुवीर सहाय 7. धर्मवीर भारती

(3) तृतीय तारसप्तक (1959) के कवि

1. प्रतापनारायण त्रिपाठी 2. कुँवर नारायण 3. कीर्ति चौधरी 4. केदारनाथ सिंह 5. मदन वात्स्यायन 6. विजयदेव नारायण शाही 7. सर्वेश्वरदयाल सक्सेना

(4) चौथे तारसप्तक (1979) के कवि

1. अवधेश कुमार 2. राजकुमार कुम्भज 3. स्वदेश भारती 4. नन्दकिशोर आचार्य 5. सुमन राजे 6. श्रीराम वर्मा 7. राजेन्द्र किशोर

प्रयोगवादी एवं नई कविता के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
1.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन ‘अज्ञेय’	सम्पादन- दिनमान, प्रतीक, एब्रीमेंस, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, (प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ) 1. हरी घास पर क्षण भर 2. बावरा अहेरी, 3. इन्द्रधनु रौंदे हुए ये 4. अरी ओ करुणा प्रभामय 5. आंगन के पार द्वार 6. कितनी नावों में कितनी बार 7. सागर मुद्रा 8. महावृक्ष के नीचे 9. क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 10. नदी की बांक पर छाया 11. चिन्ता 12. इत्यलम्
2.	गजानन माधव ‘मुक्तिबोध’	1. चांद का मुँह टेढ़ा है 2. भूरी-भूरी खाक धूल
3.	गिरिजा कुमार माथुर	1. मंजीर 2. नाश और निर्माण 3. धूप के धान 4. साक्षी रहे वर्तमान 5. भीतरी नदी की यात्रा, 6. शिलापंख चमकीले 7. छाया मत छूना 8. पृथ्वीकल्प 9. कल्पान्तर
4.	भवानीप्रसाद मिश्र	1. कमल के फूल 2. वाणी की दीनता 3. टूटने का सुख 4. सतपुड़ा के जंगल 5. सन्नाटा 6. गीत फरोश 7. चकित है दुःख 8. अंधी कविताएँ 9. गांधी पंचशती 10. बुनी हुई रस्सी 11. परिवर्तन जिए 12. खुशबू के शिलालेख 13. व्यक्तिगत 14. शतदल 15. इदं न मम 16. कालजयी 17. अनाम 18. व्यक्तिगत
5.	धर्मवीर भारती	1. अंधा युग 2. कनुप्रिया 3. सात गीत वर्ष 4. ठण्डा लोहा 5. देशान्तर
6.	नरेश मेहता	1. वनपाखी सुनो 2. बोलने दो चीड़ को 3. पिछले दिनों नंगे पैरों 4. मेरा समर्पित एकान्त 5. उत्सव 6. तुम मेरा मौन हो 7. आखिर समुद्र से तात्पर्य 8. देखना एक दिन 9. अरण्य 10. संशय की एक रात 11. महाप्रस्थान 12. प्रवाद पर्व 13. शबरी 14. प्रार्थना पुरुष
7.	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना	1. काठ की घंटियाँ 2. बांस का पुल, 3. एक सूनी नाव 4. गर्म हवाएँ 5. कुआनों नदी 6. जंगल का दर्द 7. खूंटियों पर टंगे लोग
8.	कुँवर नारायण	1. तीसरा सप्तक में संकलित कविताएँ 2. चक्रव्यूह 3. आत्मजयी 4. परिवेश- हम तुम 5. आमने-सामने 6. कोई दूसरा नहीं

क्र.	रचनाकार	प्रमुख रचनाएँ
9.	शमशेर बहादुर सिंह	1. दूसरा सप्तक में संकलित कविताएं 2. चुका भी नहीं हूँ मैं 3. इतने पास अपने 4. काल तुझसे होड़ मेरी 5. बात बोलेंगी हम नहीं 6. उदिता
10.	जगदीश गुप्त	1. नाव के पाँव 2. शब्द दंश 3. हिमबिद्ध 4. युग्म 5. छन्दशती 6. गोपा गौतम 7. बोधि वृक्ष 8. शम्बूक
11.	दुष्यन्त कुमार	1. सूर्य का स्वागत 2. आवाजों के घेरे 3. जलते हुए पवन का वसन्त 4. साये में धूप
12.	श्रीकान्त वर्मा	1. भटका मेघ 2. दिनारम्भ 3. माया दर्पण 4. जलसाधर 5. मगध
13.	रघुवीर सहाय	1. सीढ़ियों पर धूप में 2. आत्म हत्यारे के विरुद्ध 3. हंसो-हंसो जल्दी हंसो 4. लोग भूल गए हैं
14.	विनोद कुमार शुक्ल	1. लगभग जयहिंद 2. वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहिनकर विचार की तरह 3. सब कुछ होना बचा रहेगा 4. अतिरिक्त नहीं 5. कविता से लंबी कविता 6. आकाश धरती को खटखटाता है 7. कभी के बाद अभी 8. कवि ने कहा

-----▲▲▲▲▲-----

हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाएँ

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

साहित्यिक रचनाएँ दो रूपों में की जाती हैं, साहित्य के इन्हीं रूपों को 'विधा' कहा जाता है। साहित्य की दो विधाएँ हैं-

1. पद्य साहित्य 2. गद्य साहित्य

1. **पद्य साहित्य**- कविता के रूप में लिखी साहित्यिक रचनाओं को पद्य साहित्य कहा जाता है। आकार में यह बहुत छोटी (हाइकू- मात्र 17 अक्षरों की कविता) से लेकर बहुत बड़ी (महाकाव्य जैसे- रामचरितमानस) हो सकती है। पद्य या काव्य साहित्य में छंद, गेयता, तुक आदि का बंधन हो सकता है। अतुकांत कविताएँ भी लिखी जा रही हैं। पद्य विधा की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता लयात्मकता है अर्थात् संगीत से इसका सीधा संबंध है, इसलिए इसका सीधा संबंध हमारे मनोभाव से है जैसे माँ अपने नन्हें शिशु को सुलाने के लिए लोरी गीत गाती है तो उसका सीधा प्रभाव उसके मनोभाव पर पड़ता है और शिशु सो जाता है, जबकि उसे भाषा का कोई ज्ञान नहीं होता। काव्य में रस की प्रधानता होती है।

राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की कविता 'मातृभूमि' की निम्न पंक्तियाँ दृष्टव्य है-

जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं,
घुटनों के बल सरक-सरककर खड़े हुए हैं।
परमहंस सम बाल्यकाल में, सब सुख पाए,
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए।

2. **गद्य साहित्य**- वाक्यों में बंधी विचार प्रधान रचना को गद्य कहते हैं। ऐसी साहित्यिक रचनाएँ जो गद्य में लिखी जाती हैं-गद्य साहित्य हैं; जैसे-निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना आदि। गद्य का सीधा संबंध हमारी चिन्तनशील मनःस्थितियों से है जिसमें बुद्धितत्व की प्रधानता होती है अर्थात् गद्य साहित्य में चिंतन-मनन, तर्क-वितर्क, विश्लेषण-विवेचन की प्रधानता रहती है। काव्य साहित्य का विश्लेषण-विवेचन भी गद्य साहित्य के माध्यम से ही किया जाता है। गद्य साहित्य का संबंध छंद, तुक या संगीत से नहीं होता बल्कि इसमें कथ्य को सहज-स्वाभाविक रूप में वाक्यबद्ध कर सुगमतापूर्वक व्यक्त करते हैं।

पद्य साहित्य की प्रमुख विधाएँ

पद्य साहित्य को ही काव्य साहित्य के नाम से जाना जाता है। लेखन शैली के आधार पर काव्य के दो भेद हैं-

1. दृश्य काव्य

2. श्रव्य काव्य

1. **दृश्य काव्य**- जिस काव्य का रसास्वादन देखकर किया जाता है उसे दृश्य काव्य कहते हैं जैसे-नाटक, एकांकी। इन्हें मंच पर अभिनीत किया जाता है और दर्शक इसे देखकर रसास्वादन करते हैं। स्वरूप के आधार पर नाटक एवं एकांकी की गिनती गद्य साहित्य के अन्तर्गत की जाती है।

2. **श्रव्य काव्य**- जिस काव्य का रसास्वादन पढ़कर या सुनकर किया जाता है उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। स्वरूप के आधार पर इसे पद्य काव्य कहते हैं।

स्वरूप के आधार पर पद्य काव्य के तीन भेद हैं-

1. प्रबंध काव्य

2. मुक्तक काव्य

3. चंपू काव्य

1. **प्रबंध काव्य**- कथात्मक काव्य को प्रबंध काव्य कहा जाता है। इसमें छोटी या बड़ी कथा का काव्यात्मक वर्णन रहता है। जैसे- सुभद्राकुमारी चौहान कृत आख्याना गीत- 'झाँसी की रानी', तुलसीदास कृत महाकाव्य- 'रामचरितमानस'।

2. **मुक्तक काव्य**- कथात्मक काव्य से मुक्त काव्य रचनाओं को मुक्तक काव्य कहते हैं। अर्थ बोध कराने की दृष्टि से इसके पद (पंक्तियाँ) परस्पर मुक्त होते हैं, गुंथे हुए नहीं रहते बल्कि स्वतंत्र होते हैं। जैसे-कबीर के दोहे, हरिवंशराय बच्चन की मधुशाला।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य के अन्तर को स्पष्ट करते हुए लिखा है- 'प्रबंध काव्य यदि विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक काव्य एक चुना हुआ गुलदस्ता है।'

3. चंपू काव्य- गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। इसमें भावनात्मक विषयों का वर्णन पद्य के द्वारा और वर्णनात्मक विषयों का विवरण गद्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चंपू काव्य का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण 'नल चंपू' (संस्कृत) है जिसकी रचना त्रिविक्रमभट्ट ने 10वीं शताब्दी में की। इसमें नल तथा दमयन्ती के विख्यात प्रणय कथा का बड़ा ही चमत्कारिक वर्णन मिलता है। परवर्ती काल में यह काव्य रूप अधिक लोकप्रिय न हो सका और न ही काव्य शास्त्र में उसे विशेष मान्यता मिली क्योंकि जनसामान्य ने गद्य को अलग व पद्य को अलग कहना-सुनना पसंद किया।

हिन्दी में मैथिलीशरण गुप्त द्वारा सन् 1933 में रचित 'यशोधरा' चंपू काव्य के रूप में प्रसिद्ध है। गौतम बुद्ध के गृहत्याग के कारण यशोधरा का विरह अत्यंत दारुण है और सिद्धि मार्ग की बाधा समझी जाने के कारण उसके आत्मगौरव को बड़ी ठेस लगती है। वह अपने पूर्वारंग को स्मरण करती हुई कहती है-

प्रियतम! तुम श्रुति पथ से आये।

तुम्हें हृदय में रखकर मैं ने

अधर-कपाट लगाए।

विरहिणी यशोधरा व्रत रखती है, फटे-पुराने वस्त्र पहनती है मानो राजभोग से वंचित यशोधरा केवल गौतम की चिन्ता में ही जी रही हो।

1. प्रबंधकाव्य के भेद

प्रबंधकाव्य के तीन भेद हैं-

अ. महाकाव्य

ब. खण्ड काव्य

स. आख्यानक काव्य

अ. महाकाव्य- ऐसी कथात्मक काव्य जिसकी कथावस्तु उदात्त और दीर्घ होती है जिसकी शैली और जीवनी-शक्ति अपेक्षाकृत महान होती है-उसे महाकाव्य कहते हैं। इस महाग्रंथ में मानव जीवन के विभिन्न आयामों का उद्देश्यपूर्ण चित्रण होता है। महाकाव्य एक विशिष्ट गुणयुक्त वृहद् आकार वाला ग्रंथ होता है। महाकाव्य का कथानक प्रसिद्ध होता है।

हिन्दी के प्रमुख महाकाव्य

महाकाव्य

- पृथ्वीराज रासो
- रामचरितमानस
- पद्मावत
- सूरसागर
- कामायनी
- साकेत
- प्रिय प्रवास

- लोकायतन
- कुरुक्षेत्र
- आहुति

रचयिता

- चन्दबरदायी
- तुलसीदास
- मलिक मोहम्मद जायसी
- सूरदास
- जयशंकर प्रसाद
- मैथिलीशरण गुप्त
- अयोध्या सिंह उपाध्याय
- 'हरिऔध'
- सुमित्रानंदन पंत
- रामधारी सिंह 'दिनकर'
- डॉ. बृजेश सिंह

ब. खंडकाव्य- ऐसी कथात्मक काव्य जिसमें जीवन के किसी महत्वपूर्ण काल-खंड का वर्णन हो, खंड काव्य कहते हैं। खंड-काव्य में प्रकृति चित्रण संक्षिप्त रहता है, किसी एक रस की प्रधानता रहती है।

हिन्दी के प्रमुख खंड-काव्य

खंडकाव्य

- पार्वती मंगल
- सुदामा चरित
- राधा विनोद
- पंचवटी, जयद्रथ वध
- रश्मि-रथी
- पथिक
- हल्दीघाटी का युद्ध
- महाप्रस्थान
- भस्मासुर
- कदम कदम बढ़ाए जा
- लव-कुश

रचयिता

- तुलसीदास
- नरोत्तमदास
- खण्डेराव
- मैथिलीशरण गुप्त
- रामधारी सिंह 'दिनकर'
- रामनरेश त्रिपाठी
- श्यामनारायण पाण्डे
- नरेश मेहता
- नागार्जुन
- गोपाल प्रसाद व्यास
- दानेश्वर शर्मा

स. आख्यानक गीत- यह एक लघु प्रबंधकाव्य है जिसमें पद्य शैली में लघु आख्यान या कथा वर्णित होती है। आख्यानक गीत एक उद्देश्यात्मक रचना होती है और गेयता इसका प्रमुख गुण है। गेय का शाब्दिक अर्थ है-गाया जाने योग्य या जो गाया जा सके।

हिन्दी के प्रमुख आख्यानक काव्य

आख्यानक गीत	रचयिता
● झांसी की रानी	सुभद्रा कुमारी चौहान
● हनुमान चालीसा	तुलसीदास
● नरसी जी का मायरा	मीराबाई
● रंग में भंग	मैथिलीशरण गुप्त
● चंदेरी का जौहर	आनंद मिश्र
● बेटी बचाओ	शकुन्तला शर्मा

2. मुक्तक काव्य के भेद

मुक्तक काव्य के दो भेद हैं-

अ. गेय मुक्तक

ब. पाठ्य मुक्तक

अ. गेय मुक्तक- इसमें भाव व संगीत पक्ष प्रधान होता है। यह प्रेम, करुणा, शौर्य आदि भावों पर आधारित हो सकता है। इसमें कला पक्ष की प्रधानता नहीं होती बल्कि आवेग की प्रधानता होती है। जैसे- सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' कृत 'तुलसीदास' एवं जयशंकर प्रसाद कृत 'पेशोला की प्रतिध्वनि'।

ब. गेय मुक्तक के दो भेद हैं-

1. **प्रबंध प्रगीत-** यह भी आख्यानक गीत की तरह लघु प्रबंध काव्य है परन्तु इसमें कथा नहीं होती और इसमें प्रगीत (जिसे गाया जा सके) तत्व की प्रधानता होती है। सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' का लघु प्रबंध काव्य 'तुलसीदास' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है।

2. **प्रगीत प्रबंध-** यह भी कथाविहीन लघु प्रबंध काव्य है अर्थात् कथा केवल संदर्भ मात्र के लिए होता है। इसमें भी प्रगीत (जिसे गाया जा सके) तत्व की प्रधानता होती है परन्तु इसके छन्दों (पदों) में तारतम्यता बनी रहती है अर्थात् वे माला की तरह गुंथे हुए रहते हैं जबकि 'प्रबंध प्रगीत' गुलदस्ते की तरह हैं-दोनों में यही मुख्य अंतर है। जयशंकर प्रसाद के लघु प्रबंध काव्य 'पेशोला की प्रतिध्वनि' और 'प्रलय की छाया' इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं।

ब. पाठ्य मुक्तक- यह एकल अनुभव पर आधारित प्रबंध काव्य है जो विषय प्रधान और कलात्मक होता है। प्रेम, वैराग्य, नीति, उपदेश आदि इसके प्रमुख विषय होते हैं।

कबीर, रहीम, रसखान के गीत पाठ्य मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। पाठ्य मुक्तक काव्य के कुछ उदाहरण-

● दोहावली	तुलसीदास
● बिहारी-सतसई	बिहारी
● मधुशाला	हरिवंश राय बच्चन

हिन्दी के कुछ चर्चित काव्य संग्रह

काव्य	रचनाकार
● हिमतरंगिनी	माखन लाल चतुर्वेदी
● चाँद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक-धूल	गजानन माधव 'मुक्तिबोध'
● आँगन के पार, बावरा अहेरी	स.ही.वात्स्यायन 'अज्ञेय'
● गीत फरोश, चकित है दुःख	भवानी प्रसाद मिश्र
● कनुप्रिया	धर्मवीर भारती
● कवि की घण्टियाँ, बाँस का पुल	सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
● साये में धूप, एक कंठ विषपायी	दुष्यन्त कुमार
● संशय की एक रात	नरेश मेहता
● दस्तक देता सूरज	डॉ. सत्यभामा आडिल

छत्तीसगढ़ के प्रमुख कवि एवं काव्य संग्रह (हिन्दी)

कवि	काव्य संग्रह
● पं. लोचन प्रसाद पाण्डेय	कविता कुसुममाला, माधव मंजरी, नीति कविता
● पं. मुकुटधर पाण्डेय	पूजा के फूल, विश्व बोध
● द्वारिका प्रसाद तिवारी 'विप्र'	सुराज गीत
● कुंज बिहारी चौबे	अवशेष
● स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी	भूख, बरसों बाद भी
● लाला जगदलपुरी	मिमियाती जिंदगी : दहाड़ते परिवेश, पड़ाव-5
● नारायण लाल परमार	कांवर भर धूप, कस्तूरी यादें, विस्मय का वृन्दावन

- | | | | |
|--|--|------------------------|--|
| ● देवीप्रसाद वर्मा
'बच्चू जांजगीरी' | मड़ैया गाती है, रास्ता काटती
बिल्ली | ● नथमल शर्मा | उसकी आँखों में समुद्र ढूँढ़ता
रहा, सूरज को देखो |
| ● हरि ठाकुर | गीतों का शिलालेख, मुक्ति
गीत, अंधेरे के खिलाफ | ● डॉ. संजय अलंग | पगडंडी छिप गई थी, नदी उसी
तरह सुन्दर थी जैसे कोई बाघ |
| ● आनंदी सहाय शुक्ल | नथनी हार बिकानी, ऊधो गीत | ● डॉ. माणिक विश्वकर्मा | सर्पदंश (गजल) |
| ● विद्याभूषण मिश्र | मन का वृंदावन जलता है,
संवेदनाओं के छलकते घट | ● केवल कृष्ण पाठक | दिल से दिल की बातें (गजल) |
| ● श्रीकांत वर्मा | भटका मेघ, मगध, माया दर्पण,
दिनारम्भ, जलसाधर | ● लक्ष्मण मस्तुरिया | सिर्फ सत्य के लिए |
| ● नरेन्द्र देव वर्मा | अपूर्वा | ● शंभूलाल शर्मा 'वसंत' | मेरे प्रिय बालगीत |
| ● राज मलकापुरी | शहर-ए-गजल, वो ही टहनी
गुलाब देती है (गजल) | ● डॉ. अजय पाठक | जंगल एक गीत है
(पुरस्कृत), बूढ़े हुए
कबीर, यक्ष प्रश्न |
| ● रमेश चौरसिया 'राही' | मेरा गीत कोई गा लेना | ● डॉ. पीसी लाल यादव | शब्दों का वंदनवार, तारों की बारात
एवं दिन आये फूलों के (बालगीत) |
| ● सुरजीत नवदीप | हवाओं में भटकते हाथ | ● शकुन्तला तरार | मेरा अपना बस्तर |
| ● विनोद कुमार शुक्ल | आकाश धरती को खटखटाता
है, कभी के बाद अभी, सब
कुछ होना बचा रहेगा,
अतिरिक्त नहीं, कविता से
लंबी कविता | ● डॉ. सुरेन्द्र दुबे | मिथक मंथन |
| ● पं. दानेश्वर शर्मा | गीत-अगीत | ● अरुण कुमार निगम | शब्द गठरिया बाँध (छन्द),
चैत की चंदनिया |
| ● डॉ. निरुपमा शर्मा | बूंदों का सागर | ● चोवारा 'बादल' | कुण्डलिया किल्लोल (छन्द) |
| ● डॉ. चितरंजन कर | चलो अब अपने घर, हँसता
हुआ सबेरा, हर सफर नया
नया (गजल) | ● आनंद सिंघनपुरी | काव्य-तरंग अनुपम |
| ● डॉ. बिहारी लाल साहू | इस दौर में | ● कन्हैया साहू 'अमित' | कविताई कैसे करूँ |
| ● संतोष झांझी | हथेलियों से फिसलता इंद्रधनुष | | |
| ● शकुन्तला शर्मा | लय, संप्रेषण | | |
| ● सुधा वर्मा | क्षितिज के पार | | |
| ● बुधराम यादव | पाने को अमरत्व, वक्र की गवाही | | |
| ● ओंकार नाथ चतुर्वेदी | अनुभूति | | |
| ● विजय तिवारी | स्वर्ण रजत अभिमान, अभिव्यक्ति | | |
| ● डॉ. बलदाऊ राम साहू | आशा के दीप, नया सबेरा,
पंछी गाएँ आसमान (सभी
बाल गीत) | | |

गद्य साहित्य की विधाएँ

गद्य शब्द की व्युत्पत्ति गद् धातु के साथ यत् जोड़ने से हुई है। गद्य का अर्थ है बोलना या कहना। विधा का अर्थ होता है-प्रकार। गद्य की विधाओं से तात्पर्य गद्य के प्रकारों से है।

हिन्दी गद्य साहित्य की विधाओं को दो भागों में बाँटा गया है- प्रमुख विधा और गौण विधा।

हिन्दी गद्य की प्रमुख विधाएँ

1. नाटक
2. एकांकी
3. उपन्यास
4. कहानी
5. निबंध
6. आलोचना

गौण विधाएँ

1. जीवनी
2. आत्मकथा
3. यात्रावृत्त
4. संस्मरण
5. रिपोर्ताज
6. रेखाचित्र
7. डायरी
8. भेंटवार्ता

प्रमुख गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय

(1) नाटक

लेखन शैली के आधार पर नाट्य साहित्य की गिनती दृश्य काव्य के अन्तर्गत की जाती है, क्योंकि इसका प्रदर्शन रंगमंच पर ही हो सकता है, जिसे देखकर दर्शक पूर्णतः आनंद उठा सकते हैं। नाटक एक ऐसा साहित्य रूप है, जिसमें रंगमंच पर पात्रों के द्वारा किसी कथा का प्रदर्शन अभिनय, दृश्य, सज्जा, संवाद, नृत्य, गीत आदि के माध्यम से किया जाता है। भारत में नाट्य साहित्य की बहुत ही समृद्ध एवं प्राचीन परंपरा रही है।

हिन्दी के प्रमुख नाटककार एवं नाटक

नाटककार	नाटक
● भारतेन्दु हरिश्चंद्र	भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी
● ज्योतिबा फुले	त्रिरत्न
● पं. सुन्दरलाल शर्मा	प्रहलाद
● जयशंकर प्रसाद	अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कन्दगुप्त, ध्रुव स्वामिनी
● माखन लाल चतुर्वेदी	कृष्णार्जुन युद्ध
● प्यारेलाल गुप्त	एक दिन
● पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी	प्रायश्चित्त, त्रिपथगा
● बलदेव प्रसाद मिश्र	शंकर दिग्विजय, मृणालिनी, परिणय, क्रांति
● भीष्म साहनी	कबिरा खड़ा बजार में
● गोविंद वल्लभ पंत	अंगूर की बेटी
● जगदीशचंद्र माथुर	कोणार्क
● डॉ. धर्मवीर भारती	अंधा युग (काव्य नाटक)
● उपेंद्रनाथ अश्क	अंजो दीदी
● विष्णु प्रभाकर	डॉक्टर
● लक्ष्मीनारायण लाल	मादा कैक्टस, रक्तकमल, मिस्टर अभिमन्यु, कपर्दू
● मोहन राकेश	आधे-अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन

● शंकर शेष	घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, खजुराहो का शिल्पी, अरे मायावी सरोवर, फंदी, कालजयी
● गिरीश कर्नाड	ययाति, हयवदन, तुगलक, रक्त कल्याण
● विजय तेंदुलकर	घासीराम कोतवाल, खामोश! अदालत जारी है, सखाराम बाइन्डर
● मुदा राक्षस	मरजीवा
● हबीब तनवीर	चरनदास चोर, आगरा बाजार, बहादुर कलारिन, गाँव के नाव ससुराल मोर नाव दमाद, मिट्टी की गाड़ी
● अमृत राय	चिन्दियों का एक झालर, शताब्दी, हम लोग
● शरद जोशी	एक था गधा, अंधों का हाथी
● कमलेश्वर	अधूरी आवाज
● डॉ. सुरेश चंद्र शुक्ल	कुत्ते, भस्मासुर अभी जिन्दा है
● विभु कुमार	तालों में बंद प्रजातंत्र, हवाओं में विद्रोह
● डॉ. महावीर अग्रवाल	काशी का जुलाहा
● डॉ. सुरेन्द्र दुबे	दो पांव का आदमी

(2) एकांकी

‘एकांकी’ नाट्य साहित्य की वह विधा है जिसके माध्यम से मानव जीवन के किसी एक पक्ष, एक चरित्र या एक भाव की कलात्मक प्रस्तुति की जाती है।

डॉ. रामकुमार वर्मा के अनुसार एकांकी में एक घटना होती है और वह नाटकीय कौशल से चरम सीमा तक पहुँचती है।

जैसा कि एकांकी नाम से ही स्पष्ट है, यह एक अंक का नाटक होता है जिसमें एक से अधिक दृश्य हो सकते हैं परंतु इसमें वर्णित कथावस्तु, अलग-अलग स्थानों और कालों में घटित नहीं होती। अधिकांश एकांकी एक ही अंक और एक ही दृश्य में समाप्त हो जाते हैं और अपना एकीकृत प्रभाव दर्शकों पर गहरा छोड़ जाते हैं। एकांकी आधुनिक युग की व्यस्तता की उपज है। इसे ‘लघुनाटक’ भी कहते हैं।

हिन्दी के प्रमुख एकांकी एवं रचनाकार

- रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु, औरंगजेब की आखिरी रात, चारुमित्रा, दीप-दान, इन्द्रधनुष; रेशमी टाई
- उपेन्द्र नाथ 'अश्क' साहब को जुकाम, लक्ष्मी का स्वागत, आंधी, पापी
- जगदीशचंद्र माथुर रीढ़ की हड्डी, भोर का तारा
- उदय शंकर भट्ट विश्वामित्र, कालिदास, आदिम युग
- धर्मवीर भारती नदी प्यासी थी
- मोहन राकेश अंडे के छिलके, सिपाही की माँ
- भगवती चरण वर्मा सबसे बड़ा आदमी, महाकाल, चौपाल में, द्रौपदी
- नरेश मेहता सुबह के घंटे
- वृंदावनलाल वर्मा कश्मीर का काँटा, बाँस की फाँस
- लक्ष्मीनारायण लाल अँधा कुआँ, दूसरा दरवाजा

(3) उपन्यास

उपन्यास (उप=समीप, न्यास=रखना) शब्द का अर्थ है समीप रखना। उपन्यास मानव जीवन की घटनाएँ, व्यापार, मनोभाव और क्रिया-कलापों का सजीव चित्रण है। अंग्रेजी में इसके लिए 'नॉवेल' शब्द का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ है 'नवीन' या 'नूतन'।

उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने इस पर अपना मत प्रगट करते हुए लिखा है - 'मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और इसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है।'

हिन्दी के आरंभिक उपन्यासकार

- | उपन्यासकार | उपन्यास |
|-------------------------|--|
| ● सै. इंशा अल्ला खाँ | रानी केतकी की कहानी |
| ● पं. गौरी दत्त | देवरानी-जेठानी की कहानी |
| ● भारतेन्दु हरिश्चन्द्र | एक कहानी 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती', पूर्ण प्रकाश चन्द्रप्रभा |

- श्रद्धाराम फुल्लौरी भाग्यवती
- श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु
- देवकीनंदन खत्री चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ
- लल्लूराम सिंहासन बत्तीसी
- सदल मिश्र नासिकेतोपाख्यान
- राजा शिवप्रसाद राजा भोज का सपना

हिन्दी के प्रमुख उपन्यासकार एवं उपन्यास

- प्रेमचंद सेवासदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, कायाकल्प, वरदान
- लोचन प्रसाद पाण्डेय दो मित्र
- वृंदावनलाल वर्मा मृगनयनी
- पं. हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख
- जयशंकर प्रसाद कंकाल, तितली
- यशपाल झूठा-सच, तेरी मेरी उसकी बात
- भगवतीचरण वर्मा चित्रलेखा, टेढ़े-मेढ़े रास्ते
- जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा
- फणीश्वरनाथ रेणु मैला आँचल, कितने चौराहे
- स.ही. वात्स्यायन अज्ञेय शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने-अपने अजनबी
- प्यारेलाल गुप्त लवंगलता
- मृदुला सिन्हा ज्यों मेंहदी के रंग
- मन्नू भंडारी एक इंच मुस्कान, आपका बंटी, महाभोज, स्वामी
- नीरजा माधव यमदीप
- महेन्द्र भीष्म किन्नर-कथा, मैं पायल
- गजेन्द्र तिवारी ब्लैक होल द इंडिका
- अमृतलाल नागर बूँद और समुद्र, मानस का हँस
- भीष्म साहनी तमस, झरोखे, बसन्ती

- शरतचन्द्र श्रीकान्त, चरित्रहीन, परिणीता
- राही मासूम रज़ा आधा गाँव
- श्रीलाल शुक्ल रागदरबारी, आदमी का जहर
- धर्मवीर भारती गुनाहों का देवता, सूरज का सातवाँ घोड़ा
- कृष्णा सोबती जिन्दगीनामा
- इलाचंद जोशी पदों की रानी, जहाज का पंछी
- मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस
- विनोद कुमार शुक्ल नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, खिलेगा तो देखेंगे
- गुलशेर अहमद खाँ 'शानी' काला जल, साँप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी
- अमृतराय नागफनी का देश, हाथी के दाँत, बीज
- कमलेश्वर काली आँधी, कितने पाकिस्तान, डाक बँगला
- उषा प्रियंवदा पचपन खम्भे लाल दीवारें
- नरेन्द्र देव वर्मा सुबह की तलाश
- मेहरुनिसा परवेज़ आँखों की दहलीज़, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश
- चित्रा मुद्गल पोस्ट बाक्स नं. 203 नाला सोपारा, आवाँ
- मैत्रेयी पुष्पा बेतवा बहती रही, अल्मा कबूतरी, चाक, झूला नट
- डॉ. श्यामसुंदर दुबे सोनफूला
- शिवशंकर शुक्ल मोंगरा
- डॉ. परदेशीराम वर्मा प्रस्थान, सूतक
- गिरीश पंकज माफिया, पॉलीवुड की अप्सरा
- तेजिन्द्र वह मेरा चेहरा (पुरस्कृत), उस शहर तक, काला पादरी
- मंजूर एहतेशाम सूखा बरगद
- सरला शर्मा कुसुम कथा
- जया जादवानी तत्वमसि
- राजीव रंजन प्रसाद लाल अंधेरा, बस्तर 1857
- रामनाथ साहू भूमि

(4) कहानी

कहानी जीवन के महत्वपूर्ण समय एवं घटनाओं का संक्षिप्त नाटकीय चित्रण है जिसमें उन सभी बातों को छोड़ दिया जाता है जो उसके प्रभाव को अग्रसर करने में सहायक नहीं होती। कहानी अपने आप में पूर्ण होती है और इसमें प्रारंभ एवं अंत का विशेष महत्व होता है।

डॉ. श्यामसुंदर दास के अनुसार 'आख्यायिका (कहानी) एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को रखकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है।'

कहानी की कथावस्तु संक्षिप्त होती है और कथा के विस्तार के लिए इसमें अवसर नहीं रहता। कहानी में किसी ऐसी अनावश्यक बातों का वर्णन नहीं किया जाता जो मूलकथा से जुड़ी न हो।

हिन्दी के प्रमुख कहानीकार एवं कहानियाँ

- | कहानीकार | कहानियाँ |
|---------------------------|---|
| ● माधवराव सप्रे | एक टोकरी भर मिट्टी |
| ● पं. सुन्दरलाल शर्मा | दुखिया गरीब किसान |
| ● पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी | झलमला |
| ● किशोरीलाल गोस्वामी | इंदुमती, गुलबहार |
| ● मास्टर भगवान दास | प्लेग की चुड़ैल |
| ● रामचंद्र शुक्ल | ग्यारह वर्ष का समय |
| ● गिरजादत्त बाजपेयी | पंडित और पंडितानी |
| ● बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' | संतू |
| ● चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी' | उसने कहा था, बुद्ध का कांटा, सुखमय जीवन |
| ● जयशंकर प्रसाद | छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आँधी, इन्द्रजाल, मधुवा, पुरस्कार |
| ● प्रेमचंद | बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, परीक्षा, पूस की रात, ठाकुर का कुआँ, ईदगाह, बड़े भाई साहब, सवा सेर गेहूँ, सद्गति, घासवाली |

- | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------|--|
| ● सुदर्शन | हार की जीत, पनघट, अँगूठी का मुकदमा | ● शेखर जोशी | कोसी का घटवार, बदबू, दाज्यू |
| ● विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक' | ताई, चित्रशाला | ● ज्ञानरंजन | घण्टा, बहिर्गमन, अनुभव |
| ● चतुरसेन शास्त्री | दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी, हल्दीघाटी में | ● दूधनाथ सिंह | सपाट चेहरे वाला आदमी, विजेता, सुखांत, रीछ, प्रतिशोध |
| ● जैनेन्द्र | खेल, फांसी, दो चिड़िया, ध्रुवयात्रा, अपना-अपना भाग्य, एक दिन | ● संजीव | अपराध (पुरस्कृत तथा चर्चित कहानी), तीस साल का सफरनामा |
| ● यशपाल | उत्तराधिकारी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ | ● गुलशेर अहमद खाँ 'शानी' | बबूल की छाँव, बिरादरी, सड़क पार करते हुए, एक नाव के यात्री |
| ● स.ही वात्स्यायन 'अज्ञेय' | रोज, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप | ● से.रा. यात्री | जीनियस की दुम, अनासक्त, केवल पिता |
| ● भीष्म साहनी | वाइचू, पाली, डायन | ● ज्ञानरंजन | पिता |
| ● जगन्नाथ प्रसाद चौबे 'वनमाली' | जिल्दसाज, आदमी और कुत्ता, रेल का डिव्वा | ● विनोद कुमार शुक्ल | महाविद्यालय |
| ● गजानन माधव 'मुक्तिबोध' | काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, ब्रह्मराक्षस का शिष्य | ● गोविंद मिश्र | पगला बाबा |
| ● हरिशंकर परसाई | जैसे उनके दिन फिरे | ● डॉ. धनंजय वर्मा | कलश और कंगूरे |
| ● नरेश मेहता | किसका बेटा | ● विभु कुमार | यात्रा-शवयात्रा |
| ● श्रीकांत वर्मा | शवयात्रा | ● डॉ. परदेशीराम वर्मा | लोहारबारी, विसर्जन (पुरस्कृत कहानी) |
| ● मलय | साँप कुण्डलियों के बीच | ● सतीश जायसवाल | 'दिनांक 30 नवम्बर 1977, राजमार्ग क्रमांक-6' |
| ● अमरकांत | जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, डिप्टी कलक्टर | ● विश्वेश्वर | बदलना |
| ● कमलेश्वर | राजा निरबंसिया, खोई हुई दिशाएँ, मौस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत | ● रमाकांत श्रीवास्तव | सिविल लाइन का भूत |
| ● विष्णु प्रभाकर | मेरा वतन, एक और कुंती | ● गजेन्द्र तिवारी | ला खर्चा निकाल! |
| ● धर्मवीर भारती | बंद गली का आखिरी मकान, गुलकी बन्नो | ● प्रभात त्रिपाठी | घर वापसी |
| ● निर्मल वर्मा | परिन्दे | ● डॉ. श्याम सुंदर दुबे | बिगना |
| ● फणीश्वरनाथ रेणु | तुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, रसप्रिया, तीसरी कसम | ● असगर वज्जाहत | स्विमिंग पूल |
| ● शिवप्रसाद सिंह | आरपार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इन्तजार है | ● उदयन बाजपेयी | नाटक |
| ● रघुवीर सहाय | सेब, मुठभेड़, तीन मिनट | ● कुमार अंबुज | स्फटिक |
| | | ● स्वयं प्रकाश | हत्या |
| | | ● रमेश बक्षी | कोई और |
| | | ● रमेशचंद्र शाह | मोहल्ले का रावण |
| | | ● रमेश दवे | झूठ |
| | | ● राजेश जोशी | मैं हवा पानी परिन्दा कुछ नहीं |
| | | ● शशांक | हलाल |
| | | ● तेजिन्दर | क्या तुम नहा चुके |
| | | ● महेश कटारे | कुआँ |

- हरि भटनागर 'बिल्ली नहीं, दीवार'
- ज्ञान चतुर्वेदी दंगे में मुर्गा
- संतोष चौबे नौ बिंदुओं का खेल
- जयशंकर 'नीरव' मीठे कनेर का दरख्त
- मुकेश वर्मा गोमती
- रामकुमार तिवारी सकून (पुरस्कृत कहानी), कुतुब एक्सप्रेस
- सच्चिदानंद जोशी नंगी टहनियों का दर्द
- उदय प्रकाश पीली छतरीवाली लड़की (21वीं सदी की चर्चित कहानी), रामसजीवन की प्रेमकथा, वारेन हेस्टिंग्स का सांड की कसाईबाड़ा
- शिवमूर्ति
- डॉ. विनोद कुमार वर्मा मछुआरे की लड़की (21वीं सदी की चर्चित कहानी, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में शामिल), जन्मदिन
- नवीन सागर मोर
- प्रभु जोशी अलग-अलग तीलियाँ
- मंजूर एहतेशाम रमजान में मौत
- आफाक अहमद पुरजोर खामोशी
- इकबाल माजीद एक जख्मी छिपकली
- हरिहर वैष्णव मोहभंग
- डॉ. सोमनाथ यादव असली उत्तराधिकारी
- खुशींद हयात पाँच अंगुलियाँ, तूफान से पहले और तूफान के बाद (दोनों कहानियाँ महाविद्यालयीन पाठ्यक्रम में शामिल)
- परितोष चक्रवर्ती अँधेरा समुद्र
- प्रदीप चौबे साठवाँ
- ओमप्रकाश वाल्मीकि सलाम, घुसपैठिए, छतरी
- रवीश कुमार इश्क में शहर होना
- पूनम तूषामंड मेले में लड़की
- कबीर संजय सुरखाब के पंख
- एस.के.पंजम थप्पड़
- मनोज रूपड़ा साज-नासाज, दफन
- कैलाश बनवासी लोहा और आग.. और वे...

- आनंद हर्षुल अघखाया फल
- राजेन्द्र दानी नेपथ्य का अँधेरा
- तरुण भटनागर 'दादी, मुल्तान और टच एण्ड गो'
- ऋषि जजपाल वीतराग
- पंकज सुबीर नक्कारखाने में पुरुष विमर्श
- मोहन सगोरिया भार
- रवि बुले लापता नत्थू उर्फ दुनिया ना माने
- सत्यनारायण पटेल रंगरूट
- रमेश शर्मा वे खुश होना चाहते हैं
- पंकज मित्र क्विजमास्टर
- अखिलेश आदमी नहीं टूटता
- मोहम्मद आरिफ फूलों का बाड़ा

महिला कहानीकार

- सुभद्रा कुमारी चौहान बिखरे मोती, उन्मादिनी
- बंग महिला दुलाई वाली
- मृणाल पाण्डेय दरम्यान, शब्दवेधी, एक स्त्री का विदा गीत
- सूर्यबाला मुंडेर पर, कात्यायनी संवाद, गृहप्रवेश
- मालती जोशी मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, क्षरण
- शिवानी लाल हवेली, अपराधिनी
- कृष्णा सोबती सिक्का बदल गया
- मनू भंडारी मैं हार गई, रानी माँ का चबूतरा
- उषा प्रियंवदा वापसी, कितना बड़ा झूठ
- ममता कालिया छुटकारा, सीट नं. 6, एक दिन अचानक
- मृदुला गर्ग कितनी कैदें, टुकड़ा-टुकड़ा आदमी
- चित्रा मुद्गल जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह
- मेहरुनिसा परवेज आदम और हब्बा, टहनियों पर धूप, सीढ़ियों का ठेका, लाल गुलाब
- मैत्रेयी पुष्पा त्रिया हठ, फैसला, अब फूल नहीं खिलते
- इंदिरा राय तुम इतनी अच्छी क्यों थी?
- इंदिरा मिश्र एक सहभोज
- स्नेह मोहनीश डाइन
- डॉ. वीणा सिन्हा चुनमाई

- डॉ. कृष्णा अग्निहोत्री जीना-मरना
- तुलसी देवी तिवारी शाम से पहले की स्याही
- अनिता सभरवाल ऑर्किड्स
- डॉ. उर्मिला शुक्ल नहीं रहना देश बिराने
- जया जादवानी आर्मीनिया की गुफा, समन्दर में सूखती नदी
- उर्मिला शिरीष चीख
- शरद सिंह छिपी हुई औरत
- स्वाति तिवारी प्रायश्चित्त
- रेखा कस्तवार तीन सौ साठ डिग्री का कोण
- शम्पा शाह छाया का रंग
- वन्दना राग विरासत
- मनीषा कुलश्रेष्ठ कठपुतलियाँ, बौनी होती परछाई
- अल्पना मिश्र उपस्थिति, छावनी में बेघर
- इंदिरा दाँगी हथियार

(5) निबंध

भावों और विचारों को सुव्यवस्थित रूप से बांधना ही निबंध है। कविता की अपेक्षा गद्य लिखना कठिन है और गद्य की अपेक्षा निबंध लिखना। इसका कारण यह है कि निबंध में विचारों को एक सुनिश्चित क्रम में सूत्र रूप में लिखा जाता है।

सुप्रसिद्ध निबंधकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार 'यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।' निबंध लेखन के लिए गूढ़ अध्ययन और विषय का ज्ञान परमावश्यक है इसीलिए आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने निबंध को 'गद्य की कसौटी' के रूप में रेखांकित किया है।

हिन्दी के प्रमुख निबंधकार एवं उनके निबंध/निबंध संग्रह

- भारतेन्दु हरिश्चन्द्र काश्मीर कुसुम, सूर्योदय, ईश्वर बड़ा विलक्षण है
- प्रतापनारायण मिश्र निबन्ध नवनीत, खुशामद, आत्म गौरव
- बालकृष्ण भट्ट बाल विवाह, स्त्रियाँ और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा
- महावीर प्रसाद द्विवेदी कवि और कविता, वैदिक देवता, रसज्ञरंजन
- बालमुकुन्द गुप्त शिवशम्भु का चिट्ठा, चिट्ठे और खत

- सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम
- बाबू श्यामसुन्दर दास समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, कला का विवेचन
- आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, उत्साह, श्रद्धाभक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति
- पदुमलाल पुन्नालाल अतीत स्मृति, उत्सव, बख्शी श्रद्धांजलि के फूल
- मुकुटधर पाण्डेय छायावाद एवं अन्य निबन्ध, परिश्रम
- माखनलाल चतुर्वेदी अमीर-इरादे गरीब-इरादे, साहित्य देवता
- बाबू गुलाब राय फिर निराश क्यों?, मन की बातें, मेरी असफलताएँ, कुछ उथले कुछ गहरे
- हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, मध्यकालीन धर्मसाधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह
- जैनेन्द्र जड़ की बात, काम प्रेम और परिवार, समय और हम, साहित्य और संस्कृति
- आचार्य नन्ददुलारे बाजपेई हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, राष्ट्रभाषा की समस्याएँ, नई कविता, रस सिद्धांत, हिन्दी साहित्य का आधुनिक युग
- महादेवी वर्मा शृंखला की कड़ियाँ, भारतीय संस्कृति के स्वर संकल्पिता
- रामधारी सिंह 'दिनकर' मिट्टी की ओर, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, रेती के फूल, धर्म नैतिकता और विज्ञान, आधुनिकता बोध
- स.ही.वात्स्यायन सब रंग कुछ राग, आत्मनेपद 'अज्ञेय'
- डॉ. रामविलास शर्मा लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, कथा विवेचन और गद्य-शिल्प
- डॉ. नगेन्द्र आधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण

- हरिशंकर परसाई पगडंडियों का जमाना, ठितुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पाँव पीछे, पाखंड का अध्यात्म, तुलसीदास चंदन घिसे
- डॉ. नामवर सिंह बकलमखुद, वाद-विवाद संवाद
- गजानन माधव 'मुक्तिबोध' नयी कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध
- विद्यानिवास मिश्र अंगद की नियति, लागो रंग हरी, देशधर्म और साहित्य, लोक और लोक का स्वर, गांधी का करुण रस, साहित्य के सरोकार
- निर्मल वर्मा शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में आदि, अंत और आरंभ
- शरद जोशी जीप पर सवार इल्लियाँ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यत्र-तत्र-सर्वत्र
- ज्ञान चतुर्वेदी दंगे में मुर्गा, बिसात बिछी है, खामोश/नंगे हमाम में हैं
- डॉ. सत्येन्द्र शर्मा संवेदना के सेतु
- सरला शर्मा बहुरंगी
- राजीव रंजन प्रसाद बस्तरनामा (पुरस्कृत)

(6) आलोचना

आलोचना गद्य की निबन्धात्मक विधा है, जिसके अन्तर्गत किसी रचना के गुण-दोषों का विश्लेषण व साहित्य के शास्त्रीय प्रतिमानों के आधार पर विवेचन किया जाता है।

हिन्दी आलोचना के विकास का इतिहास गद्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा प्राचीन है। संस्कृत काव्य आलोचना की परम्परा रीतिकाल में स्थानांतरित हुई। केशवदास की गिनती भक्तिकालीन कवियों में की जाती है परन्तु उन्हें रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों युगों को जोड़ने वाला कवि भी कहा जाता है। उनकी रचना 'कवि प्रिया' एवं 'रसिक प्रिया' को 'संस्कृत काव्य आलोचना' के कारण जाना जाता है जो उन्होंने रीतिकाल में सृजित किया था।

आलोचना साहित्य का वास्तविक विकास वस्तुतः आधुनिक युग में हुआ। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, प्रेमधन, प्रतापनारायण मिश्र के

अनेक लेखों में आलोचना का रूप दृष्टव्य है। द्विवेदी युग में मिश्र बन्धु, पद्मसिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, मुकुटधर पाण्डेय ने आलोचना के क्षेत्र में कार्य किया किन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने आलोचना को शास्त्रीय व व्यावहारिक रूप प्रदान किया। कुछ प्रमुख आलोचक एवं रचनाएँ निम्नानुसार हैं-

आलोचक	रचनाएँ
● भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	नाटक
● पद्मसिंह शर्मा	बिहारी सतसई की भूमिका
● कृष्ण बिहारी मिश्र	देव और बिहारी
● रामदयाल तिवारी	गांधी मीमांसा
● पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी	हिन्दी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य
● बलदेव प्रसाद मिश्र	तुलसी दर्शन
● बाबू गुलाबराय	काव्य के रूप, नवरस, सिद्धांत और अध्ययन
● श्यामसुन्दर दास	रूपक रहस्य, भाषा रहस्य, साहित्यालोचन
● रामचन्द्र शुक्ल	हिन्दी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस-मीमांसा, तुलसीदास, भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली की भूमिका
● नन्ददुलारे बाजपेयी	हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य नए प्रश्न, कवि निराला
● सूर्यकांत त्रिपाठी निराला	पंत और पल्लव, रवींद्र कविता कानन
● सुमित्रानंदन पंत	गद्यपथ, शिल्प और दर्शन, छायावाद : पुनर्मूल्यांकन
● रामकुमार वर्मा	साहित्य समालोचना
● हजारी प्रसाद द्विवेदी	कबीर, सूरसाहित्य, हिन्दी साहित्य की भूमिका, हिन्दी साहित्य का आदिकाल
● रामविलास शर्मा	नई कविता और अस्तित्ववाद
● गजानन माधव 'मुक्तिबोध'	कामायनी एक पुनर्विचार, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष

- डॉ. भागीरथ मिश्र काव्यशास्त्र
- डॉ. नगेन्द्र रस सिद्धांत, विचार और अनुभूति, हिन्दी साहित्य का इतिहास
- स.ही.वात्स्यायन त्रिशंकु, अद्यतन
- डॉ. नामवर सिंह कविता के नए प्रतिमान, इतिहास और आलोचना, कहानी और नई कहानी, छायावाद
- डॉ. गणपतिचंद्र गुप्त हिन्दी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
- अमृतराय नई समीक्षा, विचारधारा और साहित्य
- रांगेय राघव प्रगतिशील साहित्य के मानदण्ड, काव्यकला और शास्त्र
- डॉ. मैनेजर पाण्डेय साहित्य और इतिहास दृष्टि, आलोचना और सामाजिकता
- गिरिजा कुमार माथुर नई कविता : सीमाएँ और सम्भावनाएँ
- रामस्वरूप चतुर्वेदी हिन्दी नवलेखन, आधुनिक कविता यात्रा
- प्रभाकर श्रोत्रिय कविता की तीसरी आँख
- धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य
- निर्मल वर्मा शब्द और स्मृति
- डॉ. बच्चन सिंह हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिन्दी आलोचना के बीज शब्द
- राजेन्द्र मिश्र समकालीन कविता : सार्थकता और समझ, नई कविता की पहचान
- डॉ. राजेश्वर सक्सेना उत्तर आधुनिक विमर्श और द्वन्द्ववाद, भारतीय काव्य चिन्तन, रचना का इतिहास दर्शन
- डॉ. विनय कुमार पाठक अम्बेडकरवादी सौंदर्यशास्त्र और दलित, आदिवासी जनजातीय-विमर्श, विकलांग विमर्श : दशा और दिशा, लैंगिक विकलांग-विमर्श : दशा और दिशा किन्नर विमर्श : दशा और दिशा
- विश्वनाथ प्रसाद तिवारी नए साहित्य का तर्कशास्त्र
- नन्दकिशोर आचार्य अज्ञेय की तितीर्षा, साहित्य का स्वभाव
- अशोक बाजपेयी कुछ पूर्वाग्रह कविता का गल्प, कवि कह गया है
- प्रो. प्रमोद वर्मा साहित्य रूप, अंग्रेजी की स्वच्छंद कविता, हलफनामा
- कनक तिवारी हिन्द स्वराज का सच
- डॉ. गंगाप्रसाद गुप्त आधुनिक काव्य : संदर्भ और प्रकृति
- नन्दकिशोर तिवारी छत्तीसगढ़ी साहित्य : दशा एवं दिशा
- डॉ. बिहारी लाल साहू अभिव्यक्ति के आत्मीय परिप्रेक्ष्य
- डॉ. सत्येन्द्र शर्मा नवगीत : संवेदना और शिल्प, कविता की आँच
- डॉ. इन्द्रबहादुर सिंह जनवादी समीक्षा-दृष्टि और जनवादी रचनाकार
- डॉ. विनोद कुमार वर्मा विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी
- डॉ. अजय पाठक तेरी मेरी मधुशाला (हरिवंशराय बच्चन कृत मधुशाला की आलोचनात्मक व्याख्या)
- डॉ. जितेन्द्र कुमार सिंह शब्दार्थ का सौहित्य 'संजय'
- डॉ. अनुसुइया अग्रवाल हिन्दी लोकसाहित्य शास्त्र : सिद्धांत और विकास
- रोहिणी अग्रवाल समकालीन कथा साहित्य : सरहदें और सरोकार
- जयप्रकाश कहानी की उपस्थिति
- डॉ. विनोद तिवारी सृजन और उपन्यास
- अश्विनी कुमार चुप नहीं है जो 'आलोक'

हिन्दी गद्य साहित्य की गौण विधाएँ

हिन्दी गद्य साहित्य की गौण विधाओं के अन्तर्गत (1) जीवनी (2) आत्मकथा (3) यात्रावृत्त (4) संस्मरण (5) रिपोर्ताज (6) रेखाचित्र (7) डायरी (8) भेंटवार्ता लिए जा सकते हैं।

(1) जीवनी

जीवनी का तात्पर्य है- किसी महान व्यक्ति के जीवन का ससमग्र चित्रण अर्थात् उस व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक वही घटनाओं को कालक्रम से इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे उसके व्यक्तित्व के सभी पहलू उद्घाटित हो उठे।

- 00 डॉ. रामविलास शर्मा निराला और साहित्य साधना
- 00 राधाकृष्णदास भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का जीवन चरित्र
- 00 घनश्याम बिड़ला मेरे जीवन में गांधी जी
- 00 मन्मथनाथ गुप्त गुरु नानक, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी
- 00 राहुल सांकृत्यायन स्तालिन, कार्ल मार्क्स, लेनिन
- 00 अमृतराय प्रेमचन्द : कलम का सिपाही
- 00 विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा (शरतचन्द्र की जीवनी)
- 00 रामवृक्ष बेनीपुरी जयप्रकाश नारायण
- 00 जैनेन्द्र कुमार अकाल पुरुष गांधी
- 00 रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना
- 00 शिवसागर मिश्र दिनकर : एक सहज पुरुष
- 00 डॉ. परदेशीराम वर्मा आरूग फूल (पंथी नाच के शीर्ष पुरुष स्व. देवदास बंजारे की जीवनी)
- 00 डॉ. सत्येन्द्र शर्मा भारतीय साहित्य के निर्माता ठाकुर गोपालशरण सिंह, भारतीय साहित्य के निर्माता केशवप्रसाद पाठक

(2) आत्मकथा

भाषा के माध्यम से स्वयं अपने जीवन को तटस्थ भाव से प्रस्तुत करना ही आत्मकथा है। यह संस्मरणात्मक होती है। लेखक इसमें अपने ही जीवन के महत्वपूर्ण एवं मार्मिक घटनाओं को पूरी ईमानदारी से प्रस्तुत करता है तथा उन घटनाओं का अपने जीवन पर पड़े हुए प्रभाव का भी उल्लेख करता है।

- 00 स्वामी दयानंद सरस्वती जीवन-चरित्र
- 00 बनारसी दास जैन अर्धकथा
- 00 सुभाष चन्द्र बोस तरुण के स्वप्न
- 00 सुमित्रानंदन पंत साठ वर्ष : एक रेखांकन

- 00 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र एक कहानी- कुछ आप बीती, कुछ जग बीती
- 00 बाबू गुलाबराय मेरी असफलताएँ
- 00 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद आत्मकथा
- 00 हरिवंशराय बच्चन क्या भूलूँ क्या याद करूँ
- 00 मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी
- 00 डॉ. श्यामसुंदर दुबे अटकते-भटकते
- 00 लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी मैं लक्ष्मी... मैं हिजड़ा...

(3) यात्रावृत्त

किसी विशेष स्थान की यात्रा का सरल, सुंदर व मनमोहक वर्णन वहाँ के प्राकृतिक दृश्यों, संस्कृति आदि के आधार पर लेखन को यात्रावृत्त या यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इसमें लेखक वर्ण्य-विषय का वर्णन आत्मीयता तथा निजता के साथ इस तरह करता है कि उसमें जीवन-संदर्भ भी साथ चलते हैं। इस तरह पाठक उससे जुड़कर आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं।

यात्रा वृत्तांतकार

रचनाएँ

- 00 राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा
- 00 रामधारी सिंह 'दिनकर' देश-विदेश
- 00 स.ही.वात्स्यायन 'अज्ञेय' अरे यायावर रहेगा याद?
- 00 निर्मल वर्मा चीड़ों पर चौदनी
- 00 धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय
- 00 मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक
- 00 कमलेश्वर आँखों देखा पाकिस्तान
- 00 हिमांशु जोशी यातना शिविर
- 00 बालकवि बैरागी कच्छ का पदयात्री
- 00 श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ
- 00 मैत्रेयी पुष्पा अगनपाखी
- 00 डॉ. सत्यभामा आडिल पहाड़ की ढलान से समुद्र की सतह पर
- 00 द्वारिका प्रसाद अग्रवाल मुसाफिर जाएगा कहाँ
- 00 वासंती मिश्रा मेरी स्मरण यात्रा
- 00 डॉ. अनुसुइया अग्रवाल यात्रा द्वारकाधाम की

- डॉ. हिमांशु द्विवेदी बहाव
- राजीव रंजन प्रसाद मौन मगध में (पुरस्कृत)

(4) संस्मरण

संस्मरण का अर्थ है सम्यक् स्मरण। जीवन की मार्मिक अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर प्रभावशाली भाषा में चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है।

- पदुमलाल पुनालाल जिन्हें नहीं भूलूंगा बख्शी
- शिवरानी प्रेमचंद घर में
- महादेवी वर्मा पथ के साथी
- रामवृक्ष बेनीपुरी मौल के पत्थर
- उपेन्द्रनाथ 'अश्वक' ज्यादा अपनी कम पराई
- महावीर त्यागी वे क्रांति के दिन
- रामधारी सिंह 'दिनकर' बट-पीपल
- विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द : कुछ रेखाएँ
- अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया
- स.ही. वात्स्यायन 'अज्ञेय' स्मृति-लेखा
- देवीप्रसाद वर्मा किसको कितना याद करूँ 'बच्चू जाँजगीरी'
- गुलशेर अहमद खाँ शालवनों का द्वीप 'शानी'
- डॉ. परदेशीराम वर्मा अपने लोग (9 खण्डों में प्रकाशित)
- सतीश जायसवाल कोल काटे कमन्द
- सुधा वर्मा वे दिन भी अपने थे
- राहुल कुमार सिंह सिंहावलोकन

(5) रिपोर्टाज

रिपोर्टाज का तात्पर्य है - घटना का विवरण। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज का विषय कभी कल्पित नहीं होता है। यह विधा पत्रकारिता और साहित्यिकता से युक्त होने पर रिपोर्टाज बन जाती है।

लेखक

- शिवदान सिंह चौहान
- रांगेय राघव
- धर्मवीर भारती

रिपोर्टाज

- लक्ष्मीपुरा
- तूफानों के बीच
- युद्ध यात्रा

- कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर' क्षण बोले कण मुस्कराए
- शिवसागर मिश्र वे लड़ेंगे हजार साल
- शमशेर बहादुर सिंह प्लॉट का मोर्चा

(6) रेखाचित्र

रेखाचित्र दो शब्दों से बना है रेखा और चित्र। रेखाचित्र शब्द स्केच है अर्थात् शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे पाठक के हृदय में उसकी सजीव व यथार्थ मूर्ति अंकित हो सके। यह लेखन की छोटी मगर अत्यंत कठिन विधा है। तूलिका और रंगों से चित्र बनाना आसान है परन्तु शब्दों से रेखाचित्र बनाना अत्यंत कठिन है।

- महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र
- रामवृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें
- श्रीराम शर्मा बोलती प्रतिमा
- विनय मोहन शर्मा रेखा और रंग
- डॉ. नगेन्द्र चेतना के बिम्ब
- देवेन्द्र सत्यार्थी रेखाएँ बोल उठीं

(7) डायरी

डायरी मूलतः लेखक की निजी वस्तु होती है। डायरी में लेखक प्रतिदिन की घटनाओं (महत्वपूर्ण) को क्रमबद्ध वर्णन करता है।

हिन्दी में डायरी विधा के प्रारंभिक लेखन का श्रेय डॉ. धीरेन्द्र वर्मा (मेरी कालेज डायरी) को जाता है।

- पदुमलाल पुनालाल बख्शी मेरी डायरी
- गजानन माधव 'मुक्तिबोध' एक साहित्यिक की डायरी

(8) भेंटवार्ता

किसी विशिष्ट विषय पर प्रश्नों के उत्तर को साक्षात्कार के माध्यम से लेखक लिपिबद्ध करता है इसे ही भेंटवार्ता कहते हैं। भेंटवार्ता काल्पनिक और यथार्थ दोनों प्रकार की हो सकती है। कुछ प्रमुख भेंटवार्ता इस प्रकार है-

- राजेन्द्र यादव चेखव एक इंटरव्यू
- श्री लक्ष्मीचंद जैन भगवान महावीर एक इंटरव्यू
- अश्विनी कुमार स्मृतिसंवाद 'आलोक'

हिन्दी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का योगदान (छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

भारत का पहला समाचार पत्र 'बंगाल गजट' का प्रकाशन सन् 1780 ई. में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। यह अंग्रेजी में प्रकाशित भारत का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसमें राजनैतिक और वाणिज्यिक समाचार प्रकाशित किए जाते थे। इसके प्रकाशक एवं संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। समाचार पत्र का रवैया सरकार के प्रति आलोचनात्मक था। अनेक अंग्रेज अधिकारियों के काले कारनामों का इस समाचार पत्र ने भंडाफोड़ किया। अखबार में छपी खबरें लंदन तक पहुँचने लगी और कुछ समाचार वहाँ के अखबारों में भी छपने लगे। अंततः अंग्रेजों ने प्रेस के प्रति दमनपूर्ण नीति अपनाया और सन् 1782 ई. में मुद्रणालय जप्त कर लिया गया।

'बंगाल गजट' के ही समानान्तर अनेक अंग्रेजी समाचार पत्रों का प्रकाशन देश के अन्य शहरों से प्रारंभ हुए जिसमें कुछ समाचार पत्रों को सरकारी सहायता प्राप्त था- इन अखबारों के

माध्यम से अंग्रेज अपने व्यापारिक हितों का संरक्षण भी करते थे।

हिन्दी पत्रकारिता का प्रस्थान बिन्दु सन् 1826 को माना जाता है। 30 मई सन् 1826 को हिन्दी का प्रथम साप्ताहिक पत्र 'उदंत मार्तण्ड' का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ हुआ था। हिन्दी पत्रकारिता के लिए यह दिन विशेष महत्व का है, इसीलिए 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। उदंत मार्तण्ड के संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल थे। हालाँकि हिन्दी का यह पहला अखबार अपने जन्म के डेढ़ वर्ष बाद ही दिसम्बर सन् 1827 ई. को बन्द हो गया था। इसके पश्चात् अन्यान्य भारतीय भाषाओं (हिन्दी, बंगला, गुजराती, मराठी, उर्दू, तमिल, मलयालम, तेलुगू, पंजाबी, कन्नड़) में समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। भारतीय स्वातंत्र्य आंदोलन में इन समाचार पत्रों की विशेषकर हिन्दी समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही क्योंकि समाचारों के प्रसार के एकमात्र यही साधन थे।

हिन्दी के विकास से संबंधित कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ

पत्र/पत्रिका	प्रकाशन वर्ष (ई.)	स्थान	संपादक	मुख्य बिन्दु
● उदंत मार्तण्ड (साप्ताहिक)	1826	कलकत्ता	पं. जुगल किशोर शुक्ल	● हिन्दी में प्रकाशित भारत का प्रथम समाचार पत्र।
● बंगदूत (साप्ताहिक)	1829	कलकत्ता	राजा राममोहन राय	● एक साथ चार भाषाओं- हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी और फारसी में प्रकाशित।
● बनारस अखबार (साप्ताहिक)	1845	काशी (वाराणसी)	राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द'	● हिन्दी भाषी क्षेत्र में प्रकाशित प्रथम हिन्दी अखबार।
● समाचार सुधावर्षण (दैनिक)	1854	कलकत्ता	श्यामसुंदर सेन	● हिन्दी में प्रकाशित प्रथम दैनिक पत्र था। आरंभ के दो पृष्ठ हिन्दी के तथा शेष दो पृष्ठ बंगला के होते थे।
● प्रजा हितैषी	1855	आगरा	राजा लक्ष्मण सिंह	● आरंभ में मासिक, फिर पाक्षिक, फिर साप्ताहिक हो गई।
● कवि वचन सुधा	1868	काशी (वाराणसी)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	● साहित्य, समाचार और राजनीति की भी पत्रिका थी।
● हरिश्चन्द्र मैगजीन	1873	काशी (वाराणसी)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	● इसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनैतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी लेख/निबन्ध प्रकाशित होते थे। बाद में इस पत्रिका का नाम बदलकर 'हरिश्चन्द्र चंद्रिका' हो गया।

122 हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण

पत्र/पत्रिका	प्रकाशन वर्ष (ई.)	स्थान	संपादक	मुख्य बिन्दु
● बाला बोधिनी (मासिक)	1874	काशी (वाराणसी)	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र	● यह 'स्त्री विषयक' पत्रिका थी। इसका उद्देश्य स्त्री-शिक्षा का प्रसार करना था।
● हिन्दी प्रदीप (मासिक)	1877	इलाहाबाद	पं. बालकृष्ण भट्ट	
● हिन्दोस्थान (त्रैमासिक)	1883	लंदन	राजा रामपाल सिंह	● 01 नवम्बर 1885 ई. से यह कालाकांकर (प्रतापगढ़) से दैनिक रूप से प्रकाशित होने लगा।
● हिन्दोस्थान (दैनिक)	1885	कालाकांकर (प्रतापगढ़)	पं. मदन मोहन मालवीय प्रताप नारायण मिश्र बालमुकुंद गुप्ता गोपालराम गहमरी	
● भारतोदय (दैनिक)	1885	कानपुर	सीताराम शर्मा	● हिन्दी में प्रकाशित भारत का दूसरा दैनिक अखबार।
● नागरी प्रचारिणी पत्रिका (त्रैमासिक)	1896	काशी (वाराणसी)	श्यामसुन्दर दास पं. सुधाकर द्विवेदी कालिदास और राधाकृष्ण दास	● भाषा, साहित्य, अनुसंधान समालोचना से संबंधित अपने युग की महत्वपूर्ण पत्रिका थी। 1907 ई. से मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होने लगा तब इसके संपादक, श्याम सुन्दर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा और वेणीप्रसाद थे। 1920 ई. से यह फिर त्रैमासिक हो गई।
● सरस्वती (मासिक)	1900	काशी (वाराणसी)	श्यामसुंदर दास (1900-1902) महावीर प्रसाद द्विवेदी (1903-1920) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी (1921-1925) व (1927-1929)	● सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 01 जनवरी 1900 ई. को निकला। ● सरस्वती पत्रिका के संस्थापक चिन्तामणि घोष थे। ● सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 'इंडियन प्रेस' इलाहाबाद (वर्तमान प्रयाग) से तथा संपादन कार्य काशी (वाराणसी) से होता था। ● पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1921 से 1925 ई. तथा 1927 से 1929 ई तक किया वे राजनांदगांव के निवासी थे।
● छत्तीसगढ़ मित्र (मासिक)	1900	पेंडुरोड, बिलासपुर	पं. माधवराव सप्रे	● यह छत्तीसगढ़ का प्रथम मासिक समाचार पत्र है। ● पं. माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है।
● सुदर्शन (मासिक)	1900	(काशी) (वाराणसी)	देवकीनंदन खत्री एवं माधवप्रसाद मिश्र	
● समालोचक (मासिक)	1902	(जयपुर)	चन्द्रधर शर्मा 'गुलेरी'	

पत्र/पत्रिका	प्रकाशन वर्ष (ई.)	स्थान	संपादक	मुख्य बिन्दु
● अभ्युदय (साप्ताहिक)	1907	इलाहाबाद	पं. मदनमोहन मालवीय	
● हिन्दू केसरी	1907	नागपुर	पं. माधवराव सप्रे	● यह बालगंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में प्रकाशित 'केसरी' का हिन्दी संस्करण था। वस्तुतः तिलक जी के प्रोत्साहन से ही सप्रे जी ने इस समाचार पत्र का हिन्दी में प्रकाशन प्रारंभ किया था।
● प्रभा (मासिक)	1913	खण्डवा (कानपुर)	कालूराम गंगराडे पं. माखनलाल चतुर्वेदी बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'	● सन् 1923 ई. में पं. माखनलाल चतुर्वेदी ने इस पत्रिका का संपादन किया।
● प्रताप (साप्ताहिक)	1913	कानपुर	गणेश शंकर विद्यार्थी	● 1920 ई.से यह दैनिक हो गया।
● गदर	1913	सैन फ्रांसिस्को	लाला हरदयाल	● यह क्रांतिकारियों का पत्र था। जो चार भाषाओं- अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती एवं पंजाबी में प्रकाशित होता था।
● श्रीशारदा (मासिक)	1916	जबलपुर	नर्मदा प्रसाद मिश्र द्वारिका प्रसाद मिश्र सालिग्राम द्विवेदी	● 1920 ई. में छायावाद लेखमाला प्रकाशित करके छायावाद को सर्वप्रथम मान्यता प्रदान की।
● कर्मवीर (साप्ताहिक)	1920	जबलपुर	पं. माखनलाल चतुर्वेदी एवं माधवराव सप्रे	
● हिन्दी नवजीवन (साप्ताहिक)	1921	अहमदाबाद	महात्मा गांधी	
● सैनिक (दैनिक)	1925	आगरा	कृष्णदत्त पालीवाल	
● हंस (मासिक)	1930	वाराणसी	मुंशी प्रेमचंद	
● हरिजन	1933	-----	महात्मा गांधी	● हिन्दी, गुजराती और अंग्रेजी में एक साथ प्रकाशित।
● रूपाभ (मासिक)	1938	कालाकाँकर (प्रतापगढ़)	सुमित्रानंदन पंत	
● प्रतीक (द्विमासिक)	1947	इलाहाबाद	सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'	
● धर्मयुग (साप्ताहिक)	1950	मुम्बई	धर्मवीर भारती	
● आलोचना (त्रैमासिक)	1951	दिल्ली	डॉ. शिवदान सिंह चौहान	

पत्र/पत्रिका	प्रकाशन वर्ष (ई.)	स्थान	संपादक	मुख्य बिन्दु
● महाकोशल (दैनिक)	1951	रायपुर	<u>प्रधान संपादक-</u> पं. श्यामाचरण शुक्ला <u>संपादक-</u> पं. स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी	● 1 दिसम्बर सन् 1951 को 'महाकोशल' दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में) ऐतिहासिक कहा जा सकता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ से प्रकाशित होने वाला प्रथम दैनिक समाचार पत्र बना। सन् 1951 में इसके प्रधान संपादक पं. श्यामाचरण शुक्ल एवं संपादक पं. स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी थे। 'महाकोशल' का इतिहास बहुत पुराना है। सन् 1935 में साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में पं. रविशंकर शुक्ल ने नागपुर से इसका प्रकाशन शुरू किया। 6 मार्च सन् 1946 से पं. स्वराज्यप्रसाद त्रिवेदी के संपादन में इसका प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ।
● समालोचक (मासिक)	1958	आगरा	रामविलास शर्मा	
● नवभारत (दैनिक)	1959	रायपुर	पं. शिवनारायण द्विवेदी	● 9 अप्रैल 1959 को रायपुर से नवभारत का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक पं. शिवनारायण द्विवेदी थे। सन् 1960 से इस पत्र के संपादक गोविंदलाल बोरा हुए जिन्होंने इस अखबार का 24 वर्षों तक निरंतर संपादन किया। उनके कार्यकाल में ही नवभारत समाचार पत्र छत्तीसगढ़ अंचल का सर्वाधिक प्रसारित अखबार बना।
● नई दुनिया/ देशबन्धु (दैनिक)	1959	रायपुर	<u>संपादक-</u> मायाराम सुरजन <u>स्थानीय संपादक-</u> पं. रामाश्रय उपाध्याय	● यह छत्तीसगढ़ से निरंतर प्रकाशित होने वाला दैनिक समाचार पत्र है। 19 अप्रैल सन् 1959 में इसका रायपुर से 'नई दुनिया' के नाम से प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इस दैनिक समाचार पत्र का नाम सन् 1970 में 'देशबन्धु' कर दिया गया।
● पहल (त्रैमासिक)	1960	जयपुर	ज्ञानरंजन	
● दिनमान (साप्ताहिक)	1965	दिल्ली	रघुवीर सहाय	
● संचेतना (त्रैमासिक)	1967	दिल्ली	महीप सिंह	
● रविद्वार (साप्ताहिक)	1977	कोलकाता	सुरेन्द्र प्रताप सिंह	
● अमृत संदेश (दैनिक)	1984	रायपुर	गोविन्दलाल बोरा	● 1 अक्टूबर सन् 1984 से रायपुर में गोविंदलाल बोरा के संपादन में दैनिक समाचार पत्र अमृत संदेश का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।

पत्र/पत्रिका	प्रकाशन वर्ष (ई.)	स्थान	संपादक	मुख्य बिन्दु
● बस्तरिया (साप्ताहिक)	1984	जगदलपुर	लाला जगदलपुरी	● यह हिन्दी और हल्बी भाषा में बस्तर अंचल से प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था।
● नवभास्कर/दैनिक भास्कर (दैनिक)	1988	रायपुर	रमेश नैयर	● 30 अप्रैल सन् 1988 को रायपुर से 'नवभास्कर' नामक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक रमेश नैयर थे। 11 अक्टूबर सन् 1992 को यह 'दैनिक भास्कर' में तब्दील हुआ।
● कथादेश (मासिक)	1997	दिल्ली	हरिनारायण	● 'हरिभूमि' सन् 2001 में बिलासपुर से प्रकाशित होने लगा। इसके प्रकाशक एवं प्रधान संपादक अभिमन्यु थे। 16 अक्टूबर सन् 2002 से 'हरिभूमि' का कमल ठाकुर रायपुर संस्करण प्रकाशित होने लगा तब इसके संपादक गिरीश मिश्र थे। वर्तमान में डॉ. हिमांशु द्विवेदी रायपुर और बिलासपुर के प्रबंधक संपादक हैं।
● परख (त्रैमासिक)	2000	इलाहाबाद	कृष्ण मोहन	
● हरिभूमि (दैनिक)	2001	बिलासपुर	प्रधान संपादक- अभिमन्यु स्थानीय संपादक-	
● नारी का संबल (त्रैमासिक)	2001	रायपुर	शकुन्तला तरार	● छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जुलाई-सितम्बर अंक सन् 2001 से अब तक सतत् प्रकाशित।
● नया ज्ञानोदय (मासिक)	2002	नई दिल्ली	रवीन्द्र कालिया	
● पाखी (मासिक)	2008	नोएडा	अपूर्ण जोशी	

-----▲▲▲▲▲-----

नोट्स (Notes)

खण्ड - 3

13. शब्द साधन
14. संज्ञा
15. सर्वनाम
16. विशेषण
17. क्रिया
18. वाच्य
19. अव्यय/अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण,
सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक)
एवं निपात
20. कारक
21. काल
22. लिंग
23. वचन

नोट्स (Notes)

शब्द साधन

परिभाषा- शब्द साधन व्याकरण के उस विधा को कहते हैं जिसमें शब्दों के भेद तथा उनके प्रयोग, रूपान्तर और व्युत्पत्ति का निरूपण किया जाता है।

(अ) शब्द- एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं।

जैसे- मोटा, पतला, राज्य, प्रदेश।

(ब) अक्षर, शब्द एवं वाक्य का अन्तर्संबंध-

1. सृष्टि के सम्पूर्ण प्राणियों, पदार्थों, धर्मों आदि के सम्बन्धों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का उपयोग होता है। एक शब्द से प्रायः एक ही भावना प्रगट होती है जैसे- पहाड़।

अस्तु, पूर्ण विचार प्रगट करने के लिए एक से अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे- 'आज वह स्कूल गया।' यह एक पूर्ण विचार अर्थात् वाक्य है। इसमें कुल चार शब्द हैं, जिसमें प्रत्येक शब्द की एक सार्थक ध्वनि है जिससे कोई एक भावना प्रगट होती है।

2. 'ल, ड, का' अलग-अलग शब्द नहीं, बल्कि अक्षर हैं। इससे अक्षरों के सिवाय और कोई भाव प्रगट नहीं होती। जब ये जुड़ जाते हैं जैसे- लड़का, तब इससे एक सार्थक ध्वनि निकलती है जिसका कोई अर्थ है।

3. विशेष अर्थ में कभी-कभी निरर्थक ध्वनि भी शब्द कही जाती है। जैसे- पगला अल्लम-बल्लम बकता है। 'अल्लम-बल्लम' निरर्थक ध्वनि है परन्तु, यहाँ शब्द के रूप में उपयोग हुआ है।

(स) शब्दांश- शब्दों के लक्षण स्वतंत्र होते हैं। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती हैं, जो स्वयं तो सार्थक नहीं होतीं, परन्तु जब वे शब्दों के साथ जोड़ी जाती हैं, तब सार्थक होती हैं। ऐसे परतंत्र ध्वनियों को शब्दांश कहते हैं। जो शब्दांश शब्द के पीछे जोड़ा जाता है, वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे- आक, कर (तैर+आक = तैराक, लिख+कर=लिखकर) जो शब्दांश शब्द के पहले जोड़ा जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे- अनु,अप (अनु + शासन = अनुशासन, अप+ वाद = अपवाद)

(द) व्युत्पत्ति- एक शब्द से दूसरा शब्द बनने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति कहते हैं। जैसे- दूध से दूधवाला, दूधिया। कभी-

कभी दो या अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे- दूधमोंगरा, त्रिकालदर्शी आदि।

शब्दों के भेद

शब्दों के मुख्यतः पाँच भेद होते हैं-

(अ) वाक्य के प्रयोग के अनुसार

(ब) रूपांतर के अनुसार

(स) व्युत्पत्ति के अनुसार

(द) अर्थ के अनुसार

(ई) उद्गम के अनुसार

(अ) वाक्य के प्रयोग के अनुसार शब्दों के आठ भेद होते हैं-

1. वस्तुओं आदि के नाम बताने वाले शब्द- संज्ञा
2. वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द- क्रिया
3. वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द- विशेषण
4. विधान बताने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द- क्रियाविशेषण
5. संज्ञा के बदले आने वाले शब्द- सर्वनाम
6. क्रिया के नामार्थक शब्दों का सूचित करने वाले शब्द- सम्बन्धसूचक
7. दो शब्दों या वाक्यों को मिलाने वाले शब्द- समुच्चयबोधक
8. केवल मनोविकार सूचित करने वाले शब्द- विस्मयादिबोधक

अब एक वाक्य को लें जिससे शब्दों के भेद स्पष्ट हो जाएँ।

"अरे! सूरज डूब गया और तुम अभी तक इसी गाँव के पास ही घूम रहे हो।"

1. 'सूरज'- संज्ञा है क्योंकि यह शब्द एक वस्तु का नाम सूचित करता है।
2. 'डूब गया'- क्रिया है क्योंकि इस शब्द से हम सूरज के विषय में विधान करते हैं।
3. 'और'- यह शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है इसलिए यह समुच्चयबोधक है।
4. 'तुम'- सर्वनाम है क्योंकि वह नाम के बदले आया है।

5. 'अभी'- क्रियाविशेषण है, जो 'घूम रहे हो' की विशेषता बताता है।
6. 'इसी'- विशेषण है क्योंकि वह गाँव की विशेषता बता रहा है।
7. 'के'- शब्दांश प्रत्यय है क्योंकि वह "गाँव" शब्द के साथ आकर सार्थक होता है।
8. 'पास'- सम्बन्धसूचक है। यह शब्द "गाँव" का सम्बन्ध (घूम रहे हो) क्रिया से मिलाता है।
9. 'घूम रहे हो'- क्रिया है।

(ब) रूपान्तर के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं-

1. विकारी 2. अविकारी

1. विकारी- ये वे शब्द हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण रूप परिवर्तन हो जाता है। इनके भी चार भेद हैं-

(i) संज्ञा (ii) सर्वनाम (iii) विशेषण (iv) क्रिया

2. अविकारी- ये वे शब्द हैं, जिनमें कोई विकार अर्थात् परिवर्तन नहीं होता। संख्या में ये भी चार हैं-

- (i) क्रियाविशेषण (जोर से, धीरे-धीरे, शीघ्र)
- (ii) सम्बन्धबोधक (ओर, द्वारा, बिना, समेत)
- (iii) समुच्चयबोधक (और, किंतु, यदि, वा)
- (iv) विस्मयादिबोधक (अरे! ओह! वाह!)

(स) व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं-

1. रूढ़ 2. यौगिक 3. योगरूढ़

1. रूढ़- रूढ़ उन शब्दों को कहते हैं जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते अर्थात् जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई सार्थक अर्थ न निकले, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं।

जैसे- चावल, नाक, रोग, सागर, हरा

रूढ़ शब्द	निरर्थक शब्द
(खंड करने पर)	
चावल	चाव+ल
रोग	रो+ग
सागर	सा+गर

कोई अर्थ नहीं

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि रूढ़ शब्दों का खंड करने पर इसका कोई अर्थ नहीं निकलता।

2. यौगिक- जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर

बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों का खंड करने पर प्रत्येक खण्ड एक सार्थक शब्द होता है। जैसे-

पाठशाला, राजपुत्र, विद्यालय, हिमालय, ।

यौगिक शब्द सार्थक खंड

(खंड करने पर)

अनाथालय	अनाथ + आलय (अनाथ = असहाय, आलय = घर)
पाठशाला	पाठ + शाला (पाठ = पढ़ाई, शाला = स्थान)
विद्यालय	विद्या + आलय (विद्या=बुद्धि, ज्ञान, आलय=घर)
हिमालय	हिम+आलय (हिम=बर्फ, आलय=घर)

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अगर यौगिक शब्दों का खंड किया जाय तो उन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है।

3. योगरूढ़ - वे शब्द जो यौगिक तो हैं परन्तु सामान्य अर्थ को न प्रकट करते हुए किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहा जाता है।

जैसे- चतुर्भुज (विष्णु भगवान), दशानन (रावण), पंकज (कमल), पीताम्बर (श्रीकृष्ण), लम्बोदर (गणेश), वीणापाणि (सरस्वती), हलधर (बलराम)।

योगरूढ़ शब्द साधारण अर्थ विशेष अर्थ

दशानन (दश + आनन)	दस मुँह वाला	रावण
पंकज (पंक+ज)	कीचड़ में जन्मा	कमल

नोट - बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण योगरूढ़ शब्द हैं।

(द) अर्थ के अनुसार शब्दों के दो भेद होते हैं-

1. सार्थक 2. निरर्थक

1. सार्थक- जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे-घोड़ा, लड़का, लड़की, हाथी।

2. निरर्थक- जिस शब्द का कोई अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे- टीरो, नीपा, मंगा।

(इ) उद्गम के अनुसार शब्दों के चार भेद होते हैं-

1. तत्सम 2. तद्भव 3. देशज 4. विदेशज

1. **तत्सम-** संस्कृत के वे शब्द जिन्हें हिन्दी ने मूल रूप में स्वीकार किया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। 'तत्सम' शब्द का शाब्दिक अर्थ है-उसके समान या ज्यों का त्यों। इसका अर्थ यह है कि उन शब्दों के मूल रूपों में प्राचीनकाल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जैसे-आम्र, कोकिल, चन्द्र दुग्ध, क्षीर।

2. **तद्भव-** संस्कृत व अन्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिन्हें कुछ बदलाव के बाद हिन्दी ने स्वीकार किया है उसे तद्भव शब्द कहते हैं।

जैसे- आम, कोयल, चाँद, दूध, खीर।

3. **देशज-** वे शब्द जो अपने ही देश के अंचल विशेष में बोलचाल से बने हैं- उन्हें देशज शब्द कहते हैं, अर्थात् वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति (उत्पत्ति) अज्ञात है तथा जो लोक व्यवहार में अज्ञात, सहसा या किसी ध्वनि का अनुसरण करते हुए आ गये हैं-देशज शब्द कहलाते हैं।

जैसे- ईट, कटोरा, कददू, कपास, कबड्डी, कलाई, काँच, कुत्ता, कोठा, खटर-पटर, खटाखट, खर्राटा, खलबली, खिचड़ी, खिड़की, खीर, खुरचना, गड़बड़ी, गिरगिट, गोबर, घोड़ा, चंदन, चकाचक, चटपटा, चाट, चिकना, चिड़िया, चुटकी, चूड़ी, जुगनू, जूता, ठुमरी, डिबिया, डोंगा, ताला, तीर, तेंदुआ, थैला, पगड़ी, परवल, फटाफट, फाटक, बल, बाजरा, भिंडी, मलाई, माला, मिट्टी, मिर्च, मुकुट, लोटा, लौकी, शव, समोसा, सरसों।

4. **विदेशज-** वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिन्दी भाषा में शामिल हो गए हैं-विदेशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द को आगत शब्द या गृहीत शब्द भी कहते हैं।

विदेशज शब्दों के कुछ उदाहरण

1. **अरबी-** अक्ल, अजब, अजायब, अजीब, अदा, अमीर, अल्ला, असर, अहमक, आखिर, आदत, आदमी, इज्जत, इनाम, ईमान, इमारत, इलाज, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, कदम, कब्र, कमाल, कर्ज, कसम, कसर, कसरत, कसूर, कातिल, कायदा, किताब, किला, किस्त, किस्मत, किस्सा, कीमत, कुर्सी, खत, खत्म, खबर, खराब, ख्याल, खिदमत, गरीब, गैर, जनाब, जलसा, जवाब, जहाज, जाहिल, जिक्र, जिस्म, तकदीर, तकाजा, तकिया, तमाम, तमाशा, तरफ, तादाद, तारीख, दगा, दफा, दफ्तर, दवा, दाखिल, दान, दावत, दिमाग, दीन, दुआ, दुकान, दुनिया, दौलत, नकद, नकल, नतीजा, नशा, नहर, नाल,

फकीर, फायदा, फैसला, बहस, बाकी, बाज, मजबूर, मजमून, मदद, मतलब, मरजी, मल्लाह, मवाद, मशहूर, मामूली, माल, मालूम, मिसाल, मुकदमा, मुल्क, मुसाफिर, मुहावरा, मौका, मौलवी, मौसम, यतीम, राय, लफ्ज, लहजा, लायक, लिफाफा, लिहाज, वकील, वहम, वारिस, शराब, हक, हद, हमला, हरामी, हवालात, हाकिम, हाजिर, हाल, हाशिया, हिम्मत, हिसाब, हुक्म, हैजा, हौसला।

2. **फारसी-** अदा, अफसोस, आईना, आतिशबाजी, आफत, आबरू, आमदनी, आराम, आवाज, आवारा, उम्मीद, कबूतर, कमरबन्द, कमीना, किनारा, किशमिश, कुश्ती, खरगोश, खामोश, खाल, खुराक, खुश, खूब, गज, गरम, गल्ला, गवाह, गिरफ्तार, गिरह, गुलाब, गोला, चरखा, चश्मा, चादर, चाबुक, चाशनी, चिराग, चेहरा, जंग, जहर, जागीर, जादू, जान, जिगर, जिन्दगी, जुरमाना, जोश, तनखाह, तबाह, तमाशा, तरकश, ताजा, तीर, तेज, दंगल, दरबार, दवा, दस्तूर, दिल, दिलेर, दीवार, दुकान, देहात, नापसन्द, नामर्द, नाव, पलंग, पलक, पारा, पुल, पेशा, पैदावार, पैमाना, बहरा, बीमार, बेरहम, बेवा, बेहूदा, मजा, मरहम, मलाई, मादा, मुफ्त, मुर्गा, मुर्दा, मोर्चा, यार, रंग, राह, रोहन, लगाम, लेकिन, वर्ना, वापिस, शादी, शोर, सरकार, सरदार, सरासर, सितार, सितारा, सुर्ख, सूद, सौदागर, हजार, हफ्ता।

3. **तुर्की -** आका, उजबक, उर्दू, काबू, कालीन, कुर्की, कुर्ता, कुली, कैंची, चकमक, चमचा, चेचक, तमगा, तलाश, तोप, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा, लाश, सुराग, सौगात।

4. **अंग्रेजी-** अकादमी, अपील, अफसर, आपरेशन, ऑफिस, इंजन, कंपाउंडर, कप, कापी, कार, कालर, कॉलरा, कॉलेज, केक, कैसर, कोट, कोर्ट, क्लर्क, गार्ड, गैस, चॉकलेट, जग, जज, जेली, जैम, टॉफी, टिकट, ट्रेन, टैक्स, टोस्ट, डॉक्टर, डिप्टी, नर्स, प्लेग, प्लेट, पार्सल, पिन, पुलिस, पेंशन, पेंसिल, पेन, पेपर, पेंट, पोस्टकार्ड, बस, बिस्कुट, बूट, ब्रेक, बैटरी, ब्लाउज, मजिस्ट्रेट, मनीआर्डर, मलेरिया, माचिस, मोटर, यूनिथन, रेल, लाइब्रेरी, लारी, लालटेन, लैम्प, वार्ड, वोट, साइकिल, स्कूटर, स्कूल, स्टेशन, स्वेटर, हार्निया, हैट।

5. **पुर्तगाली-** अचार, अननास, आया, आलपिन, इस्पात, इस्त्री, कमरा, कमीज, कर्नल, काज, काजू, काफी, गमला, गोदाम, गोभी, चाबी, तंबाकू, नीलाम, तौलिया, पपीता, पादरी, फीता, बाल्टी, बोतल, मस्तूल, मिस्त्री, संतरा, साबुन।

6. पश्तो- अखरोट, अटकल, खराटा, गटागत, गड़बड़, गुण्डा, टसमस, डेरा, तड़ाक, तहस-नहस, पटाखा, पठान, बाड़, भड़ास, मटरगश्ती, हड़बड़ी।
7. फ्रांसीसी/फ्रेंच- अंग्रेज, कफ्यू, कारतूस, कूपन, बिगुल।
8. डच- तुरूप (ताश में), बम (टाँगे का)।
9. रूसी- जार, मिग, रूबल, वोदका, लूना, सोवियत, स्पूतनिक।
10. चीनी- चाय, चीकू, चीनी, लीची।
11. जापानी- रिक्शा, सायोनार, सुनामी, हाइकू।
12. जर्मन- बैगन, सेमिनार, किडरगार्डन।
13. रोमन- फरवरी, जुलाई, दिसम्बर।
14. लैटिन- इंच, एजेन्डा, कोटा, जनवरी, अक्टूबर, नवम्बर, पेंशन, फोरम, मशाल, राशन, रेडियो, स्कूल।
15. ब्राजील- तम्बाकू।
16. मैक्सिको- कोको, टमाटर।
17. इटैलियन- कार्टून, रॉकेट, लाटरी, लावा।
18. स्पैनिश-सिगरेट, सिगार।
19. यूनानी- एकेडमी, एटम, एटलस, टेलीग्राफ, टेलीफोन, बाइबिल।
20. तिब्बती- बुद्धा, लामा।
21. अफ्रीकी- वेंजो।

संकर (मिश्रित) शब्द

ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं संकर शब्द हैं।

1. संस्कृत-हिन्दी : उपबोली, भोजन-गाड़ी, रात्रि-उड़ान।
2. संस्कृत-फारसी : छायादार, फलदार, विज्ञापनबाजी।
3. फारसी-हिन्दी : कमरपट्टी, बेडौल।

4. अरबी-हिन्दी : अखबारवाला, आमचुनाव, किताबघर, मालगाड़ी।
5. तुर्की-हिन्दी : तोपगाड़ी।
6. अरबी-फारसी : अकलमंद, गोताखोर, तहसीलदार, फिजूल-खर्च।
7. हिन्दी-फारसी : किरायेदार, चमकदार, छापाखाना, थानेदार, पंचायतनामा, बंधुआ- मजदूर, बल्लेबाजी, मसालेदार।
8. अंग्रेजी-हिन्दी : टिकटघर, डबलरोटी, डाकघर, पुलिसचौकी, रेलगाड़ी।
9. हिन्दी-अंग्रेजी : कपड़ा-मिल, जाँच-कमीशन, लाठीचार्ज, बचत-बैंक।
10. अंग्रेजी-फारसी : जेलखाना, सीलबन्द।
11. अंग्रेजी-संस्कृत : ऑपरेशन-कक्ष, फिल्म-उत्सव, रेल-विभाग।
12. अंग्रेजी-अरबी : पॉकेट-खर्च।

हिन्दी में प्रयुक्त भारतीय भाषाओं के शब्द

- मराठी शब्द : चालू, बाजू, लागू।
- बांगला शब्द : अभिभावक, आपत्ति, उपन्यास, गल्प, चमचम, रसगुल्ला, संदेश (मिठाई)।
- पंजाबी शब्द : खालसा, छोले, भांगड़ा, सिक्ख।
- ओड़िया शब्द : अटका।
- द्रविड़ शब्द : इडली, डोसा, मीन, सांभर।
- संथाली शब्द : कोड़ी, गण्डा, गाही।
- गुजराती शब्द : हड़ताल, गरबा।

-----▲▲▲▲▲-----

परिभाषा - संज्ञा का सामान्य अर्थ है नाम; अर्थात् किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे- राम, सीता, सोना, चांदी, रायपुर, दिल्ली, बुढ़ापा, बचपन।

नोट- 'रंगों के नाम'- जैसे- सफेद, काला, पीला आदि संज्ञा नहीं बल्कि विशेषण कहलाते हैं क्योंकि इनमें किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता प्रदर्शित होती है।

जैसे- साड़ी पीला है। (साड़ी-संज्ञा, पीला-विशेषण)

संज्ञा के पाँच भेद होते हैं

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा
2. जातिवाचक संज्ञा
3. द्रव्यवाचक संज्ञा
4. समूह वाचक संज्ञा
5. भाववाचक संज्ञा

1. व्यक्तिवाचक संज्ञा

व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे-

- क. व्यक्तियों का नाम-राम, सीता, सुमन, भावना।
- ख. देशों के नाम- भारत, चीन, जापान, अमेरिका।
- ग. पर्वतों के नाम- हिमालय, विन्ध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी।
- घ. नदियों के नाम- गंगा, यमुना, नर्मदा, महानदी।
- ङ. शहरों के नाम- इलाहाबाद, दिल्ली, जयपुर, बिलासपुर, रायपुर।
- च. गाँवों/नगरों के नाम- फगुरम, पोता, मालखरौदा, डभरा, रतनपुर, सिरपुर, राजिम, डोंगरगढ़, दंतेवाड़ा।
- छ. पुस्तकों के नाम- रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ऋग्वेद।
- ज. त्यौहारों के नाम- होली, रक्षाबन्धन, विजयादशमी, दीपावली, क्रिसमस, ईद।

- झ. समाचार पत्रों के नाम- नवभारत, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, हरिभूमि, पत्रिका, लोकस्वर, इंडिया टुडे।
- ञ. महीनों व दिनों के नाम- जनवरी, फरवरी, मार्च, सोमवार, मंगलवार।
- ट. दिशाओं के नाम- पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
- ठ. महासागरों/समुद्रों का नाम- हिन्द महासागर, प्रशान्त महासागर, काला सागर, भूमध्य सागर।
- ड. महाद्वीपों के नाम- एशिया, अफ्रीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया।
- ढ. प्रदेशों के नाम - छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, तेलंगाना, उत्तरप्रदेश।

2. जातिवाचक संज्ञा

जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है। जैसे-

- क. मनुष्य- आदमी, औरत, भाई, बहन, लड़का, लड़की।
- ख. पशु-पक्षी- गाय, घोड़ा, तोता, मैना, मोर, शेर, हाथी, वनभैसा।
- ग. वस्तुओं का नाम- घड़ी, किताब, मोबाइल, कम्प्यूटर।
- घ. पद या व्यवसाय का नाम- शिक्षक, लेखक, कवि, पत्रकार, डॉक्टर, चपरासी, मंत्री, विधायक।
- ङ- प्राकृतिक घटनाओं का नाम- तूफान, वर्षा, भूकम्प, ज्वालामुखी, वज्रपात।

3. द्रव्यवाचक (पदार्थवाचक संज्ञा)

द्रव्यवाचक संज्ञा से उस द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे हम माप या तौल सकते हैं, पर गिन नहीं सकते। जैसे-

- क. धातुओं तथा खनिजों के नाम- लोहा, सोना, चांदी, पीतल, तांबा।
- ख. खाने-पीने की वस्तुओं का नाम- पानी, घी, तेल, चावल, दूध, नमक।
- ग. ईंधनों के नाम- मिट्टी तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला।

घ. अन्य - तेजाब, सीमेन्ट, ऊन।

4. समूहवाचक संज्ञा

जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं या प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे-

क. व्यक्तियों का समूह- परिवार, सेना, झुण्ड, मेला, कक्षा, संघ, सभा, जुलूस, दल, गिरोह।

ख. वस्तुओं का समूह- गुच्छा, ढेर, शृंखला।

ग. अन्य समूह- सप्ताह (सात दिनों का समूह)।

5. भाववाचक संज्ञा

जिस शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, धर्म, दशा, भाव या कार्य का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे- क्रोध, लोभ, मोह आदि।

भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं हो सकती। भाव, दशा या गुण की गिनती कैसे हो सकती है? क्रोध या लोभ की गणना कोई नहीं कर सकता। क्रोध, लोभ, मोह, आनन्द, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, लिखाई, पढ़ाई ये सब शब्द भाववाचक संज्ञायें हैं।

भाववाचक संज्ञाएँ रूढ़ भी होती हैं तथा निर्मित भी। निर्मित भाववाचक संज्ञाएँ कुल पाँच प्रकार से बनती हैं, जो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनायी जाती हैं।

(i) जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

(ii) सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

(iii) विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

(iv) क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

(v) अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

(i) जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

जातिवाचक संज्ञा	भाववाचक संज्ञा
ईमान	ईमानदारी
ईश्वर	ईश्वरत्व
कलाकार	कलाकारी
खेत	खेती
चोर	चोरी
गुरु	गुरुत्व, गुरुता
जवान	जवानी

ठग	ठगी
दास	दासत्व, दासता
नारी	नारीत्व
नौकर	नौकरी
पंडित	पंडिताई
पशु	पशुत्व, पशुता
पितृ	पितृत्व
पुरुष	पुरुषत्व
प्रतिनिधि	प्रतिनिधित्व
प्रभु	प्रभुता
बंधु	बंधुत्व, बंधुता
बच्चा	बचपन
बाप	बपौती
बाल	बालपन
बालक	बालकपन
बूढ़ा	बुढ़ापा
भक्त	भक्ति
भाई	भाईचारा
भ्रातृ	भ्रातृत्व
मजदूर	मजदूरी
मनुष्य	मनुष्यत्व, मनुष्यता
मातृ	मातृत्व
मानव	मानवता
मित्र	मित्रता
मूर्ख	मूर्खता
राष्ट्र	राष्ट्रीयता
लड़का	लड़कपन
वीर	वीरता
व्यक्ति	व्यक्तित्व
शत्रु	शत्रुता
शिशु	शैशव, शिशुता
सज्जन	सज्जनता
साधु	साधुता
स्वामी	स्वामित्व
स्त्री	स्त्रीत्व
हिंदू	हिंदुत्व

(ii) सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

सर्वनाम	भाववाचक संज्ञा
अपना	अपनापन, अपनत्व
अहं	अहंकार
निज	निजत्व
मम	ममता, ममत्व
सर्व	सर्वस्व
स्व	स्वत्व

(iii) विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

विशेषण	भाववाचक संज्ञा
अच्छा	अच्छाई
अमर	अमरता, अमरत्व
अमीर	अमीरी
आलसी	आलस्य, आलसीपन
उदासीन	उदासीनता
उपयोगी	उपयोगिता
ऊँचा	ऊँचाई
कंजूस	कंजूसी
कठोर	कठोरता
कमजोर	कमजोरी
कृतघ्न	कृतघ्नता
कृतज्ञ	कृतज्ञता
कृपण	कृपणता
कायर	कायरता
काला	कालिमा, कालापन
कुटिल	कुटिलता
कुलीन	कुलीनता
कुशल	कुशलता
खट्टा	खट्टापन
गंभीर	गंभीरता
गरीब	गरीबी
गर्म	गर्मी
गहरा	गहराई
चंचल	चंचलता
चतुर	चतुरता, चतुराई
चपल	चपलता
चालाक	चालाकी

चिकना	चिकनाई, चिकनाहट
चौड़ा	चौड़ाई
दूर	दूरी
धीर	धीरता, धैर्य
नम्र	नम्रता
निपुण	निपुणता
नीच	नीचता
नीला	नीलिमा, नीलापन
फकीर	फकीरी
मधुर	मधुरता, माधुर्य
महान	महानता
मीठा	मीठापन, मिठास
मूर्ख	मूर्खता
लघु	लघुता, लघुत्व
ललित	लालित्य
लाल	लाली
वीर	वीरता, वीरत्व
सज्जन	सज्जनता
सर्द	सर्दी
सफेद	सफेदी
सरल	सरलता
सुगम	सुगमता
सुंदर	सुंदरता, सौंदर्य
स्पष्ट	स्पष्टता
स्वतंत्र	स्वतंत्रता, स्वातंत्र्य
स्वस्थ	स्वास्थ्य
हरा	हरियाली, हरापन
हिंसक	हिंसा

(iv) क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

क्रिया	भाववाचक संज्ञा
उतरना	उतार
उभरना	उभार
उलझना	उलझाव
उड़ना	उड़ान
कमाना	कमाई
खेलना	खेल

खोजना	खोज	बहना	बहाव
गड़गड़ाना	गड़गड़ाहट	बढ़ाना	बढ़ोतरी
गिरना	गिरावट	भिड़ना	भिड़ंत
घबराना	घबराहट	भूलना	भूल
चमकना	चमक	मरना	मरण
चलना	चाल	मारना	मार
चढ़ना	चढ़ाई	मिलाना	मिलान
चिकना	चिकनाई	मुस्कराना	मुस्कराहट, मुस्कान
चिल्लाना	चिल्लाहट	रोकना	रोक
चुनना	चुनाव	रोना	रुलाई
छटपटाना	छटपटाहट	लड़ना	लड़ाई
छापना	छपाई	लिखना	लेख, लिखाई, लिखावट
जपना	जप	सजाना	सजावट
जलना	जलन	सुधारना	सुधार
जीतना	जीत	सुनना	सुनाई
झगड़ना	झगड़ा	हँसना	हँसी
झुँझलाना	झुँझलाहट	हारना	हार

(v) अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण

अव्यय	भाववाचक संज्ञा
ऊपर	ऊपरी
खूब	खूबी
दूर	दूरी
निकट	निकटता, नैकट्य
परस्पर	पारस्पर्य
पूर्ण	पूर्णता
रुकना	रुकावट
वाहवाह	वाहवाही
विशिष्ट	वैशिष्ट्य
शाबाश	शाबाशी
शीघ्र	शीघ्रता
समीप	समीपता, सामीप्य



सर्वनाम

परिभाषा- जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- मैं, तुम, यह, वह।

उदाहरण-

मोहन ने कहा कि वह खेलने जा रहा है।

('वह' 'मोहन' के स्थान पर प्रयोग हुआ है।)

ममता ने कहा, 'मैं खाना खा रही हूँ।'

('मैं' 'ममता' के स्थान पर प्रयोग हुआ है।)

पं. कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिन्दी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं जो संस्कृत से व्युत्पन्न हैं-

मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या।

सर्वनाम के विकारी (परिवर्तित) रूप

प्रत्येक सर्वनाम के अनेक विकारी (परिवर्तित) रूप होते हैं जिसका प्रयोग वाक्य बनाने में किया जाता है। जैसे- स्वयं, खुद, हम, ये, वे, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिसकी, उसकी।

यह परिवर्तन मुख्यतः एकवचन, बहुवचन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, पारस्परिक संबंधों व कारकों के कारण होता है।

सर्वनाम के भेद

प्रयोग के आधार पर एवं अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के छः भेद हैं-

1. पुरुषवाचक सर्वनाम
2. निश्चयवाचक सर्वनाम
3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम
4. निजवाचक सर्वनाम
5. संबंधवाचक सर्वनाम
6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

1. पुरुषवाचक सर्वनाम

पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे।

पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं-

(अ) उत्तम पुरुष- बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे- मैं, हम।

उदाहरण-

1. मैं स्कूल जा रहा हूँ।

2. हम रायपुर जा रहे हैं।

(ब) मध्यम पुरुष- सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे- तू, तुम, आप।

उदाहरण-

1. तू कहाँ जा रहे हो?

2. आप बहुत ही अच्छे हैं।

3. तू कौन है?

(स) अन्य पुरुष- अन्य जिसके सम्बन्ध में बात कही गयी हो, वह अन्य पुरुष है।

जैसे-यह, वह, ये, वे।

उदाहरण-

1. यह राम का साइकिल है।

2. वह खाना खा रहा है।

3. ये हिरण हैं।

4. वे कहाँ जा रहे हैं?

2. निश्चयवाचक सर्वनाम

निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- (i) निकटवर्ती- यह, ये।

(ii) दूरवर्ती- वह, वे।

उदाहरण- यह आम बहुत ही मीठा है।

वह आम बहुत ही मीठा है।

ये कपड़े भावना के हैं।

वे कपड़े भावना के हैं।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- कोई, कुछ।

- उदाहरण- 1. कोई जा रहा है।
2. कुछ कार्य हुआ है।

4. निजवाचक सर्वनाम

वक्ता या लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- आप, स्वयं, खुद, स्वतः।

उदाहरण-

1. मैं स्वयं सामान उठा लूँगा।
2. मैं स्वतः ही समझ गया।
3. मैं यह कार्य आप ही कर लूँगा।
4. मैं अपने आप चलता गया।
5. मैं खुद ही चला गया।

नोट- उपर्युक्त उदाहरणों में प्रयुक्त 'मैं' भी सर्वनाम है, परन्तु वह पुरुष वाचक (उत्तम पुरुष) के अन्तर्गत आता है।

5. संबंधवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से दो भिन्न बातों, वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध स्पष्ट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- जो-सो, जैसा-वैसा, जहाँ-वहाँ, जिसकी-उसकी, जिसे-वही।

उदाहरण-

1. जो करेगा सो भरेगा।
2. जैसा करोगे, वैसा भरोगे।
3. जहाँ न जाए रवि, वहाँ जाए कवि।
4. जिसकी लाठी, उसकी भैंस।
5. जिसे भी देखता हूँ, वही व्यस्त है।

6. प्रश्नवाचक सर्वनाम

जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे- कौन, क्या।

उदाहरण-

1. कौन जा रहा है?
2. इसका क्या करोगे?

पहचान - वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक (?) चिह्न लगा रहता है।

नोट- 'कौन' प्रयोग चेतन जीवों (प्राणी बोधक) के लिए होता है।

-----▲▲▲▲▲-----

रंगबोधक- काला, केसरिया, गुलाबी, गोरा, चमकीला, नीला, मटमैला, सुनहरा, हरा, पीला।

कालबोधक- दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, वर्तमान, भूत, भविष्य, नवीन, पुराना, प्राचीन, क्षणिक, क्षणभंगुर।

स्थानबोधक- ग्रामीण, शहरी, छत्तीसगढ़िया, पंजाबी, बिहारी, देशी, विदेशी, भारतीय, जापानी।

दिशाबोधक- पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी।

अवस्थाबोधक- किशोर, तरुण, युवा, अधेड़, बूढ़ा।

दशाबोधक- चंगा, स्वस्थ, निरोगी, रोगी।

आकारबोधक- छोटा, बड़ा, सीधा, टेढ़ा, मोटा, पतला, लम्बा, चौड़ा, चौकोर, गोल, नुकीला।

स्पर्शबोधक- खुरदुरा, चिकना, गरम, ठंडा, कोमल, नरम, कड़ा, कठोर।

स्वादबोधक- मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, कसैला।

उदाहरण- 1. यह फूल लाल रंग का है।

2. यह लड़का मोटा है।

3. मोहन अच्छा लड़का है।

2. संख्यावाचक विशेषण

जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, इन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं-

(i) निश्चित संख्यावाचक

(ii) अनिश्चित संख्यावाचक

(i) निश्चित संख्यावाचक- इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे- दस लड़के, प्रथम, द्वितीय, तिगुना।

उदाहरण- 1. महाविद्यालय में तीस व्याख्याता हैं।

2. राम दस रसगुल्ले खा गया।

3. मेरे पास साढ़े सात हजार रुपये हैं।

4. मैं प्रतिमाह हनुमान मंदिर जाता हूँ।

'निश्चित संख्यावाचक' प्रयोग के आधार पर छः भेदों में विभक्त किए गए हैं-

(अ) गणनावाचक - जिसमें गिनती का बोध हो।

इसके भी दो भेद होते हैं-

● पूर्ण संख्यावाचक- जिसमें पूर्ण संख्या का बोध है।

जैसे- एक, दो, चार विद्यार्थी।

● अपूर्ण संख्यावाचक- इसमें अपूर्ण संख्या का बोध होता है।

जैसे- साढ़े पाँच रुपया, आधा किलो।

(ब) क्रमवाचक - जिन विशेषणों से क्रम का बोध हो।

जैसे- पहला, दसवाँ, बारहवाँ।

(स) आवृत्तिवाचक- जिन विशेषणों से आवृत्ति का बोध हो।

जैसे- तिगुना, चौगुना, दोहरा, तिहरा।

(द) समुदायवाचक - जिन विशेषणों से कुछ संख्याओं के इकट्ठे समूह का बोध हो।

जैसे- दोनों, तीनों, चारों।

(इ) समुच्चयवाचक- जिन विशेषणों से संख्याओं के समुच्चय का बोध हो।

जैसे- चौका, छक्का, दर्जन, कोरी, सैकड़ा, पैसेरी।

(फ) प्रत्येकवाचक- जिन विशेषणों द्वारा एक-एक का बोध हो।

जैसे- प्रतिदिन, प्रतिमाह, प्रतिवर्ष, प्रतिव्यक्ति, हररोज।

(ii) अनिश्चित संख्यावाचक- इससे अनिश्चित संख्याओं का बोध होता है। जैसे-कुछ, कई, काफी, थोड़े, बहुत, अनेक।

उदाहरण- 1. कई लोग आये थे।

2. कुछ लड़के आये थे।

3. काफी दिनों से भेंट नहीं हुई।

4. थोड़े दिनों की बात है।

5. महाविद्यालय में अनेक व्याख्याता हैं।

3. परिमाणवाचक विशेषण

जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

इसके दो भेद हैं-

(i) निश्चित परिमाणवाचक

(ii) अनिश्चित परिमाणवाचक

(i) निश्चित परिमाणवाचक - जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण (मात्रा) का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

जैसे- पाँच किलो, चार बिबंटल, दस मीटर, दो तोला

उदाहरण- मुझे दो किलो टमाटर चाहिए।

(ii) अनिश्चित परिमाणवाचक- जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण (मात्रा) का नहीं, अपितु अनिश्चित परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।

जैसे- ढेर सारा आम, कुछ आलू, थोड़ी-सी चीनी आदि।

उदाहरण- 1. सब्जी वाले से कुछ टमाटर और ले आओ।

2. दाल में ज्यादा नमक पड़ गया है।

4. सार्वनामिक विशेषण

विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके दो उपभेद हैं-

((अ) मौलिक सार्वनामिक विशेषण - जो सर्वनाम बिना रूपान्तर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।

उदाहरण- 1. यह घर श्याम का है।

2. यह मेरी पुस्तक है।

यहाँ 'यह' पुस्तक की विशेषता बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी ही है किसी दूसरे का नहीं। 'यह' मौलिक सर्वनाम है मगर यहाँ यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है अतः इस उदाहरण में 'यह' मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा।

दूसरे उदाहरण में 'यह' श्याम के घर की विशेषता बता रहा है कि यह घर श्याम का ही है किसी और का नहीं। अतः यहाँ भी 'यह' मौलिक सार्वनामिक विशेषण होगा।

((ब) यौगिक सार्वनामिक विशेषण- जो सर्वनाम रूपान्तरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण- कैसा आदमी है?

यहाँ 'कैसा' का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। उक्त परिवर्तित सर्वनाम का मूल रूप 'क्या' है अतः 'कैसा' यौगिक सार्वनामिक विशेषण हुआ।

इसका दूसरा उदाहरण- 'ऐसा कैसे काम चलेगा?'

यहाँ 'ऐसा' का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। इस

सर्वनाम का मूल रूप 'यह' है। अतएव यह परिवर्तित रूप यौगिक सार्वनामिक विशेषण है।

तुलनात्मक विशेषण

जब दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण, मान आदि की परस्पर तुलना की जाती है तो उसे तुलनात्मक विशेषण कहा जाता है। ऐसे विशेषणों की तीन अवस्थाएँ होती हैं-

(1) मूलावस्था

(2) उत्तरावस्था

(3) उत्तमावस्था

(1) मूलावस्था- मूलावस्था में विशेषण बगैर किसी से तुलना किए हुए अपने मूल रूप में रहता है। इसमें केवल एक व्यक्ति, वस्तु आदि के गुण-दोष प्रकट होता है। जैसे- मुस्कान सुन्दर है।

(2) उत्तरावस्था- जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे-

(i) रंजीत सोहन की अपेक्षा मोटा है।

(ii) राम मोहन से छोटा है।

(3) उत्तमावस्था- जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है और उनमें से एक की श्रेष्ठता या निम्नता प्रतिपादित की जाती है तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे-

(i) इन पाँच पुस्तकों में यह सबसे श्रेष्ठ है।

(ii) कालिदास संस्कृत के सबसे महान नाटककार हुए।

तुलनात्मक विशेषण : अंग्रेजी बनाम हिन्दी

अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भारोपीय भाषा परिवार की समृद्ध भाषाएँ हैं- व्याकरण में समानताएँ हैं, परन्तु हिन्दी व्याकरण में विशेषणों की तुलना उस ढंग से नहीं होती जिस तरह अंग्रेजी में होती है। अंग्रेजी व्याकरण में 'डिग्री' (Degree) के अन्तर्गत तुलना की तीन स्थितियाँ हैं- Positive, Comparative और Superlative इनके शब्द रूप इस प्रकार हैं-

Positive	Comparative	Superlative
Big	Bigger	Biggest

संस्कृत में तुलनात्मक विशेषण

Good	Better	Best
Large	Larger	Largest
Ugly	Uglier	Ugliest

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी में विशेषणों की तुलना करते समय शब्दों के रूप बदल जाते हैं। हिन्दी की स्थिति अंग्रेजी से भिन्न है। हिन्दी में तुलना करने पर विशेषणों के रूप ज्यों-के-त्यों रहते हैं, उनमें विकार या परिवर्तन नहीं होता। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-

- अनूप अपने वर्ग में सबसे तेज विद्यार्थी है।
- दिलीप की पुस्तक प्रदीप से कीमती है।
- श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है।

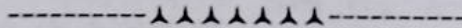
इन वाक्यों में 'ईमानदार' 'कीमती' और 'तेज' विशेषण हैं। दो व्यक्तियों की तुलना से इन शब्दों के रूप नहीं बदले। हिन्दी में 'से' 'अपेक्षा', 'सामने', 'सबमें', 'सबसे' आदि लगाकर विशेषणों की तुलना की जाती है।

तुलनात्मक विशेषण के परिप्रेक्ष्य में 'अंग्रेजी' हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के ज्यादा निकट है। अंग्रेजी में संस्कृत की ही तरह विशेषण के रूप बदलते हैं। संस्कृत में 'तर' और 'तम' प्रत्यय लगाकर तुलना की जाती है जैसे- श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम।

संस्कृत में अंग्रेजी की तरह कुछ विशेषणों के रूप बदल जाते हैं जहाँ अंग्रेजी में प्रायः 'er' और 'est' लगाया जाता है, वहाँ संस्कृत में 'तर' और 'तम'। जैसे-

<u>Positive</u>	<u>Comparative</u>	<u>Superlative</u>
Large	Larger	Largest
Old	Older	Oldest

<u>मूलावस्था</u>	<u>उत्तरावस्था</u>	<u>उत्तमावस्था</u>
अधिक	अधिकतर	अधिकतम
उच्च	उच्चतर	उच्चतम
उत्तम	उत्तमतर	उत्तमोत्तम
कठोर	कठोरतर	कठोरतम
क्रूर	क्रूरतर	क्रूरतम
कोमल	कोमलतर	कोमलतम
गहन	गहनतर	गहनतम
गुरु	गुरुतर	गुरुतम
तीव्र	तीव्रतर	तीव्रतम
दीर्घ	दीर्घतर	दीर्घतम
दूर	दूरतर	दूरतम
नवीन	नवीनतर	नवीनतम
निकृष्ट	निकृष्टतर	निकृष्टतम
निम्न	निम्नतर	निम्नतम
न्यून	न्यूनतर	न्यूनतम
प्राचीन	प्राचीनतर	प्राचीनतम
प्रिय	प्रियतर	प्रियतम
बृहत्	बृहत्तर	बृहत्तम
महत्	महत्तर	महत्तम
मृदु	मृदुतर	मृदुतम
योग्य	योग्यतर	योग्यतम
लघु	लघुतर	लघुतम
शीघ्र	शीघ्रतर	शीघ्रतम
समीप	समीपतर	समीपतम
सरल	सरलतर	सरलतम
सुन्दर	सुन्दरतर	सुन्दरतम
श्रेष्ठ	श्रेष्ठतर	श्रेष्ठतम



क्रिया

परिभाषा- जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाये अथवा व्यक्त हो, उसे क्रिया कहते हैं।

जैसे- आना, जाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना।

धातु- क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं अर्थात् जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है, उसे धातु कहते हैं। 'धातु' से ही क्रिया पद का निर्माण होता है, इसीलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। जैसे- 'वह पढ़ना चाहता है'। इसमें 'पढ़ना' शब्द 'पढ़' धातु से बना है।

धातु के भेद- धातु के दो भेद हैं-

अ. मूल धातु

ब. यौगिक धातु

अ. मूल धातु- यह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहती। जैसे-जा, खा, पी, रह, चल, पढ़।

ब. यौगिक धातु - यौगिक धातु की रचना मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है।

जैसे- जाना, खाना, पीना, रहना, चलना, पढ़ना।

यौगिक धातु तीन प्रकार से बनती है

(i) प्रेरणार्थक क्रिया (धातु)

(ii) यौगिक क्रिया (धातु)

(iii) नाम धातु

(i) प्रेरणार्थक क्रिया (धातु)- जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है वह प्रेरणार्थक क्रिया (धातु) होती है। अर्थात् जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, वे 'प्रेरणार्थक क्रियाएँ' कहलाती हैं।

प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण-

मूलधातु	मूल क्रिया	प्रेरणार्थक क्रिया
उठ	उठना	उठाना, उठवाना
उड़	उड़ना	उड़ाना, उड़वाना
चल	चलना	चलाना, चलवाना

मूलधातु	मूल क्रिया	प्रेरणार्थक क्रिया
जग	जगना	जगाना, जगवाना
जी	जीना	जिलाना, जिलवाना
दे	देना	दिलाना, दिलवाना
पी	पीना	पिलाना, पिलवाना
लिख	लिखना	लिखाना, लिखवाना
सो	सोना	सुलाना, सुलवाना

(ii) यौगिक क्रिया (धातु)- दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है।

जैसे- उठ जाना, खा लेना, चलना-चलाना, गिर पड़ना, उड़ जाना, पढ़ना-पढ़ाना।

(iii) नाम धातु- संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु कहते हैं। जैसे-

संज्ञा से	बात	बतियाना
	हाथ	हथियाना
विशेषण से	गरम	गरमाना
	चिकना	चिकनाना

रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद

रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं-

1. सकर्मक क्रिया

2. अकर्मक क्रिया

1. सकर्मक क्रिया (Transitive Verb) - जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का फल कर्ता पर नहीं पड़ता है। जैसे-

राहुल डायरी लिख रहा है।

राहुल पत्र लिख रहा है।

इस उदाहरण में 'पत्र' या 'डायरी' कर्म है व 'लिखना' क्रिया रूप का फल कर्म पर पड़ रहा है अतएव यह क्रिया सकर्मक है।

यदि यहाँ हम केवल यह लिखें-

‘राहुल लिख रहा है।’

यहां कर्म उपस्थित नहीं है। (पत्र या डायरी) फिर भी क्रिया (लिखना) को इसकी अपेक्षा है अतएव ‘लिखना’ सकर्मक क्रिया ही होगा।

2. अकर्मक क्रिया (Intransitive Verb) - जब क्रिया का फल कर्ता में ही निहित रहता है तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया में किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे-

- (i) गायिका हँसती है।
- (ii) नदी बहती है।
- (iii) पुजारी आता है।
- (iv) वह डॉक्टर बनेगा।

इन उदाहरणों में कोई कर्म नहीं हो रहा है बल्कि यह एक स्थिति को दर्शा रहा है और उसका फल कर्ता (गायिका, पुजारी, वह, नदी) में ही निहित है।

क्रिया के कुछ और भी भेद होते हैं जो निम्नानुसार हैं-

1. सहायक क्रिया (Helping Verb) - सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर वाक्य को पूर्ण करने व अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। जैसे-

(अ) ‘वह घर जा रहा है।’ - इस उदाहरण में ‘है’ सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया ‘जाना’ के साथ मिलकर वाक्य को पूर्ण एवं अर्थ को स्पष्ट कर रहा है।

(ब) वह घर जा रहा था।

इस उदाहरण में ‘था’ सहायक क्रिया है जो मुख्य क्रिया ‘जाना’ के साथ मिलकर वाक्य को पूर्ण एवं अर्थ को स्पष्ट कर रहा है। उपरोक्त दोनों पूर्ण वाक्यों में एक वर्तमान काल को व्यक्त कर रहा है जबकि दूसरा भूतकाल को। पहले में जाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि दूसरे में वह पूर्ण हो चुकी है।

2. पूर्णकालिक क्रिया (Absolutive Verb) - जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है, तब पहली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे-

‘राम खाना खाने के बाद सोने के लिए चला गया।’ इसमें ‘खाना खाना’ पूर्णकालिक क्रिया है जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया (सो जाना) सम्पन्न की है।

3. नामबोधक क्रिया (Nominal Verb) - संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नामबोधक क्रिया बनती है। जैसे-

	संज्ञा		क्रिया		नामबोधक क्रिया
(i)	लाठी	+	मारना	=	लाठी मारना
(ii)	रक्त	+	खौलना	=	रक्त खौलना
	विशेषण		क्रिया		नामबोधक क्रिया
(i)	दुःखी	+	होना	=	दुःखी होना
(ii)	पीला	+	पड़ना	=	पीला पड़ना

4. द्विकर्मक क्रिया (Double Transitive Verb) जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे-

(i) भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा।

(दो कर्म- दुर्योधन, गदा)

(ii) राम ने विद्यार्थियों को हिन्दी पढ़ाई।

(दो कर्म-विद्यार्थियों, हिन्दी)

5. संयुक्त क्रिया- जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे-

(अ) ‘वह खेल-कूद रही थी।’ यहाँ ‘खेलना’ और ‘कूदना’ दो क्रियायें हैं जो आपस में जुड़ गई हैं। अतः ‘खेल-कूद’ संयुक्त क्रिया है।

(ब) ‘तुम आते-जाते रहना।’

यहाँ आना और जाना दो क्रियायें हैं जो आपस में जुड़ गई हैं। अतः ‘आते-जाते’ संयुक्त क्रिया है।

6. क्रियार्थक संज्ञा (Verbal Noun) - जब कोई क्रिया संज्ञा की भाँति व्यवहार में आती है, तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे-

(अ) पैदल चलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है।

यहाँ ‘पैदल चलना’ का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है अतः वह क्रियार्थक संज्ञा है।

(ब) बैठे रहने से कार्य नहीं बनता।

यहाँ ‘बैठे रहना’ का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है अतः वह क्रियार्थक संज्ञा है।

परिभाषा- क्रिया के रूपान्तरण को वाच्य कहते हैं अर्थात् इससे यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाच्य के तीन भेद हैं-

1. कर्तृवाच्य- क्रिया के उस रूपान्तरण को कर्तृवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। जैसे- मैं स्कूल गया था।
इस वाक्य में कर्ता अर्थात् 'मैं' की प्रधानता है।
2. कर्मवाच्य- क्रिया के उस रूपान्तरण को कर्मवाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो। जैसे- 'पुस्तक पढ़ी गई।' इस वाक्य में कर्म अर्थात् 'पुस्तक' की प्रधानता है।
3. भाववाच्य- क्रिया के उस रूपान्तरण को भाववाच्य कहते हैं, जिससे वाक्य में भाव (या क्रिया) की प्रधानता हो। जैसे- 'सीता से दूध नहीं पीया जा रहा है।' इस वाक्य में भाव (पीया जाना) की प्रधानता है।

क्रिया का प्रयोग

किसी भी वाक्य में क्रिया किसका अनुसरण कर रही है- कर्ता, कर्म या भाव का? - यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस आधार पर क्रिया के तीन प्रकार के प्रयोग माने गये हैं-

- (क) कर्तरि प्रयोग- जब वाक्यों में क्रिया के 'लिंग, वचन और पुरुष' कर्ता के 'लिंग, वचन और पुरुष' का अनुसरण करते हैं, तब वहाँ कर्तरि प्रयोग होता है। जैसे-
1. राम पुस्तक पढ़ता है।
 2. सीता पुस्तक पढ़ती है।
- उपरोक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया (पढ़ता/पढ़ती) में परिवर्तन कर्ता (राम/सीता) के अनुसार हुआ है अतः यहाँ कर्तरि प्रयोग माना जाएगा।

(ख) कर्मणि प्रयोग - जब वाक्यों में क्रिया के 'लिंग, वचन और पुरुष' कर्म के 'लिंग, वचन और पुरुष' का अनुसरण करते हैं, तब वहाँ कर्मणि प्रयोग होता है। जैसे-

1. मोहन ने किताब पढ़ी।
2. राधा ने किताब पढ़ी।

उपरोक्त दोनों उदाहरणों में क्रिया (पढ़ी) में परिवर्तन कर्म (किताब) के अनुसार हुआ है।

अर्थात् 'किताब' स्त्रीलिंग है, इसलिए 'पढ़ी' का प्रयोग हुआ। 'किताब' पुल्लिंग होता तो 'पढ़ा' लिखा जाता। इस तरह यहाँ क्रिया में परिवर्तन मोहन या राधा के अनुसार नहीं हुआ।

दो उदाहरण और लें-

1. राधा ने गीत गाया।
2. राम ने गीत गाया।

उपरोक्त उदाहरण में क्रिया (गाया) में परिवर्तन कर्म (गीत) के अनुसार हुआ है। अर्थात् 'गीत' पुल्लिंग है इसलिए उसके अनुसार 'गाया' का प्रयोग हुआ। राधा या राम के कारण इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया।

(ग) भावे प्रयोग - जब वाक्य की क्रिया के 'लिंग, वचन और पुरुष' कर्ता/कर्म के 'लिंग, वचन और पुरुष' के अनुसार न होकर 'एकवचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष' में हो तब भावे प्रयोग होता है। जैसे-

1. लड़कों से गाया नहीं जाता।
2. राम से गाया नहीं जाता।
3. सीता से गाया नहीं जाता।

उपरोक्त तीनों वाक्यों में कर्ता (राम, सीता, लड़कों) के बदलने पर भी क्रिया (जाता) अपरिवर्तित है तथा वह 'एकवचन, पुल्लिंग व अन्य पुरुष' में है। अतः ये सभी 'भावे प्रयोग' हैं।

अव्यय/अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण, सम्बन्धबोधक, समुच्चयबोधक, विस्मयादिबोधक) एवं निपात

परिभाषा- ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार (परिवर्तन) नहीं आता, अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं।

ये शब्द सदैव अपरिवर्तित, अविकारी एवं अव्यय रहते हैं। इनका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं। जैसे- आज, कब, इधर, उधर, किन्तु, परन्तु, क्यों, जब, तब, और, अतः, इसलिए।

अव्यय के भेद

अव्यय के चार भेद बताए गए हैं -

- (अ) क्रियाविशेषण
- (ब) सम्बन्धबोधक
- (स) समुच्चयबोधक
- (द) विस्मयादिबोधक

(अ) क्रियाविशेषण

जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रियाविशेषण कहा जाता है।

जैसे- 1. अधिक मत बोलो।

2. वह तेज दौड़ती है।

उपरोक्त दोनों उदाहरणों में 'अधिक' व 'तेज' क्रिया की विशेषता बता रहे हैं अतः ये क्रियाविशेषण हैं।

क्रियाविशेषण के कार्य-

1. यह क्रिया की विशेषता बतलाता है।
2. क्रिया के घटित होने की स्थिति आदि दर्शाता है।
3. क्रिया के होने में निषेध तथा स्वीकृति का बोध कराता है।
4. क्रिया के संपादित होने का ढंग बतलाता है।

अर्थ के आधार पर क्रियाविशेषण के चार प्रकार माने गये हैं-

1. स्थानवाचक
2. कालवाचक
3. परिमाणवाचक
4. रीतिवाचक

1. स्थानवाचक क्रियाविशेषण- क्रिया होने के स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रियाविशेषण को 'स्थानवाचक क्रियाविशेषण' कहते हैं। जैसे-

राहुल ऊपर बैठा है।

रानी अंदर गयी थी।

वे यहाँ रहते हैं।

वह बाहर बैठी है।

तुम लोग कहाँ चले गए थे?

तुम इधर-उधर मत जाओ।

स्थानवाचक क्रियाविशेषण के दो भेद हैं-

(क) स्थितिवाचक-

यहाँ, वहाँ, कहाँ, आस-पास, निकट, आर-पार, चारों ओर, जहाँ, तहाँ, नीचे, मध्य, आगे, पीछे, पास, अंदर, बाहर, आमने-सामने, दूर, प्रत्यक्ष।

(ख) दिशावाचक-

सामने, इधर, उधर, किधर, आमने-सामने, ऊपर, नीचे, दाहिने, बाएँ, की ओर, जिधर।

* पहचान- क्रिया के साथ 'कहाँ' प्रश्न लगाने से उत्तर के रूप में स्थानवाचक, क्रियाविशेषण शब्द आ जाता है। जैसे-

'वह ऊपर बैठा है।'

प्रश्न किया- वह कहाँ बैठा है?

उत्तर मिला- 'ऊपर'

यही उत्तर 'ऊपर' स्थानवाचक क्रियाविशेषण है।

2. कालवाचक क्रियाविशेषण- क्रिया होने के समय की सूचना देने वाले क्रियाविशेषण को 'कालवाचक' क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे-

राम अभी आया है।

वे अब प्रस्थान कर सकते हैं।

मोहन परसों आएगा।

सूरज प्रतिदिन उगता है।

तुम रायपुर कब जाओगे?

कालवाचक क्रियाविशेषण तीन प्रकार के होते हैं-

(क) कालबिंदुवाचक-

आज, कल, अब, जब, अभी, कभी, सायं, प्रातः, परसों, कब, तब, पश्चात्।

(ख) अवधिवाचक-

सदैव, दिनभर, आजकल, नित्य, लगातार, निरंतर, सदा।

(ग) बारंबारतावाचक-

प्रतिदिन, रोज, हर-बार, बहुधा, प्रतिवर्ष।

पहचान - कालवाचक क्रियाविशेषण की पहचान का सर्वोत्तम उपाय है- क्रिया के साथ प्रश्न लगाएँ- 'कब'? इसका उत्तर होगा - कालवाचक क्रियाविशेषण। जैसे- 'मैं कल जाऊँगा।'

प्रश्न पूछिए- मैं कब जाऊँगा?

उत्तर होगा- कल।

यही उत्तर 'कल' कालवाचक क्रियाविशेषण है।

3. परिमाणवाचक क्रियाविशेषण- जिन विशेषणों से क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे- मैं बिलकुल थक गया हूँ।

उतना ही खाओ जिससे स्वस्थ रह सको।

कम बोलो सुखी रहो।

चावल ज्यादा क्यों खाते हो?

परिमाणवाचक क्रियाविशेषण पाँच प्रकार के होते हैं-

अधिकताबोधक- बहुत, खूब, अत्यन्त, अति, ढेर।

न्यूनताबोधक- जरा, थोड़ा, किंचित, कुछ।

पर्याप्तिबोधक- बस, यथेष्ट, काफी, ठीक।

तुलनाबोधक- कम, अधिक, इतना, उतना।

श्रेणीबोधक- बारी-बारी, तिल-तिल, थोड़ा-थोड़ा।

पहचान- क्रिया के साथ कितना/कितनी प्रश्न लगाने से उत्तर में परिमाणवाची क्रियाविशेषण आता है। जैसे-

'वह ढेरों जलेबियाँ खा गया।'

प्रश्न किया- 'कितनी खा गए?'

उत्तर मिलेगा- ढेरों।

यही उत्तर 'ढेरों' परिमाणवाची क्रियाविशेषण है।

4. रीतिवाचक क्रियाविशेषण- जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या विधि का पता चले, उन्हें रीतिवाचक क्रियाविशेषण कहते हैं। जैसे-

वह आपकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहा है।

उसने उसे भलीभाँति समझा दिया है।

वह मोटर साइकिल तेज चलाता है।

सोहन वहाँ कैसे पहुँचा?

अन्य उदाहरण- कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे, सुखपूर्वक, ज्यों, त्यों, उचित, अनुचित, धीरे-धीरे, सहसा, ध्यानपूर्वक, सच, तेज, झूठ, यथार्थ, वस्तुतः, अवश्य, न, नहीं, मत, अतएव, वृथा, कदाचित्, अवश्य, इसलिए, यथासंभव, हाँ, जी, तक।

* पहचान- यदि वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ 'कैसे' प्रश्न लगा दिया जाए तो उत्तर में रीतिवाचक क्रियाविशेषण आएगा। जैसे-

'वह सरपट भागा।'

प्रश्न पूछा जाए कि- वह कैसे भागा?

उत्तर होगा- सरपट

यही उत्तर 'सरपट' रीतिवाचक क्रियाविशेषण है।

नोट- कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक क्रियाविशेषणों की कोटि में न आने वाले समस्त क्रियाविशेषण, 'रीति वाचक क्रिया विशेषण' के अन्तर्गत आते हैं।

(ब) सम्बन्धबोधक

जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, उन्हें संबंधबोधक कहते हैं। जैसे- (अ) वह दिन भर काम करता रहा।

(ब) मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती।

यहाँ 'भर/बिना' शब्द उस वाक्य में संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखला रहे हैं अतः वे संबंधबोधक अव्यय होंगे।

संबंधबोधक अव्यय के कुछ अन्य उदाहरण इस तरह हैं-

अपेक्षा, समान, बाहर, भीतर, पूर्व, पहले, आगे, पीछे, संग, सहित, आसपास, भर, तक, सामने।

(स) समुच्चयबोधक

दो वाक्यों को समुच्चय करने वाले अर्थात् परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चयबोधक कहे जाते हैं।

जैसे-राम उठा और वह बाजार जाने के लिए निकल पड़ा।

यहाँ 'और' समुच्चयबोधक अव्यय है।

समुच्चयबोधक अव्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं-

(i) समानाधिकरण

(ii) व्यधिकरण

(i) समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय- जो दो समान पदों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें 'समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय' कहते हैं।

जैसे- हिन्दुओं के इष्टदेव राम व कृष्ण हैं और क्रिश्चियन धर्मावलंबियों के इष्टदेव ईसा हैं।

इस वाक्य में 'और' समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के चार भेद हैं-

1. संयोजक- तथा, और, एवं
2. विभाजक- अथवा, या, नहीं तो, किंवा
3. विरोधवाचक- परन्तु, किन्तु, लेकिन, वरन्, पर
4. परिमाणबोधक- अतएव, अतः, इसलिए, एतदर्थ

(ii) व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय- जो अव्यय मुख्य वाक्य से एक या अनेक आश्रित वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे- राहुल तेज है, किन्तु उद्यमी नहीं है।

अभय पढ़ने में तेज है, क्योंकि वह परिश्रम करता है।

यहाँ 'किन्तु, क्योंकि'- ये व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय हैं। ये दोनों पूर्व मुख्य वाक्य को परवर्ती आश्रित वाक्य से जोड़ते हैं।

व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय के चार भेद हैं-

1. कारणवाचक- क्योंकि, इसलिए, जो कि
2. उद्देश्यवाचक- ताकि, जो, कि
3. संकेतवाचक- जो, तो, यदि तो, यद्यपि, तथापि
4. स्वरूपवाचक- अर्थात् माने, कि, यानी

(द) विस्मयादिबोधक

जिन अव्ययों से हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव व्यंजित हो तथा जिनका संबंध वाक्य के किसी पद से नहीं होता, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे -

हाय ! वह तो मर गया।

विस्मयादिबोधक के सात उपभेद हैं -

1. हर्षबोधक- अहा! वाह-वाह! धन्य-धन्य! जय! शाबाश!
2. शोकबोधक- आह! ऊह! हा-हा! हाय! त्राहि-त्राहि!
3. आश्चर्यबोधक- वाह ! हैं! ऐ! ओहो! क्या!
4. अनुमोदनबोधक- ठीक! वाह! शाबाश! हाँ-हाँ! अच्छा!
5. तिरस्कारबोधक- छिः! हट! अरे! दुर! धिक्! चुप!
6. स्वीकारबोधक- हाँ! जी हाँ! अच्छा! जी! ठीक! बहुत अच्छा!
7. सम्बोधन बोधक- अरे! रे! अजी! लो! जी! हे! अहो!

निपात

वह सहायक शब्द जिसका प्रयोग श्रव्य भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, 'निपात' कहलाते हैं। 'निपात' शब्दों का कोई लिंग, वचन नहीं होता। मुख्यतः 'निपात' का कार्य शब्द समूह को बल प्रदान करना है। किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं।

निपात आठ प्रकार के हो सकते हैं-

- अ. स्वीकृतिबोधक- हाँ, जी, जी हाँ।
- ब. नकारात्मक- जी नहीं, नहीं।
- स. निषेधात्मक- मत।
- द. प्रश्नवाचक- क्या, कौन, कहाँ।
- इ. विस्मयबोधक- काश, काश कि, क्या।
- फ. तुलनाबोधक- सा।
- क. अवधारणाबोधक- ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन।
- ख. आदरबोधक- जी।
- ग. बलदायक/सीमाबोधक- तो, ही, तक, पर, सिर्फ, केवल।

अव्यय का पद परिचय

वाक्य में अव्यय का पद परिचय देने के लिए अव्यय, उसका भेद, इससे संबंध रखने वाला पद का उल्लेख करना चाहिए।

जैसे- वह धीरे-धीरे चलता है।

'धीरे-धीरे' अव्यय (क्रियाविशेषण - रीतिवाचक), क्रिया 'चलता' की विशेषता बताने वाला शब्द है।

कारक

परिभाषा - कारक का शाब्दिक अर्थ 'कराने वाला' है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला शब्द कारक कहलाता है। कारक का बोध कराने वाले चिह्न 'विभक्ति' कहे जाते हैं।

उदाहरण-

राम ने सत्य की विजय के लिए रावण से युद्ध किया।

यहाँ 'ने', 'की', 'के लिए', 'से' आदि कारक क्रमशः राम, सत्य, विजय, रावण को युद्ध करने की क्रिया से जोड़ रहे हैं। अतः ये कारक हैं। ये क्रिया कराने में संज्ञा, सर्वनाम आदि की भूमिका निश्चित कर रहे हैं। संक्षेप में, कारक संज्ञा आदि शब्दों का क्रिया के साथ किसी न किसी भूमिका में जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ भूमिका निश्चित करने वाले कारक कहलाते हैं।

नोट- विभक्ति-चिह्नों को 'परसर्ग' या 'कारक-चिह्नों' के नाम से भी जाना जाता है।

हिन्दी में आठ प्रकार के कारक होते हैं

क्र.	कारक	विभक्ति-चिह्न/ परसर्ग/कारक चिह्न	कार्य
1.	कर्ता	ने, 0 (बिना चिह्न)	क्रिया को करने वाला।
2.	कर्म	को, 0 (बिना चिह्न)	जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े।
3.	करण	से, के द्वारा, द्वारा	जिस साधन से क्रिया हो।
4.	संप्रदान	को, के लिए	जिसके लिए क्रिया की गई हो।
5.	अपादान	से	जिससे पृथक्ता हो।
6.	संबंध	का, के, की, रा, रे, री	क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाला।
7.	अधिकरण	में, पर	क्रिया करने का स्थान/आधार।
8.	संबोधन	हे, अरे, ओ, 0 (बिना चिह्न)	जिस संज्ञा को पुकारा जाए।

इन कारकों और उनकी विभक्तियों को निम्नलिखित सूत्र से याद रखा जा सकता है-

"कर्ता ने अरु कर्म को करण चिह्न से जान।

संप्रदान को, के लिए, अपादान से मान।।

संबंध का, के, की लिए, अधिकरण में पर आन।

संबोधन हे, ओ, अरे, कारक की पहचान।"

ध्यान देने योग्य बातें-

(1) संज्ञा शब्दों के साथ विभक्तियाँ जोड़कर नहीं लिखी जाती बल्कि अलग से लिखी जाती है। जैसे-

राम को, क्रिकेट के लिए, हे राम!

(2) सर्वनाम शब्दों के साथ विभक्तियाँ, जोड़कर या संयुक्त रूप से लिखी जाती है। जैसे-

सर्वनाम	विभक्ति	संयुक्त रूप
मैं	+ ने	= मैंने
उन	+ ने	= उनने
उस	+ को	= उसको
हम	+ से	= हमसे

(3) 0 (Zero) विभक्ति-

कर्ता, कर्म और संबोधन कारक में 0 (Zero) विभक्ति पाया जाता है। जैसे-

'राम ने पक्षी देखा।' इसे 'राम ने पक्षी को देखा।' भी लिखा जा सकता है। परन्तु 'को' विभक्ति का लोप हो गया है अर्थात् 0 (zero) विभक्ति हो गया है। (कर्म कारक का उदाहरण)

1. कर्ता कारक

क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं।

वह विभक्ति जो कर्ता का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराती है, कर्ता कारक की विभक्ति कहलाती है।

विभक्ति - ने, 0 (बिना चिह्न)

उदाहरण-(i) राम ने रावण को मारा। (ने विभक्ति)

(ii) मैं स्कूल जाऊँगा। (शून्य विभक्ति या कोई विभक्ति नहीं)

2. कर्म कारक

वह विभक्ति जो कर्म का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से कराती है, कर्म कारक की विभक्ति कहलाती है। (कर्म अर्थात् वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है)

विभक्ति- को, 0 (बिना चिह्न)

उदाहरण- राम ने रावण को मारा।

यहाँ क्रिया (मारना) का प्रभाव रावण (कर्म) पर पड़ रहा है। अतएव वाक्य से कर्म को जोड़ने वाला शब्द 'को' कर्म कारक हुआ।

(i) झूठे को शर्म नहीं आती। ('को' विभक्ति)

(ii) उसने पक्षी देखा। ('को' विभक्ति का लोप)

इसे 'उसने पक्षी को देखा।' भी लिखा जा सकता है।

3. करण कारक

वह विभक्ति जो क्रिया के साधन का बोध कराने वाले शब्द को वाक्य से जोड़ता है, करण कारक विभक्ति कहलाती है।

विभक्ति- से, के द्वारा, द्वारा

उदाहरण- (i) राम ने रावण को बाण से मारा। (से विभक्ति)

यहाँ क्रिया (मारना) का साधन बाण है अतएव वाक्य से साधन को जोड़ने वाला शब्द 'से' करण कारक विभक्ति हुआ।

2. उसने मुंशी द्वारा पत्र भेजा। ('द्वारा' विभक्ति)

3. उसने मुंशी के द्वारा संदेश भेजा। ('के द्वारा' विभक्ति)

4. संप्रदान कारक

वह विभक्ति जो कर्ता से उन वाक्यांशों (शब्दों) को जोड़ता है जो कुछ किए जाने या दिये जाने का भाव प्रदर्शित करती है।

विभक्ति - को, के लिए

उदाहरण -

(i) लड़कियों के लिए चावल ला दो। ('के लिए' विभक्ति)

(ii) राम को एक आम दे दो। ('को' विभक्ति)

5. अपादान कारक

वह विभक्ति जो अलग होने, डरने, सीखने या तुलना करने के भाव को वाक्य से जोड़ता है अपादान कारक विभक्ति कहलाता है।

विभक्ति- से

उदाहरण-

(i) इमली आम से खट्टी होती है। ('से' विभक्ति तुलना करने का भाव)

(ii) पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ('से' विभक्ति अलग होने का भाव)

(iii) विल्लियाँ कुत्तों से डरती हैं। ('से' विभक्ति डरने का भाव)

6. संबंध कारक

संज्ञा या सार्वनामिक शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग होता है उसे संबंध कारक विभक्ति कहते हैं।

विभक्ति- का, के, की, रा, रे, री

उदाहरण-

(i) मोहन के तीन भाई हैं। ('के' विभक्ति)

(ii) गाँव का नाम लखनपुर है। ('का' विभक्ति)

(iii) किसानों की बाड़ी में सब्जी लगा है। ('की' विभक्ति)

(iv) मेरा भाई आया है।

(v) तेरे पिताजी कहाँ गए?

(vi) मेरी कापी कहाँ है?

नोट- सार्वनामिक प्रयोग में रा, रे, री का प्रयोग संबंध कारक के रूप में होता है।

मे+रा= मेरा ('रा' विभक्ति)

ते+रे= तेरे ('रे' विभक्ति)

मे+री= मेरी ('री' विभक्ति)

7. अधिकरण कारक

संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त ऐसे विभक्ति शब्द जो

संज्ञा/सर्वनाम के आधार को सूचित करते हैं, अधिकरण

कारक विभक्ति कहलाते हैं।

विभक्ति- में, पर

उदाहरण-

(i) टोकरी में आम रखे हैं। ('में' विभक्ति)

(ii) मेज पर कापी रखी है ('पर' विभक्ति)

8. संबोधन कारक

किसी को पुकारने या संकेत करने वाले शब्द

(विभक्ति) संबोधन कारक विभक्ति कहलाते हैं।

विभक्ति- हे, अहो, अरे, 0 (बिना चिह्न)

उदाहरण-

(i) हे राम! यह क्या हो रहा है। ('हे' विभक्ति)

(ii) अरे! तुम लोग आ गए? ('अरे' विभक्ति)

(iii) ओ मूर्ख! भाग जा। ('ओ' विभक्ति)

(iv) बच्चों! बात सुनो। (0/ बिना चिह्न विभक्ति)

कारक विश्लेषण तालिका

कारक	कारक-चिह्न (परसर्ग)	उदाहरण
1. कर्ता	ने 0	राम ने पत्र लिखा। राम पढ़ता है।
2. कर्म	को 0	राम ने बालक को मारा। राम ने पक्षी देखा।
3. करण	से के द्वारा द्वारा	राम ने कलम से पत्र लिखा। कलम के द्वारा पत्र लिखा गया। मुंशी द्वारा पत्र भेजा गया।
4. संप्रदान	को के लिए	गरीब को दान दो। घर के लिए सामान मंगाओ।
5. अपादान	से (पृथक्ता)	पेड़ से पत्ता गिरता है।
6. संबंध	का के की रा रे री	यह घर राम का है। मोहन के तीन भाई हैं। नगर की गलियाँ तंग हैं। मेरा भाई आया है। तेरे पिताजी चले गए? मेरी कापी कहाँ है?
7. अधिकरण	में पर	टोकरी में फल रखे हैं। मेज पर पुस्तक पड़ी है।
8. संबोधन	हे अरे ओ 0	हे राम! हम पर कृपा करो। अरे भाई! हमारी बात सुनो। ओ मूर्ख! उठर जा। बच्चों! बात सुनो।

-----▲▲▲▲▲-----

परिभाषा—क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, उसे काल कहते हैं।

काल के तीन भेद हैं

1. वर्तमान काल
2. भूतकाल
3. भविष्यत् काल

1. वर्तमान काल—

जिस क्रिया से कार्य के वर्तमान समय में सम्पन्न होने का बोध हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—वह पढ़ रहा है।

2. भूतकाल—

जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे—वह पढ़ रहा था।

3. भविष्यत् काल—

जिस क्रिया द्वारा भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो, उसे भविष्यत् काल कहते हैं। जैसे—वह पढ़ता रहेगा।

1. वर्तमान काल

वर्तमान काल के 5 भेद हैं—

- अ. सामान्य वर्तमान काल
- ब. तात्कालिक वर्तमान काल
- स. पूर्ण वर्तमान काल
- द. संदिग्ध वर्तमान काल
- इ. सम्भाव्य वर्तमान काल

अ. सामान्य वर्तमान काल—

क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—

1. मैं पढ़ता हूँ।
2. हम पढ़ते हैं।

3. तुम पढ़ते हो।

4. वह पढ़ता है।

5. वे पढ़ते हैं।

ब. तात्कालिक वर्तमान काल—

जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के होने या करने की निरन्तरता का बोध हो, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—

1. मैं तीन घंटे से पढ़ रहा हूँ।
2. हम तीन घंटे से पढ़ रहे हैं।
3. तुम तीन घंटे से पढ़ रहे हो।
4. वह तीन घंटे से पढ़ रहा है।
5. वे तीन घंटे से पढ़ रहे हैं।

स. पूर्ण वर्तमान काल—

जिस क्रिया से वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—

1. मैं पढ़ चुका हूँ।
2. हम पढ़ चुके हैं।
3. तुम पढ़ चुके हो।
4. वह पढ़ चुका है।
5. वे पढ़ चुके हैं।

द. संदिग्ध वर्तमान काल—

जिस क्रिया के होने की स्पष्ट जानकारी न हो या सन्देह हो, परन्तु इसके वर्तमान समय में ही होने की संभावना हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे—

1. वह अभी पढ़ता होगा।
2. वे अभी पढ़ते होंगे।

नोट— सार्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष (मैं, हम) व मध्यम पुरुष (तुम, आप) में संदिग्ध वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते।

इ. संभाव्य वर्तमान काल -

जिस क्रिया के वर्तमान काल में ही होने की संभावना रहती है, उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे-

11. वह अभी पढ़ता ही होगा।
22. वे अभी पढ़ते ही होंगे।
33. देखो, दरवाजे पर वह अभी आया है।

नोट- सार्वनामिक प्रयोग के आधार पर उत्तम पुरुष (मैं, हम) व मध्यम पुरुष (तुम, आप) में संभाव्य वर्तमान काल के वाक्य नहीं बनाए जा सकते।

2. भूतकाल

भूतकाल के 6 भेद हैं-

- अ. सामान्य भूतकाल
- ब. आसन्न भूतकाल
- स. पूर्ण भूतकाल
- द. अपूर्ण भूतकाल
- इ. संदिग्ध भूतकाल
- फ. हेतु-हेतुमद् भूतकाल

अ. सामान्य भूतकाल-

जिसमें भूतकाल की क्रिया के समय का ज्ञान न हो या कार्य के समाप्त होने की सामान्य सूचना हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे-

11. मैंने पढ़ा।
22. हमने पढ़ा।
33. तुमने पढ़ा।
44. उसने पढ़ा।
55. उन्होंने (उन लोगों ने) पढ़ा।

ब. आसन्न भूतकाल -

इसमें क्रिया की समाप्ति 'निकट भूत में' या 'तत्काल ही' सूचित होती है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न का अर्थ ही निकट/समीप होता है। जैसे-

1. मैं अभी पढ़कर आया हूँ।
2. हम अभी पढ़कर आये हैं।
3. तुम अभी पढ़कर आये हो।
4. वह अभी पढ़कर आया है।
5. वे अभी पढ़कर आये हैं।

स. पूर्ण भूतकाल-

जिसमें क्रिया के पूर्ण समाप्ति का स्पष्ट बोध हो, उसे 'पूर्ण भूतकाल' कहते हैं। जैसे-

1. मैं पढ़ चुका था।
2. हम पढ़ चुके थे।
3. तुम पढ़ चुके थे।
4. वह पढ़ चुका था।
5. वे पढ़ चुके थे।

द. अपूर्ण भूतकाल-

जिससे क्रिया के समाप्ति की अपूर्णता प्रकट हो, उसे 'अपूर्ण भूतकाल' कहते हैं। जैसे-

1. मैं पढ़ रहा था।
2. हम पढ़ रहे थे।
3. तुम पढ़ रहे थे।
4. वह पढ़ रहा था।
5. वे पढ़ रहे थे।

इ. संदिग्ध भूतकाल-

जिस क्रिया के समाप्त होने की स्पष्ट जानकारी न हो या सन्देह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे-

1. शायद मैंने पढ़ा होगा।
2. शायद हम पढ़ें होंगे।
3. शायद तुम पढ़ें होंगे।
4. शायद वह पढ़ा होगा।
5. शायद वे पढ़ें होंगे।

फ. हेतु-हेतुमद् भूतकाल-

वह क्रिया जो भूतकाल में सम्पन्न हो सकती थी परन्तु नहीं हो सकी, उसे हेतु-हेतुमद् भूतकाल कहते हैं। जैसे-

1. यदि मैं पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता।
2. यदि हम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते।
3. यदि तुम पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते।
4. यदि वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता।
5. यदि वे पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते।

3. भविष्यत् काल

भविष्यत् काल के तीन भेद हैं-

- अ. सामान्य भविष्य काल
- ब. संभाव्य भविष्य काल
- स. हेतु हेतुमद् भविष्य काल

अ. सामान्य भविष्य काल-

क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का भविष्य में होने का सामान्य बोध हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे-

1. मैं पढ़ूँगा।
2. हम पढ़ेंगे।
3. तुम पढ़ोगे।
4. वह पढ़ेगा।
5. वे पढ़ेंगे।

ब. संभाव्य भविष्य काल-

क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में काम के होने या करने की संभावना व्यक्त हो, उसे 'संभाव्य भविष्य काल' कहते हैं। जैसे-

1. संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा।
2. संभव है कि कल हम वहाँ पढ़ते रहेंगे।
3. संभव है कि कल तुम वहाँ पढ़ते रहोगे।
4. संभव है कि कल वह वहाँ पढ़ता रहेगा।
5. संभव है कि कल वे वहाँ पढ़ते रहेंगे।

'संभाव्य भविष्य काल' से अनुमान, अनुमति, इच्छा, आशीष, विधि या आदेश जैसे भावों का बोध होता है। जैसे-

अनुमान- संभव है कि कल मैं वहाँ पढ़ता रहूँगा।

अनुमति- अब मैं वहाँ पढ़ने जाऊँ।

इच्छा- प्रभु, सबका भला करे।

आशीष- बेटा! सौ साल जीओ।

विधि या आदेश- तुम कल मेरे निवास पर पढ़ाई करने आना।

स. हेतु-हेतुमद् भविष्य काल-

इसमें क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे-

1. वह आये तो मैं उससे मिलने जाऊँ।
2. वह कमाये तो परिवार पाले।

विशेष- डॉ. वासुदेव नन्दन प्रसाद ने भविष्यत् काल के तीन भेद माने हैं।

अ. सामान्य भविष्य काल

ब. संभाव्य भविष्य काल

स. हेतु-हेतुमद् भविष्य काल

जबकि डॉ. हरदेव बाहरी ने भविष्यत् काल के दो ही भेद माने हैं।

अ. सामान्य भविष्य काल

ब. सम्भाव्य भविष्य काल

-----▲▲▲▲▲-----

लिंग

परिभाषा- संज्ञा के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं।

जैसे- पिता (पुरुष जाति), माता (स्त्री जाति), लड़का ((पुरुष जाति), लड़की (स्त्री जाति),

लिंग के भेद- मराठी, गुजराती, अंग्रेजी सहित आधुनिक उदाय भाषाओं में तीन लिंग होते हैं—(1) पुल्लिंग (2) स्त्रीलिंग ((3) नपुंसकलिंग। इसके विपरीत हिन्दी में दो ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं; अर्थात् हिन्दी में नपुंसकलिंग नहीं है। हिन्दी में सारे पदार्थवाचक शब्द चाहे वे चेतन हो या जड़ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, इन दो लिंगों में विभक्त हैं।

(1) पुल्लिंग- संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे- कमल, राम (पुरुषों के नाम), तांबा, लोहा, सोना, (धातुओं के नाम), आम, नीम, फंसीपल, मुनगा, (वृक्षों के नाम)

(2) स्त्रीलिंग- संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे- राधा, सीता (स्त्रियों के नाम), अरपा, पैरी, महानदी (नदियों के नाम), गाय, बकरी, मुर्गी ((प्राणियों के नाम)

वाक्यों में लिंग निर्णय

हिन्दी में जब वाक्यों की रचना की जाती है तभी लिंग भेद स्पष्ट होता है। वाक्यों में लिंग भेद के कारण विशेषण, सर्वनाम, क्रिया और विभक्ति में विकार उत्पन्न होता है।

((अ) विशेषण में लिंग परिवर्तन संज्ञा शब्द के लिंगानुसार-

(i) 'यह छोटा कमरा है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'कमरा' पुल्लिंग है व उसी के अनुसार विशेषण 'छोटा' (पुल्लिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(ii) 'यह छोटी लड़की है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'लड़की' स्त्रीलिंग है वह इसी के अनुसार विशेषण 'छोटी' (स्त्रीलिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(ब) सर्वनाम में लिंग परिवर्तन संज्ञा शब्द के लिंगानुसार-

(i) 'मेरी पुस्तक अच्छी है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'पुस्तक' स्त्रीलिंग है व उसी के अनुसार सर्वनाम 'मेरी' (स्त्रीलिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(ii) 'मेरा घर बड़ा है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'घर' पुल्लिंग है व उसी के अनुसार सर्वनाम 'मेरा' (पुल्लिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(स) क्रिया में लिंग परिवर्तन संज्ञा के लिंगानुसार-

(i) 'चावल पका है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'चावल' पुल्लिंग है व इसी के अनुसार क्रिया 'पका' (पुल्लिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(ii) 'दाल पकी है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'दाल' स्त्रीलिंग है व उसी के अनुसार क्रिया 'पकी' स्त्रीलिंग का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

(द) विभक्ति में लिंग परिवर्तन संज्ञा के लिंगानुसार-

'आपका चरित्र अच्छा है।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'चरित्र' पुल्लिंग के अनुसार विभक्ति 'का' (पुल्लिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

'आपकी नाक कट गयी।' इस उदाहरण में संज्ञा शब्द 'नाक' स्त्रीलिंग के अनुसार विभक्ति 'की' (स्त्रीलिंग) का प्रयोग वाक्य में हुआ है।

'लिंग की पहचान'

1. प्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्णय
2. अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग निर्णय
3. तत्सम (संस्कृत) शब्दों का लिंग निर्णय
4. तद्भव (हिन्दी) शब्दों का लिंग निर्णय
5. उर्दू (अरबी-फारसी) शब्दों का लिंग निर्णय
6. अंग्रेजी शब्दों का लिंग निर्णय
7. लिंग परिवर्तन

(1) प्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान-

प्राणिवाचक संज्ञाओं के लिंग की पहचान उनकी शारीरिक संरचना से होती है।

- (अ) घोड़ा, युवक, लड़का, शेर- इनकी शारीरिक संरचना से पुल्लिंग होने का पता चलता है।
- (ब) युवती, लड़की, घोड़ी, शेरनी- इनकी शारीरिक संरचना से स्त्रीलिंग होने का पता चलता है।
- (स) सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द- उल्लू, कौआ, खरगोश, गौदड़, गैंडा, जिराफ, बगुला, मच्छर।
- (द) सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द- कोयल, गिलहरी, चमगादड़, भेड़, मक्खी, मछली, मैना।
- (इ) पदनाम सदैव पुल्लिंग होता है। सचिव, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राजदूत, लोकपाल, प्राध्यापक।

(2) अप्राणिवाचक संज्ञाओं में लिंग की पहचान-**(अ) सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्द-**

- दिनों के नाम- सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार।
- महीनों के नाम- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, मार्च, अप्रैल।
अपवाद- जनवरी, मई, जुलाई स्त्रीलिंग हैं।
- समयसूचक नाम- पल, पहर, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष। अपवाद- दोपहर, संध्या, रात स्त्रीलिंग हैं।
- फलों के नाम- आम, केला, जामुन, तरबूज, नींबू, संतरा।
अपवाद- नारंगी, नाशपाती, लीची स्त्रीलिंग हैं।
- वृक्षों के नाम- आम, कटहल, चीड़, नीम, पीपल, वट, शीशम, सागौन।
अपवाद- इमली स्त्रीलिंग है।
- रत्नों के नाम- जवाहर, नीलम, पन्ना, पुखराज, माणिक, मूंगा, मोती, हीरा।
अपवाद- चुन्नी, मणि स्त्रीलिंग हैं।
- द्रव पदार्थों के नाम- तेल, दूध, पानी, पेट्रोल।
अपवाद- चाय, शराब, स्याही स्त्रीलिंग हैं।
- धातुओं के नाम- काँसा, टिन, ताँबा, लोहा, पीतल, राँगा, सीसा। अपवाद- चांदी स्त्रीलिंग है।

- अनाजों के नाम- गेहूँ, चना, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, मटर। अपवाद- खेसारी, ज्वार, मकई, मूंग, स्त्रीलिंग हैं।
- देशों के नाम- ईरान, नेपाल, भारत, मलेशिया, मॉरीशस, वियतनाम।
- पर्वतों के नाम- अरावली, नीलगिरी, विंध्याचल, शिवालिक, सतपुड़ा, हिमालय।
- समुद्रों के नाम- अरब सागर, काला सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर।
- तारे/ग्रहों का नाम- सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, राहु, केतु।
अपवाद- पृथ्वी स्त्रीलिंग है।
- जल के स्थानों के नाम- कुआँ, झरना, तालाब, नलकूप, समुद्र। अपवाद- झील, नदी, नहर, स्त्रीलिंग हैं।
- शरीर के अवयवों के नाम- अँगूठा, ओठ, कान, गाल, तालु, दाँत, नथुना, नाखून, नाक, पाँव, बाल, बाँह, मस्तक, हड्डी, मुँह, हाथ। अपवाद- आँख, कलाई, काँख, कोहनी, खाल, जीभ, ठोड़ी, नस, नाक, बाँह, हड्डी स्त्रीलिंग हैं।
- भौगोलिक क्षेत्रों का नाम- द्वीप, देश, नगर, नभमण्डल, पर्वत, पाताल, प्रान्त, रेगिस्तान, वायुमण्डल, समुद्र, सरोवर, इत्यादि। अपवाद- घाटी, झील स्त्रीलिंग हैं।

(ब) सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द-

- बोलियों के नाम- छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मगही, राजस्थानी।
- भाषाओं के नाम- अंग्रेजी, नेपाली, पंजाबी, फारसी, फ्रेंच, मराठी, संस्कृत, हिन्दी।
- लिपियों के नाम- अरबी, गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन।
- झीलों के नाम- डच झील, नैनी, मानसरोवर, विक्टोरिया झील।
- नदियों के नाम- गंगा, गोदावरी, झेलम, महानदी, यमुना, रावी, व्यास, सतलज। अपवाद- ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सोन, पुल्लिंग हैं।
- नक्षत्रों के नाम- अश्विनी, भरणी, रोहिणी। अपवाद- अभिजित, पुष्य पुल्लिंग हैं।
- किराने की चीजें- इलायची, चिरौंजी, जावित्री, दालचीनी, मिर्च, लौंग, सुपारी, हल्दी, हिंग। अपवाद- कपूर, केसर, गर्म मसाला, जीरा, तेजपत्ता, धनिया, नमक, पुल्लिंग हैं।

- खाने-पीने की चीजें- कचौड़ी, खिचड़ी, खीर, चपाती, तरकारी, दाल, पकौड़ी, पूरी, रोटी, सब्जी। अपवाद- दही, पठा, भात, रायता, हलुवा पुल्लिंग हैं।

(3) तत्सम (संस्कृत) शब्दों का लिंग निर्णय

[(अ) तत्सम (संस्कृत) पुल्लिंग शब्द

- (i) जिन संज्ञाओं के अंत में 'त्र' होता है। जैसे- चरित्र, चित्र, नेत्र, पात्र, शस्त्र, क्षेत्र।
- (ii) 'नांत' संज्ञाएँ जैसे- गमन, दमन, नयन, पालन, पोषण, वचन, हरण।
- (iii) 'ज' प्रत्ययांत संज्ञाएँ जैसे- जलज, पिंडज, सरोज, स्वेदज।
- (iv) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में 'त्व, त्य, व, य' होता है। जैसे- सतीत्व, बहूत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, माधुर्य।
- (v) जिन शब्दों के अंत में 'आर', 'आय', 'वा' 'आस' हो। जैसे- विकार, विस्तार, संसार, अध्याय, उपाय, समुदाय, उल्लास, विकास, हास।
- (vi) 'अ' प्रत्ययांत संज्ञाएँ हैं। जैसे- क्रोध, त्याग, दोष, पाक, मोह, स्पर्श।
- (vii) 'त' प्रत्ययांत संज्ञाएँ हैं। जैसे- गणित, गीत, चरित, फलित, मत, स्वागत।
- (viii) जिनके अंत में 'ख' होता है। जैसे- दुःख, नख, मुख, लेख, सुख, शंख।

[(ब) तत्सम (संस्कृत) स्त्रीलिंग शब्द-

- (i) आकारांत संज्ञाएँ जैसे- कृपा, दया, माया, लज्जा, शोभा, क्षमा।
- (ii) नाकारांत संज्ञाएँ जैसे- घटना, प्रस्तावना, प्रार्थना, रचना, वेदना।
- (iii) उकारांत संज्ञाएँ जैसे- आयु, ऋतु, जानु, धातु, मृत्यु, रज्जु, रेणु, वस्तु, वायु। अपवाद- अश्रु, तालु, मधु, मेरु, सेतु, हेतु पुल्लिंग हैं।
- (iv) जिनके अंत में 'ति' अथवा 'नि' हो जैसे- गति, मति,

रीति, ग्लानि, योनि, हानि, ऋद्धि, बुद्धि, सिद्धि (सिध्+ति=सिद्धि)।

- (v) 'ता' प्रत्ययांत भाववाचक संज्ञाएँ जैसे- जड़ता, नम्रता, प्रभुता, लघुता, सुंदरता।
- (vi) इकारांत संज्ञाएँ जैसे- अग्नि, केलि, छवि, निधि, परिधि, राशि, रुचि, विधि। अपवाद- अद्रि, आदि, गिरि, जलधि, पाणि, बलि, वारि पुल्लिंग हैं।
- (vii) इमा प्रत्ययांत शब्द जैसे- कालिमा, गरिमा, महिमा, लालिमा।

(4) तद्भव (हिन्दी) शब्दों का लिंग निर्णय

(अ) तद्भव (हिन्दी) पुल्लिंग शब्द-

- (i) ऊनवाचक संज्ञाओं को छोड़ शेष आकारांत संज्ञाएँ हैं। जैसे- आटा, कपड़ा, गन्ना, चमड़ा, पहिया, पैसा।
- (ii) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना, आव, पन, वा, पा होता है। जैसे- आना, गाना, चढ़ाव, बड़प्पन, बुढ़ापा, बहाव।
- (iii) कृदंत की आनांत संज्ञाएँ जैसे- उठान, खान, नहान, पान, मिलान, लगान। अपवाद- उड़ान, चट्टान स्त्रीलिंग हैं।

(ब) तद्भव (हिन्दी) स्त्रीलिंग शब्द-

- (i) ईकारांत संज्ञाएँ जैसे- उदासी, चिट्ठी, टोपी, नदी। अपवाद- घी, जी, दही, मोती पुल्लिंग हैं।
- (ii) ऊनवाचक याकारांत संज्ञाएँ जैसे- खटिया, गुड़िया, डिबिया, पुड़िया।
- (iii) तकारांत संज्ञाएँ जैसे- छत, पत, बात, भीत, रात, लात। अपवाद- खेत, गात, दाँत, भात, सूत पुल्लिंग हैं।
- (iv) ऊकारांत संज्ञाएँ जैसे- बालू, लू, दारू, ब्यालू, झाड़ू। अपवाद- आँसू, आलू, टेसू, रतालू पुल्लिंग हैं।
- (v) अनुस्वारांत संज्ञाएँ जैसे- खड़ाऊँ, चूँ, जूँ, भौँ, सरसों। अपवाद- गेहूँ पुल्लिंग है।
- (vi) सकारांत संज्ञाएँ जैसे- निंदास, प्यास, बाँस, मिठास, रास (लगाम), साँस। अपवाद- काँस, निकास, रास (नृत्य) पुल्लिंग हैं।

- (vii) कृदंत नकारांत संज्ञाएँ, जिनका उपांत्य वर्ण अकारांत हो अथवा जिनकी धातु नकारांत हो। जैसे- उलझन, जलन, पहचान, रहन, सूजन। अपवाद- चलन पुल्लिंग है।
- (viii) कृदंत की अकारांत संज्ञाएँ जैसे- चमक, छाप, दौड़, पुकार, मार, रगड़, लूट, सँभाल, समझ। अपवाद- उतार, नाच, बिगाड़, बोल, मेल, पुल्लिंग हैं।
- (ix) जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में 'ट, वट, हट' होता है। जैसे- आहट, घबराहट, चिकनाहट, झंझट, सजावट।
- (x) जिन संज्ञाओं के अंत में 'ख' होता है। जैसे- ईख, काँख, कोख, चीख, देखरेख, भूख, राख, साख। अपवाद- पंख, रूख पुल्लिंग हैं।

(5) उर्दू (अरबी-फारसी) शब्दों का लिंग निर्धारण

(अ) पुल्लिंग उर्दू शब्द-

- (i) जिनके अंत में 'आब' हो, वे पुल्लिंग हैं। जैसे- कबाब, गुलाब, जवाब, जुलाब, हिसाब। अपवाद- किमखाब, किताब, ताब, मिहराब, शराब स्त्रीलिंग हैं।
- (ii) जिनके अंत में 'आर' या 'आन' लगा हो। जैसे - इकार, इनकार, इश्तिहार, बाजार, अहसान, इम्तिहान, मकान, सामान। अपवाद- तकरार, दूकान/दुकान, सरकार, स्त्रीलिंग हैं।
- (iii) आकारांत शब्द पुल्लिंग जैसे- किस्सा, गुस्सा, चश्मा, तमगा, परदा, रास्ता। (मूलतः ये शब्द विसर्गात्मक हकारांत उच्चारण के हैं।) जैसे- तपः, परदः किन्तु हिंदी में ये 'परदा', 'तमगा' के रूप में आकारांत ही उच्चरित होते हैं। अपवाद- दफा स्त्रीलिंग है।

(ब) स्त्रीलिंग उर्दू शब्द-

- (i) ईकारांत, भाववाचक संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- गरमी, गरीबी, चालाकी, तैयारी, नवाबी, बीमारी, सरदी।
- (ii) शकारांत संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- कोशिश, तलाश, नालिश, मालिश, लाश, वारिश। अपवाद- ताश, होश पुल्लिंग हैं।
- (iii) तकारांत संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- अदालत,

इजाजत, कसरत, कीमत, दौलत, मुलाकात। अपवाद- तख, दरख, दस्तखत, बंदोबस्त, वक्त, शरबत पुल्लिंग हैं।

- (iv) आकारांत संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- दगा, दवा, दुनिया, सजा, हवा। अपवाद- मजा पुल्लिंग है।
- (v) हकारांत संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- आह, तरह, राह, सलाह, सुबह, सुलह।
- (vi) 'तफईल' के वजन की संज्ञाएँ स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे- जागीर, तसवीर, तहसील, तामील।

(6) अंग्रेजी शब्दों में लिंग निर्णय

(अ) अंग्रेजी के पुल्लिंग शब्द-

- (i) अकारांत- आर्डर, ऑपरेशन, ऑयल, इंजिन, इंजीनियर, इंजेक्शन, एक्सप्रेस, एक्सरे, एडमिशन, ओवरटाइम, कमीशन, काउंटर, कार्ड, कार्बन, कारपोरेशन, कॉलबेल, कॉलर, कॉलेज, क्रिकेट, कैलेंडर, कोट, कोर्ट, क्लास, क्लिनिक, क्लिप, गजट, गैस, ग्लास, चॉकलेट, चेन, टाइम, टाउनहाल, टॉर्च, ट्रैक्टर, टायर, ट्रांजिस्टर, टिकट, टी-कप, टूथपाउडर, टेंडर, टेलिग्राम, टेलिफोन, टैक्स, ट्यूब, डांस, ड्राइंग रूम, डिवीजन, थर्मस, नंबर, नेकलेस, नोट, परमिट, पाउडर, पार्क, पार्लियामेंट, पासपोर्ट, पार्सल, पेटीकोट, पेन, पेपर, पेंशन, पोस्ट, पोस्टर, प्लग, प्लास्टर, प्लेग, प्लेटफार्म, प्रमोशन, प्रेस, प्रोविडेंट फंड, फर्म, फार्म, फुटपाथ, फुटबाल, फुलपेंट, फैन, फैशन, फ्लोर, फ्राक, बजट, बल्ब, बॉक्स, बॉर्डर, बॉण्ड, बाथरूम, बिल, बैंक, बैडमिंटन, बोर्ड, बोनस, बोलडर, ब्रश, ब्रॉडकास्ट, ब्रेक, मनिआर्डर, मीटर, मेल, मैच, रबर, रॉकेट, राशन, रिकार्ड, रिबन, रूल, रोड, लाइसेंस, लाइट, लीज, लेक्चर, लेटर लेजर, लैंप, वाउचर, वार्ड, सिगनल, सेक्रेटैरियट, सैलून, स्कूल, स्टेज, स्टैंडर्ड, स्टोर, स्टोव, स्लीपर, स्विच, हॉल, हॉस्पिटल, हेयर, हैंगर, हैंडिल, होलडॉल।
- (ii) आकारांत- कॉलरा, कैमरा, कोटा, ड्रामा, प्रोपेण्डा, फाइलेरिया, मलेरिया, वीसा, सिनेमा।
- (iii) ओकारांत- फोटो, मेमो, मोटो, रेडियो, वीटो, स्टूडियो।

(ब) अंग्रेजी के स्त्रीलिंग शब्द-

- (i) ईकारांत- एसेंबली, कंपनी, कॉपी, केतली, गैलरी, टाई, ट्रेजरी, ट्रेजेडी, डायरी, डिग्री, पार्टी, म्युनिसिपैलिटी, यूनिवर्सिटी, लैबोरेटरी, वार्ली।

(7) लिंग परिवर्तन

(अ) पुल्लिंग से स्त्रीलिंग

(ब) स्त्रीलिंग से पुल्लिंग

(अ) पुल्लिंग से स्त्रीलिंग-

(i) 'आ' प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन

अनुज	अनुजा
आचार्य	आचार्या
छात्र	छात्रा
वाल	बाला
भवदीय	भवदीया
वृद्ध	वृद्धा
शिव	शिवा
सुत	सुता

(ii) 'ई' प्रत्यय के योग से ('अ, आ' का 'ई' होना)

कबूतर	कबूतरी
गधा	गध्नी
घोड़ा	घोड़ी
चाचा	चाची
दास	दासी
देव	देवी
नर्तक	नर्तकी
नाना	नानी
पहाड़	पहाड़ी
पुत्र	पुत्री
बकरा	बकरी
ब्राह्मण	ब्राह्मणी
बेटा	बेटी

मामा	मामी
मेढ़क	मेढ़की
लड़का	लड़की

(iii) 'इया' प्रत्यय के योग से ('आ' का 'इया' होना)

कुत्ता	कुतिया
गुड़डा	गुड़िया
चिड़ा	चिड़िया
चूहा	चुहिया
डिब्बा	डिबिया
बंदर	बंदरिया
बूढ़ा	बुढ़िया
बेटा	बिटिया
लोटा	लुटिया

(iv) 'इन' प्रत्यय के योग से ('आ, ई' का 'इन' होना)

कहार	कहारिन
चमार	चमारिन
जुलाहा	जुलाहिन
दर्जी	दर्जिन
धोबी	धोबिन
नाती	नातिन

(v) 'अक' प्रत्यय को 'इका' में बदलकर

गायक	गायिका
नायक	नायिका
पाठक	पाठिका
बालक	बालिका
लेखक	लेखिका

(vi) 'नी' प्रत्यय के योग से ('अ' का 'अनी' होना)

ऊँट	ऊँटनी
जाट	जाटनी
भाट	भाटनी
मोर	मोरनी
राक्षस	राक्षसनी
शेर	शेरनी
सिंह	सिंहनी

(viii) 'इनी' प्रत्यय के योग से ('अ, ई' का 'इनी/इणी' होना)

अभिमानी	अभिमानिनी
एकाकी	एकाकिनी
गृहस्वामी	गृहस्वामिनी
तपस्वी	तपस्विनी
यशस्वी	यशस्विनी
हंस	हंसिनी
हाथी	हाथिनी

(ix) 'आनी' प्रत्यय के योग से ('अ' का 'आनी या आणी' होना)

इंद्र	इंद्राणी
भव	भवानी
मेहतर	मेहतरानी
राजपूत	राजपूतानी
रुद्र	रुद्राणी
क्षत्रिय	क्षत्राणी

(x) 'आइन' प्रत्यय के योग से ('अ, आ, ऊ, ए' का 'आइन' होना)

ओझा	ओझाइन
गुरु	गुरुआइन (गुरुआनी)
चौधरी	चौधराइन
चौबे	चौबाइन
ठाकुर	ठकुराइन (ठा→ठ)
पंडा	पंडाइन
बनिया	बनियाइन
बाबू	बबुआइन (अपवाद)

(xi) 'अक' को 'इका' करने से

अध्यापक	अध्यापिका
गायक	गायिका
दर्शक	दर्शिका
बालक	बालिका
लेखक	लेखिका
वादक	वादिका

(xii) 'ता' को 'त्री' करने से

अभिनेता	अभिनेत्री
---------	-----------

कर्ता	कर्त्री
दाता	दात्री
नेता	नेत्री
वक्ता	वक्त्री
विधाता	विधात्री

(xiii) 'मान्' को 'मती' तथा 'वान्' को 'वती' करने से

आयुष्मान्	आयुष्मती
गुणवान्	गुणवती
पुत्रवान्	पुत्रवती
बुद्धिमान्	बुद्धिमती
भगवान्	भगवती
भाग्यवान्	भाग्यवती
रूपवान्	रूपवती
शक्तिमान्	शक्तिमती
श्रीमान्	श्रीमती
ज्ञानवान्	ज्ञानवती

(xiv) भिन्न शब्दों वाले लिंग-युग्म

कवि	कवयित्री
गाय	बैल
पति	पत्नी
पिता	माता
पुत्र	पतोहू (पुत्रवधू)
बेटा	बहू
भाई	भावज, बहन
मियाँ	बीबी
राजा	रानी
वर	वधू
विद्वान	विदुषी
विधुर	विधवा
वीर	वीरांगना
ससुर	सास
साधु	साध्वी
साहब	साहिबा/मेम

(xv) नित्य/सदा पुल्लिंग रहने वाले शब्दों से पहले
'मादा' लगाकर

उल्लू	मादा उल्लू
कौआ	मादा कौआ
खरगोश	मादा खरगोश
गीदड़	मादा गीदड़
गैंडा	मादा गैंडा
चीता	मादा चीता
जिराफ	मादा जिराफ
तोता	मादा तोता
भालू	मादा भालू
भेड़िया	मादा भेड़िया
मगरमच्छ	मादा मगरमच्छ
लंगूर	मादा लंगूर

(ब) स्त्रीलिंग से पुल्लिंग-

(i) नित्य/ सदा स्त्रीलिंग शब्दों के साथ 'नर' जोड़ने से

कोयल	नर कोयल
गिलहरी	नर गिलहरी
चील	नर चील
छिपकली	नर छिपकली
मक्खी	नर मक्खी
मधुमक्खी	नर मधुमक्खी

(ii) हिन्दी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल रूप से स्त्रीलिंग
हैं- उन शब्दों में कुछ परिवर्तन करके उन्हें पुल्लिंग
बनाया जाता है।

जीजी	जीजा
ननद	ननदोई
बहन	बहनोई
भैंस	भैंसा
मौसी	मौसा
सास	ससुर



परिभाषा- वचन का अभिप्राय संख्या से है। शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या (एक या अनेक) का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं।

वचन के प्रकार- वचन के दो प्रकार होते हैं-

1. एकवचन
2. बहुवचन

1. एकवचन-

शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति/वस्तु/पदार्थ का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे-

लड़का, लड़की, किताब, कुर्सी।

2. बहुवचन-

शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों/ वस्तुओं/ पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे-

किताबें, किताबों, कुर्सियाँ, कुर्सियों, लड़के, लड़कों, लड़कियों।

वचन का रूपान्तर

वचन के कारण संज्ञा शब्दों का रूपांतरण तो होता ही है, इस के साथ सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन आता है। वस्तुतः सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का रूपांतरण मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित है।

वचन के अधीन संज्ञा रूपों का दो तरह से परिवर्तन होता है-

1. विभक्ति रहित
2. विभक्ति सहित

1. विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम

(अ) पुल्लिङ्ग आकारान्त शब्दों के अंतिम 'आ' की मात्रा के स्थान पर 'ए' की मात्रा लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे-

एकवचन

कपड़ा

बहुवचन

कपड़े

गधा

घोड़ा

पहिया

बच्चा

लड़का

गधे

घोड़े

पहिये

बच्चे

लड़के

अपवाद- किन्तु कुछ ऐसे भी पुल्लिङ्ग संज्ञाएँ हैं, जिनके रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। जैसे- मामा, नाना, बाबा, दादा, कर्ता, दाता, युवा, पिता, योद्धा, देवता, जमाता आदि।

उदाहरण-

1. श्याम तुम्हारे मामा हैं। (एकवचन)
2. श्याम और राम तुम्हारे मामा हैं। (बहुवचन)

(ब) आकारान्त स्त्रीलिङ्ग एकवचन संज्ञा-शब्दों के अन्त में 'एँ' लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन

अध्यापिका

कथा

कामना

महिला

लता

वार्ता

शाखा

बहुवचन

अध्यापिकाएँ

कथाएँ

कामनाएँ

महिलाएँ

लताएँ

वार्ताएँ

शाखाएँ

(स) अकारान्त स्त्रीलिङ्ग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अन्तिम 'अ' को 'एँ' कर देने से बनता है। जैसे-

एकवचन

आदत

गाय

नहर

पुस्तक

वहन

वात

रात

सड़क

बहुवचन

आदतें

गायें

नहरें

पुस्तकें

वहनें

वातें

रातें

सड़कें

(द) इकारान्त या ईकारान्त स्त्रीलिंग में अन्त्य 'ई' को ह्रस्व 'इ' कर अन्तिम वर्ण के बाद 'याँ' जोड़ने अर्थात् अन्तिम 'इ' या 'ई' को 'इयाँ' कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
खिड़की	खिड़कियाँ
तिथि	तिथियाँ
दवाई	दवाईयाँ
नदी	नदियाँ
नारी	नारियाँ
नीति	नीतियाँ
रीति	रीतियाँ
लड़की	लड़कियाँ
स्त्री	स्त्रियाँ
साड़ी	साड़ियाँ

(इ) जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में 'या' आता है, उनमें 'या' के ऊपर चन्द्रबिन्दु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
गुड़िया	गुड़ियाँ
चिड़िया	चिड़ियाँ
डिबिया	डिबियाँ

(फ) अ-आ-इ-ई के अलावा अन्य मात्राओं से अन्त होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अन्त में 'एँ' जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। अन्तिम स्वर 'ऊ' हुआ, तो ह्रस्व (उ) कर 'ऐँ' जोड़ते हैं। जैसे-बहू-बहुऐँ, वस्तु-वस्तुऐँ।

(क) संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः 'गण', 'वर्ग', 'जन', 'लोग', 'वृन्द' लगाकर कराया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन
अधिकारी	अधिकारीवर्ग
आप	आपलोग
नारी	नारीवृन्द
पाठक	पाठकगण
स्त्री	स्त्रीजन

2. विभक्तिसहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम

विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन या व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम निम्नलिखित हैं-

(अ) अकारान्त, आकारान्त (संस्कृत शब्दों को छोड़कर) तथा एकारान्त संज्ञाओं में अन्तिम 'अ' 'आ' या 'ए' के स्थान पर बहुवचन बनाने में 'ओं' कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन	विभक्तिचिह्न के साथ प्रयोग
गधा	गधों	गधों की तरह।
घर	घरों	घरों का घेरा।
घोड़ा	घोड़ों	घोड़ों की दौड़।
चोर	चोरों	चोरों को पकड़ो।
लड़का	लड़कों	लड़कों ने कहा।

(ब) संस्कृत की आकारान्त तथा संस्कृत-हिन्दी की सभी उकारान्त, ऊकारान्त, अकारान्त, औकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन का रूप देने के लिए अन्त में 'ओं' जोड़ना पड़ता है। ऊकारान्त शब्दों में 'ओं' जोड़ने के पूर्व 'ऊ' को 'उ' कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन	विभक्तिचिह्न के साथ प्रयोग
लता	लताओं	लताओं की छटा देखो।
घर	घरों	घरों में रहना ही उपयुक्त है।
वधू	वधुओं	वधुओं ने आशीर्वाद लिया।
साधु	साधुओं	यह साधुओं का निवास स्थान है।

(स) सभी इकारान्त और ईकारान्त संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अन्त में 'यों' जोड़ा जाता है। 'इकारान्त' शब्दों में 'यों' जोड़ने के पहले 'ई' का इ कर दिया जाता है। जैसे-

एकवचन	बहुवचन	विभक्तिचिह्न के साथ प्रयोग
गली	गलियों	गलियों की सड़कें।
नदी	नदियों	नदियों का प्रवाह।
मुनि	मुनियों	मुनियों की यज्ञशाला।
साड़ी	साड़ियों	साड़ियों की सुन्दरता।
श्रीमती	श्रीमतियों	श्रीमतियों का मिलन हुआ।

महत्वपूर्ण तथ्य

(i) 'प्रत्येक' तथा 'हरएक' का प्रयोग हमेशा एकवचन के रूप में होता है। जैसे-

अ. प्रत्येक व्यक्ति यहीं खाएगा।

ब. हरएक झील का पानी खारा नहीं होता।

(ii) भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे-

अ. भगवान राम की सज्जनता सर्वविदित है।

(iii) भाववाचक संज्ञाओं में संख्याओं का बोध हो तो वहाँ वे बहुवचन हो जाती हैं। जैसे-

अ. श्रीकृष्ण सोलह कलाओं से युक्त थे।

(iv) अक्षत, आँसू, ओठ, दर्शन, दाम, प्राण, लोग आदि अनेक शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे-

अ. आप लोगों के दर्शन से मैं तृप्त हो गया।

ब. उनके आँसू मुझसे देखे नहीं गए।

(v) द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एकवचन में होता है। जैसे-

अ. उनके पास ढेर सारे चांदी के सिक्के हैं।

ब. राहुल के पास ढेर सारा सोना है।

(vi) यदि द्रव्य के भिन्न-भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे-

अ. यहाँ अनेक तरह के लोहे मिलते हैं।

(vii) वचन के रूपान्तरण के नियमों के अन्तर्गत ही अनेक संज्ञा शब्दों के एक से ज्यादा बहुवचन के रूप होते हैं। जैसे-

एकवचन

कथा

बात

लड़का

लड़की

वधू

बहुवचन

कथाएँ, कथाओं

बातें, बातों

लड़के, लड़कों

लड़कियाँ, लड़कियों

वधुएँ, वधुओं

----- १ १ १ १ १ १ १ -----

खण्ड - 4

- 24. शब्द रचना की विधियाँ
(उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास)
- 25. उपसर्ग
- 26. प्रत्यय
- 27. सन्धि
- 28. समास

नोट्स (Notes)

शब्द रचना की विधियाँ (उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास)

■ हिन्दी व्याकरण शब्द रचना की चार विधियाँ हैं -

1. उपसर्ग के योग से शब्द रचना
2. प्रत्यय के योग से शब्द रचना
3. संधि द्वारा शब्द रचना
4. समास द्वारा शब्द रचना

1. उपसर्ग के योग से शब्द रचना

ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे- 'बल' एक शब्द है, जिसका अर्थ है-शक्ति। बल के पहले 'निर्' या 'स' लगाने से दो नये शब्द बनते हैं। जैसे-

निर्+बल = निर्बल (जिसका अर्थ है बलहीन)

स+बल = सबल (जिसका अर्थ है बलवान)

2. प्रत्यय के योग से शब्द रचना

प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्णसमूह को कहते हैं जो शब्द या धातु (क्रिया) के अंत में जोड़े जाने पर नये सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे-

'भला' में 'आई' प्रत्यय जोड़ने पर नया शब्द 'भलाई' का निर्माण हुआ।

3. संधि द्वारा शब्द रचना

दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि (प्रथम) वर्ण का मेल होता है। जैसे-

देव + आलय = देवालय

जगत् + नाथ = जगन्नाथ

मनः + योग = मनोयोग

स्व + अर्थी = स्वार्थी

मेघ + आलय = मेघालय

संधि विच्छेद - संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे-

परीक्षार्थी = परीक्षा + अर्थी

अस्ताचल = अस्त + अचल

सूर्यास्त = सूर्य + अस्त

विद्यालय = विद्या + आलय

सत्याग्रह = सत्य + आग्रह

गणेश = गण + ईश

4. समास द्वारा शब्द रचना

दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नये सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे-

प्रतिदिन = प्रत्येक दिन

यशप्राप्त = यश को प्राप्त

चरणकमल = कमल के समान चरण

चौराहा = चार राहों का समूह

पाप-पुण्य = पाप और पुण्य

लंबोदर = लंबा है उदर जिनका अर्थात् गणेश

सामासिक पद - समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे-

प्रतिदिन, यशप्राप्त, चरणकमल, चौराहा, पाप-पुण्य, लंबोदर

उपसर्ग

परिभाषा - ऐसे शब्दांश जो किसी अन्य शब्द के पहले जुड़कर नया सार्थक शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे- 'बल' एक शब्द है, जिसका अर्थ है- शक्ति। बल के पहले 'निर्' या 'स' लगाने से दो नये शब्द बनते हैं-

निर्+बल = निर्बल (जिसका अर्थ है बलहीन)

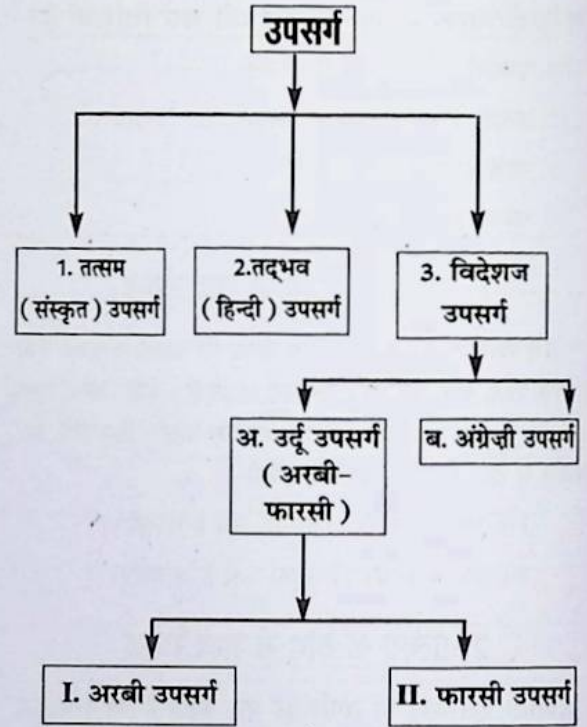
स+बल = सबल (जिसका अर्थ है बलवान)

उपसर्ग किसी शब्द के साथ जुड़कर अधोलिखित कार्य करते हैं-

1. शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता ला देते हैं; जैसे- गमन=जाना। उसमें 'अनु' उपसर्ग लगाने पर 'अनुगमन' बना, जिसका अर्थ है-पीछे चलना। यह अर्थ में नवीनता का उदाहरण है।
2. शब्द के मूल अर्थ को उल्टा कर देते हैं जैसे - मेल=मिलना। 'अन' उपसर्ग लगाने पर अनमेल = न मिलना। यह मूल शब्द के अर्थ का उल्टा होने का उदाहरण है।
3. शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता। जैसे- पुत्र, उसमें 'सु' उपसर्ग लगाने पर- सुपुत्र। दोनों का अर्थ एक ही है।

हिन्दी में तीन प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं

1. तत्सम (संस्कृत) उपसर्ग- संस्कृत भाषा से उत्पन्न उपसर्ग को तत्सम (संस्कृत) उपसर्ग कहते हैं।
2. तद्भव (हिन्दी) उपसर्ग - हिन्दी भाषा से उत्पन्न उपसर्ग को तद्भव (हिन्दी) उपसर्ग कहते हैं।
3. विदेशज उपसर्ग- विदेशी भाषाओं से उत्पन्न उपसर्ग को विदेशज उपसर्ग कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त विदेशज उपसर्ग को दो भागों में बांटा गया है- उर्दू उपसर्ग (अरबी-फारसी) एवं अंग्रेजी उपसर्ग।



1. तत्सम (संस्कृत) उपसर्ग

● **अति**- इसका प्रयोग बहुत अधिक, ऊपर, परे का भाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे-

अत्यंत	=	अति + अंत
अत्यधिक	=	अति + अधिक
अत्यल्प	=	अति + अल्प
अत्याचार	=	अति + आचार
अत्याधुनिक	=	अति + आधुनिक
अतींद्रिय	=	अति + इंद्रिय
अतीत	=	अति + इत
अतीव	=	अति + इव
अत्युक्ति	=	अति + उक्ति
अत्युत्तम	=	अति + उत्तम
अतिप्राचीन	=	अति + प्राचीन
अतिरिक्त	=	अति + रिक्त

● अधि- इसका प्रयोग प्रायः ऊँचे या श्रेष्ठ, प्रधान या मुख्य, अधिक के लिए होता है। जैसे-

अध्ययन	=	अधि + अयन
अध्यक्ष	=	अधि + अक्ष
अध्यात्म	=	अधि + आत्म
अध्यादेश	=	अधि + आदेश
अधीन	=	अधि + इन
अधीश	=	अधि + ईश
अधीक्षण	=	अधि + ईक्षण
अधिकरण	=	अधि + करण
अधिकार	=	अधि + कार
अधिनायक	=	अधि + नायक
अधिपति	=	अधि + पति
अधिवक्ता	=	अधि + वक्ता
अधिशुल्क	=	अधि + शुल्क

● अनु- इसका प्रयोग प्रायः पीछे, बाद में, समानता के लिए होता है। जैसे-

अन्वेषण	=	अनु + एषण
अनुकरण	=	अनु + करण
अनुकूल	=	अनु + कूल
अनुगमन	=	अनु + गमन
अनुचर	=	अनु + चर
अनुच्छेद	=	अनु + छेद
अनुज	=	अनु + ज
अनुभव	=	अनु + भव
अनुमान	=	अनु + मान
अनुराग	=	अनु + राग
अनुरूप	=	अनु + रूप
अनुरोध	=	अनु + रोध
अनुवाद	=	अनु + वाद
अनुशासन	=	अनु + शासन
अनुसार	=	अनु + सार

● अप- इसका प्रयोग प्रायः अनुचित या बुरे, विकार, विरुद्ध, अभाव, हीनता के अर्थ में होता है। जैसे-

अपेक्षा	=	अप + ईक्षा
अपकार	=	अप + कार
अपकीर्ति	=	अप + कीर्ति
अपमान	=	अप + मान
अपयश	=	अप + यश
अपवाद	=	अप + वाद
अपव्यय	=	अप + व्यय
अपशब्द	=	अप + शब्द
अपहरण	=	अप + हरण

● अभि- इसका प्रयोग प्रायः सामने, चारों ओर, कुशल, अच्छी तरह दिखाने के लिए होता है। जैसे-

अभ्यर्थी	=	अभि + अर्थी
अभ्यागत	=	अभि + आगत
अभ्यास	=	अभि + आस
अभीष्ट	=	अभि + इष्ट
अभिनय	=	अभि + नय
अभिनव	=	अभि + नव
अभिप्राय	=	अभि + प्राय
अभिभाषण	=	अभि + भाषण
अभिमान	=	अभि + मान
अभिमुख	=	अभि + मुख
अभियान	=	अभि + यान
अभियोग	=	अभि + योग
अभिरक्षा	=	अभि + रक्षा
अभिशाप	=	अभि + शाप
अभिज्ञान	=	अभि + ज्ञान

● अव- इसका प्रयोग प्रायः हीनता, अनादर, पतन, बुरा के लिए होता है। जैसे-

अवगत	=	अव + गत
अवगुण	=	अव + गुण
अवचेतन	=	अव + चेतन
अवतरण	=	अव + तरण

के लिए होता है। जैसे-

अवनति	=	अव + नति
अवमूल्यन	=	अव + मूल्यन
अवशेष	=	अव + शेष

● आ- इसका प्रयोग तक, समेत, ओर आदि अर्थों के लिए होता है। जैसे-

आकंट	=	आ + कंट
आकर्षण	=	आ + कर्षण
आक्रमण	=	आ + क्रमण
आगमन	=	आ + गमन
आचरण	=	आ + चरण
आजन्म	=	आ + जन्म
आजीवन	=	आ + जीवन
आदान	=	आ + दान
आनंद	=	आ + नंद
आमरण	=	आ + मरण
आरक्षण	=	आ + रक्षण

● उत्/उद् - इसका प्रयोग ऊँचा, ऊपर, उत्कर्ष के अर्थ में होता है। जैसे-

उत्कर्ष	=	उत् + कर्ष
उड्डयन	=	उत् + डयन
उत्तम	=	उत् + तम
उत्थान	=	उत् + थान
उन्नति	=	उत् + नति
उन्नयन	=	उत् + नयन
उन्नायक	=	उत् + नायक
उल्लंघन	=	उत् + लंघन
उल्लास	=	उत् + लास
उल्लेख	=	उत् + लेख
उच्छ्वास	=	उत् + श्वास
उद्गम	=	उद् + गम
उद्घाटन	=	उद् + घाटन
उद्योग	=	उद् + योग

● उप- इसका प्रयोग निकट, गौण, समीप, सहायक, छोटा

उपांग	=	उप + अंग
उपाधि	=	उप + आधि
उपासना	=	उप + आसना
उपेक्षा	=	उप + ईक्षा
उपकृत	=	उप + कृत
उपग्रह	=	उप + ग्रह
उपचार	=	उप + चार
उपदेश	=	उप + देश
उपनगर	=	उप + नगर
उपनाम	=	उप + नाम
उपप्रधानाचार्य	=	उप + प्रधानाचार्य
उपभेद	=	उप + भेद
उपमंत्री	=	उप + मंत्री
उपयोग	=	उप + योग
उपवन	=	उप + वन
उपसंहार	=	उप + संहार

● दुस्/दुर- इसका प्रयोग बुरा, कठिन, दुष्ट के अर्थ में होता है। जैसे-

दुराचार	=	दुर + आचार
दुर्गति	=	दुर + गति
दुर्गुण	=	दुर + गुण
दुर्घटना	=	दुर + घटना
दुर्दशा	=	दुर + दशा
दुर्दिन	=	दुर + दिन
दुर्बल	=	दुर + बल
दुर्भाग्य	=	दुर + भाग्य
दुर्लभ	=	दुर + लभ
दुर्वासा	=	दुर + वासा
दुष्कर	=	दुस् + कर
दुस्साध्य	=	दुस् + साध्य
दुस्साहस	=	दुस् + साहस

● नि- इसका प्रयोग निषेध, आदेश, भीतर, अत्यंत के अर्थ में

होता है। जैसे-

न्याय	=	नि + आय
न्यास	=	नि + आस
निकष	=	नि + कष
निदान	=	नि + दान
निबंध	=	नि + बंध
नियम	=	नि + यम
नियोग	=	नि + योग
निवारण	=	नि + वारण
निवास	=	नि + वास

● निस्/निर्- इसका प्रयोग रहित, निषेध, बाहर के अर्थ में होता है। जैसे-

निरपराध	=	निर् + अपराध
निरादर	=	निर् + आदर
निराशा	=	निर् + आशा
निर्गुण	=	निर् + गुण
निर्जन	=	निर् + जन
निर्जीव	=	निर् + जीव
निर्दोष	=	निर् + दोष
निर्धन	=	निर् + धन
निर्भय	=	निर् + भय
निर्मल	=	निर् + मल
निर्विकार	=	निर् + विकार
निर्विघ्न	=	निर् + विघ्न
निस्तेज	=	निस् + तेज
निस्संकोच	=	निस् + संकोच
निस्संदेह	=	निस् + संदेह

● परा- इसका प्रयोग विपरीत, उलटा, अनादार के अर्थ में होता है। जैसे-

परकाष्ठा	=	परा + काष्ठा
परक्रम	=	परा + क्रम
परजय	=	परा + जय

पराभव = परा + भव

● परि- इसका प्रयोग चारों ओर, पूर्ण, आसपास के अर्थ में होता है। जैसे-

पर्यटन	=	परि + अटन
पर्यवेक्षक	=	परि + अवेक्षक
परीक्षा	=	परि + ईक्षा
परिकल्पना	=	परि + कल्पना
परिक्रमा	=	परि + क्रमा
परिचालक	=	परि + चालक
परिजन	=	परि + जन
परिणय	=	परि + नय
परिपूर्ण	=	परि + पूर्ण
परिवर्तन	=	परि + वर्तन

● प्र- इसका प्रयोग बहुत, विशेष, आगे के अर्थ में होता है। जैसे-

प्राध्यापक	=	प्र + अध्यापक
प्राचार्य	=	प्र + आचार्य
प्रेषक	=	प्र + ईषक
प्रकृति	=	प्र + कृति
प्रक्रिया	=	प्र + क्रिया
प्रख्यात	=	प्र + ख्यात
प्रगति	=	प्र + गति
प्रचार	=	प्र + चार
प्रताप	=	प्र + ताप
प्रबंध	=	प्र + बंध
प्रबल	=	प्र + बल
प्रभार	=	प्र + भार
प्रयत्न	=	प्र + यत्न
प्रसिद्धि	=	प्र + सिद्धि
प्रस्थान	=	प्र + स्थान

● प्रति- इसका प्रयोग हर एक, विरोध, बराबरी, विपरीत के लिए होता है। जैसे-

प्रत्यक्ष	=	प्रति + अक्ष
प्रत्युत्तर	=	प्रति + उत्तर
प्रत्युपकार	=	प्रति + उपकार
प्रत्येक	=	प्रति + एक
प्रतिध्वनि	=	प्रति + ध्वनि
प्रतिनियुक्ति	=	प्रति + नियुक्ति
प्रतिवादी	=	प्रति + वादी
प्रतिहिंसा	=	प्रति + हिंसा
प्रतिक्षण	=	प्रति + क्षण

● वि- इसका प्रयोग विशेषता, भिन्नता, विपरीत को दिखाने के लिए होता है। जैसे-

विक्रय	=	वि + क्रय
विचलित	=	वि + चलित
विजय	=	वि + जय
विदेश	=	वि + देश
विनाश	=	वि + नाश
विपथ	=	वि + पथ
विपक्ष	=	वि + पक्ष
विफल	=	वि + फल
विभाग	=	वि + भाग
वियोग	=	वि + योग
विलक्षण	=	वि + लक्षण
विवाद	=	वि + वाद
विशिष्ट	=	वि + शिष्ट
विशुद्ध	=	वि + शुद्ध
विज्ञान	=	वि + ज्ञान

● सम् (सं) - इसका प्रयोग संयोग, पूर्णता के अर्थ में होता है। जैसे-

संकल्प	=	सम् + कल्प
संगति	=	सम् + गति
संगम	=	सम् + गम
संचय	=	सम् + चय

संजय	=	सम् + जय
संताप	=	सम् + ताप
संतुलन	=	सम् + तुलन
संतोष	=	सम् + तोष
संन्यासी	=	सम् + न्यासी
संपूर्ण/सम्पूर्ण	=	सम् + पूर्ण
संभव	=	सम् + भव
सम्मान	=	सम् + मान
सम्मुख	=	सम् + मुख
सम्मेलन	=	सम् + मेलन
संयम	=	सम् + यम
संयोग	=	सम् + योग
संरक्षण	=	सम् + रक्षण
संसाधन	=	सम् + साधन
संहार	=	सम् + हार

● सु- इसका प्रयोग शुभ, सहज, सुन्दर, सुखी, अच्छा भाव के लिए होता है। जैसे-

स्वच्छ	=	सु + अच्छ
स्वागत	=	सु + आगत
सुगम	=	सु + गम
सुदूर	=	सु + दूर
सुनयन	=	सु + नयन
सुतीक्ष्ण	=	सु + तीक्ष्ण
सुपथ	=	सु + पथ
सुपात्र	=	सु + पात्र
सुपुत्र	=	सु + पुत्र
सुफल	=	सु + फल
सुबोध	=	सु + बोध
सुयोग	=	सु + योग
सुव्यवस्थित	=	सु + व्यवस्थित
सुशिक्षित	=	सु + शिक्षित
सुशील	=	सु + शील

उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय

संस्कृत के कई शब्द और शब्दांश समास के प्रथम पद के रूप में प्रयोग होते थे। अत्यधिक प्रचलन के कारण शनैः-

शनैः इनका प्रयोग उपसर्ग के रूप में होने लगा।

● अंतः/अंतर्- भीतर के अर्थ में। जैसे-

अंतःकरण	=	अंतः + करण
अंतःपुर	=	अंतः + पुर
अंतरात्मा	=	अंतर् + आत्मा
अंतर्रातीय	=	अंतर् + जातीय
अंतर्दशा	=	अंतर् + दशा
अंतर्देशीय	=	अंतर् + देशीय
अंतर्धान	=	अंतर् + धान
अंतर्मन	=	अंतर् + मन
अंतर्मुखी	=	अंतर् + मुखी
अंतर्यामी	=	अंतर् + यामी
अंतर्राष्ट्रीय	=	अंतर् + राष्ट्रीय

● अ- अभाव के अर्थ में। जैसे-

अकाल	=	अ + काल
अगम्य	=	अ + गम्य
अचर	=	अ + चर
अधर्म	=	अ + धर्म
अन्याय	=	अ + न्याय
अभाव	=	अ + भाव
अशुद्ध	=	अ + शुद्ध
असाध्य	=	अ + साध्य
असुंदर	=	अ + सुंदर
अहिंसा	=	अ + हिंसा
अज्ञान	=	अ + ज्ञान

● अघः- नीचे के अर्थ में। जैसे-

अधोगति	=	अधः + गति
अधोघात	=	अधः + घात
अधोजल	=	अधः + जल

अधःपतन	=	अधः + पतन
अधःफलित	=	अधः + फलित
अधोमुखी	=	अधः + मुखी
अधोलिखित	=	अधः + लिखित

● अनु- अभाव के अर्थ में। जैसे-

अनंत	=	अन् + अंत
अनधिकार	=	अन् + अधिकार
अनर्थ	=	अन् + अर्थ
अनागत	=	अन् + आगत
अनाचार	=	अन् + आचार
अनादि	=	अन् + आदि
अनायास	=	अन् + आयास
अनिच्छा	=	अन् + इच्छा
अनुचित	=	अन् + उचित
अनुपम	=	अन् + उपम
अनेक	=	अन् + एक

● अलम्- सजा हुआ के अर्थ में। जैसे-

अलंकरण	=	अलम् + करण
अलंकार	=	अलम् + कार

● कु- बुरे के अर्थ में। जैसे-

कुकर्म	=	कु + कर्म
कुकृत्य	=	कु + कृत्य
कुख्यात	=	कु + ख्यात
कुपात्र	=	कु + पात्र
कुपुत्र	=	कु + पुत्र
कुमति	=	कु + मति
कुयोग	=	कु + योग
कुरूप	=	कु + रूप

● चिर- बहुत देर के अर्थ में। जैसे-

चिरायु	=	चिर + आयु
चिरकाल	=	चिर + काल
चिरकुमार	=	चिर + कुमार

चिरजीवी	=	चिर + जीवी
चिरपरिचित	=	चिर + परिचित
चिरस्थायी	=	चिर + स्थायी

● तिर- तुच्छ के अर्थ में। जैसे-

तिरस्कार	=	तिरः + कार
तिरोभाव	=	तिरः + भाव
तिरोहित	=	तिरः + हित

● पर- दूसरा के अर्थ में। जैसे-

पराधीन	=	पर + अधीन
परदेश	=	पर + देश
परलोक	=	पर + लोक

● पुनर्- फिर के अर्थ में। जैसे-

पुनरागमन	=	पुनर् + आगमन
पुनरुत्थान	=	पुनर् + उत्थान
पुनर्जन्म	=	पुनर् + जन्म
पुनर्जागरण	=	पुनर् + जागरण
पुनर्निर्माण	=	पुनर् + निर्माण
पुनर्मिलन	=	पुनर् + मिलन
पुनर्विवाह	=	पुनर् + विवाह

● पुरः- सामने के अर्थ में। जैसे-

पुरस्कार	=	पुरः+ कार
----------	---	-----------

● पुरा- पहले के अर्थ में। जैसे-

पुराकाल	=	पुरा + काल
पुरातत्व	=	पुरा + तत्व
पुरातन	=	पुरा + तन

● प्राक्- पहले के अर्थ में। जैसे-

प्रागैतिहासिक	=	प्राक् + ऐतिहासिक
प्राक्कथन	=	प्राक् + कथन
प्राग्वैदिक	=	प्राक् + वैदिक

● प्रादुर्- प्रकट होना के अर्थ में। जैसे-

प्रादुर्भाव	=	प्रादुर् + भाव
प्रादुर्भूत	=	प्रादुर् + भूत

● बहिर्- बाहर के अर्थ में। जैसे-

बहिरंग	=	बहिर् + अंग
बहिर्गमन	=	बहिर् + गमन
बहिर्मुखी	=	बहिर् + मुखी

● सत्- अच्छा के अर्थ में। जैसे-

सदाचार	=	सत् + आचार
सद्गति	=	सत् + गति

● सम- बराबर के अर्थ में। जैसे-

समकालिक	=	सम + कालिक
समकालीन	=	सम + कालीन
समकोण	=	सम + कोण

● सह- साथ के अर्थ में। जैसे-

सहकारिता	=	सह + कारिता
सहगान	=	सह + गान
सहचर	=	सह + चर
सहपाठी	=	सह + पाठी
सहमति	=	सह + मति

● स्व- अपना के अर्थ में। जैसे-

स्वचालित	=	स्व + चालित
स्वजन	=	स्व + जन
स्वतंत्र	=	स्व + तंत्र
स्वदेश	=	स्व + देश
स्वराज्य	=	स्व + राज्य

2. तद्भव (हिन्दी) उपसर्ग

● अ- अभाव, निषेध के अर्थ में। जैसे-

अछूत	=	अ + छूत
अटल	=	अ + टल

अन्य शब्द- अथाह, अपढ़, अभागा, अमर, अमोल, अलग, अज्ञान।

● अध- आधा के अर्थ में। जैसे-

अधखिला	=	अध + खिला
--------	---	-----------

अधपका = अध + पका

अन्य शब्द- अधकचरा, अधखाया, अधगला, अधजला, अधनंगा, अधपचा, अधबीच, अधमरा, अधसेरा, ।

● अन- निषेध, अभाव के अर्थ में। जैसे-

अनजान = अन + जान

अनहोनी = अन + होनी

अन्य शब्द- अनकहा, अनदेखी, अनपढ़, अनबन, अनबोला, अनमना, अनमेल, अनमोल, अनसुनी, ।

● उन- एक कम के अर्थ में। जैसे-

उनतीस = उन + तीस

उनसठ = उन + साठ

अन्य शब्द- उन्नीस, उन्तालिस, उनचास।

● औ/अव- हीन, बुरा के अर्थ में। जैसे-

अवगुण = अव + गुण

औगुण = औ + गुण

अन्य शब्द- अवतार, औगुन, औघट, औढर, औसर।

● क/कु- बुरा के अर्थ में। जैसे-

कपूत = क + पूत

कुपूत = कु + पूत

कुचक्र = कु + चक्र

कुचाल = कु + चाल

कुटेव = कु + टेव

कुढंग = कु + ढंग

● चौ- चार के अर्थ में। जैसे-

चौमासा = चौ + मासा

चौराहा = चौ + राहा

अन्य शब्द- चौकोर, चौखट, चौतरफा, चौपाई, चौपाया, चौमुखा।

● दु- कम के अर्थ में। जैसे-

दुकाल = दु + काल

दुबला = दु + बला

● नि- निषेध, अभाव, रहित के अर्थ में। जैसे-

निडर = नि + डर

निपट = नि + पट

निपूता = नि + पूता

अन्य शब्द- निकम्मा, निगोड़ा, निठल्ला, निधड़क, निहत्था।

● पर- दूसरी पीढ़ी के अर्थ में। जैसे-

परदादा = पर + दादा

परनाना = पर + नाना

परपोता = पर + पोता

● बिन- रहित के अर्थ में। जैसे-

बिनखाया = बिन + खाया

बिनबात = बिन + बात

बिनब्याहा = बिन + ब्याहा

बिनमाँगा = बिन + माँगा

● भर- भरा हुआ के अर्थ में। जैसे-

भरपूर = भर + पूर

भरपेट = भर + पेट

भरमार = भर + मार

भरसक = भर + सक

● स/सु- सहित, अच्छा के अर्थ में। जैसे-

सपूत = स + पूत

सहित = स + हित

अन्य शब्द- सकाम, सचेत, सुकन्या, सुघड़, सुजान, सुडौल, सुफल

3. विदेशज उपसर्ग

हिन्दी भाषा में प्रयुक्त विदेशज उपसर्ग को दो भागों में बांटा गया है- (अ) उर्दू उपसर्ग एवं (ब) अंग्रेज़ी उपसर्ग

(अ) उर्दू उपसर्ग- उर्दू भाषा में प्रयुक्त प्रत्यय जिसे हिन्दी भाषा में स्वीकार किया है, मूलतः दो भाषाओं से आया है-

I. अरबी II. फारसी

(ब) अंग्रेज़ी उपसर्ग- अंग्रेज़ी भाषा के वे उपसर्ग जिसे हिन्दी भाषा में स्वीकार किया गया है, अंग्रेज़ी उपसर्ग कहे जाते हैं।

I. अरबी उपसर्ग-

● अल- निश्चित के अर्थ में। जैसे-

अलगरज	=	अल + गरज
अलबत्ता	=	अल + बत्ता
अलमस्त	=	अल + मस्त

● ऐन- ठीक, पूरा के अर्थ में। जैसे-

ऐनजवानी	=	ऐन + जवानी
ऐनमौका	=	ऐन + मौका
ऐनवक्त	=	ऐन + वक्त

● गैर- भिन्न के अर्थ में। जैसे-

गैरकानूनी	=	गैर + कानूनी
गैरमुल्क	=	गैर + मुल्क
गैरवाजिब	=	गैर + वाजिब
गैरसरकारी	=	गैर + सरकारी
गैरहाजिर	=	गैर + हाजिर

● फ़ी- प्रत्येक के अर्थ में। जैसे-

फ़ीसदी	=	फ़ी + सदी
--------	---	-----------

● बिल- साथ के अर्थ में। जैसे-

बिलकुल	=	बिल + कुल
--------	---	-----------

● ला- बिना के अर्थ में। जैसे-

लाइलाज	=	ला + इलाज
लाचार	=	ला + चार
लाजवाब	=	ला + जवाब
लापता	=	ला + पता
लापरवाह	=	ला + परवाह
लावारिस	=	ला + वारिस

● बिला- बिना के अर्थ में। जैसे-

बिलाकुसूर	=	बिला + कुसूर
बिलादिमा	=	बिला + दिमा

II. फारसी उपसर्ग-

● कम- थोड़ा, हीन के अर्थ में। जैसे-

कमउम्र	=	कम + उम्र
कमक्रीमती	=	कम + क्रीमती

कमजोर = कम + जोर

कमबख़्त = कम + बख़्त

● ख़ुश- अच्छा के अर्थ में। जैसे-

ख़ुशकिस्मत	=	ख़ुश + किस्मत
ख़ुशख़बरी	=	ख़ुश + ख़बरी
ख़ुशदिल	=	ख़ुश + दिल
ख़ुशबू	=	ख़ुश + बू
ख़ुशहाल	=	ख़ुश + हाल

● दर- में के अर्थ में। जैसे-

दरकार	=	दर + कार
दरकिनार	=	दर + किनार
दरमियान	=	दर + मियान

● ना- अभाव के अर्थ में। जैसे-

नादान	=	ना + दान
नापसंद	=	ना + पसंद
नामुमकिन	=	ना + मुमकिन
नाराज़	=	ना + राज़
नालायक	=	ना + लायक

● ब- ओर में, अनुसार के अर्थ में। जैसे-

बगैर	=	ब + गैर
बदस्तूर	=	ब + दस्तूर
बदौलत	=	ब + दौलत
बनाम	=	ब + नाम

● बद- बुरा के अर्थ में। जैसे-

बदकिस्मत	=	बद + किस्मत
बदनसीब	=	बद + नसीब
बदनाम	=	बद + नाम
बदबू	=	बद + बू
बदमाश	=	बद + माश
बदमिज़ाज	=	बद + मिज़ाज
बदहज़मी	=	बद + हज़मी

● बर- ऊपर, पर, बाहर के अर्थ में। जैसे-

बरखास्त	=	बर + खास्त
बरदास्त	=	बर + दास्त

● बा- साथ के अर्थ में। जैसे-

बाअदब	=	बा + अदब
बाइज्जत	=	बा + इज्जत
बाक्रायदा	=	बा + कायदा
बाखूबी	=	बा + खूबी

● बे- बिना के अर्थ में। जैसे-

बेइज्जत	=	बे + इज्जत
बेईमान	=	बे + ईमान
बेचारा	=	बे + चारा
बेरहम	=	बे + रहम
बेवकूफ	=	बे + वकूफ

● सर- मुख्य के अर्थ में। जैसे-

सरकार	=	सर + कार
सरताज	=	सर + ताज
सरदार	=	सर + दार
सरपंच	=	सर + पंच
सरहद	=	सर + हद

● हम- साथ, बराबर, समान के अर्थ में। जैसे-

हमउम्र	=	हम + उम्र
हमदर्द	=	हम + दर्द
हमराज	=	हम + राज
हमराह	=	हम + राह
हमसफ़र	=	हम + सफ़र

● हर- प्रत्येक के अर्थ में। जैसे-

हरएक	=	हर + एक
हरतरह	=	हर + तरह

हरदिन	=	हर + दिन
हरबार	=	हर + बार
हरमाह	=	हर + माह
हररोज	=	हर + रोज
हरसाल	=	हर + साल

(ब) अंग्रेजी उपसर्ग-

● सब- अधीन, भीतरी, नीचे, सह के अर्थ में। जैसे-

सबइंस्पेक्टर	=	सब + इंस्पेक्टर
सबकमेटी	=	सब + कमेटी
सबडिवीजन	=	सब + डिवीजन
सबरजिस्ट्रार	=	सब + रजिस्ट्रार

● डिप्टी- सहायक, उप के अर्थ में। जैसे-

डिप्टी-कलेक्टर	=	डिप्टी + कलेक्टर
डिप्टी-रजिस्ट्रार	=	डिप्टी + रजिस्ट्रार

● वाइस- सहायक, उप के अर्थ में। जैसे-

वाइसचांसलर	=	वाइस + चांसलर
वाइसप्रेसीडेंट	=	वाइस + प्रेसीडेंट
वाइसराय	=	वाइस + राय

● जनरल- प्रधान के अर्थ में। जैसे-

जनरलमैनेजर	=	जनरल + मैनेजर
जनरलसेक्रेटरी	=	जनरल + सेक्रेटरी

● चीफ- प्रमुख के अर्थ में। जैसे-

चीफइंजीनियर	=	चीफ + इंजीनियर
चीफमिनिस्टर	=	चीफ + मिनिस्टर
चीफसेक्रेटरी	=	चीफ + सेक्रेटरी

● हेड- प्रमुख, प्रधान के अर्थ में। जैसे-

हेडक्लर्क	=	हेड + क्लर्क
हेडमास्टर	=	हेड + मास्टर

परिभाषा- प्रत्यय ऐसे वर्ण या वर्णसमूह को कहते हैं जो शब्द या धातु (क्रिया) के अंत में जोड़े जाने पर नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे -

शब्द	प्रत्यय	नया सार्थक शब्द
चल + अन =	चलन	
जल + आऊ =	जलाऊ	
पाठ + अक =	पाठक	
बेल + अन =	बेलन	
मेल + आ =	मेला	

- उपसर्ग की भाँति प्रत्यय भी अविकारी शब्दांश हैं। अविकारी होने के कारण प्रत्यय में कोई परिवर्तन भी नहीं होता अर्थात् उपरोक्त उदाहरण में दिए गए प्रत्यय 'आऊ, अन, आ, अक' आदि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यय जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता ला देता है। जैसे- 'मेल' का अर्थ = मिलाप, संयोग, समागम होता है। उसमें 'आ' प्रत्यय लगाने पर 'मेला' बना, जिसका अर्थ उत्सव, देवदर्शन आदि शुभ अवसर पर एकत्र भीड़ से लिया जाता है। यह अर्थ में नवीनता का उदाहरण है।

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं-

(1) कृत् प्रत्यय

(2) तद्धित प्रत्यय

1. कृत् प्रत्यय- जो प्रत्यय क्रिया धातु या मूल क्रिया में अंत में जोड़े जाते हैं, उन्हें 'कृत्' प्रत्यय कहते हैं और उनसे निर्मित शब्द 'कृदन्त' कहे जाते हैं।

जैसे- पढ़+आई = पढ़ाई

1. महत्वपूर्ण 'कृत्' प्रत्यय

धातु	प्रत्यय	कृदन्त
------	---------	--------

● अक-

कस + अक =	कसक
गै + अक =	गायक
घात + अक =	घातक

धातु		प्रत्यय		कृदन्त
जात	+	अक	=	जातक
तार	+	अक	=	तारक
धौ	+	अक	=	धावक
नाश	+	अक	=	नाशक
पाठ	+	अक	=	पाठक
पौ	+	अक	=	पावक
फाट	+	अक	=	फाटक
बैठ	+	अक	=	बैठक
भौ	+	अक	=	भावक
लेख	+	अक	=	लेखक
वाच	+	अक	=	वाचक
विधै	+	अक	=	विधायक
विनै	+	अक	=	विनायक

नोट- गायक, धावक, पावक, भावक, विधायक व विनायक में अयादि स्वर संधि का नियम लागू होता है।

● अक्कड़-

कूद + अक्कड़ =	कुदक्कड़
घूम + अक्कड़ =	घुमक्कड़
बूझ + अक्कड़ =	बुझक्कड़
भूल + अक्कड़ =	भुलक्कड़

● अत-

चल + अत =	चलत
चाह + अत =	चाहत
पढ़ + अत =	पढ़त
बच + अत =	बचत
लिख + अत =	लिखत

● अन-

उलझ + अन =	उलझन
------------	------

धातु	प्रत्यय	कृदन्त
ऐंठ	+ अन =	ऐंठन
खुरच	+ अन =	खुरचन
गै	+ अन =	गायन
घुट	+ अन =	घुटन
चल	+ अन =	चलन
चे	+ अन =	चयन
चुभ	+ अन =	चुभन
झाड़	+ अन =	झाड़न
ने	+ अन =	नयन
पो	+ अन =	पवन
पौ	+ अन =	पावन
फिसल	+ अन =	फिसलन
बंध	+ अन =	बंधन
बेल	+ अन =	बेलन
भो	+ अन =	भवन
मंथ	+ अन =	मंथन
शे	+ अन =	शयन
साध्	+ अन =	साधन
हो	+ अन =	हवन

नोट- गायन, चयन, नयन, पवन, पावन, भवन, शयन और हवन में अयादि स्वर संधि का नियम लागू है।

● अंत-

भीड़	+ अंत =	भिड़ंत
रट	+ अंत =	रटंत

● अनीय-

कथ	+ अनीय =	कथनीय
कर	+ अनीय =	करणीय
ग्रहण	+ अनीय =	ग्रहणीय
पठ	+ अनीय =	पठनीय
मान	+ अनीय =	माननीय

धातु	प्रत्यय	कृदन्त
------	---------	--------

● आ-

घेर	+ आ =	घेरा
जोड़	+ आ =	जोड़ा
झगड़	+ आ =	झगड़ा
झटक	+ आ =	झटका
झूल	+ आ =	झूला
ठेल	+ आ =	ठेला
मेल	+ आ =	मेला

● आई-

चढ़	+ आई =	चढ़ाई
पढ़	+ आई =	पढ़ाई
लड़	+ आई =	लड़ाई
लिख	+ आई =	लिखाई

● आऊ-

धातु	प्रत्यय	कृदन्त
खा	+ आऊ =	खाऊ
चल	+ आऊ =	चलाऊ
जल	+ आऊ =	जलाऊ
टिक	+ आऊ =	टिकाऊ
दिख	+ आऊ =	दिखाऊ
बिक	+ आऊ =	बिकाऊ

● आक-

चाल	+ आक =	चालाक
तैर	+ आक =	तैराक

● आका-

धम	+ आका =	धमाका
धड़	+ आका =	धड़ाका
लड़	+ आका =	लड़ाका

धातु प्रत्यय कृदन्त

● आकू-

पढ़	+	आकू	=	पढ़ाकू
लड़	+	आकू	=	लड़ाकू

● आड़ी-

कबाड़	+	आड़ी	=	कबाड़ी (ड़ विलुप्त)
खेल	+	आड़ी	=	खिलाड़ी (खे→खि)

● आन-

उठ	+	आन	=	उठान
उड़	+	आन	=	उड़ान
मिल	+	आन	=	मिलान
लद	+	आन	=	लदान

● आप-

मिल	+	आप	=	मिलाप
-----	---	----	---	-------

● आव-

खिंच	+	आव	=	खिंचाव
खिच	+	आव	=	खिचाव
घुम	+	आव	=	घुमाव
छिड़क	+	आव	=	छिड़काव
तन	+	आव	=	तनाव
दबा	+	आव	=	दबाव
पड़	+	आव	=	पड़ाव
बच	+	आव	=	बचाव
रख	+	आव	=	रखाव

● आवा-

छल	+	आवा	=	छलावा
दिख	+	आवा	=	दिखावा
बहक	+	आवा	=	बहकावा
बोल	+	आवा	=	बुलावा (बो→वु)
भूल	+	आवा	=	भुलावा (भू→भु)

धातु प्रत्यय कृदन्त

● आवट-

तर	+	आवट	=	तरावट
थक	+	आवट	=	थकावट
दिख	+	आवट	=	दिखावट
रुक	+	आवट	=	रुकावट
लिख	+	आवट	=	लिखावट
सज	+	आवट	=	सजावट

● आहट-

घबरा (ना)	+	आहट	=	घबराहट
चिल्ला (ना)	+	आहट	=	चिल्लाहट

● इत-

कथ	+	इत	=	कथित
याच	+	इत	=	याचित
लिख	+	इत	=	लिखित

● ई-

धमक	+	ई	=	धमकी
बोल	+	ई	=	बोली
रेत	+	ई	=	रेती
हँस	+	ई	=	हँसी

● ऊ-

झाड़	+	ऊ	=	झाड़ू
झेंप	+	ऊ	=	झेंपू

● एरा-

लूट	+	एरा	=	लूटेरा
-----	---	-----	---	--------

● ऐया-

बज	+	ऐया	=	बजैया
रख	+	ऐया	=	रखैया

● औता/औती-

चुन	+	औती	=	चुनौती
-----	---	-----	---	--------

धातु	प्रत्यय	कृदन्त
फिर	+ औती =	फिरौती
समझ	+ औता =	समझौता

● औना-

खेल	+ औना =	खिलौना (खे→खि)
घिन	+ औना =	घिनौना
बिछ	+ औना =	बिछौना

● झ-

अभि	+ झ =	अभिज्ञ
नीति	+ झ =	नीतिज्ञ
मर्म	+ झ =	मर्मज्ञ
विशेष	+ झ =	विशेषज्ञ

● ता-

दा	+ ता =	दाता
ज्ञा	+ ता =	ज्ञाता

● ती-

गिन	+ ती =	गिनती
घट	+ ती =	घटती
चल	+ ती =	चलती
चुभ	+ ती =	चुभती
धर	+ ती =	धरती
भर	+ ती =	भरती

● ना-

ओढ़	+ ना =	ओढ़ना
गा (गै)	+ ना =	गाना
दा	+ ना =	दाना
पाहु	+ ना =	पाहुना

● नी-

उठ	+ नी =	उठनी
ओढ़	+ नी =	ओढ़नी

कर	+ नी =	करनी
चल	+ नी =	चलनी
छँट	+ नी =	छँटनी
भर	+ नी =	भरनी
लेख	+ नी =	लेखनी
सूँघ	+ नी =	सूँघनी

2. तद्धित प्रत्यय- क्रिया के अलावा अन्य शब्द (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय) के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय 'तद्धित' कहे जाते हैं। जैसे 'कुल' में 'ईन' प्रत्यय जोड़कर 'कुलीन' शब्द का निर्माण हुआ।

2. महत्वपूर्ण तद्धित प्रत्यय

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
---------	---------	-----------

● अ-

कुरु	+ अ =	कौरव (अपवाद)
दनु	+ अ =	दानव (द→दा)
पांडु	+ अ =	पांडव (अपवाद)
पुरुष	+ अ =	पौरुष (पु→पौ)
मनु	+ अ =	मानव (अपवाद)
रघु	+ अ =	राघव (अपवाद)
लघु	+ अ =	लाघव (अपवाद)

● अक-

आरण्य	+ अक =	आरण्यक
ठंड	+ अक =	ठंडक
बंध	+ अक =	बंधक
भन	+ अक =	भनक
भोज	+ अक =	भोजक
लच	+ अक =	लचक
लट	+ अक =	लटक
विषय	+ अक =	विषयक

मूलशब्द प्रत्यय तद्धितांत

● अत-

रंग + अत = रंगत

संग + अत = संगत

● आ-

छात्र + आ = छात्रा

ठंड + आ = ठंडा

प्यास + आ = प्यासा

प्रिय + आ = प्रिया

भूख + आ = भूखा

शिष्य + आ = शिष्या

सराफ + आ = सराफा

सुत + आ = सुता

● आइन-

ठाकुर + आइन = ठाकुराइन (ठा→ठ)

पंडित + आइन = पंडिताइन

● आई-

अच्छा + आई = अच्छाई

ऊँचा + आई = ऊँचाई

चतुर + आई = चतुराई

चौड़ा + आई = चौड़ाई

जुदा + आई = जुदाई

ठाकुर + आई = ठाकुराई (ठा→ठ)

पंडित + आई = पंडिताई

बुरा + आई = बुराई

भला + आई = भलाई

लड़ + आई = लड़ाई

साफ + आई = सफाई (सा→स)

● आन-

चौड़ा + आन = चौड़ान

मूलशब्द प्रत्यय तद्धितांत

लंबा + आन = लंबाना

● आना-

घर + आना = घराना

नजर + आना = नजराना

मर्द + आना = मर्दाना

राजपूत + आना = राजपूताना

हर्ज + आना = हर्जाना

● आनी-

इंद्र + आनी = इंद्राणी (न→ण)

देवर + आनी = देवरानी

नौकर + आनी = नौकरानी

सेठ + आनी = सेठानी

● आपा-

बूढ़ा + आपा = बुढ़ापा

मोटा + आपा = मोटापा

● आयत-

पंच + आयत = पंचायत

बहुत + आयत = बहुतायत

लोक + आयत = लोकायत

● आर-

कुम्ह + आर = कुम्हार

गाँव + आर = गाँवार (गाँ→गँ)

लोहा + आर = लोहार

सोना + आर = सोनार

● आल-

ससुर + आल = ससुराल

● आलु-

ईर्ष्या + आलु = ईर्ष्यालु

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
कृपा	+ आलु	= कृपालु
दया	+ आलु	= दयालु

● आस-

मीठा	+ आस	= मिठास
------	------	---------

● आहट-

कड़वा	+ आहट	= कड़वाहट
चिकना	+ आहट	= चिकनाहट

● इ-

इ प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्तर में 'अ' का 'आ' हो जाता है।

दशरथ	+ इ	= दाशरथि
मरुत	+ इ	= मारुति
वाल्मीक	+ इ	= वाल्मीकि
सरथ	+ इ	= सारथि

● इक-

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्वर में 'अ' का 'आ' हो जाता है।

अंचल	+ इक	= आंचलिक
अंतर	+ इक	= आंतरिक
अंश	+ इक	= आंशिक
अध्यात्म	+ इक	= आध्यात्मिक
अनुपात	+ इक	= आनुपातिक
अनुषंग	+ इक	= आनुषंगिक
अपेक्षा	+ इक	= आपेक्षिक
अलंकार	+ इक	= आलंकारिक
आरंभ	+ इक	= आरंभिक
कर्म	+ इक	= कार्मिक
काया	+ इक	= कायिक
करुणा	+ इक	= कारुणिक
कल्पना	+ इक	= काल्पनिक
चरित्र	+ इक	= चारित्रिक

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
तंत्र	+ इक	= तान्त्रिक
धर्म	+ इक	= धार्मिक
न्याय	+ इक	= न्यायिक
परंपरा	+ इक	= पारंपरिक
परलोक	+ इक	= पारलौकिक
परितोष	+ इक	= पारितोषिक
प्रथम	+ इक	= प्राथमिक
प्रमाण	+ इक	= प्रामाणिक
प्रसंग	+ इक	= प्रासंगिक
भाषा	+ इक	= भाषिक
मध्यम	+ इक	= माध्यमिक
मनस्	+ इक	= मानसिक
मर्म	+ इक	= मार्मिक
मास	+ इक	= मासिक
यज्ञ	+ इक	= याज्ञिक
लक्षण	+ इक	= लाक्षणिक
व्यवहार	+ इक	= व्यावहारिक
शरीर	+ इक	= शारीरिक
संघात	+ इक	= सांघातिक
संप्रदाय	+ इक	= सांप्रदायिक
सत्त्व	+ इक	= सात्त्विक
समय	+ इक	= सामयिक
समास	+ इक	= सामासिक
समुदाय	+ इक	= सामुदायिक
समुद्र	+ इक	= सामुद्रिक
सर्वभूमि	+ इक	= सार्वभौमिक (अपवाद)
हृद्	+ इक	= हार्दिक

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्तर में 'इ/ई' का 'ऐ' हो जाता है।

इच्छा	+ इक	= ऐच्छिक
इतिहास	+ इक	= ऐतिहासिक

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
जीव	+ इक	= जैविक
दिन	+ इक	= दैनिक
नीति	+ इक	= नैतिक
विकल्प	+ इक	= वैकल्पिक
विचार	+ इक	= वैचारिक
विधान	+ इक	= वैधानिक
व्यक्ति	+ इक	= वैयक्तिक
विवाह	+ इक	= वैवाहिक
विज्ञान	+ इक	= वैज्ञानिक
शिक्षण	+ इक	= शैक्षणिक
शिक्षा	+ इक	= शैक्षिक
सिद्धांत	+ इक	= सैद्धांतिक
त्रिमास	+ इक	= त्रैमासिक

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्वर में 'ए' का 'ऐ' हो जाता है-

एक	+ इक	= ऐकिक
देव	+ इक	= दैविक
वेतन	+ इक	= वैतनिक
वेद	+ इक	= वैदिक
सेना	+ इक	= सैनिक

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्वर में 'उ/ऊ' का 'औ' हो जाता है।

उद्योग	+ इक	= औद्योगिक
उपचार	+ इक	= औपचारिक
उपनिवेश	+ इक	= औपनिवेशिक
कुटुंब	+ इक	= कौटुंबिक
पुराण	+ इक	= पौराणिक
पुष्ट	+ इक	= पौष्टिक
बुद्धि	+ इक	= बौद्धिक
भूगोल	+ इक	= भौगोलिक
भूत	+ इक	= भौतिक
भूमि	+ इक	= भौमिक
मुख	+ इक	= मौखिक

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
मूल	+ इक	= मौलिक

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्तर में 'ओ' का 'औ' हो जाता है।

योग	+ इक	= यौगिक
लोक	+ इक	= लौकिक

'इक' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्वर में 'ऋ' का 'आर्' हो जाता है।

गृहस्थ	+ इक	= गार्हस्थिक
हृदय	+ इक	= हार्दिक

● इका-

अध्यापक	+ इका	= अध्यापिका (क लुप्त)
पत्र	+ इका	= पत्रिका
बालक	+ इका	= बालिका (क लुप्त)
लता	+ इका	= लतिका
लेखक	+ इका	= लेखिका (क लुप्त)

● इकी-

प्रारंभिक शब्दों में परिवर्तन 'इक' प्रत्यय जैसे-

भूत	+ इकी	= भौतिकी
मानव	+ इकी	= मानविकी
यंत्र	+ इकी	= यांत्रिकी
संख्या	+ इकी	= सांख्यिकी

● इत-

कंटक	+ इत	= कंटकित
कलंक	+ इत	= कलंकित
खंड	+ इत	= खंडित
गठ	+ इत	= गठित
द्रव	+ इत	= द्रवित
पोष	+ इत	= पोषित
फल	+ इत	= फलित
रच	+ इत	= रचित

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
● <u>इन-</u>		
कठ	+ इन	= कठिन
पड़ोस	+ इन	= पड़ोसिन
बाध	+ इन	= बाधिन
मल	+ इन	= मलिन
मालिक	+ इन	= मालकिन (लि→ल)
लुहार	+ इन	= लुहारिन

● <u>इनी-</u>		
कमल	+ इनी	= कमलिनी
भुजंग	+ इनी	= भुजंगिनी
सरोज	+ इनी	= सरोजिनी

● <u>इम-</u>		
अग्र	+ इम	= अग्रिम
पश्च	+ इम	= पश्चिम
रक्त	+ इम	= रक्तितम

● <u>इमा-</u>		
अरुण	+ इमा	= अरुणिमा
पूर्ण	+ इमा	= पूर्णिमा
मधुर	+ इमा	= मधुरिमा
लाल	+ इमा	= लालिमा
हरित	+ इमा	= हरितिमा

● <u>इया-</u>		
कुत्ता	+ इया	= कुतिया (ता→त)
चिड़ा	+ इया	= चिड़िया (ड़ा→ड़)
दुःख	+ इया	= दुखिया
बंदर	+ इया	= बंदरिया
मुख	+ इया	= मुखिया
रस	+ इया	= रसिया

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
● <u>इल-</u>		
कूट	+ इल	= कुटिल (कू→कु)
जटा	+ इल	= जटिल (टा→ट)
धूम	+ इल	= धूमिल
पंक	+ इल	= पंकिल
फेन	+ इल	= फेनिल
स्वप्न	+ इल	= स्वप्निल

● <u>इष्ट-</u>		
कन	+ इष्ट	= कनिष्ठ
घना	+ इष्ट	= घनिष्ठ (ना→न)
बल	+ इष्ट	= बलिष्ठ
वर	+ इष्ट	= वरिष्ठ
स्वाद	+ इष्ट	= स्वादिष्ठ

● <u>ई-</u>		
काका	+ ई	= काकी
खुश	+ ई	= खुशी
खेत	+ ई	= खेती
गर्म	+ ई	= गर्मी
गुलाब	+ ई	= गुलाबी
घोड़ा	+ ई	= घोड़ी
चोर	+ ई	= चोरी
टोकरा	+ ई	= टोकरी
दुःख	+ ई	= दुखी/दुःखी
देव	+ ई	= देवी
देहात	+ ई	= देहाती
दोस्त	+ ई	= दोस्ती
ध्यान	+ ई	= ध्यानी
नम	+ ई	= नमी
नाला	+ ई	= नाली
बेटा	+ ई	= बेटो

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
भेद	+ ई	= भेदी
मंडल	+ ई	= मंडली
महाजन	+ ई	= महाजनी
रस्सा	+ ई	= रस्सी
लाल	+ ई	= लाली
सफेद	+ ई	= सफेदी
सर्द	+ ई	= सर्दी
सुख	+ ई	= सुखी
हठ	+ ई	= हठी
हथौड़ा	+ ई	= हथौड़ी
हिन्द	+ ई	= हिन्दी
ज्ञान	+ ई	= ज्ञानी

● ईन-

कुल	+ ईन	= कुलीन
प्राची	+ ईन	= प्राचीन
शौक	+ ईन	= शौकीन

● ईय-

जाति	+ ईय	= जातीय
भारत	+ ईय	= भारतीय
मानव	+ ईय	= मानवीय
राष्ट्र	+ ईय	= राष्ट्रीय
स्थान	+ ईय	= स्थानीय

● ईला-

रस	+ ईला	= रसीला
जहर	+ ईला	= जहरीला
पत्थर	+ ईला	= पथरीला (त विलुप्त)
पानी	+ ईला	= पनीला (पा→प)
रंग	+ ईला	= रंगीला
हठ	+ ईला	= हठीला

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
---------	---------	-----------

● उक-

इच्छा	+ उक	= इच्छुक (छा→छ)
काम	+ उक	= कामुक
भाव	+ उक	= भावुक
भिक्ष	+ उक	= भिक्षुक

● उवा-

मछ	+ उवा	= मछुवा
काठ	+ उवा	= कठुवा (का→क)

● ऊ-

गँवार	+ ऊ	= गँवारू
ढाल	+ ऊ	= ढालू
पेट	+ ऊ	= पेटू
बाजार	+ ऊ	= बाजारू
मोटा	+ ऊ	= मोटू

● एय-

'एय' प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्तर में 'अ' का 'आ' एवं 'उ' का 'औ' हो जाता है।

अंजनि	+ एय	= आंजनेय
अग्नि	+ एय	= आग्नेय
अतिथि	+ एय	= आतिथेय
अत्रि	+ एय	= आत्रेय
उपमा	+ एय	= उपमेय
कृतिका	+ एय	= कार्तिकेय (अपवाद)
कुंती	+ एय	= कौंतेय
गंगा	+ एय	= गांगेय
पथ	+ एय	= पाथेय
पुरुष	+ एय	= पौरुषेय
भगिनी	+ एय	= भागिनेय
राधा	+ एय	= राधेय

मूलशब्द प्रत्यय तद्धितान्त

● एरा-

‘एरा’ प्रत्यय लगने पर अनेक शब्दों के प्रारंभिक स्तर में ‘आ’ का ‘अ’ हो जाता है।

घास	+	एरा	=	घसेरा
चाचा	+	एरा	=	चचेरा
फूफा	+	एरा	=	फूफेरा
बास	+	एरा	=	बसेरा
मामा	+	एरा	=	ममेरा
मौसा	+	एरा	=	मौसेरा
लाख	+	एरा	=	लखेरा

● ऐला-

कस	+	ऐला	=	कसैला
माटी	+	ऐला	=	मटैला
वन	+	ऐला	=	वनैला
विष	+	ऐला	=	विषैला

● ओला-

‘ओला’ प्रत्यय लगने पर प्रारंभिक स्तर में ‘आ’ का ‘अ’ हो जाता है।

खाट	+	ओला	=	खटोला
बात	+	ओला	=	बतोला
माँझ	+	ओला	=	मँझोला

● ओई-

ननद	+	ओई	=	ननदोई
बहन	+	ओई	=	बहनोई

● औती-

‘औती’ प्रत्यय लगाने पर प्रारंभिक स्तर में ‘आ’ का ‘अ’ हो जाता है।

वाप	+	औती	=	बपौती
काठ	+	औती	=	कठौती

● ऊ-

मूलशब्द प्रत्यय तद्धितान्त

चम	+	क	=	चमक
ढोल	+	क	=	ढोलक
धम	+	क	=	धमक
बैठ	+	क	=	बैठक

● का-

खट	+	का	=	खटका
झट	+	का	=	झटका

● कर-

खास	+	कर	=	खासकर
विशेष	+	कर	=	विशेषकर

● कार-

जय	+	कार	=	जयकार
झन	+	कार	=	झंकार (न→न्)
टन	+	कार	=	टंकार (न→न्)
धिक्	+	कार	=	धिक्कार

● कीय-

नाभि	+	कीय	=	नाभकीय (भि→भ)
राज	+	कीय	=	राजकीय

● गी-

एकबार	+	गी	=	एकबारगी
खान	+	गी	=	खानगी
जिंदा	+	गी	=	जिंदगी (दा→द)
सादा	+	गी	=	सादगी (दा→द)

● ड़ा/ड़ी-

आँत	+	ड़ी	=	आँतड़ी (आँ→अँ)
टूक	+	ड़ा	=	टुकड़ा (टू→टु)
दुःख	+	ड़ा	=	दुःखड़ा
मुख	+	ड़ा	=	मुखड़ा

● ची-

अफीम	+	ची	=	अफीमची
------	---	----	---	--------

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
खजाना	+ ची	= खजानची (ना→न)
नकल	+ ची	= नकलची
बावर	+ ची	= बावरची
मशाल	+ ची	= मशालची

● तन-

अद्य	+ तन	= अद्यतन
नव	+ तन	= नूतन (अपवाद)
प्राक्	+ तन	= प्राक्तन
पुरा	+ तन	= पुरातन

● तर-

कठिन	+ तर	= कठिनतर
दृढ़	+ तर	= दृढ़तर
वृहत्	+ तर	= वृहत्तर

● तम-

उच्च	+ तम	= उच्चतम
तीव्र	+ तम	= तीव्रतम
शीघ्र	+ तम	= शीघ्रतम

● तव्य-

ज्ञा	+ तव्य	= ज्ञातव्य
------	--------	------------

● त्व-

कवि	+ त्व	= कवित्व
गुरु	+ त्व	= गुरुत्व
नेता	+ त्व	= नेतृत्व (अपवाद)
पशु	+ त्व	= पशुत्व
पुरुष	+ त्व	= पुरुषत्व
बंधु	+ त्व	= बंधुत्व
मनुष्य	+ त्व	= मनुष्यत्व
व्यक्ति	+ त्व	= व्यक्तित्व

मूलशब्द	प्रत्यय	तद्धितांत
---------	---------	-----------

● ता-

आवश्यक	+ ता	= आवश्यकता
कवि	+ ता	= कविता
मधुर	+ ता	= मधुरता
मानव	+ ता	= मानवता
लघु	+ ता	= लघुता
विवश	+ ता	= विवशता
शत्रु	+ ता	= शत्रुता
सुंदर	+ ता	= सुंदरता

● दान/दानी-

पान	+ दान	= पानदान
मच्छर	+ दानी	= मच्छरदानी

● दार-

चमक	+ दार	= चमकदार
जमीन	+ दार	= जमींदार (अपवाद)
थाना	+ दार	= थानेदार (ना→ने)
दुकान	+ दार	= दुकानदार
माल	+ दार	= मालदार
समझ	+ दार	= समझदार
हवल	+ दार	= हवलदार
हिस्सा	+ दार	= हिस्सेदार (सा→से)

● पन-

छोटा	+ पन	= छुटपन (अपवाद)
पागल	+ पन	= पागलपन
बच्चा	+ पन	= बचपन (अपवाद)
बाँझ	+ पन	= बाँझपन
भोला	+ पन	= भोलापन
लड़क	+ पन	= लड़कपन

मूलशब्द प्रत्यय तद्धितांत

● पूर्वक-

दृढ़ता + पूर्वक = दृढ़तापूर्वक
विधि + पूर्वक = विधिपूर्वक

● मय-

अन्न + मय = अन्नमय
जल + मय = जलमय
दया + मय = दयामय
मनः + मय = मनोमय (नः→नो)

● मान-

बुद्धि + मान = बुद्धिमान
मूर्ति + मान = मूर्तिमान
शक्ति + मान = शक्तिमान

● य-

अदिति + य = आदित्य
चणक + य = चाणक्य
दिति + य = दैत्य
शंडिल + य = शांडिल्य

● वत्-

पुत्र + वत् = पुत्रवत्
विधि + वत् = विधिवत्

● वाँ-

पाँच + वाँ = पाँचवाँ
दस + वाँ = दसवाँ
बीस + वाँ = बीसवाँ

● वी-

ऊर्जस् + वी = ऊर्जस्वी
तपस् + वी = तपस्वी
तेजस् + वी = तेजस्वी

माया + वी = मायावी
मेधा + वी = मेधावी

● वान-

कोच + वान = कोचवान
गाड़ी + वान = गाड़ीवान
गुण + वान = गुणवान
धन + वान = धनवान

● शः-

क्रम + शः = क्रमशः
कोटि + शः = कोटिशः
शत + शः = शतशः

● शाली-

गौरव + शाली = गौरवशाली
प्रतिभा + शाली = प्रतिभाशाली
शक्ति + शाली = शक्तिशाली

● सा

अच्छा + सा = अच्छा-सा
छोटा + सा = छोटा-सा
दुबला + सा = दुबला-सा
मीठा + सा = मीठा-सा
मोटा + सा = मोटा-सा

● हरा

एक + हरा = इकहरा (ए→इ)
तीन + हरा = तिहरा (अपवाद)
दो + हरा = दुहरा (दो→दु)

● हारा-

लकड़ + हारा = लकड़हारा
पानी + हारा = पनिहारा (अपवाद)

प्रत्यय का आधुनिक वर्गीकरण

प्रत्ययों का 'कृत्' व 'तद्धित' में वर्गीकरण को अनेक भाषाविद् उचित नहीं मानते। क्योंकि हिन्दी में कई प्रत्यय ऐसे हैं जो दोनों में आते हैं अर्थात् धातु में भी जुड़ते हैं और संज्ञा आदि शब्दों में भी जुड़ते हैं। जैसे- 'एरा' प्रत्यय को लें-

लुटना (क्रिया) का धातु रूप 'लुट' में 'एरा' को जोड़ने पर 'लुटेरा' बनता है अतः यहाँ 'एरा' कृत् प्रत्यय हुआ।

चाचा (संज्ञा) में 'एरा' को जोड़ने पर चचेरा बनता है अतः यहाँ 'एरा' तद्धित प्रत्यय हुआ।

इसी तरह

पढ़ + आई (कृत् प्रत्यय) = पढ़ाई

भला + आई (तद्धित प्रत्यय) = भलाई

उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि 'एरा' और 'आई' प्रत्यय 'कृत्' एवं 'तद्धित' दोनों प्रकार के प्रत्यय माने गए हैं।

अस्तु, अनेक भाषाविदों ने इतिहास या स्रोत के आधार पर हिन्दी प्रत्यय को चार वर्गों में विभाजित किया है-

1. तत्सम (संस्कृत) प्रत्यय
2. तद्भव (हिन्दी) प्रत्यय
3. देशज प्रत्यय
4. विदेशज प्रत्यय

1. तत्सम (संस्कृत) प्रत्यय

मूल शब्द/धातु प्रत्यय शब्द

● आस्पद-

घृणा	+	आस्पद	=	घृणास्पद
विवाद	+	आस्पद	=	विवादास्पद
संदेह	+	आस्पद	=	संदेहास्पद

● कर-

दिन	+	कर	=	दिनकर
भयम्	+	कर	=	भयंकर (यम् → यं)
हित	+	कर	=	हितकर

मूल शब्द/धातु प्रत्यय शब्द

● कार-

चित्र	+	कार	=	चित्रकार
पत्र	+	कार	=	पत्रकार
साहित्य	+	कार	=	साहित्यकार
स्वर्ण	+	कार	=	स्वर्णकार

● चर-

उभय	+	चर	=	उभयचर
गो	+	चर	=	गोचर
जल	+	चर	=	जलचर
थल	+	चर	=	थलचर
निशा	+	चर	=	निशाचर

● चित्-

कदा	+	चित्	=	कदाचित्
किम्	+	चित्	=	किंचित्

● ज-

अंबु	+	ज	=	अंबुज
अग्र	+	ज	=	अग्रज
आत्म	+	ज	=	आत्मज
नीर	+	ज	=	नीरज
पयः	+	ज	=	पयोज (अपवाद)

● जा-

आत्म	+	जा	=	आत्मजा
गिरि	+	जा	=	गिरिजा
शैल	+	जा	=	शैलजा

● ज्ञ-

बहु	+	ज्ञ	=	बहुज्ञ
मर्म	+	ज्ञ	=	मर्मज्ञ
सर्व	+	ज्ञ	=	सर्वज्ञ

● तः-

मूल	+	तः	=	मूलतः
विशेष	+	तः	=	विशेषतः
सामान्य	+	तः	=	सामान्यतः

● मती, वती, मान्, वान-

भाग्य	+	वती	=	भाग्यवती
भाग्य	+	वान	=	भाग्यवान
रूप	+	वती	=	रूपवती
श्री	+	मती	=	श्रीमती
श्री	+	मान्	=	श्रीमान्

● ति-

ख्यात	+	ति	=	ख्याति (त का लोप)
तृप्त	+	ति	=	तृप्ति (त का लोप)
दीप्	+	ति	=	दीप्ति
रत	+	ति	=	रति (त का लोप)
शम्	+	ति	=	शांति (अपवाद)

● त्र-

अन्य	+	त्र	=	अन्यत्र
एक	+	त्र	=	एकत्र
सर्व	+	त्र	=	सर्वत्र

● द-

जल	+	द	=	जलद
दुःख	+	द	=	दुःखद/दुखद
प्राण	+	द	=	प्राणद
मान	+	द	=	मानद
सुख	+	द	=	सुखद

● दायी-

आनंद	+	दायी	=	आनंददायी
उत्तर	+	दायी	=	उत्तरदायी
कष्ट	+	दायी	=	कष्टदायी
सुख	+	दायी	=	सुखदायी

● धर-

गिरि	+	धर	=	गिरिधर
चंद्र	+	धर	=	चंद्रधर
चक्र	+	धर	=	चक्रधर

● ल-

पीत	+	ल	=	पीतल
मंजु	+	ल	=	मंजुल
शीत	+	ल	=	शीतल

● मत्-

श्री	+	मत्	=	श्रीमत्
------	---	-----	---	---------

● हर-

कष्ट	+	हर	=	कष्टहर
मनः	+	हर	=	मनोहर (नः→नो)
विघ्न	+	हर	=	विघ्नहर

● स्थ-

कंठ	+	स्थ	=	कंठस्थ
तट	+	स्थ	=	तटस्थ
मध्य	+	स्थ	=	मध्यस्थ
स्व	+	स्थ	=	स्वस्थ

2. तद्भव (हिन्दी) प्रत्यय

● आ-

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
काठफोड़ + आ	=	कठफोड़ा (का→क)
घोड़ी-चढ़ + आ	=	घुड़चढ़ा (अपवाद)

● आड़ी-

आगे	+	आड़ी	=	अगाड़ी (अपवाद)
खेल	+	आड़ी	=	खिलाड़ी (अपवाद)
पीछे	+	आड़ी	=	पिछाड़ी (अपवाद)

● आरा-

निपट	+	आरा	=	निपटारा
------	---	-----	---	---------

● आस-

खट्टा	+	आस	=	खटास (ट विलुप्त)
-------	---	----	---	------------------

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
भड़	+ आस	= भड़ास
मीठा	+ आस	= मिठास (मी→मि)

● आरी-

कोठा	+ आरी	= कोठारी
पूज	+ आरी	= पुजारी (पू→पु)
लोहा	+ आरी	= लुहारी (लो→लु)

● आव-

अलग	+ आव	= अलगाव
खींच	+ आव	= खिंचाव (खीं→खिं)
छिड़क	+ आव	= छिड़काव
झुक	+ आव	= झुकाव
दब	+ आव	= दबाव
पत्थर	+ आव	= पथराव (त् विलुप्त)
बह	+ आव	= बहाव
बिखर	+ आव	= बिखराव
भर	+ आव	= भराव
सूझ	+ आव	= सुझाव (सू→सु)

● इयल-

दाढ़ी	+ इयल	= दड़ियल (अपवाद)
मर	+ इयल	= मरियल
सड़ा	+ इयल	= सड़ियल (अपवाद)

● इया-

आढ़त	+ इया	= आढ़तिया
रस	+ इया	= रसिया
रसोई	+ इया	= रसोइया (ई विलुप्त)

● उआ-

काला	+ उआ	= कलुआ (अपवाद)
गेरू	+ उआ	= गेरुआ (रू→रु)
मनु	+ उआ	= मनुआ

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
---------------	---------	------

● एड़ी

नशा	+ एड़ी	= नशेड़ी (अपवाद)
भाँग	+ एड़ी	= भंगेड़ी (अपवाद)

● एल

ढेक	+ एल	= ढकेल (ढे→ढ)
नाक	+ एल	= नकेल (अपवाद)
फूल	+ एल	= फूलेल

● ऐल-

खपरा	+ ऐल	= खपरैल
गुस्सा	+ ऐल	= गुस्सैल
दाँत	+ ऐल	= दतैल (अपवाद)
रख	+ ऐल	= रखैल

● का/की-

खट	+ का	= खटका
गुट	+ का	= गुटका
छोटा	+ की	= छुटकी (अपवाद)
टप	+ का	= टपका
बड़ा	+ की	= बड़की (ड़ा→ड़)

● ती-

कम	+ ती	= कमती
चल	+ ती	= चलती
ढल	+ ती	= ढलती
पढ़	+ ती	= पढ़ती

● री-

गाँठ	+ री	= गठरी (अपवाद)
छाता	+ री	= छतरी (अपवाद)
बाँस	+ री	= बाँसुरी (स→सु)

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
● वंत-		
कुल	+ वंत	= कुलवंत
दया	+ वंत	= दयावंत
बल	+ वंत	= बलवंत
भगवान	+ वंत	= भगवंत (वान विलुप्त)

● हर-

खंड	+ हर	= खंडहर
नै	+ हर	= नैहर
पी	+ हर	= पीहर

● हार-

तारना	+ हार	= तारनहार (ना→न)
पालना	+ हार	= पालनहार (ना→न)
सिरजना	+ हार	= सिरजनहार (ना→न)
होना	+ हार	= होनहार (ना→न)

● हारा-

चूड़ी	+ हारा	= चुड़िहारा (अपवाद)
पानी	+ हारा	= पनिहारा (अपवाद)
मणि	+ हारा	= मनिहारा (णि→नि)
लकड़ी	+ हारा	= लकड़हारा (ड़ी→ड़)

3. देशज प्रत्यय

● अक्कड़-

पी	+ अक्कड़	= पियक्कड़ (पी-पिय)
बूझ	+ अक्कड़	= बुझक्कड़ (बू-बु)
भूल	+ अक्कड़	= भुलक्कड़ (भू-भु)

● आक-

चाल	+ आक	= चालाक
तैर	+ आक	= तैराक

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
---------------	---------	------

● आटा-

खर्	+ आटा	= खर्आटा
फर्	+ आटा	= फर्आटा
सन्न	+ आटा	= सन्नाटा

4. विदेशज प्रत्यय

विदेशज प्रत्यय मुख्य रूप से अरबी-फारसी से आए हैं। कुछ प्रत्यय अंग्रेजी से भी आए हैं।

अ. अरबी-फारसी से आए हुए प्रत्यय-

● आ-

खर्च	+ आ	= खर्चा
सफेद	+ आ	= सफेदा
हर्ज	+ आ	= हर्जा

● आना-

जुर्म	+ आना	= जुर्माना
नज़र	+ आना	= नज़राना
मर्द	+ आना	= मर्दाना
हर्ज	+ आना	= हर्जाना

● आवर-

जोर	+ आवर	= जोरावर
दिल	+ आवर	= दिलावर

● इंदा-

पर	+ इंदा	= परिंदा
बाश	+ इंदा	= बाशिंदा
शर्म	+ इंदा	= शर्मिंदा

● इश-

आजमा	+ इश	= आजमाइश
पैदा	+ इश	= पैदाइश

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
फ़रमा	+ इश	= फ़रमाइश

● इस्तान-

अफ़ग़ान	+ इस्तान	= अफ़ग़ानिस्तान
क़ब्र	+ इस्तान	= क़ब्रिस्तान

● ईन-

बेहतर	+ ईन	= बेहतरीन
रंग	+ ईन	= रंगीन
संग	+ ईन	= संगीन
हस	+ ईन	= हसीन

● कार-

काश्त	+ कार	= काश्तकार
पेश	+ कार	= पेशकार

● खोर-

आदम	+ खोर	= आदमखोर
जमा	+ खोर	= जमाखोर
मुफ़्त	+ खोर	= मुफ़्तखोर

● गर-

कार	+ गर	= कारीगर (र→री)
जादू	+ गर	= जादूगर
बाजी	+ गर	= बाजीगर

● गार-

काम	+ गार	= कामगार
मदद	+ गार	= मददगार
याद	+ गार	= यादगार
रोज़	+ गार	= रोज़गार

● गाह-

चर	+ गाह	= चरागाह (र→रा)
दर	+ गाह	= दरगाह

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
बंदर	+ गाह	= बंदरगाह
शिकार	+ गाह	= शिकारगाह

● गीर-

उठाई	+ गीर	= उठाईगीर
जहाँ	+ गीर	= जहाँगीर
राह	+ गीर	= राहगीर

● चा, ची-

खजाना	+ ची	= खजानची (ना→न)
तबला	+ ची	= तबलची (ला→ल)
मशाल	+ ची	= मशालची

● जादा-

रईस	+ जादा	= रईसजादा
शाह	+ जादा	= शहजादा (शा→श)
हराम	+ जादा	= हरामजादा

● दान-

इत्र	+ दान	= इत्रदान
क्रद्र	+ दान	= क्रद्रदान
रोशन	+ दान	= रोशनदान

● नवीस-

अर्जी	+ नवीस	= अर्जीनवीस
नक्शा	+ नवीस	= नक्शानवीस

● नशीन-

गद्दी	+ नशीन	= गद्दीनशीन
परदा	+ नशीन	= परदानशीन

● नाक-

खतरा	+ नाक	= खतरनाक (रा→र)
खौफ़	+ नाक	= खौफ़नाक
दर्द	+ नाक	= दर्दनाक

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
शर्म	+ नाक	= शर्मनाक

● नामा-

मुख्तार	+ नामा	= मुख्तारनामा
सुलह	+ नामा	= सुलहनामा
हलफ़	+ नामा	= हलफ़नामा

● पोश-

नकाब	+ पोश	= नकाबपोश
सफ़ेद	+ पोश	= सफ़ेदपोश

● बंद-

क़लम	+ बंद	= क़लमबंद
बाजू	+ बंद	= बाजूबंद
बिस्तार	+ बंद	= बिस्तारबंद
मोहर	+ बंद	= मोहरबंद

● बाज़-

अड़ंगा	+ बाज़	= अड़ंगेबाज़ (गा→गे)
कबूतर	+ बाज़	= कबूतरबाज़
चाल	+ बाज़	= चालबाज़
दगा	+ बाज़	= दगाबाज़

● बान-

गिरह	+ बान	= गिरहबान
दर	+ बान	= दरबान
मेज़	+ बान	= मेज़बान
मेहर	+ बान	= मेहरबान

● मंद-

अक्ल	+ मंद	= अक्लमंद
दौलत	+ मंद	= दौलतमंद
फ़ायदा	+ मंद	= फ़ायदेमंद (दा→दे)
सेहत	+ मंद	= सेहतमंद

● सार-

एक	+ सार	= इकसार (ए→इ)
----	-------	---------------

मूल शब्द/धातु	प्रत्यय	शब्द
मिलन	+ सार	= मिलनसार
शर्म	+ सार	= शर्मसार

ब. अंग्रेजी प्रत्यय-

● इज्म-

गांधी	+ इज्म	= गांधीज्म
मार्क्स	+ इज्म	= मार्क्सज्म
सोशल	+ इज्म	= सोशलज्म

● इस्ट-

मार्क्स	+ इस्ट	= मार्क्सिस्ट
सोशल	+ इस्ट	= सोशलिस्ट

स्त्री प्रत्यय

जो शब्दांश पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर उन्हें स्त्रीलिंग बना देते हैं, उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय का कोई प्रकार नहीं है बल्कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए उसमें जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं जो सभी प्रकार के प्रत्ययों (तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज) में मिलते हैं।

पुल्लिंग शब्द + प्रत्यय = स्त्रीलिंग शब्द

● आ-

छात्र	+ आ	= छात्रा
प्रिय	+ आ	= प्रिया
शिष्य	+ आ	= शिष्या
सुत	+ आ	= सुता

● आइन-

ठाकुर	+ आइन	= ठाकुराइन (ठा→ठ)
पंडित	+ आइन	= पंडिताइन

● आनी-

इंद्र	+ आनी	= इंद्राणी (न→ण)
देवर	+ आनी	= देवरानी

पुल्लिङ्ग शब्द + प्रत्यय = स्त्रीलिङ्ग शब्द

नौकर + आनी = नौकरानी

सेठ + आनी = सेठानी

● इका-

अध्यापक + इका = अध्यापिका

लेखक + इका = लेखिका

● इन-

पड़ोस + इन = पड़ोसिन

बाघ + इन = बाघिन

मालिक + इन = मालकिन (लि→ल)

माली + इन = मालिन (ली→लि)

लुहार + इन = लुहारिन

● इनी-

कमल + इनी = कमलिनी

भुजंग + इनी = भुजंगिनी

यक्ष + इनी = यक्षिणी (न→ण)

सरोज + इनी = सरोजिनी

● इया-

कुत्ता + इया = कुतिया (ता→त)

चिड़ा + इया = चिड़िया (ड़ा→ड़)

बंदर + इया = बंदरिया

● ई-

काका + ई = काकी

घोड़ा + ई = घोड़ी

देव + ई = देवी

पुत्र + ई = पुत्री

बेटा + ई = बेटी

पुल्लिङ्ग शब्द + प्रत्यय = स्त्रीलिङ्ग शब्द

● ओई-

कन + ओई = कनोई

रस + ओई = रसोई

● नी-

नट + नी = नटनी

पति + नी = पत्नी (ति→त्)

मोर + नी = मोरनी

शेर + नी = शेरनी

विद्यार्थियों की सुविधा हेतु कुछ शब्द दिए जा रहे हैं जिसमें मूलशब्द और प्रत्यय को अलग-अलग करके

दिखाया गया है

शब्द	मूलशब्द	प्रत्यय
कठौती	कठौता	ई
कवित्व	कवि	त्व
कीमती	कीमत	ई
खराबी	खराब	ई
गरीबी	गरीब	ई
गुरुत्व	गुरु	त्व
घटिया	घट	इया
चौकीदार	चौकी	दार
जादूगरनी	जादूगर	नी
तीमारदार	तीमार	दार
तैनाती	तैनात	ई
तैराक	तैर	आक
द्रवित	द्रव	इत
धार्मिक	धर्म	इक
नमकीन	नमक	ईन
नम्रता	नम्र	ता
नीली	नील	ई
पहाड़ी	पहाड़	ई
पुष्पित	पुष्प	इत

शब्द	मूलशब्द	प्रत्यय	शब्द	मूलशब्द	प्रत्यय
फलित	फल	इत	रुकावट	रुक	आवट
बहाव	बह	आव	लिखाई	लिख	आई
बढ़ाई	बढ़	आई	विदाई	विदा	ई
बुढ़ापा	बूढ़ा	आपा	विषैला	विष	ऐला
भावहीन	भाव	हीन	समता	सम	ता
भौतिकी	भौतिक	ई	समर्पित	समर्पण (समर्प)	इत
मजदूरी	मजदूर	ई	समुद्री	समुद्र	ई
मलिन	मल	इन	सम्मानित	सम्मान	इत
मातृत्व	मातृ	त्व	सातवाँ	सात	वाँ
मानवीय	मानव	ईय	साहित्यिक	साहित्य	इक
राष्ट्रीय	राष्ट्र	ईय	स्मरणीय	स्मरण	ईय

-----▲▲▲▲▲-----

परिभाषा- दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है उसे सन्धि कहते हैं। सन्धि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि (प्रथम) वर्ण का मेल होता है।

उदाहरण- जगत्+नाथ = जगन्नाथ
देव+आलय = देवालय
मनः+योग = मनोयोग

सन्धि विच्छेद- सन्धि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को सन्धि विच्छेद कहते हैं।

उदाहरण- अस्ताचल = अस्त+अचल
परीक्षार्थी = परीक्षा+अर्थी
सूर्यास्त = सूर्य+अस्त

सन्धि की विशेषता

1. सन्धि संस्कृत भाषा की देन है।
2. सन्धि का निर्माण तत्सम (मूल) शब्दों के बीच होती है।
3. सन्धि में दो अर्धपूर्ण शब्दों के मेल से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है।
4. सन्धि सभी भाषाओं में पाया जाता है।
5. जब दो ध्वनियों के निकट आने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे 'संयोग' कहते हैं, संधि में ध्वनि-परिवर्तन आवश्यक है।

सन्धि के भेद

सन्धि में दो शब्दों का मेल होता है जिसमें से पहले शब्द के अन्तिम वर्ण के आधार पर सन्धि के तीन भेद होते हैं-

अ. स्वर सन्धि

ब. व्यंजन सन्धि

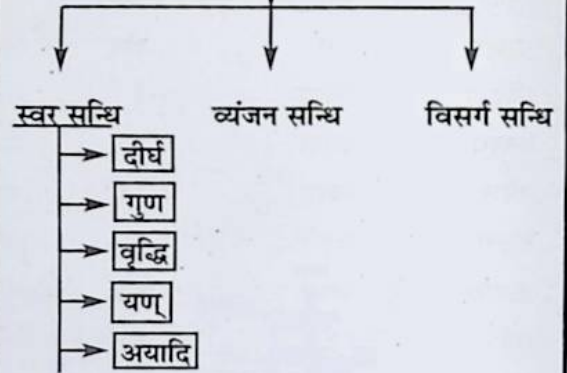
स. विसर्ग सन्धि

अ. स्वर सन्धि- एक स्वर के साथ दूसरे स्वर के मेल से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह स्वर संधि कहलाता है।

जैसे- सत्य+आग्रह = सत्याग्रह

स्व+अर्थी = स्वार्थी

सन्धि के भेद



ब. व्यंजन सन्धि- व्यंजन के बाद स्वर/व्यंजन आने से जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह व्यंजन सन्धि कहलाता है।

जैसे- वाक्+ईश=वागीश (क्+ई=गी) (व्यंजन+स्वर)

सत्+जन=सज्जन (त्+ज=ज्ज) (व्यंजन+व्यंजन)

स. विसर्ग सन्धि- विसर्ग के बाद स्वर/व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार (परिवर्तन) होता है, वह विसर्ग सन्धि कहलाता है।

जैसे- दुः+आत्मा=दुरात्मा (विसर्ग का 'रू' में परिवर्तन)

मनः+योग=मनोयोग (विसर्ग का 'ओ' में परिवर्तन)

(अ) स्वर सन्धि

स्वर सन्धि के पाँच भेद हैं-

(i) दीर्घ स्वर सन्धि

(ii) गुण स्वर सन्धि

(iii) वृद्धि स्वर सन्धि

(iv) यण् स्वर सन्धि

(v) अयादि स्वर सन्धि

इन्हें दीर्घ सन्धि, गुण सन्धि, वृद्धि सन्धि, यण् सन्धि व अयादि सन्धि के नाम से भी जाना जाता है।

(i) दीर्घ स्वर सन्धि- दो सवर्ण स्वरों के योग से वे दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं।

अ+अ=आ	इ+इ=ई	उ+उ=ऊ
अ+आ=आ	इ+ई=ई	उ+ऊ=ऊ
आ+अ=आ	ई+इ=ई	ऊ+उ=ऊ
आ+आ=आ	ई+ई=ई	ऊ+ऊ=ऊ
ऋ+ऋ=ऋ		

अ+अ=आ	अर + अवली = अरावली
	अस्त + अचल = अस्ताचल
	अक्ष + अंश = अक्षांश
	उप + अध्याय = उपाध्याय
	उत्तम + अंग = उत्तमांग
	उत्तर + अर्द्ध = उत्तरार्द्ध
	कल्प + अंत = कल्पान्त
	काम + अरि = कामारि
	कीट + अणु = कीटाणु
	कोण + अर्क = कोणार्क
	कृष्ण + अवतार = कृष्णावतार
	गीत + अंजलि = गीतांजलि
	गीत + अवली = गीतावली
	ग्राम + अध्यक्ष = ग्रामाध्यक्ष
	चर + अचर = चराचर
	चरण + अमृत = चरणामृत
	जन + अर्दन = जनार्दन
	जीव + अणु = जीवाणु
	जीव + अश्म = जीवाश्म
	दाव + अग्नि = दावाग्नि
	दिव्य + अस्त्र = दिव्यास्त्र
	दीप + अवली = दीपावली
	देह + अंत = देहांत
	दैव्य + अरि = दैव्यारि

धन + अर्थ = धनार्थी
निम्न + अंकित = निम्नांकित
पद + अर्थ = पदार्थ
परम + अणु = परमाणु
परम + अर्थ = परमार्थ
पर + अधीन = पराधीन
पुस्तक + अर्थी = पुस्तकार्थी
पीत + अंबर = पीताम्बर/पीतांबर
भग्न + अवशेष = भग्नावशेष
भाव + अर्थ = भावार्थ
मत + अधिकार = मताधिकार
मत + अनुसार = मतानुसार
मध्य + अवधि = मध्यावधि
मूल्य + अंकन = मूल्यांकन
युग + अंतर = युगांतर
योग + अभ्यास = योगाभ्यास
रस + अयन = रसायन
राम + अवतार = रामावतार
राष्ट्र + अध्यक्ष = राष्ट्राध्यक्ष
लोक + अर्पण = लोकार्पण
वात + अयन = वातायन
विंध्य + अचल = विंध्याचल
विकल + अंग = विकलांग
वीर + अँगना = वीराँगना
वेद + अंत = वेदांत
शत + अब्दी = शताब्दी
शब्द + अर्थ = शब्दार्थ
शब्द + अवली = शब्दावली
शरण + अर्थी = शरणार्थी
शास्त्र + अर्थ = शास्त्रार्थ
शिव + अयन = शिवायन

अ+आ=आ

सत्य + अर्थी = सत्यार्थी
 स्व + अर्थ = स्वार्थ
 स्व + अर्थी = स्वार्थी
 स्व + अधीन = स्वाधीन
 स्व + अभिमान = स्वाभिमान
 सुर + अरि = सुरारि
 सूर्य + अस्त = सूर्यास्त
 हस्त + अंतरण = हस्तांतरण
 हिम + अंशु = हिमांशु
 हिम + अद्रि = हिमाद्रि
 त्रिपुर + अरि = त्रिपुरारि
 आम + आशय = आमाशय
 आर्य + आवर्त्त = आर्यावर्त्त
 कार्य + आलय = कार्यालय
 कुश + आसन = कुशासन
 गर्भ + आधान = गर्भाधान
 गर्भ + आशय = गर्भाशय
 गुरुत्व + आकर्षण = गुरुत्वाकर्षण
 चिर + आयु = चिरायु
 जन + आदेश = जनादेश
 जन + आधार = जनाधार
 जल + आशय = जलाशय
 देव + आलय = देवालय
 धर्म + आत्मा = धर्मात्मा
 न्याय + आलय = न्यायालय
 नित्य + आनंद = नित्यानंद
 पंच + आयत = पंचायत
 परम + आत्मा = परमात्मा
 परम + आनंद = परमानंद
 पुस्तक + आलय = पुस्तकालय
 प्राण + आयाम = प्राणायाम
 फल + आहार = फलाहार

आ+अ=आ

भय + आकुल = भयाकुल
 भया + आनक = भयानक
 भ्रष्ट + आचार = भ्रष्टाचार
 भोजन + आलय = भोजनालय
 मेघ + आलय = मेघालय
 रत्न + आकर = रत्नाकर
 राम + आधार = रामाधार
 लोक + आयुक्त = लोकायुक्त
 वाचन + आलय = वाचनालय
 विवाद + आस्पद = विवादास्पद
 शाक + आहारी = शाकाहारी
 शिव + आलय = शिवालय
 सत्य + आग्रह = सत्याग्रह
 स्वर्ग + आरोहण = स्वर्गारोहण
 सिंह + आसन = सिंहासन
 हास्य + आस्पद = हास्यास्पद
 हिम + आलय = हिमालय
 आज्ञा + अनुसार = आज्ञानुसार
 कदा + अपि = कदापि
 क्रिया + अन्वयन = क्रियान्वयन
 तथा + अपि = तथापि
 दीक्षा + अंत = दीक्षांत
 निशा + अंत = निशांत
 परीक्षा + अर्थी = परीक्षार्थी
 पुरा + अवशेष = पुरावशेष
 ब्रह्मा + अंड = ब्रह्मांड
 भाषा + अंतर = भाषांतर
 माया + अधीन = मायाधीन
 महा + अनुभाव = महानुभाव
 महा + अमात्य = महामात्य
 रचना + अवली = रचनावली
 वर्षा + अंत = वर्षांत

आ+आ=आ	विद्या + अर्थी = विद्यार्थी		रवि + इंद्र = रवींद्र
	विद्या + अध्ययन = विद्याध्ययन		क्षिति + इंद्र = क्षीर्तींद्र
	विद्या + अनुराग = विद्यानुराग	इ+ई=ई	अधि + ईश्वर = अधीश्वर
	विद्या + अभ्यास = विद्याभ्यास		अधि + ईक्षक = अधीक्षक
	शिक्षा + अर्थी = शिक्षार्थी		अधि + ईक्षण = अधीक्षण
	सुधा + अंशु = सुधांशु		अभि + ईप्सा = अभीप्सा
	श्रद्धा + अंजलि = श्रद्धांजलि		कपि + ईश = कपीश
	आत्मा + आनंद = आत्मानंद		कवि + ईश्वर = कवीश्वर
	कारा + आगार = कारागार		गिरि + ईश = गिरीश
	कारा + आवास = कारावास		परि + ईक्षक = परीक्षक
इ+इ=ई	क्रिया + आत्मक = क्रियात्मक		परि + ईक्षण = परीक्षण
	चिकित्सा + आलय = चिकित्सालय		परि + ईक्षा = परीक्षा
	तथा + आगत = तथागत		प्रति + ईक्षा = प्रतीक्षा
	दया + आनंद = दयानंद		प्रति + ईक्षित = प्रतीक्षित
	प्रेक्षा + आगार = प्रेक्षागार		मुनि + ईश्वर = मुनीश्वर
	महा + आत्मा = महात्मा		रवि + ईश = रवीश
	महा + आशय = महाशय		वारि + ईश = वारीश (समुद्र)
	रचना + आत्मक = रचनात्मक		वि+ ईक्षा = वीक्षा
	वार्ता + आलाप = वार्तालाप		हरि + ईश = हरीश
	विद्या + आलय = विद्यालय		क्षिति + ईश = क्षितीश
इ+इ=ई	शंका + आलु = शंकालु	ई+इ=ई	देवी + इच्छा = देवीच्छा
	श्रद्धा + आलु = श्रद्धालु		महती + इच्छा = महतीच्छा
	अति + इत = अतीत		यती + इंद्र = यतींद्र
	अति + इव = अतीव		योगी + इन्द्र = योगीन्द्र
	अधि + इन = अधीन		लक्ष्मी + इच्छा = लक्ष्मीच्छा
	अधि + इक्षण = अधीक्षण		शची + इंद्र = शचींद्र
	अभि + इष्ट = अभीष्ट	ई+ई=ई	गौरी + ईश = गौरीश
	कवि + इंद्र = कवींद्र		जानकी + ईश = जानकीश
	कवि + इच्छा = कवीच्छा		नदी + ईश = नदीश
	प्रति + इक = प्रतीक		नदी + ईश्वर = नदीश्वर
	प्रति + इति = प्रतीति		नारी + ईश्वर = नारीश्वर
	मुनि + इंद्र = मुनींद्र		फणी + ईश्वर = फणीश्वर

मही + ईश = महीश

रजनी + ईश = रजनीश

लक्ष्मी + ईश = लक्ष्मीश

सती + ईश = सतीश

श्री + ईश = श्रीश

उ+उ=ऊ

अनु + उत्तर = अनूत्तर

गुरु + उपदेश = गुरुपदेश

बहु + ऊर्जा = बहूर्जा

भानु + उदय = भानूदय

मंजु + उषा = मंजूषा

मधु + उत्सव = मधूत्सव

विधु + उदय = विधूदय

साधु + उपदेश = साधूपदेश

सु + उक्ति = सूक्ति

उ+ऊ=ऊ

अंबु + ऊर्जा = अंबूर्जा

धातु + ऊष्मा = धातूष्मा

बहु + ऊर्जा = बहूर्जा

भानु + ऊर्ध्व = भानूध्व

लघु + ऊर्मि = लघूर्मि

साधु + ऊर्जा = साधूर्जा

सिंधु + ऊर्मि = सिंधूर्मि

ऊ+उ=ऊ

भू + उत्सर्ग = भूत्सर्ग

भू + उद्धार = भूद्धार

भू + उपरि = भूपरि

वधू + उक्ति = वधूक्ति

वधू + उत्सव = वधूत्सव

वधू + उपकार = वधूपकार

वधू + उपालम्भ = वधूपालम्भ

स्वयंभू + उदय = स्वयंभूदय

ऊ+ऊ=ऊ

भू + ऊर्जा = भूर्जा

भू + ऊर्ध्व = भूध्व

भू + ऊष्मा = भूष्मा

वधू + ऊर्मि = वधूर्मि

सरयू + ऊर्मि = सरयूर्मि

ऋ+ऋ=ऋ

भातृ + ऋद्धि = भातृद्धि

मातृ + ऋण = मातृण

पितृ + ऋण = पितृण

(ii) गुण स्वर सन्धि -

1. यदि अ, आ के बाद इ, ई आये तो दोनों स्वर मिलकर 'ए' हो जाते हैं।
2. यदि अ, आ के बाद उ, ऊ आये तो दोनों स्वर मिलकर 'ओ' हो जाते हैं।
3. यदि अ, आ के बाद ऋ आये तो दोनों स्वर मिलकर अर् हो जाते हैं।

अ+इ=ए	अ+उ=ओ	अ+ऋ=अर्
अ+ई=ए	अ+ऊ=ओ	आ+ऋ=अर्
आ+इ=ए	आ+उ=ओ	
आ+ई=ए	आ+ऊ=ओ	

अ+इ=ए

अंत्य + इष्टि = अंत्येष्टि

उप + इन्द्र = उपेन्द्र

घ्राण + इन्द्रिय = घ्राणेन्द्रिय

देव + इन्द्र = देवेन्द्र

नर + इन्द्र = नरेन्द्र

प्र + इत = प्रेत

पुष्प + इन्द्र = पुष्पेन्द्र

पूर्ण + इन्द्र = पूर्णेन्द्र

भारत + इन्द्र = भारतेन्दु/भारतेन्दु

भारत + इन्द्र = भारतेन्द्र

मृग + इन्द्र = मृगेन्द्र

मानव + इन्द्र = मानवेन्द्र

योग + इन्द्र = योगेन्द्र

राम + इन्द्र = रामेन्द्र

लोक + इतर = लोकेतर

	शुभ + इच्छु = शुभेच्छु
	सत्य + इन्द्र = सत्येन्द्र
	सुर + इन्द्र = सुरेन्द्र
	स्व + इच्छा = स्वेच्छा
	ज्ञान + इन्द्र = ज्ञानेन्द्र
	ज्ञान + इन्द्रिय = ज्ञानेन्द्रिय
अ+ई=ए	अंक + ईक्षण = अंकेक्षण
	अप + ईक्षा = अपेक्षा
	उप + ईक्षा = उपेक्षा
	कमल + ईश = कमलेश
	खग + ईश = खगेश
	गण + ईश = गणेश
	दिन + ईश = दिनेश
	दुर्ग + ईश = दुर्गेश
	देव + ईश = देवेश
	नर + ईश = नरेश
	परम + ईश्वर = परमेश्वर
	प्र + ईक्षक = प्रेक्षक
	योग + ईश्वर = योगेश्वर
	सर्व + ईश्वर = सर्वेश्वर
	सर्व + ईक्षण = सर्वेक्षण
	सिद्ध + ईश्वरी = सिद्धेश्वरी
	सुर + ईश = सुरेश
	सोम + ईश = सोमेश
आ+इ=ए	महा + इन्द्र = महेंद्र
	यथा + इच्छा = यथेच्छा
	यथा + इष्ट = यथेष्ट
	रमा + इन्द्र = रमेन्द्र
	रसना + इन्द्रिय = रसनेन्द्रिय
	राजा + इन्द्र = राजेन्द्र
	सुधा + इन्द्र = सुधेन्द्र
आ+ई=ए	उमा + ईश = उमेश

	गुडाका + ईश = गुडाकेश
	महा + ईश = महेश
	महा + ईश्वर = महेश्वर
	रमा + ईश = रमेश
	राका + ईश = राकेश
	राजा + ईश = राजेश
	लंका + ईश = लंकेश
अ+उ=ओ	अतिशय + उक्ति = अतिशयोक्ति
	कर्ण + उद्धार = कर्णोद्धार
	ग्राम + उत्थान = ग्रामोत्थान
	चन्द्र + उदय = चन्द्रोदय
	जन्म + उत्सव = जन्मोत्सव
	जन + उपयोगी = जनोपयोगी
	जीर्ण + उद्धार = जीर्णोद्धार
	दाम + उदर = दामोदर
	दीप + उत्सव = दीपोत्सव
	देश + उपकार = देशोपकार
	धन + उपार्जन = धनोपार्जन
	नर + उत्तम = नरोत्तम
	नव + उदय = नवोदय
	नील + उत्पल = नीलोत्पल
	पद + उन्नति = पदोन्नति
	पर + उपकार = परोपकार
	प्रश्न + उत्तर = प्रश्नोत्तर
	प्राप्त + उदक = प्राप्तोदक
	भाग्य + उदय = भाग्योदय
	मंत्र + उच्चारण = मंत्रोच्चारण
	मंत्र + उपचार = मंत्रोपचार
	मरण + उपरान्त = मरणोपरान्त
	मानव + उचित = मानवोचित
	राष्ट्र + उन्नति = राष्ट्रोन्नति
	रोग + उपचार = रोगोपचार
	लंब + उदर = लंबोदर

लोक + उक्ति = लोकोक्ति

वार्षिक + उत्सव = वार्षिकोत्सव

वेद + उक्ति = वेदोक्ति

सर्व + उत्तम = सर्वोत्तम

सर्व + उपरि = सर्वोपरि

स + उदाहरण = सोदाहरण

सह + उदर = सहोदर

सूर्य + उदय = सूर्योदय

हित + उपदेश = हितोपदेश

ज्ञान + उदय = ज्ञानोदय

ज्ञान + उपार्जन = ज्ञानोपार्जन

अ+ऊ=ओ

उच्च + ऊर्ध्व = उच्चोर्ध्व

जल + ऊर्मि = जलोर्मि

नव + ऊढ़ा = नवोढ़ा

समुद्र + ऊर्मि = समुद्रोर्मि

सूर्य + ऊष्मा = सूर्योष्मा

आ+उ=ओ

गंगा + उदक = गंगोदक

गंगा + उदय = गंगोदय

महा + उत्सव = महोत्सव

महा + उदय = महोदय

महा + उपकार = महोपकार

महा + उष्ण = महोष्ण

यथा + उचित = यथोचित

विद्या + उन्नति = विद्योन्नति

आ+ऊ=ओ

गंगा + ऊर्मि = गंगोर्मि

दया + ऊर्मि = दयोर्मि

महा + ऊर्जा = महोर्जा

महा + ऊष्मा = महोष्मा

यमुना + ऊर्मि = यमुनोर्मि

अ+ऋ=अर्

देव + ऋषि = देवर्षि

नारद + ऋषि = नारदर्षि

ब्रह्म + ऋषि = ब्रह्मर्षि

राज + ऋषि = राजर्षि

सप्त + ऋषि = सप्तर्षि

आ+ऋ=अर्

महा + ऋण = महर्ण

महा + ऋषि = महर्षि

राजा + ऋषि = राजर्षि

गुण स्वर सन्धि के अपवाद

● अक्ष + ऊहिना = अक्षौहिणी

● जल + ऋण = जलार्ण

● दश + ऋण = दशार्ण

● प्र + ऊढ़ = प्रौढ़

● भवन + ऋण = भवनार्ण

● वस्त्र + ऋण = वस्त्रार्ण

● स्व + ईर = स्वैर

● ऋण + ऋण = ऋणार्ण

(iii) वृद्धि स्वर सन्धि- 1. अ, आ के बाद ए, ऐ आये तो दोनों स्वर मिलकर 'ऐ' हो जाता है।

2. अ, आ के बाद ओ, औ आये तो दोनों स्वर मिलकर 'औ' हो जाता है।

अ+ए=ऐ

अ+ओ=औ

अ+ऐ=ऐ

अ+औ=औ

आ+ए=ऐ

आ+ओ=औ

आ+ऐ=ऐ

आ+औ=औ

अ+ए=ऐ

अद्य + एव = अद्यैव

एक + एक = एकैक

एक + एव = एकैव

तत्र + एव = तत्रैव

दिन + एक = दिनैक

धन + एषी = धनैषी

	प्रिय + एषी = प्रियैषी
	लोक + एक = लोकैक
	शुभ + एषी = शुभैषी
	हित + एषी = हितैषी
अ+ऐ=ऐ	धन + ऐश्वर्य = धनैश्वर्य
	देव + ऐश्वर्य = देवैश्वर्य
	परम + ऐश्वर्य = परमैश्वर्य
	मत + ऐक्य = मतैक्य
	लोक + ऐश्वर्य = लोकैश्वर्य
	विचार + ऐक्य = विचारैक्य
	स्व + ऐच्छिक = स्वैच्छिक
	ज्ञान + ऐश्वर्य = ज्ञानैश्वर्य
आ+ए=ऐ	एकदा + एव = एकदैव
	तथा + एव = तथैव
	वसुधा + एव = वसुधैव
	सदा + एव = सदैव
	सर्वदा + एव = सर्वदैव
आ+ऐ=ऐ	गंगा + ऐश्वर्य = गंगैश्वर्य
	महा + ऐश्वर्य = महैश्वर्य
	रमा + ऐश्वर्य = रमैश्वर्य
अ+ओ=औ	जल + ओष = जलौष
	परम + ओजस्वी = परमौजस्वी
	वन + ओषधि = वनौषधि
अ+औ=औ	जल + औषधि = जलौषधि
	परम + औदार्य = परमौदार्य
	परम + औषध = परमौषध
	प्र + औद्योगिकी = प्रौद्योगिकी/ प्रौद्योगिकी
	मंत्र + औषधि = मंत्रौषधि

	वन + औषध = वनौषध
	वन + औषधि = वनौषधि
आ+ओ=औ	महा + ओज = महौज
	महा + ओजस्वी = महौजस्वी
आ+औ=औ	महा + औदार्य = महौदार्य
	महा + औषध = महौषध

वृद्धि स्वर संधि के अपवाद

- अघर + ओष्ठ = अघरोष्ठ/अघरौष्ठ
- दंत + ओष्ठ्य = दंतोष्ठ्य
- बिंब + ओष्ठ = बिंबोष्ठ/बिंबौष्ठ
- शुद्ध + ओदन = शुद्धोदन

महत्वपूर्ण तथ्य

- ओषधि (संज्ञा, स्त्रीलिंग) - दवा या जड़ी-बूटी।
- औषध (संज्ञा, पुल्लिंग) - दवा
- औषधि (संज्ञा, स्त्रीलिंग) - दवा
- वन + ओषधि = वनौषधि (अ + ओ = औ)
- वन + औषधि = वनौषधि (अ + औ = औ)
- वन + औषध = वनौषध (अ + औ = औ)

(iv) यण् स्वर सन्धि

- (अ) यदि इ, ई का मेल कोई भी भिन्न स्वर से हो तो इ, ई का 'य' हो जाता है।
- (ब) यदि उ, ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो उ, ऊ का 'व' हो जाता है।
- (स) यदि ऋ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आये तो ऋ का 'र' हो जाता है।

(अ) इ/ई के बाद भिन्न स्वर आने से इ/ई परिवर्तित होकर 'य' हो जाता है।

इ + अ = य	ई + अ = य
इ + आ = या	ई + आ = या
इ + उ = यु	ई + उ = यु
इ + ऊ = यू	ई + ऊ = यू
इ + ए = ये	ई + ए = ये
इ + ऐ = यै	ई + ऐ = यै
इ + ओ = यो	ई + ओ = यो
इ + औ = यौ	ई + औ = यौ

इ+अ=य

अति + अंत = अत्यंत
 अति + अधिक = अत्यधिक
 अति + अल्प = अत्यल्प
 अधि + अयन = अध्ययन
 अधि + अक्ष = अध्यक्ष
 अभि + अंतर = अभ्यंतर
 अभि + अर्थी = अभ्यर्थी
 इति + आदि = इत्यादि
 परि + अंत = पर्यंत
 परि + अटन = पर्यटन
 परि + अवेक्षक = पर्यवेक्षक
 प्रति + अंचा = प्रत्यंचा
 प्रति + अंतर = प्रत्यन्तर/प्रत्यंतर
 प्रति + अर्पण = प्रत्यर्पण
 प्रति + अय = प्रत्यय
 प्रति + अभिज्ञान = प्रत्यभिज्ञान
 प्रति + अक्ष = प्रत्यक्ष
 यदि + अपि = यद्यपि/यद्यपि
 वि + अंजन = व्यंजन
 वि + अक्ति = व्यक्ति
 वि + अर्थ = व्यर्थ
 वि + अय = व्यय
 वि + अवहार = व्यवहार

ई+अ=य

इ+आ=या

वि + अष्टि = व्यष्टि

वि + असन = व्यसन

त्रि + अंबक = त्र्यंबक

देवी + अंग = देव्यंग

देवी + अर्थ = देव्यर्थ

देवी + अर्पण = देव्यर्पण

देवी + अर्पित = देव्यर्पित

नदी + अम्बु = नद्यम्बु/नद्यम्बु

नदी + अर्पण = नद्यर्पण/नद्यर्पण

अग्नि + आशय = अग्न्याशय

अति + आचार = अत्याचार

अति + आनंद = अत्यानंद

अति + आवश्यक = अत्यावश्यक

अधि + आत्म = अध्यात्म

अधि + आदेश = अध्यादेश

अधि + आपक = अध्यापक

अधि + आय = अध्याय

अभि + आगत = अभ्यागत

अभि + आस = अभ्यास

इति + आदि = इत्यादि

नि + आय = न्याय

नि + आस = न्यास

परि + आवरण = पर्यावरण

परि + आप्त = पर्याप्त

परि + आय = पर्याय

प्रति + आरोप = प्रत्यारोप

प्रति + आरोपण = प्रत्यारोपण

प्रति + आवर्तन = प्रत्यावर्तन

प्रति + आशा = प्रत्याशा

प्रति + आशित = प्रत्याशित

प्रति + आभूति = प्रत्याभूति

प्रति + आशी = प्रत्याशी

वि + आकरण = व्याकरण

	वि + आकुल = व्याकुल		प्रति + ऊष = प्रत्यूष
	वि + आख्या = व्याख्या		वि + ऊह = व्यूह
	वि + आख्यान = व्याख्यान	ई+ऊ=यू	नदी + ऊर्जा = नद्यूर्जा/नद्यूर्जा
	वि + आपक = व्यापक		नदी + ऊर्मि = नद्यूर्मि/नद्यूर्मि
	वि + आप्त = व्याप्त		नदी + ऊष्मा = नद्यूर्ष्मा/नद्यूर्ष्मा
	वि + आयाम = व्यायाम	इ+ए=ये	अधि + एषणा = अध्येषणा
ई+आ=या	वि + आस = व्यास		देवी + एकता = देव्येकता
	देवी + आगम = देव्यागम		प्रति + एक = प्रत्येक
	देवी + आगमन = देव्यागमन		प्रति + एकता = प्रत्येकता
	देवी + आलय = देव्यालय	ई+ए=ये	सखी + एव = सख्येव
	नदी + आमुख = नद्यामुख/नद्यामुख	इ+ऐ=यै	अति + ऐश्वर्य = अत्यैश्वर्य
	नदी + आवेग = नद्यावेग/नद्यावेग	ई+ऐ=यै	सखी + ऐक्य = सख्यैक्य
इ+उ=यु	सखी + आगमन = सख्यागमन		सखी + ऐश्वर्य = सख्यैश्वर्य
	अति + उक्ति = अत्युक्ति	इ+ओ=यो	अति + ओज = अत्योज
	अति + उत्तम = अत्युत्तम		दधि + ओदन = दध्योदन
	अभि + उत्थान = अभ्युत्थान	ई+ओ=यो	देवी + ओज = देव्योज
	अभि + उदय = अभ्युदय	इ+औ=यौ	अति + औचित्य = अत्यौचित्य
	उपरि + उक्त = उपर्युक्त/उपर्युक्त		अति + औदार्य = अत्यौदार्य
	परि + उषण = पर्युषण	ई+औ=यौ	देवी + औदार्य = देव्यौदार्य
	प्रति + उत्पन्न = प्रत्युत्पन्न		वाणी + औचित्य = वाण्यौचित्य
	प्रति + उत्तर = प्रत्युत्तर		
	प्रति + उपकार = प्रत्युपकार		
	वि + उत्पत्ति = व्युत्पत्ति		
	वि + उत्क्रम = व्युत्क्रम		
ई+उ=यु	नदी + उद्गम = नद्युद्गम/नद्युद्गम		
	सखी + उचित = सख्युचित		
	सुधी + उपास्य = सुध्युपास्य		
	स्त्री + उचित = स्र्युचित		
	स्त्री + उपयोगी = स्र्युपयोगी		
इ+ऊ=यू	अति + ऊर्ध्व = अत्यूर्ध्व		
	अति + ऊष्म = अत्यूष्म		
	नि + ऊन = न्यून		

(ब) उ/ऊ के बाद भिन्न स्वर आने से उ/ऊ परिवर्तित होकर 'व' हो जाता है।

उ + अ = व	ऊ + अ = व
उ + आ = वा	ऊ + आ = वा
उ + इ = वि	ऊ + इ = वि
उ + ई = वी	ऊ + ई = वी
उ + ए = वे	ऊ + ए = वे
उ + ऐ = वै	ऊ + ऐ = वै
उ + ओ = वो	ऊ + ओ = वो
उ + औ = वौ	ऊ + औ = वौ

उ+अ=व

अनु + अय = अन्वय

मनु + अंतर = मन्वन्तर

वहु + अंग = वह्ग/ वह्वंग

शिशु + अंग = शिश्वंग

सु + अच्छ = स्वच्छ

सु + अल्प = स्वल्प

ऊ+अ=व

वधू + अंग = वध्वंग

वधू + अर्थ = वध्वर्थ

उ+आ=वा

अनु + आदेश = अन्वादेश

गुरु + आदेश = गुर्वादेश

मधु + आचार्य = मध्वाचार्य

मधु + आलय = मध्वालय

लघु + आदि = लघ्वादि

साधु + आचरण = साध्वाचरण

साधु + आचार = साध्वाचार

सु + आगत = स्वागत

ऊ+आ=वा

भू + आदि = भ्वादि

वधू + आगमन = वध्वागमन

उ+इ=वि

अनु + इत = अन्वित

अनु + इति = अन्विति

अनु + इष्ट = अन्विष्ट

धातु + इक = धात्विक

ऊ+इ=वि

वधू + इष्ट = वध्विष्ट

उ+ई=वी

अनु + ईक्षण = अन्वीक्षण

अनु + ईक्षा = अन्वीक्षा

तनु + ई = तन्वी

ऊ+ई=वी

वधू + ईर्ष्या = वध्वीर्ष्या

उ+ए=वे

अनु + एषक = अन्वेषक

अनु + एषण = अन्वेषण

ऊ+ए=वे

वधू + एषण = वध्वेषण

उ+ऐ=वै

बहु + ऐश्वर्य = बह्वैश्वर्य

ऊ+ऐ=वै

वधू + ऐश्वर्य = वध्वैश्वर्य

उ+ओ=वो

मधु + ओदन = मध्वोदन

लघु + ओष्ठ = लघ्वोष्ठ

ऊ+ओ=वो

सरयू + ओघ = सरव्योघ

उ+औ=वौ

गुरु + औदार्य = गुर्वौदार्य

मधु + औषध = मध्वौषध

ऊ+औ=वौ

वधू + औदार्य = वध्वौदार्य

(स) यदि ऋ के बाद कोई भी भिन्न स्वर
आये तो ऋ का 'र' हो जाता है।

ऋ + अ	= र	ऋ + आ	= रा
ऋ + इ	= रि	ऋ + ई	= री
ऋ + उ	= रु	ऋ + ऊ	= रू
ऋ + ए	= रे	ऋ + ऐ	= रै
ऋ + ओ	= रो	ऋ + औ	= रौ

ऋ+अ=र

धातृ + अंश = धात्रंश

(नोट- त् + र + अं = त्रं होता है।)

पितृ + अनुमति = पित्रनुमति

= पितृ+ऋ+अ+नुमति

= पितृ+र+नुमति

= पि+त्र+नुमति (त्+र=त्र)

= पित्रनुमति

मातृ + अंग = मात्रंग

मातृ + अनुमति = मात्रानुमति

(नोट - त् + र = त्र होता है।)

मातृ+ अर्थ = मात्रर्थ

ऋ+आ=रा

पितृ + आदेश = पित्रादेश

पितृ + आनंद = पित्रानन्द

पितृ + आज्ञा = पित्राज्ञा

भ्रातृ + आदेश = भ्रात्रादेश

मातृ + आदेश = मात्रादेश

मातृ + आनंद = मात्रानन्द

मातृ + आज्ञा = मात्राज्ञा

(नोट- त् + रा = त्रा होता है।)

ऋ+इ=रि	पितृ + इच्छा = पित्रिच्छा मातृ + इच्छा = मात्रिच्छा (नोट- त् + रि = त्रि होता है।)
ऋ+ई=री	पितृ + ईहा = पित्रीहा (नोट- त् + री = त्री होता है।)
ऋ+उ=रु	पितृ + उपदेश = पितृपदेश मातृ + उपदेश = मात्रपदेश (नोट- त् + रु = त्रु होता है।)
ऋ+ऊ=रू	पितृ + ऊह = पित्रूह (नोट- त् + रू = त्रू होता है।)
ऋ+ए=रे	भ्रातृ + एषणा = भ्रात्रेषणा (नोट- त् + रे = त्रे होता है।)
ऋ+ऐ=रै	पितृ + ऐश्वर्य = पित्रैश्वर्य (नोट- त् + रै = त्रै होता है।)
ऋ+ओ=रो	भ्रातृ + ओक = भ्रात्रोक (नोट- त् + रो = त्रो होता है।)
ऋ+औ=रौ	पितृ + औदार्य = पित्रौदार्य (नोट- त् + रौ = त्रौ होता है।)

ए+अ=अय	चे + अन = चयन ने + अन = नयन (न्+अय+न) शे + अन = शयन संचे + अ = संचय गै + अक = गायक गै + अन = गायन दै + अक = दायक नै + अक = नायक विधै + अक = विधायक विनै + अक = विनायक शै + अर = शायर गै + इका = गायिका दै + इनी = दायिनी नै + इका = नायिका (न्+आयि+का) विधै + इका = विधायिका
ऐ+अ=आय	पो + अन = पवन (प्+अव+न) भो + अति = भवति भो + वन = भवन हो + अन = हवन पो + इत्र = पवित्र (प्+अवि+त्र) भो + इष्य = भविष्य
ऐ+इ=आयि	गो + ईश = गवीश (ग्+अवी+श) रो + ईश = रवीश घौ + अक = घावक पौ + अक = पावक पौ + अन = पावन (प्+आव+न)
ओ+अ=अव	
ओ+इ=अवि	
ओ+ई=अवी	
औ+अ=आव	

(V) अयादि स्वर सन्धि- यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से हो तो 'ए' का 'अय', 'ऐ' का 'आय', 'ओ' का 'अव' तथा 'औ' का 'आव' हो जाता है।
ए, ऐ, ओ, औ का क्रमशः अय, आय, अव, आव में परिवर्तन।

ए+अ परिवर्तित होकर	अय+अ=अय
ऐ+अ परिवर्तित होकर	आय+अ=आय
ऐ+इ परिवर्तित होकर	आय+इ=आयि
ओ+अ परिवर्तित होकर	अव+अ=अव
ओ+इ परिवर्तित होकर	अव+इ=अवि
ओ+ई परिवर्तित होकर	अव+ई=अवी
औ+अ परिवर्तित होकर	आव+अ=आव
औ+इ परिवर्तित होकर	आव+इ=आवि
औ+उ परिवर्तित होकर	आव+उ=आवु

	भौ + अ = भाव
	भौ + अक = भावक
	भौ + अना = भावना
	शौ + अक = शावक
औ+इ=आवि	नौ + इक = नाविक (नू+आवि+क)
	प्रभौ + इत = प्रभावित
	प्रस्तौ + इत = प्रस्तावित
औ+उ=आवु	भौ + उक = भावुक (भू+आवु+क)

स्वर संधि के विशेष नियम

1. पहले शब्द के अंतिम स्वर का दीर्घीकरण- संस्कृत में कुछ शब्दों की संधि में पहले शब्द के अंतिम शब्द पर बल बढ़ जाता है और उसका 'ह्रस्व स्वर', 'दीर्घ स्वर' में बदल जाता है। जैसे-

प्रति + कार = प्रतिकार/प्रतीकार
प्रति + घात = प्रतिघात/प्रतीघात
विश्व + मित्र = विश्वामित्र

उक्त संधियों में 'विश्व' का 'विश्वा' हो गया है। प्रतिकार एवं प्रतिघात के संस्कृत में दोनों रूप प्रचलित हैं। हिन्दी में ह्रस्व 'इ' वाले रूप अर्थात् 'प्रतिकार' एवं 'प्रतिघात' ही प्रचलित हैं, 'प्रतीकार' एवं 'प्रतीघात' वाले रूप प्रचलित नहीं हैं।

2. दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का परिवर्तन- संस्कृत में जब दो शब्दों के बीच संधि होती है, तो बोलने में पहले शब्द पर बल बढ़ जाने के कारण दूसरे शब्द के अंतिम स्वर का बल कम होता है। अतः उसके स्वर में परिवर्तन हो जाता है। जैसे-

अहर् + निशा = अहर्निश
अहो + रात्रि = अहोरात्र
दिवा + रात्रि = दिवारात्र
नव + रात्रि = नवरात्र
प्र + भू = प्रभु

उक्त संधियों में 'रात्रि' का 'रात्र' हो गया है, अर्थात् अंतिम स्वर 'इ' के स्थान पर 'अ' हो गया है। इसी तरह अहर् + निशा = अहर्निश में 'आ' के स्थान पर 'अ' स्वर हो गया है।

3. पहले शब्द के अंतिम स्वर 'अ' का लोप- संस्कृत के कुछ शब्दों में प्रथम शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है।

जैसे-

अप + अंग = अपंग/अपांग
अपंग = किसी अंग से रहित
अपांग = आँख की कोर

कुल + अटा = कुलटा
पत + अंजलि = पतंजलि
मार्त (भस्म) + अंड = मार्तंड
सार + अंग = सारंग (पशु, पक्षी)
सीम + अंत = सीमंत (सिर में मांग)/ सीमांत (हृद)

4. वर्णलोप, वर्णागम तथा स्वर परिवर्तन से निर्मित कुछ संधियुक्त शब्द- हिन्दी के दो अलग-अलग तद्भव/देशज शब्दों के मध्य संधि करने की प्रक्रिया में कभी-कभी किसी वर्ण का लोप हो जाता है, तो कभी दोनों शब्दों के मध्य किसी नए वर्ण का आगम हो जाता है। कहीं-कहीं पर दो शब्दों के मिलन से स्वर परिवर्तन हो जाता है। जैसे -

अब + ही = अभी
आठ + मासा = अठमासा
आधा + कचरा = अथकचरा
आम + चूर = अमचूर
उत्तर + खंड = उत्तराखंड
उस + ही = उसी
एक + एला = अकेला
एक + तारा = इकतारा
एक + तीस = इकतीस
कब + ही = कभी
कवि + ओं = कवियों
कहाँ + ही = कहीं
काठ + घरा = कठघरा
काठ + फोड़ा = कठफोड़ा
कान + पटी = कनपटी

कान + फटा = कनफटा
 किस + ही = किसी
 खाट + मल = खटमल
 घोड़ा + चढ़ी = घुड़चढ़ी
 घोड़ा + दौड़ = घुड़दौड़
 घोड़ा + सवार = घुड़सवार
 चट + चट = चटाचट
 चित + एरा = चितेरा
 छोटा + पन = छुटपन
 छोटा + भैया = छुटभैया
 जब + ही = जभी
 जहाँ + ही = जहीं
 जिस + ही = जिसी
 ठाकुर + आइन = ठकुराइन
 डाकू + ओं = डाकुओं
 तब + ही = तभी
 दिन + दिन = दिनोंदिन
 दूध + मुँहा = दुधमुँहा
 धम + धम = धमाधम
 धड़ + धड़ = धड़ाधड़
 नदी + ओं = नदियों
 नाक + कटा = नकटा
 नाक + चढ़ा = नकचढ़ा
 नाक + चढ़ी = नकचढ़ी
 नारी + ओं = नारियों
 नीति + आँ = नीतियाँ
 पत्नी + ओं = पत्नियों
 पाँच + रंगा = पचरंगा
 पात + झड़ = पतझड़
 पान + वाड़ी = पनवाड़ी
 पानी + चक्की = पनचक्की

पानी + घाट = पनघट
 पानी + डुब्बी = पनडुब्बी
 पीछा + लगू = पिछलगू
 प्रति + कार = प्रतिकार/प्रतीकार
 प्रति + घात = प्रतिघात/प्रतीघात
 प्रभु + दयाल = प्रभूदयाल
 फट + फट = फटाफट
 बच्चा + पन = बचपन
 बहू + एँ = बहुएँ
 बड़ा + बोला = बड़बोला
 बूढ़ी + इया = बुढ़िया
 भीख + मंगा = भिखमंगा
 मामा + एरा = ममेरा
 मार + मारी = मारामारी
 मुँछ + कटा = मुँछकटा
 यह + ही = यही
 यहाँ + ही = यहीं
 रात + रात = रातोंरात
 रानी + वास = रनवास/रनिवास
 रोटी + ओं = रोटियों
 लकड़ी + हारा = लकड़हारा
 लड़का + पन = लड़कपन
 लड़की + ओं = लड़कियों
 लोट + इया = लुटिया
 वधू + एँ = वधुएँ
 वह + ही = वही
 वहाँ + ही = वहीं
 विश्व + मित्र = विश्वामित्र
 सट + सट = सटासट
 सत्य + नाश = सत्यानाश
 सब + ही = सभी

साधु + ओं = साधुओं
 सात + मासा = सतमासा
 सोना + आर = सुनार
 हाथ + कंडा = हथकंडा
 हाथ + करघा = हथकरघा
 हाथ + कड़ी = हथकड़ी
 हाथ + हाथ = हाथोंहाथ

(ब) व्यंजन सन्धि या हल् सन्धि

दो वर्णों में सन्धि होती है। यदि इन वर्णों में से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो तो उससे जो विकार (परिवर्तन) होता है उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं। जैसे-

उत् + हार = उद्धार (त्+ह=द्ध)

षट् + आनन = षडानन (ट्+आ=डा)

व्यंजन सन्धि के नियम

● नियम- 1 : वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन-

(अ) किसी वर्ग के पहले वर्ण (क्, च, ट, त्, प्) का मेल स्वर से हो या

(ब) वर्ग के तीसरे और चौथे वर्ण (ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ) से हो या

(स) य, र, ल, व (अंतःस्थ व्यंजन) से हो

तो क्, च्, ट्, त्, प् का परिवर्तन उसी वर्ग के तीसरे अक्षर ग्, ज्, झ्, ड्, द् में हो जाएगा। जैसे-

- क् → ग्
- च् → ज्
- ट् → झ्
- त् → ड्
- प् → द्

क् का ग् में परिवर्तन- दिक् + अंबर = दिगम्बर/दिगंबर

दिक् + गज = दिग्गज

दिक् + दर्शक = दिग्दर्शक

दिक् + दर्शन = दिग्दर्शन

दिक् + देवता = दिग्देवता

दिक् + भ्रम = दिग्भ्रम

दिक् + भ्रमित = दिग्भ्रमित

दिक् + विजय = दिग्विजय

प्राक् + ऐतिहासिक = प्रागैतिहासिक

वाक् + आडंबर = वागाडंबर

वाक् + ईश = वागीश

वाक् + ईश्वरी = वागीश्वरी

वाक् + जाल = वाग्जाल

वाक् + दण्ड = वाग्दण्ड

वाक् + दान = वाग्दान

वाक् + देवी = वाग्देवी

ऋक् + वेद = ऋग्वेद

ऋक् + वेदी = ऋग्वेदी

च् का ज् में परिवर्तन-

अच् + अंत = अजंत

अच् + आदि = अजादि

ट् का ड् में परिवर्तन-

षट् + अंग = षडंग

षट् + अंगी = षडंगी

षट् + अभिज्ञ = षडभिज्ञ

षट् + अक्षरी = षडक्षरी

षट् + आत्मा = षडात्मा

षट् + आनन = षडानन

षट् + आयतन = षडायतन

षट् + गुण = षडगुण

षट् + दर्शन = षडदर्शन

षट् + भाव = षडभाव

षट् + यंत्र = षडयंत्र

षट् + रिपु = षड्रिपु

त् का द् में परिवर्तन-

कृत् + अन्त = कृदन्त

जगत् + अंबा = जगदंबा

जगत् + आचार्य = जगदाचार्य

जगत् + ईश = जगदीश

जगत् + गुरु = जगद्गुरु

जगत् + विख्यात = जगद्विख्यात

जगत् + विनाश = जगद्विनाश

तत् + आकार = तदाकार

तत् + इच्छा = तदिच्छा

तत् + उपरान्त = तदोपरान्त

तत् + गुण = तद्गुण

तत् + भव = तद्भव

भगवत् + गीता = भगवद्गीता

भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति

भगवत् + भजन = भगवद्भजन

वृहत् + रथ = वृहद्रथ

सत् + आचार = सदाचार

सत् + आनंद = सदानंद

सत् + आशय = सदाशय

सत् + उपयोग = सदुपयोग

सत् + गति = सद्गति

सत् + गुण = सद्गुण

सत् + गुरु = सद्गुरु

सत् + भावना = सद्भावना

सत् + वाणी = सद्वाणी

नोट- 'त्' वर्ण का मेल यदि ल, ज, झ अथवा ड वर्ण से हो तो 'त्' वर्ण क्रमशः ल्, ज्, झ् अथवा ड् वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। (नियम '4' देखें।)

जैसे-

उत् + झटिका = उज्झटिका (त् → ज्)

उत् + डयन = उड्डयन (त् → ड्)

उत् + लास = उल्लास (त् → ल्)

सत् + जन = सज्जन (त् → ज्)

प् का ब् में परिवर्तन-

अप् + ज = अब्ज

अप् + धि = अब्धि

सुप् + अंत = सुबंत

सुप् + आदि = सुबादि

● नियम- 2 : वर्ग के पहले वर्ण का पाँचवें वर्ण में परिवर्तन-

यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण (क्, च्, ट्, त्, प्) का मेल अनुनासिक वर्ण (न, म) से हो तो उसका परिवर्तन उसी वर्ण के पाँचवें वर्ण (ङ्, ज्, ण्, न्, म्) में हो जाता है। जैसे-

● क् → ङ्

● च् → ज्

● ट् → ण्

● त् → न्

● प् → म्

क् का ङ् में परिवर्तन- दिक् + नाग = दिङ्नाग

दिक् + नाथ = दिङ्नाथ

दिक् + मण्डल = दिङ्मण्डल

दिक् + माया = दिङ्माया

दिक् + मात्र = दिङ्मात्र

दिक् + मुख = दिङ्मुख

दिक् + मोह = दिङ्मोह

वाक् + मय = वाङ्मय

वाक् + मयी = वाङ्मयी

वाक् + मात्र = वाङ्मात्र

वाक् + मुख = वाङ्मुख

वाक् + मूर्ति = वाङ्मूर्ति

च् का ज् में परिवर्तन - रुच् + मय = रुज्मय

ट् का ण् में परिवर्तन - षट् + दर्शन = षण्दर्शन/षण्दर्शन

षट् + मार्ग = षण्मार्ग/षण्मार्ग

षट् + मास = षण्मास/षण्मास

षट् + मुख = षण्मुख/षण्मुख

त् का न् में परिवर्तन - उत् + नति = उन्नति

उत् + नयन = उन्नयन

उत् + मत्त = उन्नत्त

उत् + मार्ग = उन्नमार्ग

उत् + मीलन = उन्मीलन

उत् + मुक्ति = उन्मुक्ति

उत् + मुख = उन्मुख

उत् + मूलन = उन्मूलन

चित् + मय = चिन्मय

जगत् + नाथ = जगन्नाथ

जगत् + निवास = जगन्निवास

जगत् + मयी = जगन्मयी

जगत् + माता = जगन्माता

तत् + मय = तन्मय

सत् + नाम = सन्नाम

सत् + निपात = सन्निपात

सत् + मति = सन्मति

सत् + मात्र = सन्मात्र

सत् + मित्र = सन्मित्र

हनुमत् + नाटक = हनुमन्नाटक

प् का म् में परिवर्तन - अप् + मय = अम्मय

● नियम- 3 : 'छ' संबंधी नियम- 'छ' के पहले यदि कोई 'स्वर' हो तो 'छ' के स्थान पर 'च्छ' हो जाता है। जैसे-

(संकेत सूत्र = स्वर + छ = 'च्' का आगम)

अनु + छेद = अनुच्छेद

आ + छादन = आच्छादन

छत्र + छाया = छत्रच्छाया

परि + छेद = परिच्छेद

पितृ + छाया = पितृच्छाया

प्र + छन = प्रच्छन

भातृ + छाया = भातृच्छाया

वृक्ष + छाया = वृक्षच्छाया

वि + छिन = विच्छिन

वि + छेद = विच्छेद

संधि + छेद = संधिच्छेद

स्व + छंद = स्वच्छंद

में बदल जाता है। जैसे-

उत् + लास = उल्लास

उत् + लेख = उल्लेख

उत् + लंघन = उल्लंघन

तत् + लीन = तल्लीन

(ii) 'त्' का मेल यदि 'ज' या 'झ' से हो तो 'त्' परिवर्तित होकर 'ज्' हो जाता है। जैसे-

उत् + ज्वल = उज्ज्वल

उत् + जैन = उज्जैन

उत् + झटिका = उज्झटिका

जगत् + जननी = जगज्जननी

विपत् + जाल = विपज्जाल

सत् + जन = सज्जन

(iii) 'त्' का मेल यदि 'ट' से हो तो 'त्' परिवर्तित होकर 'ट्' हो जाता है। जैसे-

तत् + टीका = तट्टीका/तट्टीका

मत् + टीका = मट्टीका/मट्टीका

वृहत् + टीका = वृहट्टीका/वृहट्टीका

सत् + टीका = सट्टीका/सट्टीका

(iv) 'त्' का मेल यदि 'ड' से हो तो 'त्' परिवर्तित होकर 'ड्' हो जाता है। जैसे-

उत् + डयन = उड्डयन

उत् + डीन = उड्डीन

उत् + डीश = उड्डीश

(v) 'त्' के बाद यदि 'श' हो तो 'त्' का 'च्' और 'श' का 'छ' हो जाता है। जैसे-

उत् + श्वसन = उच्छ्वसन

उत् + श्वास = उच्छ्वास

उत् + शासन = उच्छासन

उत् + शास्त्र = उच्छास्त्र

उत् + शिष्ट = उच्छिष्ट

● नियम- 4 : त् संबंधी नियम-

(i) 'त्' का मेल यदि 'ल' से हो रहा हो तो 'त्' वर्ण 'ल्' में

उत् + शोषण = उच्छोषण

तत् + शरण = तच्छरण

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र

सत् + शासन = सच्छासन

(vi) 'त्' के बाद यदि 'च' या 'छ' हो तो 'त्' का 'च्' हो जाता है। जैसे-

उत् + चारण = उच्चारण

उत् + चारित = उच्चारित

जगत् + छाया = जगच्छाया

पत् + छेद = पच्छेद

वृहत् + छत्र = वृहच्छत्र

शरत् + चंद्र = शरच्चंद्र

सत् + चरित्र = सच्चरित्र

सत् + चिदानन्द = सच्चिदानन्द

(vii) 'त्' के बाद 'ह' हो तो दोनों मिलकर 'द्ध' हो जाता है।
जैसे-

(त् + ह = द्ध)

उत् + हरण = उद्धरण

उत् + हव = उद्धव

उत् + हार = उद्धार

तत् + हित = तद्धित

पत् + हति = पद्धति

● नियम- 5 : 'न' संबंधी नियम- यदि ऋ, ए, ओ के ठीक बाद 'न' अथवा दोनों के बीच कोई भी स्वर वर्ण या क-वर्ग (क्, ख, ग, घ, ङ) या प-वर्ग (प, फ, ब, भ, म्) या य, र, ल, व् (अन्तःस्थ व्यंजन) में से कोई हो तो 'न' के स्थान में 'ण' हो जाता है। जैसे-

ऋ + न = ऋण

ऋ + नी = ऋणी

कृष् + न = कृष्ण

कृष् + ना = कृष्णा

तर + अन = तरण

तृष् + ना = तृष्णा

परि + नय = परिणय

परि + नाम = परिणाम

परि + नीत = परिणीत

परि + नीता = परिणीता

परि + मान = परिमाण

पोष + अन = पोषण

प्र + आन = प्राण

प्र + न = प्रण

प्र + नय = प्रणय

प्र + नाद = प्रणाद

प्र + नाम = प्रणाम

प्र + नालिका = प्रणालिका

प्र + निपात = प्रणिपात

प्र + नोद = प्रणोद

प्र + मान = प्रमाण

भर + अन = भरण

भूष + अन = भूषण

मर + अन = मरण

राम + अयन = रामायण

विष् + नु = विष्णु

● नियम- 6 : 'म्' संबंधी नियम-

(i) यदि 'म्' का मेल 'क्' से लेकर 'भ्' तक के किसी भी व्यंजन से होता है, तो 'म्' उसी वर्ग के पाँचवें वर्ण 'ङ्, ज्, ण्, न्, म्' में बदल जाता है। इसका प्रयोग अनुस्वार (ँ) के रूप में किया जाता है। वस्तुतः मानक रूप में ही अनुस्वार (ँ) को प्रयोग में लाना चाहिए।
जैसे-

अहम् + कार = अहंकार

चम् + चल = चंचल

तीर्थम् + कर = तीर्थकर
 भयम् + कर = भयंकर
 शम् + कर = शंकर
 शुभम् + कर = शुभंकर
 सम् + कट = संकट
 सम् + कल्प = संकल्प
 सम् + कीर्ण = संकीर्ण
 सम् + गठन = संगठन
 सम् + गति = संगति
 सम् + ग्राम = संग्राम
 सम् + गीत = संगीत
 सम् + घटन = संघटन
 सम् + घर्ष = संघर्ष
 सम् + चय = संचय
 सम् + चार = संचार
 सम् + चालन = संचालन
 सम् + चित = संचित
 सम् + जय = संजय
 सम् + तुलन = संतुलन
 सम् + तुष्ट = संतुष्ट
 सम् + तोष = संतोष
 सम् + देश = संदेश
 सम् + देह = संदेह
 सम् + धि = संधि
 सम् + न्यास = संन्यास
 सम् + पूर्ण = संपूर्ण
 सम् + बंध = संबंध
 सम् + भव = संभव
 सम् + भाग = संभाग
 सम् + भावना = संभावना
 सम् + ज्ञा = संज्ञा

(ii) म् का मेल यदि म से होता है तो म्+म= म्म अर्थात् द्वित्व हो जाता है। अतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे-

सम् + मत = सम्मत
 सम् + मति = सम्मति
 सम् + मान = सम्मान
 सम् + मुख = सम्मुख
 सम् + मेलन = सम्मेलन
 सम् + मोहन = सम्मोहन

(iii) म् का मेल अन्तःस्थ व्यंजन (य, र, ल, व,) या ऊष्म व्यंजन (श, घ, स, ह) से होने पर म् अनुस्वार (-) में बदल जाता है। जैसे-

किम् + वदंती = किंवदंती
 सम् + यम = संयम
 सम् + युक्त = संयुक्त
 सम् + योग = संयोग
 सम् + रचना = संरचना
 सम् + रक्षक = संरक्षक
 सम् + रक्षण = संरक्षण
 सम् + लग्न = संलग्न
 सम् + लाप = संलाप
 सम् + वत् = संवत्
 सम् + वाद = संवाद
 सम् + विधान = संविधान
 सम् + वेग = संवेग
 सम् + वेदन = संवेदन
 सम् + वेदना = संवेदना
 सम् + शय = संशय
 सम् + शोधन = संशोधन
 सम् + श्लेषण = संश्लेषण
 सम् + सद = संसद
 सम् + सार = संसार
 सम् + स्मरण = संस्मरण

सम् + हार = संहार

सम् + हिता = संहिता

स्वयम् + वर = स्वयंवर

● नियम- 7 : 'स' संबंधी नियम- स से पहले अ, आ से भिन्न स्वर हो तो 'स' का 'ष' हो जाता है। जैसे -

अभि + सेक = अभिषेक

नि + सिद्ध = निषिद्ध

नि + सेध = निषेध

परि + सद = परिषद

वि + सम = विषम

वि + सय = विषय

वि + साद = विषाद

सु + समा = सुषमा

सु + सुप्त = सुषुप्त

सु + सिर = सुषिर

सु + स्मिता = सुष्मिता

● नियम- 8 : व्यंजन लोप संधि- दो मिलने वाले शब्दों में यदि प्रथम के अन्त में 'न्' हो तो उसका लोप हो जाता है। ये शब्द मूलतः हिन्दी में तत्सम से आये हैं जिनके अंत में 'न्' होता है। संधि करते समय इस 'न्' का लोप कर दिया जाता है। जैसे-

आत्मन् + विश्वास = आत्मविश्वास

आत्मन् + हत्या = आत्महत्या

आत्मन् + ज्ञान = आत्मज्ञान

धनिन् + त्व = धनित्व

पक्षिन् + गण = पक्षिगण

पक्षिन् + राज = पक्षिराज

प्राणिन् + मात्र = प्राणिमात्र

प्राणिन् + विज्ञान = प्राणिविज्ञान

प्राणिन् + शास्त्र = प्राणिशास्त्र

युवन् + राज = युवराज

युवन् + वाणी = युववाणी

राजन् + आज्ञा = राजाज्ञा

राजन् + कुल = राजकुल

राजन् + गृह = राजगृह

हस्तिन् + दन्त = हस्तिदन्त

(स) विसर्ग सन्धि

विसर्ग का चिन्ह ':' है। उच्चारण के लिए इसे अः (अह्) बोलते हैं। इसकी गणना व्यंजनों में होती है। हिन्दी में व्यवहृत संस्कृत के शब्दों में यह केवल अः, दुः तथा निः उपसर्गों में पाया जाता है।

विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार (परिवर्तन) उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे-

तपः + भूमि = तपोभूमि

निः + आहार = निराहार

मनः + योग = मनोयोग

● नियम-1 : विसर्ग (:) का लोप हो जाना-

(i) 'अः' के बाद 'अ' को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे-

तपः + उत्तम = तपउत्तम

(तप्+अः)+उत्तम ('अः' के बाद 'उ' होने से विसर्ग का लोप)

अतः + एव = अतएव

(अत्+अः)+एव ('अः' के बाद 'ए' होने से विसर्ग का लोप)

(ii) 'इः' के बाद 'र' हो तो विसर्ग का लोप होकर 'इः' का 'ई' हो जाता है। जैसे-

निः + रोग = नीरोग

(न+इः)+रोग=न+ई+रोग=नीरोग(इः का ई में रूपान्तरण)

निः + रस = नीरस

(न+इः)+रस=न+ई+रस=नीरस

● नियम- 2 विसर्ग (:) में परिवर्तन न होना- यदि विसर्ग के पूर्व 'अ' हो (अर्थात् अ की मात्रा हो) तथा विसर्ग के बाद 'क, ख, प, फ' हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे-

अंतः + करण = अंतःकरण

अंतः + पुर = अंतःपुर

अधः + पतन = अधःपतन

अधः + फलित = अधःफलित

पयः + पान = पयःपान

पुनः + प्राप्ति = पुनःप्राप्ति

पुनः + फलित = पुनःफलित

प्रातः + काल = प्रातःकाल

मनः + कल्पित = मनःकल्पित

नोट- तः= त्+अः अर्थात् विसर्ग के पूर्व अ की मात्रा

● अपवाद- परन्तु कुछ शब्दों में विसर्ग (:) का स् हो जाता है। जैसे-

तिरः + कृत = तिरस्कृत

तिरः + कार = तिरस्कार

नमः + कार = नमस्कार

परः + पर = परस्पर

पुरः + कृत = पुरस्कृत

पुरः + कार = पुरस्कार

भाः + कर = भास्कर

श्रेयः + कर = श्रेयस्कर

● नियम- 3 : विसर्ग के बाद श, ष, स आता है, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का अक्षर हो जाता है। जैसे-

दुः + शासन = दुःशासन / दुःशासन

दुः + शील = दुःशील/दुःशील

दुः + संधि = दुःसंधि/दुःसंधि

निः + शंक = निःशंक / निःशंक

निः + सन्देह = निःसन्देह / निःसन्देह

निः + सार = निःसार / निःसार

हरिः + श्रेते = हरिःश्रेते / हरिःश्रेते

● नियम- 4 : विसर्ग के बाद 'च' अथवा 'छ' हो तो विसर्ग का 'श्' हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद 'ट' अथवा 'ठ' हो तो विसर्ग का 'प्' हो जाता है और विसर्ग के बाद 'त' अथवा 'थ' हो तो विसर्ग का 'स्' हो जाता है।

(i) विसर्ग (:) + च, छ = विसर्ग (:) का श्

जैसे- आः + चर्य = आश्चर्य

दुः + चरित्र = दुश्चरित्र

निः + चय = निश्चय

निः + चल = निश्चल

निः + चिन्त = निश्चिन्त

निः + छल = निश्छल

पुनः + चर्या = पुनश्चर्या

पुरः + चरण = पुरश्चरण

प्रायः + चित = प्रायश्चित

हरिः + चंद्र = हरिश्चंद्र

(ii) विसर्ग (:) + ट, ठ = विसर्ग (:) का ष

जैसे- ततः + ठकार = ततष्ठकार

दुः + ट = दुष्ट

धनुः + टंकार = धनुष्टंकार

निः + ठुर = निष्ठुर

(iii) विसर्ग (:) + त, थ = विसर्ग (:) का स्

जैसे- दुः + थकार = दुस्थकार

नमः + ते = नमस्ते

निः + तार = निस्तार

निः + तेज = निस्तेज

मनः + ताप = मनस्ताप

● नियम- 5 : यदि विसर्ग के पहले 'अ' आये और उसके बाद स्पर्श व्यंजनों का तृतीय (ग, ज, ड, द, ब), चतुर्थ (घ, झ, ढ, ध, भ) या पंचम (ङ, ञ, ण, न, म) वर्ण आये अथवा 'य, र, ल, व, ह' रहे तो विसर्ग का 'उ' हो जाता है और यह 'उ' पूर्ववर्ती 'अ' से मिलकर गुणसन्धि द्वारा 'ओ' हो जाता है।

या

यदि विसर्ग के पहले 'अ' हो और स्पर्श व्यंजनों के प्रथम (क, च, ट, त, प) तथा द्वितीय (ख, छ, ठ, थ, फ) वर्णों को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा 'य, र, ल, व, ह' हो तो 'अ' और 'विसर्ग' का 'ओ' हो जाता है। जैसे-

अधः + गति = अधोगति

अधः + जल = अधोजल
 अधः + मुखी = अधोमुखी
 अधः + लिखित = अधोलिखित
 तमः + गुण = तमोगुण
 तपः + गुण = तपोगुण
 तपः + धन = तपोधन
 तपः + बल = तपोबल
 तपः + भूमि = तपोभूमि
 तपः + वन = तपोवन
 नभः + मण्डल = नभोमण्डल
 पयः + द = पयोद
 पयः + धर = पयोधर
 पयः + निधि = पयोनिधि
 पुरः + धा = पुरोध्वा
 पुरः + हित = पुरोहित
 मनः + ज = मनोज
 मनः + नयन = मनोनयन
 मनः + बल = मनोबल
 मनः + भाव = मनोभाव
 मनः + योग = मनोयोग
 मनः + रथ = मनोरथ
 मनः + विकार = मनोविकार
 मनः + वेग = मनोवेग
 मनः + हर = मनोहर
 यशः + गान = यशोगान
 यशः + दा = यशोदा
 यशः + धरा = यशोधरा
 यशः + लाभ = यशोलाभ
 रजः + गुण = रजोगुण
 वयः + वृद्ध = वयोवृद्ध
 शिरः + मणि = शिरोमणि
 सरः + ज = सरोज
 सरः + वर = सरोवर

अपवाद

पुनः + गठन = पुनर्गठन
 पुनः + जन्म = पुनर्जन्म
 पुनः + मुद्रण = पुनर्मुद्रण

● **नियम- 6** : यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और बाद में स्पर्श व्यंजनों का तीसरा (ग, ज, ड, द, व), चौथा (घ, झ, ढ, ध, भ), पाँचवाँ (ङ, ञ, ण, न, म) वर्ण अथवा 'य, र, ल, व, ह' अथवा कोई स्वर हो तो 'विसर्ग' के स्थान पर 'रू' हो जाता है। जैसे-

आयुः + वेद = आयुर्वेद
 आविः + भाव = आविर्भाव
 आशीः + वाद = आशीर्वाद
 दुः + आत्मा = दुरात्मा
 दुः + आशा = दुराशा
 दुः + उपयोग = दुरुपयोग
 दुः + गन्ध = दुर्गन्ध
 दुः + ग = दुर्ग
 दुः + गुण = दुर्गुण
 दुः + जन = दुर्जन
 दुः + दशा = दुर्दशा
 दुः + दिन = दुर्दिन
 दुः + धर्म = दुर्धर्म
 दुः + नीति = दुर्नीति
 दुः + बल = दुर्बल
 दुः + भाग्य = दुर्भाग्य
 दुः + यश = दुर्यश
 दुः + लक्ष्य = दुर्लक्ष्य
 दुः + लाभ = दुर्लाभ
 धनुः + धर = धनुर्धर
 धनुः + धारी = धनुर्धारी

निः + अंक = निरंक
 निः + अर्थक = निरर्थक
 निः + आदर = निरादर
 निः + आधार = निराधार
 निः + आशा = निराशा
 निः + ईह = निरीह
 निः + उत्तर = निरुत्तर
 निः + उपाय = निरुपाय
 निः + ऊर्मि = निरूर्मि
 निः + एकीभाव = निरेकीभाव
 निः + ऐक्य = निरैक्य
 निः + औषध = निरौषध
 निः + गम = निर्गम
 निः + गुण = निर्गुण
 निः + जन = निर्जन
 निः + जर = निर्जर
 निः + झर = निझर
 निः + दय = निर्दय
 निः + धन = निर्धन
 निः + भय = निर्भय
 निः + मल = निर्मल
 निः + यात = निर्यात
 निः + लेप = निर्लेप
 निः + विकार = निर्विकार
 प्रादुः + भाव = प्रादुर्भाव
 बहिः + अंग = बहिरंग
 बहिः + मुख = बहिर्मुख
 यजुः + वेद = यजुर्वेद

● नियम- 7 : यदि विसर्ग के आगे-पीछे 'अ' हो तो पहला 'अ' और 'विसर्ग' मिलकर 'ओकार' हो जाता है और बाद वाले 'अ' का लोप होकर उसके स्थान में 'लुप्ताकार (ऽ)' हो जाता है। जैसे-

कः + अपि = कोऽपि

नमः + अस्तु = नमोऽस्तु

पंचमः + अध्याय = पंचमोऽध्याय

मनः + अभिलाषा = मनोऽभिलाषा

यशः + अभिलाषी = यशोऽभिलाषी

● नियम- 8 : विसर्ग के पहले यदि 'इ' अथवा 'उ' हो और विसर्ग के बाद 'क, ख, प, फ' हो तो 'विसर्ग' के बदले 'प्' हो जाता है। जैसे-

चतुः + पद = चतुष्पद

दुः + कर = दुष्कर

दुः + कर्म = दुष्कर्म

दुः + कुल = दुष्कुल

दुः + पान = दुष्पान

दुः + पुत्र = दुष्पुत्र

दुः + प्रकृति = दुष्प्रकृति

दुः + फल = दुष्फल

निः + कपट = निष्कपट

निः + कारण = निष्कारण

निः + पंक = निष्पंक

निः + पाप = निष्पाप

निः + फल = निष्फल

अपवाद

दुः + ख = दुःख

परिभाषा- दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे-

चरणकमल	= कमल के समान चरण
चौराहा	= चार राहों का समूह
पाप-पुण्य	= पाप और पुण्य
प्रतिदिन	= प्रत्येक दिन
यशप्राप्त	= यश को प्राप्त
लंबोदर	= लंबा है उदर जिनका अर्थात् गणेश

सामासिक पद- समास के नियमों से बने हुए शब्द को सामासिक पद या सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे-

चरणकमल, चौराहा, पाप-पुण्य, प्रतिदिन, यशप्राप्त, लंबोदर।

समास विग्रह- सामासिक पद के शब्दों को अलग कर उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे-

सामासिक पद	समास विग्रह
चरणकमल	= कमल के समान चरण
चौराहा	= चार राहों का समूह
पाप-पुण्य	= पाप और पुण्य
प्रतिदिन	= प्रत्येक दिन
यशप्राप्त	= यश को प्राप्त
लंबोदर	= लंबा है उदर जिनका अर्थात् गणेश

पद- समास रचना में दो पद होते हैं पहले को पूर्वपद और दूसरे को उत्तरपद कहते हैं। जैसे-'चरणकमल' में

'चरण' पूर्व पद है और 'कमल' उत्तर पद है।

विभक्ति- पदों के बीच संबंध बताने वाले शब्द को विभक्ति कहते हैं। जैसे-

'यश को प्राप्त' में 'को' विभक्ति है।

ध्यान दें-

- सामासिक पद या सामासिक शब्द बनाने में विभक्ति का लोप हो जाता है।
- समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया और छोटा शब्द बनता है।

'सन्धि' और 'समास' में अन्तर

सन्धि	समास
● सन्धि में दो वर्णों का योग होता है।	समास में दो पदों का योग होता है।
● सन्धि के लिए दो वर्णों में मेल और विकार की गुंजाइश रहती है।	समास में पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिये जाते हैं। समास में वर्णों के मेल अथवा विकार से कोई मतलब नहीं रहता।
● सन्धि के तोड़ने को 'विच्छेद' कहते हैं।	● समास का 'विग्रह' होता है।
● संधि में जिन शब्दों का योग होता है, उनका मूल अर्थ नहीं बदलता। जैसे- पुस्तक + आलय = पुस्तकालय	● समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ कभी-कभी बदल जाते हैं। जैसे- विषधर का सामान्य अर्थ विष को धारण करने वाला अर्थात् सांप है परन्तु विशेष अर्थ में 'शिव' भी होता है।

समास के भेद

समास के छः मुख्य भेद हैं-

1. अव्ययीभाव समास
2. तत्पुरुष समास
3. कर्मधारय समास
4. द्विगु समास
5. द्वंद्व समास
6. बहुब्रीहि समास

ध्यान देने योग्य बातें-

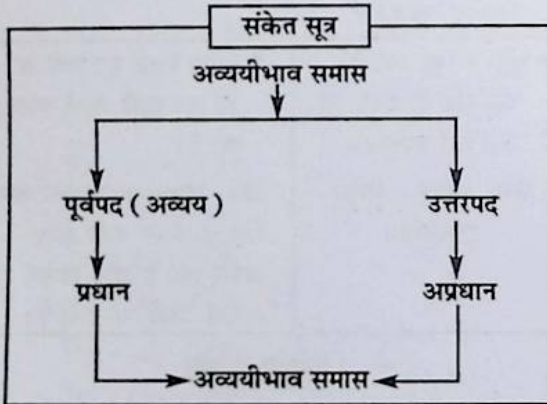
- **पूर्व पद प्रधान-** अव्ययीभाव समास, अर्थात् पूर्व पद से सामासिक पद (शब्द) का भाव स्पष्ट होता है।
जैसे- अनुकूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन।
- **उत्तर पद प्रधान-** तत्पुरुष, कर्मधारय व द्विगु समास। इसमें उत्तर पद से सामासिक पद (शब्द) का भाव स्पष्ट होता है।
जैसे- चरणकमल, यशप्राप्त, त्रिलोक।

- दोनों पद प्रधान- द्वंद्व समास। इसमें दोनों पदों का समान महत्व है। जैसे- गुण-दोष, पाप-पुण्य, माता-पिता।
- दोनों पद अप्रधान- बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पदों के मिलने से कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे- गिरिधर (गिरि को धारण करने वाला अर्थात् कृष्ण), दशानन (दस हैं आनन जिसके अर्थात् रावण),

1. अव्ययीभाव समास

जिस समास में प्रथम पद (पूर्व पद) प्रधान हो और वह द्वितीय पद (उत्तर पद) का अव्यय हो, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं।

पहचान- इसमें सामान्यतया प्रथम पद अ, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, हर होता है।



सामासिक पद	विग्रह
अवसरानुसार	अवसर के अनुसार
आजन्म	जन्म से लेकर
आजीवन	जीवन पर्यंत/जीवन भर
आपादमस्तक	पाद (चरण) से मस्तक तक
आमरण	मरण तक
आसमुद्र	समुद्र तक
उपकूल	कूल के समीप
गली-गली	प्रत्येक गली
गाँव-गाँव	प्रत्येक गाँव

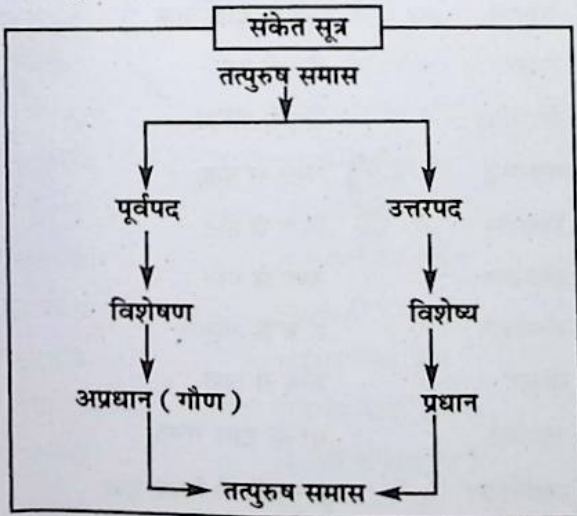
घर-घर	प्रत्येक घर
दिनानुदिन	दिन के बाद दिन
निडर	डर रहित
निधङ्क	बिना धड़क के
निर्भय	बिना भय का
निस्संदेह	संदेह रहित
परोक्ष	अक्षि के परे
प्रतिदिन	प्रत्येक दिन/दिन-दिन
प्रतिवर्ष	प्रत्येक वर्ष/ वर्ष-वर्ष
प्रत्यंग	अंग-अंग
प्रत्यक्ष	अक्षि (आँख) के प्रति (आगे)
प्रत्युपकार	उपकार के प्रति
प्रत्येक	एक-एक (हर एक)
बखूबी	खूबी के साथ
बेकाम	बिना काम का
बेखटके	बिना खटके के
बेफायदा	बिना फायदे का
बेरहम	बिना रहम के
बेलाग	बिना लाग का
भरपेट	पेट भर के
मनमाना	मन के अनुसार
यथाकर्म	कर्म के अनुसार
यथाक्रम	क्रम के अनुसार
यथानियम	नियम के अनुसार
यथामति	मति के अनुसार
यथार्थ	अर्थ के अनुसार
यथारुचि	रुचि के अनुसार
यथाविधि	विधि के अनुसार
यथाशक्ति	शक्ति के अनुसार

यथाशीघ्र	जितना शीघ्र हो
यथासंभव	जितना संभव हो सके
यथासमय	समय के अनुसार
यथासामर्थ्य	सामर्थ्य के अनुसार
यथास्थिति	स्थिति के अनुसार
यावज्जीवन	जब तक जीवन है
रातोंरात	रात ही रात में
समक्ष	अक्षि के सामने
साफ-साफ	बिल्कुल साफ
हरघड़ी	घड़ी-घड़ी
हाथोंहाथ	हाथ ही हाथ में
श्रद्धानुसार	श्रद्धा के अनुसार

2. तत्पुरुष समास

जिस सामासिक पद (शब्द) का उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच कारक चिह्न लुप्त हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं।

सामासिक पद	विग्रह
धर्मग्रंथ	= धर्म का ग्रंथ
राजकुमार	= राजा का कुमार



तत्पुरुष समास के भेद

कारक के विभक्तियों के नामों के अनुसार ही तत्पुरुष समास के छह भेद होते हैं-

- (अ) कर्म तत्पुरुष (द्वितीया तत्पुरुष- 'को' विभक्ति का लोप)
- (ब) करण तत्पुरुष (तृतीया तत्पुरुष- 'से', 'के द्वारा' विभक्ति का लोप)
- (स) संप्रदान तत्पुरुष (चतुर्थी तत्पुरुष- 'के लिए' विभक्ति का लोप)
- (द) अपादान तत्पुरुष (पंचमी तत्पुरुष- 'से' विभक्ति का लोप)
- (इ) संबंध तत्पुरुष (षष्ठी तत्पुरुष- 'का', 'के', 'की' विभक्ति का लोप)
- (फ) अधिकरण तत्पुरुष (सप्तमी तत्पुरुष- 'में', 'पर' विभक्ति का लोप)

नोट - तत्पुरुष समास के उपर्युक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, उन सबमें नञ् तत्पुरुष सबसे प्रमुख है।

(अ) कर्म तत्पुरुष (द्वितीया तत्पुरुष)

दो पदों के बीच में कर्मकारक छिपा हुआ होता है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मकारक का चिह्न 'को' होता है। 'को' को कर्मकारक की विभक्ति भी कहा जाता है।

सामासिक पद	विग्रह
आशातीत	आशा को लाँघकर गया हुआ
कमरतोड़	कमर को तोड़ने वाला
कष्टप्रद	कष्ट को देने वाला
गगनचुम्बी	गगन को चुमने वाला
गृहागत	गृह को आया हुआ (आगत)
ग्रंथकार	ग्रंथ को लिखने वाला
ग्रामगत	ग्राम को गत
चिड़ीमार	चिड़ियों को मारने वाला
जेबकतरा	जेब को कतरने वाला
तर्कसंगत	तर्क को संगत

दुःखप्रद	दुख को देने वाला	दुःखार्त	दुःख से आर्त
दिलतोड़	दिल को तोड़ने वाला	देहचोर	देह से चोर
परलोकगमन	परलोक को गमन	दोषपूर्ण	दोष से पूर्ण
प्रेमप्राप्त	प्रेम को प्राप्त	पददलित	पद से दलित
मनोहर	मन को हरने वाला	प्रकाशयुक्त	प्रकाश से युक्त
मरणासन्न	मरण को आसन्न (पहुँचा हुआ)	प्रेमसिक्त	प्रेम से सिक्त
माखनचोर	माखन को चुराने वाला	बिहारीरचित	बिहारी के द्वारा रचित
मुँहतोड़	मुँह को तोड़ने वाला	बोधगम्य	बोध के द्वारा गम्य
यशप्राप्त	यश को प्राप्त	भयाकुल	भय से आकुल
रथचालक	रथ को चलाने वाला	मनगढ़ंत	मन से गढ़ा
वनगमन	वन को गमन	मनचाहा	मन से चाहा
विदेशगमन	विदेश को गमन	मदमाता	मद से मस्त
संकटापन्न	संकट को पाया हुआ	मदान्ध	मद से अन्ध
सिरतोड़	सिर को तोड़ने वाला	मुँहचोर	मुँह से चोर
सुखप्रद	सुख को देने वाला	मुँहमाँगा	मुँह से माँगा
स्वर्गप्राप्त	स्वर्ग को प्राप्त	मेघाच्छन्न	मेघ से आच्छन्न

(ब) करण तत्पुरुष (तृतीया तत्पुरुष)

दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। करण कारक का चिह्न या विभक्ति 'के द्वारा' और 'से' होता है।

सामासिक पद	विग्रह		
अकालपीड़ित	अकाल से पीड़ित	रत्नजड़ित	रत्न से जड़ा हुआ
अभावग्रस्त	अभाव से ग्रस्त	रसभरा	रस से भरा
ईश्वरदत्त	ईश्वर के द्वारा दिया हुआ	रेखांकित	रेखा से अंकित
ऋणग्रस्त	ऋण से ग्रस्त	रेलयात्रा	रेल के द्वारा यात्रा
करुणापूर्ण	करुणा से पूर्ण	रोगग्रस्त	रोग से ग्रस्त
कष्टसाध्य	कष्ट से साध्य	रोगपीड़ित	रोग से पीड़ित
कामचोर	काम से चोर	वचनबद्ध	वचन से बद्ध
गुणयुक्त	गुण से युक्त	विद्याहीन	विद्या से हीन
जलसिक्त	जल से सिक्त	शोकग्रस्त	शोक से ग्रस्त
तुलसीकृत	तुलसी के द्वारा कृत	शोकाकुल	शोक से आकुल
तुलसीरचित	तुलसी के द्वारा रचित	शोकार्त	शोक से आर्त
		सूररचित	सूर के द्वारा रचित
		हस्तलिखित	हस्त/हाथ से लिखा हुआ
		श्रमजीवी	श्रम से जीने वाला

(स) संप्रदान तत्पुरुष (चतुर्थी तत्पुरुष)

दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। सम्प्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति 'के लिए' होता है।

सामासिक पद

सामासिक पद	विग्रह
कृष्णार्पण	कृष्ण के लिए अर्पण
क्रीड़ाक्षेत्र	क्रीड़ा के लिए क्षेत्र
गुरुदक्षिणा	गुरु के लिए दक्षिणा
गोशाला	गो के लिए शाला
डाकगाड़ी	डाक के लिए गाड़ी
तपोवन	तप के लिए वन
देवबलि	देव के लिए बलि
देवालय	देव के लिए आलय
देशप्रेम	देश के लिए प्रेम
देशभक्ति	देश के लिए भक्ति
देशार्पण	देश के लिए अर्पण
न्यायालय	न्याय के लिए आलय
नाट्यशाला	नाट्य के लिए शाला
परीक्षाभवन	परीक्षा के लिए भवन
पाठशाला	पाठ के लिए शाला
पुण्यदान	पुण्य के लिए दान
पुत्रशोक	पुत्र के लिए शोक
प्रयोगशाला	प्रयोग के लिए शाला
ब्राह्मणदेय	ब्राह्मण के लिए देय
मार्गव्यय	मार्ग के लिए व्यय
मालगोदाम	माल के लिए गोदाम
यज्ञशाला	यज्ञ के लिए शाला
युद्धभूमि	युद्ध के लिए भूमि
युद्धाभ्यास	युद्ध के लिए अभ्यास
युववाणी	युवाओं के लिए वाणी
रणभूमि	रण के लिए भूमि
रसोईघर	रसोई के लिए घर

राहखर्च

रेलभाड़ा

लोकहितकारी

विद्यालय

विधानसभा

विवाहमण्डप

शपथपत्र

शिवार्पण

सचिवालय

सत्याग्रह

सभाभवन

साधुदक्षिणा

स्नानघर

हथकड़ी

हथघड़ी

हवनकुंड

हवनसामग्री

राह के लिए खर्च

रेल के लिए भाड़ा

लोक के लिए हितकारी

विद्या के लिए आलय

विधान के लिए सभा

विवाह के लिए मण्डप

शपथ के लिए पत्र

शिव के लिए अर्पण

सचिवों के लिए आलय

सत्य के लिए आग्रह

सभा के लिए भवन

साधु के लिए दक्षिणा

स्नान के लिए घर

हाथ के लिए कड़ी

हाथ के लिए घड़ी

हवन के लिए कुंड

हवन के लिए सामग्री

(द) अपादान तत्पुरुष (पंचमी तत्पुरुष)

दो पदों के बीच में अपादान कारक छिपा होता है, उसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह या विभक्ति 'से' (अलग होने का भाव) होता है।

सामासिक पद

सामासिक पद	विग्रह
ईश्वरविमुख	ईश्वर से विमुख
ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
कार्यमुक्त	कार्य से मुक्त
गुणहीन	गुण से हीन
जन्मांध	जन्म से अंधा
जलरिक्त	जल से रिक्त
देशनिकाला	देश से निकाला
धनहीन	धन से हीन
धर्मच्युत	धर्म से च्युत
धर्मभ्रष्ट	धर्म से भ्रष्ट

धर्मविमुख	धर्म से विमुख	आनन्दाश्रम	आनन्द का आश्रम
नेत्रहीन	नेत्र से हीन	आज्ञानुसार	आज्ञा के अनुसार
पदच्युत	पद से च्युत	कर्मयोग	कर्म का योग
पदभ्रष्ट	पद से भ्रष्ट	खरारि	खर का अरि
पदमुक्त	पद से मुक्त	गंगाजल	गंगा का जल
पापमुक्त	पाप से मुक्त	गृहस्वामी	गृह का स्वामी
प्रेमरिक्त	प्रेम से रिक्त	गुरुसेवा	गुरु की सेवा
बन्धनमुक्त	बन्धन से मुक्त	गोमूत्र	गो का मूत्र
बलहीन	बल से हीन	गोस्वामी	गो का स्वामी
भयभीत	भय से भीत	गोसेवा	गो की सेवा
मरणोत्तर	मरण से उत्तर	ग्रंथावली	ग्रंथों की अवली
मायारिक्त	माया से रिक्त	ग्रामोत्थान	ग्राम का उत्थान
रोगमुक्त	रोग से मुक्त	ग्रामोद्धार	ग्राम का उद्धार
लक्ष्यभ्रष्ट	लक्ष्य से भ्रष्ट	घुड़दौड़	घोड़ों की दौड़
लाभरहित	लाभ से रहित	चन्द्रोदय	चन्द्र का उदय
लोकोत्तर	लोक से उत्तर (परे)	चरित्रचित्रण	चरित्र का चित्रण
व्ययमुक्त	व्यय से मुक्त	जलधारा	जल की धारा
शक्तिहीन	शक्ति से हीन	जलप्रवाह	जल का प्रवाह
सेवानिवृत्त	सेवा से निवृत्त	जीवनदान	जीवन का दान
स्थानच्युत	स्थान से च्युत	दीपावली	दीपों की अवली (समूह पंक्ति)
स्थानभ्रष्ट	स्थान से भ्रष्ट	दुःखसागर	दुःख का सागर
त्रुटिहीन	त्रुटि से हीन	देवालय	देव का आलय
ज्ञानभ्रष्ट	ज्ञान से भ्रष्ट	देशभक्त	देश का भक्त
		देशरक्षा	देश की रक्षा
		देशवासी	देश का वासी
		देशसेवा	देश की सेवा
		नगरसेठ	नगर का सेठ
		परनिंदा	पर (दूसरे) की निंदा
		पराधीन	पर के अधीन
		पशुबलि	पशु की बलि
		पुस्तकालय	पुस्तक का आलय
		प्रजापति	प्रजा का पति
		प्रश्नोत्तर	प्रश्नों का उत्तर

(इ) संबंध तत्पुरुष (षष्ठी तत्पुरुष)

दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है, उसे सम्बन्ध तत्पुरुष समास कहते हैं। संबंध कारक का चिह्न या विभक्ति 'का', 'के', 'की' होता है।

सामासिक पद

विग्रह

अन्नदान	अन्न का दान
अमचूर	आम का चूरा
अमरस	आम का रस
अक्षांश	अक्ष का अंश

प्राणदण्ड	प्राणों का दण्ड	शिवालय	शिव का आलय
प्राणदान	प्राणों का दान	शिक्षापद्धति	शिक्षा की पद्धति
प्रेमोपासक	प्रेम का उपासक	सभाध्यक्ष	सभा का अध्यक्ष
मंत्रिपरिषद्	मंत्रियों की परिषद्	सभामति	सभा का पति (मुखिया)
मतदाता	मत का दाता	सत्रावसान	सत्र का अवसान
मातृभाषा	मातृ की भाषा	सूर्यास्त	सूर्य का अस्त होना
मृगछौना	मृग का छौना	सूर्योदय	सूर्य का उदय होना
मृत्युदण्ड	मृत्यु का दण्ड	सेनानायक	सेना का नायक
यदुवंश	यदु (यादवों) का वंश	सेनापति	सेना का पति (मुखिया)
युद्धक्षेत्र	युद्ध का क्षेत्र	हिमालय	हिम का आलय
रघुवंश	रघु का वंश	त्रिपुरारि	त्रिपुर का अरि
राजकुमार	राजा का कुमार	श्रमदान	श्रम का दान
राजगृह	राजा का गृह		
राजदरबार	राजा का दरबार		
राजदूत	राज का दूत		
राजपुरुष	राज का पुरुष		
राजपुत्र	राजा का पुत्र		
राजभवन	राजा का भवन		
राजभाषा	राज्य (शासन) की भाषा		
राजमाता	राजा की माता		
राजसभा	राजा की सभा		
राजाज्ञा	राजा की आज्ञा		
रामचरित	राम का चरित (चरित्र)		
रामायण	राम का अयन		
रामोपासक	राम का उपासक		
राष्ट्रपति	राष्ट्र का पति (मुखिया)		
लखपति	लाख/लाखों (रुपयों) का पति		
लोकसभा	लोक की सभा		
लोकोक्ति	लोक की उक्ति		
विद्यासागर	विद्या का सागर		
विश्वासपात्र	विश्वास का पात्र		
शब्दकोश	शब्दों का कोश		
शास्त्रानुकूल	शास्त्र के अनुकूल		
शासनपद्धति	शासन की पद्धति		

(फ) अधिकरण तत्पुरुष (सप्तमी तत्पुरुष)

दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति 'में' 'पर' होता है।

सामासिक पद

विग्रह

आत्मनिर्भर	आत्म (स्वयं) पर निर्भर
आनन्दमग्न	आनन्द में मग्न
आपबीती	आप पर बीती हुई
ऋषिराज	ऋषियों में राजा
कर्मनिष्ठ	कर्म में निष्ठ
कलानिपुण	कला में निपुण
कलाश्रेष्ठ	कला में श्रेष्ठ
कविश्रेष्ठ	कवियों में श्रेष्ठ
कार्यकुशल	कार्य में कुशल
कुलश्रेष्ठ	कुल में श्रेष्ठ
गृहप्रवेश	गृह में प्रवेश
ग्रामवास	ग्राम में वास
घुड़सवार	घोड़े पर सवार
डिब्बाबंद	डिब्बा में बंद
दानवीर	दान में वीर
धर्मवीर	धर्म में वीर

ध्यानमग्न	ध्यान में मग्न	सामासिक पद	विग्रह
नराधम	नरों में अधम	अकर्मण्य	न कर्मण्य
नरोत्तम	नरों में उत्तम	अगोचर	न गोचर
पर्वतारोहण	पर्वत पर आरोहण	अचेतन	न चेतन
पुरुषसिंह	पुरुषों में सिंह	अजर	न जर
पुरुषोत्तम	पुरुषों में उत्तम	अनंत	न अंत
भाषाधिकार	भाषा पर अधिकार	अनगिनत	न गिनत
मुनिश्रेष्ठ	मुनियों में श्रेष्ठ	अनचाहा	न चाहा
युद्धवीर	युद्ध में वीर	अनचाही	न चाही
रणवीर	रण में वीर	अनदेखा	न देखा
रणशूर	रण में शूर	अनदेखी	न देखी
लोकप्रिय	लोक में प्रिय	अनपढ़	न पढ़
वनवास	वन में वास	अनभिज्ञ	न भिज्ञ
विद्याप्रवीण	विद्या में प्रवीण	अनादि	न आदि
व्यवहारनिपुण	व्यवहार में निपुण	अनावश्यक	न आवश्यक
शरणागत	शरण में आगत	अनासक्त	न आसक्त
शास्त्रप्रवीण	शास्त्र में प्रवीण	अनिच्छा	न इच्छा
शोकमग्न	शोक में मग्न	अनुचित	न उचित
सर्वोत्तम	सर्व में उत्तम	अन्याय	न न्याय
सिरदर्द	सिर में दर्द	अपवित्र	न पवित्र
स्वर्गवास	स्वर्ग में वास	अपुत्र	न पुत्र
हरफनमौला	हर फन में मौला	अब्राह्मण	न ब्राह्मण
हवाईयात्रा	हवा में यात्रा	अबोध	न बोध
क्षत्रियाधम	क्षत्रियों में अधम	अमर	न मर
		अमिट	न मिट
		अयोग	न योग
		अयोग्य	न योग्य
		अलौकिक	न लौकिक
		अशिष्ट	न शिष्ट
		असंभव	न संभव
		असत्य	न सत्य
		अस्थिर	न स्थिर
		अज्ञान	न ज्ञान

नञ् तत्पुरुष समास

वह समास, जिसमें प्रथम पद निषेध का वाचक हो उसे 'नञ् तत्पुरुष' समास कहते हैं। निषेध का आशय नकारात्मक भाव प्रकट करने वाले शब्दों से है। ऐसे शब्दों (समस्तपदों) के प्रारंभ में अन, अ, ना, न, ला आदि उपसर्ग लगे हुए होते हैं। इन शब्दों को व्याकरण में गति शब्द भी कहा जाता है। इन पदों का विग्रह 'न' लगाकर किया जाता है जैसे- 'अबोध' का विग्रह 'न बोध' है।

विशेष तथ्य- अरबी-फारसी शब्दों में 'ना' एवं 'ला' उपसर्ग का प्रयोग होता है। 'ना' उपसर्ग फारसी और 'ला' उपसर्ग अरबी भाषा का है। हिन्दी में ये उपसर्ग 'नञ् तत्पुरुष' की श्रेणी में आते हैं।

सामासिक पद	विग्रह
नाक्राबिल	न क्राबिल
नाकाम	न काम
नाखुश	न खुश
नाजायज	न जायज
नापसन्द	न पसन्द
नामालूम	न मालूम
नामुमकिन	न मुमकिन
नालायक	न लायक
नासमझ	न समझ
लाइलाज	न इलाज
लापता	न पता
लापरवाह	न परवाह
लावारिस	न वारिस

(3) कर्मधारय समास

कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमेय (जिसकी तुलना की जाए) और दूसरा पद उपमान (जिससे तुलना की जाए) होता है।

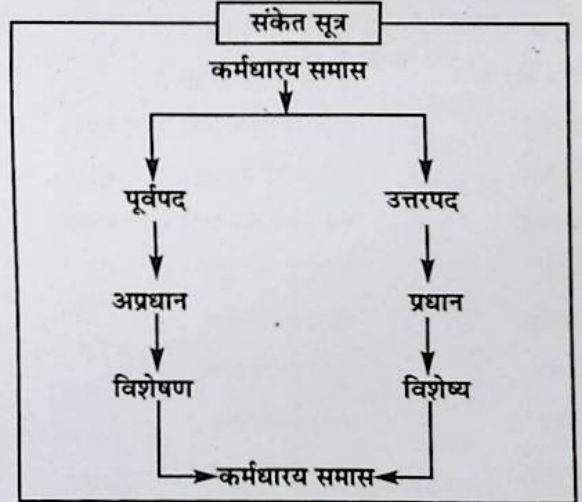
वस्तुतः कर्मधारय समास की दो स्थितियाँ हो सकती हैं-

(क) पूर्व पद विशेषण तथा उत्तरपद विशेष्य होता है। जैसे- 'नीलकमल', इसमें पूर्व पद 'नील' कमल की विशेषता बता रहा है। अतएव वह विशेषण हुआ व 'कमल' विशेष्य हुआ। इसे विशेषण-विशेष्य कर्मधारय समास कहते हैं।

(ख) समास के दोनों पदों में उपमेय-उपमान का संबंध होता है। जैसे- 'कमलनयन' अर्थात् कमल के समान नयन। यहाँ नयन 'उपमेय' है और कमल 'उपमान' है। इसी तरह 'चरणकमल' अर्थात् कमल के समान चरण। यहाँ चरण 'उपमेय' है और कमल 'उपमान' है। इसे उपमेय-उपमान कर्मधारय समास कहते हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

1. **विशेषण-** संज्ञा (अथवा सर्वनाम) की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को 'विशेषण' कहते हैं।
2. **विशेष्य-** विशेषण शब्द जिस संज्ञा (अथवा सर्वनाम) की विशेषता बताता है, उसे 'विशेष्य' कहा जाता है।
जैसे- 'मोहन मेधावी विद्यार्थी है।' प्रस्तुत वाक्य में मेधावी 'विशेषण' और विद्यार्थी 'विशेष्य' है।
3. **उपमेय-** जिस वस्तु या व्यक्ति की समानता या तुलना की जाती है, उसे 'उपमेय' कहते हैं।
4. **उपमान-** जिस वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समता या तुलना की जाती है, उसे 'उपमान' कहते हैं।
जैसे- 'राम का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है।' इस वाक्य में राम का मुख 'उपमेय' और चंद्रमा 'उपमान' है। इस वाक्य में राम के मुख से चंद्रमा की तुलना की गई है।



(क) विशेषण-विशेष्य कर्मधारय समास

सामासिक पद	विग्रह
अंधकूप	अंधा है जो कूप
उच्चशिखर	उच्च है जो शिखर
कापुरुष	कायर है जो पुरुष
कालीमिर्च	काली है जो मिर्च
कुपुत्र	बुरा है जो पुत्र
कुबुद्धि	बुरी है जो बुद्धि

कृष्णसर्प	कृष्ण है जो सर्प
गोलगुंबद	गोल है जो गुंबद
दहीबड़ा	दही में डूबा हुआ बड़ा
दुरात्मा	बुरी है जो आत्मा
दुश्चरित्र	बुरा है जिसका चरित्र
नववधू	नव है जो वधू
नीलकंठ	नीला है जो कंठ
नीलकमल	नीला है जो कमल
नीलगगन	नीला है जो गगन
नीलांबर	नीला है जो अंबर
नीलोत्पल	नील है जो उत्पल
पर्णकुटी	पर्ण से बनी कुटी
पनचक्की	पानी से चलने वाली चक्की
पीतांबर	पीत है जो अंबर
प्रधानाध्यापक	प्रधान है जो अध्यापक
बैलगाड़ी	बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी
भ्रष्टाचार	भ्रष्ट है जो आचार (आचरण)
मधुमक्खी	मधु का संचय करने वाली मक्खी
महर्षि	महान है जो ऋषि
महाकवि	महान है जो कवि
महात्मा	महान है जो आत्मा
महादेव	महान है जो देव
महापुरुष	महान है जो पुरुष
महाराजा	महा (बड़ा) है जो राजा
मालगाड़ी	माल को ढोने वाली गाड़ी
मुख्यमंत्री	मुख्य है जो मंत्री
लघुकथन	लघु है जो कथन
वनमानुष	वन में रहने वाला मानुष
श्वेतांबर	श्वेत है जो अंबर
सच्चरित्र	सत् है जिसका चरित्र
सत्कर्म	सत् है जो कर्म

सद्धर्म	सत् है जो धर्म
सदाचार	सद् है जो आचार

(ख) उपमेय-उपमान कर्मधारय समास

सामासिक पद

कमलनयन

कमलाक्ष

करकमल

कीर्तिलता

क्रोधाग्नि

ग्रंथरत्न

घनश्याम

चंद्रमुख

चंद्रवदन

चरणकमल

देहलता

नरसिंह

पाषाणहृदय

प्राणप्रिय

मातृभूमि

मुखकमल

मृगनयनी

राजीवलोचन

लौहपुरुष

वचनामृत

वज्रहृदय

विद्यासागर

विद्युतचंचला

संसारसागर

सिंधुहृदय

स्त्रीधन

स्त्रीरत्न

ज्ञानकोश

विग्रह

कमल के समान नयन

कमल के समान अक्षि (आँखें)

कमल के समान कर

लता रूपी कीर्ति

क्रोध रूपी अग्नि

ग्रंथ रूपी रत्न

घन के समान श्याम

चंद्र के समान मुख

चंद्रमा के समान वदन (मुख)

कमल के समान चरण

लता रूपी देह

सिंह रूपी नर

पाषाण (पत्थर) के समान हृदय

प्राण के समान प्रिय

माता के समान भूमि

कमल के समान मुख

मृग के समान नयन वाली

राजीव के समान लोचन

लोहे के समान पुरुष

अमृत रूपी वचन

वज्र के समान हृदय

विद्या के समान सागर

विद्युत के समान चंचल

सागर रूपी संसार

सिंधु के समान हृदय

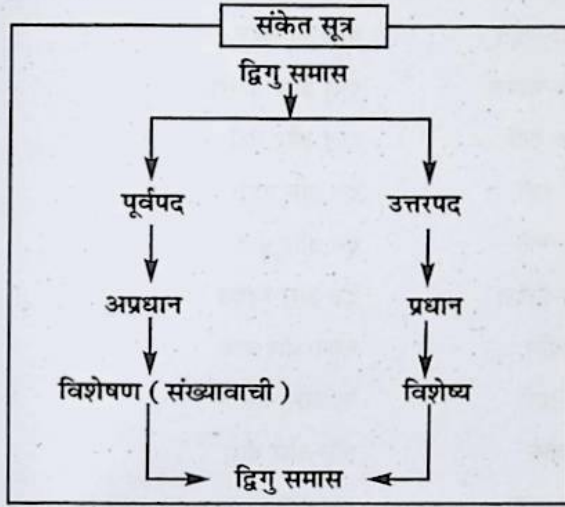
धन रूपी स्त्री

रत्न रूपी स्त्री

ज्ञान रूपी कोश

(4) द्विगु समास

जिस सामासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं।



विशेष तथ्य- द्विगु समास के लिए दो शर्तें आवश्यक हैं-

(अ) पहला पद संख्यावाची विशेषण हो।

(ब) सम्पूर्ण पद समूह या समाहार का बोध कराता हो।

कभी-कभी सामासिक पद का पहला पद संख्यावाची विशेषण तो होता है किन्तु सम्पूर्ण पद समाहार का बोध नहीं कराता है। वहाँ द्विगु समास नहीं माना जाता है। जैसे- दशानन, चतुर्मुख, दशमुख, पंचानन, त्रिनेत्र में पहला पद संख्यावाचक है, किन्तु समग्र पद समूह या समाहार का बोध नहीं कराता अतः यहाँ द्विगु समास न मानकर बहुब्रीहि समास मानना चाहिए।

सामासिक पद

दुर्माजिला

दुराहा

दोपहर

तिरंगा

त्रिकाल

त्रिकोण

त्रिगुण

त्रिपाद

त्रिपिटक

त्रिफला

विग्रह

दो मंजिलों का समूह

दो राहों का समाहार

दो पहरों का समाहार

तीन रंगों का समाहार

तीन कालों का समाहार

तीन कोणों का समाहार

तीन गुणों का समूह

तीन पादों का समाहार

तीन पिटकों का समूह

तीन फलों का समाहार

त्रिभुवन

त्रिलोक

त्रिवेणी

त्रिवेद

चतुर्भुज

चतुर्युग

चतुर्वेद

चारपाई

चौपाई

चौमासा

चौराहा

पंचतंत्र

पंचपात्र

पंचवटी

पंचशील

पंचामृत

पंजाब

पंसेरी

षट्स

षड्भुक्त

षड्गुण

षड्दर्शन

सतरंग

सप्तर्षि/सप्तऋषि

सप्ताह

अठन्नी

अष्टधातु

अष्टाध्यायी

नवग्रह

नवनिधि

नवरत्न

दशक

शतक

शताब्दी

सतसई

तीन भुवनों का समाहार

तीन लोकों का समाहार

तीन वेणियों का समाहार

तीन वेदों का समूह

चार भुजाओं का समाहार

चार युगों का समूह

चार वेदों का समाहार

चार पायों का समाहार

चार पदों/चरणों का समूह

चार मासों का समाहार

चार राहों का समाहार

पंच तंत्रों का समाहार

पाँच पात्रों का समाहार

पाँच वटों का समाहार

पाँच शीलों का समूह

पाँच अमृतों का समाहार

पाँच आबों का समाहार

पाँच सेरों का समाहार

छः रसों का समाहार

छः ऋतुओं का समाहार

छः गुणों का समूह

छः दर्शनों का समूह

सात रंगों का समाहार

सात ऋषियों का समूह

सात दिनों का समाहार

आठ आनों का समूह

आठ धातुओं का समाहार

अष्ट अध्यायों का समाहार

नौ ग्रहों का समाहार

नव निधियों का समाहार

नव रत्नों का समाहार

दस वर्षों का समूह

सौ का समूह

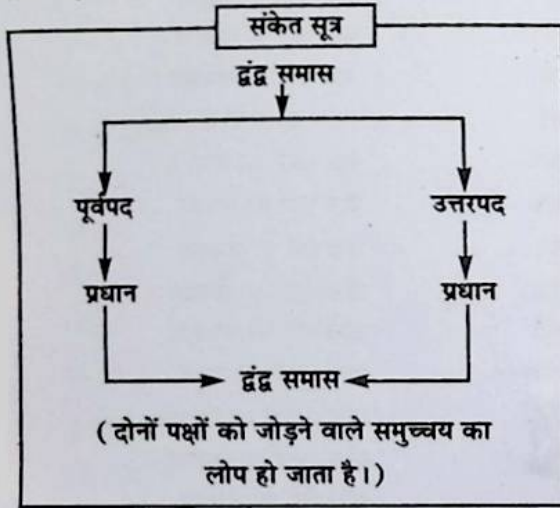
शत अब्दों (वर्षों) का समाहार

सात सौ का समाहार

(5) द्वंद्व समास

जिस सामासिक शब्द के दोनों ही पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर दोनों के बीच में और, एवं, या लगता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।

पहचान : दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिह्न (-) का प्रयोग होता है।

सामासिक पदविग्रह

अन्न-जल	अन्न और जल
अपना-पराया	अपना और पराया
अमीर-गरीब	अमीर और गरीब
आशा-निराशा	आशा और निराशा
इकहत्तर	एक और सत्तर
उलटा-सीधा	उलटा और सीधा
ऊँच-नीच	ऊँच और नीच
कृष्णार्जुन	कृष्ण और अर्जुन
खट्ठा-मीठा	खट्टा और मीठा
खरा-खोटा	खरा या खोटा
गंगा-यमुना	गंगा और यमुना
गुण-दोष	गुण या दोष
गौरीशंकर	गौरी और शंकर
घी-शक्कर	घी और शक्कर

चौसठ

जन्म-मरण

ठण्डा-गरम

थोड़ा-बहुत

दाल-चावल

दाल-रोटी

दूध-दही

दूध-भात

देश-विदेश

धनुर्बाण

नर-नारी

पच्चीस

पाप-पुण्य

पेड़-पौधे

भला-बुरा

भाई-बहन

भात-दाल

भीमार्जुन

भूख-प्यास

माता-पिता

मोटा-पतला

यश-अपयश

राजा-रानी

रात-दिन

राधा-कृष्ण

राम-लक्ष्मण

रुपया-पैसा

लाभालाभ

लेनदेन

चार और साठ

जन्म और मरण

ठण्डा या गरम

थोड़ा या बहुत

दाल और चावल

दाल और रोटी

दूध और दही

दूध और भात

देश और विदेश

धनुष और बाण

नर और नारी

पाँच और बीस

पाप और पुण्य

पेड़ और पौधे

भला और बुरा

भाई और बहन

भात और दाल

भीम और अर्जुन

भूख और प्यास

माता और पिता

मोटा या पतला

यश और अपयश

राजा और रानी

रात और दिन

राधा और कृष्ण

राम और लक्ष्मण

रुपया और पैसा

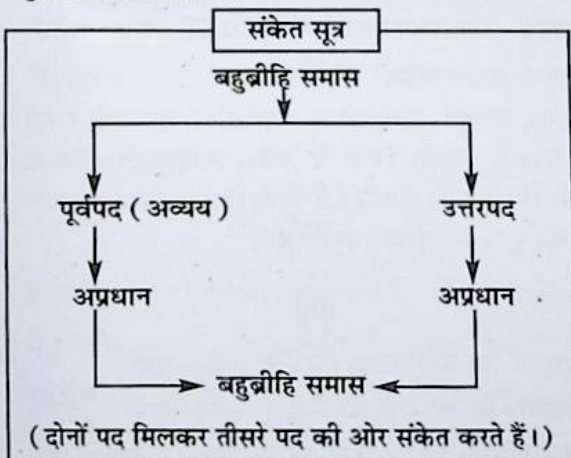
लाभ या अलाभ

लेन और देन

वेद-पुराण	वेद और पुराण
शिव-पार्वती	शिव और पार्वती
सीता-राम	सीता और राम
सुख-दुःख	सुख और दुःख
स्त्री-पुरुष	स्त्री और पुरुष
हरिशंकर	हरि और शंकर
हरिहर	हरि और हर
हाँ-ना	हाँ या ना
हानि-लाभ	हानि और लाभ

(6) बहुव्रीहि समास

जिस सामासिक शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।



सामासिक पद विग्रह

एकदंत	एक है दांत जिनके अर्थात्- गणेश
कनफटा	कान है फटा जिसका अर्थात्- फकीर
कमलनयन	कमल जैसे नयनों वाला अर्थात्- राम
खगेश	खगों का ईश है जो अर्थात्- गरुड़
गजानन	गज जैसे आनन वाला अर्थात्- गणेश
गिरिघर	गिरि को धारण करने वाला अर्थात्- कृष्ण

गिरीश	गिरि का ईश अर्थात्- हिमालय
गोपाल	गो का पालन करने वाला अर्थात्- कृष्ण
घनश्याम	घन के समान श्याम है जो अर्थात्- कृष्ण
चक्रधर	चक्र को धारण करने वाला अर्थात्- विष्णु
चक्रपाणि	चक्र है हाथ में जिनके अर्थात्- कृष्ण
चतुर्भुज	चार हैं भुजाएँ जिनकी अर्थात्- विष्णु
चतुर्मुख	चार हैं मुख जिनके अर्थात्- ब्रह्मा
दशानन/दशमुख	दस आनन/मुख हैं जिनके अर्थात्- रावण
दिगंबर	दिशाएँ हैं वस्त्र जिसके लिए अर्थात्- नग्न
निशाचर	निशा में विचरण करने वाला अर्थात्- राक्षस
नीलकंठ	नीला है कंठ जिनका अर्थात्- शिव
पंचानन	पाँच आनन हैं जिनके अर्थात्- शिव
पीतांबर	पीले वस्त्र हैं जिनके अर्थात्- कृष्ण
मयूरवाहन	मयूर है वाहन जिनका अर्थात्- कार्तिकेय
महादेव	महान है देव जो अर्थात्- शिव
महावीर	महान वीर है जो अर्थात्- हनुमान
मुरलीधर	मुरली धारण करने वाला अर्थात्- कृष्ण
मृत्युंजय	मृत्यु को जीतने वाला अर्थात्- शंकर
लंबोदर	लंबा उदर है जिनका अर्थात्- गणेश
विषधर	विष को धारण करने वाला अर्थात्- सर्प
वीणापाणि	वीणा है पाणि में जिनके अर्थात्- सरस्वती
शैलपुत्री	शैल की पुत्री है जो अर्थात्- पार्वती
षडानन	षट् (छः) आननों वाले अर्थात्- कार्तिकेय
त्रिनेत्र	तीन हैं नेत्र जिनके अर्थात्- शंकर
त्रिलोचन	तीन आँखों वाले हैं जो अर्थात्- शिव
त्रिवेणी	तीन नदियों का संगम-स्थल अर्थात्- प्रयागराज

इंद्र

देवराज- वह जो देवों का राजा है अर्थात्- इंद्र
 नाकपति- वह जो नाक (स्वर्ग) का पति है अर्थात्- इंद्र
 वज्रपाणि- वह जिसके पाणि (हाथ) में वज्र है अर्थात्- इंद्र
 वज्रायुध- वह जिसके वज्र का आयुध है अर्थात्- इंद्र
 शचीपति- वह जो शची का पति है अर्थात्- इंद्र
 सहस्राक्ष- वह जिसके सहस्र (हजार) अक्षि (आँखें) हैं
 अर्थात्- इंद्र
 इसी तरह- अमरपति, देवेश, शतक्रतु, सुरपति, सुरेश 'इंद्र' के लिए प्रयुक्त बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं।

कृष्ण

गिरिधर- वह जो गिरि (पहाड़) को धारण करने वाले हैं
 अर्थात्- कृष्ण
 घनश्याम- वह जो घन (बादल) के समान श्याम (वर्ण) के हैं
 अर्थात्- कृष्ण
 नन्दनन्दन- वह जो नंद का नंदन (पुत्र) है अर्थात्- कृष्ण
 पीतांबर- वह जिनके पीत (पीले) अंबर (वस्त्र) हैं अर्थात्- कृष्ण
 ब्रजवल्लभ- वह जो ब्रज के वल्लभ (स्वामी) हैं अर्थात्- कृष्ण
 मुरलीधर- मुरली को धारण करते हैं जो वह अर्थात्- श्रीकृष्ण
 मुरारि- वह जो मुर (राक्षस का नाम) के अरि (शत्रु) हैं
 अर्थात्- कृष्ण
 राधारमन- वह जो राधा से रमण करते हैं अर्थात्- श्रीकृष्ण
 यशोदानंदन- यशोदा के हैं नन्दन जो वह अर्थात्- श्रीकृष्ण
 इसी तरह- कंसारि (कंस का अरि/शत्रु), गोपाल, गोपीनाथ, चक्रधर, द्वारिकाधीश, ब्रजकिशोर, ब्रजनन्दन, ब्रजविहारी, ब्रजेश्वर, मधुसूदन (मधु का सूदन/वध करने वाला), माधव (मधु राक्षस को मारने वाला), यदुनन्दन, चक्रधर 'कृष्ण' के लिए प्रयुक्त होने वाले बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं।

कामदेव

अनंग- बिना अंग के हैं जो अर्थात्- कामदेव

कुसुमशर- वह जिसके कुसुम के शर (बाण) हैं
 अर्थात्- कामदेव

पंचशर- वह जिसके पाँच (पाँच फूलों के) शर हैं
 अर्थात्- कामदेव

पुष्पधन्वा- वह जिसके पुष्पों का धनुष है अर्थात्- कामदेव
 मकरध्वज- वह जिसके मकर का ध्वज है- अर्थात्- कामदेव
 रतिकांत- वह जो रति का कांत (पति) है अर्थात्- कामदेव
 मनोज- वह जो मन में जन्म लेता है अर्थात्- कामदेव
 इसी तरह 'कामदेव' के लिए प्रयुक्त अन्य समास हैं- मनसिज (मन से जन्म लेने वाला), मन्मथ (मन को मथने वाला), मीनकेतु (मीन के ध्वज वाला), रतिपति।

गणेश

एकदंत- वह जिनका एक दंत है अर्थात्- गणेश
 लंबोदर- वह जिनका लंबा उदर है अर्थात्- गणेश
 वक्रतुंड- जिनका तुंड (मुख) वक्र (टेढ़ा) है अर्थात्- गणेश
 इसी तरह 'गणेश' के लिए प्रयुक्त अन्य समास हैं- गजवदन, गजानन (गज/हाथी का आनन/मुँह), गणनायक (गणों के नायक), गणपति (गणों के पति), गिरिजानंदन (गिरिजा अर्थात् हिमालय की पुत्री-पार्वती के नंदन), भवानीनंदन (भवानी के नंदन/पुत्र), मोदकप्रिय, मूषकवाहन।

दुर्गा

अष्टभुजा- वह जिनकी अष्ट भुजाएँ हैं अर्थात्- दुर्गा
 जगदम्बा- वह जो जगत् की अंबा हैं अर्थात्- दुर्गा
 शिखरवासिनी- वह जो शिखर पर वास करती हैं अर्थात्- दुर्गा
 सिंहवाहिनी- वह जिसके सिंह का वाहन है/सिंह वाहन वाली
 अर्थात्- दुर्गा

पार्वती

शैलजा- वह जो शैल (पर्वत) से जन्म लेने वाली हैं अर्थात्- पार्वती
 शैलतनया- वह जो शैल (पर्वत) की तनया है अर्थात्- पार्वती
 शैलनंदिनी- वह जो शैल (पर्वत/हिमालय) की नंदिनी (पुत्री) हैं अर्थात्- पार्वती

हिमतनया- वह जो हिम की तनया (पुत्री) हैं अर्थात्- पार्वती

हिमसुता- वह जो हिम की सुता (पुत्री) हैं अर्थात्- पार्वती

इसी तरह - अपर्णा, गिरिजा, गिरिनंदिनी, गिरिसुता, दक्षसुता, दाक्षायणी, पर्वतजा, पर्वतनंदिनी, रुद्रप्रिया, रुद्राणी, शंकरप्रिया, शैलकुमारी, शैलपुत्री, स्कंदजननी, हिमगिरिसुता 'पार्वती' के लिए प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।

बलराम

रेवतीरमण- वह जो रेवती के साथ रमण करते हैं

अर्थात्- बलराम

रोहिणीनंदन- वह जो रोहिणी के नंदन (पुत्र) हैं

अर्थात्- बलराम

हलधर- वह जो हल को धारण करते हैं अर्थात्- बलराम

ब्रह्मा

चतुर्मुख- चार है मुख जिनके वह अर्थात्- ब्रह्मा

चतुरानन- चार है आनन जिनके वह अर्थात्- ब्रह्मा

हिरण्यगर्भ- वह जिनका हिरण्य (सोने) का गर्भ है

अर्थात्- ब्रह्मा

विष्णु

गरुडध्वज- वह जिनके गरुड का ध्वज है अर्थात्- विष्णु

चक्रपाणि- चक्र हैं पाणि में जिनके वह अर्थात्- विष्णु

चतुर्भुज- वह जिनकी चार भुजाएँ हैं अर्थात्- विष्णु

पद्मनाभ- वह जिनकी नाभि में पद्म (कमल) है

अर्थात्- विष्णु

पुंडरीक- वह जो पुंडरीक (कमल) के समान हैं अर्थात्- विष्णु

पुंडरीकाक्ष- वह जिनकी अक्षि (आँखें) पुंडरीक (कमल) के समान हैं अर्थात्- विष्णु

शेषशायी- वह जो शेष (नाग) पर शयन करते हैं अर्थात्- विष्णु

हृषिकेश - वह जो हृषीक (इंद्रियों) के ईश हैं अर्थात्- विष्णु/कृष्ण

श्रीश- वह जो श्री (लक्ष्मी) के ईश हैं अर्थात्- विष्णु

इसी तरह- दीर्घबाहु, नारायण, मधुरिपु (मधु दैत्य के शत्रु), लक्ष्मीपति 'विष्णु' के लिए प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।

राम

जानकीवल्लभ- जानकी (सीता) के वल्लभ (प्रिय) हैं जो वह

अर्थात्- श्रीरामचन्द्र

दशरथनंदन- वह जो दशरथ के नंदन हैं अर्थात्- राम

रघुपति- वह जो रघु (वंश) के पति (स्वामी) हैं अर्थात्- राम

रावण

दशानन- दश है आनन जिसके वह अर्थात्- रावण

दशमुख- वह जिसके दश मुख हैं अर्थात्- रावण

इसी तरह- दनुजेश, दशकंध, दशग्रीव, दशमाथ, दशमौलि, दशवदन, दशशीश, दशशीर्ष, दससिर, दैत्येन्द्र, निशाचरपति, पौलस्त्य, बहुबाहु, राक्षसपति, लंकनाथ अधिपति, लंकनाथपति, लंकापति, लंकेश, 'रावण' के लिए प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।

शंकर

आशुतोष- आशु (शीघ्र) हो जाते हैं तुष्ट जो वह अर्थात्-शंकर

इन्दुशेखर- इन्दु (चन्द्रमा) है शिखर पर जिनके वह

अर्थात्- शंकर

चन्द्रचूड़- चन्द्र है चूड़ (मस्तक) पर जिनके वह अर्थात्- शंकर

चन्द्रमौलि - चन्द्रमा है मौलि (मस्तक) पर जिनके वह

अर्थात्- शंकर

चन्द्रशेखर - चन्द्रमा है शिखर (ललाट) पर जिनके वह

अर्थात्- शंकर

दिगम्बर- दिक् (दिशाएँ) है अम्बर (वस्त्र) जिनके वह

अर्थात्- शंकर

नीलकण्ठ- नीला है कण्ठ जिनका वह अर्थात्- शंकर

पशुपति- पशुओं का पति है जो वह अर्थात्- शंकर

मदनरिपु- मदन है रिपु (शत्रु) जिनका वह अर्थात्- शंकर

महेश्वर- महान है जो ईश्वर अर्थात्- शंकर

शूलपाणि- शूल है पाणि में जिनके वह अर्थात्- शंकर

त्रिनेत्र - तीन हैं नेत्र जिनके अर्थात्- शिव

त्र्यंबक- तीन हैं अंबाएँ (माताएँ) जिनकी वह अर्थात्- शंकर

सरस्वती

पद्मासना- वह जो पद्म (कमल) के आसन वाली हैं

अर्थात्- सरस्वती/लक्ष्मी

वाग्देवी- वह जो वाक् (भाषा) की देवी हैं अर्थात्- सरस्वती

वीणापाणि- वह जिनके पाणि (हाथ) में वीणा है

अर्थात्- सरस्वती

वीणाधारिणी- वह जो वीणा को धारण करती है

अर्थात्- सरस्वती

इसी तरह- धवलवसना (धवल वस्त्र को धारण करने वाली),

वागीश्वरी (वाक् की ईश्वरी), वीणावादिनी (वीणा का

वादन करने वाली), हंसासिनी (हंस के आसन वाली)

'सरस्वती' के लिए प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।

हनुमान

अंजनिसुत- वह जो अंजनी के सुत हैं अर्थात्- हनुमान

कपीश्वर- वह जो कपियों (वानर) के ईश्वर हैं अर्थात्- हनुमान

महावीर- महावीर है जो वह अर्थात्- हनुमान

वज्रांग- जिनका अंग वज्र का है अर्थात्- हनुमान

इसी तरह- अंजनिपुत्र, कपीश, पवनसुत, मरुतसुत, वज्रदेह

'हनुमान' के लिए प्रयुक्त बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं।

अन्य बहुब्रीहि समास

युधिष्ठिर- वह जो युद्ध में स्थिर रहता है अर्थात्- धर्मराज

धनंजय- वह जो धन (पृथ्वी, भौतिक, संपदा आदि) का जय

करता है अर्थात्- अर्जुन

षण्मुख- वह जिनके षट् मुख हैं अर्थात्- कार्तिकेय

षडानन- वह जिनके षट् आनन हैं अर्थात्- कार्तिकेय

वाचस्पति- वह जो वाक् का पति है अर्थात्- बृहस्पति

सप्तऋषि- वे जो ऋषि सात हैं अर्थात्- सात ऋषि विशेष

सूतपुत्र- वह जो सूत (सारथि) का पुत्र है अर्थात्- कर्ण

सूर्यपुत्र- वह जो सूर्य का पुत्र है अर्थात्- कर्ण

विषधर- विष को धारण करता है जो वह अर्थात्- सर्प

बहुब्रीहि और कर्मधारय समास में अन्तर

समास के अनेक उदाहरण ऐसे पाये जाते हैं जो बहुब्रीहि और कर्मधारय समास दोनों में समान रूप में पाये जाते हैं।

जैसे- कमलनयन, घनश्याम, नीलकंठ, पीतांबर

यह अंतर मुख्य रूप से उनके विग्रह के कारण होता है। जैसे-

(1) कमलनयन- कमल के समान नयन (कर्मधारय समास)
कमल के समान नयन हैं जिनके अर्थात् विष्णु (बहुब्रीहि समास)

(2) घनश्याम- घन के समान श्याम (कर्मधारय समास)
घन के समान है जो अर्थात् कृष्ण (बहुब्रीहि समास)

(3) नीलकंठ- नीला है जो कंठ (कर्मधारय समास)
नीला है कंठ जिनका अर्थात् शिव (बहुब्रीहि समास)

(4) पीताम्बर- पीला है जो अम्बर (कर्मधारय समास)
पीले अंबर हैं जिनके अर्थात् कृष्ण (बहुब्रीहि समास)

● इस तरह इन दोनों समासों में अन्तर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए।

द्विगु और बहुब्रीहि समास में अन्तर

जहाँ पहला पद दूसरे पद (विशेष्य) की विशेषता संख्या में बताता है, वहाँ द्विगु समास होता है। जहाँ संख्यावाची पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। जैसे- चतुर्भुज, पंचवटी, दशानन

(1) चतुर्भुज- चार भुजाओं का समूह। (द्विगु समास)

चार है भुजाएँ जिनकी अर्थात् विष्णु (बहुब्रीहि समास)

(2) पंचवटी- पाँच वटों का समाहार (द्विगु समास)

पाँच वटों से घिरा दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहाँ वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया था। (बहुब्रीहि समास)

दशानन- दस आननों का समूह (द्विगु समास)

दस आनन हैं जिनके अर्थात् रावण- (बहुब्रीहि समास)

खण्ड 5

29. रस

30. छन्द

31. अलंकार

नोट्स (Notes)

काव्य के रसास्वादन से हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है वह अलौकिक और अकथनीय होता है। इसी अनुभूति का नाम 'रस' है। काव्य साहित्य में रस का बड़ा ही महत्व है। साहित्य दर्पण के रचयिता ने कहा है- 'रसात्मकं वाक्यं काव्यम्' अर्थात् रस ही काव्य की आत्मा है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भरतमुनि ने प्रथमतः रस का उल्लेख अपने नाट्यशास्त्र में किया है। उनके अनुसार 'विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद् रसनिष्पत्तिः' (नाट्यशास्त्र, अध्याय 6) इसका अर्थ यह है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है।

इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि जिस तरह भोजन से जीभ और मन को तृप्ति मिलती है, ठीक उसी तरह काव्य का रसास्वादन हमारे हृदय को आंदोलित करता है। ग्रीष्मकाल में दूर

तक सफर पर निकले पदयात्री को जब तीव्र प्यास लग रही हो उस समय यदि उसे स्वच्छ मीठा जल मन-भर पीने को मिल जाए तो उसके तृप्ति को शब्दों में व्यक्त कर पाना मुश्किल है इसीलिए वह अलौकिक और अकथनीय है, इसी तरह वही पानी यदि किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाय जिसे उस समय पानी पीने की इच्छा ही न हो, तो वह पानी पी लेने पर भी वह अनुभूति नहीं पा सकता जो प्यासे पथ-गही को होगी। अतएव काव्यात्मक रसानुभूति अलग-अलग व्यक्तियों व परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। माँ जब अपने छोटे से बच्चे को स्तनपान कराते लोरी गीत सुनाते रात्रि में सुलाने का उपक्रम करती हैं तो माँ और उसके बच्चे की अनुभूति को कैसे शब्दों में बांधा जा सकता है? यह अनुभूति अलौकिक और अकथनीय है।

क्र.	रस का नाम	स्थायी भाव	मूल प्रवृत्तियाँ
(1)	शृंगार	रति (प्रेम)	काम-प्रवृत्ति (Sex)
(2)	हास्य	हास	आमोद (Laughter)
(3)	करुण	शोक	शरणागति (Self-submission)
(4)	वीर	उत्साह	अधिकार-भावना (Acquisition)
(5)	रौद्र	क्रोध	युयुत्सा (Combat)
(6)	भयानक	भय	पलायन (Escape)
(7)	वीभत्स	जुगुप्सा (घृणा)	निवृत्ति (Repulsion)
(8)	अद्भुत	विस्मय	कुतूहल (Curiosity)
(9)	शान्त	निर्वेद (शम)	आत्महीनता (Appeal)
(10)	वात्सल्य	स्नेह (वात्सल्य)	मातृभावना (Parental)
(11)	भक्ति	अनुराग	भक्ति भावना (Allocation Spirit)

रस के निम्नलिखित चार अवयव माने जाते हैं-

1. स्थायी भाव- जिस समय हम कोई देशभक्तिपूर्ण गीत पढ़ते हैं या उसे फिल्मों या नाट्य मंचों में प्रस्तुत होते हुए देखते हैं तो मन में एक विलक्षण उत्साह का अनुभव होता है। इसी तरह किसी मजबूर और बेबस नायिका को प्रताड़ित होते हुए या विलाप करते हुए देखते, सुनते या पढ़ते हैं तब हमारे मन में करुणा का जन्म होता है। इसी तरह जब नायिका अपने छोटे से बच्चे को लोरी गीत सुनाकर सुला रही होती है, तब वह दृश्य देखकर मन में वात्सल्य प्रेम का अनुभव होता है।

रति (प्रेम), स्नेह/ वात्सल्य, अनुराग, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा (घृणा का भाव), विस्मय/आश्चर्य, निर्वेद (शांति), ऐसे ही ग्यारह स्थायी भाव हैं जो हमारे मन में हमेशा उपस्थित रहते हैं और अन्यान्य अवसरों पर प्रगट होते हैं। ऐसे भाव को 'स्थायी भाव' कहा जाता है क्योंकि यह भाव चित्त की अन्यान्य क्षणिक भावनाओं के बीच स्थायी रूप से विद्यमान रहता है।

2. विभाव- स्थायी भाव का जो कारण होता है उसे ही विभाव कहा जाता है। इसके दो घटक हैं-आलंबन और उद्दीपन। जैसे साँप को देखने से मन में भय का संचार होता है अतः यहाँ भय का आलंबन 'साँप' है। इसी तरह शाम के समय सुनसान स्थान में फन फैलाया हुआ विपैला सर्प एकाएक हमारे सामने आ जावे तो यह दृश्य हमारे भय को कई गुना बढ़ा देता है- इसे ही उद्दीपन कहते हैं। अर्थात् 'उद्दीपन' वह अवस्था है जो हमारे उत्तेजना की अवस्था को सामान्य से ज्यादा बढ़ा देता है। इसी तरह शृंगार में जहाँ प्रेमपात्र (नायक/नायिका) आलम्बन का प्रतीक है, वहीं प्रकृति का सौंदर्य, संगीत भावों को तीव्र करने के कारण 'उद्दीपन' के प्रतीक हैं।

3. अनुभाव- उपरोक्त उदाहरण में भय या अन्य स्थायी भाव का अनुभव हमें किस प्रकार होता है; कभी देह में कँपकँपी होने लगती है, कभी घड़कनें बढ़ जाती हैं, कभी आँखों के सामने उस दृश्य की भयंकरता नाचने लगती है। कभी साँस की गति रुक-सी जाती है, कभी खुशी के कारण आँखों से आँसू झरने लगते हैं। इस चेष्टा को ही 'अनुभाव' कहते हैं। मुख खिलना, कम्पन, रूदन, आँखें लाल होना, भयभीत होकर भागना, मुँह से गाली निकलना आदि अनुभाव के उदाहरण हैं।

4. संचारी भाव/व्यभिचारी भाव- मान लिया जाय कि डर के मारे हमारी आँखें कभी झिप-सी जाती हैं या हम आँखें मूंद लेते हैं, हम क्षण भर के लिए चेतना-शून्य से हो जाते हैं। यह दशा आत्म-विस्मृति की होती है। यह अधिक देर तक रहती नहीं, एकाएक बिजली की तरह आकर पल भर में विलीन हो जाती है। ऐसी क्षणिक अवस्था (आत्म-विस्मृति की) केवल भय में ही नहीं आते, बल्कि वह शोक, क्रोध, प्रेम, उत्साह, विस्मय, जुगुप्सा (घृणा के भाव) के कारण भी आते हैं। ऐसी ही वृत्ति को 'संचारी भाव' या 'व्यभिचारी भाव' कहा जाता है, अर्थात्- जो भाव मन में केवल अल्प काल तक संचरण करके चले जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यभिचारी भाव है। ये स्थायी भाव को पुष्ट करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है- (1) निर्वेद (2) आवेग (3) दैन्य (4) श्रम (5) मद (6) जड़ता (7) उग्रता (8) मोह (9) शंका (10) चिंता (11) ग्लानि (12) विषाद (13) व्याधि (14) आलस्य (15) अमर्ष (16) हर्ष (17) गर्व (18) असूया (19) धृति (20), मति (21) चापल्य (22) व्रीडा (लज्जा) (23) अवहित्था (हर्ष, भय आदि भावों को छिपाना) (24) निद्रा (25) स्वप्न (26) विवोध (27) उन्माद (28) अपस्मार (मिरगी) (29) स्मृति (30) औत्सुक्य (31) त्रास (32) वितर्क (33) मरण।

संप्रति, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से 'रस' का परिपांक होता है। विभाव से स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है। अनुभाव से उसकी अभिव्यक्ति होती है और संचारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। इस तरह इन तीनों के द्वारा स्थायी भाव में पूर्णता आ जाती है तब वह 'रस' कहलाती है।

रस-भेद

प्राचीन ग्रंथों में भरतमुनि ने 8 ही रस माने थे। परन्तु उसमें शान्त रस को शामिल करने के बाद रस के कुल नौ भेद हो गये। प्राचीन ग्रंथों में शृंगार रस के अंतर्गत 'प्रेम (रति/काम-प्रवृत्ति Sex),

स्नेह/वात्सल्य (मातृ भावना/Parental) व अनुराग (भक्ति-भावना/Allocation Spirit) को शामिल किया गया था, परन्तु कालान्तर में वात्सल्य और भक्ति को शृंगार रस से पृथक् कर स्वतंत्र रूप से रस माना गया। इस तरह वर्तमान में रसों की संख्या ग्यारह है। वस्तुतः नाटकों में शांत रस की गिनती नहीं की जाती। शृंगार रस को 'रसराज' या 'रसपति' माना जाता है। संप्रति, ग्यारह रसों के स्थायी भाव व मूल प्रवृत्तियाँ आदि का विवरण निम्नानुसार हैं-

1. शृंगार रस

शृंगार रस में प्रेम की प्रधानता रहती है, वह प्रेम जिसकी मूल प्रवृत्ति रति या काम होती है। शृंगार रस के दो भेद माने गये हैं-

(i) संयोग शृंगार (ii) वियोग शृंगार

(i) संयोग शृंगार

जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ हों।

(अ) स्थायी भाव : प्रेम (रति)।

(ब) विभाव : आलंबन- प्रेमपात्र (नायक या नायिका)।

उद्दीपन- बसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य,
चांदनी रात, संगीत आदि।

(स) अनुभाव : मुख खिलना, मुस्कुराना, मादक अंदाज में एकटक देखना, कटाक्ष, हाव-भाव आदि।

(द) संचारी भाव : हर्ष, जड़ता, आवेग, उत्साह।

संयोग शृंगार के उदाहरण

राम के रूप निहारति जानकी कंकण के नग की परछाहीं।
याँत सबै सुधि भूलि गई, कर टेकी रही पल टारत नाहीं।

-तुलसीदास

बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाय।
सौह करे, भौंहनि हँसै, दैन कहै, नटि जाय।

-बिहारी

नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।

-जयशंकर प्रसाद

(ii) वियोग शृंगार

जब प्रेमी और प्रेम पात्र एक-दूसरे से दूर हों।

(अ) स्थायी भाव : प्रेम (रति)।

(ब) विभाव : आलंबन- प्रेमपात्र (नायक या नायिका)।

उद्दीपन- बसंत ऋतु, प्राकृतिक सौंदर्य,
चांदनी रात, संगीत आदि।

(स) अनुभाव : रुदन, क्रन्दन, विलाप, निःश्वास आदि।

(द) संचारी भाव : स्मृति, संकोच, चिन्ता, व्याधि, शंका।

वियोग शृंगार के उदाहरण

निसिदिन बरसत नयन हमारे,

सदा रहति पावस ऋतु हम पै, जब ते स्याम सिधारे।

-सूरदास

हेरी मैं तो प्रेम दिवाणी, मेरे दरद न जानै कोय।

सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होय?

-मीराबाई

मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप।

जलती थी उस विरह में बनी आरती आप।

आँखों में प्रिय सपने थे भूले थे सब लोग।

हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग।

आठ पहर चौंसठ घड़ी स्वामी का ही ध्यान।

छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्म ज्ञान॥

-मैथिलीशरण गुप्त

(साकेत)

लाल तुम्हारे विरह की अगनि अनूप अपार।

सरसैं बरसैं नीर हूँ झर हूँ मिटै न झार॥

-बिहारी

मुझे फूल मत मारो

मैं बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो।

-मैथिलीशरण गुप्त

(साकेत)

हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी,

तुम्ह देखी सीता मृगनैनी।

खंजन सुक कपोत मृग मीना,

मधुप निकर कोकिला प्रवीना।

-तुलसीदास

(रामचरित मानस)

2. हास्य रस

हास्य रस में हास्य की प्रधानता रहती है। इसकी मूल प्रवृत्ति आमोद (Laughter) अर्थात् हँसी है।

(अ) स्थायी भाव : हास।

(ब) विभाव : आलम्बन- अभिव्यक्ति अथवा दृश्यादि जिसे पढ़-सुन-देखकर हँसी आ जाए, व्यंग्य दर्शन।

उद्दीपन- विचित्र वचन, संकेत, दृश्य आदि।

(स) अनुभाव : हँसते-हँसते बल पड़ जाना, सुखद आँसुओं का टपकना, ठहाका मारना आदि।

(द) संचारी भाव : हर्ष, भ्रम, चापल्य, आलस्य, निद्रा, स्वप्न आदि।

हास्य रस के उदाहरण

तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेमप्रताप,
साज मिले पंद्रह मिनट, घंटा भर आलाप।
घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता,
धीरे-धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता।

-काका हाथरसी

इस दौड़-धूप में क्या रखा, आराम करो, आराम करो
आराम जिन्दगी की कुंजी, इससे न तपेदिक होती है,
आराम सुधा की एक बूँद, तन का दुवलापन खोती है,
आराम शब्द में राम छिपा, जो भव बन्धन को खोता है,
आराम शब्द का ज्ञाता तो, विरला ही योगी होता है,
इसलिए तुम्हें समझाता हूँ, मेरे अनुभव से काम करो।

-गोपाल प्रसाद व्यास

एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है?
उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है।
उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा अरे वह कैसे?
फड़ से उड़ा दूसरा बोली उड़ा देखिए ऐसे।

-गुरु भक्त सिंह
(नूरजहाँ)

3. करुण रस

जब किसी अपने प्रिय के शोक, नाश, अनर्थ, अनिष्ट आदि की अभिव्यक्ति होती है तब उस भाव से करुण रस की निष्पत्ति होती है।

(अ) स्थायी भाव : शोक।

(ब) विभाव : आलम्बन- प्रिय वस्तु का नाश, प्रिय व्यक्ति की मृत्यु।

उद्दीपन- मृत शरीर, दाह-क्रिया, उस वस्तु अथवा व्यक्ति के गुणों का स्मरण, उससे संबंध रखने वाली वस्तुएँ आदि।

(स) अनुभाव : छाती पीटना, पछाड़ खाना, रूदन, विलाप, बेहोश होना, निःश्वास आदि।

(द) संचारी भाव : मोह, विषाद, जड़ता, उन्माद, ग्लानि आदि।

करुण रस के उदाहरण

सोक विकल सब रोवहिं रानी, रूप सीलु बलु तेजु बखानी॥
करहिं बिलाप अनेक प्रकारा, परहिं भूमि तल बारहिं बारा॥

-तुलसीदास

प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?

दुःख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है?

-हरिऔध

अभी तो मुकुट बँधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ।
खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुम्बन शून्य कपोल।
हाय रूक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अंगार।

-सुमित्रानन्दन पन्त

जो भूरि भाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुहागिनी,
हे हृदय वल्लभ! हूँ वही अब मैं यहाँ हत भागिनी।
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी,
है अब उसी मुझसी जगत् में और कौन अनाथिनी।

-मैथिलीशरण गुप्त

देख सुदामा की दीन दशा, करुना करिके करुनानिधि रोये।

पानी परात को हाथ छुयो नहिं, नैननि के जल सों पग धोये॥

-नरोत्तमदास स्वामी

(सुदामाचारित)

मेरे हृदय के हर्ष हा! अभिमन्यु अब तू कहाँ?

दृग खोलकर बेटा! तनिक तो देख हम सबको यहाँ।

मामा खड़े हैं पास तेरे, तू यहाँ पर है पड़ा,

निज गुरुजनों के मान का तो ध्यान था तुझको बड़ा।

व्याकुल तनिक भी देखकर, तू धैर्य देता था मुझे,

पर आज मेरे पुत्र प्यारे हो गया है क्या तुझे?

-मैथिलीशरण गुप्त

(जयद्रथ वध)

नाथ, कहाँ जाते हो?

अब भी यह अन्धकार छाया है।

हा! जग कर क्या पाया,

मैंने वह स्वप्न गंवाया है!

सखि, वे कहाँ गये हैं?

मेरा बायाँ नयन फड़कता है।

पर मैं कैसे मानूँ,

देख, यहाँ पर हृदय धड़कता है।

सिद्धि-हेतु स्वामी गये, यह गौरव की बात,

पर चोरी-चोरी गये, यही बड़ा व्याघात।

सखि, वे मुझसे कहकर जाते,

कह, तो क्या मुझको वे अपनी

पथ-बाधा ही पाते?

-मैथिलीशरण गुप्त

(यशोधरा)

4. वीर रस

हृदय के उमड़ते हुए अत्यधिक उत्साह से इस रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ उत्साह को उत्पन्न करने वाले विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ 'वीर रस' की उत्पत्ति होती है।

वीर रस के तीन भेद हैं-

(i) युद्धवीर : जब शत्रु या विपक्षी से लड़ने का उत्साह हो।

(ii) दानवीर : जब याचक आदि को दान करने का उत्साह हो।

(iii) दयावीर : जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो।

(अ) स्थायी भाव : उत्साह।

(ब) विभाव : आलंबन- शत्रु या प्रतिपक्षी, याचक,

शरणागत, दीन-दुःखी, कवि आदि।

उद्दीपन- शत्रु की चुनौती, रणभेरी का स्वर,

किसी निर्दोष का करुण क्रन्दन।

(स) अनुभाव : आँखें लाल होना, एकटक देखना, अंग

फड़कना, दाँत पीसना।

(द) संचारी भाव : आवेग, गर्व, असूया (जलन, रोष),

अमर्ष (आवेश, क्षोभ), उग्रता।

वीर रस के उदाहरण

हे सारथे! हैं द्रोण क्या, देवेन्द्र भी आकर अडें,

है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह-भेदन कर लड़ें।

मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत जानो मुझे,

यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे।

-मैथिलीशरण गुप्त

चमक उठी सन् संतावन में, वह तलवार पुरानी थी।

बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झाँसी वाली रानी थी।

-सुभद्रा कुमारी चौहान

गंगा माँग रही है मस्तक, जमुना माँग रही है सपने,

आज जवानी स्वयं टटोले, सिर हथेलियाँ अपने-अपने।

-माखन लाल चतुर्वेदी

आ रही हिमालय से पुकार, उदधि गरजता बार-बार,

प्राची, पश्चिम, भू, नभ अपार, सब पूछ रहे हैं, दिग्-दिगन्त,

वीरों का कैसा हो वसन्त?

-सुभद्रा कुमारी चौहान

सहे वार- वार - वार अंत तक, लड़ी वीर बाला-सी।

आहुती-सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला-सी॥

-सुभद्रा कुमारी चौहान

5. रौद्र रस

शत्रु द्वारा अपमान, शत्रु का सम्मुख आ जाना, असह्य कटु वचनों, अपमानजनक क्रियाओं और शत्रु की चेष्टाओं के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न होता है। वही रौद्र रस है, रौद्र रस में क्रोध का वर्णन होता है।

(अ) स्थायी भाव : क्रोध।

(ब) विभाव : आलंबन- शत्रु अथवा विपरीत कार्य करने वाला जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो।
उद्दीपन- शत्रु आदि की उमंग, उनके द्वारा किये गए अपमान का स्मरण, अपराध आदि।

(स) अनुभाव : नेत्र लाल होना, होंठ चबाना, दांत पीसना, भौंहे तन जाना, क्रोध में कांपने लगना, मुट्ठी दिखाना।

(द) संचारी भाव : गर्व, उग्रता, आवेग, अमर्ष (आवेश, क्षोभ) आदि।

रौद्र रस के उदाहरण

रे नृप बालक! कालबस, बोलत तोहि न सँभार।
धनुही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार।

-तुलसीदास

श्रीकृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे।
सब शोक अपना भूलकर करतल-युगल मलने लगे॥
संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े।
करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठ कर खड़े॥
उस काल-मारे क्रोध के तन काँपने उनका लगा।
मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा॥

-मैथिलीशरण गुप्त

सुनत लखन के वचन कठोरा। परसु सुधारि धरेउ कर धीरा॥
अब जनि देउ दोष मोहि लोगू। कटु वादी बालक वध जोगू॥
राम वचन सुनि कछु क जुड़ाने। कहि कछु लखन बहुरि मुस्काने॥
हँसत देखि नख-सिख रिस व्यापी। राम! तोर भ्राता बड़ पापी॥

-तुलसीदास

6. भयानक रस

किसी भयानक दृश्य को देखने, भयंकर ध्वनि श्रवण आदि से उत्पन्न भय की परिपक्वावस्था को 'भयानक रस' कहते हैं। इस रस में भयोत्पादक अर्थात् भय उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन होता है।

(अ) स्थायी भाव : भय (अनिष्ट की आशंका से हृदय की विकलता)।

(ब) विभाव : आलंबन- नीच मनुष्य, हिंसक प्राणी, अत्याचारी शत्रु, भीषण दृश्य आदि जिसको देखकर-सुनकर भय लगे।

उद्दीपन- आलम्बन की भयंकरता, हिंसक पशु, डाकू, हत्यारा, आतंकवादी आदि।

(स) अनुभाव : कँपकँपी होना, घिग्घी बँध जाना, मुख का रंग उड़ जाना, छाती का जोर-जोर से धड़कना।

(द) संचारी भाव : आवेग, दैन्य, शंका, मृत्यु, मोह, त्रास, मूर्च्छा, उन्माद, अपस्मार (मिरगी आना)।

भयानक रस के उदाहरण

गोमायु गीध कराल खर खर खान रोवहिं अति घने।
जनु कालदूत उलूक बोलहिं वचन परम भयावने।

-तुलसीदास

उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल के जालों-सी।
चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाये व्यालों-सी।
धँसती धरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों के निश्वास।
और क्रमशः उसके अवयव का होता था हास॥

-जयशंकर प्रसाद

(कामायनी)

सिंह द्वार पर अरराया जनता भीतर आई।
'मेरी रानी' उसने जो चित्कार मचाई।
अपनी दुर्बलता में मनु तब हाँफ रहे थे।
स्खलन विकंपित पद से वे अब भी काँप रहे थे॥

-जयशंकर प्रसाद

(कामायनी)

एक ओर अजगरहिं लखि, एक ओर मृगराइ।
बिकल बटोही बीच ही, परयो मूरछा खाइ॥

-पदमाकर

देखत भृगुपति बेधु कराला। उठे सकल भय बिकल भुआला॥
पितु समेत कहि कहि निज नामा। लगे करन सब दंड प्रनामा॥

-तुलसीदास

7. वीभत्स रस

सड़े-गले रक्त, मांस, मज्जा आदि घृणित वस्तुएँ तथा नैतिक पतन आदि किसी भी प्रकार की घृणा उत्पन्न करने वाली बात, चित्र, संकेतादि जैसे पीत (मवाद), वीभत्स रस के अंतर्गत आते हैं। इसमें घृणोत्पादक दृश्यों या वस्तुओं का वर्णन होता है।

(अ) स्थायी भाव : जुगुप्सा या घृणा का भाव।

(ब) विभाव : आलम्बन- रक्त, धिनौना दृश्य, माँस, अस्थि आदि घृणित वस्तुएँ।

उद्दीपन- दुर्गन्ध, चर्बी, उबकाई।

(स) अनुभाव : थूकना, आँख-नाक बंद करना, मुँह फेरना।

(द) संचारी भाव : मोह, त्रास, आवेग, मूर्च्छा, आवेग, मृत्यु।

वीभत्स रस का उदाहरण

उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अवनि पटक भट डारहिं।
लोहू जमने से लोहित, सावन की नीलम घासैं।
सरदी गरमी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें॥
आँखें निकाल उड़ जाते, क्षणभर उड़कर आ जाते।
शव-जीभ खींचकर कौवै, चुभला-चुभलाकर खाते॥

-तुलसीदास

सिर पर बैद्यो काग आँख दोड खात निकारत।

खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनंद उर धारत॥

गोध जाँधि को खोदि-खोदि कै मांस उपारत।

स्वान आंगुरिन काटि-काटि कै खात विदारत॥

-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

मारहिं काटहिं धरहिं पछारहिं। सीस तोरि सीसन्ह सन मारहिं।
उदर बिदारहिं भुजा उपारहिं। गहि पद अवनि परकि भट डारहिं।

-तुलसीदास

8. अद्भुत रस

किसी अद्भुत, आश्चर्यजनक, अलौकिक क्रियाकलापों को देखकर-सुनकर-पढ़कर हृदय में विस्मय का भाव जागृत हो-इसकी परिपक्वावस्था को अद्भुत रस कहते हैं।

(अ) स्थायी भाव : विस्मय/आश्चर्य।

(ब) विभाव : आलम्बन- आश्चर्यजनक विचित्र घटना को देखना- सुनना-पढ़ना, अद्भुत कार्य।
उद्दीपन- आलंबन की महिमा और वैचित्र्य, इन्द्रजाल।

(स) अनुभाव : आँखें फाड़कर देखना, स्तब्ध रह जाना, गद्गद हो जाना, रोमांचित होना, वाह-वाह करना।

(द) संचारी भाव : तर्क, संदेह, मोह, हर्ष, जड़ता, आवेग, भ्रांति, त्रास।

अद्भुत रस का उदाहरण

इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा। मतिभ्रम मोर कि आन विसेषा॥
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हैंसि दीन्हें मधुर मुसुकानी॥
तन पुलकित मुख बचन न आवा। नयन मूढ़ि चरननि सिरु नावा॥
बिसमयवंत देखि महतारी। भए बहुरि सिसुरूप खरारी॥

- तुलसीदास

जोजन भर तेहि बदन पसारा। कपि तनु कीन्ह दुगन विस्तारा॥
सोरह जोजन तेहि आनन ठयउ। तुरत पवनसुत बलित्स भयउ॥
जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। तासु दून कपि रूप दिखावा॥
सत जोजन तेहि आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा॥

- तुलसीदास

निरखत अंक स्याम सुंदर के, बार-बार लावति छाती।

लोचन जल कागद मसि मिलि के, हो गई स्याम स्याम की पाती॥

-सूरदास

(भ्रमरगीत)

अखिलं धुवनं चर अचरं जग, हरिमुखं मे लखि मातु।

चकित भयी गद्गद् वचन, विकसित दृग पुलकातु॥

-सेनापति
(काव्यकल्पद्रुम)

9. शान्त रस

मानसिक शांति, सांसारिक मोह-माया से मुक्ति के बाद चित्त का परमात्मा की ओर एकाग्र हो जाने से शांति की प्राप्ति होती है, इसी की अभिव्यक्ति 'शान्त रस' में होती है।

(अ) स्थायी भाव : निर्वेद (शांति), सम (उदासीन)।

(ब) विभाव : आलम्बन- सत्संगति, पवित्र आश्रम, तीर्थाटन, प्रवचन।

उद्दीपन- कथा-श्रवण, पवित्र वातावरण, जीवन की क्षणभंगुरता पर चिंतन-मनन।

(स) अनुभाव : पुलकित होना, पश्चाताप, अश्रुपात आदि।

(द) संचारी भाव : मति, वितर्क, धृति, संतोष आदि।

शान्त रस के उदाहरण

माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर।
कर का मनका डारिये, मन का मनका फेर॥

एहि कलिकाल न साधन दूजा।
जोग, जग्य, जप, तप, व्रत, पूजा।

बुद्ध का संसार त्याग-
क्या भाग रहा हूँ भार देख?
तू मेरी ओर निहार देख-
मैं त्याग चला निस्सार देख।
अटकेगा मेरा कौन काम।
ओ क्षणभंगुर भव! राम-राम!

-मैथिलीशरण गुप्त
(यशोधरा)

10. वात्सल्य रस

सन्तान, शिष्य, अनुज आदि के बाल-सुलभ क्रिया-कलापों के वर्णन से उत्पन्न वात्सल्य प्रेम की परिपक्वावस्था को 'वात्सल्य रस' कहते हैं।

(अ) स्थायी भाव : स्नेह।

(ब) विभाव : आलम्बन- सन्तान, शिष्य, अनुज आदि।

उद्दीपन- आलम्बन की चेष्टाएँ, तुलना आदि।

(स) अनुभाव : आलम्बन को चूमना, गोद में लेना, आँखों से आंसू बहना आदि।

(द) संचारी भाव : हर्ष, गर्व, संतान से दूर होने का वियोगजन्य दुःख, मोह, चिन्ता आदि।

वात्सल्य रस के दो भेद हैं

(i) संयोग वात्सल्य : जहाँ संयोग रूप में स्नेह का रस निःशृत होता है वहाँ संयोग वात्सल्य रस होता है।

(ii) वियोग वात्सल्य : जहाँ वियोग रूप में स्नेह का रस निःशृत होता है वहाँ वियोग वात्सल्य रस होता है।

(i) संयोग वात्सल्य रस के उदाहरण

मैया मैं नहिं माखन खायौ।

ख्याल परे ये सखा सबै मिलि, मेरे मुख लपटायौ।

देखि तुही सीके पर भाजन ऊँचे पर लटकायौ।

तू ही निरखि नान्हें कर अपने मैं कैसे करिपायौ।

-सूरदास

'माँ ओ' कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी।

कुछ मुँह में कुछ लिये हाथ में, मुझे खिलाने आयी थी।

मैंने पूछा-यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ 'काओ'।

हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा-तुम्हीं खाओ।

-सुभद्रा कुमारी चौहान

"माँ"- फिर एक किलक दूरागत, गूँज उठी कुटिया सूनी,

माँ उठ दौड़ी भरे हृदय में लेकर उत्कंठा दूनी,

लुटरी खुली अलक, रज-धूसर बाँहे आकर लिपट गई,

निशा तापसी की जलने को धधक उठी बुझती झूनी!

-जयशंकर प्रसाद

(कामायनी)

(ii) वियोग वात्सल्य रस के उदाहरण

राम चलत अति भयऊ विषादू। सुनि न जाइ पुर आरत नादू।
गइ मुरछा तब भूपति जागे। बोलि सुमंत्र कहन अस लागे॥
राम चले वनु प्रान न जाहीं। केहि सुख लागि रहत तन माहीं।
यहि ते कवन व्यथा बलवाना। जो दुःख पाइ तजहि तन प्राना॥

-तुलसीदास

राम कुशल कहु सखा सनेही। कहँ रघुनाथ लखनु वैदेही।
आने फेरि कि वनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए॥
सोक विकल पुनि पूछ नरेसू। कहु सिय राम लखन सदेसू।
राम रूप गुन सील सुभाऊ। सुमिरि सुमिरि उर सोचत राऊ॥

-तुलसीदास

ज्यों-ज्यों थीं रजनी व्यतीत करती और देखती व्योम को।
त्यों ही त्यों उनका प्रगाढ़ दुख भी दुर्दान्त था हो रहा।
आँखों से अविराम अश्रु बह के था शान्ति देता नहीं।
बारम्बार अशक्त-कृष्ण-जननी थीं मूर्छिता हो रही॥

- हरिऔध

(प्रियप्रवास)

11. भक्ति रस

इस रस में भगवद्-अनुरक्ति और अनुराग का ही वर्णन होता है।

(अ) स्थायी भाव : अनुराग।

(ब) विभाव : आलंबन- ईश्वर, गुरु, साधु, संन्यासी, माता-पिता आदि।

उद्दीपन- धर्मस्थल, धार्मिक प्रतिमाएँ व चित्रादि, धार्मिक पुस्तकें आदि।

(स) अनुभाव : शरणागत होना, समर्पित होना।

(द) संचारी भाव : हर्ष, स्मृति, भक्ति-भावना आदि।

भक्ति रस के उदाहरण

कामिहिं नारि पियारि जिमि, लोभहिं प्रिय जिमि दाम।
तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहिं राम॥

-तुलसीदास

प्रभुजी! तुम चन्दन हम पानी, जाके अंग-अंग वास समानी।

-रैदास

मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट, मेरे पति सोई॥

साधुन संग बैठि-बैठि, लोक लाज खोई।

अब तो बात फैलि गई, जाने सब कोई॥

-मीराबाई

-----▲▲▲▲▲-----

छन्द शास्त्र - 'छन्द' की प्रथम चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है, तो कविता का छन्दशास्त्र। छन्द पद्य की रचना का मानक है और इसी के अनुसार पद्य की सृष्टि होती है। पद्य रचना का समुचित ज्ञान 'छन्दशास्त्र' का अध्ययन किए बिना नहीं हो सकता।

छन्द का दूसरा नाम 'पिंगल' भी है। इसका कारण यह है कि छन्द शास्त्र के आदि प्रणेता पिंगल नाम के ऋषि थे। पिंगलाचार्य के छन्दसूत्र में छन्द का सुसम्बद्ध वर्णन होने के कारण इसे छन्द शास्त्र का आदि ग्रन्थ माना जाता है। इसी आधार पर छन्द शास्त्र को 'पिंगलशास्त्र' भी कहते हैं।

संक्षिप्त इतिहास- संस्कृत के प्रथम आदि कवि वाल्मीकि से निम्नकृत काव्य की धारा कालिदास से होते हुए हिन्दी के अनेक प्राचीन कवियों ने संवारा और छन्दों की शक्ति में चन्दबरदायी, कबीर, तुलसीदास, रहीम, गिरधर कविराय, सूरदास, पद्माकर, केशवदास, भिखारीदास आदि कवियों ने कालजयी साहित्य की रचना की।

छन्द शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल को माना गया है इनका समय 200 ई.पू. माना जाता है। पिंगल मुनि के ग्रंथ का नाम 'छन्दः सूत्र' है, यह संस्कृत में है। 1894 ई. में जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' कृत 'छन्दः प्रभाकर' आधुनिक हिन्दी के छन्द शास्त्र के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसी तारतम्य में जगन्नाथ प्रसाद 'भानु' ने सन् 1909 में 'काव्य प्रभाकर' नामक 800 पृष्ठों के बृहद् ग्रंथ की रचना की जिसमें छंद-भेद, ध्वनि-भेद, काव्य-भेद, नायिका-भेद, भाव-विश्लेषण, रस-विश्लेषण, अलंकार-दोष निर्णय आदि की विस्तृत विवेचना की है। वे हिन्दी के प्रथम पिंगलशास्त्री माने जाते हैं।

छन्द : रचना विधान

छन्द काव्य साहित्य संस्कृत से निम्नकृत होकर हिन्दी में प्रवाहमान गंगोत्री से निकले पावन व स्वच्छ जल के समान परन्तु अंतःसलिला है। छन्दों में काव्य की रचना गीत व गद्य कविता के रचना विधान से कठिन है। छन्द की प्रवृत्ति स्वच्छंद नहीं है बल्कि वह कठोर अनुशासन में बंधी हुई गीत की ही एक विधा है। अस्तु छन्दों में गीत की रचना से पहले वर्ण, यति, गति, मात्रा, तुक, चरण, गण के बारे में जानना जरूरी है, इसे जाने-समझे बिना

छन्दों की रचना संभव नहीं है।

वर्तमान काल की धारा स्वच्छंदता का है चाहे हम लोक-जीवन की बात करें या साहित्य की। मगर इससे अनुशासन का महत्व कम नहीं हो जाता। संप्रति, स्पेनिश, अंग्रेजी, चीनी, हिन्दी, बंगला आदि वैश्विक भाषा समूह के काव्य साहित्य में स्वच्छंदता का बोलबाला है।

छन्द की परिभाषा और सीमा विस्तार

'अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, मात्रा गणना तथा यति-गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य-रचना छन्द कहलाती है।'

(हिन्दी साहित्य कोश-5.321)

इस प्रकार गति, यति, मात्रा, वर्ण, गण, लय, चरण आदि की नियमबद्ध व्यवस्था ही छन्द कही जाती है। यही सारे तत्व छन्द शास्त्र (पिंगल शास्त्र) के अध्ययन के विषय भी हैं इसे छन्दों का सीमा विस्तार भी कहा जा सकता है। इन सभी तत्वों को समझे बिना छन्द शास्त्र को समझ पाना कठिन है, अस्तु, इसका संक्षिप्त विवेचन नीचे किया जा रहा है।

वर्ण : उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि में अलग-अलग चिह्न बनाए गए हैं उन्हें ही वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है, वे वर्ण कहलाते हैं। उदाहरणार्थ-अ, इ, उ, क, ख, ग आदि।

वर्णमाला : वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।

हिन्दी और देवनागरी लिपि

हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। विश्व की 120 से भी अधिक बोलियों/भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है उनमें मराठी, नेपाली, पाली, कोंकणी, सिंधी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली आदि शामिल हैं। यह लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि। यह भारत और नेपाल की अनुगिड़ा वर्णमाला है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। देवभाषा संस्कृत के लिये प्रयुक्त नागरी लिपि का हिन्दी में प्रयोग होने के बाद इसका नाम देवनागरी पड़ा क्योंकि यह लिपि देवभाषा के लिये प्रथमतः प्रयुक्त हुआ।

हिन्दी वर्णमाला

हिन्दी भाषा में संस्कृत के लिए प्रयुक्त नागरी लिपि के 52 वर्णों को स्वीकृत कर उसे देवनागरी लिपि कहा गया।

(अ) स्वर वर्ण (11) : अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

(ब) अयोगवाह वर्ण (2) : अं, अः

(स) व्यंजन (39) वर्ण (संयुक्त व्यंजन सहित) :

क वर्ण	:	क, ख, ग, घ, ङ
च वर्ण	:	च, छ, ज, झ, ञ
ट वर्ण	:	ट, ठ, ड, ढ, ण
त वर्ण	:	त, थ, द, ध, न
प वर्ण	:	प, फ, ब, भ, म
अन्तःस्थ	:	य, र, ल, व
ऊष्म	:	श, ष, स, ह,
संयुक्त	:	क्ष, त्र, ज्ञ, श्र
द्विगुण	:	ड़, ढ़

उपरोक्त सभी व्यंजन वर्णों में 'अ' की ध्वनि (मात्रा) शामिल है।

जैसे-	क् + अ = क
	च् + अ = च
	ट् + अ = ट

● स्वर : जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख-विवर से अबाध गति से निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या ग्यारह है।

● व्यंजन : वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता लिए नहीं उच्चारित हो सकती, व्यंजन कहलाती हैं।

जैसे- क = क् + अ

● अयोगवाह : अं (-), अः (:) ऐसी ध्वनियाँ हैं जो न स्वर हैं न ही व्यंजन, ये बिना किसी से योग किए ही अर्थ वहन करते हैं। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। हिन्दी वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले निर्धारित किया गया है।

इस तरह एक ही व्यंजन वर्ण स्वर एवं अयोगवाह वर्ण के मेल से 13 प्रकार के रूप धारण कर सकता है।

अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः

क, का, कि, की, कु, कू, कृ, के, कै, को, कौ, कं, कः

अयोगवाह वर्ण में अनुस्वार के दो रूप (- , -) हैं एवं विसर्ग के एक रूप (:) ; इनमें से अनुस्वार 'चन्द्र बिन्दु' (-) को वर्ण नहीं माना गया है।

● ह्रस्व या लघु स्वर : जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहा जाता है।

अ, इ, उ और ऋ ह्रस्व स्वर हैं। इसके अलावा चंद्रबिन्दु (-) के मात्रा वाले सभी स्वर और व्यंजन ह्रस्व या लघु माने गये हैं।

उदाहरण : क, कि, कु, कू, कै
प, पि, पु, पू, पैं

ह्रस्व या लघु स्वरों की मात्रा एक गिनी जाती है।

इसका संकेतक चिन्ह '।' है।

● दीर्घ या गुरु स्वर : जिन स्वरों को बोलने में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ या गुरु स्वर कहा जाता है। इसके अलावा अनुस्वार (-) व विसर्ग (:) वाले सभी स्वर और व्यंजन दीर्घ स्वर माने गये हैं। आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं।

उदाहरण : का, की, के, कै, को, कौ, कं, कः

पा, पी, पे, पैं, पो, पौ, पं, पः

दीर्घ या गुरु स्वर का संकेतक चिन्ह () है। इसकी मात्रा दो गिनी जाती है।

● संयुक्त व्यंजन : संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ और श्र दो व्यंजनों के मेल से बना है।

क्ष = क् + ष

त्र = त् + र

ज्ञ = ज् + ञ (उच्चारण की दृष्टि से ग् + य् = ज्ञ)

श्र = श् + र

उपरोक्त संयुक्त वर्ण जब शब्द के शुरु में आते हैं तो लघु माने जाते हैं। जैसे- क्षमा, ज्ञानी, त्रास, श्रमिक

उपरोक्त चारों शब्दों में क्ष (लघु), ज्ञा (गुरु, आ मात्रा जुड़

जाने के कारण), त्रा (गुरु, आ मात्रा जुड़ जाने के कारण) एवं श्र (लघु) प्रथम अक्षर हैं। परन्तु यही संयुक्त व्यंजन जब शब्द के बीच आ जाता है तो दो मात्राओं का असर डालता है।

उदाहरण : क्षमा = क्ष + मा = 1 + 2 = 3 मात्रा

रक्षक = र + क् + ष + क

= रक् + ष + क = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

● आधा अक्षर- जब आधे अक्षर से कोई शब्द शुरू होता है तब उसे मात्रा के रूप में नहीं गिनते।

जैसे- स्तर = त + र = 1 + 1 = 2 मात्रा

जब आधा अक्षर बीच में आ जाये, तब यदि उससे पहले का अक्षर 'लघु' हो तो वह 'गुरु' हो जाता है। जैसे-

वस्तर = वस् + त + र = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

परन्तु यदि आधे अक्षर के पहले का अक्षर 'गुरु' हो तब आधे अक्षर की गिनती नहीं होती। जैसे-

मास्टर = मास् + ट + र = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

उपरोक्त उदाहरण (मास्टर) में 'मा' बराबर दो मात्रा और 'मास्' बराबर भी दो ही मात्रा होगी, जबकि उससे पहले के उदाहरण (वस्तर) में 'व' बराबर एक मात्रा और 'वस्' बराबर दो मात्रा होगी, इस तरह यहाँ 'स्' की गणना एक मात्रा के रूप में हो रही है, जबकि इससे पहले के उदाहरण (मास्टर) में 'स्' की गणना नहीं हो रही है।

● संयुक्ताक्षर- 'संयुक्ताक्षर' शब्द के शुरू में हो तो उसकी गिनती एक मात्रा (लघु) की होती है। शब्द के बीच में होने पर आधे अक्षर का भार उसके पहले अक्षर पर पड़ता है। यदि आधे अक्षर के पहले लघु अक्षर हो तो वह गुरु हो जाता है और यदि गुरु अक्षर हो तो वह गुरु ही रहता है अर्थात् यहाँ आधे अक्षर की गिनती छोड़ दी जाती है।

उदाहरण :

भ्रम = भ्र + म = 1 + 1 = 2 मात्रा

अभ्रक = अ + भ्र + र + क

= अभ्र + र + क = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

क्रम = क्र + म = 1 + 1 = 2 मात्रा

वक्र = व + क् + र = वक् + र = 2 + 1 = 3 मात्रा

प्रलय = प्र + ल + य = 1 + 1 + 1 = 3 मात्रा

विप्र = वि + प्र + र

= विप् + र = 2 + 1 = 3 मात्रा

खग्रास = ख + ग् + रा + स

= खग् + रा + स = 2 + 2 + 1 = 5 मात्रा

ग्रास = ग्रा + स = 2 + 1 = 3 मात्रा

मात्रा गिनती के कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं-

(अ) लघु एवं दीर्घ स्वर-

सँझकेरहा = सँ + झ + के + र + हा

= 1 + 1 + 2 + 1 + 2 = 7 मात्रा

अँगना = अँ + ग + ना = 1 + 1 + 2 = 4 मात्रा

मन = म + न = 1 + 1 = 2 मात्रा

मान = मा + न = 2 + 1 = 3 मात्रा

मना = म + ना = 1 + 2 = 3 मात्रा

माना = मा + ना = 2 + 2 = 4 मात्रा

मँय = मँ + य = 1 + 1 = 2 मात्रा

संझा = सं + झा = 2 + 2 = 4 मात्रा

मंतर = मं + त + र = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

कमंडल = क + मं + ड + ल = 1 + 2 + 1 + 1 = 5 मात्रा

ग्रंथ = ग्रं + थ = 2 + 1 = 3 मात्रा

(ब) आधा अक्षर- शब्द के प्रारंभ में आधा अक्षर की गिनती नहीं होती।

व्यथा = य + था = 1 + 2 = 3 मात्रा

शब्द = श + व् + द

= शव् + द = 2 + 1 = 3 मात्रा

अच्छर = अ + च् + छ + र

= अच् + छ + र = 2 + 1 + 1 = 4 मात्रा

काव्य = का + व् + य

= काव् + य = 2 + 1 = 3 मात्रा

(स) संयुक्ताक्षर-

प्रमाणित = प्र + मा + णि + त

= 1 + 2 + 1 + 1 = 5 मात्रा

अभि = अ + भि = 1 + 1 = 2

$$\begin{aligned}\text{अभिप्रमाणित} &= \text{अ} + \text{भि} + \text{प्} + \text{र} + \text{मा} + \text{णि} + \text{त} \\ &= \text{अ} + \text{भिप्} + \text{र} + \text{मा} + \text{णि} + \text{त} \\ &= 1 + 2 + 1 + 2 + 1 + 1 = 8 \text{ मात्रा}\end{aligned}$$

उपरोक्त उदाहरण में 'प्रमाणित' और 'अभि' की अलग-अलग मात्रा गणना करने पर वह क्रमशः 5 मात्रा व 2 मात्रा होती है जबकि दोनों शब्दों को मिला देने पर (अभिप्रमाणित) कुल मात्रा आठ हो जाती है अर्थात् 'प्र' के शब्दों के बीच में आने के कारण (व इसके पहले लघु शब्द रहने पर) एक मात्रा की वृद्धि हो रही है।

(द) संयुक्त व्यंजन-

$$\begin{aligned}\text{त्रयी} &= \text{त्र} + \text{यी} = 1 + 2 = 3 \text{ मात्रा} \\ \text{त्रयोदशी} &= \text{त्र} + \text{यो} + \text{द} + \text{शी} = 1 + 2 + 1 + 2 = 6 \text{ मात्रा} \\ \text{मित्रेश} &= \text{मि} + \text{त्} + \text{रे} + \text{श} \\ &= \text{मिर्} + \text{रे} + \text{श} = 2 + 2 + 1 = 5 \text{ मात्रा} \\ \text{लोकाक्षर} &= \text{लो} + \text{का} + \text{क्} + \text{ष} + \text{र} \\ &= \text{लो} + \text{काक्} + \text{ष} + \text{र} = 2 + 2 + 1 + 1 = 6 \text{ मात्रा} \\ \text{अक्षर} &= \text{अ} + \text{क्} + \text{ष} + \text{र} \\ &= \text{अक्} + \text{ष} + \text{र} = 2 + 1 + 1 = 4 \text{ मात्रा} \\ \text{ज्ञानी} &= \text{ज्ञा} + \text{नी} = 2 + 2 = 4 \text{ मात्रा} \\ \text{अज्ञानी} &= \text{अ} + \text{ज्} + \text{जा} + \text{नी} \\ &= \text{अज्} + \text{जा} + \text{नी} = 2 + 2 + 2 = 6 \text{ मात्रा}\end{aligned}$$

विशेष नियम- शब्द के बीच में अर्ध अक्षर आने पर उसका सम्पूर्ण भार उसके पहले अक्षर पर पड़ता है। जैसे-

$$\text{चिन्ता} = \text{चि} + \text{न्} + \text{ता} = \text{चिन्} + \text{ता} = 2 + 2 = 4 \text{ मात्रा}$$

परन्तु कई बार बीच में आये हुए अर्ध अक्षर का भार उसके बाद वाले अक्षर पर पड़ता है। उसके बाद वाला अक्षर यदि 'लघु' हो तो वह 'गुरु' हो जाता है और यदि वह 'गुरु' हो तो अर्ध अक्षर की गिनती नहीं होती। उदाहरण :

$$\begin{aligned}\text{कुम्हार} &= \text{कु} + \text{म्हा} + \text{र} = 1 + 2 + 1 = 4 \text{ मात्रा} \\ \text{कन्हैया} &= \text{क} + \text{न्है} + \text{या} = 1 + 2 + 2 = 5 \text{ मात्रा} \\ \text{तुम्हारा} &= \text{तु} + \text{म्हा} + \text{रा} = 1 + 2 + 2 = 5 \text{ मात्रा} \\ \text{गह्वर} &= \text{ग} + \text{ह्व} + \text{र} = 1 + 2 + 1 = 4 \text{ मात्रा}\end{aligned}$$

छन्द के अंग

अक्षरों की संख्या व क्रम, मात्रा-गणना और यति-गति से सम्बद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य-रचना को 'छन्द' की संज्ञा दी गई है। छन्द के अंगों की जानकारी के बिना छन्द रचना नहीं की जा सकती। छन्द के निम्नलिखित अंग हैं-

- (1) वर्ण (2) मात्रा (3) यति (4) चरण/पाद
(5) गति (6) तुक (7) गण

(1) **वर्ण-** अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अ, इ, उ और ऋ को ह्रस्व (लघु) वर्ण माना गया है क्योंकि इनके बोलने में कम समय लगता है, जबकि आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः दीर्घ वर्ण माने गये हैं क्योंकि इसके बोलने में ज्यादा समय लगता है।

(2) **मात्रा-** किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व (लघु) वर्ण की मात्रा एक होती है और उसका चिह्न '।' है जबकि दीर्घ या गुरु स्वरों की मात्रा दो होती है। इसका संकेत चिह्न 'ऽ' है। अनुनासिक स्वर चन्द्रबिंदु (ँ) की मात्रा गणना नहीं होती। मात्रा स्वरों की होती है, व्यंजनों की नहीं, अतः मात्रा गिनते समय व्यंजनों पर स्वर के भार को देखा जाता है।

(3) **यति-** छन्दों को पढ़ते या गाते समय बीच-बीच में ठहरना पड़ता है। वहाँ विराम (,) का चिह्न बना रहता है। इसे ही यति कहते हैं।

(4) **चरण/पाद-** छन्द काव्य में यति (,) के अनुसार चरण का निर्धारण होता है। उदाहरण-

संस्कृत ही सब साज है, (प्रथम चरण), भाषा करत अहार।
(द्वितीय चरण) कबिरा जो जल सलिल है, (तृतीय चरण) सुनते उतरे पार॥ (चतुर्थ चरण) (हिन्दी - दोहा : कबीर)

इस तरह कबीर के दो पंक्तियों के दोहे में चार चरण हैं। इसी तरह त्रिभंगी छन्द चार पंक्तियों की होती है व प्रत्येक पंक्ति में तीन यति आने के कारण चार चरण होते हैं। इस तरह त्रिभंगी छन्द के चार पंक्तियों में कुल सोलह चरण होते हैं। $(10-8-8-6) \times 4$

(5) **गति-** छन्द में पढ़ने की लय या प्रवाह को 'गति' कहते हैं।

संत कबीर के उपरोक्त दोहा में शब्दों को आगे-पीछे कर दिया जाये तो लय (गति) भंग हो जाएगा। जैसे 'साज' और 'सलिल' को आगे-पीछे करने पर लय भंग हो रहा है। लय भंग होने पर वह छन्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा।

परिवर्तित (लय भंग)- साज संस्कृत ही सब है, भाषा करत अहार।

कविरा सलिल जो जल है, सुनते उतरै पार।।

मूल (लय बद्ध)- संस्कृत ही सब साज है, भाषा करत अहार।

कविरा जो जल सलिल है, सुनते उतरै पार।।

(6) तुक : छन्दों के पदों के अन्त में अक्षरों में जो समतुल्यता पाई जाती है उसे 'तुक' कहते हैं।

'तुक' वाले छन्द 'तुकान्त' कहलाते हैं जैसे उपरोक्त उदाहरणों में अहार-पार में तुक मिल रहा है। यदि पदों के अन्त में तुक न मिले तो वे छन्द 'अतुकान्त' कहलाते हैं। दोहा, रोला आदि तुकान्त छन्द हैं।

(7) गण : तीन वर्णों के समूह को 'गण' कहते हैं। गणों का प्रयोग वर्णिक छन्दों में लघु-गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए होता है। तीन वर्णों से कुल आठ समूह बनाए जा सकते हैं, अतः गणों की संख्या आठ मानी गयी है। वे हैं- यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार है-

। ५ ५ ५ । ५ । । । ५

य मा ता रा ज भा न स ल गा

उपरोक्त उदाहरण के आरंभ के आठ अक्षर गण के सूचक हैं। किसी गण का रूप निकालने के लिए उस अक्षर और उसके आगे के दो अक्षरों को मिलाकर लिख लिया जाता है। इससे वांछित गण का स्वरूप पता चल जाता है।

जैसे-	यगण में यमाता	=	। ५ ५
	मगण में मातारा	=	५ ५ ५
	तगण में ताराज	=	५ ५ ।
	रगण में राजभा	=	५ । ५
	जगण में जभान	=	। ५ ।
	भगण में भानस	=	५ । ।
	नगण में नसल	=	। । ।
	सगण में सलगा	=	। । ५

विशेष

इस तरह सूत्र 'यमाताराजभानसलगा' को याद कर लेने पर उसके प्रथम आठ वर्ण अलग-अलग गण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उसके बाद के दो वर्णों को मिला देने पर गण की मात्रा का ज्ञान हो जाता है। वस्तुतः लघु/गुरु के आधार में तीन वर्णों का समूह बनावे तो कुल आठ समूह ही बनता है। प्रत्येक समूह के अलग-अलग नाम दिए गए हैं जैसे भगण, सगण आदि।

छन्दों के भेद

जिस तरह व्यक्ति पैरों के बिना चल नहीं सकता, वह उसका आधार है, उसी तरह छन्द कविता का आधार है। साहित्यिक रचना के दो प्रमुख रूप होते हैं। (1) गद्य, (2) पद्य। प्रथम का संबंध मनुष्य की बुद्धि से है और दूसरे का संबंध मनुष्य की रागात्मक भावनाओं से। रागात्मक वृत्ति लय की ओर प्रस्थान करती है, लय का संबंध संगीत से है और छन्द लयबद्ध होते हैं इसलिये छन्द का महत्व पहले भी था और अभी भी है। आधुनिक काल में छन्दों के तीन भेद माने गए हैं-

(अ) मात्रिक छन्द

(ब) वर्णिक छन्द

(स) लयात्मक छन्द

(अ) मात्रिक छन्द- जिन छन्दों की रचना केवल मात्राओं के आधार पर की जाती है, वे मात्रिक छन्द होते हैं। मात्रिक छन्द में मात्राओं की समानता एवं संख्या पर विचार किया जाता है, इसमें वर्णों के क्रम या संख्या पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे- दोहा, सोरठा, रोला, कुण्डलिया आदि।

(ब) वर्णिक छन्द- जिन छन्दों की रचना केवल वर्णों की संख्या न क्रम के आधार पर की जाती है उसे वर्णिक छन्द कहते हैं। इसमें मात्राओं की संख्या या क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जैसे- सवैया, घनाक्षरी आदि।

(स) लयात्मक छन्द- जिन छन्दों में न तो मात्राओं का विधान होता है और न ही वर्णों का विधान होता है, अपितु केवल लय व गेयता तथा लोच को ही प्रश्रय दिया जाता है वे लयात्मक छन्द कहलाते हैं। छायावादी कवियों के गीत लयात्मक छन्दों की कोटि में आते हैं। सुवा, ददरिया, करमा, जसगीत लोकगीत आदि भी लयात्मक छन्द हैं।

मात्रिक व वर्णिक छन्दों के तीन प्रमुख भेद हैं-

- (i) सम- जिन छन्दों के प्रत्येक चरणों में मात्राओं/वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें सम मात्रिक/वर्णिक छन्द कहते हैं। ज्यादातर सम छन्दों में दो पंक्तियाँ और चार चरण होते हैं।
- (ii) अर्धसम- जिन छन्दों के प्रथम व तृतीय चरणों में एवं द्वितीय व चतुर्थ चरणों में मात्राओं/वर्णों की संख्या समान होती है उन्हें अर्धसम मात्रिक/वर्णिक छन्द कहते हैं।
- (iii) विषम- जिन छन्दों के चरणों में मात्राओं/वर्णों की संख्या में समानता नहीं होती, उन्हें विषम मात्रिक/वर्णिक छन्द कहते हैं।

कुछ प्रमुख छन्द

छन्दों की संख्या सैकड़ों में है। कुछ प्रमुख छन्दों का रचना विधान एवं उदाहरण नीचे दिया जा रहा है।

1. चौपाई छन्द (16-16-16-16)

यह 16-16 मात्रा के चार चरणों वाला सम मात्रिक छन्द है। अर्थात् चार चरणों की एक चौपाई होती है। प्रथम व द्वितीय चरणों में 'तुक' समान होती है, इसी तरह तृतीय व चतुर्थ चरणों में तुक समान होती है।

विशेष : (1) चरण के अन्त में 2,2 / 1,1,2 / 2,1,1 मात्रा होना चाहिए।

(2) अर्थात् तुकांत जगण (1 2 1) या तगण (2 2 1) से न हो। इसे हम इस तरह भी कह सकते हैं चौपाई के चरण के अन्त में 1,2,1 या 2,2,1 मात्रा वर्जित है।

उदाहरण :

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर।
रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनपुत्र पवन-सुत नामा।

-तुलसीदास

हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा।
कामधेनु सत कोटि समाना, सकल काम दायक भगवाना।

-तुलसीदास

दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राम नहिं काहुहिं व्यापा।
सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति।

-तुलसीदास

कंकन किंकनि नुपूर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि।

मानहु मदन दुंदभी दीन्हीं। मनसा विस्व विजय कहैं कीन्हीं।

-तुलसीदास

2. चौपई या जयकारी छन्द (15-15-15-15)

यह 15-15 मात्रा के चार चरणों वाला सम मात्रिक छन्द है। प्रथम व द्वितीय चरणों में 'तुक' समान होती है। इसी तरह तृतीय व चतुर्थ चरणों में 'तुक' समान होती है। इसे जयकारी छन्द भी कहते हैं।

विशेष : (1) हर चरण की शुरुआत दो मात्राओं से अर्थात्

2 (गुरु) या 1,1 (दो लघु) से होती है।

(2) हर चरण का अन्त 2,1 (गुरु, लघु) से होती है।

(3) अगर चौपाई (16-16) छन्द चरण के अन्त से एक मात्रा कम कर दिया जाये तो वह चौपई छन्द (15-15) बन जाता है।

उदाहरण :

उपवन में अति भरी उमंग, कलियाँ खिलती हैं बहुरंग।

पर मिलता है उसको मान, जो है सुखद सुगंध-निधान।

-रामनरेश त्रिपाठी

रघुपति राघव राजा राम, पतीत पावन सीता राम।

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।

-पंडित विष्णु दिगम्बर पल्लुस्कार

नोट- इस गीत को सर्वप्रथम 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च के समय गाया गया था।

3. उल्लाला (13-13-13-13) एवं (15-13-15-13)

यह छन्द दो प्रकार का होता है-

(1) 13-13 मात्रा के चार चरणों वाले सम मात्रिक छन्द को उल्लाला छन्द कहते हैं। इसमें विषम-सम चरण में या सम-सम चरण में तुकांत होता है। यति 13 मात्रा में होता है।

(2) 15-13 मात्रा के चार चरणों वाले अर्ध मात्रिक छन्द को भी उल्लाला कहते हैं। इसमें सम-सम चरण में तुक और यति 15 या 13 मात्रा में होता है।

उदाहरण :

(13-13 मात्रा में यति, सम-सम तुकांत)

(1) हिन्दी के उद्धार हित, कष्ट अनेकन जिन सहे।

भारतेन्दु हरिचन्द की, उज्ज्वल कीर्ति सदा रहे॥

-मैथिलीशरण गुप्त

(2) हम खेलें कूदें हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में।

हे मातृभूमि तुझको निरख, मग्न क्यों न हो मोद में॥

-मैथिलीशरण गुप्त

(15-13 मात्रा में यति, सम-सम तुकांत)

(3) हे शरणदायिनी देवि तू, करती सबका त्राण है।

हे मातृभूमि, संतान हम, तू जननी तू प्राण है॥

-मैथिलीशरण गुप्त

अर्ध सममात्रिक छन्द

इस प्रकार के छन्दों में हर पंक्ति में मात्रा तो बराबर रहता है, परन्तु पंक्ति के दोनों चरणों में मात्राओं की संख्या अलग-अलग होती है। विषम-विषम चरण की मात्रा और सम-सम चरण की मात्रा बराबर रहती है। जैसे दोहा (13-11, 13-11), सोरठा (11-13, 11-13), रोला (11-13, 11-13), सरसी (16-11, 16-11), सार (16-12, 16-12), आल्हा (16-15, 16-15)।

4. दोहा (13-11, 13-11)

यह 13-11 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएँ होती हैं।

विशेष : (i) तुकांत पंक्तियों के अन्त में अर्थात् दूसरे और चौथे चरण के अंत में होता है।

(ii) सम चरण के अन्त में गुरु-लघु (2 1) होना चाहिए।

(iii) विषम चरण (पहला, तीसरा) के अन्त में सगण (1 1 2), रगण (2 1 2), नगण (1 1 1) या लघु-गुरु (1 2) होना चाहिए।

(iv) विषम चरण (पहला, तीसरा) के शुरु में जगण (1 2 1) नहीं होना चाहिए।

उदाहरण :

1. बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।

पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर॥

-कबीर

2. श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारि।

वरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि॥

-तुलसीदास

5. सोरठा (11-13, 11-13)

यह 11-13 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएँ होती हैं। यह दोहा का बिल्कुल उल्टा है।

विशेष : (i) विषम-विषम चरण के अन्त में तुकांत एक समान होना चाहिए।

(ii) सम चरण के अन्त में सगण (1 1 2), रगण (2 1 2) नगण (1 1 1) या लघु-गुरु (1 2) होना चाहिए।

(iii) विषम चरण (पहला, तीसरा) के अन्त में गुरु-लघु (2 1) होना चाहिए।

(iv) सम चरण (दूसरा, चौथा) के शुरु में जगण (1 2 1) नहीं होना चाहिए।

उदाहरण :

1. जेहि सुमिरत सिधि होइ, गणनायक करिवर वदन।

करहु अनुग्रह सोइ, बुद्धि-रासि सुभ गुन सदन॥

-तुलसीदास

2. लिखकर लोहित लेख, डूब गया दिन मणि अहा।

व्योम-सिंधु सखि देख, तारक-बुदबुद दे रहा॥

-मैथिलीशरण गुप्त

6. रोला छन्द (11-13, 11-13)

यह 11-13 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है अर्थात् प्रत्येक पंक्ति में 24-24 मात्राएँ होती हैं। सोरठा से अन्तर यह है कि तुकान्त सम-सम चरण (2-4) में होता है व सम चरण के अन्त में गुरु (2) या दो लघु (1 1) आना चाहिए।

उदाहरण :

सुभ सूरज कुल कलस, नृपति दसरथ भै भूपति।
तिनके सुत भै चारि, चतुर चित-चारु चारुमति॥

-केशव

नव उज्ज्वल जलधार, हार हीरक सी सोहति।
बिच-बिच छहरति बूँद, मध्य मुक्ता मनि पोहति॥

-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

जिसकी रज में लोट, लोट कर बड़े हुए हैं।
घुटनों के बल सरक, सरक कर खड़े हुए हैं॥

-मैथिलीशरण गुप्त

राघव बोले देख, जानकी के आनन को,
स्वर्गगंगा का कमल, मिला कैसे कानन को।
नील मधु को देख, वहीं उस कंज कली ने,
स्वयं आगमन किया, कहा यह जनक लली ने।

-मैथिलीशरण गुप्त

7. सरसी छन्द (16-11, 16-11)

यह 16-11 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है अर्थात् प्रत्येक पंक्ति में 27 मात्रा व दो पंक्तियों में चार चरण होता है। विषम चरण में 16 मात्रा व सम चरण में 11 मात्रा। सम चरण के अंत में गुरु-लघु (2 1) रहता है व तुकांत सम-सम चरणों में होता है।

उदाहरण :

एक अकेले होकर भी अब, रहते जग के साथ।
शब्दों से अब शब्द मिले हैं, मिले न चाहे हाथ।
मोबाइल हाथों का गहना, टेबलेट से प्यार।
कम्प्यूटर अरु लैपटाप ही, अब घर का शृंगार।

-रमेशकुमार सिंह चौहान

शैशव की तुम परिचित सहचरि, जग के चिर अनजान।
नव शिशु के सँग छिप-छिप रहती, तुम, मा का अनुमान।
डाल अँगूठा शिशु के मुँह में, देती मधु-स्तन-दान।
छिपी थपक से उसे सुलाती, गा-गा नीरव-गान!

-सुमित्रानंदन पंत

(गुंजन, 'अप्सरा')

निखिल कल्पनामयि अयि अप्सरि! अखिल विस्मयाकार!

अकथ, अलौकिक, अमर, अगोचर, भावों की आधार!

गूढ़, निरर्थ, असंभव, अस्फुट, भेदों की शृंगार!

मोहिनि, कुहुकिनि, छल-विभ्रममयि, चित्र-विचित्र अपार!

-सुमित्रानंदन पंत

(गुंजन, 'अप्सरा')

8. सार छन्द (16-12, 16-12)

यह 16-12 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम चरण में 16-16 मात्रा व सम चरण में 12-12 मात्रा रहता है।

इस तरह प्रत्येक पंक्ति में कुल 28 मात्राएँ होती हैं व तुकांत सम चरण (दूसरा, चौथा) के अंत में होता है। सम चरण के अंत में एक गुरु या दो लघु होना चाहिए।

उदाहरण:

लज्जा की लाली फैली थी, भौंहे तनिक चढ़ी थी।

ग्रीवा नीची थी पर आँखें, नृप की ओर बढ़ी थी।

-मैथिलीशरण गुप्त

वह पागल सुख इस जगती का, आज विराट बना था।

अंधकार-मिश्रित प्रकाश का, एक वितान तना था।

-जयशंकर प्रसाद

(कामायनी)

लज्जा की लाली फैली थी, भौंहे तनिक चढ़ी थीं,

ग्रीवा नीची थी पर आँखें, नृप की ओर बढ़ी थीं।

कहती थी मानो वे उनसे क्या हमको छोड़ोगे,

आयुपुत्र दो दिन पीछे ही, क्या यह मुँह मोड़ोगे॥

-मैथिलीशरण गुप्त

9. आल्हा छन्द (16-15, 16-15)

यह 16-15 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है जिसके प्रत्येक पंक्तियों में 31 मात्रा (विषम चरण में 16 व सम चरण में 15) होती है। तुकान्त सम (दूसरा व चौथा) चरणों में होती है व सम चरण के अंत में गुरु-लघु (2 1) होता है।

उदाहरण:

खेतों के निकेत बनते हैं, और निकेतों के फिर खेत।

वे प्रासाद रहें न रहें, पर अमर तुम्हारा यह साकेत॥

-मैथिलीशरण गुप्त

हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, बैठ शिला की शीतल छाँह।
एक पुरुष भीगे नयनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह॥
नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन।
एक तत्त्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन॥

-जयशंकर प्रसाद

(कामायनी)

राजा हमरे भये कलजुगहा जयचंद और पिथौरा राय।
लरि लरि आपुस में चापर भये मरिगे हमें गुलाम बनाय।
धन बल धरम करम हिन्दुन के बंटाधार भए एक साथ।
राज छटा अपने हाथों से भारत माता भई अनाथ॥

-जगनिक

(आल्हा खंड)

10. बरवै छन्द (12-7 मात्रा की दो पंक्ति में)

यह 12-7 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है। विषम चरण में 12-12 मात्रा व सम चरण में 7-7 मात्रा रहता है। इस तरह दोनों पंक्तियों में 19-19 मात्रा रहता है। तुक सम-सम चरण (दूसरा व चौथा) और सम चरण के अंत में गुरु-लघु (2 1) व यति 12, 7 मात्राओं में होता है।

विशेष : विषम चरण के अन्त में एक गुरु (2) या दो लघु (1 1) होता है।

उदाहरण :

प्रेम प्रीति को बिरवा, चलें लगाय।

सौचन की सुधि लीजो, मुरझि न जाय॥

-रहीम

अवधि-शिला का उर पर, था गुरु भार।

तिल-तिल काट रही थी, दृग जल धार॥

-मैथिलीशरण गुप्त

सम सुबरन सुषमाकर सुखद न धोर।

सीय अंग सखि! कोमल कनक कठोर॥

-तुलसीदास

(बरवै रामायण)

अब जीवन कै है कपि आस न कोइ।

कनगुरिया कै मुदरी कंकन होइ॥

-तुलसीदास

(बरवै रामायण)

11. रूपमाला छन्द

(14-10 मात्रा की चार पंक्तियाँ)

यह 14-10 मात्रा के आठ चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है जिसके चारों पंक्तियों में 24-24 मात्राएँ होती हैं। सम-सम चरण (दूसरा-चौथा व छठवाँ-आठवाँ) में तुकान्त होता है। यति 14, 10 मात्राओं में होता है। इसे 'मदन' छन्द भी कहा जाता है।

विशेष : सम चरण का अन्त गुरु-लघु (2 1) होता है।

उदाहरण :

चूमता था भूमितल को, अर्ध-विधु सा भाल।

छिप रहे थे प्रेम के दृग, जाल बनकर बाल॥

छत्र-सा सिर पर उठा था, प्राणपति का हाथ।

हो रही थी प्रकृति अपने, आप पूर्ण सनाथ॥

-मैथिलीशरण गुप्त

बीतने दे रात, होगा सुप्रभात विशाल,

खेलना फिर खेल मन के पहनके मणि-माल।

पक रहे हैं भाग्य - फल तेरे सुरम्य-रसाल,

डर न, अवसर आ रहा है, जा रहा है काल।

-मैथिलीशरण गुप्त

(साकेत)

12. गीतिका छन्द (14-12 या 12-14 मात्रा की चार पंक्तियाँ)

यह 14-12 या 12-14 मात्रा के आठ चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है, जिसकी प्रत्येक पंक्तियों में कुल 26 मात्राएँ होती हैं। तुकांत सम चरण में (दूसरा-चौथा, छठवाँ-आठवाँ) होता है। सम चरण के अन्त में रगण (2 1 2) आना चाहिए। यदि प्रथम चरण में 14 मात्रा हो तो द्वितीय चरण में 12 मात्रा या यदि प्रथम चरण में 12 मात्रा हो तो द्वितीय चरण में 14 मात्रा और प्रत्येक चरणों के अन्त में यति होना चाहिए।

विशेष : तीसरा, दसवाँ, सत्रहवाँ व चौबीसवाँ मात्रा लघु होने से गाने में मिठास बनी रहती है।

उदाहरण :

साधु भक्तों में सुयोगी, संयमी बढ़ने लगे।
सभ्यता की सीढ़ियों पै, सूरमा चढ़ने लगे।
वेद-मंत्रों को विवेकी, प्रेम से पढ़ने लगे।
वंचकों की छातियों में, शूल से चुभने लगे।

-कवि शंकर

हे प्रभो! आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए।
शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए।
लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बनें।
ब्रह्मचारी, धर्म-रक्षक, वीर व्रतधारी बनें।

-रामनरेश त्रिपाठी,
(मानसी)

13. हरिगीतिका छन्द

(16-12 या 14-14 मात्रा की चार पंक्तियाँ)

यह 16-12 या 14-14 मात्रा की आठ चरणों वाला अर्ध सममात्रिक/सममात्रिक छन्द है जिसकी प्रत्येक पंक्तियों में कुल 28 मात्राएँ होती हैं। (तुकांत सम-सम चरणों में दूसरा-चौथा और छठवाँ-आठवाँ) और सम चरण के अन्त में रगण (2 1 2) होता है।

विशेष : पाँचवाँ, बारहवाँ, उन्नीसवाँ व छब्बीसवाँ (5, 12, 19, 26) मात्रा लघु रहने से गाने में मिठास बनी रहती है।

उदाहरण :

क्षत्रिय! सुनो अब तो कुयश की, कालिमा को मेंट दो।
निज देश को जीवन सहित, तन-मन तथा धन भेंट दो।

वैश्यों! सुनो व्यापार सारा, मिट चुका है देश का।
सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार क्या है क्लेश का।

-मैथिलीशरण गुप्त

अधिकार खोकर बैठ रहना, यह महा दुष्कर्म है,
न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।
इस तत्त्व पर ही कौरवों से पांडवों का रण हुआ,
जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ।।

-मैथिलीशरण गुप्त

(जयद्रथ-वध)

विशेष दृष्टव्य (मात्रिक छन्दों के लिए)

- त्रिकल के बाद त्रिकल आना चाहिए। (3, 3)
- लगातार तीन त्रिकल कभी भी नहीं आना चाहिए। (3, 3, 3)
- दो त्रिकल के बाद एक समकल आने से लय बना रहेगा। (3, 3, 2)
- 2, 2, 3, 3, 2 प्रवाह बना रहेगा।
- 3, 3, 2, 3, 3, 2 प्रवाह बना रहेगा।

14. ताटक छन्द

(16-14 की दो पंक्तियाँ)

यह 16-14 मात्रा के चार चरणों वाला अर्ध सममात्रिक छन्द है इसकी प्रत्येक पंक्तियों में 30 मात्राएँ, सम चरण में 16-16 व विषम चरण में 14-14 मात्राएँ होती हैं। सम-सम (दूसरा-चौथा) चरण में तुकान्त व सम चरण के अंत में तीन गुरु (2 2 2) रहना चाहिए।

उदाहरण :

हैं बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर।
रवि बटोर लेता है उनको, सदा सवेरा होने पर।
और विराम-दायिनी अपनी, संध्या को दे जाता है।
शून्य श्याम तनु जिससे उनका, नया रूप झलकाता है।

-मैथिलीशरण गुप्त

तुम कहते हो-मुझको इसका रोना नहीं सुहाता है।
मैं कहती हूँ- इस रोने से अनुपम सुख छा जाता है।।
सच कहती हूँ, इस रोने की छवि को जरा निहारोगे।
बड़ी - बड़ी आँसू की बूँदों पर मुक्तावलि वारोगे।।

-सुभद्राकुमारी चौहान
(मुकुल 'इसका रोना')

विषम मात्रिक छन्द

सममात्रिक छन्द और अर्ध सममात्रिक छन्द में आने वाले छन्दों को छोड़कर शेष सभी मात्रिक छन्दों को विषम मात्रिक छन्द कहा जाता है।

विषम मात्रिक छन्दों की विशेषता यह है कि इसके चरणों में मात्राओं की संख्या में भिन्नता या अन्तर रहता है। पंक्तियों में मात्रा समान हो सकता है। ज्यादातर दो अलग-अलग मात्रिक छन्दों के मेल से विषम मात्रिक छन्द बनाया जाता है।

जैसे दोहा की दो पंक्तियों (13-11) के बाद रोला की चार पंक्तियाँ (11-13) मिलकर कुण्डलिया छन्द बनाते हैं। इस तरह कुण्डलिया की छः पंक्तियों में 12 चरण होते हैं।

इसी तरह रोला की चार पंक्तियों (11-13) के बाद उल्लाला की दो पंक्तियों (13-13 या 15-13) को मिलाकर छप्पय छन्द बनाते हैं। इस तरह छप्पय छन्द के छः पंक्तियों में 12 चरण होते हैं।

इसी तरह दोहा (13-11) की दो पंक्तियों के बाद 8-8 मात्रा वाले तीन चरणों की चार पंक्तियाँ (प्रत्येक पंक्ति में 8, 8, 8 मात्रा) मिलाकर अमृत ध्वनि छन्द बनाया जाता है। इस तरह अमृत ध्वनि छन्द की प्रत्येक पंक्ति में मात्रा तो 24 ही रहती है, परन्तु चरणों की संख्या 16 हो जाती है। अमृत ध्वनि छन्द के प्रत्येक छः पंक्तियों में चरणों का क्रमशः निम्नानुसार होता है-

13-11, 13-11, 8-8-8, 8-8-8, 8-8-8, 8-8-8

15. कुण्डलिया छन्द

यह विषम मात्रिक छन्द है।

दोहा की दो पंक्तियों (13-11, 13-11) के बाद रोला की चार पंक्तियों (11-13, 11-13, 11-13, 11-13) के मेल से कुण्डलिया छन्द बनता है।

विशेष : (1) इसकी शुरुआत अर्थात् दोहा वाले पहले चरण के शुरु के शब्द या शब्द समूह कुण्डलिया के अन्त में अर्थात् रोला के 8वें चरण के अन्त में आना जरूरी है। ठीक उसी तरह जैसे सांप कुण्डली मारकर बैठा है और उसका मुँह, पूँछ से जुड़ा हुआ दिख रहा है।

(2). कुण्डलिया छन्द की दूसरी खासियत यह है कि दोहा का चौथा चरण (11 मात्रा) रोला का पहला चरण (11 मात्रा) बनता है।

उदाहरण :

दौलत पाय न कीजिए, सपने हूँ अभिमान।
चंचल दिन है चारि के, ठाँउ न रहत निदान।
ठाँउ न रहत निदान, जियत जग में जस लीजै।
मीठे वचन सुनाय, विनय सबही की कीजै।
कह गिरिधर कविराय, अरे यह सब घर तौलत।
पाहुन निसिदिन चारि, रहत सब ही के दौलत।

-गिरिधर कविराय

बिना विचारे जो करै, सो पाछे पछताय।
काम बिगारै आपनो, जग में होत हैसाय।।
जग में होत हैसाय, चित्त में चैन न आवै।
खान-पान सनमान, राग रंग मनहि न भावै।
कह 'गिरिधर' कविराय, दुःख कछु टरत न टारै।
खटकत है जिय माहिं, कियो जो बिना विचारे।।

-गिरिधर कविराय

16. छप्पय छन्द

यह विषम मात्रिक छन्द है। रोला की चार पंक्तियों (11-13, 11-13, 11-13, 11-13) के बाद उल्लाला की दो पंक्तियाँ (13-13, 13-13) या (15-13, 15-13) को मिलाकर छप्पय छन्द बनाया जाता है। इस तरह छप्पय छन्द की पहली चार पंक्तियाँ 24-24 मात्राओं की और बाद की दो पंक्तियाँ 26 या 28 मात्रा की होती हैं।

जिसकी रज में लोट-लोटकर बड़े हुए हैं।
घुटनों के बल सरक-सरक कर खड़े हुए हैं।
परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाये।
जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाये।
हम खेले-कूदे हर्षयुत, जिसकी प्यारी गोद में।
हे मातृभूमि! तुझको निरख, मग्न क्यों न हों मोद में।

-मैथिलीशरण गुप्त

नीलांबर परिधान, हरित पटपर सुंदर है,
सूर्य-चंद्र युग मुकुट, मेखला रत्नाकर है।
नदियाँ प्रेम-प्रवाह, फूल तारे मंडन हैं,
वंदीजन खग-वृंद, शेष-फन सिंहासन हैं।
करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की,
हे मातृभूमि! तू सत्य ही, सगुण-मूर्ति सर्वेश की।।

-मैथिलीशरण गुप्त

वर्णिक छन्द

जिन छन्दों में वर्णों की संख्या और क्रम के साथ उसके विशेष नियमों का पालन किया जाता है, वे 'वर्णिक छन्द' कहलाते हैं। वर्णिक छन्दों में चरण नहीं होते, बल्कि प्रत्येक पंक्तियों में अक्षरों की गिनती की जाती है। वर्णिक छन्द चार पंक्तियों के होते हैं और इसमें आपस में तुकांत होता है अर्थात् चारों पंक्तियों के अंत में तुक मिलाया जाता है।

17. भुजंग प्रयात छन्द

(प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर)

यह समपाद वर्णिक छन्द है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 12 अक्षर होते हैं। तुकांत दो-दो पंक्तियों (प्रथम-दूसरा एवं तीसरा-चौथा) में होता है।

इसमें वर्णों की व्यवस्था क्रम यगण (122) चार बार (प्रत्येक पंक्तियों में) अर्थात् प्रत्येक पंक्ति में 122, 122, 122, 122 वर्णों का क्रम होगा।

उदाहरण :

जिसे जन्म की भूमि भाती नहीं है।

जिसे देश की याद आती नहीं है।

कृतघ्नी भला कौन ऐसा मिलेगा ?

उसे देख जी क्या किसी का खिलेगा ?

-मैथिलीशरण गुप्त

पियै एक हाला गुहै एक माला।

बनी एक बाला नचै चित्रशाला॥

कहूँ कोकिला कोक की कारिका कौं।

पढ़ावै सुआ लै सुकी सारिका कौं॥

-केशवदास
(रामचंद्रिका)

सवैया छन्द

22 से 26 वर्णों तक के चार पंक्तियों वाले छन्द सवैया कहलाता है। यह भी चार पंक्तियों वाला वर्णिक छन्द है इसीलिए आपस में तुकांत होता है अर्थात् चारों पंक्तियों के अंत में तुक मिलाया जाता है। इसके 48 भेद बताए गए हैं उनमें महाभुजंग प्रयात, मंदार माला, मुक्ताहारा, सुमुखी, किरीट, मत्तगयन्द (मालती), अरसात, दुर्मिल, सवैया प्रमुख हैं।

मगण (2 2 2) और नगण (1 1 1) में एक ही मात्रा की बार-बार पुनरावृत्ति के कारण इसमें छन्द की रचना नहीं की जाती। शेष यगण (1 2 2), तगण (2 2 1), रगण (2 1 2), जगण (1 2 1), भगण (2 1 1), सगण (1 1 2) आधारित छन्दों की रचना की जाती है।

18. सुमुखी सवैया

(जगण-121 आधारित सवैया छन्द)

इसके प्रत्येक पंक्ति में सात जगण (121) + लघु-गुरु (1 2) होता है।

जगण (121) 3 x 7 + लघु गुरु (12) = 23 वर्ण

(121, 121, 121, 121, 121, 121, 12)

उदाहरण :

हिये बनमाल, 'रसाल' धरे, सिर मोर-किरीट महा लसिबौ।

कसे कटि पीत-पटी, लकुटी कर, आनन पै मुरली रसिबौ।

कलिन्दिनि तीर खड़े बलवीर सुबालन बाँहनि लै गसिबौ।

सदा हमरे हिय-मंदिर में यहि बानक सौं करिये बसिबौ।

-हरदेव

19. मत्तगयंद या मालती सवैया

(भगण-211 आधारित सवैया छन्द)

इसके प्रत्येक पंक्ति में भगण (211) सात बार व अन्त में दो गुरु (22) होता है। इस तरह इसकी प्रत्येक पंक्ति में 23 वर्ण होते हैं।

भगण (211) 3 x 7 + दो गुरु = 23 वर्ण/अक्षर

(211, 211, 211, 211, 211, 211, 22)

उदाहरण :

वरमाला

राम लला धनु तोड़ दिये शिव के अब होहि सिया जयमाला।
 राम लला मुख देख सिया तब लांजन से मुख होय गुलाला।
 बाजत ढोलक गावत गान चलें सखियाँ अब हो मतवाला।
 मात सिया समरे पखरे पहिरे गहना नथनी अउ बाला।।
 लाजन से लज आँख झुकाय, सिया मुख देखय नाथ कृपाला।
 हार धरेव सिया अब जावँय, डारँय राम लला वरमाला।
 राम लला मुख हाँसत देख, सिया मुख लालम लाल गुलाला।
 राम सिया अब एक हुए, हरसे नर देव अखंड त्रिकाला।

-वसन्ती वर्मा

वा लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तजि डारों।
 आठहु सिद्धि नवौ निधि को सुख नंद की गाइ चराइ बिसारों।।
 ए रसखानी जबै इन नैनन तैं ब्रज के बन-बाग निहारों।
 कोटिक ये कलघौत के धाम करील की कुंजन ऊपर वारों।।

-रसखानि

20. दुर्मिल सवैया

(सगण 112 आधारित सवैया छन्द)

इसके प्रत्येक पंक्ति में आठ सगण (112) होता है।

सगण (112) $3 \times 8 = 24$ वर्ण/अक्षर

(112, 112, 112, 112, 112, 112, 112, 112)

उदाहरण :

सखि नील नमस्सर से उतरा वह हंस अहा तिरता तिरता।
 अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता।
 अपने हिम बिन्दु बचे फिर भी निकला उनको धरता धरता।
 गड़ जायँ न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता।

-मैथिलीशरण गुप्त

घनाक्षरी छन्द

घनाक्षरी छन्द को कवित्त भी कहते हैं। यह वर्णिक छन्द है मगर इसमें गण का बंधन नहीं रहता, केवल वर्ण गिना जाता है। आधा वर्ण की गिनती नहीं होती। चार पंक्तियों के घनाक्षरी के प्रत्येक पंक्ति में 30, 31, 32 या 33 वर्ण होता है, और इसमें आपस में तुकांत होता है अर्थात् चारों पंक्तियों के अंत में तुक मिलाया जाता है।

21. मनहरण घनाक्षरी

इसकी हर पंक्ति में 31 वर्ण होता है एवं 16 व 15 वर्ण में यति। पंक्ति के अन्त में गुरु (2) आना चाहिए।

यदि 8,8,8,7 वर्ण में यति और पंक्ति के अन्त में लघु-गुरु (1 2) आवे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है।

उदाहरण :

अंग-अंग दलित-दलित फूले किंसुक से,
 हने भट लाखन लषन जातुधान के।
 मारि कै पछारि कै उपारि भुजदंड चंड,
 खंड-खंड डारे ते विदारे हनुमान के।
 कूदत कबंध के कबंध बंब सी करत,
 धावत दिखावत हैं लाघौ राघौ बान के।
 तुलसी महेश विधि लोकपाल देवगन,
 देखन विमान चढ़े कौतुक मसान के।

-तुलसीदास

22. जलहरण घनाक्षरी

इसकी हर पंक्ति में 32 वर्ण होते हैं। 16-16 वर्ण में यति और पंक्ति के अन्त में लघु-लघु (1 1) आना चाहिए।

यदि 8, 8, 8, 8 में यति और पंक्ति के अन्त में लघु-लघु (1 1) आवे तो ज्यादा अच्छा माना जाता है।

उदाहरण :

जान गया जान गया कौन हो सुजान तुम,
 तुम्हें पहिचान गया मत बतलाओ तुम।
 खोल दो नयन मत तुझे तरसाओ और,
 सुख सरसाओ प्रेम सुधा बरसाओ तुम।
 खुब छिटकाओ निज छवि की निराली छटा,
 भाँति के अनूप निज रूप दिखलाओ तुम।
 छिपकर जाने अब पाओगे कदापि नहीं,
 आओ या न जाओ फिर आओ या न आओ तुम।

-गोपालशरण सिंह

23. रूप घनाक्षरी (8-8-8-8)

इसके हर पंक्ति में 32 वर्ण होते हैं 16-16 वर्ण में यति और पंक्ति के अंत में गुरु-लघु (2 1) आना चाहिए। यदि 8-8-8-8 में यति हो तो वह ज्यादा अच्छा माना जाता है। तुक पंक्ति के अंत में मिलना चाहिए। (दूसरा, चौथा, छठवाँ और आठवाँ चरण।)

उदाहरण :

साजि सेज रंग के महल में उमंग भरो,
पियगर लागो काम कसक मिटाये लेत।
ठानि विपरीत पूरी मैनको मसूसन सों,
सूरत समय जय पत्रहि लिखाये लेत।
हरीचंद उझकि उझकि रति गाढ़ी करि,
जोम भरी पियहिं झकोरन हराये लेत।
याद करि पी की सब निरदय घातें आजु,
प्रथम समागत कौ बदलो चुकाये लेत।

-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

छन - छन छीजत न देखहिं समाज तन,
हेरहिं न विधवा छ टुक होत छतियान।
जाति का पतन अवलोकहिं न आकुल है,
भूलि ना विलोकहिं कलकी होत कुछ मान।
हरिऔध छिनत लखहिं न सलाने लाल,
लूटत निहारहिं न लोनी लोनी ललनान।
खोले कछु खुली पै कहाँ है ठीक-ठीक खुली,
अधखुली अजौं हैं हमारी खुली आँखियाँ।

-हरिऔध

24. लयात्मक छंद

लयात्मक छंद हिन्दी साहित्य में प्रायः आधुनिक युग की देन स्वीकार किये जाते हैं। वैसे इसका प्रारंभ भक्तिकाल की कविता से ही हो चुका था क्योंकि भक्तकवियों के पदों में रागात्मक अभिव्यक्ति, छन्द के शास्त्रीय बन्धनों पर कम, गीतात्मक, लयात्मकता पर अधिक बल देती है। छायावादी कवियों के गीत लयात्मक छन्दों की कोटि में आते हैं।

फैली खेतों में दूर तलक, मखमल की कोमल हरियाली।
लिपटी जिसमें रवि की किरणें, चाँदी की-सी जाली वाली।।

-सुमित्रानंदन पंत

मधुमय बसन्त जीवन बन के, उस अन्तरिक्ष की लहरों में।
कब आये थे तुम चुपके से, रजनी के पिछले पहरो में।।

-जयशंकर प्रसाद

25. मुक्त छंद

जब किसी एक छंद के अनुशासन का पालन न किया जाए और कविता में भीतर ही भीतर चलने वाली लय को बनाए रखते हुए रचना की जाए तो ऐसी रचना मुक्त छंद की रचना होती है। मुक्त छंद का आशय छंद का त्याग नहीं है, इसलिए छंद मुक्त कविता न कहकर मुक्त छंद की कविता कहा जाता है। अर्थात् इसमें कवि अपने आशय और अभिव्यक्ति के अनुरूप अपना छंद स्वयं रच लेता है।

संप्रति, मुक्त छन्द में मात्राओं अथवा वर्णों का कोई बन्धन नहीं होता परंतु इनकी छन्दमुक्त काव्य-रचना में भी लयात्मकता के साथ-साथ भाषा में गति-प्रवाह भी देखने को मिलता है।

उदाहरण :

वह आता
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।
पेट-पीठ दोनों मिलकर हैं एक,
चल रहा लकुटिया टेक,
मुट्ठीभर दाने को भूख-मिटाने को
मुँह फटी-पुरानी झोली के फैलाता
दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता।

-सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

औरों का संग्रह
तेरे योग्य न होता
जो मुझे सुनाती
जीवन के विह्वल सुख-क्षण का गीत
खोलती रूप-जगत के द्वार जहाँ
तेरी करुणा बुनती रहती है
भव के सपनों, क्षण के आनंदों के
रहः सूत्र अविराम-
उस भोली मुग्धा को कैपती
डाली से विलगा न सकी।

-सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय'
(सुनहरे शैवाल)

अलंकार

'अलं करोति इति अलंकारः।' अर्थात् काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक को अलंकार कहते हैं। 'अलंकार' का शाब्दिक अर्थ है-आभूषण। जिस तरह आभूषण नारियों का शृंगार है, उसी प्रकार साहित्य में शब्द और अर्थ में चमत्कार लाने वाले तत्व 'अलंकार' हैं। अलंकार के मुख्य चार भेद हैं।

(A) शब्दालंकार

(B) अर्थालंकार

(C) उभयालंकार

(D) आधुनिक पाश्चात्य अलंकार

(A) शब्दालंकार : काव्य में शब्दगत चमत्कार को शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात् काव्य में एक या अनेक वर्णों या शब्दों की आवृत्ति से उसके सौन्दर्य में वृद्धि होती है उसे शब्दालंकार कहते हैं।

शब्दालंकार के सात उपभेद हैं- अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, वीप्सा और पुनरुक्ति। मगर सबसे प्रमुख अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार हैं।

अनुप्रास अलंकार के भी दो भेद हैं- (1) वर्णानुप्रास

(2) शब्दानुप्रास (लाटानुप्रास)। वर्णानुप्रास के पुनः चार भेद हैं- (अ) छेकानुप्रास (ब) श्रुत्यानुप्रास (स) वृत्यानुप्रास (द) अन्त्यानुप्रास।

(B) अर्थालंकार : काव्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात् काव्य में अर्थ के द्वारा उसके सौन्दर्य में वृद्धि को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के 40 से भी ज्यादा उपभेद हैं जिनमें से प्रमुख उपमा, प्रतीप, उपमेयोपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहृति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, लोकोक्ति, दृष्टान्त और उदाहरण अलंकार हैं।

(C) उभयालंकार : जब शब्द और अर्थ दोनों के चमत्कार से काव्य के सौन्दर्य में वृद्धि होती है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं।

उभयालंकार के दो उपभेद हैं- संकर और संसृष्टि

(D) आधुनिक पाश्चात्य अलंकार : भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार के तीन उपभेद हैं- मानवीकरण, (Personification), ध्वन्यर्थ व्यंजना (Onomatopia) और विशेषण-विपर्यय (Transferred epithet.)

अलंकार

(A) शब्दालंकार

(सात उपभेद)

(B) अर्थालंकार

(40 से ज्यादा उपभेद)

(C) उभयालंकार

(दो उपभेद)

(D) आधुनिक पाश्चात्य

अलंकार (तीन उपभेद)

(I) अनुप्रास के भेद

(II) यमक

(III) श्लेष

(1) वर्णानुप्रास

(2) शब्दानुप्रास

(IV) वक्रोक्ति

(V) पुनरुक्ति प्रकाश

(VI) वीप्सा

(VII) पुनरुक्ति

(अ) छेकानुप्रास

(ब) श्रुत्यानुप्रास

(स) वृत्यानुप्रास

(द) अन्त्यानुप्रास

उपमा, उपमेयोपमा, संदेह, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपहृति, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विरोधाभास, लोकोक्ति, दृष्टान्त, उदाहरण आदि।

(I) संकर
(II) संसृष्टि

(I) मानवीकरण
(II) ध्वन्यर्थ व्यंजना
(III) विशेषण-विपर्यय

कुछ प्रमुख अलंकार का परिचय

1. अनुप्रास

वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना आवृत्ति है। वर्ण के अन्तर्गत स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं किन्तु व्यंजनों की आवृत्ति में यह आवश्यक नहीं है कि उससे जुड़े हुए स्वर भी मिले।

उदाहरण :

चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में,
स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अविनि और अम्बर तल में।

-मैथिलीशरण गुप्त

स्पष्टीकरण- च, ल और अ वर्णों की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है।

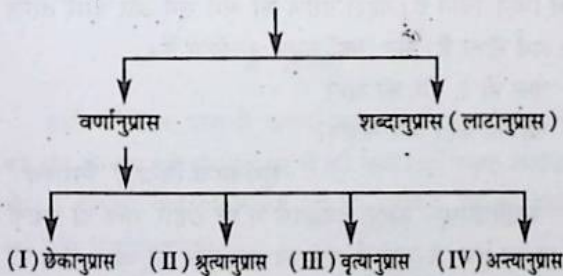
पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश,
पल-पल परिवर्तित प्रकृति-वेश।

-सुमित्रानन्दन पंत

(पल्लव, पर्वत प्रदेश में पावस)

स्पष्टीकरण- प्रस्तुत उदाहरण में प वर्ण की आवृत्ति सात शब्दों में हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है।

अनुप्रास के भेद



वर्णानुप्रास - वर्णानुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है।

(i) छेकानुप्रास : जब एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति हो, उसे छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं।

उदाहरण : बिबिध सरोज सरोवर फूले।

(स और र की एक क्रम में आवृत्ति)

बंदकै गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।

-तुलसीदास

स्पष्टीकरण : पद पदुम में 'पद' एवं सुरुचि सरस में 'सर' की आवृत्ति (स्वरूप की आवृत्ति)

'पद' में प के बाद द, 'पदुम' में प के बाद द 'सुरुचि' में स के बाद र, 'सरस' में स के बाद र (क्रम की आवृत्ति)

अन्य उदाहरण :

इस करुणा कलित-हृदय में, अब विकल रागिनी बजती।

-जयशंकर प्रसाद

दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा।

-तुलसीदास

उदित उदयगिरी मंच पर, रंघुवर बाल पतंग।

-तुलसीदास

चेत कर चलना कुमारग में कदम धरना नहीं।

-मैथिलीशरण गुप्त

मोहिनी मूरत, साँवरी सूरत, नैना बने बिसाल।

-मीरा

(ii) श्रुत्यानुप्रास : जब बहुत से ऐसे वर्णों का प्रयोग मिले, जिनका उच्चारण-स्थान एक ही हो तब वहाँ 'श्रुत्यानुप्रास' अलंकार होगा।

उदाहरण (अ) : ता दिन दान दीन्ह धन धरनी।

(ब) : जद्यपि नाथ उचित न होत अस, प्रभु सों करो ढिठाई।

तुलसीदास सीदत निसदिन देखत तुम्हरी निदुराई।

-तुलसीदास (विनय पत्रिका)

स्पष्टीकरण : पहले उदाहरण में द, न, ध वर्णों की आवृत्ति हुई है और उनका उच्चारण स्थान एक ही है। जबकि दूसरे उदाहरण में रेखांकित त, स, द, न, वर्ण दंत्याक्षर हैं।

(iii) वृत्त्यानुप्रास : जहाँ एक या अनेक वर्णों की आवृत्ति कई बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है।

उदाहरण (अ) : सत्य सनेह सील सुख सागर।

इस उदाहरण में 'स' की आवृत्ति पाँच बार हुई है।

(ब) खैर खून खाँसी खुसी वैर प्रीति मद-पान।

रहिमन दावे ना दबैं, जानत सकल जहान॥

-रहीम

- (स) कूलन में केलिन कछारन में कुंजन में,
क्यारिन में कलिन-कलीन किलकत है।
कहै पद्माकर परागन में पौन दू में,
पानन में पिकन पलासन पगंत है।

-पद्माकर

- (iv) अन्त्यानुप्रास : जहाँ पद्य के चरणों के अंतिम व्यंजन और उनसे मिले हुए स्वर ठीक समानता से मिलें, वहाँ अन्त्यानुप्रास होता है। इसे 'तुक' भी कहते हैं।

उदाहरण : जय हनुमान ज्ञान गुन सागर।

जय कपीश तिहूँ लोक उजागर।

-तुलसीदास

धीरज धरम मित्र अरु नारी।

आपति काल परखिये चारी॥

-तुलसीदास

बुंदेली हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी।

खूब लड़ी मर्दानी वह तो झाँसी वाली रानी थी॥

-सुभद्रा कुमारी चौहान

शब्दानुप्रास (लाटानुप्रास) : जब समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो, परन्तु अर्थ में अन्तर हो, वहाँ शब्दानुप्रास (लाटानुप्रास) अलंकार होता है। अर्थात् शब्द और उसका अर्थ वही रहे, केवल अन्वय करने पर अर्थ में भेद हो जाए, उसे शब्दानुप्रास (लाटानुप्रास) कहते हैं। अन्वय करने से प्राप्त अर्थ का मतलब 'गूढ़' से है।

उदाहरण : पूत सपूत, तो क्यों धन संचय।

पूत कपूत, तो क्यों धन संचय।

यहाँ प्रथम और द्वितीय पंक्ति में एक ही वाक्यांश 'तो क्यों धन संचय' का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रथम पंक्ति का अर्थ है- कि यदि पुत्र लायक है तो धन संचय करने की आवश्यकता क्यों होगी? वह स्वयं धन संचय कर लेगा। द्वितीय पंक्ति का अर्थ है कि यदि पुत्र नालायक है तो धन संचय करने से क्या लाभ? वह तो उसे व्यर्थ गंवा ही देगा।

अन्य उदाहरण :

- (अ) मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी।

-सुभद्रा कुमारी चौहान

- (ब) नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय, आज हो रहे कैसी उलझन।

-महादेवी वर्मा

- (स) राम हृदय जाके नहीं विपत्ति, सुमंगल ताहि।

राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि॥

-तुलसीदास

2. यमक

जहाँ एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए, किन्तु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं।

उदाहरण :

- (अ) कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय।

या खाये बौराय जग, वा पाये बौराय॥

-बिहारी

यहाँ एक कनक का अर्थ धतूरा है तो दूसरे का अर्थ सोना है।

- (ब) जेते तुम तारे, तेते नभ में न तारे हैं।

यहाँ 'तारे' शब्द दो बार आया है। प्रथम का अर्थ 'तारण करना' या उद्धार करना है और द्वितीय तारे का अर्थ 'तारा गण' है। अतः यहाँ यमक अलंकार है।

- (स) तरणि के ही संग तरल तरंग में, तरणि डूबी थी हमारी ताल में।

-सुमित्रानंदन पंत

स्पष्टीकरण- 'तरणि' शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है, किन्तु अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। पहले तरणि का अर्थ सूर्य और दूसरे तरणि का अर्थ नौका है। अतः यहाँ यमक अलंकार है।

पास ही रे, हीरे की खान,

खोजता कहाँ और नादान?

-सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला'

स्पष्टीकरण- प्रस्तुत उदाहरण में ही रे/हीरे शब्द दो स्थानों पर प्रयुक्त हुआ है- एक है संबोधन तथा जोर देने वाला शब्द ही रे और दूसरे का अर्थ है हीरा (रत्न या बहुमूल्य पत्थर), अतः यहाँ सभंग पद यमक अलंकार है।

तो पर वारों उरबसी, सुनि राधिके सुजान।

तू मोहन केँ उर बसी है उरबसी-समान॥

-बिहारी

स्पष्टीकरण : पहले उरबसी का अर्थ उर्वशी (अप्सरा) और दूसरे उरबसी का अर्थ छाती पर पहनने वाला एक आभूषण विशेष है।

3. श्लेष

श्लेष का अर्थ है 'चिपका हुआ'। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष के कई अर्थ चिपके रहते हैं। दूसरे शब्दों में- 'जहाँ एक ही शब्द के प्रकरण में अपेक्षित अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष अलंकार होता है।'

उदाहरण :

(अ) रहिमान पानी राखिये, बिन पानी सब सून।

पानी गये न ऊबरे, मोती ¹ मानुस ² चून ³।

-रहीम

यहाँ पानी के तीन अर्थ हैं -

1. कौंति या चमक 2. आत्म सम्मान या प्रतिष्ठा 3. जल

(ब) जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय।

बारे ¹ उजियारो ² करे, बढै ³ अँधेरो ⁴ होय॥

-रहीम

1. जलना, बचपन 2. उजाला, प्रशंसा, 3. बुझना, बड़ा होना, 4. अंधकार, बदनामी।

स्पष्टीकरण- प्रस्तुत उदाहरण में बारे और बढै शब्द श्लेष है। बारे का अर्थ है बचपन में और जलाने पर तथा बढै का अर्थ है अवस्था बढ़ने पर और बुझाने पर। यहाँ बारे और बढै को बिना विच्छेदित किए ही दो-दो अर्थ निकलते हैं, अतः अभंग श्लेष अलंकार है।

4. उपमा

जहाँ दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में रूप/धर्म/प्रभाव की दृष्टि से एक की तुलना दूसरे से की जाय वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं- उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द।

उदाहरण : मुख चन्द्र सा सुन्दर है।

उपमेय : जिसकी समानता बताई जा रही हो, उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ 'मुख' की समानता बताई जा रही है अतः 'मुख' उपमेय है।

उपमान : जिससे उपमेय की समानता बताई जा रही हो उसे उपमान कहते हैं। यहाँ 'चन्द्र' से समानता बताई जा रही है अतः 'चन्द्र' उपमान है।

समान धर्म : जिस गुण के लिए उपमा दी जा रही है उसे समान धर्म कहते हैं। यहाँ 'सुन्दरता' के लिए उपमा दी जा रही है अतः 'सुन्दरता' समान धर्म है।

वाचक शब्द : जिस शब्द के द्वारा उपमा दी जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं। यहाँ 'सा' द्वारा उपमा दी जा रही है अतः 'सा' वाचक शब्द है। उपमेय व उपमान की समता बताने वाले वाचक शब्द सा/समान, जैसा, ज्यों, समान हो सकते हैं।

उदाहरण (अ) : हरिपद कोमल कमल से, पड़ जायें जिस धाम।

बन जाये संसार में, उसके सारे काम।

-डॉ. रूपचन्द्र शास्त्री मयंक

(दीपशिखा सी शान्त)

हरिपद	-	उपमेय
कमल	-	उपमान
कोमल	-	समान धर्म
से	-	वाचक शब्द

(ब) पीपर पात सरिस मन डोला।

-तुलसीदास

पीपर पात	उपमेय
मन	उपमान
डोला	समान धर्म
सरिस	वाचक शब्द

उपमा अलंकार के दो भेद हैं-

(अ) पूर्णोपमा (ब) लुप्तोपमा

(अ) पूर्णोपमा - जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों।

उदाहरण : मुख चन्द्र-सा सुन्दर है।

इसमें मुख-उपमेय, चन्द्र-उपमान, समान धर्म- सुन्दरता, वाचक शब्द-सा है। अतएव उपरोक्त उदाहरण पूर्णोपमा है।

फिर परियों के बच्चों से हम, सुभग सीप के पंख पसार,

समुद्र पैरते शुचि ज्योत्स्ना में, पकड़ इन्दु के कर सुकुमार।

-सुमित्रानन्दन पंत

इसकी पहली दो पंक्तियों में 'उपमा' अलंकार है। कारण 'परियों के बच्चे' (उपमान) हम यानी बादल (उपमेय) के बीच वाचकपद 'से' द्वारा 'सुभग' (सुन्दर) रूप 'धर्म' (विशेषता) की समानता दिखलायी गयी है। जहाँ उपमा के चारों तत्व (उपमेय,

उपमान, धर्म एवं वाचक पद) वर्तमान हों, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है।

(ब) लुप्तोपमा- जिसमें उपमा के एक, दो या तीन अंग लुप्त (गायब) हों।

उदाहरण :

मुख चन्द्रमा-सा है।

5. प्रतीप

जब प्रसिद्ध उपमान को उपमेय बना दिया जाता है, तब वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ 'उल्टा' या 'विपरीत' होता है। यह 'उपमा' अलंकार का उल्टा है।

उदाहरण :

मुख-सा चन्द्र है।

यहाँ प्रसिद्ध उपमान चन्द्र को उपमेय बना दिया गया है जबकि मुख को उपमान बनाया गया है।

सिय मुख समता किमि करे चन्द बापुरो रंक।

स्पष्टीकरण- बेचारा गरीब चन्द्रमा (उपमान) सीता जी के सुन्दर मुख (उपमेय) की तुलना अपने स्वयं की सुंदरता से कैसे कर सकता है? उपमेय की श्रेष्ठता प्रतिपादित होने से यहाँ प्रतीप अलंकार है।

6. उपमेयोपमा

जब प्रतीप और उपमा अलंकार साथ-साथ हो तब उसे उपमेयोपमा अलंकार कहते हैं।

उदाहरण :

मुख-सा चन्द्र और चन्द्र-सा मुख है।

इस उदाहरण में प्रतीप 'मुख सा चन्द्र' और उपमा 'चन्द्र सा मुख' अलंकार साथ-साथ हैं।

वस्तुतः जहाँ पहले उपमान और उपमेय के रूप में आयी वस्तुएँ बाद में परस्पर उलटकर उपमेय और उपमान के रूप में आती दीख पड़े, वहाँ उपमेयोपमा अलंकार होता है।

उदाहरण : प्रिय! रूप तुम्हारा सुन्दर है व्यवहार-सा,

व्यवहार तुम्हारा सुन्दर है फिर रूप-सा।

-मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ पहली पंक्ति में आया 'रूप' उपमेय है एवं 'व्यवहार'

उपमान, पर बाद वाली पंक्ति में 'रूप' उपमान हो जाता है एवं 'व्यवहार' उपमेय। अतः उपमेयोपमा अलंकार है।

7. संदेह

जब उपमेय में उपमान का संदेह हो तो उसे संदेह अलंकार कहते हैं।

उदाहरण :

यह मुख है या चन्द्र है?

उपरोक्त उदाहरण में उपमेय 'मुख' है जिसमें प्रसिद्ध उपमान 'चन्द्र' का संदेह स्पष्ट परिलक्षित है।

उदाहरण : (अ) आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को?

या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को?

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

रामधारी सिंह 'दिनकर' के रश्मिरथी खंडकाव्य की इन पंक्तियों में परशुराम के आश्रम में कर्ण के आने का प्रसंग है। इन पंक्तियों में कर्ण उपमेय है और उसमें वीरता और संन्यास उपमान का वर्णन किया गया है, अतः संदेह अलंकार है।

(ब) सारी बीच नारी है कि, नारी बीच सारी है,

सारी ही की नारी है कि, नारी ही की सारी है?

-मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ चौरहरण करते समय दुःशासन की मनः स्थिति एवं संदेह वर्णित हुआ है।

(स) यह काया है या शेष उसी की छाया।

क्षण भर उनको कुछ समझ में नहीं आया।।

-मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ कृशकाय उर्मिला को देख लक्ष्मण यह निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि यह वास्तव में उर्मिला है या उसकी छाया मात्र।

(द) निरख शत्रु की स्वर्णपुरी वह

मुझे दिशा-सी भूली थी,

नील जलधि में लंका थी या

नभ में संध्या फूली थी।

-मैथिलीशरण गुप्त

(इ) वह जागी है अथवा सोई?

मूर्छित या स्वप्न मूढ़ कोई?

नारी कि अप्सरा या माया?

अथवा केवल तरु की छाया?

-सुमित्रानंदन पंत
(युगांत, छाया)

8. उत्प्रेक्षा

जब उपमेय में उपमान की संभावना दिखे तब उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं।

उदाहरण : (अ) मुख मानो चन्द्र है।

उपरोक्त उदाहरण में उपमेय 'मुख' में प्रसिद्ध उपमान 'चन्द्र' की संभावना दिख रही है।

(ब) केशव का सिंह दहाड़ उठा,
मानो पहाड़ चिंघाड़ उठा।

-रामधारी सिंह 'दिनकर'

स्पष्टीकरण- यहाँ 'सिंह' के समान दहाड़ते श्रीकृष्ण में 'चिंघाड़ते पहाड़' की 'संभावना' व्यक्त की गयी है अतः 'उत्प्रेक्षा' अलंकार है।

(स) स्वर्ण-शालियों की कलमें थी
दूर दूर तक फैल रहीं,
शरद-इंदिरा के मंदिर की
मानो कोई गैल रही।

-जयशंकर प्रसाद

स्पष्टीकरण- जल-प्रलय की समाप्ति के उपरांत, हिमालय के अंचल में दूर-दूर तक धान के सुनहले पौधे दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो धान के पौधों की लंबी पंक्तियाँ शरद-लक्ष्मी के मंदिर को जाने का मार्ग हों। यहाँ 'दूर-दूर तक फैल रही स्वर्ण शालियों की कलमें' में 'शरद इंदिरा के मंदिर के मार्ग' की संभावना व्यक्त की गई है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है।

(द) कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए।

हिम कणों से पूर्ण मानों हो गए पंकज नए।।

-मैथिलीशरण गुप्त

(इ) चमचमात चंचल नयन, बिच घूँघट पट झीन।

मानहुँ सुरसरिता विमल, जल उछरत जुग मीन।।

-बिहारी

(फ) नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग।

खिला ही ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग।।

-जयशंकर प्रसाद
(कामायनी)

(क) तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये।

झुके कूल सों जल परसन हित मनहुँ सुहाये।।

-भारतेन्दु हरिश्चंद्र

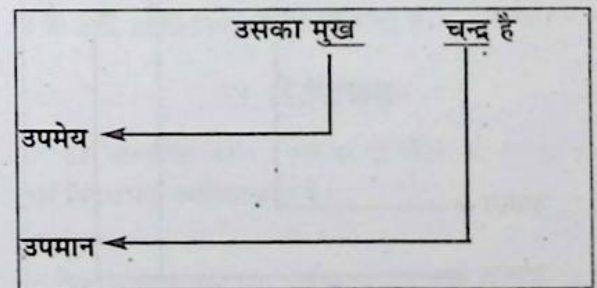
(ख) बार-बार उस भीषण रव से, कैपती धरती देख विशेष,

मानो नील व्योम उतरा हो, आलिंगन के हेतु अशेष।

-जयशंकर प्रसाद
(कामायनी)

9. रूपक

जब उपमेय में प्रसिद्ध उपमान को निषेधरहित आरोपित किया जाता है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है।



वस्तुतः जहाँ 'अप्रस्तुत' (उपमान) का प्रस्तुत (उपमेय) में निषेधरहित (बिना कुछ नकारे) आरोप किया जाय अथवा दोनों के बीच अभेद-सम्बन्ध (ऐसा सम्बन्ध कि दोनों में कोई भेद ही न रह जाय) स्थापित किया जाय, वहाँ 'रूपक' अलंकार होता है।

उदाहरण: (अ)

जीवन की चंचल सरिता में, फेंकी मैंने मन की जाली।

फँस गयी मनोहर भावों की, मछलियाँ सुघर भोली-भाली।

-सुमित्रानंदन पंत

उपर्युक्त उदाहरण में कवि कहता है कि "जीवन की चंचल सरिता में मैंने मन को जाली फेंकी, जिसमें मनोहर भावों की भोली-भाली, सुधर मछलियाँ फँस गयी।" इसमें जीवन, मन एवं भाव उपमेय हैं और सरिता (नदी), जाली (जाल) और मछलियाँ उपमान हैं। उपमानों का उपमेय में जो आरोप किया गया है वह उन दोनों के बीच आये 'की' सम्बन्ध-चिह्न से स्पष्ट है; यथा जीवन की सरिता, मन की जाली, भावों की मछलियाँ। इस 'की' के कारण दोनों के बीच अभेद-सम्बन्ध स्थापित हो गया है, अतः यहाँ 'रूपक' अलंकार है।

(ब) उदित उदयगिरी मंच पर, रघुवर बाल पतंग।

विकसे संत-सरोज सब हरषे लोचन भृंग।।

-तुलसीदास

यहाँ जनक सभा में बने मंच को उदयगिरी (पर्वत विशेष), रघुवर (राम) को बाल पतंग (बाल सूर्य), संत (एकत्र संत समुदाय), को सरोज (कमल) और लोचन (नेत्रों) को भृंग (भ्रमर) का रूप दिया है। समस्त अंगों पर आरोप होने से रूपक अलंकार है।

10. अपहृति

जब उपमेय में प्रसिद्ध उपमान को निषेध सहित आरोपित किया जाता है तब वहाँ 'अपहृति अलंकार' होता है।

उदाहरण :	यह मुख	नहीं	चन्द्र है।
उपमेय ←			
उपमान ←			
निषेधात्मक शब्द ←			

उदाहरण : (अ) वे दो ओंठ न थे, राधे था।

एक फटा उर तेरा!

-मैथिली शरण गुप्त
(द्वापर)

स्पष्टीकरण : श्रीकृष्ण के रूप-सौंदर्य पर अति-मुग्ध कुब्जा आत्मोद्गार अभिव्यक्त करते हुए कहती है- उनके दोनों ओंठ

इतने लाल और कोमल थे, मानो राधा के कोमल तथा प्रेमपूर्ण हृदय के दो भाग हों।

प्रस्तुत उदाहरण में ओंठों उपमेय का निषेध कर उन पर उर का आरोप किया गया है, अतः अपहृति अलंकार है।

(ब) अभी उम्र कुल तेइस की थी, मनुज नहीं अवतारी थी,
हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी।

-सुभद्राकुमारी चौहान

स्पष्टीकरण : यहाँ मनुज का निषेध कर उसमें अवतारी की स्थापना करने का कारण 'हमको जीवित करने आई' बतलाया गया है अतः अपहृति अलंकार है।

11. अतिशयोक्ति

जहाँ किसी वस्तु (उपमेय) का लोक-मर्यादा के विरुद्ध बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन किया जाता है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है।

उदाहरण :

परवल पाक फाट हिय गोहूँ।

-मलिक मोहम्मद जायसी

कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि उसके विरह के ताप के कारण परवल पक गए एवं गोहूँ का हृदय फट गया। यह कथन असंभव है इसलिए यह उदाहरण 'अतिशयोक्ति अलंकार' हुआ।

वस्तुतः जहाँ 'उपमेय' को छिपाकर केवल 'उपमान' द्वारा उसे कहा जाय अथवा किसी बात को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहा जाय, वहाँ 'अतिशयोक्ति' अलंकार होता है।

उदाहरण : (अ)

बाँधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से।

मणिवाले फणियों का मुख, क्यों भरा हुआ है हीरो से?

-जयशंकर प्रसाद

उपर्युक्त पंक्ति का शाब्दिक अर्थ है-"अरे! इस चंद्रमा को इन काली जंजीरों से किसने बाँधा है?" वस्तुतः यहाँ न तो चंद्रमा है और न काली जंजीरें। कवि किसी सुंदरी के गोरे मुखड़े एवं उसके चारों ओर बिखरे काले केशजाल को देखकर ही ऐसा कहता है, अतः 'विधु' (चंद्रमा) गोरे मुखड़े का 'उपमान' है एवं

'काली जंजीरे' काली केशराशि का। चूँकि कवि यहाँ 'उपमेय' (चन्द्रमा एवं केशराशि) को छिपाकर केवल 'उपमान' (विधु या चन्द्रमा एवं काली जंजीरो) द्वारा उन्हें कहता है इससे बात बहुत बढ़-चढ़कर कही मालूम होती है, अतः 'अतिशयोक्ति' अलंकार है।

(ब) राघव बोले देख जानकी के आनन को
स्वर्ग गंगा का कमल मिला कैसे कानन को?
नील मधुप को देख वहीं उस कुंज कली ने
स्वयं आगमन किया, कहा यह जनकलली ने।

-मैथिलीशरण गुप्त

यहाँ कवि ने द्वितीय पंक्ति में सीताजी के मुख (उपमेय) एवं तृतीय पंक्ति में राम (उपमेय) का कथन न करके क्रमशः 'स्वर्ग गंगा का कमल' एवं 'नील मधुप' उपमानों के माध्यम से ही उनका वर्णन किया है।

(स) पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार?

राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार॥

-श्याम नारायण पाण्डेय

12. भ्रातिमान

जब समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो या सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी मान लेना भ्रातिमान अलंकार होता है।

उदाहरण :

(1) पायँ महावर देन को, नाइन बैठी आय।

फिरि-फिरि जानि महावरी, एँड़ी मीड़ति जाय॥

-बिहारी

इस दोहा में नाइन को एँड़ी की स्वाभाविक लालिमा को देखकर भ्रम होता है कि एँड़ी में महावर लगाया जा चुका है।

फिरत घरन नूतन पथिक, चले चकित चित भागि।

फूल्यो देखि पलास वन, समुहें समुझि दवागि।

-बिहारी

इस दोहा में पलास वन में लाल रंग के फूलों को देखकर वन में आग लगने के भ्रम से पथिक डरकर वापस घर लौट आता है।

नाक का मोती अधर की कांति से,
बीज दाड़िम का समझ कर भ्रांति से,
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है,
सोचता है अन्य यह शुक कौन है?

-मैथिलीशरण गुप्त

ये पंक्तियाँ मैथिलीशरण गुप्त के साकेत महाकाव्य की हैं। इनमें नायिका उर्मिला का वर्णन किया गया है। उर्मिला ने नाक में मोती पहन रखा है। इस मोती पर उसके ओंठ की लाल आभा पड़ रही है जिससे मोती अनार का दाना नजर आता है। कोई तोता उसे अनार का दाना मानकर उसे चुगने को बढ़ता है, तभी उसे उर्मिला की नाक में दूसरे तोते का भ्रम हो जाता है।

संदेह, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान में बहुत समानता है परंतु अंतर भी है। संदेह में उपमेय और उपमान दोनों पर समान वजन रहता है, जैसे-यह सुंदरी का मुख है या चंद्रमा। उत्प्रेक्षा में दोनों में से एक (उपमान) का वजन चला जाता है, जैसे-मुझे तो लगता है कि यह चंद्रमा ही होगा। भ्रांतिमान में उपमान का ज्ञान रह ही नहीं जाता। संदेह और भ्रांतिमान दोनों अलंकारों में मुख्य अंतर यह है कि संदेह अलंकार में अनिश्चय की स्थिति रहती है जबकि भ्रांतिमान में निश्चय प्रकट किया जाता है। जैसे-हलके अँधेरे में पड़ी रस्सी को साँप समझ लेना भ्रांतिमान है, किंतु यह रस्सी है या साँप, इस अनिश्चय में रहना संदेह है।

13. विरोधाभास

जहाँ वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है।

उदाहरण :

"या अनुरागी चित्त की, गति समुझै नहिं कोय।

ज्यों ज्यों बूड़ै स्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय॥"

-बिहारी

इस दोहा में श्याम (काला) रंग में डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन है जबकि वास्तविक अर्थ यह है कि भक्त जब भगवान (राम/कृष्ण) के भक्ति (श्याम रंग) में डूब जाता है तो वह भवसागर के कालिख से निकलकर उज्ज्वल हो जाता है।

इस तरह श्याम रंग में डूबने से उज्ज्वल होने का वर्णन वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास देता है।

14. लोकोक्ति

काव्य में प्रसंगवश लोकोक्ति का प्रयोग करने से वहाँ 'लोकोक्ति अलंकार' होता है।

उदाहरण :

आछे दिन पाछे गये, हरि से कियो न हेत।

अब पछतावा क्या करै, चिड़ियाँ चुग गई खेत।

-कबीर

इस दोहा में वर्णित 'चिड़ियाँ चुग गई खेत' एक कहावत है। इस दोहा का अर्थ है- कि दिन आते गये और जाते गये, परन्तु भगवत्-भजन नहीं किया। अब अन्त में पछताने से क्या लाभ जब चिड़िया पूरे खेत को चुग गई है।

15. दृष्टांत

जहाँ किसी वाक्य को स्पष्ट करने के लिए सादृश्यमूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है।

दृष्टान्त में दोनों वाक्यों में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं होता।

उदाहरण : (अ) मन मलीन तन सुन्दर कैसे।

विष रस भरा कनक घट जैसे।

-तुलसीदास

यहाँ उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिम्ब-प्रतिबिम्ब का भाव है और इसमें कोई वाचक शब्द नहीं है अतः यहाँ दृष्टान्त अलंकार है।

(ब) करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।

रसरी आवत जात ही, सिल पर पड़त निसान॥

-कबीर

(स) निखरा वो जिसने सहे, वर्षा, सर्दी, घाम।

वन-वन खाक न छानते, राम न बनते राम।

-डॉ. चन्द्रपालसिंह यादव

वास्तव में दृष्टांत एक अर्थालंकार है। जिसमें एक ओर तो उपमेय और उसके साधारण धर्म का वर्णन तो दूसरी ओर बिंब-प्रतिबिंब भाव से उपमान और उसके साधारण धर्म का वर्णन होता है, व इसमें वाचक शब्द नहीं रहता जैसे उदाहरण अलंकार में रहता है।

उपरोक्त उदाहरण (स) में उपमेय राम के महान बनने से है। वर्षा, सर्दी, घाम आदि उपमान के साधारण धर्म हैं जो उपमेय राम के जीवन में आए वन-वन भटकने के संघर्ष और आपदाओं से मेल खाते हैं।

16. उदाहरण

उदाहरण अलंकार में दोनों वाक्यों का साधारण धर्म तो भिन्न रहता है, परन्तु वाचक शब्द द्वारा उनमें समानता प्रदर्शित की जाती है।

जबकि 'दृष्टान्त अलंकार' में दोनों वाक्यों में बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव रहता है तथा कोई वाचक शब्द नहीं रहता।

उदाहरण : (अ)

वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग।

बाँटन वारे को लगे, ज्यों मेंहदी को रंग॥

-रहीम

स्पष्टीकरण-रहीम कह रहे हैं कि जो मनुष्य उपकार करता है उसे तो पुण्य फल वैसे ही मिल जाता है जैसे मेंहदी बाँटने वाले के हाथों में मेंहदी का रंग अपने आप ही लग जाता है। यहाँ वाचक शब्द 'ज्यों' है जो 'दृष्टान्त' से इसे अलग कर रहा है।

(ब) जगतु जनायौ जिहिं सकलु, सो हरि जान्यौ नाँहि।

ज्यों आँखिनु सबु देखियै, आँखि न देखी जाँहि॥

-बिहारी

(बिहारी-रत्नाकर)

स्पष्टीकरण- जिस परमात्मा ने हमें सारे विश्व का ज्ञान कराया है, उसी को हम नहीं देख पाते, जैसे आँखों से सारे संसार को देखा जा सकता है, परन्तु हम स्वयं अपनी आँख को नहीं देख पाते।

प्रस्तुत उदाहरण में ज्यों वाचक शब्द के माध्यम से बिंब-प्रतिबिंब-भाव व्यंजित किया गया है, अतः उदाहरण अलंकार की पुष्टि होती है।

उभयालंकार

जहाँ एक से अधिक अलंकार मिल जाते हैं ऐसे मिश्रण को उभयालंकार कहते हैं। इसके दो उपभेद हैं-

(i) संसृष्टि (ii) संकर

17. संसृष्टि

इसमें अलंकार एक-दूसरे से मिले होने पर भी पृथक् रूप से दिखाई पड़ते हैं जैसे तिल और चावल को मिला देने पर वे अलग से पहचाने जा सकते हैं। यह एक मिश्रण की तरह है यह मिश्रण तीन तरह से हो सकता है।

(अ) शब्द + शब्द, (ब) शब्द + अर्थ, (स) अर्थ + अर्थ

उदाहरण : मेरा मधुकर का सा जीवन।

विकसित है विस्तृत जग-उपवन।

-सुमित्रानन्दन पंत

सुमित्रानन्दन पंत के उपर्युक्त छंद की प्रथम पंक्ति में उपमा (मधुकर के समान जीवन) तथा द्वितीय पंक्ति में रूपक (जगरूपी उपवन) जैसे अर्थालंकारों की संसृष्टि है।

उदाहरण : तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाये।

झुके कुल सों जल परसन हित मनहुँ सुहाये।

-भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की यमुना वर्णन शीर्षक कविता की इन पंक्तियों के प्रथम चरण में 'त' वर्ण की अनेक आवृत्तियाँ होने के कारण उसमें वृत्यानुप्रास तथा द्वितीय पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है जो अपनी निरपेक्ष स्थिति रखते हैं अतः शब्दालंकारों और अर्थालंकारों की ग्रह संसृष्टि भी शब्दार्थालंकार (उभयालंकार) संसृष्टि का उदाहरण है।

18. संकर

दूध-पानी की तरह मिले हुए (पृथक् न. होने-योग्य) अलंकार को 'संकर' अलंकार कहते हैं।

उदाहरण : पान पीक अधयन में, लाली लखी न जाय।

कजरारी आँखियान में, कजरा री न लखाय॥

-बिहारी

बिहारी के इस दोहे में इस बात का वर्णन हुआ है कि नायिका के अधरों की लालिमा में पान के पीक की ललाई पृथक् रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती तथा उसकी काली आँखों में काजल की कालिमा छिप जाती है।

इस दोहे की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त 'कजरारी' और 'कजरा री' शब्दों में सभंग यमक अलंकार है क्योंकि यहाँ एक ही शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न

हैं। पहले प्रयुक्त शब्द का अर्थ है 'काजल जैसी काली' और दूसरे शब्द का अर्थ है 'कजरा अर्थात् काजल' और 'री' अर्थात् 'सखी' का किया गया सम्बोधन। ये दोनों अर्थ शब्द को भंग (तोड़ने से) करने से निकलते हैं, अतः इनमें सभंग यमक है।

इसी दोहे में 'काली आँखों में काजल का छिप जाना तथा अधरों में पानपीक का दिखलाई न पड़ना' मौलित अलंकार का उदाहरण है, अतः यमक (शब्दालंकार) और मौलित (अर्थालंकार) का एकाश्रयानुप्रवेश होने के कारण यह दोहा 'एकाश्रयानुप्रवेश संकर' का उदाहरण है।

उदाहरण : (अ) बंदउ गुरू पद पदुम परागा।

सुरूचि सुबास सरस अनुरागा।

-तुलसीदास

इस छंद में गुरू के पदपद्यों (चरण रूपी कमलों) की वंदना की गई है जो पराग बिखरने के साथ-साथ सुरूचिपूर्ण सुगंध के प्रति अनुराग उत्पन्न करती है।

यहाँ 'पद पदुम परागा' पदों में 'प' वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास (शब्दालंकार) और 'पद पदुम' में रूपक अर्थालंकार का एकाश्रयानुप्रवेश है अतः यह भी एकाश्रयानुप्रवेश संकर का उदाहरण है।

(ब) डर न टैरै, नौद्र न परै, हरै न काल-विपाकु।

छिनकु छाकि उछकै न फिरि, खरौ विषमु छबि-छाकु॥

-बिहारी

(बिहारी-रत्नाकर)

स्पष्टीकरण : प्रस्तुत उदाहरण में 'छबि छाकु' में अनुप्रास और रूपक (छविरूपी नशा) दो अलंकार हैं, वे परस्पर नीर क्षीर की भाँति घुले-मिले हैं, अतः यहाँ संकर उभयालंकार है।

आधुनिक/पाश्चात्य अलंकार

भारतीय साहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ने के फलस्वरूप पाश्चात्य अलंकारों का समावेश हुआ है। आधुनिक या पाश्चात्य अलंकार के तीन उपभेद हैं- मानवीकरण, (Personification), ध्वन्यर्थ व्यंजना (Onomatopoeia) और विशेषण-विपर्यय (Transferred epithet.)

19. मानवीकरण (Personification)

जहाँ प्रकृति पदार्थ अथवा अमूर्त भावों को मानव रूप में चित्रित किया जाता है या अमानव (प्रकृति, पशु-पक्षी व निर्जीव पदार्थ) में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है।

उदाहरण :

जगों वनस्पतियाँ अलसाई,
मुख धोती शीतल जल से।

-जयशंकर प्रसाद

यहाँ वनस्पतियों को मानव रूप में चित्रित किया गया है।
दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है।
वह संध्या - सुन्दर परी-सी, धीरे-धीरे-धीरे।

यहाँ संध्या को सुन्दर परी के रूप में चित्रित किया गया है। छायावादी कवियों का यह सर्वप्रिय अलंकार है। उन्होंने प्रत्येक जड़ वस्तु को चेतनता प्रदान की है।

विश्व के पलकों पर सुकुमार
विचरते थे जब स्वप्न अजान।

-सुमित्रानन्दन पंत

स्वप्न केवल एक भाव है किन्तु उनका 'विचरना' बताकर उनका मानवीकरण किया गया है।

उदाहरण : (अ) धीरे-धीरे उतर क्षितिज से
आ वसंत रजनी।

तारकमय नव बेणी बंधन,
शीश-फूल कर शीशे का नूतन,
रश्मि वलय सित धन अवगुंठन
मुक्ताहल अभिराम बिछा दे
चितवन से अपनी
पुलकती आ वसंत रजनी।

-महादेवी वर्मा

यहाँ महादेवी वर्मा ने वसंत की रात्रि का चित्रण एक सचेतन नायिका के रूप में किया है जो श्रृंगार किए हुए धीरे-धीरे क्षितिज से उतर रही है। इस प्रकार यहाँ मानवीकरण अलंकार है।

(ब) कहो, कौन हो दमयंती सी
तुम तरु के नीचे सोई?
हाय! तुम्हें भी त्याग गया क्या
अलि! नल-सा निष्ठुर कोई!

-सुमित्रानन्दन पंत

स्पष्टीकरण-प्रस्तुत उदाहरण में छाया का मानवीकृत रूप चित्रित किया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है।

(स) धीरे धीरे हिम आच्छादन
हटने लगा धरातल से,
जगों वनस्पतियाँ अलसाई
मुख धोती शीतल जल से।

-जयशंकर प्रसाद

(द) जब कामना सिंधु तट आई
ले संध्या का तारा दीप,
फाड़ सुनहली साड़ी उसकी
तू हँसती क्यों अरी प्रतीप?

-जयशंकर प्रसाद

20. ध्वन्यर्थ व्यंजना (Onomatopoeia)

काव्य में ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनसे वर्णित वस्तु प्रसंग का ध्वनि-चित्र अंकित हो जाय, ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार कहलाता है।

उदाहरण :

चरमर-चरमर-चूँ-चरर-मरर, जा रही चली भैंसागाड़ी।

-भगवतीचरण वर्मा

कभी अचानक भूतों-सा प्रकटा, विकट महा आकार,
कड़क-कड़क जब हँसते हम सब, थर्रा उठता है संसार।।

-सुमित्रानन्दन पंत

पहली पंक्ति से भूतों की विशाल काया का बोध होता है और 'कड़क-कड़क' ध्वनि से उनकी भयंकरता का ज्ञान होता है। अतएव यहाँ ध्वन्यर्थ व्यंजना अलंकार है।

21. विशेषण-विपर्यय (Transferred epithet)

विशेषण का विपर्यय कर देना अर्थात् विशेषण का स्थान बदल देना विशेषण-विपर्यय अलंकार कहलाता है।

उदाहरण :

इस करुणाकलित हृदय में
अब विकल रागिनी बजती।

-जयशंकर प्रसाद

विशेष : यहाँ 'विकल' विशेषण 'रागिनी' के साथ लगाया गया है जबकि कवि का हृदय 'विकल' हो सकता है, 'रागिनी' नहीं।

खण्ड - 6

32. लोकोक्ति (कहावत)

33. मुहावरा

नोट्स (Notes)

लोकोक्ति (कहावत)

लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के योग से बना है- लोक+उक्ति=लोकोक्ति (गुण स्वर संधि)। लोक में प्रचलित उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं। इसका दूसरा नाम 'कहावत' भी है। यह विश्व की नीति-साहित्य का अंग माना गया है। लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है- जैसे 'अंधों में काना राजा।' इसका स्वतंत्र प्रयोग होता है व इसका उद्देश्य खंडन-मंडन या तर्क द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना है। काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता। छत्तीसगढ़ी में 'लोकोक्ति (कहावत)' के लिए 'हाना' शब्द प्रचलित है। इसका अर्थ भी कहना या कथन ही है। अंग्रेजी में इसके लिए 'वेलशेड' और संस्कृत में 'सुभाषित' शब्द प्रचलित हैं।

● लोकोक्ति (कहावत) की प्रमुख विशेषताएँ-

- इसे विश्व की नीति-साहित्य का अंग माना गया है।
- यह अपने आप में पूर्ण वाक्य होता है- जैसे- अंधों में काना राजा।
- लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग होता है।
- इसका उद्देश्य खंडन-मंडन या तर्क द्वारा किसी बात को साबित करना या विरोध करना है।
- काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता।
- यह आम आदमी के जबान की शोभा है।
- इससे तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक स्थितियों का भान होता है।
- छत्तीसगढ़ी में लोकोक्ति के लिए 'हाना' शब्द प्रचलित है। इसका अर्थ भी कहना या कथन ही है। अंग्रेजी में इसके लिए 'वेलशेड' और संस्कृत में 'सुभाषित' शब्द प्रचलित हैं।
- यह लोकसाहित्य का अभिन्न अंग है, इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना लोकसाहित्य का। इसका प्रचलन भाषा के लिखित साहित्य से पूर्व हो चुका था।

अ

लोकोक्ति (कहावत)

अर्थ

- अंडे सेवे कोई, बच्चे लेवे कोई।
- अंत भला सो सब भला।
- अंधा क्या चाहे दो आँखें।
- अंधा का जाने बसन्त बहार।
- अंधा पीसे कुत्ते खाय।
- अंधा बगुला कीचड़ खाय।
- अंधा बाँट रेवड़ी फिर-फिर अपने ही को दे।
- अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना।
- अंधे के हाथ बटेर।
- अँधेर नगरी चौपट राजा-टके सेर भाजी, टके सेर खाजा।
- अक्ल बड़ी या भैंस?

- किसी के परिश्रम का लाभ किसी को मिलना।
- परिणाम अच्छा हो जाए तो सब कुछ अच्छा माना जाता है।
- अभिलाषित वस्तु का प्राप्त होना।
- जिसने जो वस्तु देखी ही न हो, वह उसका आनन्द क्या जाने?
- किसी अन्य की कमाई अथवा परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना।
- संसाधन की कमी से अयोग्य बनना।
- स्वार्थ लाभ; सारा लाभ स्वयं लेना।
- दुःख सुनाने पर ध्यान न देना।
- अनायास कोई वस्तु मिल जाना।
- मूर्ख और गुणवान के साथ एक जैसा व्यवहार।
- शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है।

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
● अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।	अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता।
● अकेला हँसता भला, न रोता भला।	दुःख-सुख में साथी होना चाहिए।
● अटका बनिया देय उधार	गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है।
● अटकेगा सो भटकेगा।	दुविधा या सोच-विचार में पड़ने से काम नहीं होता।
● अधजल गगरी छलकत जाय।	थोड़ी विद्या अथवा धन पाकर इतराना।
● अपना रख, पराया चख।	अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना।
● अपना हाथ जगन्नाथ।	स्वयं द्वारा सम्पादित कार्य फलदायक होता है।
● अपनी करनी पार उतरनी।	अपना किया कार्य (काम) ही फलदायक होता है।
● अपनी गरज बावली।	स्वार्थी मनुष्य दूसरों की चिन्ता नहीं करता।
● अपनी गली में कुत्ता शेर।	अपने घर में निर्बल भी सबल दिखायी पड़ता है।
● अपनी डफली, अपना राग।	सबका मत पृथक्-पृथक् होना।
● अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बिगड़े।	दूसरों को हानि पहुँचाने के लिए स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना।
● अपनी पगड़ी अपने हाथ।	अपनी प्रतिष्ठा/इज्जत अपने हाथ।
● अब की अब के साथ, जब की जब के साथ।	सदा वर्तमान की चिन्ता करनी चाहिए।
● अब पछताये होत का जब चिड़िया चुग गई खेत।	समय निकल जाने पर पछताना ; समय निकल जाने पर प्रयत्नशील होना।
● अमीर को जान प्यारी, गरीब को दम भारी।	गरीब को जान के लाले हैं।
● अरहर की टट्टी गुजराती ताला।	छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक व्यय।
● अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान।	ईश्वर की कृपा से अयोग्य भी योग्य बन जाता है।
● अस्सी की आमद चौरासी का खर्च।	आय से अधिक व्यय।
● अढ़ाई हाथ की ककड़ी, नौ हाथ का बीज।	अनहोनी बात।

आ

- आँख का अन्धा गाँठ का पूरा।
- आँख के अन्धे नाम नयनमुख।
- अटका बनिया देय उधार।
- आग बिना धुआँ नहीं।
- आग लगने पर कुआँ खोदना।
- आगे कुआँ, पीछे खाई।
- धनवान किन्तु वज्र मूर्ख; मूर्ख धनवान।
- गुण के विपरीत नाम।
- गरज आ पड़े तो आदमी सब कुछ मान जाता है।
- हर चीज का कारण अवश्य होता है।
- संकट उत्पन्न होने पर प्रयत्न करना।
- दोनों तरफ विपत्ति होना।

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
● आगे नाथ न पीछे पगहा।	पूर्णतः बंधन रहित।
● आटा दाल का भाव मालूम होना।	कठिनाई का अनुभव होना।
● आटे/गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है।	दोषी आदमी के साथ निर्दोष भी दण्ड पाता है।
● आधा तीतर आधा बटेर।	अनमेल वस्तुओं का संयोग।
● आप काज महाकाज।	अपना काम अपने हाथों से ठीक होता है।
● आ बैल, मुझे मार।	बिना कारण मुसीबत मोल लेना।
● आम-के-आम, गुठलियों के दाम।	दोहरा लाभ।
● आये थे हरिभजन को ओटन लगे कपास।	प्रमुख कार्य के उद्देश्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना।
● आसमान का थूका मुँह पर आता है।	बड़े (श्रेष्ठ) लोगों की निंदा करने से अपनी ही बदनामी होती है।
● आसमान से गिरा खजूर में अटका।	एक मुसीबत से निकलकर दूसरे में फँसना।

इ ई

● इधर कुआँ उधर खाई।	दोनों तरफ मुसीबत।
● इस हाथ ले उस हाथ दे।	कर्मों का फल शीघ्र पाना।
● ईंट का जवाब पत्थर से देना।	दुष्टों के प्रति अत्यधिक कड़ा रुख अपनाना।
● ईंट की लेनी, पत्थर की देनी।	कठोर बदला चुकाना; मुंहतोड़ जवाब देना।
● ईश्वर की माया, कहीं धूप-कहीं छाया।	कहीं सुख, कहीं दुःख।
● ईर्ष्या से क्रोध भला।	ईर्ष्या क्रोध से अधिक क्षति पहुँचाती है।

उ ऊ

● उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना।	थोड़ा-सा आसरा पाकर पूर्ण अधिकार पाने की हिम्मत करना।
● उगले तो अंधा, खाए तो कोढ़ी।	दुविधा में पड़ना।
● उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई	जब इज्जत ही नहीं है तो डर किसका?
● उतावला सो बावला	जल्दबाजी में कार्य करने वाला मूर्ख होता है।
● उलटा चोर कोतवाल को डाँटे।	दोषी व्यक्ति निर्दोष पर दोष लगाये; अपराध करने पर लज्जित होने के बजाय अकड़ दिखाना।
● उलटी गंगा पहाड़ को चली।	असंभव या विपरीत बात होना।
● उलटे बाँध बरेली को।	विपरीत कार्य करना।
● ऊँची दुकान फीकी पकवान।	केवल बाहरी दिखावा; आडम्बर-ही-आडम्बर; बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं।
● ऊँट किस करवट बैठता है।	काम का परिणाम अनिश्चित होना; निर्णय किसके पक्ष में होता है।
● ऊँट के गले में बिल्ली।	विपरीत वस्तुओं का मेल।

लोकोक्ति (कहावत)

अर्थ

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| ● ऊँट के मुँह में जीरा। | अपर्याप्त; अत्यल्प; जरूरत से बहुत कम। |
| ● ऊधौ का लेना न माधौ का देना। | अपने काम से काम रखना। |
| ● ऊधो की टोपी माधव के सिर | हेरा-फेरी को ही अपना व्यवसाय समझना। |

ए ऐ

- | | |
|--|---|
| ● एक अण्डा वह भी गन्दा। | थोड़ी वस्तु और वह भी किसी काम की नहीं। |
| ● एक अनार सौ बीमार। | चीजें कम और चाहने वाले ज्यादा। |
| ● एक आवे के बर्तन | सब एक जैसे। |
| ● एक और एक ग्यारह। | संगठन में शक्ति; एकता में बल। |
| ● एक टकसाल के ढले हैं। | सब एक जैसे हैं। |
| ● एक तो करेला कड़वा, दूसरे नीम चढ़ा (एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा) | बुरे का और बुरे से संग होना; एक के साथ दूसरा दोष। |
| ● एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी। | एक तो गलती करना उलटे रोब गाँठना। |
| ● एक थैली के चट्टे-बट्टे। | एक जैसे दुर्गुण वाले। |
| ● एक पंथ दो क्राज। | एक उद्देश्य से दो कार्य होना। |
| ● एक मछली सारे तालाँव को गन्दा कर देती है। | एक बुरा मनुष्य समस्त समाज को कलंकित कर देता है। |
| ● एक मुँह दो बात। | अपनी बात से पलटना। |
| ● एक म्यान में दो तलवारें। | एक वस्तु अथवा पद पर दो शक्तिशाली व्यक्तियों का अधिकार नहीं हो सकता। |
| ● एक हाथ से ताली नहीं बजती। | अकेले झगड़ा नहीं होता। |
| ● ऐरा-गैरा नत्थू खैरा। | मामूली आदमी। |
| ● ऐसी करनी न करै जो करके पछताय। | ऐसा कार्य न करें, जिससे बाद में पछताना पड़े। |

ओ औ

- | | |
|---|---|
| ● ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना। | कठिन काम प्रारम्भ करने पर कठिनाइयों से नहीं डरना चाहिए। |
| ● ओछे की प्रीति, बालू की भीति। | नीच की मित्रता (प्रेम) क्षणभंगुर (अस्थायी) होती है। |
| ● ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। | बहुत कम वस्तु से आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती। |
| ● औंधी खोपड़ी उल्टा मत। | मूर्ख का विचार उल्टा ही होता है। |

क

- | | |
|---|------------------------------------|
| ● कंगाली में आटा गोला। | एक मुसीबत पर दूसरी मुसीबत आ पड़ना। |
| ● कबीरदास की उलटी बानी, बरसै कम्बल भीजै पानी। | उलटी बात कहना। |

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
● कमान से निकला तीर और मुँह से निकली बात वापस नहीं आती।	सोच-विचार कर बात कहनी चाहिए।
● करे कोई, भरे कोई।	दूसरे की गलती का फल कोई और भोगे।
● कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली।	दो असमान व्यक्तियों की तुलना।
● कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।	असंगत वस्तुओं अथवा व्यक्तियों को एकत्र करके कुछ बनाना।
● कड़ाही से गिरा, चूल्हे में पड़ा।	छोटी विपत्ति से छूटकर बड़ी विपत्ति में फँस जाना।
● काठ की तलवार क्या करेगी वार?	नकली चीज से काम नहीं चलता।
● काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती।	कपटपूर्ण व्यवहार हर बार नहीं चलता है।
● का बरखा जब कृषि सुखाने।	अवसर निकल जाने पर सहायता करना व्यर्थ है।
● काबुल में क्या गधे नहीं होते?	कुछ न कुछ बुराई सब जगह होती है।
● कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते	महापुरुष नीचों की निंदा से नहीं घबराते।
● काम का न काज का, दुश्मन अनाज का।	काम के लिए निकम्मा, भोजन के लिए हमेशा तैयार।
● काला अक्षर भैंस बराबर।	पूर्णतः अनपढ़ मनुष्य।
● किसी का घर जले, कोई तापे।	किसी के दुःख में किसी का खुश होना।
● कुत्ते की दुम बारह बरस नली में रखो तो भी टेढ़ी-की-टेढ़ी।	लाख प्रयत्न करने पर भी दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता।
● कुत्ते के भौंकने से हाथी नहीं डरते।	महापुरुष नीच व्यक्ति की निंदा से नहीं घबराते।
● कोयले की दलाली में हाथ काले।	बुरी संगत का फल बुरा होता है।
● कौआ चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया।	अंध अनुकरण करने पर हानि उठाना।

ख

● खग जाने खग की ही भासा (भाखा)।	जो जिस संगति में रहता है, वह उसका पूरा रहस्य जानता है।
● खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।	देखा-देखी काम करना।
● खाली बनिया क्या करे, इस कोठी का धान उस कोठी में धरे।	व्यर्थ पड़ा व्यक्ति उल्टा-सीधा काम करता रहता है।
● खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचे।	लज्जित होकर बहुत क्रोध करना।
● खूँटे के बल बछड़ा कूदे।	किसी का शह पाकर ही आदमी अकड़ दिखाता है।
● खेत खाय गदहा, मार खाए जुलाहा।	दोष किसी का दंड किसी और को।
● खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का।	मेहनत किसी का लाभ दूसरे का।
● खोदा पहाड़ निकली चुहिया।	अत्यधिक परिश्रम करने के बाद भी अत्यन्त साधारण लाभ।
● ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता।	केवल सोचने से काम पूरा नहीं हो जाता।

ग

- गदहा मरे कुम्हार का और धोबन सत्ती होय।
- गीदड़ की शामत आए तो गाँव की ओर भागे।
- गुड़-गुड़ ही रहे चले शक्कर हो गये।
- गूदड़ में लाल नहीं छिपता।
- गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है।
- गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा।

- करे कोई और भरे कोई।
- विपत्ति में बुद्धि काम नहीं करती।
- छोटे बड़ों से आगे बढ़ जाते हैं।
- बढ़िया चीज अपने आप पहचानी जाती है।
- अपराधियों के साथ निर्दोष व्यक्ति भी दण्ड पाता है।
- वस्तु पास में और खोज दूर तक।

घ

- घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने।
- घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मन्दा।
- घड़ी में तोला, घड़ी में मासा (पल में तोला, पल में मासा)।
- घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध।
- घर का भेदी लंका ढहाये।
- घर की मुर्गी दाल (साग) बराबर।
- घी का लड्डू टेढ़ा भी भला।
- घोड़ा घास से यारी करे तो खाये क्या।

- झूठी शान दिखाने के फेर में रहना।
- विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए।
- चंचल स्वभाव का व्यक्ति।
- घर के सुयोग्य व्यक्ति की अनदेखी करके दूसरे को सम्मान देना।
- आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है।
- घर की वस्तु या व्यक्ति का उचित आदर नहीं करना।
- लाभकर वस्तु कुरूप भी हो तो अच्छी है; अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता।
- मेहनताना या किसी चीज के दाम मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए।

च छ

- चट मैंगनी पट व्याह।
- चने के साथ कहीं घुन न पिस जाए।
- चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय।
- चार दिन की चाँदनी फिर अँधेरी रात।
- चिंता चिंता समान।
- चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता।
- चित भी मेरी, पट भी मेरी।
- चिराग तले अँधेरा।
- चील के घोंसले में माँस कहाँ?

- शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य का सम्पन्न हो जाना।
- दोषी के साथ कहीं निर्दोष न मारा जाए।
- अत्यधिक कंजूसी करना।
- थोड़े ही दिन का सुख।
- चिंता जीवित शरीर को ही जला डालती है।
- निर्लज्ज आदमी पर कोई अंसर नहीं पड़ता।
- हर हालत में अपना ही लाभ।
- पास की चीज दिखाई न पड़ना।
- यहाँ कुछ भी बचा नहीं रह सकता।

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
● चोर की दाढ़ी में तिनका।	अपराधी सदैव सशंक रहता है।
● चोर चोरी से जाय, फिर हेराफेरी से न जाय।	बुरी आदत पूरी तरह नहीं छूट सकती।
● चोर-चोर मौसेरे भाई।	एक स्वभाव वाले शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं; दुष्टों में मित्रता शीघ्र होती है।
● चौबे गये छब्बे बनने दुबे बनकर रह गए।	लाभ के स्थान पर हानि होना।
● छड़ूँदर के सिर पर चमेली का तेल।	किसी व्यक्ति को ऐसी वस्तु की प्राप्ति हो, जिसके लिए वह सर्वथा अयोग्य हो।
● छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर एक ही बात।	दोनों तरह से हानि।
● छोटा मुँह बड़ी बात।	अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना।
● छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभानअल्लाह।	अवगुणों में बड़ा व्यक्ति छोटे से भी बढ़कर।
ज झ	
● जंगल में मोर नाचा, किसने देखा।	ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करें जहाँ कद्र न हो।
● जल में रहकर मगर से बैर।	आश्रयदाता से शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, शरणदाता की शत्रुता अकल्याणकारी होती है।
● जहाँ चाह वहाँ राह।	दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कार्य करने का रास्ता निकल ही आता है।
● जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा।	अभागे आदमी को हर जगह दुःख ही दुःख मिलता है।
● जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि।	कवि की कल्पना वहाँ तक पहुँचती है जहाँ तक सूर्य की किरणें भी नहीं पहुँच पातीं।
● जड़ काटते जाएँ पानी देते जाएँ।	भीतर से शत्रु, ऊपर से मित्र।
● जाके पाँव न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर परायी?	जिसे किसी कष्ट का अनुभव न हो, वह दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता।
● जान बची लाखों पाये।	छुटकारा मिलना; किसी भी रूप में हानि उठाकर भी मुक्त होना।
● जितनी चादर देखो उतने ही पैर पसारो।	अपनी आमदनी के हिसाब से खर्च करो।
● जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ।	परिश्रम करने वालों को ही अच्छा फल मिलता है।
● जिसकी थाली में खाना उसी में छेद करना।	जो उपकार करे उसका अहित करना।
● जिसकी लाठी उसकी भैंस।	शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है।
● जिसके हाथ लोई उसका सब कोई।	सब लोग धनवान का साथ देते हैं और उसकी खुशामद करते हैं।
● जैसा देश वैसा भेस।	परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना।
● जैसी करनी वैसी भरनी।	जैसा कर्म होता है वैसा फल मिलता है।
● जैसे साँपनाथ वैसे नागनाथ।	दो आदमियों का एक समान अवगुणी होना।

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
• जो करेगा सो भरेगा।	जो जैसा काम करेगा वैसा फल पायेगा।
• जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं।	डोंग हाँकने वाले काम नहीं करते।
• जोगी का बेटा खेलेगा ही साँप से।	बाप का असर बेटे पर पड़ता है।
• ज्यों-ज्यों भीगे कामरी त्यों-त्यों भारी होय।	समय के बीतने के साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं।
• झूठ के पाँव नहीं होते।	झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रह पाता।
• झोपड़ी में रहे महलों के ख्वाब देखे।	अपनी सामर्थ्य से बढ़कर चाहना।

ट ठ ड ढ

• टंटा विष की बेल है।	झगड़ा करने से बहुत हानि होती है।
• टके का सब खेल है।	पैसा सब कुछ करता है।
• ठंडा करके खाओ।	धीरज से काम करो।
• ठंडा लोहा गरम लोहे को काट देता है।	शांत व्यक्ति क्रोधी को झुका देता है।
• ठोकर लगे तब आँख खुले।	कुछ गँवाकर ही अक्ल आती है।
• डण्डा सबका पीर।	सख्ती करने से लोग नियन्त्रित होते हैं।
• डूबते को तिनके का सहारा।	विपत्ति में थोड़ी-सी सहायता भी उबार देती है।
• ढाक के तीन पात।	सदैव एक-सी स्थिति में रहने वाला।
• ढोल में पोल।	केवल ऊपरी दिखावा।

त थ

• तन को कपड़ा न पेट को रोटी।	अत्यधिक दरिद्रता।
• तबले की बला बंदर के सिर।	अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और।
• तलवार का खेत हरा नहीं होता।	अत्याचार का फल अच्छा नहीं होता।
• तुम डाल-डाल, हम पात-पात।	चालाकी में मात देना, चालाकी समझ जाना।
• तुम्हारे मुँह में घी-शक्कर।	तुम्हारी बात सच हो।
• तेल देखो तेल की धार देखो।	सावधानी और धैर्य से कार्य लो।
• थका ऊँट समय ताकता।	थकने पर विश्राम चाहिए।
• थोथा चना बाजे घना।	असमर्थ अथवा अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बातें करता है।

द ध

• दर्जी की सुई, कभी तांगे में कभी टाट में।	हर परिस्थिति में सहनशीलता बनाये रखना।
• दान की बछिया के दाँत नहीं देखे जाते।	मुफ्त में मिली वस्तु की जाँच-पड़ताल नहीं की जाती।
• दाल-भात में मूसरचन्द।	बीच में दखल देने वाला।

लोकोक्ति (कहावत)

अर्थ

- ० दिन भर चले अढ़ाई कोस।
- ० दिल्ली दूर है।
- ० दुधारु गाय की लात भली।
- ० दुविधा में दोनों गये, माया मिली न राम।
- ० दूध का जला छाछ (मट्ठा) भी फूँक-फूँक कर पीता है।
- ० दूध-का-दूध, पानी-का-पानी।
- ० दूधो नहाओ, पूतो, फलो।
- ० दूर के ढोल सुहावने।
- ० दूल्हा को पत्तल नहीं, बजनिये को थाल।
- ० दूसरे की पत्तल लंबा-लंबा भात।
- ० दोनों हाथों में लड़्डू।
- ० धन का धन गया, मीत की मीत गई।
- ० धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का।

- समय अधिक लगना और काम बहुत थोड़ा होना।
- अभी सफलता में देरी है।
- जिससे लाभ हो, उसकी खरी-खोटी भी बुरी नहीं लगती।
- संशय की स्थिति में कुछ भी प्राप्त न होना।
- एक बार की हानि भविष्य के लिए सचेत कर देती है।
- निष्पक्ष न्याय।
- धन-धान्य से परिपूर्ण रहो; घर परिवार से सुखी रहो।
- वास्तविकता से दूर; दूर से चीजें अच्छी लगती हैं।
- जिसका जो हक है, वह उसे न मिलकर किसी और को मिलना।
- दूसरे की वस्तु अच्छी लगती है।
- हर तरफ से लाभ ही लाभ।
- उधार में पैसा तो जाता ही है, मित्रता भी नहीं रहती।
- जो कहीं का न हो; जिसके रहने का कोई ठिकाना न हो।

न

- ० न ऊधौ का लेना न माधौ का देना।
- ० नक्कारखाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है?
- ० नदी नाव संयोग।
- ० न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी।
- ० न रहेगा बाँस, न बाजे बाँसुरी।
- ० न साँप मरे न लाठी टूटे।
- ० नाक कटी पर घी तो चाटा।
- ० नाक दबाने से मुँह खुलता है।
- ० नाच न जाने आँगन टेढ़ा।
- ० नाम बड़े दर्शन छोटे।
- ० नीम हकीम खतरा-ए-जान।
- ० नेकी कर दरिया में डाल।
- ० नेकी और पूछ-पूछ?
- ० नौ दिन चले अढ़ाई कोस।
- ० नौ नगद, न तेरह उधार।
- ० नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

- किसी भी प्रकार का मतलब (संबंध) न रखना।
- बड़े आदमियों के सामने छोटों की बात कोई नहीं सुनता।
- संयोग से मिलाप हो जाना।
- किसी काम के लिए ऐसी शर्त रखना, जो पूरी न हो सके।
- झगड़े के मूल कारण को मिटाना ताकि झगड़े की स्थिति ही पैदा न हो सके।
- बिना किसी हानि के काम पूरा होना।
- निर्लज्ज होकर कुछ पाना।
- दबाव पड़ने से काम निकलता है या बात खुलती है।
- काम न जानने पर झूठा बहाना बनाना।
- प्रसिद्धि बहुत होना पर वास्तव में गुण न होना।
- अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में काम बिगड़ सकता है।
- नेकी करके भूल जाना चाहिए, फल की आशा नहीं करनी चाहिए।
- पूछकर उपकार करने की क्या आवश्यकता?
- अत्यंत सुस्ती में कार्य करना।
- नकद का बेचना, उधार के बेचने से अच्छा है।
- आजीवन पाप करके अंत में धर्मात्मा बनने का ढोंग करना।

प फ

- पराधीन सपनेहुँ सुख नहीं।
- पराये धन पर लक्ष्मीनारायण।
- पहले तोलो फिर बोलो।
- पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल।
- पाँचों अँगुलियाँ बराबर नहीं होती।
- पाँचों अँगुलियाँ में घी होना।
- पानी पीकर जाति पूछना।
- पानी मथने से घी नहीं मिलता।
- पाप का घड़ा भरकर डूबता है।
- पूछी न आछी, मैं दुलहिन की चाची।
- प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं।
- फलूदा खाते दाँत टूटे तो टूटे।
- फुई-फुई करके तालाब भरना।
- फूल-फूल करके चंगेर भरती है।

- परतंत्रता में सुख नहीं मिलता।
- दूसरे के रुपयों में मौजमस्ती करना।
- बातें सोच-समझकर बोलना चाहिए।
- गुणवान होते हुए भी दुर्भाग्यवश योग्यता के हिसाब से अत्यन्त छोटा काम मिलना।
- सब आदमी एक समान नहीं होते।
- चारों ओर से लाभ-ही-लाभ होना।
- काम करने के बाद उसके संबंध में छान-बीन करना व्यर्थ है।
- बेकार की बहस का कोई लाभ नहीं है।
- जब पाप बहुत बढ़ जाता है तब विनाश होता है।
- जबरदस्ती किसी के सर पड़ना।
- जिसकी गरज होती है, वही आवश्यकता पूर्ति करने वाले के पास जाता है।
- स्वाद के लिए नुकसान भी मंजूर है।
- थोड़ा-थोड़ा जमा करते-करते ढेर-सारा हो जाना।
- थोड़ा-थोड़ा करके बहुत होता है।

ब

- बंदर के गले में मोतियों की माला।
- बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद?
- बकरी की जान गई, खाने वाले को मज्जा न आया।
- बकरे की माँ कब तक खैर मनायेगी?
- बत्तीस दांत में जीभ।
- बहता पानी, रमता जोगी।
- बहती गंगा में हाथ धो लो।
- बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है।

- अयोग्य व्यक्ति को अधिक सम्मान देना, प्राप्त वस्तु के महत्व को न समझने वाला।
- मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता।
- किसी के द्वारा परिश्रमपूर्वक काम करने पर भी दूसरे का संतुष्ट न होना।
- विपत्ति आने का संकेत।
- शत्रुओं से घिरा रहना।
- घुमक्कड़ आदमी कभी एक जगह नहीं रुकता।
- मौका मिलने पर तुरंत उसका लाभ उठाओ।
- सबल व्यक्ति निर्बल को प्रताड़ित करता है।

लोकोक्ति (कहावत)

अर्थ

- बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया।
- बिन माँगे मोती मिले, माँगे मिल न भीख।
- बीमार की रात पहाड़ बराबर।
- बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होय?

रिश्ते-नाते सब बेकार, पैसा सब कुछ है।
जो कुछ मिलने वाला होता है, वह बिना माँगे ही मिल जाना
और कभी-कभी मिलने वाला वस्तु भीख माँगने पर भी नहीं
मिलता।
कष्ट का समय काटना मुश्किल होता है।
व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा।

भ

- भागते भूत की लँगोटी भली।
- भूख लगे तो घर की सूझी।
- भूखे भजन न होय गोपाला।
- भैंस के आगे बीन बजावै, बैठ भैंस पगुराय।

जहाँ से कुछ मिलने की आशा न हो, वहाँ से जो कुछ भी मिले,
वही बहुत है।
जरूरत पड़ने पर अपनों की याद आती है।
भूखे पेट कोई काम नहीं होता।
बुद्धिहीन को उपदेश देना बेकार है।

म

- मन चंगा तो कठौती में गंगा।
- मरता क्या न करता?
- मान न मान मैं तेरा मेहमान।
- मियाँ की जूती मियाँ के सिर।
- मियाँ-बीबी राजी तो क्या करेगा काजी।
- मुँह में राम बगल में छुरी।
- मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक।
- मेरी बिल्ली मुझी से म्याँऊ?

मन शुद्ध हो तो घर में ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है।
मजबूरी में इंसान सब कुछ करता है।
जबरदस्ती गले पड़ना।
अपना अहित स्वयं करना।
जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाये तो दखल देने की जरूरत
नहीं होती।
ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु; दिखावटी सज्जनता; कपटपूर्ण आचरण।
घूम-फिरकर एकमात्र ठिकाना।
नौकर को मालिक के सामने अकड़ना नहीं चाहिए।

य र ल व

- यथा नाम तथा गुण।
- यह मुँह और मसूर की दाल।
- यहाँ परिन्दा भी पर नहीं मार सकता।
- रस्सी का साँप बन जाना।
- रस्सी जल गई पर ऎँठ न गयी।

जैसा नाम वैसा गुण।
अपनी सामर्थ्य से बढ़कर बात करना।
यहाँ कोई नहीं आ सकता।
बात का बतंगड़ बन जाना।
सर्वस्व नष्ट हो जाने पर भी घमण्ड बने रहना।

लोकोक्ति (कहावत)	अर्थ
● राम की माया कहीं धूप कहीं छाया।	एक ही समय में प्रकृति के अनेक रूप दिखाई देते हैं। जैसे-कहीं सुख कहीं दुःख।
● राम नाम जपना, पराया माल अपना।	ऊपर से भक्त, भीतर से ठग होना।
● राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा, एक कोढ़ी।	बराबर का मेल हो जाता है।
● लंका में सब बावन गज के।	एक-से-बढ़कर एक।
● लाख जाए, पर साख न जाए।	धन चाहे व्यय हो जाए, पर सम्मान बना रहे।
● लातों के भूत बातों से नहीं मानते।	दुष्ट आदमी सीधे समझाने से नहीं मानता, दंड देने से मानता है।
● लालफीताशाही।	सरकारी अड़ंगा।
● लोहा लोहे को काटता है	बराबर के लोग आपस में निपट सकते हैं; दुष्ट का नाश दुष्ट के द्वारा होता है।
● वह गुड़ नहीं, जो चँटि खायें।	कुछ भी प्राप्त न होना।
● वही मियाँ दरबार में वही चूल्हे के पास।	एक आदमी को कई काम करने पड़ते हैं।

श स

● शक्ल चुड़ैल की मिजाज परियों का।	बेकार का नखरा।
● शर्म की बहू नित भूखी मरे।	शर्म करने से कष्ट उठाना पड़ता है।
● सदा दिवाली संत घर, जौ-घी-मैदा होय।	सदा आनंद ही आनंद रहना।
● सब एक ही थैले के चट्टे-बट्टे।	जिनका स्वार्थ/राय एक समान हो।
● समय चूकि पुनि का पछताने।	अवसर खोकर पछताने से कोई लाभ नहीं।
● समरथ को नहिं दोष गुसाई।	समर्थ या सबल को दोष नहीं लगता, वह दोषी होते हुए भी निर्दोष माना जाता है।
● साँप का काटा पानी नहीं माँगता।	कुटिल व्यक्ति की चाल में फँसा मनुष्य बच नहीं पाता।
● साँप मर जाए और लाठी भी न टूटे।	काम निकल जाए और नुकसान भी न हो।
● साझे की हंडिया चौराहे में फूटी।	साझे के काम में झंझट ही झंझट।
● सिर मुँड़ते ही ओले पड़ना।	काम शुरू करते ही बाधाएँ आना।
● सीधे का मुँह कुत्ता चाटे।	सीधेपन का लोग अनुचित लाभ उठाते हैं।
● सुने सब की करे मन की।	स्वविवेक से काम करना चाहिए। सुने सबकी लेकिन करें वही काम जो अपने मन को ठीक लगे।
● स्वर्ग से गिरा तो खजूर में अटक।	एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में फँसना।
● सूत न कपास, जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा।	बे-वात की लड़ाई; अकारण विवाद।
● सूरदास की काली कमरी चढ़े न दृजो रंग।	आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं।

लोकोक्ति (कहावत)

अर्थ

- सौ चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। जीवनभर बुरा काम कर अन्त में अच्छा बनने का ढोंग करना।
- सौ सयाने एक मत। सब बुद्धिमानों की एक राय होती है।
- सौ सुनार की एक लुहार की। निर्बल की सौ चोटों की अपेक्षा बलवान की एक चोट काफी होती है।

ह

- हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। स्वार्थ-सिद्धि के लिए सबको सिर झुकाना पड़ता है।
- हर्रा (हींग) लगे न फिटकरी, रंग चोखा होय। खर्च भी न हो और काम भी बन जाए।
- हाथ कंगन को आरसी क्या ? प्रत्यक्ष वस्तु के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
- हाथ सुमरनी, पेट कतरनी। उपर से अच्छा, मन से बुरा।
- हाथी के दाँत खाने के और, दिखाने के और। कपटी मनुष्य कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।
- हाथी के पाँव में सबका पाँव। बड़े लोगों के साथ छोटों का भी गुजारा हो जाता है।
- हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अपने काम से काम रखना, लोगों की न सुनना।
- हिसाब जौ-जौ बखशीश सौ-सौ। हिसाब करने में कड़ा, दान देने में उदार।
- होनहार बिरवान के होते चीकने पात। बचपन से ही अच्छे लक्षणों का दिखाई देना, होनहार के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं।
- है सबका गुरुदेव रुपैया। संसार में धन ही सब कुछ है।

-----▲▲▲▲▲-----

मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं है बल्कि वाक्यांश है अर्थात् यह वाक्य का अंश या हिस्सा है। मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है। यह 'विकारी' शब्द है अर्थात् काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। चूंकि मुहावरा वाक्यांश होता है इसलिए वाक्य में प्रयुक्त किए बिना इनके अर्थ पूर्ण नहीं होते। वाक्य रचना के अनुकूल बनाने के लिए इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी करना पड़ता है अर्थात् यह 'विकारी' शब्द है। 'मुहावरा' अरबी भाषा का शब्द है व हिन्दी में उसी रूप में प्रयुक्त है।

● मुहावरा की प्रमुख विशेषताएँ -

- मुहावरा पूर्ण वाक्य नहीं है बल्कि वाक्यांश है अर्थात् यह वाक्य के अंश का हिस्सा है।
- मुहावरों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता।
- मुहावरों का उद्देश्य शब्दों से चमत्कार उत्पन्न कर भाषा के सौंदर्य को स्थापित करना है।
- यह 'विकारी' शब्द है अर्थात् काल, वचन और पुरुष के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है।
- यह साहित्यकारों के लेखन में प्रयोग होता है अतः तात्कालिक समाज के सामाजिक स्थिति का यह दर्पण है।
- चूंकि मुहावरा वाक्यांश होता है इसलिए वाक्य में प्रयुक्त किए बिना इसके अर्थ पूर्ण नहीं होते। वाक्य रचना के अनुकूल बनाने के लिए इसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन भी होता है अर्थात् यह 'विकारी' शब्द है।
- 'विकारी' शब्द होने के बावजूद इसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे- 'पेट काटना' व 'दांत निपोरना' मुहावरे हैं परन्तु उसके शाब्दिक अर्थ बदलकर उसे प्रयोग नहीं किया जा सकता, अर्थात् 'पेट काटना' के स्थान में 'उदर काटना' व 'दांत निपोरना' के स्थान पर 'दंत निपोरना' का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
- 'मुहावरा' अरबी भाषा का शब्द है व हिन्दी में उसी रूप में प्रयुक्त है।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
	अ		
● अंक भरना	आलिङ्गन करना।	● अंगारों पर लोटना	रोष और जलन के मारे कुढ़ना।
● अंकुश रखना	नियंत्रण रखना।	● अंगुली उठाना	बदनामी या दोषारोपण होना।
● अंग-अंग खिल उठना	प्रसन्न हो जाना।	● अंगुली उठाना	ज्ञान, चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना।
● अंग-अंग फड़कना	स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होना।	● अँगुली पकड़कर पहुँचा पकड़ना	सामान्य सहारा पाकर विशेष प्राप्ति के लिए अग्रसर होना।
● अंग-अंग टूटना	बहुत थक जाना।	● अंगूठा चूमना	चापलूसी करना; खुशामद करना।
● अंगार उगलना	क्रोधावेश में कठोर वचन बोलना।	● अंगूठा दिखाना	ऐन मौके पर धोखा देना/समय पर मना कर देना।
● अंगार बनना	खाल होना, क्रुद्ध होना।	● अँचरा पसारना	माँगना, याचना करना।
● अंगार बरसना	प्रचण्ड गर्मी पड़ना।	● अंटी मारना	चाल चलाना।
● अंगार सिर पर धरना	अत्यंत दुख सहना।	● अंडा फूट जाना	भेद खुल जाना।
● अंगारों पर पैर रखना	जानबूझकर खतरनाक कार्य करना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● अंजर-पंजर ढीला होना	अंग-अंग ढीला होना; बहुत थक जाना।	● अपना-अपना राग अलापना	अपनी ही बातें करना।
● अंड-बंड कहना	भला-बुरा कहना।	● अपना उल्लू सीधा करना	अपना काम निकालना।
● अंत बिगाड़ना	परिणाम खराब करना।	● अपना किया पाना	कर्म का फल भोगना।
● अँतड़ियाँ कुलबुलाना	बहुत भूख लगना।	● अपना-सा मुँह लेकर रह जाना	शर्मिन्दा होना, लज्जित होना।
● अँतड़ियाँ गले पड़ना	संकट में पड़ना।	● अपनी खिचड़ी अलग पकाना	स्वार्थी होना, अलग रहना।
● अँतड़ियों में बल पड़ना	पेट में दर्द होना।	● अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना	संकट मोल लेना।
● अंधाधुंध लुटाना	बहुत अपव्यय करना।	● अपने पैरों पर खड़ा होना	स्वावलम्बी/आत्मनिर्भर होना।
● अंधा बनना	आगे-पीछे कुछ न देखना।	● अपने मुँह मियाँ मिट्टू होना	अपनी बड़ाई आप करना।
● अंधा बनाना	धोखा देना।	● अब-तब करना	बहाना करना।
● अंधा होना	विवेकभ्रष्ट होना।	● अड़ियल टट्टू	अटक-अटककर या मुँह जोहकर काम करने वाला।
● अंधे की लकड़ी/लाठी	एक ही सहारा।	● अढ़ाई दिन की हुकूमत	कुछ दिनों की शानो-शौकत।
● अंधे के हाथ बटेर लगना	बिना प्रयास के अयोग्य के हाथ अच्छी वस्तु लग जाना।		
● अंधे को दीया दिखाना	व्यर्थ का कार्य करना।		
● अंधेरनगरी	जहाँ धौंधली का बोलबाला हो।		
● अंधेरे में तीर चलाना	लक्ष्यहीन प्रयास करना।		
● अंधेरे में रखना	भेद छिपाना।		
● अंधों में काना राजा	अयोग्य व्यक्तियों के समूह में कम योग्य व्यक्ति की ज्यादा योग्यता प्रदर्शित होना।		
● अक्ल का दुश्मन होना	मूर्ख होना; महामूर्ख।	● आँख उठाकर न देखना	तिरस्कार करना।
● अक्ल का पुतला	बहुत बुद्धिमान आदमी।	● आँख का काँटा	शत्रु।
● अक्ल चकराना	कुछ समझ में न आना।	● आँख का काजल	अत्यन्त प्रिय।
● अक्ल चरने जाना	बुद्धि गायब होना।	● आँख-कान खोलकर चलना	पूरी तरह से सतर्क होकर चलना।
● अक्ल पर पत्थर पड़ना	बुद्धि भ्रष्ट होना।	● आँख की किरकिरी होना	अप्रिय लगना, आँखों को चुभना।
● अगर-मगर करना	टालमटोल करना।	● आँख दिखाना	धमकी देना, क्रोध प्रकट करना।
● अग्नि परीक्षा	बहुत कठिन परीक्षा।	● आँख बन्द करके काम करना	लापरवाहीपूर्वक काम करना।
● अथ से इति तक	प्रारंभ से समापन तक/आदि से अंत तक।	● आँख-भौं चढ़ाना	अत्यधिक क्रोध करना।
● अन्न जल उठना	किसी स्थान से सम्बन्ध टूटने का समय आना।	● आँख मारना	संकेत करना, इशारा करना।
		● आँख मैली करना	नीयत खराब करना।

आ

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● आँख लगना	झपकी आना।	● आँखों पर चर्बी चढ़ना	अहंकार से ध्यान तक न देना।
● आँख लगाना	बुरी/लालच भरी दृष्टि से देखना।	● आँखों पर परदा पड़ना	जानकारी न होना।
● आँच न आना	आपत्ति से बच जाना।	● आँखों में गड़ जाना	पाने की इच्छा होना; बुरा लगना।
● आँच न आने देना	जरा भी कष्ट या दोष न आने देना।	● आँखों में खटकना	बुरा लगना।
● आँचल पकड़ना	सहारा लेना।	● आँखों में खून उतरना	क्रोध से आँखें लाल हो जाना।
● आँचल पसारना	दया की भीख माँगना।	● आँखों में धूल झोंकना	धोखा देना।
● आँखें खुलना	सावधान हो जाना।	● आँखों में रात काटना	सारी रात जागते रहना।
● आँखें चमकना	प्रसन्न होना।	● आँखों से गिरना	सम्मान खो देना।
● आँखें चार होना	एक-दूसरे को देखना।	● आँतों पर बल पड़ना	पेट में दर्द होना।
● आँखें चुराना	छुप जाना/नजर न मिलाना।	● आँसू पीकर रह जाना	चुपचाप दुःख सह लेना।
● आँखें तरसना	देखने को इच्छुक होना।	● आँसू पोंछना	धैर्य प्रदान करना, ढाँढस बाँधना।
● आँखें तरेरना	क्रोध से देखना।	● आकाश टूट पड़ना	अकस्मात् विपत्तियों का आना।
● आँखें दिखाना	धमकाना या क्रोध की दृष्टि से देखना।	● आकाश-पाताल एक करना	अत्यधिक परिश्रम/यत्न करना।
● आँखें नीची होना	लज्जित होना।	● आकाश से तारे तोड़ना	असम्भव कार्य करना।
● आँखें पथरा जाना	आँखों का थक जाना।	● आकाश (आसमान) से बातें करना	बहुत ऊँचा होना।
● आँखें फाड़कर देखना	उत्सुकता से घूरना।	● आग पर तेल छिड़कना	और भड़काना।
● आँखें फेर लेना	प्रतिकूल हो जाना।	● आग पर पानी डालना	झगड़ा मिटाना।
● आँखें बिछाना	प्रेम से स्वागत करना।	● आग-बबूला होना	अत्यंत क्रुद्ध होना।
● आँखें मूंदना	मृत्यु को प्राप्त होना।	● आग में कूदना	संकट में पड़ना।
● आँखें लाल-पीली करना	क्रोध करना।	● आग में घी डालना	क्रोध भड़काना, उकसाने का कार्य करना।
● आँखें सेंकना	किसी का सुंदर रूप देखकर अपनी आँखों को तृप्त करना।	● आग लगाकर कुँआ खोदना	झगड़ा करवाकर फिर उसे शान्त करने का उपाय करना।
● आँखों का अंधा गाँठ का पूरा	बेवकूफ किन्तु धनवान मनुष्य।	● आग लगने पर कुँआ खोदना	पहले से उपाय न कर रखना।
● आँखों का काजल चुराना	अत्यंत सफाई से चोरी करना।	● आग लगाकर तमाशा देखना	झगड़ा पैदा करके खुश होना।
● आँखों का तारा होना	अत्यंत प्यारा होना।	● आगे का पैर पीछे पड़ना	किस्मत उल्टी होना।
● आँखों का पानी मरना / ढलना/गिरना	अत्यंत निर्लज्ज होना।	● आटा गोला होना	विपत्ति में पड़ना।
● आँखों के आगे अंधेरा छा जाना	संसार सूना-सा प्रतीत होना / बेहोश हो जाना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● आटा-दाल का भाव मालूम होना	कष्टों का अनुभव होना।	● ईंट से ईंट बजाना	बर्बाद कर देना।
● आटे के साथ घुन पिसना	दोषी के साथ निर्दोष की भी हानि होना।	● ईद का चाँद होना	बहुत समय बाद दिखाई देना।
● आठ-आठ आँसू रोना	अत्यधिक रोना, बहुत पछताना।	● उँगली उठाना	निंदा करना; आलोचना करना।
● आठों पहर	दिन-रात, चौबीसों घंटे।	● उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना	जरा-सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना।
● आधा तीतर आधा बटेर	बेमेल काम।	● उँगलियों पर नचाना	इशारों पर नचाना।
● आपे से बाहर होना	क्रोध के कारण अपने वश में न रहना।	● उँगली पर नाचना	किसी के वश में हो जाना।
● आव देखा न ताव	बिना कारण।	● उगल देना	गुप्त बात प्रकट करना।
● आवाज उठाना	विरोध प्रकट करना।	● उतार-चढ़ाव देखना	अनुभव प्राप्त करना।
● आसन डोलना	विचलित होना।	● उधार खाए बैठना	प्रतीक्षा में रहना।
● आसमान टूट पड़ना	अचानक विपत्ति आ पड़ना।	● उधेड़बुन में पड़ना	सोच-विचार करते रहना।
● आसमान पर चढ़ा देना	बहुत तारीफ़ करना।	● उन्नीस-बीस होना	बहुत थोड़ा अंतर होना।
● आसमान पर दिमाग होना	बहुत घमंडी होना।	● उबल पड़ना	एकदम क्रोधित हो जाना।
● आसमान फट पड़ना	अचानक आफत आ पड़ना।	● उर्वशी होना	प्रिय होना।
● आसमान सिर पर उठाना	अत्यधिक जिद करना, बहुत हो-हल्ला मचाना।	● उल्टा पाँसा पड़ना	योजना के प्रतिकूल कार्य होना।
● आस्तीन का साँप	कपटी मित्र।	● उल्टी गंगा बहाना	रीति से विपरीत कार्य करना, उलटा काम करना।
● आस्तीन का साँप होना	विश्वासघाती होना।	● उल्टी पट्टी पढ़ाना	बहकाना।
● आड़े हाथों लेना	बुरा-भला कहना।	● उल्टी माला फेरना	अनिष्ट की कामना करना।

इ ई

● इज्जत पर पानी फिरना	प्रतिष्ठा कम होना।
● इतिश्री करना	समाप्त करना।
● इतिश्री होना	अंत होना।
● इधर-उधर करना	अस्त-व्यस्त करना।
● इशारे पर नाचना	गुलाम बनकर रह जाना।
● ईंट का जवाब पत्थर से देना	हिंसाब बराबर कर देना।
● ईंट तक बिकवा देना	सर्वस्व नष्ट कर देना।

उ ऊ

● उँगली उठाना	निंदा करना; आलोचना करना।
● उँगली पकड़ते पहुँचा पकड़ना	जरा-सा सहारा मिलते ही कुछ और पाने की लालसा करना।
● उँगलियों पर नचाना	इशारों पर नचाना।
● उँगली पर नाचना	किसी के वश में हो जाना।
● उगल देना	गुप्त बात प्रकट करना।
● उतार-चढ़ाव देखना	अनुभव प्राप्त करना।
● उधार खाए बैठना	प्रतीक्षा में रहना।
● उधेड़बुन में पड़ना	सोच-विचार करते रहना।
● उन्नीस-बीस होना	बहुत थोड़ा अंतर होना।
● उबल पड़ना	एकदम क्रोधित हो जाना।
● उर्वशी होना	प्रिय होना।
● उल्टा पाँसा पड़ना	योजना के प्रतिकूल कार्य होना।
● उल्टी गंगा बहाना	रीति से विपरीत कार्य करना, उलटा काम करना।
● उल्टी पट्टी पढ़ाना	बहकाना।
● उल्टी माला फेरना	अनिष्ट की कामना करना।
● उल्टे छुरे से मूँड़ना	मूर्ख बनाकर ठग लेना।
● उल्टे पाँव लौटना	शीघ्र लौटना।
● उल्टे बाँस बरेली की	असंगत/विपरीत कार्य
● उल्लू का पट्टा	मूर्ख।
● उल्लू बनाना	मूर्ख बनाना।
● उल्लू सीधा करना	स्वार्थ सिद्ध करना।
● उड़न छू होना	गायब होना।
● उड़ती खबर	अफवाह।
● उड़ती चिड़िया पहचानना	दूसरे की मन की बात/रहस्य को ताड़ लेना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● ऊँचा सुनना	कम सुनना।	● एक मुँह दो बात	बात पर टिका न रहना।
● ऊँची दुकान फीकी पकवान	आडम्बर ही आडम्बर।	● एक लाठी से सबको हाँकना	उचित-अनुचित का बिना विचार किये व्यवहार करना।
● ऊँची फेंकना	बहुत अधिक गप मारना।	● एक सूत्र में बांधना	संगठित करना, जोड़ना।
● ऊँट किस करवट बैठे	परिणाम का संदिग्ध होना।	● एड़ियाँ रगड़ना/घिसना	अपना काम करवाने के लिए दौड़-धूप करना।
● ऊँट के मुँह में जीरा	अपर्याप्त वस्तु।	● एड़ी-चोटी का जोर लगाना	कठिन परिश्रम करना।
ऋ		● ऐंठ कर चलना	घमंड से चलना।
● ऋण उतारना/चुकाना	लिया हुआ ऋण वापस करना/उपकार करने वाले के प्रति उपकार करना।	● ऐंठ कर रह जाना	मन मसोस कर रह जाना।
● ऋण चढ़ना	कर्जदार होना।	● ऐंठ निकलना	घमंड चूर होना।
● ऋण चढ़ाना	कर्जदार बनाना।	● ऐंठ निकालना	घमंड चूर करना।
● ऋद्धि-सिद्धि पाना	समृद्धि और सफलता पाना।	● ऐरा-गैरा नत्थू खैरा	तुच्छ व्यक्ति, मामूली व्यक्ति।
ए ऐ		● ऐसी की तैसी करना	दुर्दशा करना।
● एक अनार सौ बीमार	आवश्यकता से अधिक मांग।	● ऐसी-वैसी बात करना	ओछी बात करना।
● एक आँख न भाना	बिल्कुल पसंद न आना; थोड़ा भी अच्छा न लगना।	ओ औ	
● एक आँख से देखना	समान भाव से देखना/बराबर मानना।	● ओंठ तक न हिलना	मुख से एक भी शब्द न निकलना।
● एक-एक कोना छान मारना	सब जगह खोजना।	● ओंठ सूखना	प्यास लगना।
● एक-एक नस पहचानना	सब कुछ समझना।	● ओखली में सिर देना	जानबूझकर संकट मोल लेना।
● एक और एक ग्यारह	संगठन में शक्ति।	● ओले पड़ना	विपत्ति आना।
● एक का तीन बनाना	अत्यधिक लाभ प्राप्त करना।	● ओस की मोती	क्षणभंगुर।
● एक घाट में पानी पीना	एकता और सहनशीलता का होना।	● ओंधे मुँह गिरना	धराशायी होना, पराजित होना।
● एकछत्र साम्राज्य	पूर्ण आधिपत्य।	● औने-पौने में बेचना	जो कुछ मिले उसी मूल्य में बेच देना।
● एक टाँग पर खड़ा रहना	सदा तैयार रहना।	क	
● एक तीर से दो शिकार	एक कार्य से दो उद्देश्यों की पूर्ति करना।	● कंचन बरसना	धन की अच्छी प्राप्ति होना।
● एक पंथ दो काज	एक कार्य के साथ दूसरा कार्य भी पूरा करना।	● ककड़ी-खीरा समझना	तुच्छ अथवा नगण्य समझना।
		● कच्चा चिट्ठा खोलना	सब भेद खोल देना।
		● कच्ची गोली खेलना	अनुभवहीन होना।
		● कचूमर निकालना	नष्ट करना, खूब कूटना (पीटना)।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● कटे पर नमक छिड़कना	दुःखी को और दुःखी करना।	● काँटों पर लोटना	बेचैन होना।
● कतरनी-सी जबान चलाना	बिना विचार किये उल्टी-सीधी बातें करना।	● कागज काले करना	व्यर्थ लिखना।
● कदम उखड़ना	भाग खड़े होना।	● कागजी घोड़े दौड़ाना	केवल लिखा-पढ़ी करते रहना।
● कन्धे से कन्धा मिलाना	पूर्ण रूप में सहयोग देना।	● काजल की कोठरी	कलंकित होने का स्थान।
● कन्नी काटना	कतरा कर निकल जाना।	● काटो तो खून नहीं	अत्यन्त भयभीत होना, सन्न रह जाना।
● कमर कसना	तैयार हो जाना।	● काठ का उल्लू	महामूर्ख।
● कमर टूटना	शक्तिहीन होना	● काठ मार जाना	हतप्रभ रह जाना।
● कमर सीधी करना	थकान मिटाना।	● कान कतरना	एक कदम आगे रहना, धोखे में डाल देना।
● करवटें बदलना	बेचैन होना।	● कान काटना	धूर्तता आदि में बढ़कर होना, हराना, चालाकी।
● कलई खुलना	भेद प्रकट होना।	● कान खड़े होना	चौकन्ना होना।
● कलम का धनी	उत्कृष्ट लेखक; प्रतिभा-सम्पन्न लेखक।	● कान खाना	परेशान करना।
● कलम तोड़ना	प्रभावपूर्ण लेखन करना।	● कान पर जूँ न रेंगना	बिल्कुल ध्यान न देना।
● कली खिलना	खुश होना।	● कान फूँकना	चुपके से कुछ कह देना; दीक्षित करना; गुरु-मंत्र देना।
● कलेजा ठण्डा होना	संतोष प्राप्त होना, मन को शांति मिलना।	● कान भरना	चुगली करना।
● कलेजा धक से रह जाना	डर जाना।	● कान लगाना	ध्यान देना।
● कलेजा फटना	अत्यन्त दुःखी होना।	● कानाफूँसी करना	धीरे-धीरे बात करना।
● कलेजा मुँह को आना	दुःख होना।	● कानों-कान खबर न होना	गुप्त रहना।
● कलेजे का टुकड़ा	बहुत प्यारा।	● कानों में तेल डालना	सुनकर भी ध्यान नहीं देना।
● कलेजे पर पत्थर रखना	कठिनता में धैर्य धारण करना।	● काफूर होना	गायब हो जाना।
● कलेजे पर साँप लोटना	ईर्ष्या से हृदय जलना।	● काम तमाम करना	मार डालना।
● कसौटी पर कसना	अच्छी तरह जाँच करना।	● काम-से-काम रखना	दूसरे के काम में दखल न देना।
● कहा-सुनी होना	झगड़ा होना।	● काला अक्षर भैंस बराबर	अनपढ़ होना।
● कढ़ी का-सा उबाल	मामूली जोश।	● काला पानी	आजन्म कैद ; घोर कारावास।
● काँटा दूर होना	बाधा दूर होना।	● किताबी कीड़ा होना	केवल पढ़ने में लगे रहना।
● काँटे बिछाना	अड़चनें पैदा करना।	● किये-कराये पर पानी फेरना	बिगाड़ देना।
● काँटों पर घसीटना	संकट में डालना।	● किराये का टट्टू होना	बेगारी ; लालच में साथ देना।
● काँटों पर पाँव रखना	जानबूझकर मुसीबत मोल लेना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● किस खेत की मूली हो	तुम्हारी क्या हैसियत है?	● खिचड़ी पकाना	अन्दर-ही-अन्दर षड्यंत्र करना।
● किस्मत फूटना	काम बिगड़ जाना, बुरे दिन आना।	● खुशामदी टट्टू	मुँह पर बड़ाई करने वाला।
● कीचड़ उछालना	बदनाम करना, निंदा करना।	● खून आँखों में उतरना	अत्यधिक क्रोध के कारण आँखें लाल होना।
● कुएँ में गिरना	संकट में पड़ना।	● खून का प्यासा	जानी दुश्मन; हत्या या वध करने का इच्छुक।
● कुएँ में भांग पड़ना	सबकी बुद्धि मारा जाना।	● खून की नदियाँ बहाना	नर-संहार करना।
● कुत्ते की दुम	वैसे का वैया।	● खून खौलना	अत्यधिक क्रोधित होना, जोश आना।
● कुत्ते की मौत मरना	बुरी तरह मरना।	● खून के आँसू रुलाना	बहुत परेशान करना।
● कुर्सी तोड़ना	काम न करना।	● खून के आँसू रोना	बहुत दुःखी/परेशान होना।
● कूप-मण्डूक होना	सीमित ज्ञान होना, अल्पज्ञ होना।	● खून के घूँट पीना	अपमान सहना, गुस्सा पचा जाना।
● कोयले की दलाली में हाथ काले करना	बुरे काम में बदनामी मोल लेना।	● खून चूसना/पीना	शोषण करना।
● कोल्हू का बैल बनना	काम में बुरी तरह जुटे रहना।	● खून-पसीना एक करना	कठिन परिश्रम करना।
● कोल्हू का बैल होना	दिन-रात परिश्रम करना।	● खून बहाना	मार-काट करना।
● कौए उड़ाना	निकृष्ट (घटिया) कार्य करना।	● खून सफेद हो जाना	बहुत डर जाना।
● कौड़ी के मोल विकना	व्यर्थ होकर रह जाना।	● खून सवार होना	बहुत क्रोध आना, मरने-मारने को तैयार हो जाना।
● कौड़ी-कौड़ी पर जान देना	कंजूस होना।	● खून सूख जाना	भयभीत हो जाना।
ख		● खेत रहना/आना	युद्ध में मारा जाना।
		● खेल खेलाना	परेशान करना।
		● खोपड़ी खाना	बकवास करना, दिमाग चाटना, बहुत बातें/प्रश्न करके परेशान करना।
		ग	
● खटाई में पड़ना	व्यवधान पड़ना; टल जाना; झमेले में पड़ना।	● गंगा जल उठाना	गंगाजल लेकर कसम खाना।
● खयाली-पुलाव पकाना	व्यर्थ की कल्पनाएँ करना।	● गंगा नहाना	कठिन कार्य पूरा करके छुट्टी पाना।
● खरा-खोटा परखना	भले-बुरे की पहचान करना।	● गठरी मारना	सामान चुरा लेना।
● खरी-खरी सुनाना	कटु सत्य कहना।	● गप्पें लड़ाना	व्यर्थ की बातें करना।
● खरी-खोटी सुनाना	भला-बुरा कहना।	● गरदन पर छुरी फेरना	हानि पहुँचाना।
● खाक छानना	भटकते फिरना; मारा-मारा फिरना।	● गरदन फँसाना	संकट में पड़ना।
● खाक में मिलाना	नष्ट कर देना।	● गला छूटना	पिण्ड छूटना।
● खार खाना	द्वेष रखना; चिढ़ जाना।	● गले का हार होना	अत्यंत प्रिय होना।
● खाल खींचना	बुरी तरह पीटना; कठोर दंड देना।	● गले मढ़ना	जबरदस्ती साँपना।
● खाल मोटी होना	जल्दी प्रभावित न होना।		
● खिचड़ी पकना	षड्यंत्र होना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● गड़े मुर्दे उखाड़ना	पुरानी बातों को फिर से उजागर करना।	● गोल कर जाना	गायब कर देना।
● गढ़ जीतना	दुष्कर कार्य करना।	घ	
● गाँठ का पूरा	धनी व्यक्ति, मालदार।		
● गाँठ बाँधना	अच्छी तरह से याद रखना।	● घर का न घाट का	कहीं का न होना।
● गागर में सागर भरना	थोड़े में ही बहुत कह देना।	● घर-फूँक तमाशा देखना	अपना ही नुकसान करके नजारा देखना।
● गाजर मूली समझना	तुच्छ समझना।	● घर बसाना	विवाह करना।
● गाल फुलाना	रूठना।	● घर में गंगा बहना	अच्छी चीज पास में ही मिल जाना।
● गाल बजाना	डोंग हाँकना; बढ़-चढ़कर बातें करना।	● घड़ियाँ गिनना	बेचैनी से इन्तजार (प्रतीक्षा) करना।
● गाढ़े का साथी	संकट का साथी।	● घड़ों पानी पड़ना	अत्यंत लज्जित (शर्मिदा) होना।
● गिन-गिन कर पैर रखना	सावधानी बरतना, बहुत सावधानी से बढ़ना।	● घाट-घाट का पानी पीना	हर तरह का अनुभव प्राप्त करना; बहुत अनुभवी होना।
● गिरगिट की तरह रंग बदलना	काम निकल जाने पर वायदा पूरा न करना, एक बात पर स्थिर न रहना, एक रंग-ढंग न रखना।	● घात लगाना	मौका ताकना, अवसर की तलाश करना।
● गीता का ज्ञान	पूर्ण ज्ञान होना।	● घाव पर नमक छिड़कना	सताये हुए को और सताना; दुःखी को और दुःखी करना।
● गीदड़-भभकी	दिखावटी धमकी।	● घाव हरा होना	विस्मृत दुःख का ताजा होना।
● गुदड़ी में लाल	गरीब के घर में गुणवान का पैदा होना।	● घास काटना	तुच्छ काम करना।
● गुरु गुड़ चेला शक्कर	चेले का गुरु से आगे बढ़ जाना।	● घास छीलना	व्यर्थ समय खोना।
● गुल खिलाना	कोई बखेड़ा खड़ा करना।	● घी के दीये जलाना	अत्यंत प्रसन्न होना, आनंदमंगल होना।
● गुस्सा पीना	क्रोध को प्रकट न होने देना; क्रोध दबाना।	● घुटने टेक देना	आत्म-समर्पण करना।
● गुड़ गोबर होना	काम बिगड़ जाना।	● घुटा हुआ	बहुत चालाक; अनुभव-सम्पन्न।
● गुड़ देकर मारना	कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर विश्वासघात करना।	● घोड़े का घर कितनी दूर	काम करने वाले को काम में देरी नहीं लगती।
● गूँगे का गुड़	अवर्णनीय सुख, वह आनंदानुभूति जिसका वर्णन न किया जा सके।	● घोड़े बेचकर सोना	निश्चिन्त होना, बेफिक्र होना।
● गूलर का फूल हो जाना	न दिखायी पड़ना, लापता होना।	च	
● गेहूँ के साथ घुन पिस जाना	दोषी के साथ निर्दोष का भी अहित होना।		
● गोबर गणेश	महामूर्ख; निरा बुद्ध।	● चंदर लगना	मरते समय मनुष्य की आँख का खुल रह जाना।
● गोटी बैठाना	युक्ति निकालना, युक्ति सफल होना।	● चण्डाल-चौकड़ी	निकम्मे और बदमाश किस्म के लोग।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● चप्पा-चप्पा छान मारना	खूब अच्छी तरह तलाशी लेना; हर जगह ढूँढ लेना।	● चूना लगाना	नुकसान पहुँचाना, धोखा देना।
● चमत्कार को नमस्कार	प्रभाव के सामने सभी झुक जाते हैं।	● चूड़ियाँ पहनना	कायर बनना/डरपोक होना।
● चम्पत होना	भाग जाना।	● चूड़ियाँ सलामत रहना	सौभाग्य बना रहना।
● चलता-पुरजा	चालाक और व्यवहार कुशल लोग।	● चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना	घबरा जाना, डरना।
● चलता बनना	खिसक जाना।	● चोली-दामन का साथ	घनिष्ठता; आत्मीयता; गहरी मित्रता।
● चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना	बनते-बनते काम में विघ्न डालना।	● चौखट पर माथा टेकना	अनुनय-विनय करना।
● चल बसना	मरना, खत्म होना।	छ	
● चाँद पर धूकना	किसी अच्छे मनुष्य पर कलंक लगाना, व्यर्थ निंदा।		
● चाँदी का जूता मारना	धूस देना।	● छक्का पंजा भूलना	कुछ भी याद न रहना।
● चाँदी काटना	खूब पैसा कमाना।	● छक्के छूटना	बुरी तरह पराजित होना।
● चादर के बाहर पाँव पसारना	सीमा के बाहर जाना; आय से अधिक व्यय करना।	● छक्के छुड़ाना	परास्त करना।
● चार चाँद लगाना	शोभा बढ़ाना।	● छत्तीस का संबंध	घोर विरोध।
● चार दिन की चाँदनी	थोड़े दिन का सुख।	● छप्पर पर फूस न रह जाना	कंगाल हो जाना; अत्यंत दरिद्र/गरीब होना।
● चारपाई से लगना	बीमारी के कारण उठ न पाना।	● छप्पर फाड़कर देना	अकस्मात् कीमती वस्तु मिल जाना।
● चारों खाने चित्त करना	परास्त करना।	● छाँह न छूने देना	पास तक न आने देना।
● चिकना घड़ा	निर्लज्ज/वेशर्म व्यक्ति।	● छाती छलनी हो जाना	लगातार दुःख आते रहना।
● चिकना घड़ा होना	किसी भी बात का असर न होना।	● छाती ठोंकना	साहस दिखाना।
● चिकने घड़े पर पानी पड़ना	कुछ भी प्रभाव/असर न होना।	● छाती पर पत्थर रखना	चुपचाप दुःख सह लेना।
● चित्त पर चढ़ना	पसन्द आना।	● छाती पर मूँग दलना	निरन्तर दुःख देना; बहुत कष्ट देना।
● चित्त से उतरना	उपेक्षित होना।	● छाती पर साँप लोटना	ईर्ष्या से जलना।
● चिराग लेकर ढूँढ़ना	बहुत खोज/छानबीन करना।	● छुपे रुस्तम	देखने में साधारण पर वस्तुतः असाधारण।
● चींटी के पर निकलना	हैसियत से बढ़कर बात या काम करना; नष्ट होने के करीब होना।	● छूमंतर होना	गायब हो जाना।
● चुगली खाना/करना	किसी की पीठ पीछे बुराई/निंदा करना।	● छोटे मुँह बड़ी बात	सामर्थ्य से अधिक, बढ़-चढ़कर बोलना।
● चुल्लू भर पानी में डूब जाना	शर्म के मारे मुँह न दिखाना।	ज	
● चूँ न करना	जवाब न देना, सह जाना।		
		● जंगल में मंगल होना	निर्जन स्थान में भी आनन्द की प्राप्ति।
		● जटायु-मरण	कर्त्तव्य करते हुए मरना।
		● जवान कैंची की तरह चलाना	बढ़-चढ़कर तीखी बातें करना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● टोपी उछालना	निरादर/अनादर करना।	● डोरे डालना	प्रेमसूत्र में बद्ध करना; फुसलाना।
● टोह लेना	पता लगाना।	● डेढ़ बीत्ता कलेजा करना	अत्यधिक साहस दिखाना।
ठ		ढ	
● ठंडक मिलना	हृदय को शांति मिलना।	● ढाई दिन की बादशाहत होना	थोड़े समय के लिए पूरा अधिकार मिलना; थोड़े दिनों की शान-शौकत।
● ठंडा करना	क्रोध शांत करना।	● ढिंढोरा पीटना	सुस्पष्ट घोषणा करना; प्रचार करना।
● ठंडा पड़ना	मर जाना।	● ढील देना	आजाद छोड़ देना; कड़ाई न करना, छूट देना।
● ठन-ठन गोपाल	गरीब, कंगाल।	● ढेर करना	मारकर गिरा देना।
● ठिकाने लगाना	नष्ट कर देना; मार डालना।	● ढेर हो जाना	गिरकर मर जाना; थककर चूर हो जाना।
● ठीकरा फोड़ना	दोष लगाना।	● ढोंग रचना	किसी को मूर्ख बनाने के लिए पाखण्ड करना।
● ठेका लेना	जिम्मेदारी लेना।		
● ठेस लगना	धक्का लगना, अत्यधिक दुःख होना।		
● ठोकरें खाना	कष्ट उठाना।		
ड		त	
● डंक मारना	कटु वचन कहना।	● तख्ता उलटना	सरकार बदलना।
● डंका पीटना	घोषित या प्रचारित करना।	● तन-बदन में आग लगना	बहुत क्रोध आना।
● डंका बजना	ख्याति प्राप्त होना।	● तलवार की धार पर चलना	बहुत ही कठिन काम करना।
● डंका बजाना	जोर-जोर से सुनाना, घोषित करना।	● तलवे चाटना	खुशामद या चापलूसी करना।
● डंके की चोट पर कहना	निडर होकर खुले आम कहना।	● तार-तार होना	पूरी तरह फट जाना; सूत-सूत अलग होना।
● डकार जाना	किसी से कुछ लेकर देने की इच्छा न करना; खा जाना; पचा जाना।	● तारे गिनना	चिन्ता अथवा प्रतीक्षा में बेचैनी से रात काटना; रात को नींद न आना।
● डोंग मारना (हाँकना)	मिथ्याभिमान करना; व्यर्थ अपनी बड़ाई करना।	● तालू से जीभ न लगना	बोलते ही रहना।
● डूबती नाव को पार लगाना	संकट से छुड़ाना।	● तालू से जीभ लगना	चुप रहना।
● डूबते को तिनके का सहारा	संकट में थोड़ा-सा सहारा।	● तिल का ताड़ बनाना	किसी छोटी बात को बहुत बड़ा देना; बात को तूल देना।
● डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना	बहुमत से अलग रहना।	● तिल धरने को जगह न रहना	जरा सी भी जगह खाली न रहना; स्थान का ठसाठस भरा होना।
● डेढ़ पसली का पहलवान	दुबला-पतला झगड़ालू व्यक्ति; दुर्बल पर आत्मबली।	● तिलांजलि देना	परित्याग कर देना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● तीन-तेरह करना	तितर-बितर करना।	● दशरथ वचन	दृढ़ प्रतिज्ञा; जिन वचनों से हटा न जाए; अडिग वाणी।
● तीन-पाँच करना	टाल-मटोल करना।	● दशा फिरना	अच्छे दिन आना।
● तीन-पाँच में न रहना (पड़ना)	झगड़ा-झंझट से दूर रहना।	● दाँत काटी रोटी होना	अत्यंत घनिष्ठ मित्रता होना।
● तीन में न तेरह में	जो किसी कार्य के योग्य न हो।	● दाँत खट्टे करना	हरा देना; पराजित करना।
● तीसमार-खाँ बनना	बहुत बहादुर बनना।	● दाँत तालु में जमना	बुरे दिन आ जाना।
● तुर्की-ब-तुर्की	करारा या मुँहतोड़ जवाब देना।	● दाँत तोड़ना	परास्त करना।
● तूती बोलना	धाक जमाना; प्रभाव जमाना।	● दाँत पीसकर रह जाना	क्रोध रोक लेना।
● तू-तू में-में होना	विवाद होना।	● दाँत से कौड़ी पकड़ना	जरूरत से ज्यादा कंजूसी दिखाना।
● तेल की कचौड़ियों पर गवाही देना	सस्ते में काम करना।	● दाँतों तले अँगुली दबाना	आश्चर्यचकित होना।
● तेली का बैल होना	हर समय काम में लगे रहना।	● दाई से पेट छुपाना	जानकार से भेद छुपाना।
● तेवर चढ़ना	क्रुद्ध (गुस्सा) होना।	● दाना-पानी उठना	जगह छोड़ना।
● तैश में आना	अत्यधिक क्रुद्ध होना।	● दाल गलाना	प्रयोजन सिद्ध करना।
● तोता के समान रटना (तोता रटन्त)	बिना समझे याद करना।	● दाल न गलना	प्रयोजन सिद्ध न होना।
● तोते की तरह आँखें फेरना/बदलना	बहुत निर्दयी होना, एहसान भूल जाना, बहुत बेमुरौवत होना।	● दाल में कुछ काला होना	कुछ खटके अथवा सन्देह की बात का होना; किसी रहस्य वाली बात होना।
थ		● दाढ़ी पेट में होना	छोटी उम्र में ही बहुत ज्ञान होना।
		● दिन काटना	बहुत मुश्किल में समय काटना।
		● दिन दूनी रात चौगुनी	भरपूर उन्नति होना; खूब उन्नति।
		● दिन में तारे दिखाई देना	बुद्धि चकराने लगना।
		● दिन-रात एक करना	लगातार प्रयास करते रहना; कठोर परिश्रम करना।
● थरा जाना	डर जाना।	● दिमाग आसमान पर चढ़ना	बहुत अधिक घमण्ड होना।
● थाली का बैगन	अस्थिर चित्त का व्यक्ति।	● दिल का गुब्बार निकालना	छुपा भाव प्रकट करना।
● थूक कर चाटना	बात से मुकर जाना; वचन से फिरना।	● दिल के फफोड़े तोड़ना	कुढ़कर जली-कटी बातें कहना।
● थू-थू करना	धिक्कारना; निंदा करना।	● दिल भर आना	शोकाकुल होना।
● थोथी बातें करना	निरर्थक बातें करना।	● दिल मसोसकर रह जाना	मन में खीझकर रह जाना।
द		● दिल में करार होना	हृदय में शांति होना।
		● दिल में फफोले पड़ना	अत्यंत कष्ट होना; बहुत अधिक दुःख होना।
● दम भरना	दावा करना।		
● दमड़ी के लिए चमड़ी उधेड़ना	मामूली-सी बात के लिए भारी दंड देना।		
● दया दृष्टि रखना	कृपा बनाये रखना।		
● दलदल में फँसना	संकट (मुश्किल) में पड़ना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● दुम दबाकर भागना	डर के मारे भागना या चले जाना।	न	
● दुम बने फिरना	पिछलगू बने रहना।	● न इधर का न उधर का	कहीं का नहीं।
● दूज का चाँद होना	बहुत कम दिखाई देना; बहुत दिनों बाद दिखाई देना।	● नज़र दौड़ाना	चारों तरफ देखना।
● दूध-का-दूध और पानी-का-पानी करना	उचित निर्णय करना।	● नब्ज़ पहचानना	स्वभाव जानना; प्रवृत्ति को समझना।
● दूध का धुला होना	निर्दोष अथवा निष्कलंक होना।	● नमक-मिर्च लगाना	किसी बात को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करना।
● दूध की नदियाँ बहना	धन-धान्य से सम्पन्न होना।	● नस-नस फड़क उठना	बहुत उत्साहित होना।
● दूध के दाँत न टूटना	अनुभव न होना; अनुभवहीन या ज्ञानहीन।	● नहले पे दहला मारना	करारा जवाब देना।
● दूर की कौड़ी लाना	बहुत दूर की सोच लेना।	● नाक कटना	बदनामी होना।
● दो कौड़ी का आदमी	तुच्छ या अविश्वसनीय व्यक्ति।	● नाक का बाल	अत्यन्त प्रिय; सदा साथ रहने वाला।
● दो-टूक बात करना	स्पष्ट रूप से कहना।	● नाच नचाना	तंग करना; मनचाही करवाना।
● दो दिन का मेहमान	शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होने वाला; मरणासन्न व्यक्ति; जल्द मरने वाला व्यक्ति।	● नाक नीची होना	बदनामी होना; प्रतिष्ठा पर आँच आना।
● दो नावों पर पैर रखना	अस्पष्ट स्थिति; डाँवाडोल स्थिति।	● नाक पर मक्खी न बैठने देना	अपने पर आँच न आने देना, किसी को कुछ कहने का मौका न देना।
● दौड़-धूप करना	बड़ी कोशिश करना।	● नाक-भाँ चढ़ाना	घृणा या असंतोष प्रकट करना।
ध		● नाक में नकेल डालना	वश में करना।
● धक् से रह जाना	डर जाना।	● नाक रख लेना	प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना।
● धज्जियाँ उड़ाना	दुर्गति करना, बुरी तरह परास्त करना।	● नाक रगड़ना	गिड़गिड़ाना; खुशामद करना।
● धाक जमाना	प्रभुत्व स्थापित करना; दबदबा बनाना।	● नाको-चने चबवाना	बहुत तंग करना।
● ध्रुव होना	अटल होना।	● नानी याद आना	मुसीबत में पड़ जाना।
● धूल फाँकना	मारा-मारा फिरना।	● नाव में धूल उड़ाना	व्यर्थ बदनाम करना।
● धूल में मिल जाना	पूरी तरह से नष्ट हो जाना।	● निन्यानवे के फेर में पड़ना	धन जोड़ने का बुरा लालच।
● धूल में मिलाना	सब कुछ नष्ट कर देना।	● नौव का पत्थर होना	मूल सहारा होना।
● धोखा खाना	ठगा जाना, छल-कपट का शिकार होना।	● नीचा दिखाना	अपमानित करना।
● धोती-ढीली होना	भयभीत होना; घबरा जाना।	● नौ दो ग्यारह होना	सबसे आँख बचाकर भाग जाना; चम्पत होना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
प		● पारा चढ़ना	अत्यन्त क्रोध आना।
● पंचतत्त्व को प्राप्त करना	मृत्यु को प्राप्त करना।	● प्राण (जान) हथेली में लेना	जीवन को संकट में डालना।
● पगड़ी उछालना (पगड़ी उतारना)	प्रतिष्ठा भंग करना; बेइज्जत करना; अपमान करना।	● प्राणों की भीख माँगना	मरने से बचने के लिए अनुनय-विनय करना।
● पगड़ी बदलना	पक्की मित्रता करना।	● प्राणों पर आ बनना	संकट में पड़ना।
● पगड़ी रखना	इज्जत रखना/बचाना।	● प्राणों पर खेलना	प्राणों की बाजी लगा देना।
● पट्टी पढ़ाना	बुरी राय (सलाह) देना, भुलावे में रखना।	● पीठ में छुरा भोंकना	धोखा देना।
● पत्ता काटना	संबंध समाप्त कर देना।	● पेट काटना	अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना।
● पत्थर की लकीर	बात पक्की होना।	● पेट का पानी न पचना	गुप्त बात प्रकट कर देना; कोई बात छिपा न सकना।
● पत्थर पर कुआँ खोदना	व्यर्थ परिश्रम करना।	● पेट का हल्का	बात को अपने तक नहीं रख सकने वाला।
● पर न मारना	पहुँच न सकना/पास न फटकना	● पेट पर पट्टी बाँधना	भूखा रह जाना।
● पलक-पाँवड़े बिछाना	उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, आदरपूर्वक स्वागत करना	● पेट में चूहे कूदना	तीव्र भूख लगना।
● पलक लगना	नींद आ जाना।	● पेट में दाढ़ी होना	वचन ही में बहुत चतुर होना; कम अवस्था में ही अनुभवी और ज्ञानी होना।
● पल्ला पकड़ना	सहारा लेना।	● पेट में रखना	बात छिपाना।
● पसीना-पसीना होना	बुरी तरह थक जाना।	● पैरों तले जमीन खिसकना	हक्का-बक्का रह जाना; होश उड़ जाना।
● पहाड़ टूट पड़ना	अकस्मात् भारी विपत्ति का आना।	● पैरों पर खड़ा होना	स्वावलम्बी होना।
● पाँचों सवारों में नाम लिखाना	बड़े आदमियों की श्रेणी में आना।	● पौ बारह होना	खूब लाभ होना।
● पाँव (पैर) उखड़ना	हारकर भाग जाना।	फ	
● पाँव फूँक-फूँककर रखना	अत्यन्त सावधानी बरतना; विचारपूर्वक कार्य करना।	● फट पड़ना	एकदम गुस्से में हो जाना।
● पाँव फैलाकर सोना	निश्चिन्त होकर रहना।	● फवतियाँ कसना (उड़ाना)	हँसी उड़ाना।
● पाँचों अँगुलियाँ घी में होना (रहना)	पूरे लाभ में; लाभ ही लाभ होना।	● फावड़ा चलाना	मेहनत का काम करना।
● पानी का बुलबुला	क्षणभंगुर।	● फूँक-फूँककर पाँव रखना	अत्यंत सतर्कता के साथ काम करना; सावधानी से कार्य करना।
● पानी के मोल बिकना	अत्यन्त सस्ता बिकना।	● फूटी आँख न सुहाना	नाममात्र को भी पसन्द न करना।
● पानी न माँगना	तुरन्त मर जाना।	● फूल झड़ना	प्रिय वचन बोलना।
● पानी-पानी होना	लज्जित होना।		
● पानी पी-पीकर कोसना	उठते-बैठते गाली देना।		
● पानी फेर देना	चौपट कर देना; बिगाड़ देना।		
● पारा उतरना	क्रोध शांत होना।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
ब		भ	
● बखिया उधेड़ना	भेद खेलना।	● भंडा फूटना	रहस्य पता लगना; पोल खुलना।
● बगलें झाँकना	निरुत्तर होना; इधर-उधर भागने का यत्न करना।	● भंडा फोड़ना	रहस्य प्रकट करना; पोल खोलना।
● बच्चों का खेल	सरल काम।	● भगीरथी प्रयत्न	अथक प्रयत्न।
● बट्टा लगना	कलंक लगना।	● भाड़े का टट्टू	केवल पैसे लेकर ही काम करने वाला।
● बट्टा लगाना	कलंक लगाना, दाग लगाना।	● भीगी बिल्ली बन जाना	भयभीत हो जाना; डर जाना; सहम जाना।
● बरस पड़ना	अति क्रुद्ध होकर डाँटना।	● भीष्म प्रतिज्ञा	दृढ़ प्रतिज्ञा।
● बल्लियाँ उछालना	बहुत प्रशन्न या उत्साहित होना।	● भैंस के आगे बीन बजाना	मूर्ख से समझदारी की बातें करना; बेसमझ आदमी को उपदेश देना।
● बहती गंगा में हाथ होना	किसी ऐसी बात से लाभ उठाना, जिससे सब लोग लाभ उठा रहे हों।	म	
● बाँछें खिलना	अत्यंत प्रसन्न होना।	● मक्खी नाक पर न बैठने देना	इर्ज़त खराब न होने देना।
● बाँसों उछलना	बहुत खुश होना, खुश होकर कूदना।	● मक्खियाँ मारना	बेकार रहना।
● बात का धनी	वायदे का पक्का; प्रतिज्ञापालक।	● मज्जा किरकिरा होना	आनंद में विघ्न पड़ना।
● बात का बतंगड़ बनाना	साधारण विषय अथवा छोटे से मामले को व्यर्थ तूल देना।	● मन के लड़्डू	व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न होना।
● बायें हाथ का खेल	बहुत ही सरल काम।	● मन मैला करना	चित्त में दुर्भाव पैदा करना।
● बाल की खाल निकालना (उतारना)	छोटी से छोटी बातों पर तर्क करना; व्यर्थ में आलोचना करना।	● मन मैला होना	खिन्न होना, दुःखी होना।
● बाल बाँका न होना	बिलकुल हानि न होना; कोई कष्ट न पहुँचना।	● माथा ठनकना	किसी अनिष्ट की आशंका होना; संशय होना।
● बालू से तेल निकालना	असम्भव कार्य करके दिखाना।	● माथे पर बल पड़ना	परेशान होना।
● बिल्ली के गले में घण्टी बाँधना	अपने को संकट में डालना।	● मिट्टी के माधो	बकलोल; मूर्ख; भोंदू; बुद्ध।
● बीड़ा उठाना	दृढ़ संकल्प करना; उत्तरदायित्व	● मिट्टी के मोल बिकना	अत्यन्त सस्ता बिकना।
● बूँद-बूँद से घड़ा भरना	थोड़ा-थोड़ा करके बहुत इकट्ठा करना।	● मिट्टी पलीद करना	दुर्दशा करना।
● बेपेंदी का लोटा	जो स्थिर न हो; अनिश्चयात्मक प्रवृत्तिवाला; दुलमुल।	● मीठी छुरी चलाना	धोखा देकर हानि पहुँचाना; विश्वासघात करना।
● बेसिर पैर की बात करना	व्यर्थ की बातें करना।	● मीन मेख निकालना	दूसरों के काम में दोष ढूँढ़ना, नुक्ताचीनी करना।
		● मुँह उतरना	उदास हो जाना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● मुँह का निवाला छीनना	किसी की रोजी-रोटी छीनना।	● मोहर लगा देना	पुष्टि कर देना।
● मुँह की खाना	बुरी तरह हारना।	य	जीवन का अन्तिम क्षण; मृत्यु के निकट आना।
● मुँह की बात छीनना	एक व्यक्ति जो बात कहना चाहता हो, उससे पहले ही उसे बोल देना।		
● मुँह छिपाना	लज्जित होना।	● यमराज का बुलावा आना	अत्यन्त प्राचीनकाल से।
● मुँह-तोड़ जवाब देना	अकाट्य उत्तर देना।	● युग-युगान्तर से	अत्यन्त सत्यप्रिय होना।
● मुँह पकड़ना	बोलने न देना; बोलने से रोकना।	र	धाक जमना।
● मुँह पर कालिख लगाना	कलंक लगाना।		
● मुँह पर ताला लगना	जबान बन्द करना; चुप्पी साध लेना।	● रंग जमना	हालात में परिवर्तन आना, नाराज होना।
● मुँह पर थूकना	अपमानित करना।	● रंग बदलना	आनन्द में विघ्न पड़ना।
● मुँह फेर लेना	बेखुशी दिखाना; रुष्ट होना।	● रंग में भंग होना	छद्मवेशी व्यक्ति; कपटी; धोखेबाज होना।
● मुँह फुलाना	अप्रसन्नता प्रकट करना।	● रंगा सियार	अपराध करते हुए पकड़ना।
● मुँह फैलाना	और अधिक माँग करना।	● रंग चक्कर होना	भाग जाना।
● मुँह बनाना	खीझ प्रकट करना।	● राई का पहाड़ बनाना	थोड़ी-सी बात को बहुत अधिक बढ़ा देना; जरा-सी बात का बतंगड़ बनाना।
● मुँह में खून लगना	बुरी आदत पड़ जाना, बुरा काम करना।	● राम-कहानी	आप-बीती।
● मुँह में घी-शक्कर	मुराद पूरी होने की कामना करना।	● रावण होना	बहुत अत्याचारी होना।
● मुँह में पानी भर आना	कोई पदार्थ पाने के लिए ललचाना; लालच आना।	● रास्ता देखना	इंतजार करना; प्रतीक्षा करना।
● मुँह मोड़ना	परित्याग करना।	● रास्ता नापना	चले जाना।
● मुँह लटकना	उदास होना।	● रास्ते पर लाना	सुधार करना।
● मुँह नीची होना	घमण्ड टूट जाना, बेइज्जती होना।	● राहु-ग्रहण	भीषण संकट आना।
● मुँहों पर ताव देना	अभिमान से मुँहें ऐँठना।	● रुस्तम होना	अत्यधिक शक्तिशाली होना।
● मुट्ठी गरम करना	रिश्वत देना; धूस देना।	● रो-धो कर दिन काटना	जैसे-तैसे जीवन बिताना।
● मुट्ठी गरम होना	धन की प्राप्ति।	● रोयें (रोंगटे) खड़ा होना	हर्ष अथवा भय से रोमांचित होना।
● मुट्ठी में करना	वश में करना।		
● मुहर लगाना	पुष्टि या प्रामाणिक होना, पक्का होना।		
● मुहर लगाना	पुष्टि या प्रामाणिक करना।		
● मैदान मारना	बाजी या लड़ाई जीतना।		
● मोटा आसामी	मालदार।		

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
ल		स	
● लँगोट कसना	लड़ने के लिए तैयार रहना।	● शीशे में मुँह देखना	अपनी योग्यता-अयोग्यता को पहचानना।
● लँगोट का सच्चा होना	ब्रह्मचारी होना।	स	
● लँगोटी में फाग खेलना	दखिता में आनंद लूटना।	● संसार से उठना	मृत्यु को प्राप्त कर जाना।
● लँगोटिया यार	घनिष्ठ मित्र।	● सठिया जाना	बुद्धि भ्रष्ट हो जाना।
● लंबा हाथ मारना	बहुत बड़ी सफलता अथवा उपलब्धि प्राप्त करना।	● सती-सावित्री	पतिव्रता।
● लकीर का फकीर होना	पुराने रीति-रिवाजों का अनुसरण करना।	● सफेद झूठ	सरासर झूठ, बिलकुल झूठ।
● लल्लो-चम्पो करना	चिकनी-चुपड़ी बातें करना।	● समझ पर पत्थर पड़ना	बुद्धि भ्रष्ट होना।
● ललाट पर लिखा होना	भाग्य में होना।	● समुद्र मंथन	दुष्कर कार्य।
● लहू के घूँट पीना	प्रचण्ड क्रोध करके रह जाना।	● सवा सोलह आने सही	पूरे तौर पर ठीक।
● लाख का घर राख होना	धनी का निर्धन हो जाना।	● सड़क नापना	बेकार घूमना।
● लाल-पीला होना	आग-बबूला होना; बहुत गुस्सा करना।	● साँचे में ढला होना	रूपवान होना।
● लाले पड़ना	अत्यधिक अभाव से ग्रस्त हो जाना।	● साँप को दूध पिलाना	दुष्ट के साथ उपकार करना।
● लिफाफा खुल जाना	भेद खुल जाना।	● साँप छछून्दर की गति होना	भारी असमंजस की दशा में होना; बड़ी दुविधा में पड़ना।
● लुटिया डुबोना	सारा काम बर्बाद कर देना।	● साँप सूँघ जाना	एकदम गुपचुप हो जाना, निर्जीव-सा हो जाना।
● लेने के देने पड़ना	लाभ के स्थान पर हानि होना।	● सात-घाट का पानी पीना	कई क्षेत्रों का अनुभव होना; विस्तृत अनुभव होना।
● लोहा मानना	श्रेष्ठता स्वीकार करना।	● साढ़े-साती लगना	घोर संकट का समय आना।
● लोहा लेना	युद्ध करना; लड़ाई करना।	● सिक्का जमना	प्रभाव जमना।
● लोहे के चने चबवाना	बुरी तरह पराजित करना।	● सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाना	होश उड़ जाना।
● लोहे के चने चबाना	अत्यन्त कठिन काम करना।	● सिर उठाना	विरोध करना।
व		● सिर गँजा करना	बुरी तरह पीटना।
● विष उगलना	कटु वचन कहना; कड़वी बातें कहना।	● सिर धुनना	पछताना; पश्चाताप करना।
● विष के घूँट पीना	अपमान बर्दाश्त करना; कटु वचन सहन कर लेना।	● सिर पर कफन बाँधना	बलिदान देने के लिए तैयार होना।
श		● सिर पर खून सवार होना	मरने-मारने पर उतारू होना।
● शहद की छुरी होना	ऊपर से मधुर और भीतर से कटु होना।	● सिर पर पाँव रखकर भागना	तुरंत भाग जाना।
		● सिर पर भूत सवार होना	धुन लग जाना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● सिर पर सवार रहना	पीछे पड़ना।	● हवा बाँधना	लम्बी-चौड़ी बातें करना; गप्प हाँकना; डोंग मारना।
● सिर माथे लेना	आदरपूर्वक स्वीकार करना।	● हवा में किले बनाना	काल्पनिक योजनाएँ बनाना; बड़ी-बड़ी कल्पना करना।
● सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना	आरम्भ में ही काम का बिगड़ना; काम शुरू होते ही बाधा आना।	● हवा लगना	प्रभाव पड़ना।
● सीधी अँगुली से घी नहीं निकलता	नरमी से काम नहीं होना।	● हवा से बातें करना	बहुत तेज दौड़ना।
● सीधे मुँह बात न करना	शिष्टता से बात न करना; धमंड करना।	● हवा हो जाना	भाग जाना; चंपत हो जाना।
● सुई की नोक के बराबर	जरा-सी; तिल मात्र भी।	● हाथ उठाना	मारने को तत्पर होना।
● सुध न रहना	स्मरण न रहना; किसी पर ध्यान न दे पाना।	● हाथ को हाथ न सूझना	बहुत अँधेरा होना।
● सुध-बुध खोना	होश ठिकाने न रहना, अचेत होना।	● हाथ खाली होना	रुपये-पैसे न होना।
● सुबह-शाम करना	टालमटोल करना।	● हाथ डालना	शुरू करना।
● सूखकर काँटा होना	अत्यधिक कमजोर (दुर्बल) हो जाना।	● हाथ धोकर पीछे पड़ना	बेवजह परेशान करना।
● सूरज को दीपक दिखाना	प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना।	● हाथ पतला होना	दयनीय दशा होना।
● सेमल का फूल होना	आकर्षक किन्तु धोखे की चीज होना।	● हाथ पर मुक्का मारना	व्यर्थ कोशिश करना।
● सोने का मृग	घोर छलावा।	● हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना	खाली बैठे रहना; कुछ काम-धन्धा न करना।
ह		● हाथ पसारना (फैलाना)	माँगना।
		● हाथ-पाँव फूलना	भयभीत हो जाना; डर से घबरा जाना।
● हँसी उड़ाना	उपहास करना।	● हाथ-पाँव मारना	प्रयत्न (कोशिश) करना, बहुत परिश्रम करना।
● हँसी खेल समझना	साधारण काम समझना।	● हाथ पीले करना	लड़की का विवाह करना।
● हथियार डाल देना	हार मान लेना; आत्मसमर्पण कर देना।	● हाथ मलना	पश्चाताप करना; पछताना।
● हथेली खुजलाना	धन प्राप्त होने की आशा करना।	● हाथ मारना	छीन लेना।
● हथेली पर जान लिए फिरना	मरने की परवाह न करना।	● हाथ लगना	प्राप्त होना।
● हथेली पर सरसों उगाना	अनोखा (असंभव) कार्य करना।	● हाथ साफ करना	बेईमानी से लेना।
● हवाई छूटना	रंग उड़ जाना।	● हीरे की कनी चाटना	प्राणघातक काम करना, आत्महत्या करना।
● हवाई महल बनाना	मात्र कल्पना करते रहना।	● हुक्का पानी बन्द करना	चिरादरी से अलग करना।
● हवा के घोड़े पर सवार होना	बहुत जल्दी में होना।	● होश संभालना	सयाना होना।
		● हाथों के तोते उड़ना	स्तब्ध होना, होश उड़ना।

मुहावरा	अर्थ	मुहावरा	अर्थ
● हुलिया बिगाड़ देना	दुर्गति करना।	● नारद होना	अवरुद्ध गतिवाला होना; इधर-उधर भिड़ाने वाला।
● हृदय के कपाट खुलना	सद्बुद्धि का जाग्रत होना; ज्ञानवान होना।	● परशुराम का रूप धारण करना	रौद्र रूप धारण करना।
● हृदय विदीर्ण हो जाना	अत्यंत दुःख होना।	● प्रताप-प्रतिज्ञा	दृढ़ प्रतिज्ञा।
क्षत्रज्ञाश्र		● प्रह्लाद-भक्ति	अनन्य भक्ति।
		● भरत का त्याग	अप्रतिम त्याग।
● त्रिशंकु होना	अधर में लटकना	● भागीरथ परिश्रम	अथक प्रयास।
● श्री गणेश करना	शुभारम्भ करना	● भीम होना	महान शक्तिशाली होना।
आख्यानों से सम्बन्धित मुहावरे		● भीष्म प्रतिज्ञा	अटल प्रतिज्ञा।
		● मारीच होना	मायावी होना।
● अंगद का पैर होना	अत्यन्त दृढ़ होना।	● मेनका होना	अत्यधिक सुन्दर होना।
● अगस्त्य का समुद्र पान	असम्भव/दुष्कर कार्य करना।	● युधिष्ठिर होना	अत्यंत सत्यप्रिय होना।
● अभिमन्यु-मरण	धोखा देकर हत्या करना।	● राम-कहानी	आप-बीती।
● उर्वशी होना	अतीव सुन्दर होना।	● रामराज होना	धन-धान्य से सम्पन्न होना।
● एकलव्य की गुरुभक्ति	अप्रतिम शिष्य।	● रावण होना	प्रकाण्ड ज्ञानी होना।
● कर्णदानी	महान् दानशील।	● राहु-ग्रहण	महान् संकट आना।
● गीता का ज्ञान	सम्पूर्ण ज्ञान।	● रुस्तम होना	अतीव शक्तिशाली होना।
● गोवर्धन धारण करना	जनकल्याण के लिए आपदा का सामना करना।	● लक्ष्मण की भ्रातृ-भक्ति	निःस्वार्थ भ्रातृसेवा।
● जटायु-मरण	कर्तव्य करते हुए मृत्यु वरण।	● विभीषण होना	भ्रातृद्रोही होना।
● दशरथ-वचन	अडिग वाणी।	● वेद-वाक्य	प्रामाणिक तथ्य।
● धर्मराज होना	सत्यभाषी होना।	● समुद्र मंथन	दुष्कर कार्य।
● ध्रुव-प्रतिज्ञा	हठपूर्ण निश्चय।	● सीता-सावित्री	अनन्य पतिव्रता।
● ध्रुव होना	अटल भाव से डँटे रहना।	● सोने का मृग	घोर छलावा।
● नारदभक्ति	पूर्ण भक्ति; श्रेष्ठ भक्ति।	● हनुमान की भौत सेवक	अनन्य समर्पित सेवक।
		● श्रीगणेश करना	शुभारम्भ करना।

-----▲▲▲▲▲-----

खण्ड - 7

34. पर्यायवाची
35. विलोम शब्द
36. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द
37. समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म)
38. अनेकार्थक शब्द
39. संख्यावाची गूढ़ अर्थ वाले शब्द

नोट्स (Notes)

पर्यायवाची

परिभाषा- समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्याय का अर्थ है समान और पर्यायवाची शब्द से आशय है समान अर्थ वाले शब्द। इस तरह हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।

किसी भी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की अधिकता रहती है। भाषा जितनी ज्यादा सम्पन्न होगी उसमें अन्य भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। वस्तुतः प्रत्येक सजीव और उन्नतशील भाषा अन्य भाषाओं के प्रभावों को आसानी से ग्रहण कर लेती है, इस तरह उसके शब्द भंडार और पर्यायों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है।

हिन्दी में संस्कृत शब्द (जैसे- आँख का पर्याय सं. चक्षु, नयन, नेत्र। हाथ का पर्याय सं. कर, हस्त), अरबी-फारसी शब्द (जैसे- आकाश का पर्याय आसमान, आयु का उम्र, पीड़ा का दर्द, सहायता का मदद) अथवा अंग्रेजी शब्द (जैसे- अध्यक्ष या सभापति का पर्याय प्रेसिडेंट या चेयरमैन, निबंध का एसे, चपरासी का अरदली और अधिकारी का अफसर) साथ-साथ चल रहे हैं। संस्कृत अपने-आप में इतनी समृद्ध भाषा है कि पर्यायों की सबसे अधिक प्रचुरता इसी में है।

हिन्दी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं जिन्हें हिन्दी भाषा ने ज्यों का त्यों ग्रहण किया है।

यहाँ यह बात भी स्मरण रखने की है कि इन शब्दों के अर्थ में समानता होते हुए भी इसके प्रयोग एक तरह से नहीं होते अर्थात् पर्यायवाची शब्द बिल्कुल रूढ़ अर्थ में नहीं होते। पंकज और इंदीवर पर्यायवाची शब्द हैं किन्तु दोनों के प्रयोग अलग-अलग संदर्भों में होते हैं। जैसे- वह इस गंदी राजनीति में भी पंकज (कीचड़ से उत्पन्न होने वाला) की तरह अलग (ईमानदार) है। कृष्ण का शरीर इंदीवर (नीले रंग का कमल) की तरह खिल रहा है।

अ

- अंग- कलेवर, काया, गात, तन, देह, बदन, वपु, शरीर
- अँगूठी- अंगुलिका, छल्ला, छाप, मुँदरी, मुद्रा, मुद्रिका, रिंग
- अंधकार- अंधियारा, अंधेरा, तम, तमस, तिमिर, ध्वांत
- अंधा- अंध, चक्षुहीन, दृष्टिहीन, नेत्रहीन, प्रज्ञाचक्षु, सूरदास
- अंश- खण्ड, टुकड़ा, भाग, हिस्सा

- अग्नि- अनल, आग, आगी, आतिश, कृशानु, जातवेद, ज्वल, ज्वाला, दहन, दावाग्नि, पावक, बड़वानल, वहि, वैश्वानर, हुताशन
- अचेत- चेतनाहीन, बेखबर, बेहोश, मूर्च्छित, संज्ञाहीन
- अर्जुन- कपिध्वज, कौन्तेय, गांडीवधर, गांडीवधारी, गुडाकेश, धनुर्धर, पार्थ, वृहन्नला, सव्यसाची
- अतिथि- अभ्यागत, गृहागत, पाहुना, मेहमान
- अर्थ- आशय, तात्पर्य, मतलब, मायने
- अधिकार- आधिपत्य, प्रभुत्व, स्वत्व, स्वामित्व, हक
- अध्यापक- आचार्य, उस्ताद, गुरु, टीचर, प्रोफेसर, मास्टर, शिक्षक
- अनाज- अन्न, गल्ला, दाना, धान्य, शस्य
- अनार- दाड़िम, रक्तबीज, रामबीज, शुकप्रिय
- अनेक- एकाधिक, कई, नाना, बहुसंख्य, बेशुमार
- अन्वेषण- अनुसंधान, खोज, गवेषणा, छानबीन, जाँच, तलाश, पड़ताल, शोध
- अपमान- अनादर, अवमान, तिरस्कार, तौहीन, निरादर, बेइज्जती
- अपराध- कुसूर, जुर्म, दोष
- अपार- अनन्त, असीम, बेशुमार, बेहद
- अप्सरा- दिव्यनारी, दिव्यांगना, देवबाला, देववधू, देवांगना, परी, सुरनारी, सुरबाला, सुरसुन्दरी, स्वर्गवधू, हूर
- अभिप्राय- अर्थ, आशय, तात्पर्य, मंशा, मतलब
- अमृत- अमिय, अमी, देवभोज्य, देवाहार, पीयूष, सुधा, सोम, शशिरस
- असुर- तमीचर, दनुज, दानव, देवरिपु, देवारि, दैत्य, निशाचर, निशचर, रजनीचर, राक्षस, सुररिपु
- अज्ञानी- अनभिज्ञ, अज्ञ, पागल, मूर्ख, मूढ़

आ

- आँख- अक्ष, अक्षि, चख, चक्षु, दीदा, दृग्, नयन, नेत्र, नैन, लोचन, विलोचन
- आँवला- अम्लवाटक, आमलक, आमलकी, आमला
- आँसू- अश्क, अश्रु, नयनजल, नयननीर, नेत्रनीर, नेत्रवारि, नेत्रांबु
- आकाश- अन्तरिक्ष, अनन्त, अभ्र, अम्बर, आसमान, गगन, द्यौ, नभ, नभमंडल, व्योम, शून्य
- आकाशगंगा- नभगंगा, नभोनदी, मन्दाकिनी, सुरनदी, स्वर्णनदी
- आख्यान- इतिवृत्त, कथा, कहानी, क्रिस्सा, वृत्तान्त
- आडम्बर- ढकोसला, ढोंग, दिखावा, पाखंड, प्रपंच, स्वाँग
- आदरणीय- पूजनीय, पूज्य, माननीय, मान्यवर, समादरणीय सम्मान्य, श्रद्धेय
- आदर्श- नमूना, प्रतिमान, प्रतिरूप, मानक
- आनन्द- आमोद, आह्लाद, उल्लास, खुशी, प्रमोद, प्रसन्नता, मंजा, मोद, सुख, हर्ष
- आम- अंब, अतिसौरभ, अमृतफल, अम्र, आम्र, पिकंबंधु, फलश्रेष्ठ, मधुदूत, रसाल, सहकार
- आयुष्मान- चिरंजीव, चिरायु, दीर्घजीवी, दीर्घायु, शतायु
- आरंभ- अथ, आगाज, आदि, प्रारंभ, विसमिल्ला, शिलान्यास, शुभारंभ, शुरुआत, शुरू, समारंभ, सूत्रपात, श्रौंगणेश
- आहार- खाद्य, खाना, खुराक, भोजन, भोज्यपदार्थ
- आक्षेप- अभियोग, आरोप, इल्जाम, दोषारोपण
- आश्रम- कुटी, मठ, मुनिवास, विहार, संघ, संघाराम, ऋषिकुल, ऋषिवास

इ

- इंद्र- अमरपति, देवपति, देवराज, देवेन्द्र, देवेश, पुरन्दर, मधवा, महेन्द्र, मेघपति, मेघराज, वज्रधर, शक्र, शचीपति, सुरपति, सुरेन्द्र, सुरेश
- इंद्रपुरी- अमरावती, इन्द्रलोक, देवलोक, सुरपुर
- इन्द्राणी- इन्द्रवधू, पुलोमजा, पौलोमी, माहेंद्री, शची, शतावरी

- इच्छा- अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, खाहिश, चाह, मनोरथ, लालसा, वांछा, हसरत
- इतर- अन्य, और, दूसरा, भिन्न
- इशारा- इंगित निर्देश, संकेत

ई

- ईश्वर- अज, अल्लाह, आदिपुरुष, ईश, करुणानिधि, खुदा, जगदीश, जगन्नाथ, त्रिलोकीनाथ, दीनबंधु, दीनानाथ, निरंजन, परमपिता, परमहंस, परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, भगवान, महाप्रभु, रब, विश्वंभर, विश्वनाथ, सच्चिदानंद, सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, स्वामी, साई
- ईर्ष्या- कुढ़न, खार, जलन, डाह, द्वेष, मत्सर, रश्क

उ

- उग्र- उद्दंड, घोर, तूफानी, तेज, प्रचंड, प्रबल
- उजाड़- खण्डहर, निर्जन, बरबाद, बियाबान, वीरान, सुनसान
- उत्तम- अद्वितीय, अनुपम, उत्कृष्ट, प्रकृष्ट, प्रवर, बढ़िया, श्रेष्ठ
- उत्पत्ति- आविर्भाव, उद्गम, उद्भव, जन्म, पैदाइश, व्युत्पत्ति
- उत्सव- जलसा, जशन, त्यौहार, पर्व, मंगलकार्य, समारोह
- उत्साह- उबाल, उमंग, जोश, साहस, हौसला
- उन्नति- अभ्युदय, उत्थान, तरक्की, प्रगति, बढ़ती, विकास, समृद्धि
- उपमा- तुलना, मिलान, समानता, सादृश्य
- उपयुक्त- उचित, ठीक, मुनासिब, वांछनीय, वाजिब
- उपहार- तोहफा, नजराना, भेंट, सौगात
- उपहास- खिल्ली, परिहास, मखौल, मजाक, हँसी
- उपासना- अर्चना, आराधना, इबादत, पूजा, प्रार्थना, सेवा
- उलाहना- उपालंभ, गिला-शिकवा, शिकायत
- उल्लू- उलूक, कौशिक, खूसट, घुघू, लक्ष्मीवाहन

ऊ

- ऊँचा- उच्च, उत्तुंग, उन्नत, ऊर्ध्व, ऊपर, गगनचुम्बी, तुंग, बुलंद

० ऊँट- उष्ट्र, करभ, महाग्रीव, लम्बोष्ठ, शूतुर, सौँड़िया

० ऊर्जा- ओज, बल, ताकत, शक्ति

० ऊधम- उत्पाद, उपद्रव, धमाचौकड़ी, हुल्लड़, हंगामा

० ऊर्मि- तरंग, धारा, प्रवाह, बहाव, लहर, वीचि, हिलोर

० ऊष्मा- उष्णता, गरमी, तपन, ताप, ताव

ऋ

० ऋण- उधार, कर्ज, कर्जा, देय, लोन

० ऋद्धि- बढ़ती, बढ़ोत्तरी, वृद्धि, संपन्नता, समृद्धि

० ऋषि- तपसी, तापस, ब्रह्मर्षि, मंत्रद्रष्टा, मनीषी, महात्मा, मुनि, योगी, राजर्षि, साधु, सूक्तकार

ए

० एकांत- निर्जन, निभृत, विजन, शून्य, सुनसान, सूना

० एकाएक- अकस्मात्, अचानक, एकदम, यकायक, सहसा

० एकीकरण- एकत्रीकरण, जोड़, मिलान, विलय, विलयन, समाकलन, समामेलन

ऐ

० ऐंठन- अकड़न, उमेठन, घुमाव, तनाव, बल, मरोड़, लपेटन

० ऐब- अवगुण, कमी, कलंक, खराबी, खामी, खोट, दोष, बुराई, त्रुटि

० ऐयार- कपटी, चालाक, छली, धूर्त, मक्कार

० ऐश्वर्य- धनसंपत्ति, वैभव, समृद्धि, सम्पन्नता

ओ

० ओंठ- अधर, ओठ, ओष्ठ, दन्तच्छद, रदच्छद, होंठ, होंठ

० ओछा- अधम, कमीना, घटिया, छिछोरा, टुच्चा, हलका, क्षुद्र

० ओज- कान्ति, जोर, ताकत, तेज, दम, पराक्रम, बल

० ओझल- अंतर्धान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त

औ

० औषधि- ओषधि, औषध, जड़ी-बूटी, दवा, भेषज

० औषधालय- अस्पताल, चिकित्सालय, चिकित्सालय, दवाखाना, वैद्यगृह

क

० कछुआ- कच्छप, कछुवा, कमठ, कूर्म

० कटाक्ष- आक्षेप, छोटकशी, तंज, ताना, व्यंग्य

० कटु- कड़वा, कड़ुआ, चरपरा, तल्लू, तीखा, तीक्ष्ण, तेज

० कण- अणु, कन, कनी, परमाणु, रवा

० कर्ण- अंगराज, राधेय, सूतपुत्र, सूर्यपुत्र

० कथन- कथनी, बयान, मत, वक्तव्य, विचार

० कन्या- किशोरी, कुमारिका, कुमारी, बाला, बालिका

० कपड़ा- अम्बर, चीर, पट, पहनावा, पोशाक, वसन, वस्त्र

० कपाट- किवाड़, दरवाजा, द्वार, पट, पल्ला

० कबूतर- कपोत, परेवा, पारावत, रक्तलोचन

० कमल- अंबुज, अब्ज, अरविन्द, इन्दीवर, उत्पल, कंज, कैवल, जलज, जलजात, नलिन, नीरज, पंकज, पद्म, पाथोज, पुण्डरीक, राजीव, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरोज

० कर- टैक्स, टोल, महसूल, शुल्क

० कली- अँखुवा, कलिका, कोरक, गुंजा, डोंडी, पंखुड़ी, मुकुल

० कलेवा- अल्पाहार, उपाहार, कलेऊ, चायपानी, जलपान, नाश्ता

० कल्पवृक्ष- कल्पतरु, कल्पद्रुम, कामतरु, देवतरु, देववृक्ष, पारिजात, मंदार, सुरतरु, हरिचन्दन

० कल्याण- भलाई, मंगल, शुभ, हित

० काँटा- कंटक, खार, शूल

० कार्तिकेय- अंबिकेय, कुमार, पार्वतीनंदन, षडानन, षण्मुख, स्कन्द

० कामदेव- अदेह, अनंग, कन्दर्प, काम, पंचशर, पुष्पकेतु, पुष्पचाप, पुष्पधनु, पुष्पधन्वा, पुष्पबाण, पुष्पशर, मकरध्वज, मदन, मनसिज, मनोज, मन्मथ, मार, रतिकांत, रतिनाथ, रतिनायक, रतिपति, रतिप्रिय, रतिरमण, स्मर

० कारागार- कारावास, कैदखाना, जेल, बंदीघर, बंदीगृह, हवालात

० किरण- अंशु, कर, मरीचि, मयूख, रश्मि

० किंवदंती- अफवाह, उड़ती खबर, जनश्रुति, रिवायत, लोककथन, लोकश्रुति, लोकापवाद

० कुत्ता- कुक्कुर, कूकुर, श्वान, सारमेय

- कुबेर- किन्नरेश, धनदेव, धनदेवता, धननाथ, धनपाल, धनेश, धनेश्वर, यक्षराज, वित्तनाथ
- कृपा- अनुकम्पा, अनुग्रह, करुणा, दया, मेहरबानी, रहमत
- कृष्ण- कन्हैया, कान्हा, केशव, गोपाल, गोपीनाथ, गोविन्द, गिरिधर, घनश्याम, द्वारिकाधीश, नन्दनन्दन, नन्दलाल, पीताम्बर, बनमाली, बनवारी, माधव, मुरलीधर, मुरारी, मोहन, वंशीधर, वासुदेव, श्याम
- कोयल- कलकंठ, कलघोष, कोकिल, कोकिला, पिक, मदनशलाका, वसन्तदूत, श्यामा
- कौआ- एकाक्ष, काक, काग, कौवा, पिशुन, वायस

ख

- खरगोश- खरहा, शशक, शशा
- खल- अधम, दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, नीच, शठ
- खाल- चमड़ा, चमड़ी, चर्म, त्वचा

ग

- गंगा- अलकनंदा, जाह्नवी, देवनादी, देवापगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरसरि, सुरसरिता, स्वर्गापगा, त्रिपथगा
- गणेश- अंबिकेय, एकदंत, गजानन, गणपति, गौरीसुत, विनायक, विघ्ननाशक, विघ्नेश, भवानीनंदन, मोदकप्रिय, लम्बोदर, वक्रतुंड, सिद्धिविनायक
- गधा- खर, खोता, गदहा, गर्दभ, वैशाखनंदन, रासभ
- गरीब- अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन
- गरुड़- खगराज, खगेन्द्र, खगेश, नागांतक, पन्नगारि, पक्षिराज, विष्णुवाहन, वैनतेय, सर्पारि, हरियान, हरिवाहन
- गला- गरदन, गर्दन, ग्रीवा
- गाँव- ग्राम, टोला, बस्ती, पुरवा, देहात
- गाय- गइया, गऊ, गैया, गौ, गौरी, दोग्धी, धेनु, पयस्विनी, भद्रा, सुरभि
- गीदड़- जंबुक, सियार, शृगाल
- गुफा- कन्दरा, खोह, गुहा, बिबर

- गृह- आवास, घर, धाम, निकेतन, निलय, निवास, भवन, मकान, सदन

घ

- घड़ा- कलश, कुम्भ, गगरा, घट
- घेरा- चक्कर, चक्र, दायरा, मण्डल, वलय, वृत्त
- घोड़ा- अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी, सैंधव, हय

च

- चंदन- गंधराज, गंधसार, मलयज, संदल, सर्पावास, श्रीखंड
- चंद्रमा- अंशुमालि, इन्दु, कलानिधि, चंदा, चन्द्र, चाँद, तारकेश, तारकेश्वर, तारानाथ, तारापति, निशाकर, निशानाथ, मयंक, रजनीश, राकापति, राकेश, विधु, विभाकर, शशांक, शशि, सुधाकर, हिमकर, हिमांशु
- चमक- आभा, कान्ति, जगमगाहट, दीप्ति, द्युति, प्रकाश
- चरण- पग, पद, पाँव, पाद, पैर
- चाँदनी- अंजोरिया, कौमुदी, चंद्रप्रभा, चन्द्रिका, जुन्हाई, ज्योत्स्ना
- चोटी- तुंग, परकोटि, शिखर, शिरोबिन्दु, शृंग
- चोर- उचक्का, उठाईगीर, खनक, चोट्टा, चोरकट, डकैत, डाकू, तस्कर, दस्यु, लुटेरा

छ

- छाती- उर, वक्ष, वक्षस्थल, सीना
- छानबीन- जाँच, जांच-पड़ताल, तफ़्तीश, तहक़ीक़ात, पूछताछ
- छाया- छाँव, छाँह, परछाई, प्रतिबिम्ब, साया
- छिद्र- छेद, रन्ध्र, सुराख
- छुट्टी- अवकाश, फुर्सत, रुख़सत, विराम, विश्राम
- छूट- कटौती, ढील, बट्टा, मुंरव्वत, रियायत, सहूलियत, सुविधा

ज

- जंगल- अटवी, अरण्य, कांतार, कानन, बियाबान, वन, विपिन

- जल- अंबु, अंभ, आव, उदक, जीवन, तोय, नीर, पय, पानी, वारि, सलिल
- जड़- अचर, अचल, अचेतन, गतिहीन, निर्जीव, प्राणरहित, स्थावर
- जामूस- गुप्तचर, चर, भेदिया
- जीभ- जवान, जिह्वा, रसना, रसज्ञा
- जीव- चेतन, जीवधारी, देहधारी, देही, प्राणधारी, प्राणी, शरीरधारी

झ

- झंडा- केतन, केतु, ध्वज, ध्वजा, निशान, पताका, परचम
- झरना- जलप्रपात, निर्झर, प्रपात, सोता
- झूठ- अतथ्य, अनृत, अयथार्थ, असत, असत्य, गलत, मिथ्या, वितथ्य
- झोपड़ी- कुटिया, कुटी, छानी, झुग्गी, पर्णकुटी

ट

- टीका- कुंजी, भाषांतरण, भाष्य, व्याख्या, विवृति, विवेचना, विवेचन, वृत्ति
- टोली- गिरोह, गुट, जत्था, जमात, झुण्ड, टीम, टुकड़ी, दल, मण्डली, समूह

ठ

- ठंड- जाड़ा, शीत, सर्दी
- ठेका- अनुबंध, इजारा, ठीका, करार, संविदा

ड

- डर- आतंक, खौफ, दहशत, भय, भीति, त्रास
- डरावना- खौफनाक, दहशतनाक, भयंकर, भयकारी, भयप्रद, भयानक, भयावह, भीषण, रौद्र
- डाकू- डकैत, दस्यु, बटमार, लुटेरा

ढ

- ढंग- तरीका, पद्धति, प्रणाली, रीति, विधि, नियम

त

- तंतु- डोरी, तागा, धागा, रस्सी, सूत
- तंबू- खेमा, टेंट, डेरा, शामियाना, शिविर
- तंबूरा- इकतारा, एकतारा, तमूरा, तानपूरा
- तपस्या- तप, तपश्चर्या, योगसाधन, साधना
- तरंग- उल्लोल, ऊर्मि, लहर, वीचि, हिलोर
- तरुण- जवान, नवजवान, नवयुवक, युवक, युवा
- तरुणी- नवयुवती, प्रमदा, रमणी
- तलवार- असि, करवाल, कृपाण, खंग, खंजर, खड्ग, तेग, शमशीर
- तारा- तारक, तारिका, नखत, नक्षत्र, सितारा
- तालाब- जलाशय, तड़ाग, ताल, पद्माकर, पुष्कर, पोखर, मानस, सर, सरसी, सरोवर
- तिरस्कार- अपमान, अवमानना, उपेक्षा, निरादर, बेइज्जती
- तुरंत- जल्द, जल्दी, झटपट, तत्काल, तुरत, त्वरित, फटाफट, क्षिप्र
- तूफान- अंधड़, आँधी झंझा, झंझावात, प्रभंजन
- तोता- कीर, मियाँमिट्टू, शुक्र, सुआ, सुग्गा, सुवा
- त्यौहार- उत्सव, धर्मोत्सव, पर्व, समारोह

थ

- थोथा- खाली, खोखला, छूछा, पोला, रिक्त, सारहीन
- थोड़ा- अत्यल्प, अल्प, कम, किंचित्, जरा, तनिक, न्यून

द

- दंग- अवाक्, आश्चर्यचकित, चकित, विस्मित, स्तब्ध, हक्का-बक्का, हतप्रभ, हैरान
- दंगा- उत्पात, उपद्रव, ऊधम, झगड़ा, फसाद
- दया- अनुकंपा, करुणा, तरस, रहम
- दरबान- चोबदार, चौकीदार, द्वारपाल, पहरेदार, प्रतिहार, संतरी
- दरवाजा- कपाट, किवाड़, द्वार, पल्ला

- दर्द- तकलीफ़, पीड़ा, यंत्रणा, यातना, व्यथा
- दर्पण- आईना, आरसी, मुकुर, शीशा
- दल- गिरोह, गुट, जत्था, टुकड़ी, दस्ता, यूथ, संघ, समूह
- दक्ष- कुशल, चतुर, निपुण, प्रवीण, विशेषज्ञ, होशियार
- द्रव्य- चीज, पदार्थ, वस्तु, धन
- दाँत- दंत, दंदान, दंष्ट्र, दशन, द्विज, रद, रदन
- दाग़- ऐब, कलंक, दोष, धब्बा, लांछन
- दादा- आज्ञा, ददा, दादू, बाबा, पितामह
- दास- अनुचर, चाकर, नौकर, परिचर, भृत्य, सेवक
- दासी- अनुचरी, किंकरी, नौकरानी, बाँदी, सेविका
- दिन- दिवस, दिवा, रोज, वार, वासर
- दिनांक- तारीख, तिथि, मिति
- दिल- उर, उरस, कलेजा, जिगर, जिया, हिय, हृदय
- दीर्घ- बड़ा, लंबा, विशाल, विस्तृत
- दीपक- चिराग, दीप, दीया, प्रदीप, शमा
- दीपावली- दियाली, दीपदानोत्सव, दीपमाला, दीपोत्सव, दीवाली
- दुःख- कष्ट, क्लेश, खेद, गम, तकलीफ़, पीड़ा, मलाल, मातम, यातना, विषाद, वेदना, व्यथा, शोक, संताप, त्रास
- दुर्गा- अंबा, अंबिका, उमा, कल्याणी, कामाक्षी, कालिका, चण्डिका, चंडी, जगदंबा, जगदंबिका, नारायणी, भगवती, भद्रकाली, भवानी, महागौरी, महादेवी, महामाया, शक्ति, सिंहवाहिनी
- दूध- गोरस, दुग्ध, पय, पीयूष, क्षीर
- दुविधा- असमंजस, आगा-पीछा, उहापोह, कशमकश, धर्मसंकट, पशोपेश
- दूढ़- अटूट, तगड़ा, पक्का, पुष्ट, मजबूत
- देवता- अपहर्य, अमर्त्य, अमर, अमृतेश, असुरारि, देव, दैत्यारि, विवुध, सुर
- दोष- अवगुण, ऐब, खराबी, दूषण, बुराई
- दोषी- अपचारी, अपराधी, अभियुक्त, कसूरवार
- द्रौपदी- कृष्णा, द्रुपदसुता, पंचालकुमारी, पांचाली, याज्ञसेनी

ध

- धंधा- उद्यम, उद्योग, कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, व्यापार
- धन- गणित में जोड़ का निशान, दौलत, द्रव्य, पूँजी, पैसा, मुद्रा, रकम, रुपया, सम्पत्ति, सम्पदा
- धनी- दौलतमंद, धनवान, धन्नासेठ, धनाढ्य, पैसेवाला मालदार, रईस
- धनुष- कमान, कोदंड, चाप, धनुही, पिनाक, शरासन
- धन्यवाद- आभार, कृतज्ञता, मेहरबानी, शुक्रिया
- धागा- डोर, डोरी, तंतु, तागा, रस्सी, सूत

न

- नंगा- अनावृत, खुला, दिगम्बर, नग्न, निर्वस्त्र, वस्त्रहीन
- नदी- आपगा, तटिनी, तरंगवती, तरंगिणी, दरिया, धारावती, नद, नदिया, निर्झरिणी, निम्नगा, पयस्विनी, प्रवाहिणी, शैवालिनी, समुद्रगा, सरि, सरिता
- नम- आर्द्र, गोला, तर, भीगा
- नमक- नून, नोन, रामरस, लवण, लोन
- नमकीन- खारा, चटपटा, नमकदार, नुनखरा, नुनखारा, लवणमय, लावणिक, सलोना
- नम्र- विनम्र, विनयशील, विनयी, विनीत, शिष्ट, सुशील
- नया- अभिनव, आधुनिक, ताज़ा, नव, नवीन, नवेला, नव्य, नूतन
- नर- आदमी, जन, पुरुष, मर्द
- नरक- जहन्नुम, दोज़ख, यमपुर, यमलोक, यमालय, रसातल
- नश्वर- अनित्य, अस्थायी, नाशवान्, नाशाधीन, मरणशील, विनाशी, क्षणभंगुर, क्षणिक
- नष्ट- उजड़ा, चौपट, टूटा-फूटा, तबाह, धराशायी, ध्वस्त, बरबाद, बेकार
- नाजूक- कोमल, नरम, नर्म, मसृण, मुलायम, मृदुल, सुकुमार, स्निग्ध
- नाता- नातेदारी, रिश्ता, रिश्तेदारी, लगाव, वास्ता, सम्बन्ध
- नारी- औरत, महिला, रमणी, ललना, वनिता, वामा, स्त्री
- नाव- जलयान, डोंगी, तरणि, तरी, नैया, नौका, पतंग, बेड़ा

- नाश- तबाही, बरबादी, विध्वंस, विनाश, संहार
- निकट- आसन्न, करीब, निकटस्थ, पास, समीप
- निगम- निकाय, प्रतिष्ठान, संगठन, संस्था, समिति
- निर्जीव- जीवहीन, निष्प्राण, प्राणहीन, मुर्दा, मृत
- निडर- दिलेर, निःशंक, निधडक, निर्भय, बेधडक
- नियति- दैव, प्रारब्ध, भाग्य, भावी, होनी
- निरंतर- अनवरत, अविच्छिन्न, बराबर, लगातार, सतत, सदा, हमेशा
- निरर्थक- अनर्थक, अर्थहीन, अवाञ्छनीय, बेकार, बेमतलब, बेमानी, व्यर्थ
- निरपेक्ष- अलग, उदासीन, तटस्थ, निष्पक्ष, बेलाग
- निराधार- आधारहीन, निर्मूल, बेबुनियाद
- निर्णय- निश्चय, निष्कर्ष, परिणाम, फैसला
- निर्दोष- अदोष, दोषरहित, दोषहीन, निरपराध, बेकसूर, बेगुनाह
- निर्मल- शुद्ध, साफ, स्वच्छ
- निष्ठा- आस्था, यकीन, विश्वास, श्रद्धा
- नीरस- फीका, बेरस, रसहीन, स्वादहीन, सूखा
- नुकसान- कमी, घटती, घाटा, हानि, क्षति
- नेता- अगुआ, अग्रणी, प्रधान, प्रमुख, मुखिया, सरदार
- नैसर्गिक- कुदरती, प्राकृतिक, स्वाभाविक
- न्यायाधीश- जज, न्यायकर्ता, न्यायमूर्ति, न्यायाध्यक्ष, मुंसिफ
- न्यायालय- अदालत, कचहरी, कोर्ट, मुंसिफ्री
- न्यून- अल्प, कम, जरा, थोड़ा, नाकाफी
- न्यौता- आमंत्रण, निमंत्रण, न्योता, बुलावा, हँकारा

प

- पंक- कर्दम, कीच, कीचड़
- पंकिल- कर्दमयुक्त, कीचमय, कीचड़युक्त, गंदला, गंदा, पंकयुक्त, मलिन, मलीन, मैला
- पंक्ति- कतार, लाइन, श्रेणी
- पंडित- कोविद, बुद्धिमान, विद्वान्, विज्ञ, सुधी
- पति- घरवाला, नाथ, प्राणनाथ, प्राणप्रिय, प्राणवल्लभ,

- प्राणेश्वर, बालम, भर्ता, वल्लभ, शौहर, स्वामी
- पत्ता- दल, पर्ण, पल्लव, पत्र, पात
- पत्नी- अर्द्धांगिनी, औरत, कलत्र, कांता, गृहिणी, घरवाली, जाया, जोरू, दारा, धर्मपत्नी, परिणीता, बीवी, भार्या, लुगाई, वधू, वल्लभा, वामा, संगिनी
- पत्थर- अश्म, पाषाण, पाहन, प्रस्तर, शिला, संग
- पथ- डगर, मार्ग, रास्ता, राह
- पथिक- बटोही, मुसाफिर, यात्री, राहगीर, राही
- पर्याप्त- काफ़ी, प्रचुर, बहुत, यथेष्ट, विपुल
- परशुराम- जामदग्न्य, परशुधर, भार्गव, भृगुनंदन, भृगुनाथ, भृगुनायक, भृगुपति, भृगुराम, रेणुकात्मज, यामदग्नि
- परिपाटी- चलन, ढंग, तरीका, पद्धति, प्रणाली, प्रथा, रीति, रूढ़ि
- परिवार- कुटुंब, कुनवा, कुल, खानदान, घराना
- परन्तु- किन्तु, पर, मगर, लेकिन
- पर्वत- अचल, अद्रि, गिरि, धराधर, नग, पहाड़, भूधर, भूभूत, भूमिधर, महीधर, मेरु, शैल
- पवन- अनिल, नभप्राण, पव, पवमान, पाथ, प्रकंपन, प्रभंजन, प्राण, बयार, मारुत, वात, वायु, समीर, समीरण, हवा
- पवित्र- पाक, पावन, पुनीत, पूत, विशुद्ध, शुचि, शुद्ध, साफ, स्वच्छ
- पशु- चतुष्पद, चौपाया, जन्तु, जानवर, मवेशी
- पक्षी- खग, चिड़िया, द्विज, पंछी, पखेरू, परिंदा, विहंग, विहग
- पत्र- खत, चिट्ठी, पाती
- पांडुलिपि- मसौदा, पांडुलेख, हस्तलिपि
- पागल- उन्मत्त, जुनूनी, दीवाना, बावला, विक्षिप्त
- पाठशाला- अकादमी, गुरुकुल, मदरसा, विद्यापीठ, विद्यालय, स्कूल, ऋषिकुल
- पान- ताम्बूल, नागबेल, नागरबेल, नागवल्ली, नागिनी, पर्णलता, भक्षपत्रा, मुखभूषण, सप्तशिला
- पाप- अधर्म, अनाचार, अनीत, अन्याय, अपकर्म, कलुष, गुनाह, जुल्म, पातक
- पार्वती- अंबा, उमा, गिरिसुता, गिरिजा, गौर, गौरी, पर्वतजा,

भवानी, मैनसुता, रुद्राणी, शंकरा, शिवा, शैलजा, शैलपुत्री, शैलसुता, सती, हेमवती

- पिता- अब्बा, जनक, जनयिता, जनिता, जन्मदाता, तात, पितृ, पिदर, बप्पा, बाप, बापू, बाबू, वालिद
- पुत्र- आत्मज, औरस, तनय, तनुज, पूत, बेटा, लड़का, वत्स, सुत
- पुत्री- आत्मजा, तनया, तनुजा, दुहिता, बेटि, लड़की, सुता
- पूँछ- दुम, पुच्छ, पुछल्ला, लांगूल
- पूजा- अर्चना, आराधना, इबादत, उपासना, वन्दना
- पृथ्वी- अचला, अवनि, जगत्, जगती, जमीन, धरणी, धरती, धरा, भू, भूमि, मही, मेदिनी, वसुंधरा, वसुधा, वसुमती, क्षिति
- पेड़- तरु, द्रुम, पादप, विटप, वृक्ष
- पैर- गोड़, चरण, पग, पद, पाँव, पाद
- प्रकाश- आभा, आलोक, उजाला, ज्योति, दीप्ति, प्रदीप्ति, प्रभा, रोशनी
- प्रख्यात- ख्यात, गणमान्य, नामवर, नामी, प्रतिष्ठित, प्रसिद्ध, मशहूर, यशस्वी, विख्यात, विश्रुत, सुप्रसिद्ध, सुविख्यात
- प्रजातंत्र- गणतंत्र, जनतंत्र, जमहूरियत, लोकतंत्र, लोकशाही
- प्रणाम- अभिवादन, चरणवन्दना, चरणस्पर्श, दंडवत, नमन, नमस्कार, नमस्ते, बंदगी, सलाम
- प्रसन्न- आनंदित, खुश, निहाल, प्रफुल्ल, मग्न, मुदित, मोदयुक्त, हर्षित
- प्रसन्नता- आनन्द, खुशी, प्रफुल्लता, मोद, हर्ष
- प्रस्तावना- आमुख, परिचय, प्राक्कथन, भूमिका
- प्रातःकाल- अरुणोदय, उपाकाल, ब्रह्ममुहूर्त, प्रभात, प्रातः, विहान, भिनसार, भोर, सवेरा, सुबह, सूर्योदय, तड़का, विहान
- प्रार्थना- अर्ज, गुजारिश, निवेदन, मिन्नत, विनय, विनती, याचना
- प्रारंभ- अथ, आदि, आरंभ, उद्घाटन, शुभारंभ, शुरू, शुरूआत, सूत्रपात, श्रीगणेश
- प्रेम- अनुरक्ति, अनुराग, इश्क, चाहत, प्यार, प्रणय, प्रीति, मुहब्बत, रति, स्नेह

- प्रेमी- अनुरागी, आशिक, दिलवर, प्यारा, प्रणयी, प्रियतम, मुहब्बती, रसिक, साजन, स्नेही

फ

- फ़तह- जय, जीत, विजय, सफलता
- फूल- कुसुम, गुल, पुष्प, प्रसून, मंजरी, सुमन
- फ़ौरन- अविलंब, जल्द, जल्दी, तत्काल, तत्क्षण, तुरन्त

ब

- बंजर- अनुत्पादक, अनुपंजाऊ, अनुर्वर, अनुर्वरा, ऊसर, कल्लर, परती
- बंदर- कपि, कीश, मर्कट, लंगूर, वानर, शाखामृग
- बगीचा- उद्यान, उपवन, गुलिस्तौं, चमन, पुष्पवाटिका, पुष्पोद्यान, फुलवारी, बाग, वाटिका
- बर्बर- अशिष्ट, असभ्य, उद्दंड, उद्धत, जंगली
- बलराम- बलदेव, बलभद्र, बलवीर, रेवतीरमण, रोहिणय, हलधर, हलायुध
- बहुत- अधिक, इफ़रात, ज़्यादा, प्रचुर, प्रभूत, विपुल
- बहू- पतोह, पुत्रवधू, बहुरिया, वधू, श्रुषा
- बाँसुरी- वंशी, बंसुरी, मुरलिका, मुरली, वंशी, वेणु
- बाण- तीर, नाराच, विशिख, शर, शायक, शिलीमुख, सायक
- बादल- अंबुद, अंबुधर, घन, जलद, जलधर, तोयद, तोयधर, नीरद, नीरधर, पयोद, पयोधर, मेघ, वारिद, वारिधर
- बाल- कच, कुंतल, केश, चिकुर, चूल, चूड़ा, जुल्फ, लट, शिरोरुह
- बिजली- अशिन, कौंधा, चंचला, चपला, तड़ित, दामिनी, विद्युत, सौदामिनी, क्षणप्रभा
- बुद्धि- अक्ल, जेहन, दिमाग, प्रज्ञा, मति, मनीषा, मेधा, विवेक, समझ
- बुद्ध- घोंचू, जड़, नासमझ, निर्बुद्धि, बोदा, भोंदू, मंदबुद्धि, मूर्ख, मूढ़
- ब्रह्मा- अब्जयोनि, आत्मभू, कमलासन, कर्तार, चतुरानन, नाभिजन्म, पितामह, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, विरंचि, सृष्टिकर्ता, स्वयंभू, स्रष्टा

- ब्रह्माण्ड- जगत्, जगती, दुनिया, विश्व, संसार
- ब्राह्मण- द्विज, पंडित, भूदेव, भूसुर, महीसुर, विप्र
- बौना- नाटा, वामन, ठिगना

भ

- भगिनी- जीजी, दीदी, बहन, सहोदरा
- भयंकर- खौफनाक, डरावना, प्रचंड, भयानक, भयावह, भीषण, विकराल
- भय- आशंका, खौफ, डर, भीति, त्रास
- भव्य- आलीशान, दिव्य, मनोहर, रमणीय, शानदार
- भाँड- जोकर, मसखरा, विदूषक
- भाग्य- किस्मत, तक्रदीर, नसीब, नियति, प्रारब्ध, मुकद्दर
- भारत- आर्यवर्त, आर्यावर्त, इंडिया, भारतखंड, भारतवर्ष, हिंद, हिन्दुस्तान, हिंदोस्ताँ
- भारतीय- इंडियन, हिंदुस्तानी, भारतवासी
- भालू- ऋक्ष, भल्लुक, रीछ
- भूल- अशुद्धि, गलती, चूक, त्रुटि
- भीष्म- गंगापुत्र, गांगेय, देवव्रत, भीष्मपितामह
- भौरा- अलि, द्विरेफ, भ्रमर, मधुकर, मधुप, षट्पद, मिलिंद

म

- मंदिर- ईशगृह, देवगृह, देवालय, देवस्थान, पूजागृह, शिवालय
- मछली- झष, मच्छी, मत्स्य, मीन
- मनुष्य- आदमी, इंसान, मनुज, मानव, मानुष, मर्त्य
- महक- खुशबू, परिमल, वास, सुगंध, सुवास, सौरभ
- महल- प्रासाद, राजनिवास, राजप्रासाद, राजभवन, राजमहल
- महिला- नारी, भामा, रमणी, वनिता, वामा, स्त्री, श्रीमती
- माँ- अंब, अंबा, अंबिका, अम्मा, जननी, जनयित्री, जन्मदात्री, ममी, मम्मी, महतारी, माई, माता, मातृ, मातृ, मैया
- मार्ग- डगर, पंथ, पथ, बाट, रास्ता, राह
- मिथ्या- अयथार्थ, अवास्तविक, असत, असत्य, गलत, झूठ, झूठा
- मिलन- भेंट, मिलाप, मुलाकात, मेल, संगम, संपर्क, संयोग, समागम

- मित्र- दोस्त, मीत, यार, संगी, सखा, हमदम
- मुख- आनन, चेहरा, मुँह, मुखड़ा, वदन
- मुनि- ऋषि, तपस्वी, तापस, योगी, संत, संन्यासी, साधक, साधु, सिद्ध
- मृत्यु- अंतकाल, इंतकाल, देहांत, देहावसान, देहत्याग, मौत, प्राणांत, निधन, स्वर्गवास, शरीरांत
- मेढक- ददुर, दादुर, भेक, मण्डूक
- मेहनत- अध्यवसाय, उद्योग, कर्मठता, परिश्रम, मशक्कत
- मेहनती- अध्यवसायी, उद्यमी, उद्योगी, कर्मठ, परिश्रमी, श्रमशील
- मेहमान- अतिथि, अभ्यागत, आगंतुक, पाहुन, पाहुना
- मैत्री- दोस्ती, मित्रता, यारी, सख्यभाव, सौहार्द
- मोर- कलापी, केकी, ध्वजी, नीलकंठ, मयूर, मेघानंदी, वहीँ, शिखण्डी, शिखी, सारंग
- मोक्ष- अपवर्ग, अमरपद, अमृतत्व, कैवल्य, निर्वाण, परमगति, परमपद, मुक्ति

य

- यमराज- काल, धर्मराज, नरदंडधर, मृत्युदेव, मृत्युपति, यम, श्राद्धदेव
- यमुना- अर्कजा, कृष्णा, कालांगंगा, कालिंदी, जमुना, रवितनया, श्यामा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री, सूर्यसुता
- यश- कीर्ति, ख्याति, नाम, नेकनामी, प्रसिद्धि, शोहरत, सुयश
- युक्ति- उपाय, जुगत, ढंग, तदबीर, तरीका
- युद्ध- जंग, रण, लड़ाई, संग्राम, संघर्ष, समर
- युद्धभूमि- युद्धक्षेत्र, युद्धस्थ, रणस्थल, रणक्षेत्र, संग्रामभूमि, समरभूमि, वीरभूमि
- युवक- जवान, तरुण, नौजवान, युवा
- युवती- तरुणी, नवयुवती, नवयौवना, प्रमदा, यौवनवती, रमणी
- युवराज- राजकुँवर, राजपुत्र, शहजादा, शाहजादा

र

- रंघ- छिद्र, छेद, दरार, परज, सुराख
- रक्त- खून, रुधिर, लहू, लोहू, शोणित
- राजा- नरपति, नरेन्द्र, नरेश, नृप, नृपति, बादशाह, भूप, भूपति, भूपाल, महाराज, महाराजा, महिपति, महीप, शहंशाह, सम्राट
- रात- निशा, निशीथ, यामिनी, रजनी, रात्रि, रैन, विभावरी, शर्वरी, त्रियामा
- राधा- कृष्णप्रिया, ब्रजरानी, राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया
- रानी- पटरानी, महारानी, महिषी, राजपत्नी, राजमहिषी, राज्ञी, सम्राज्ञी
- राम- अवधेश, जानकीपति, पुरुषोत्तम, रघुनन्दन, रघुनाथ, रघुपति, रघुवर, रघुवीर, राघव, रामचंद्र, लंकारि, सीतानाथ, सीतापति, सीतारमण, सीतावल्लभ
- रावण- दशकंठ, दशकंधर, दशग्रीव, दशमुख, दशशीर्ष, दशानन, दैत्येन्द्र, लंकनाथ, लंकनायक, लंकाधिपति, लंकेश, लंकेश्वर, लंकापति, राक्षसपति

ल

- लघु- अल्प, कनिष्ठ, कम, छोटा, थोड़ा, न्यून, हलका
- लज्जा- लाज, ब्रीड़ा, शर्म, संकोच, हया
- लक्ष्मण- रामानुज, लखन, लखनलाल, शेषावतार, सौमित्र
- लक्ष्मी- इंदिरा, कमला, पद्मा, महालक्ष्मी, रमा, सिंधुजा, सिंधुसुता, हरिप्रिया, हरिवल्लभा, श्री
- लक्ष्य- उद्देश्य, ठिकाना, ध्येय, निशाना, मंजिल
- लाभ- नफ़ा, प्राप्ति, फ़ायदा, मुनाफ़ा
- लोहा- अयस, आयरन, आयस, इस्पात, फ़ौलाद, लोह, लौह

व

- वंश - कुल, खानदान, घराना
- वक्ता- भाषणकर्ता, भाषणदाता, वाचक, व्याख्याता, व्याख्यानकर्ता
- वक्र- कुटिल, टेढ़ा, तिरछा, तिर्यक्, बाँका
- वन- अटवी, अरण्य, कांता, कानन, जंगल, विपिन

- वर्णन- इतिवृत्त, चित्रण, निरूपण, बखान, बयान, विवरण, विवेचन, वृत्तांत
- वर्तमान- उपस्थित, तात्कालिक, प्रस्तुत, मौजूद, मौजूदा, विद्यमान, समसामयिक, हाजिर
- वर्ष- अब्द, बरस, वत्सर, साल
- वर्षगाँठ- जन्मतिथि, जन्मदिन, जन्मदिवस, जयंती, सालगिरह
- वर्षा- बरखा, बरसात, बारिश, मेह, वृष्टि
- वसंत- ऋतुपति, ऋतुराज, कुसुमाकर, बहार, मधुऋतु, मधुमास
- वस्त्र - अम्बर, कपड़ा, चीर, चैल, पट, पोशाक, लिबास, वसन
- वक्ष- उर, छाती, वक्षस्थल, सीना
- वार्ता- बातचीत, वार्तालाप, संभाषण, संवाद
- विकास- उन्नति, प्रगति, प्रसार, फैलाव, बढ़ाव
- विगत- गया हुआ, बीता, व्यतीत
- विधवा- अनाथा, पतिविहीना, पतिहीना, बेवा, राँड
- विधि- ढंग, तरीका, पद्धति, प्रणाली, रीति, शैली
- विपत्ति- आपदा, आफ़त, मुसीबत, विपदा, संकट
- विफल- असफल, नाकाम, निरर्थक, निष्फल, फलरहित, बेकार, व्यर्थ
- विमल- निर्मल, पवित्र, پاک, शुद्ध, स्वच्छ
- विमर्श- परामर्श, मशविरा, राय, विचार, विवेचन, समीक्षा, सलाह
- विराम- अटकाव, आराम, ठहराव, यति, रुकना, विश्राम
- विलोम- उलटा, खिलाफ़, प्रतिकूल, विपरीत, विरुद्ध
- विवश- असहाय, निस्सहाय, बेबस, मजबूर, लाचार
- विवाह- गठजोड़, निकाह, परिणय, पाणिग्रहण, ब्याह, शादी
- विवेचना- आलोचना, टीका, टीका-टिप्पणी, निरूपण, मीमांसा, विश्लेषण, व्याख्या, समालोचना, समीक्षा
- विष- कालकूट, गरल, जहर, माहुर, हलाहल
- विषम - अनमेल, असंगत, असमरूप, असमान, बेमेल
- विष्णु- कमलनयन, कमलापति, कमलेश, गरुडध्वज, गोविंद, चक्रपाणि, चतुर्भुज, चतुर्मुख, जनार्दन, दामोदर, नारायण, पद्मनाभ, मुकुन्द, रमाकांत, रमापति, लक्ष्मीकांत,

लक्ष्मीपति, विश्वम्भर, हरि, हृषिकेश, त्रिलोकनाथ,
त्रिलोकीनाथ, श्रीकांत, श्रीधर, श्रीपति, श्रीनिवास, श्रीश

● वृक्ष- द्रुम, पादप, पेड़, विटप

● व्यंग्य- आक्षेप, कटाक्ष, चुटकी, छोट्टाकशी, ताना, तंज, फबती

श

● शंकर- आशुतोष, उमापति, कैलाशपति, गंगाधर, गौरीपति,
चंद्रचूड़, चंद्रमौलि, चंद्रशेखर, नीलकंठ, पशुपति, पिनाकी,
भूतनाथ, भूतेश, भूतेश्वर, भोलेनाथ, मदनारि, महेश,
महेश्वर, महादेव, रुद्र, शंभु, शिव, त्रिनेत्र, त्रिपुरारि

● शंका- आशंका, शक, शुबहा, सन्देह, संशय

● शक्ति- जोर, ताकत, बल, सामर्थ्य, क्षमता

● शक्तिशाली- जोरावर, ताकतवर, बलवान, बलशाली, बली,
शक्तिमान, सबल, समर्थ

● शब्दकोश- अर्थकोश, अर्थावली, कोश, डिक्शनरी,
शब्दमाला, शब्दसंग्रह, शब्दावली

● शराब- दारू, मदिरा, मद्य, सुरा, हाला

● शरीर- अंग, काया, गात, तन, देह, बदन, वपु

● शहदं- पुष्परस, मकरंद, मधु, माक्षिक

● शत्रु- अमित्र, अरि, दुश्मन, प्रतिपक्षी, बैरी, रिपु, विपक्षी, वैरी

● शिथिल- अशक्त, आलसी, ढीला, मन्द, सुस्त

● शिरा- धमनी, नस, नाड़ी

● शिष्ट- नेक, भद्र, शालीन, संभ्रांत, सभ्य, सुशील, सुसंस्कृत, सौम्य

● शुक्ल- अवदात, उजला, उज्ज्वल, धवल, धौला, श्वेत,
सफेद, सित

● शुभ- कल्याणकारक, कल्याणकारी, मंगलदायक, मांगलिक,
लाभकर, लाभकारी, शुभकर, हितकर, हितकारी

● शेर- केशरी, केहरि, मृगराज, मृगेन्द्र, वनराज, शार्दूल, सिंह

● शेषनाग- अहीश, नागराज, पन्नगेश, फणीश, वासुकी,
सर्पपति, सर्पराज

● शोध- अनुसंधान, अन्वेषण, खोज, गवेषणा, रिसर्च

● श्मशान- चिताभूमि, दाहभूमि, दाहस्थान, प्रेतघाट, मरघट,
मसान, मुर्दाघाट, श्मशानघाट

ष

● षड्यन्त्र- अभिसन्धि, कुचक्र, जाल, दुरभिसन्धि, साजिश

स

● संकट- आपत्ति, आपदा, आफ़त, मुसीबत, विपदा, विपत्ति,

● संकल्प- दृढ़, निश्चय, प्रण, प्रतिज्ञा, व्रत

● संधि- मेल, संयोग, समझौता, सुलह

● संध्या- गोधूलि, दिनांत, दिनावसान, निशारंभ, प्रदोष, शाम,
साँझ, सायं, सायंकाल

● संपूर्ण- कुल, पूर्ण, पूरा, सब, सभी, समग्र, समस्त, समूचा, सारा

● संवाद- कथोपकथन, बातचीत, वार्ता, वार्तालाप, संभाषण

● संसार- इहलोक, जग, जगत्, जगती, दुनिया, विश्व

● सजग - चौकन्ना, चौकस, सचेत, सतर्क, सावधान, होशियार,

● सदा- नित्य, निरन्तर, सदैव, हमेशा, हरदम

● सभा- अंजुमन, गोष्ठी, जलसा, दरबार, बैठक, मजलिस,
महफ़िल, मीटिंग

● सभागार- भवन, सभाकक्ष, सभागृह, सभाभवन, हाल

● सभापति- अध्यक्ष, चेयरमैन, प्रधान, सदर, सभानायक

● समय- काल, टाइम, बेला, वक्त, क्षण,

● समालोचक- आलोचक, छिद्रान्वेषी, टिप्पणीकार, मीमांसक,
समीक्षक

● समालोचना- आलोचना, छिद्रान्वेषण, निरूपण, मोमांसा,
विवेचना, समीक्षा

● समुद्र- अंबुधि, अंबुनिधि, अब्धि, अर्णव, उदधि, जलधि,
जलनिधि, जलेश, जलेश्वर, तोयनिधि, नदीश, नीरधि,
नीरनिधि, पयोधि, पयोनिधि, पारावर, रत्नाकर, वारिधि,
वारिनिधि, वारीन्द्र, वारीश, सरितापति, सागर, सिन्धु,
क्षिरिधि, क्षीरनिधि, क्षीरसागर

● समूह- गण, गुट, जत्था, झुंड, टोली, दल, पुंज, मंडली, यूथ, वर्ग,
वृंद, संघ, समुच्चय, समुदाय

● सरस्वती- इरा, इला, गिरा, ब्राह्मी, भारती, वागीशा, वागीश्वरी,
वाग्देवी, वाचन, वीणापाणि, वीणावती, वीणावादिनी,
शारदा, हंसवाहिनी

ह

- सर्प- अहि, भुजंग, मणिधर, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग, साँप, फणधर
- सिंह- केशरी, केसरी, केहरी, नाहर, पंचानन, मृगराज, मृगेन्द्र, वनराज, शार्दूल, शेर, हरि
- सिंहासन- तख्त, राजगद्दी, राजासन, वरासन
- सीता- जनकदुलारी, जनकनंदिनी, जनकपुत्री, जनकसुता, जानकी, धरणीसुता, भूपुत्री, भूमिजा, रामप्रिया, वैदेही
- सुअर- वराह, शूकर, सुवर, सूकर
- सुबह- अरुणोदय, उषा, उषाकाल, तड़का, प्रभात, प्रातःकाल, भोर, विहान, सबेरे, सवेरा, स्वर्णोदय
- सूर्य- अंशुपति, अंशुमाली, आदित्य, किरणमाली, दिनकर, दिनमणि, दिनेश, दिवाकर, प्रभाकर, भानु, भास्कर, मार्तण्ड, मिहिर, रवि, सविता, सूरज
- सृष्टि- जग, जहान, भूलोक, संसृति
- सेना- अनीकिनी, आर्मी, कटक, चमू, पलटन, फौज, मिलिट्री, लश्कर, वाहिनी, सैन्य
- सेवक- खादिम, चाकर, चेरा, दास, नौकर, परिचारक, भृत्य
- सेविका- चेरी, दासी, नौकरानी, परिचारिका, भृत्या
- सैनिक- जवान, फौजी, योद्धा, सिपाही
- स्थावर- अचर, अचल, अटल, निश्चल, स्थिर
- स्वर्ग- अमरपुर, अमरलोक, अमरावती, गोलोक, देवपुरी, देवभूमि, देवलोक, द्यौ, बैकुण्ठ, सुरपुर, सुरलोक
- स्त्री- अबला, औरत, कांता, कामिनी, नारी, भामा, महिला, रमणी, वनिता, वामा
- स्थिर- अडिग, दृढ़, निश्चल, स्थायी, स्थावर
- स्वर्ण- कंचन, कनक, जातरूप, सुवर्ण, सोना, हाटक, हिरण्य, हेम

- हंस- कलकंठ, कलहंस, मराल, मुक्तभुक्, सरस्वतीवाहन
- हँसी- ठहाका, मुस्कान, मुस्कुराहट, स्मिति, हास, हास्य
- हनुमान- अंजनीकुमार, अंजनीपुत्र, अंजनीसुत, आंजनेय, कपीश, केसरीनंदन, पवनकुमार, पवनपुत्र, पवनसुत, बजरंगबली, महावीर, मारुत, मारुति, मारुतिनंदन, रामदूत, वायुपुत्र, हनुमंत
- हर्ष- आनंद, आमोद, आह्लाद, उल्लास, खुशी, प्रमोद प्रसन्नता
- हाथ- कर, दस्त, पाणि, हस्त
- हाथी- करी, कुंजर, कुंभी, गज, गजेन्द्र, गयंद, दंतावल, दंती, द्विप, द्विरद, वारण, वितुंड, व्याल, हस्ती
- हानि- घाटा, चपट, चपत, टोटा, नुकसान, बर्बादी, क्षति
- हार- पराजय, पराभव, मात, शिकस्त
- ह्रास- कमी, गिरावट, घटाव, न्यूनता, क्षय
- हितैषी- मंगलाकांक्षी, शुभकामी, शुभचिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, हितकारी, हितचिंतक, हिताकांक्षी
- हिमालय- गिरिराज, नगपति, शैलेन्द्र, हिमगिरि, हिमपति, हिमाद्रि, हिमाचल
- हिरण- कुरंग, कृष्णसार, चारुलोचन, मृग, सारंग, हरिण, हिरन

क्ष

- क्षेत्र- प्रदेश, भूभाग, इलाका, भूखंड, हलका
- क्षुब्ध- गलती, भूल, चूक, अशुद्धि
- ज्ञापन - परिपत्र, प्रकट करना, बताना, मेमोरेण्डम

-----▲▲▲▲▲-----

विलोम शब्द

परिभाषा- विलोम का अर्थ है- उल्टा या विपरीत। विलोम शब्द 'प्रयुक्त शब्द' का ठीक उल्टा अर्थ व्यक्त करते हैं इसीलिए विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे- 'असली' का विलोम 'नकली' होता है। इसी तरह 'अंधकार' का विलोम 'प्रकाश' होगा।

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
	अ	अत्यधिक	अत्यल्प	अनुग्रह	विग्रह
अंकुश	निरंकुश	अथ	इति	अनुज	अग्रज
अंत	आदि	अर्थ	अनर्थ	अनुदार	उदार
अन्तर्द्वन्द्व	बहिर्द्वन्द्व	अर्थपूर्ण	अर्थहीन	अनुनासिक	अननुनासिक, निरनुनासिक
अंतर्मुखी	बहिर्मुखी	अर्थवान	अर्थहीन, निरर्थक	अनुमेय	अननुमेय
अंतरंग	बहिरंग	अदृश्य	दृश्य	अनुयायी	विरोधी
अंतिम	अनंतिम, आरंभिक	अद्यतन	अनद्यतन, पुरातन	अनुरक्त	विरक्त
अंदर	बाहर	अधम	उत्तम	अनुरक्ति	विरक्ति
अंधकार	प्रकाश	अधिक	न्यून, अल्प, थोड़ा	अनुराग	विराग
अंशकालिक	पूर्णकालिक	अधिकतम	अल्पतम	अनुरूप	अननुरूप
अंशतः	पूर्णतः	अधिकता	अल्पता	अनुलोम	प्रतिलोम
अकर्मक	सकर्मक	अधिकारी	अनधिकारी	अपकर्ष	उत्कर्ष
अकेला	दुकेला	अधिकृत	अनधिकृत	अपना	पराया
अखंडनीय	खंडनीय	अधिगत	अनधिगत	अपनापन	परायापन
अगम	सुगम	अधिगम्य	अनधिगम्य	अपमान	सम्मान
अगला	पिछला	अधिमूल्यन	अवमूल्यन	अपराधी	निरपराधी
अगाड़ी	पिछाड़ी	अध्यवसाय	अनध्यवसाय	अपेक्षा	अनपेक्षा, उपेक्षा
अग्नि	जल	अनंत	सांत, ससीम	अपेक्षित	अनपेक्षित, उपेक्षित
अग्र	पश्च	अन्यायी	न्यायी, न्यायशील	अर्पण	ग्रहण
अग्रगामी	पश्चगामी	अन्वय	अनन्वय	अभ्यस्त	अनभ्यस्त
अग्रज	अनुज	अन्वित	अनन्वित	अभ्यास	अनभ्यास
अच्छा	बुरा, खराब	अन्विति	अनन्विति	अभिमानि	निरभिमानि
अच्छाई	बुराई	अनाजी	फलाहारी	अभिमुख	प्रतिमुख
अर्जन	व्ययन	अनाथ	सनाथ	अभिव्यक्त	अनभिव्यक्त
अर्जित	अनर्जित	अनाहूत	आहूत	अभिसरण	अपसरण
अटल	डौंवाडोल, ढुलमुल	अनिवार्य	निवार्य, ऐच्छिक	अभिज्ञ	अनभिज्ञ
अति	न्यून, अल्प	अनुक्रिया	प्रतिक्रिया	अभिज्ञता	अनभिज्ञता
अतिक्रमण	अनतिक्रमण	अनुकूल	अननुकूल, प्रतिकूल	अमर	मर्त्य
अतिवृष्टि	अनावृष्टि	अनुकूलता	प्रतिकूलता	अमृत	विष

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
अमावस्या	पूर्णिमा	असीम	ससीम	आदि	अंत
अमित	परिमित	असुविधा	सुविधा	आर्द्र	अनार्द्र, शुष्क
अमीर	गरीब	असूया	अनसूया	आधार	आधेय, लम्ब
अमीरी	गरीबी	अहिंसा	हिंसा	आधिक्य	अनाधिक्य
अर्वाचीन	प्राचीन	अर्हता	अनर्हता	आधुनिक	प्राचीन, पुराना
अल्प	महा, बहु, प्रचुर	अक्षत	विक्षत	आध्यात्मिक	सांसारिक, भौतिक
अल्पकालीन	दीर्घकालीन	अक्षम	सक्षम	आनंद	विषाद, शोक
अल्पप्राण	महाप्राण	अज्ञ	विज्ञ, प्रज्ञ	आनंदमय	विषादपूर्ण, शोकमग्न
अल्पमत	बहुमत	आ	आ	आना	जाना
अल्पसंख्यक	बहुसंख्यक			आपत्ति	अनापत्ति
अल्पज्ञ	बहुज्ञ	आंतर	बाह्य	आभ्यंतर	बाह्य
अल्पायु	दीर्घायु	आंतरिक	बाह्य, वैदेशिक	आमंत्रित	अनामंत्रित
अवकाश	अनवकाश	आकर्षक	अनाकर्षक, अपकर्षक,	आमदनी	खर्च
अवगत	अनवगत		विकर्षक	आमिष	निरामिष
अवनत	उन्नत	आकाश	पाताल	आय	व्यय
अवनति	उन्नति	आकीर्ण	विकीर्ण	आयात	निर्यात
अवनि	अम्बर	आक्रमण	प्रतिरक्षा	आर्य	अनार्य
अवर	प्रवर	आक्रांत	अनाक्रांत	आरम्भ	अंत, समापन, समाप्त
अवरोध	अनवरोध	आक्रामक	आक्रामित	आरम्भिक	अंतिम
अवशेष	निःशेष	आगत	अनागत	आराध्य	दुराराध्य
अवस्थित	अनवस्थित	आगम	निर्गम	आराम	तकलीफ
अवसर	अनवसर	आगमन	प्रस्थान	आरोह	अवरोह
अवाक्	सवाक्	आगामी	विगत	आलसी	कर्मठ, कर्मण्य
अविच्छिन्न	विच्छिन्न	आग्रह	दुराग्रह, अनाग्रह	आलोक	अंधकार
अविनाशी	नाशवान	आचार	अनाचार	आवर्तक	अनावर्तक
अविस्मरणीय	विस्मरणीय	आच्छादित	अनाच्छादित	आवश्यक	अनावश्यक
अशक्त	सशक्त	आज्ञादी	गुलामी	आवृत	अनावृत
असंभव	संभव	आडंबर	सादगी	आविर्भाव	तिरोभाव, अवसान
अस्त	उदय	आडंबरपूर्ण	आडंबरहीन	आवेशित	अनावेशित
अस्तित्व	अनस्तित्व	आतुर	अनातुर	आशा	निराशा, दुराशा
अस्वस्थ	स्वस्थ	आत्मा	परमात्मा	आशावादी	निराशावादी
अस्त्रीकरण	निरस्त्रीकरण	आद्य	अंत्य	आर्ष	अनार्ष
असली	नकली	आदर	अनादर, निरादर	आसक्त	अनासक्त, विरक्त
		आदान	प्रदान		

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
आसान	मुश्किल	उच्च	अनुच्च, निम्न, नीचा	उद्यमी	आलसी, निरुद्यम
आसीन	अनासीन	उच्चतम	निम्नतम	उद्योगी	अनुद्योगी
आस्तिक	नास्तिक	उच्चरित	अनुच्चरित	उदय	अस्त
आस्था	अनास्था	उच्छ्वास	निःश्वास	उदयाचल	अस्ताचल
आहत	अनाहत	उज्ज्वल	धूमिल	उदात्त	अनुदात्त
आहूत	अनाहूत	उठना	बैठना	उदार	अनुदार, कृपण
आज्ञा	अवज्ञा	उठाना	गिराना, बैठाना	उदारता	अनुदारता, कृपणता
आज्ञाकारी	अनाज्ञाकारी, अवज्ञाकारी	उतरना	चढ़ना	उदासीन	आसक्त
आश्रित	अनाश्रित, बेसहारा	उतार	चढ़ाव	उधार	नगद
		उत्कर्ष	अपकर्ष	उन्नत	अवनत
		उत्कृष्ट	निकृष्ट	उन्नति	अवनति
		उत्कृष्टता	निकृष्टता	उन्मुख	विमुख
		उत्तम	अनुत्तम, अधम	उन्मूलन	रोपण
		उत्तरदायित्व	अनुत्तरदायित्व	उपकार	अपकार
		उत्तरायण	दक्षिणायन	उपकारक	अनुपकारक
		उत्तरित	अनुत्तरित	उपजाऊ	अनुपजाऊ, बंजर
		उत्तरी	दक्षिणी	उपमेय	अनुपमेय
		उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण	उपयुक्त	अनुपयुक्त
		उत्तेजित	अनुत्तेजित, शांत	उपयुक्तता	अनुपयुक्तता
		उत्थान	पतन	उपयोग	अनुपयोग, दुरुपयोग, दुष्प्रयोग
		उत्पन्न	अनुत्पन्न, मृत	उपयोगी	अनुपयोगी, निरुपयोगी
		उत्पादक	अनुत्पादक	उपरि	अधः
		उत्पत्ति	विनाश	उपरिलिखित	निम्नलिखित, अधोलिखित
		उत्साह	अनुत्साह, निरुत्साह	उपलब्ध	अनुपलब्ध
		उत्साही	अनुत्साही	उपलब्धि	अनुपलब्धि
		उत्सुक	अनुत्सुक	उपसर्ग	प्रत्यय
		उत्सुकता	अनुत्सुकता	उपस्थित	अनुपस्थित
		उथला	गहरा	उपस्थिति	अनुपस्थिति
		उद्धत	सौम्य, विनीत	उपार्जित	अनुपार्जित
		उद्भव	अवसान	उर्वर	अनुर्वर, ऊसर, बंजर
		उद्भूत	अनुद्भूत	उर्वरा	ऊसर
		उद्धत	अनुद्धत, विनीत, सौम्य		
		उद्यम	आलस्य		

इ

इकतरफा	दुतरफा
इच्छा	अनिच्छा
इच्छित	अनिच्छित
इच्छुक	अनिच्छुक
इति	अथ
इधर	उधर
इष्ट	अनिष्ट
इहलोक	परलोक

ई

ईमानदार	बेईमान
ईमानदारी	बेईमानी
ईश	अनीश
ईश्वर	जीव, अनीश्वर
ईश्वरवादी	अनीश्वरवादी

उ

उगलना	निगलना
उगलवाना	निगलवाना
उग्र	सौम्य
उचित	अनुचित

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
उल्लंघन	अनुल्लंघन	एड़ी	चोटी	करुण	निष्ठुर
उल्लास	विषाद			करुणा	निष्ठुरता
			ऐ	कर्कश	मधुर
	ऊ	ऐक्य	अनैक्य	कर्म	अकर्म, निष्कर्म
ऊँच	नीच	ऐच्छिक	अनैच्छिक, अनिवार्य	कर्मण्य	अकर्मण्य
ऊँचा	नीचा	ऐतिहासिक	अनैतिहासिक	कलांकित	निष्कलंक
ऊर्ध्व	अधः, अधर, निम्न	ऐश्वर्य	अनैश्वर्य	कलंकी	निष्कलंकी
ऊर्ध्वगति	अधोगति	ऐसा	वैसा	कल्पनीय	अकल्पनीय
ऊर्ध्वगामी	अधोगामी	ऐहिक	पारलौकिक	कल्पित	अकल्पित
ऊर्ध्वचरण	अधोचरण			कवि	कवयित्री
ऊर्ध्वबाहु	अधोबाहु		ओ	कसा	ढीला
ऊर्ध्वमुख	अधोमुख	ओछा	गंभीर	कसूरवार	बेकसूर
ऊर्ध्वमुखी	अधोमुखी	ओछापन	बड़प्पन	कहा	अनकहा
ऊपर	नीचे			काज	अकाज
			औ	काट्य	अकाट्य
	ऋ	औचित्य	अनौचित्य	काबिल	नाकाबिल
ऋजु	वक्र	औपचारिक	अनौपचारिक	कामयाब	नाकामयाब
ऋजुता	वक्रता	औपचारिकता	अनौपचारिकता	कामयाबी	नाकामयाबी
ऋणग्रस्त	ऋणमुक्त			कायर	निडर
ऋणी	उऋण		क	काल	अकाल
ऋत	अनृत	कच्चा	पका, पक्का	काला	गौरा
ऋतु	कुऋतु	कटु	प्रिय, मधु	काल्पनिक	वास्तविक
		कठिन	सरल	कीर्ति	अपकीर्ति
	ए	कठोर	मृदु, कोमल	कुंठित	अकुंठित, तीखा, धारदार
एक	अनेक	कड़वा/कड़ुआ	मीठा	कुटिल	सरल
एकतंत्र	बहुतंत्र	कथनीय	अकथनीय	कुपरिणाम	सुपरिणाम
एकता	अनेकता	कथित	अकथित	कुपुत्र	सुपुत्र
एकत्व	अनेकत्व	कनिष्ठ	ज्येष्ठ	कुप्रथा	सुप्रथा
एकपक्षीय	बहुपक्षीय	कपटी	निष्कपट, निश्छल	कुप्रबंध	सुप्रबंध
एकत्र	विकीर्ण	कपूत	सपूत	कुप्रभाव	सुप्रभाव
एकार्थक	अनेकार्थक	कम	ज्यादा, अधिक	कुफल	सुफल
एकेश्वरवाद	बहुदेववाद	कमजोर	तगड़ा	कुबुद्धि	सुबुद्धि
		कमी	बहुतायत	कुमति	सुमति

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
कुमारी	विवाहिता	खास	आम	गुणी	निर्गुणी
कुरूप	सुरूप, सुंदर	खिलना	मुरझाना	गुनहगार	बेगुनाह
कुलटा	पतिव्रता	खिला	मुरझाया	गुप्त	प्रकट
कुलीन	अकुलीन	खुला	बंद, अवरुद्ध	गुरु	लघु, शिष्य
कुव्यवस्था	सुव्यवस्था	खुशकिस्मत	बदकिस्मत	गूढ़	अगूढ़
कुशल	अकुशल	खुशबू	बदबू	गृहस्थ	संन्यासी
कुशलता	अकुशलता	खुशमिजाज	बदमिजाज	गौण	मुख्य, प्रधान, प्रमुख
कृतज्ञ	अकृतज्ञ, कृतघ्न	खुशी	गम, गमी	गौरव	लाघव
कृतज्ञता	अकृतज्ञता	खूबसूरत	बदसूरत	ग्रस्त	मुक्त
कृपण	दाता, उदार	खेद	प्रसन्नता	ग्रहण	त्याग, परित्याग
कृपा	अकृपा, अवकृपा, कोप	ग		ग्राम	नगर
कृष्ण	शुक्ल, श्वेत			ग्रामीण	नगरीय, शहरी
कृत्रिम	अकृत्रिम, प्राकृतिक	गगन	धरा, पृथ्वी	ग्राह्य	अग्राह्य, त्याज्य
के अंदर	के बाहर	गणतंत्र	राजतंत्र	घ	
के नीचे	के ऊपर	गणनीय	अगणनीय, अगण्य		
कोप	कृपा	गण्य	अगण्य, नगण्य	घटती	बढ़ती
कोमल	कठोर	गत	आगत	घटना	बढ़ना
कोमलता	कठोरता	गद्य	पद्य	घराती	बराती
कोलाहल	शान्ति	गद्यांश	पद्यांश	घरेलू	बाहरी, जंगली
क्रमिक	अक्रमिक	गद्यात्मक	पद्यात्मक	घाटा	मुनाफा
क्रय	विक्रय	गमन	आगमन	घात	प्रतिघात
क्रूर	अक्रूर	गरल	सुधा	घृणा	प्रेम
क्रोध	क्षमा	गरिमा	लघिमा	घोष	अघोष
ख		गरीब	अमीर	घोषित	अघोषित
		गरीबी	अमीरी	च	
खंडन	मंडन	गर्म	ठंडा		
खंडनीय	मंडनीय	गलत	सही	चंचल	अचंचल, स्थिर
खंडित	अखंडित, अखंड	गहरा	छिछला, उथला	चढ़ना	उतरना, गिरना
खट्टा	मीठा	गाँव	शहर	चढ़ाना	उतारना
खरा	खोटा	गिराना	उठाना	चतुर	मूर्ख
खरीद	बिक्री	गीला	सूखा	चर	अचर
खरीदना	बेचना	गुण	अवगुण, दोष	चरित्रवान	चरित्रहीन
खाद्य	अखाद्य	गुणनफल	भागफल	चल	अचल
खाली	भरा				

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
चालाक	सीधा, भोला	जागना	सोना	ठंडा ठप ठोस	ठ गर्म
चाहा	अनचाहा	जागरण	सुषुप्ति, निद्रा		चालू
चिंतनीय	अचिंतनीय	जागृति	सुषुप्ति		पोला, खोखला, तरल
चिंतित	अचिंतित	जाग्रत	सुप्त		
चिंत्य	अचिंत्य	जाति	विजाति	डरपोक डराना डरावना डूबना	ड निडर
चिरंतन	नश्वर	जातीय	विजातीय		लुभाना
चिरायु	अल्पायु	जानकार	अनजान		लुभावना
चूक	अचूक	जाना	अनजाना		तैरना
चेतन	अचेतन, जड़	जिज्ञासु	उदासीन	ढँकना ढलान	ढ उघाड़ना
चोर	साह, साधु	जीत	हार		चढ़ाई
चौड़ाई	लंबाई	जीतना	हारना		
छ	निश्छल धूप गहरा दिखाना	जीना	मरना		त कमजोर
		जीर्ण	अजीर्ण	आराम	
		जीवन	मरण	तद्भव	
		जीवित	मृत	अतद्धत	
छली	निश्छल	जेय	अजेय	शीतल	
छाँह	धूप	जोड़ना	घटाना	प्रकाश	
छिछला	गहरा	ज्यादा	कम	शुष्क	
छिपाना	दिखाना	ज्येष्ठ	कनिष्ठ	ठोस	
छूत	अछूत	ज्योति	तम	वृद्ध	
छोटा	बड़ा, लंबा	ज्वार	भाटा	वितर्क	
ज	स्थावर घरेलू, पालतू सरल चेतन चेतनता, चैतन्य	झिझक झूठ झूठा झोपड़ी	वेझिझक सच सच्चा महल	कुतर्कपूर्ण	
				अतर्कसंगत	
				बासी	
				शीत	
जंगम	स्थावर	झ	रेशम साबुत जुड़ना सीधा	सात्विक	
जंगली	घरेलू, पालतू			अतिक्त, मधुर	
जटिल	सरल			प्रकाश	
जड़	चेतन				
जड़ता	चेतनता, चैतन्य	ट	रेशम साबुत जुड़ना सीधा		
जन्म	मृत्यु, मरण				
जय	पराजय				
जरूरी	गैरजरूरी				
जल	थल, स्थल	टाट	रेशम	बासी	
जल्द	देर	टुकड़ा	साबुत	शीत	
जल्दी	देरी	टूटना	जुड़ना	ताप	
जवानी	बुढ़ापा	टेढ़ा	सीधा	तामसिक	
				तिक्त	
				तिमिर	

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
नामंजूर	मंजूर	निर्बल	सबल	परकीय	स्वकीय
निन्दनीय	अनिन्दनीय, प्रशंसनीय, अभिनन्दनीय	निर्भीक	भयभीत	परतंत्र	स्वतंत्र
निंदा	प्रशंसा, स्तुति	निर्मल	मलिन	परमात्मा	आत्मा
निंद्य	श्लाघ्य, वंद्य	निर्माण	विनाश, ध्वंस	परमार्थ	स्वार्थ
निकट	दूर	निर्लज्ज	सलज्ज	पराजय	विजय
निकृष्ट	उत्कृष्ट	निश्चय	अनिश्चय	पराजित	अपराजित
निडर	डरपोक	निश्चित	अनिश्चित	पराजेय	अपराजेय
नित्य	अनित्य	निष्काम	सकाम	परिचित	अपरिचित, अनजाना
निम्न	उच्च	निष्क्रिय	सक्रिय	परिणीत	अपरिणीत
निम्नतम	उच्चतम	निष्ठा	अनिष्ठा	परिपक्व	अपरिपक्व
निपुण	अनिपुण	नीचे	ऊपर	परिमार्जित	अपरिमार्जित
निमंत्रित	अनिमंत्रित	नीति	अनीति	परिमित	अपरिमित
नियंत्रित	अनियंत्रित	नीरस	सरस	परिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
नियत	अनियत	नूतन	पुरातन	परिवर्तित	अपरिवर्तित
नियमित	अनियमित	नेकनामी	बदनामी	परिष्कृत	अपरिष्कृत
नियामक	अनियामक	नेकी	बदी	परिहार्य	अपरिहार्य
निरर्थक	सार्थक	नेक	बद	परिश्रम	विश्राम
निरक्षर	साक्षर	नैसर्गिक	अनैसर्गिक, कृत्रिम	परिश्रमी	आलसी
निराकार	साकार	न्याय	अन्याय	परुष	अपरुष, कोमल
निराधार	साधार	न्यायपूर्ण	अन्यायपूर्ण	परोक्ष	अपरोक्ष, प्रत्यक्ष
निरामिष	सामिष	न्यायी	अन्यायी	पर्याप्त	अपर्याप्त
निराशावादी	आशावादी	न्यून	अधिक	पर्याय	विपर्याय, विलोम
निराश्रय	आश्रय	न्यूनतम	अधिकतम	पवित्र	अपवित्र, दूषित
निरुद्ध	अनिरुद्ध			पसंद	नापसंद
निर्गुण	सगुण			पक्ष	विपक्ष
निर्जल	सजल			पाक	नापाक
निर्जीव	सजीव			पाद्य	अपाद्य
निर्णय	अनिर्णय			पाना	खोना
निर्दय	सदय, दयालु			पाप	पुण्य
निर्दिष्ट	अनिर्दिष्ट			पारदर्शी	अपारदर्शी
निर्दोष	सदोष			पालतू	जंगली, आवारा
निर्धन	धनी			पाश्चात्य	पूर्वीय, पौरस्त्य, पौर्वात्य
				पास	दूर

प

पंडित	मूर्ख
पकड़ना	छोड़ना
पक्का	कच्चा
पका	अधपका, कच्चा
पठित	अपठित
पतन	उत्थान
पद्य	गद्य
पद्यांश	गद्यांश

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
पात्र	अपात्र	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष, परोक्ष	प्रायः	बहुधा, सदैव
पीछा	आगा	प्रत्याशित	अप्रत्याशित	प्रारंभ	अंत
पीछे	आगे	प्रथम	अंतिम	प्रारम्भिक	अंत्य, अंतिम
पुरस्कार	दंड, तिरस्कार	प्रधान	गौण	प्रासंगिक	अप्रासंगिक, बेतुका
पुरस्कृत	दंडित	प्रफुल्ल	म्लान, उदास	प्रिय	अप्रिय
पुष्ट	अपुष्ट, क्षीण	प्रभावित	अप्रभावित	प्रेम	घृणा
पुष्टि	अपुष्टि	प्रभावी	अप्रभावी, निष्प्रभावी,	प्रेरित	अप्रेरित
पूत	अपूत, कपूत		प्रभावशून्य	प्रोत्साहित	हतोत्साहित
पूर्ण	अपूर्ण, खाली, रिक्त	प्रमाणित	अप्रमाणित	प्रौढ़	अप्रौढ़
पूर्णता	अपूर्णता	प्रमुख	गौण	प्रौढ़ता	अप्रौढ़ता
पूर्णकालिक	अपूर्णकालिक	प्रयुक्त	अप्रयुक्त		
पूर्व	अपर, पश्चिम, पश्च,	प्रयोग	अप्रयोग		
	उत्तर	प्रलय	सृष्टि	फलाहारी	अनाजी
पूर्ववर्ती	परवर्ती, उत्तरवर्ती	प्रवर	अवर	फलित	अफलित
पूर्वकालीन	उत्तरकालीन	प्रवृत्त	अप्रवृत्त	फायदा	नुकसान
पृथक्	संयुक्त	प्रवृत्ति	निवृत्ति	फूल	काँटा
पृथक्करणीय	अपृथक्करणीय	प्रशंसनीय	अप्रशंसनीय, निन्दनीय	फेल	पास
पेय	अपेय	प्रशंसा	निंदा, भर्त्सना		
पोषित	अपोषित	प्रशिक्षित	अप्रशिक्षित		
पौरुषेय	अपौरुषेय	प्रश्न	उत्तर	बंजर	उर्वर
प्रकट	अप्रकट, गुप्त, प्रच्छन्न	प्रसन्न	अप्रसन्न, खिन्न, दुखी	बंद	खुला
प्रकाश	अंधकार, तिमिर	प्रसन्नता	अप्रसन्नता, खेद, दुख	बंधन	मुक्ति, मोक्ष
प्रकाशित	अप्रकाशित	प्रसार	अप्रसार, संकोचन	बच्चा	बूढ़ा
प्रकृत	अप्रकृत	प्रसिद्ध	अप्रसिद्ध	बदक्रिस्मत	खुशक्रिस्मत
प्रखर	मंद	प्रस्तुत	अप्रस्तुत	बदनसीब	खुशनसीब
प्रगल्भ	अप्रगल्भ	प्रस्तुति	अप्रस्तुति	बदनसीबी	खुशनसीबी
प्रचलित	अप्रचलित	प्राकृत	अप्राकृत	बदबू	खुशबू
प्रचारित	अप्रचारित	प्राकृतिक	अप्राकृतिक, कृत्रिम	बदबूदार	खुशबूदार
प्रचुर	अप्रचुर	प्राचीन	अर्वाचीन, नवीन	बर्बर	सभ्य
प्रच्छन्न	अप्रच्छन्न, प्रकट,	प्रातः	सायं	बलवान	दुर्बल, बलहीन
	प्रत्यक्ष	प्राधिकृत	अप्राधिकृत	बहिरंग	अंतरंग
प्रतिबद्ध	अप्रतिबद्ध	प्राप्त	अप्राप्त	बहिष्कार	स्वीकार, अंगीकार
प्रतिष्ठा	अप्रतिष्ठा	प्राप्य	अप्राप्य, दुष्प्राप्य	बढ़ना	घटना
प्रतिष्ठित	अप्रतिष्ठित	प्रामाणिक	अप्रामाणिक	बढ़िया	घटिया
				बाधक	अबाधक

फ

ब

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
बाधित	अबाधित	भीतरी	बाहरी	मानवीय	अमानवीय
बाध्य	अबाध्य	भीरु	साहसी	मान्य	अमान्य
बाहर	अंदर, भीतर	भूत	भविष्य	मिथ्या	सत्य
बाह्य	आभ्यंतर, अभ्यंतर	भूतपूर्व	अभूतपूर्व	मिलन	विच्छेद, विछोह, विरह
बाढ़	सूखा	भेद्य	अभेद्य, दुर्भेद्य	मिलना	बिछुड़ना
बुद्धि	कुबुद्धि	भोगी	योगी	मित्र	शत्रु
बुद्धिमान	बुद्धिहीन, निर्बुद्धि	भोज्य	अभोज्य	मिश्रित	अमिश्रित
बुरा	भला	भौतिक	आध्यात्मिक	मीठा	नमकीन, फीका
बुराई	भलाई, अच्छाई	म		मीलित	उन्मीलित
बृहत्	लघु			मुख	पृष्ठ, प्रतिमुख
बेचना	खरीदना	मंगल	अमंगल	मुख्य	गौण
बेडौल	सुडौल	मंजूर	नामंजूर	मुनाफ़ा	घाटा, नुकसान
बेमेल	संगत	मंजूरी	नामंजूरी	मुमकिन	नामुमकिन
बोधगम्य	अबोधगम्य, गूढ़, दुरूह	मंगलकारी	अमंगलकारी	मुमूर्षा	जिजीविषा
ब्रह्म	जीव	मंथर	द्रुत, क्षिप्र	मुलायम	कड़ा, कठोर, सख्त
भ		मंद	द्रुत, तीव्र, तेज	मूक	वाचाल, मुखर
		मधुर	अमधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण	मूर्ख	बुद्धिमान, चतुर, अक्लमंद
भद्र	अभद्र	मनुज	दनुज	मूर्त	अमूर्त
भद्रता	अभद्रता	मनुष्य	पशु	मूल्यवान	मूल्यहीन
भय	साहस	मनुष्यता	पशुता	मूढ़	ज्ञानी
भयभीत	निर्भय, अभय, निडर, निर्भीक	मनुष्यत्व	पशुत्व	मृत	जीवित
भरा	खाली, छूछा, रिक्त	मर्द	नामर्द	मृदुल	कठोर
भ्रांत	निभ्रांत	मर्यादित	अमर्यादित	मैत्री	अमैत्री
भला	बुरा	मलिन	निर्मल	मोटा	पतला, महीन
भलाई	बुराई	महत्	लघु	मौन	वाचाल
भाग्य	अभाग्य	महत्ता	लघुता	य	
भारी	हलका	महात्मा	दुरात्मा	यथार्थ	अयथार्थ, कल्पित, काल्पनिक
भारी-भरकम	हलका-फुलका	महान	तुच्छ, क्षुद्र	यश	अपयश
भाव	अभाव, कुभाव, दुर्भाव	महाप्राण	अल्पप्राण	यहाँ	वहाँ
भावनीय	अभावनीय	महिमा	लघिमा	याचक	अयाचक
भिन्न	अभिन्न	मांसाहारी	शाकाहारी	याचित	अयाचित
भीतर	बाहर	मादा	नर	युक्त	अयुक्त
		मानव	दानव	युक्तियुक्त	अयुक्तियुक्त

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
युद्ध	शान्ति	लक्षित	अलक्षित	वाजिब	गैरवाजिब, नावाजिब
युवा	वृद्ध	लाघव	गौरव	वाद	प्रतिवाद, विवाद
योग	वियोग	लापरवाह	सावधान	वादी	प्रतिवादी
योग्य	अयोग्य	लाभ	हानि, क्षति	वाम	दक्षिण
योग्यता	अयोग्यता	लाभदायक	हानिकारक	वामावर्त	दक्षिणावर्त
योगी	भोगी	लाभप्रद	हानिप्रद	वास्तविक	अवास्तविक
यौगिक	अयौगिक	लायक	नालायक	वास्तविकता	अवास्तविकता
र		लिखित	अलिखित, मौखिक	विकसित	अविकसित, पिछड़ा
रंगीन	रंगहीन, बेरंग, सादा	लिप्त	अलिप्त, निर्लिप्त	विक्रय	क्रय
रचना	ध्वंस	लुप्त	व्यक्त	विकृत	अविकृत
रचित	अरचित	लेनदार	देनदार	विक्रेता	क्रेता
रत	विरत	लेना	देना	विकार	अविकार
रद्द/रद्द	बहाल	लोकप्रिय	अलोकप्रिय	विकारी	अविकारी
रहमदिल	बेरहम	लोहित	अलोहित	विकास	विनाश, हास
रक्षक	भक्षक	लौकिक	अलौकिक, पारलौकिक	विकेन्द्रीकरण	केन्द्रीकरण
राग	द्वेष, विराग	त		विख्यात	कुख्यात
रागी	विरागी	वन्दनीय	निन्दनीय	विचलित	अविचलित
राजतंत्र	जनतंत्र	वन्ध	निन्ध	विचारित	अविचारित
राजा	रंक	वक्र	ऋजु, सरल	विच्छिन्न	अविच्छिन्न
रात	दिन	वचनबद्ध	अवचनबद्ध	विजय	पराजय
रिक्त	पूर्ण, भरा	वफादार	बेवफा	विदित	अविदित
रुचि	अरुचि	वयस्क	अवयस्क, नाबालिग, अल्पवयस्क	विद्यमान	अविद्यमान
रुचिकर	अरुचिकर	वर	वधू	विधवा	सधवा
रुलाना	हँसाना	वरिष्ठता	कनिष्ठता	विधि	अविधि, निषेध
रूपवान	कुरूप	वर्णनीय	अवर्णनीय, वर्णनातीत	विधिक	अविधिक
रोचक	अरोचक	वर्ण्य	अवर्ण्य	विधिसम्मत	विधिविरुद्ध
रोना	हँसना	वर्तमान	अतीत, भूत	विनम्र	अविनम्र
रौद्र	अरौद्र	वर्षा	अवर्षा	विनय	अविनय
ल		वसंत	पतझड़	विनयी	अविनयी
लंबा	ठिंगना, नाटा	वांछनीय	अवांछनीय	विनीत	अविनीत, दुर्विनीत
लघु	गुरु, दीर्घ, महत्	वांछित	अवांछित	विपक्ष	पक्ष
लभ्य	अलभ्य				

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
विपत्ति	सम्पत्ति	वृद्धि	हास	स्वेत	अस्वेत, श्याम
विभक्त	अविभक्त	वृष्टि	अनावृष्टि	शारीरिक/	अशारीरिक, बौद्धिक
विमुख	उन्मुख, सम्मुख	वैतनिक	अवैतनिक	मानसिक	
वियोग, विरह	मिलन	वैदिक	अवैदिक	शांत	अशांत, उत्तेजित, उद्धिग्न
विरक्ति	अनुरक्ति	वैध	अवैध	शांति	अशांति
विरल	अविरल, प्रचुर	वैधानिक	अवैधानिक	शाप	वरदान
विराट्	क्षुद्र	वैयक्तिक	अवैयक्तिक, अव्यक्तिक	शारीरिक	मानसिक, अशारीरिक, बौद्धिक
विलोम	अनुलोम, अविलोम	वैज्ञानिक	अवैज्ञानिक	शालीन	अशालीन
विवाद	निर्विवाद	व्यक्त	अव्यक्त, अकर्मण्य	शाश्वत	क्षणिक, नश्वर, अशाश्वत
विवाहित	अविवाहित	व्यक्तिक	अव्यक्तिक	शासक	शासित
विवेकी	अविवेकी	व्यभिचारी	सदाचारी	शास्त्रीय	अशास्त्रीय
विशाल	लघु	व्यय	आय	शिक्षित	अशिक्षित
विशालकाय	क्षीणकाय, लघुकाय	व्यर्थ	अव्यर्थ	शिष्ट	अशिष्ट
विशिष्ट	सामान्य, साधारण	व्यवस्था	अव्यवस्था, कुव्यवस्था	शीत/शीतल	उष्ण
विशुद्ध	अविशुद्ध	व्यवस्थित	अव्यवस्थित	शीर्ष	तल
विशेष	सामान्य, साधारण	व्यवहृत	अव्यवहृत	शुक्ल	कृष्ण
विशेषज्ञ	अविशेषज्ञ	व्यष्टि	समष्टि	शुचि	अशुचि
विश्लेषण	संश्लेषण	व्यस्त	अव्यस्त	शुद्ध	अशुद्ध
विश्वसनीय	अविश्वसनीय	व्यापक	अव्यापक	शुद्धता	अशुद्धता
विश्वस्त	अविश्वस्त, विश्वासघाती	व्याप्त	अव्याप्त	शुद्धिकरण	अशुद्धिकरण
विश्वास	अविश्वास	व्याप्ति	अव्याप्ति	शुद्धिपत्र	अशुद्धिपत्र
विश्वासी	अविश्वासी	व्याप्य	अव्याप्य	शुभ	अशुभ
विसर्जन	आवाहन	व्यावहारिक	अव्यावहारिक	शुष्क	सरस, सिक्त, आद्र
विस्तार	संकुचन, संक्षेप			शूर	भीरु, कायर
विस्तीर्ण	अविस्तीर्ण	शंकित	अशंकित	शूरता	भीरुता
विस्तृत	संकुचित, संक्षिप्त	शकुन	अपशकुन	शोक	हर्ष
विस्मरणीय	अविस्मरणीय	शम्य	अशम्य	शोचनीय	अशोचनीय
विहित	अविहित, निषिद्ध	शयन	जागरण	शोधित	अशोधित
विज्ञ	अविज्ञ, अज्ञ	शरीरी	अशरीरी	शोभनीय	अशोभनीय
वीर	कायर	शत्रु	मित्र		
वृहद्, महत्	लघु, क्षुद्र	शत्रुता	मित्रता		
		श्लिष्ट	अश्लिष्ट		
		श्लील	अश्लील		

श

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
शोषक	शोषित, पोषक	संभावना	असंभावना	सच्चा	झूठा
शोहरत	बदनामी	संभावित	असंभावित	सचेत	अचेत, बेसुध, बेखबर
शौच	अशौच	संभाव्य	असंभाव्य	सजल	निर्जल
श्यामा	गौरी	संभाषण	असंभाषण	सज्जन	दुर्जन, शठ, खल
		संयम	असंयम	सजीव	निर्जीव
		संयमी	असंयमी, व्यभिचारी	सजीवता	निर्जीवता
		संयुक्त	असंयुक्त, वियुक्त, पृथक्	सतर्क	असतर्क
षड्यंत्र	सुयोजना	संयोग	असंयोग, वियोग	सतर्कता	असतर्कता
		संलग्न	असंलग्न	सत्कर्म	अपकर्म, कुकर्म, दुष्कर्म
		संवादी	असंवादी	सत्कर्मी	कुकर्मी, दुष्कर्मी
		संवृत	असंवृत	सत्कार	तिरस्कार
		संशय	असंशय	सत्य	असत्य
		संशयी	निःसंशयी	सत्याग्रह	दुराग्रह
		संश्लेषण	विश्लेषण	सत्यवादी	असत्यवादी
		संशोधित	असंशोधित	सत्यशील	असत्यशील
		संसारी	असंसारी	सत्संग	कुसंग
		संस्कृत	असंस्कृत	सदय	निर्दय
		सकाम	निष्काम	सद्भाव	दुर्भाव
		सकारण	अकारण	सद्भावना	दुर्भावना
		सकारात्मक	नकारात्मक	सद्व्यवहार	दुर्व्यवहार
		सकर्म	निष्कर्म	सदाचार	अनाचार, दुराचार, कदाचार
		सक्रिय	अक्रिय, निष्क्रिय	सदाचारी	अनाचारी, दुराचारी, कदाचारी
		सक्रियता	अक्रियता, निष्क्रियता	सदाशय	दुराशय
		सक्षम	अक्षम	सदुपयोग	दुरुपयोग
		सखा	शत्रु	सधवा	विधवा
		सख्त	नरम	सनाथ	अनाथ
		सगुण	निर्गुण	सन्निहित	असन्निहित
		सघन	विरल	सफल	असफल, विफल
		सघोष	अघोष	सफलता	असफलता, विफलता
		सच	झूठ	सबल	दुर्बल, निर्बल
		सचल	अचल		
		सच्चरित्र	दुश्चरित्र		

ष

स

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
सबाध	निर्बाध	समूल	निर्मूल	स्निग्ध	अस्निग्ध
सभय	निर्भय, अभय	समृद्धि	विनाश	स्पष्ट	अस्पष्ट
सभ्य	असभ्य, बर्बर	सरल	कठिन, कुटिल, वक्र	स्पष्टता	अस्पष्टता
सम	असम, विषम	सरस	नीरस, शुष्क	स्पृश्य	अस्पृश्य
समझदार	बेसमझ, नासमझ, नादान	सलज्ज	निर्लज्ज	स्फुट	अस्फुट
समतल	असमतल, खुरदरा	सवाल	जवाब	स्मरण	विस्मरण
समता	असमता, विषमता	सविकार	निर्विकार	स्मरणीय	विस्मरणीय
समय	असमय, कुसमय	सशंक	निश्शंक	स्वच्छ	अस्वच्छ
समर्थ	असमर्थ	सशक्त	अशक्त	स्वच्छता	अस्वच्छता
समर्थक	विरोधी	सशस्त्र	निरस्त्र	स्वजाति	विजाति
समर्थता	असमर्थता	सशुल्क	निःशुल्क	स्वतंत्र	परतंत्र
समर्थन	विरोध, खिलाफत	सस्ता	महँगा	स्वतंत्रता	परतंत्रता
समर्थित	असमर्थित	ससीम	असीम, निस्सीम	स्वदेश	परदेश, विदेश
समरूप	असमरूप	सहज	कठिन	स्वर्ग	नरक
समष्टि	व्यष्टि	सहनीय	असहनीय	स्वधर्म	परधर्म, विधर्म
समस्त	असमस्त	सहमत	असहमत	स्वप्न	जागरण
सम्मत	असम्मत	सहमति	असहमति	स्वल्पायु	चिरायु
सम्मति	असम्मति	सहयोगी	प्रतियोगी	स्वर्गीय	नारकीय
सम्मान	असम्मान, अपमान, अवमान	सहित	रहित, विहीन	स्वस्थ	अस्वस्थ, रुग्ण, बीमार
सम्मानित	अपमानित, उपेक्षित	सहिष्णु	असहिष्णु	स्वस्थता	अस्वस्थता
सम्मुख	विमुख	सहिष्णुता	असहिष्णुता	स्वादिष्ट	स्वादहीन, निःस्वाद
समान	असमान	सही	गलत	स्वाधीन	पराधीन
समानता	असमानता	सहृदय	हृदयहीन	स्वाधीनता	पराधीनता
समाप्त	असमाप्त	स्खलित	अस्खलित	स्वामी	दास, भृत्य, सेवक
समास	व्यास	स्तब्ध	अस्तब्ध	स्वार्थ	परमार्थ
समीप	दूर	स्तुति	निंदा	स्वार्थी	परमार्थी
समीपता	दूरी	स्तुत्य	निंद्य	स्वावलंबी	परावलंबी
समीपवर्ती	दूरवर्ती	स्थायी	अस्थायी, स्थानापन्न	स्वीकार्य	अस्वीकार्य
समीचीन	असमीचीन	स्थावर	जंगम	स्वीकृत	अस्वीकृत
समीपस्थित	दूरस्थित	स्थिर	अस्थिर, चंचल	स्वीकार करना	अस्वीकार करना
		स्थिरचित्त	अस्थिरचित्त	स्वीकृति	अस्वीकृति
		स्थूल	सूक्ष्म	स्त्री	पुरुष

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
सांप्रदायिक	असांप्रदायिक	सीमित	असीमित	सुफल	कुफल
सांसारिक	पारलौकिक	सुंदर	असुंदर, कुरूप, भद्दा, भोंडा	सुबुद्धि	दुर्बुद्धि
साकार	निराकार	सुंदरता	कुरूपता	सुबोध	दुर्बोध
सात्त्विक	तामसिक	सुकर	दुष्कर	सुमति	कुमति
सादर	निरादर	सुकर्म	दुष्कर्म, कुकर्म	सुमार्ग	कुमार्ग
साध्य	असाध्य	सुकाल	दुष्काल, अकाल	सुमुख	दुर्मुख
साधार	निराधार	सुकीर्ति	अपकीर्ति	सुयंत्रित	कुरयंत्रित
साधारण	असाधारण, विशेष, विलक्षण	सुकृति	दुष्कृति, कुकृति	सुयश	अपयश
सानुनासिक	निरनुनासिक	सुकृत्य	कुकृत्य, दुष्कृत्य	सुयोग	कुयोग, दुयोंग
सापेक्ष	निरपेक्ष	सुख	दुःख/दुःख	सुरक्षा	असुरक्षा
साफ	गंदा, मैला	सुखद	दुःखद	सुलक्षण	कुलक्षण
साबुत	टूटा, टूटा-फूटा	सुख्यात	कुख्यात	सुलभ	दुर्लभ
सामंजस्य	असामंजस्य	सुखांत	दुखांत	सुव्यवस्था	अव्यवस्था, कुव्यवस्था, गड़बड़ी
सामयिक	असामयिक	सुखांत	दुखांत	सुविचार	कुविचार
सामर्थ्य	असामर्थ्य	सुखी	दुखी	सुविधा	असुविधा, दिक्कत
सामान्य	असामान्य, विशिष्ट, विशेष	सुगंध	दुर्गंध	सुविधाजनक	असुविधाजनक
सामिष	निरामिष	सुगंधित	दुर्गंधित	सुशील	दुःशील
सार्थक	निरर्थक, व्यर्थ	सुगति	दुर्गति, फजीहत	सुसंगति	कुसंगति
सार्वजनिक	वैयक्तिक, निजी, व्यक्तिगत, गोपनीय	सुगम	दुर्गम, कठिन	सुसमय	कुसमय
सावधान	असावधान	सुडौल	बेडौल	सुसाध्य	दुःसाध्य
सावधानी	असावधानी	सुदूर	सन्निकट, अदूर	सुस्त	चुस्त, फुर्तीला
साहस	दुस्साहस	सुधा	विष, हलाहल, गरल	सूखा	गीला
साहसी	कायर, दुस्साहसी, भीरु	सुनाम	दुर्नाम	सूक्ष्म	स्थूल, विशाल
साक्षर	निरक्षर	सुनी	अनसुनी	सृजन	नाश, विनाश
साक्षरता	निरक्षरता	सुपथ	कुपथ	सृष्टि	प्रलय, संहार
सित	असित, काला	सुपरिणाम	दुष्परिणाम	सोच	असोच
सिद्ध	असिद्ध	सुपात्र	कुपात्र	सोना	जागना
सिद्धि	असिद्धि	सुपुत्र	कुपुत्र	सैद्धांतिक	असैद्धांतिक
सीधा	उल्टा, टेढ़ा	सुपूत	कुपूत	सौभाग्य	दुर्भाग्य
		सुप्रबंध	कुप्रबंध	सौम्य	असौम्य, उग्र
		सुप्रयोग	कुप्रयोग		

शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द	शब्द	विलोम शब्द
	ह	हितकारी	अहितकारी		ज्ञ
हँसना	रोना	होनी	अनहोनी	ज्ञात	अज्ञात
हँसाना	रुलाना		क्ष	ज्ञान	अज्ञान
हथियारबंद	निहत्था	क्षणिक	शाश्वत	ज्ञानी	मूढ़, अज्ञानी
हर्ष	विषाद	क्षत	अक्षत	ज्ञेय	अज्ञेय
हलका	भारी	क्षम	अक्षम		श्र
ह्रस्व	दीर्घ	क्षम्य	अक्षम्य	श्रद्धा	अश्रद्धा, घृणा
हानि	लाभ	क्षुण्ण	अक्षुण्ण	श्रव्य	दृश्य
हानिप्रद	लाभप्रद	क्षुद्र	विशाल, महान्,	शृंखला	विशृंखला
हार	जीत		विराट्	शृंखलित	विशृंखलित
हारना	जीतना			श्रांत	अश्रांत
हास	रुदन	क्षुब्ध	अक्षुब्ध, शांत	श्रीगणेश	इतिश्री
हास	वृद्धि	क्षर	अक्षर	श्रुत	अश्रुत
हिंसक	अहिंसक		त्र	श्रेष्ठ	अधम
हिंसा	अहिंसा			श्रेष्ठता	अधमता
हित	अहित			श्रोता	वक्ता
हितकर	अहितकर	त्रुटिपूर्ण	त्रुटिहीन		

-----▲▲▲▲▲-----

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

परिभाषा- विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग बहुपयोगी है, इससे भाषा सौष्ठवयुक्त, गंभीर, प्रभावशाली बन जाती है। ऐसे शब्द विशेष को 'अनेक शब्दों के लिए एक शब्द' कहा जाता है। जैसे-

'सावधान रहने वाला' व्यक्ति धोखा नहीं खाता। उपर्युक्त उदाहरण में 'सावधान रहने वाला' के स्थान पर 'सतर्क' का प्रयोग करने पर वाक्य में कसावट आ जाती है। यथा- 'सतर्क' व्यक्ति धोखा नहीं खाता।

पूर्ण वाक्य के लिए भी एक शब्द प्रयोग हो सकता है जैसे- 'जिसे देखा न जा सके।' एक पूर्ण वाक्य है व उसके स्थान में एक शब्द 'अदृश्य' का प्रयोग तार्किक व युक्तिसंगत है।

अतएव हम कह सकते हैं कि वाक्यांश या पूर्ण वाक्य के स्थान में भी एक शब्द का प्रयोग होता है।

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

अ

● अंक (गोद) में सोने वाला	अंकशायी	● जो इन्द्रियों द्वारा न जाना जा सके	अगोचर (अतीन्द्रिय)
● जिसका जन्म अण्डे से हो	अंडज	● पहले जन्म लेने वाला	अग्रज
● कथा के भीतर दूसरी कथा	अंतःकथा	● जो सबके आगे रहता हो	अग्रणी
● पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान	अंतरिक्ष	● जो आगे (दूर) की सोचता हो	अग्रसोची (दूरदर्शी)
● जो सबके मन की बात जानता हो	अंतर्धामी	● जो वस्तु एक ही स्थान पर हो	अचल
● मन में होने वाला या स्वाभाविक ज्ञान	अंतर्ज्ञान	● जो चिन्ता के योग्य न हो	अचिंतनीय, अचिन्त्य
● किसी पद्य के अंतिम अक्षर से नया पद्य प्रारंभ करने का खेल	अंत्याक्षरी	● जिसमें चेतना न हो	अचेतन
● तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास	अंधविश्वास	● जिसका कभी जन्म न हो	अजन्मा
● अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना	अंशदान	● जिसका शत्रु न जन्मा हो	अजातशत्रु
● जो कहा न जा सके	अकथनीय	● जो जीता न जा सके	अजेय
● जो कहा न गया हो	अकथित	● जिसके आने की कोई तिथि न हो	अतिथि
● जिसके पास कुछ न हो	अकिञ्चन/ अकिंचन	● वर्षा की अधिकता	अतिवृष्टि
● जिसका खंडन न किया जा सके	अखंडनीय	● अधिक बढ़ा-चढ़ा कर कहना	अतिशयोक्ति
● जिसके खंड या टुकड़े न किए गए हों	अखंडित	● जिसकी तुलना न की जा सके	अतुलनीय
● जो खाया न जा सके	अखाद्य	● जो बीत चुका हो	अतीत
● जिसके अंदर या पास न पहुँचा जा सके	अगम्य	● जिसकी गहराई न नापी जा सके	अथाह
● आगे बढ़कर स्वागत करना	अगवानी	● जिसका कोई अर्थ न हो	अर्थहीन
● जिसकी गहराई का पता लगाना		● जो दण्ड पाने योग्य न हो	अदंडनीय
बहुत कठिन हो	अगाध	● जिसके समान कोई दूसरा न हो	अद्वितीय
		● जो आगे (दूर) की न सोचता हो	अदूरदर्शी
		● जो दिखाई न पड़े	अदृश्य

● जो दिया न जा सके	अदेय	● जो पढ़ा न गया हो	अपठित
● जो किसी के अधीन हो	अधिनस्थ	● व्यर्थ (अधिक) खर्च करने वाला	अपव्ययी
● पर्वत के ऊपर की समतल भूमि	अधित्यका	● दोपहर के बाद का समय	अपराह्न
● वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला शुल्क	अधिशुल्क	● आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण न करना	अपरिग्रह
● एक दूसरे पर परस्पर आश्रित	अन्योन्याश्रित	● जिसका परिणाम (मापा) न जाना जा सके	अपरिमेय
● जिसे हराया न जा सके या जिसे जीता न जा सके	अपराजेय	● जिसका परिहार न हो	अपरिहार्य
● वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है	अध्यापक	● सामान्य नियम के विरुद्ध बात	अपवाद
● छः-छः महीने में एक बार होने वाला	अर्धवार्षिक	● जिसके उस पार की वस्तु को न देखा जा सके	अपारदर्शी
● जिसका कभी अंत न होने वाला हो	अनंत	● जो पिया न जा सके	अपेय
● जो गिना न जा सके	अनगिनित/अगणित	● जिसका प्रकाशन न हुआ हो	अप्रकाशित
● जो बात सुनी न गयी हो	अनसुनी	● जिसकी पहले से कोई आशा न हो	अप्रत्याशित
● जो अभी तक न आया हो	अनागत	● जो व्यक्ति विदेश में रहता हो	अप्रवासी
● जिसको कोई न हो या जिसके माता-पिता न हो	अनाथ	● जो प्राप्त न हो सके	अप्राप्त
● जो कुछ नहीं जानता है	अनभिज्ञ	● जिसके लिए कोई बाधा या रोक-टोक न हो	अबाध
● कनिष्ठा और मध्यमा के बीच की उँगली	अनामिका	● जिसे भले-बुरे का ज्ञान न हो	अबोध
● जिसे बुलाया न गया हो	अनाहूत	● पुरुष जो अभिनय करता हो	अभिनेता
● जो निन्दा के योग्य न हो	अनिन्दनीय	● स्त्री जो अभिनय करती हो	अभिनेत्री
● जिस पर कोई नियंत्रण न हो	अनियंत्रित	● जिस पर अभियोग लगाया गया हो	अभियुक्त
● जिसका निवारण न हो सकता हो	अनिवार्य	● जो किसी पर अभियोग लगाये	अभियोगी
● अनुकरण करने योग्य	अनुकरणीय	● जो पहले कभी न हुआ हो	अभूतपूर्व
● जिस पर अनुग्रह किया गया हो	अनुगृहीत	● जो भेदा या तोड़ा न जा सके	अभेद्य
● जिसकी उपमा न की जा सके	अनुपम	● जो कभी नहीं मरता	अमर्त्य
● किसी के पीछे-पीछे चलने वाला	अनुयायी/अनुगामी	● जो कभी न मरे	अमर
● एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया	अनुवाद	● जो बिना माँगे मिल जाए	अयाचित
● अनुसरण करने योग्य	अनुसरणीय	● सूर्योदय से पूर्व का समय	अरुणोदय
● जो पढ़ा न जा सके	अपठनीय	● कम बोलने वाला	अल्पभाषी
		● थोड़ा जानने वाला	अल्पज्ञ
		● जो इस लोक में संभव न हो	अलौकिक
		● जो वन्दना के योग्य न हो	अवन्दनीय
		● मूल्य घटाने का कार्य	अवमूल्यन

- अवसर के अनुरूप बदल जाने वाला अवसरवादी
- जो व्यवहार में न लाया गया हो अव्यवहृत
- जिसका विवाह न हुआ हो अविवाहित
- जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध, गैरकानूनी
- बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक
- जो नहीं हो सकता असंभव
- जिसकी कोई सीमा न हो असीम
- जिसकी कोई सीमा न हो असीमित
- जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो अक्षम
- जो कुछ न जानता हो अज्ञ
- जो कुछ नहीं जानता हो अज्ञानी
- जो न जाना गया हो अज्ञात
- जो न जाना जा सके अज्ञेय

आ

- अकस्मात् या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक
- आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी
- आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी
- आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी
- वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है आकाशवाणी
- जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रान्त
- आया हुआ आगत
- अचानक आ जाने वाला आगन्तुक
- जन्म भर तक आजन्म
- जीवन भर आजीवन
- अपने जीवन का स्वलिखित इतिहास आत्मकथा
- जो अपने पैरों पर खड़ा हो आत्मनिर्भर
- अपने आपको किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना आत्मसमर्पण
- जो आदर करने योग्य हो आदरणीय
- आदि से अन्त तक आद्योपान्त

- किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया आधुनिकीकरण
- अपराधों से संबंधित अपराधिक
- आभार मानने वाला आभारी
- मरते दम तक आमरण
- देश में बाहर से माल मंगाना आयात
- वह जो दूसरे देश से वस्तुओं को आयात करता है आयातक
- आलोचना करने वाला आलोचक
- आलोचना के योग्य आलोच्य
- आशा से बहुत अधिक आशातीत
- जो भविष्य के प्रति आशावान हो आशावादी
- वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता है आशुकवि
- जो मृत्यु के समीप हो आसन्नमृत्यु
- जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक
- आश्रय देने वाला आश्रयदाता

इ ई

- प्रायः वर्षा ऋतु में आकाश में दिखायी देने वाले सात रंगों वाले धनुष इंद्रधनुष
- इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रियजित
- जो इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो इंद्रियातीत
- अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला इच्छाचारी
- किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला इच्छुक
- किसी घटनाओं का कालक्रम से किया गया वृत्त इतिवृत्त
- इस लोक से संबंधित इहलौकिक
- जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो ईप्सित
- उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान
- जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो ईर्ष्यालु

उ ऊ

- जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो उऋण
- बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा उच्चाकांक्षा
- ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास
- जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उत्तरदायी
- किसी के बाद उसका स्थान लेने वाला उत्तराधिकारी
- ऊपर की ओर उछाला या फेंका हुआ उत्क्षिप्त
- सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उदयाचल
- जो भूमि फोड़कर निकला हो उद्भिज्ज
- उपकार करने वाला उपकारी
- पर्वत के नीचे तलहटी या पास की भूमि उपत्यका
- जिससे उपमा दी जाय उपमान
- जिसकी उपमा दी जाय उपमेय
- जो उर अर्थात् छाती के बल चलता हो उरग (सर्प)
- जो ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त
- जो भूमि उपजाऊ हो उर्वरा
- सूर्योदय से पूर्व का समय उषाकाल
- ऊपर की ओर जाने वाला ऊर्ध्वगामी
- जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो ऊसर

ए ऐ ओ औ

- जिसका संबंध किसी एक देश से हो एकदेशीय
- किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला एकपक्षीय
- जिसका चित्त एकाग्रित हो एकाग्रचित्त
- किसी वस्तु के क्रय-विक्रय का अकेला अधिकार एकाधिकार
- जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो ऐच्छिक
- इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक
- जिसका उच्चारण ओष्ठ (ओंठ) से हो ओष्ठ्य

- उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक
- जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से हो औपनिवेशिक
- जिसका संबंध उपन्यास से हो औपन्यासिक

क

- पूरे शरीर की हड्डियों का ढाँचा कंकाल
- जो कटु बोलता है कटुभाषी
- जो कहा गया हो कथित
- जिसके पास करोड़ों रुपये हो करोड़पति
- जो कान को कटु लगे कर्णकटु
- बहुत काम करते रहने वाला कर्मठ
- फूल जो अभी खिला न हो कली
- जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत
- स्त्री जो कविता रचती है कवयित्री
- वह पुरुष जो कविता रचता है कवि
- जो काम से जी चुराता है कामचोर
- जो काल से परे हो कालातीत
- वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है किंवदन्ती
- जिस लड़की का विवाह न हुआ हो कुमारी
- अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन
- किये हुए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न
- किये हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ
- सर्प के शरीर से निकली हुई खोली केंचुली
- व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने स्थान तक सीमित हो कूपमंडूक
- लाल कमल कोकनद
- किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल
- ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्रमागत

ख

- जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित
- जो खाया जा सके खाद्य
- ऐसा जो अंदर से खाली हो खोखला

ग

- आकाश चूमने वाला गगनचुम्बी
- गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ
- जो कठिनता से और देर में पचे गरिष्ठ
- जिसके पेट में बच्चा हो गर्भवती/गर्भिणी
- गंगा से उत्पन्न गांगेय
- गाँव से संबंधित/गाँव में रहने वाला ग्रामीण
- जो कुछ भी बोल न सके गूँगा
- नये बनवाये घर में पहले-पहल होने वाला प्रवेश गृहप्रवेश
- जिसका ज्ञान इन्द्रियों द्वारा हो सके गोचर
- रात और संध्या के बीच की वेला गोधुलि
- जो बात छुपायी जाय गोपनीय
- गायों को पालने और रखने का स्थान गोशाला

घ

- घूस लेने वाला घूसखोर
- किसी के इर्द-गिर्द घेरा डालने की क्रिया घेराबंदी
- जिसकी घोषणा की गई हो घोषित
- घृणा किये जाने योग्य घृण्य/घृणास्पद

च

- जिसके चूड़ा (बालों) में चंद्रमा है चंद्रचूड़
- जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर
- जो चक्र धारण करता है चक्रधार
- जिसके हाथ में चक्र (सुदर्शन) है चक्रपाणि

- ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि
- जिस (देवता) की चार भुजाएँ हैं चतुर्भुज
- चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी
- जिनके चार-चार पैर होते हैं चतुष्पद
- वह कृति, जिसमें गद्य-पद्य दोनों मिश्र हो चम्पू
- कमल के समान (सुंदर) चरण चरणकमल
- जो आँखों से संबंधित हो चाक्षुष
- रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान चिकित्सालय
- चिरकाल तक जीवित रहने वाला चिरंजीवी
- चिरकाल तक बना रहने वाला चिरस्थायी
- जिस पर चिह्न लगाया गया हो चिह्नित

छ

- कर्मचारी आदि को छौटकर निकाल देने का काम छौटनी
- बनावटी/नकली वेश में रहने वाला छद्मवेशी
- छः महीने का समय छमाही
- वह स्थान, जहाँ सैनिक निवास करते हैं छावनी
- किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूँढ़ने का काम छिद्रान्वेषण
- दूसरों के दोषों को ढूँढ़ने वाला छिद्रान्वेषी

ज

- जन्म से सौ वर्ष का समय जन्मशती
- जो जन्म से ही अंधा है जन्मांध
- जल लेने के बदले में दिया जाने वाला टैक्स जलकर
- जल में विचरने वाले जीव जलचर
- जल में पैदा होने वाला जलज
- वह यान जो जल में चलता है जलयान
- किसी को जीतने की चाह जिगीषा
- किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु

● अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा

● अधिक समय तक जीवित रहने

का इच्छुक

जिजीविषु

● जिसने इन्द्रियों पर विजय पा ली हो

जितेन्द्रिय

● कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने

की चाह

जिज्ञासा

● जानने की इच्छा रखने वाला

जिज्ञासु

● किसी व्यक्ति के जीवन की घटनाओं

आदि का वर्णन

जीवन-चरित्र

झ

● झूठ बोलने वाला

झूठा

● बहुत गहरा और बड़ा प्राकृतिक जलाशय

झील

ट

● टाइप करने की कला

टंकण

● जहाँ सिककों की ढलाई होती है

टंकसाल

● बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा

टट्टू

● चारों ओर से जल से घिरा हुआ भूभाग

टापू (द्वीप)

● किसी ग्रन्थ का अर्थ स्पष्ट करने वाला

टीकाकार

ठ

● छोटे कद का व्यक्ति

ठिगना (बौना)

● होंठ के नीचे का भाग

ठोढ़ी (ठुढ़ी)

ड

● बिच्छू, मधुमक्खी आदि कीड़ों का

विषैला काँटा

डंक

● घर-घर जाकर डाक पहुँचाने

का कार्य करने वाला कर्मचारी

डाकिया

● डाका डालने वाला

डकैत

● डाका डालने का काम

डकैती

ढ

● तलवार आदि के प्रहार को रोकने का

गोल अस्त्र

ढाल

● जनता को सूचना देने हेतु बजाया

जाने वाला वाद्य

ढिंढोरा

त

● तर्क के द्वारा जो सम्मत

(माना जा चुका) है

तर्कसम्मत

● जो किनारे से सटा हुआ हो

तटवर्ती

● ऋषि-मुनियों की तपस्या करने

की भूमि

तपोभूमि

● कोई काम या पद छोड़ देने के

लिए लिखा गया पत्र

त्यागपत्र

● तर्क करने वाला

तार्किक

● तैरकर पार करने की इच्छा

तितीर्षा

● तैरकर पार करने की इच्छा करने वाला

तितीर्षु

● जो चोरी छिपे माल ले आता या

ले जाता हो

तस्कर

थ

● जो प्राणी थल में रहे

थलचर

● पुलिस की बड़ी चौकी

थाना

● पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी

थानेदार

● जिसके भीतर कुछ सार न हो

थोथा

द

● अपराध और उन पर दण्ड देने के

नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ

दंडसंहिता

● गोद लिया गया (पुत्र/पुत्री)

दत्तक

● पति-पत्नी का युगल (जोड़ा)

दंपति

● दस वर्षों का समय

दशक

● जिसके दस मुख (आनन) हो

दशानन

● देखने योग्य	दर्शनीय, द्रष्टव्य	● जिसका समाधान या उपचार करना कठिन है	दुःसाध्य
● जिसका मुख दक्षिण की ओर हो	दक्षिणाभिमुख	● वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले ही सोच लेता है	दूरदर्शी
● जंगल की आग	दावानल	● जो दिया जा सके (देने-योग्य)	देय
● वह जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे	दृढ़प्रतिज्ञ	● पति के छोटे भाई की पत्नी	देवरानी
● जो दर्शनशास्त्र का ज्ञाता हो	दार्शनिक	● अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला	देशद्रोही
● दिशा संबंधी सूचना देने वाला	दिक्सूचक	● दिन का या प्रतिदिन होने वाला	दैनिक
● दिन पर दिन	दिनानुदिन	● द्रुतगति से जाने वाला	द्रुतगामी
● दिशा का संकेत करने वाला	दिशासूचक	● राजा दुपद की पुत्री	द्रौपदी
● जिसके पास ऋण चुकाने के लिए कुछ भी न रह गया हो	दिवालिया	ध	
● जो दो बार जन्म लेता हो	द्विज (द्विजन्म)		
● जिसके दो पद (पैर) हैं	द्विपद	● हृदय के धड़कने का भाव/शब्द	धक्
● दो भाषायें बोलने वाला	द्विभाषी	● जी धक्-धक् करने की क्रिया अथवा भाव	धकधकी
● जिसकी बाहें लंबी हो	दीर्घबाहु	● धनुष धारण करने वाला	धनुर्धर
● दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली मंत्रणा या साजिश	दुरभिसन्धि	● धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला	धर्मात्मा
● अनुचित बात के लिए आग्रह करना	दुराग्रह	● ध्यान करने योग्य	ध्येय
● जहाँ जाना या जिसे समझना कठिन हो	दुर्गम	न	
● जिस पर विजय पाना कठिन हो	दुर्जेय		
● जिसका दमन करना बहुत कठिन हो	दुर्दम्य/दुर्दम	● जिसकी नाक कट गयी हो	नकटा
● जिसका रोकना या निवारण करना कठिन हो	दुर्निवार/दुर्निवार्य	● वह गाँव या शहर जहाँ नाना का घर हो	ननिहाल
● जिसे कठिनाई से समझा जा सके	दुर्बोध	● आकाश में विचरण करने वाला	नभचर
● ऐसा अकाल कि भिक्षा देना-लेना भी कठिन हो	दुर्भिक्ष	● अभी-अभी जन्म लेने वाला	नवजात
● जिसे भेदना या तोड़ना कठिन हो	दुर्भेद्य	● नया-नया आया हुआ	नवागन्तुक
● जिसे लौंघना बहुत कठिन हो	दुर्लघ्य	● हाल की ब्याही स्त्री	नवोद्धा
● जो कठिनाई से मिलता हो	दुर्लभ	● जो नाश को प्राप्त करने वाला हो (जो नष्ट होने वाला हो)	नश्वर
● बुरे आचरण/चरित्र वाला	दुश्चरित्र	● जो ईश्वर को न मानता हो	नास्तिक
● जिसे करना बहुत कठिन हो	दुष्कर	● जो किसी से न डरे	निडर

● जो निन्दा के योग्य हो	निन्दनीय	● जिसकी सहायता करने वाला कोई न हो	निस्सहाय
● जो नीचे लिखा गया हो	निम्नलिखित	● जिसमें स्वार्थ साधन की भावना न हो	निःस्वार्थ
● जिस पर किसी प्रकार का अंकुश या नियंत्रण न हो	निरंकुश	● नीति का ज्ञान रखने वाला	नीतिज्ञ
● जिसका कोई अर्थ न हो	निरर्थक	● नीले रंग का कमल	नीलोत्पल
● जिसे अक्षर-ज्ञान न हो	निरक्षर	● जो नीति के अनुकूल हो	नैतिक
● जिसका आकार न हो/आकार-विहीन	निराकार	● शासकीय अधिकारियों का शासन	नौकरशाही
● जिसका कोई आधार न हो	निराधार	प	
● जहाँ किसी बात का डर अथवा खतरा न हो	निरापद		
● जो आमिष (मांस) न खाता हो	निरामिष	● दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु से मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान के स्नान-हेतु बनाया जाता है	पंचामृत
● जो भविष्य के प्रति निराश हो	निराशावादी	● जिसका प्रचार किया गया हो	प्रचारित
● जिसका कोई आश्रय न हो	निराश्रय	● जो पढ़ने योग्य हो	पठनीय
● जो उत्तर न दे सके	निरुत्तर	● पत्ते की बनी हुई कुटी	पर्णकुटी
● जिसके मन में दया न हो	निर्दय	● जो अपने पथ से भटक गया हो	पथभ्रष्ट
● जिसे कोई भय न हो	निर्भय	● जो गिरा हुआ हो	पतित
● जो भयभीत न हो	निर्भीक	● जो दूसरे के अधीन हो	पराधीन
● जिसके हृदय में ममता न हो	निर्मम	● जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता हो	पराश्रित
● देश से बाहर माल भेजना	निर्यात	● पति के द्वारा छोड़ दी गयी स्त्री	परित्यक्ता
● जिसमें किसी प्रकार की मैल या मलिनता न हो	निर्मल	● पूर्ण रूप से पका हुआ	परिपक्व
● जिसको किसी प्रकार का लोभ न हो	निर्लोभी	● ग्रन्थ के बचे हुए अंश, जो प्रायः अन्त में जोड़े जाते हैं	परिशिष्ट
● निशा में विचरण करने वाला	निशाचर	● जो दूसरों का भला (उपकार) करता हो	परोपकारी
● जो चिन्ता से रहित हो	निश्चिन्त	● अपनी किसी गलती के लिए हुआ दुःख	पश्चाताप
● रात्रि के मध्य-भाग का समय	निशीथ	● पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति	पाण्डुलिपि
● नाक से बाहर निकलने वाली साँस	निःश्वास	● जो पृथ्वी से बना हुआ पदार्थ हो	पार्थिव
● जिस पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगता हो	निःशुल्क	● जिसके आर-पार देखा जा सके	पारदर्शी
● जिस पर कोई कलंक न लगा हो	निष्कलंक	● परलोक से संबंधित	पारलौकिक
● जो कामनारहित हो	निष्काम		
● जिसने पाप न किया हो	निष्पाप		
● जिसका निषेध किया गया है	निषिद्ध		
● जिसमें तेज न हो	निस्तेज		
● जिसकी कोई संतान न हो	निःसंतान		

● किए हुए परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन	पारिश्रमिक
● जो जानवर पाले जा सके	पालतू
● पखवाड़े/पन्द्रह दिनों में होने वाला	पाक्षिक
● पिता की हत्या करने वाला	पितृहंता
● पीने की इच्छा	पिपासा
● पीने का इच्छुक	पिपासु
● सफेदकमल	पुण्डरीक
● अपने बेटे की पत्नी	पुत्रवधू
● जिसकी पूजा की जा सके	पूज्य, पूजनीय
● किसी प्रश्नपत्र के लिए निर्धारित कुल अंक	पूर्णांक
● दोपहर के पहले का समय	पूर्वाह्न
● जो पिया जा सके	पेय
● जो सम्पत्ति वंश-परम्परा से प्राप्त हो	पैतृक
● वह जो दूसरों द्वारा लगाये अभियोग का उत्तर दे	प्रतिवादी
● जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो	प्रतिष्ठित
● आँखों के आगे/सामने	प्रत्यक्ष
● जो कहीं जाकर लौट आया हो	प्रत्यागत
● किसी विषय को अतिशीघ्र समझ या सोच लेने की शक्ति	प्रत्युत्पन्नमति
● उपकार के बदले किया गया कार्य	प्रत्युपकार
● वह स्थान जहाँ नाना प्रकार की वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाता है	प्रदर्शनी
● रात्रि के पूर्व-भाग का समय (संध्या और रात्रि के बीच का समय)	प्रदोष
● विदेश में प्रवास करने वाला	प्रवासी
● जो प्रशंसा के योग्य हो	प्रशंसनीय
● जो पहरा देता है	प्रहरी
● प्रकृत से उद्भूत या प्रकृति में होने वाला	प्राकृतिक

● प्रार्थना करने वाला व्यक्ति	प्रार्थी
● तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भू-भाग	प्रायद्वीप
● जिससे पापों का नाश हो	प्रायश्चित
● जो देखने में प्रिय लगे	प्रियदर्शी
● प्रिय बोलने वाली, मधुरभाषिणी	प्रियम्बदा

फ

● फलने वाला या फल (ठीक परिणाम) देने वाला	फलदायी
● जो केवल फल खाकर रहता हो	फलाहारी
● वह पात्र जिसमें शोभा के लिए फूल लगाकर रखे जाते हैं	फूलदान
● घूम-फिरकर सौदा बेचने वाला	फेरीवाला

ब

● बहुत रूप धारण करने वाला	बहुरूपिया
● जिसे समाज या जाति से बाहर निकाल दिया गया हो	बहिष्कृत
● जिसने बहुत-कुछ देखा हो	बहुदर्शी
● अनेक भाषा बोलने वाला	बहुभाषा-भाषी
● बहुत-सी भाषाओं को जानने वाला	बहुभाषाविद्
● जो बहुत कुछ जानता हो	बहुज्ञ
● अनेक विषय का ज्ञान सुनने एवं उनका स्मरण रखने वाला	बहुश्रुत
● जिस स्त्री की संतान न पैदा होती हो	बाँझ/बंघ्या/वंघ्या
● खाने की इच्छा	बुभुक्षा
● खाने का इच्छुक	बुभुक्षु
● जिसको किसी बात की खबर न हो	बेखबर
● जिसके पास कोई रोजगार न हो	बेरोजगार
● छोटे कद का आदमी	बौना
● सूर्योदय से पहले दो घड़ी तक का पवित्र समय	ब्रह्ममुहूर्त

भ

● किसी टूटी हुई (खण्डित) वस्तु का शेष	भग्नावशेष
● जो भय से घबराया हुआ हो	भयाकुल
● भविष्य में होने वाला	भावी
● जो अनेक भाषाओं का ज्ञाता हो	भाषाविद्
● दीवार पर बने हुए चित्र	भित्तिचित्र
● जो भू के गर्भ (भीतर) का हाल जानता हो	भूगर्भवेत्ता
● जो भू को धारण करता है	भूधर
● जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रह चुका हो	भूतपूर्व

म

● चुनाव में अपना मत देने की क्रिया	मतदान
● जो मिष्ट/मधुर/मीठा बोलता हो	मधुरभाषी/ मृदुभाषी
	मिष्टभाषी
● दो विरोधी मार्गों के बीच का मार्ग	मध्यमार्ग
● दोपहर का समय	मध्याह्न
● मन को मोह लेने वाला	मनमोहक
● मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र	मनोविज्ञान
● मन को हर लेने वाला	मनोहर
● जो मृत्यु के समीप हो	मरणासन्न
● किसी बात के मर्म (गूढ़ रहस्य) को जानने वाला	मर्मज्ञ
● जो मर्यादा के अनुरूप हो	मर्यादित
● जिसकी आत्मा महान हो	महात्मा
● शीतऋतु की वर्षा	महावट
● जो मांस खाता हो	मांसाहारी
● जो अपने मार्ग से भटक गया हो	मार्गभ्रमित
● माता की हत्या करने वाला	मातृहन्ता
● जो मान-सम्मान करने योग्य हो	माननीय

● एक महीने में होने वाला	मासिक
● जो कम बोलता हो	मितभाषी
● कम खर्च करने वाला	मितव्ययी
● कम खाने वाला	मिताहारी
● झूठ बोलने वाला	मिथ्यावादी
● मछली (मीन) के समान जिसकी आँख सुंदर हो	मीनाक्षी
● वह स्थिति जब मुद्रा का चलन अधिक हो	मुद्रास्फीति
● मोक्ष प्राप्त करने की कामना	मुमुक्षा
● मोक्ष की कामना करने वाला	मुमुक्षु
● जो मरने वाला हो	मुमूर्षु
● मरने की इच्छा/कामना	मुमूर्षा
● मृग की आँखों के समान जिस स्त्री की आँखें हो	मृगनयनी
● जो मृत्यु को जीत ले	मृत्युंजय
● मेघ के समान जो गरजता हो	मेघनाद

य

● क्रम के अनुसार	यथाक्रम
● जैसी विधि निर्धारित हो उसी अनुसार	यथाविधि
● शक्ति के अनुसार	यथाशक्ति
● जहाँ तक सम्भव हो	यथासम्भव
● जहाँ तक और जितना सध सके	यथासाध्य
● जैसा उचित हो वैसा	यथोचित
● जिसने यश प्राप्त किया हो	यशस्वी
● याचना करने वाला	याचक
● यात्रा करने वाला	यात्री
● युग का निर्माण करने वाला	युगनिर्माता
● जो युद्ध में स्थिर रहता हो	युधिष्ठिर
● युद्ध की प्रबल अभिलाषी	युयुत्सा
● युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला	युयुत्सु

र

● नाटक में अभिनय करने वाला	रंगकर्मी
● वह ऊँचा उठा हुआ स्थान जहाँ पर पात्र अभिनय (नाटक) करते हैं	रंगमंच
● खून से रँगा हुआ	रक्तरंजित
● राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र	राजपत्र
● जिसकी सूचना राजपत्र (गज़ट) में दी गई हो	राजपत्रित

ल

● एक पैर का व्यक्ति	लँगड़ा
● लंबे या मोटे उदर (पेट) वाला	लंबोदर
● वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता है	लकड़हारा
● जिसका कोई इलाज न हो	लाइलाज
● कुछ लाभ पाने की चाह	लिप्सा
● जो लोगों में प्रिय हो	लोकप्रिय
● बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने का गीत	लोरी
● इस लोक (संसार) से संबंध रखने वाला	लौकिक
● जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो	लौहपुरुष

व

● जो वन्दना के योग्य हो	वंदनीय
● बहुत ही कठोर और बड़ा आघात	वज्रघात
● जिसके पाणि में वज्र है	वज्रपाणि
● जो बात वर्णन के बाहर हो	वर्णनातीत
● व्यवस्था करने वाला	व्यवस्थापक
● जो व्याकरण को अच्छी तरह जानने वाला हो	व्याकरणाचार्य
● जो व्याख्या करता हो	व्याख्याता

● जो बहुत अधिक बोलता हो	वाचाल
● वह जो किसी के विरुद्ध वाद (मुकदमा) पेश करे	वादी
● वर्ष में एक बार होने वाला	वार्षिक
● जिस व्यक्ति का कोई अंग बेकार या खराब हो	विकलांग
● जिसमें किसी प्रकार का विकार हो	विकृत
● वस्तुओं की बिक्री करने वाला	विक्रेता
● जिसे जीत लिया गया हो	विजित
● जो स्त्री विद्वान हो	विदुषी
● विदेश में रहने वाला	विदेशी
● जिस स्त्री का पति जीवित न हो	विधवा
● जो विधि (कानून) के अनुकूल हो	विधिसम्मत
● जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो	विधुर
● कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा	विधेयक
● एक वस्तु लेकर उसके बदले में दूसरी वस्तु देना	विनिमय
● तारों-वाली रात	विभावरी
● विरोध करने वाला	विरोधी
● जिसके विषय में विवाद हो	विवादास्पद
● किसी विषय का, जिसको विशेष ज्ञान हो	विशेषज्ञ
● जो विश्व में प्रसिद्ध हो	विश्वप्रसिद्ध
● जिसका विश्वास किया जा सके	विश्वसनीय
● जिसका विश्वास किया जाये	विश्वस्त
● जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो	विज्ञ
● जिनके पाणि (हाथ) में वीणा है	वीणापाणि
● विष्णु का उपासक या विष्णु से सम्बद्ध	वैष्णव
● विज्ञान का विद्वान या जो विज्ञान जानता है	वैज्ञानिक

श

● शंका करने योग्य	शंकनीय
● सौ वर्षों की अवधि या समय	शताब्दी
● सोने का स्थान या कमरा	शयनागार
● शरण में आया हुआ	शरणागत
● शरण की इच्छा रखने वाला	शरणार्थी
● शत्रुओं को मार डालने वाला	शत्रुघ्न
● वह जो केवल अन्न, फल, साग सब्जी खाता हो	शाकाहारी
● शक्ति का उपासक या शक्ति से संबद्ध	शाक्त
● जिसका न कोई आदि हो, न अन्त हो (सदैव रहने वाला)	शाश्वत
● जिसे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो	शास्त्रज्ञ
● शिव का उपासक या शिव से संबद्ध	शैव
● शुभ चाहने वाला	शुभेच्छु, शुभाकांक्षी
● वह स्थान जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं	श्मशान
● विशेष शासकीय पत्र, जिसमें किसी विषय का उज्ज्वल पक्ष प्रतिपादित किया जाता है	श्वेतपत्र

ष

● जिसके छः कोण हों	षट्कोण
● जिसके छः पद हों (भौरा)	षट्पद
● संगीत के छः राग	षट्राग
● वर्ष की छः ऋतुएँ	षड्ऋतु
● किसी के विरुद्ध गुप्त रीति से की गयी कार्रवाई	षड्यन्त्र
● छः मुँह वाला अर्थात् कार्तिकेय	षडानन/षण्मुख
● सोलह वर्ष की किशोरी	षोडशी

स

● जो दो या अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो	संकर
--	------

● दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान	संगम
● जो संगीत जानता हो	संगीतज्ञ
● संचय किया हुआ	संचित
● जिसके संबंध में संदेह हो	संदिग्ध
● सन्देश ले जाने वाला	संदेशवाहक
● वह जो साँप पकड़कर पालता और तमाशे दिखाता है	सँपेरा
● कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता	संविदा
● अलग-अलग अवयवों को एक में जोड़ना	संश्लेषण
● एक ही जाति का पुरुष/स्त्री	सजातीय
● सत्य के लिए आग्रह करना	सत्याग्रह
● अच्छे आचरण वाला	सदाचारी
● जिस स्त्री का पति जीवित हो	सधवा
● जो अपनी पत्नी के साथ हो	सपत्नीक
● अपने परिवार के सहित	सपरिवार
● सात दिनों की अवधि	सप्ताह
● जो सबको एक-सा देखता हो	समदर्शी
● जो सभी को प्रिय हो	सर्वप्रिय
● जो सर्वत्र व्याप्त हो	सर्वव्यापी
● जो सब कुछ जानता हो	सर्वज्ञ
● चांद्रमास के किसी पक्ष की सातवीं तिथि	सप्तमी
● जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो	सव्यसाची
● पति या पत्नी के पिता का घर	ससुराल
● अपने साथ कार्य करने वाला व्यक्ति	संहकर्मी
● जो एक ही माता के उदर (पेट) से उत्पन्न हुए हों	सहोदर

● जिसका संबंध संसार के विषयों से हो

सांसारिक

● जो सिद्ध या पूरा किया जा सके

साध्य

● एक सप्ताह में होने वाला

साप्ताहिक

● माँस से युक्त

सामिष

● समूह से संबंधित या समूह द्वारा होने वाला

सामूहिक

● जो सबके लिए हो

सार्वजनिक

● साहित्य से संबंधित

साहित्यिक

● जिसे अक्षर-ज्ञान हो

साक्षर

● जिसकी ग्रीवा सुंदर हो

सुग्रीव

● जो आसानी से मिल सके

सुलभ

● जो एक स्थान से हटाकर दूसरे

स्थान पर भेज दिया गया हो

स्थानांतरित

● दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप में रहने वाला

स्थानापन्न

● जो एक जगह से दूसरी जगह न

ले जाया जा सके

स्थायर

● जो स्वर्ग सिधार गया हो

स्वर्गीय

● जो अपने से उत्पन्न हो

स्वयंभू

● स्वयं का हित चाहने वाला

स्वार्थी

● जो किसी के अधीन या पराधीन हो

स्वाधीन

● स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का

स्वातंत्र्योत्तर

● अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला

स्वेच्छाचारी

● पसीने (स्वेद) से उत्पन्न होने वाला

स्वेदज

ह

● हंस के समान सुंदर मंद गति से

चलने वाली स्त्री

हंसगामिनी

● दूसरों को जान से मार डालने वाला

हत्यारा

● मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति

हलवाई

● जिस पर हस्ताक्षर किये गये हो

हस्ताक्षरित

● जिसे देखकर लोग मजाक उड़ाएँ

हास्यास्पद

● भला या हित चाहने वाला

हितैषी

● हृदय को विदीर्ण कर देने वाला

हृदयविदारक

● यज्ञ में आहुति देने वाला

होता

● यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि

होमाग्नि

क्षत्रज्ञ

● क्षणभर में नष्ट होने वाला

क्षणभंगुर

● क्षमा किये जाने योग्य

क्षम्य

● जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं

क्षितिज

● जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो

क्षिप्रहस्त

● जिसे तीनों कालों (भूत, वर्तमान, भविष्य) में होने वाली घटनाएँ दिखायी देती हों

त्रिकालदर्शी

● भूत, वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाला

त्रिकालज्ञ

● वह स्थान, जो दोनों भृकुटियों के मध्य होता है

त्रिकुटी

● तीन लोकों का समूह

त्रिलोक

● तीन नदियों का संगम

त्रिवेणी

● हर तीसरे महीने होने वाला

त्रैमासिक

● जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो

ज्ञानपिपासु

● ज्ञान बढ़ाने वाला

ज्ञानवर्धक

● ज्ञान से भरा हुआ

ज्ञानमय

● जो बहुत जानकार हो

ज्ञानवान्

● ज्ञान प्राप्त करना

ज्ञानार्जन

● ज्ञान प्राप्त करने का स्थान/घर

ज्ञानालय

● ज्ञान पर आश्रित

ज्ञानाश्रयी

● ज्ञान का उपदेश

ज्ञानोपदेश

● ज्ञान अर्जित करने का कार्य

ज्ञानोपार्जन

● जिसे जानना आवश्यक हो

ज्ञेय

समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द (शब्द-युग्म)

परिभाषा- हिन्दी के साथ ही सभी भाषाओं में अनेक ऐसे युग्म शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनके उच्चारण या लेखन में प्रायः समानता प्रतीत होती है परन्तु लेखन व अर्थ में भिन्नता रहती है अर्थात् उच्चारण समान-सा होने के बावजूद उन युग्म शब्दों के अर्थ अलग-अलग होते हैं। ऐसे ही शब्द युग्मों को समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे- 'अमित' का अर्थ 'अधिक' या 'बेहद' होता है जबकि उससे मिलता-जुलता शब्द 'अमीत' का अर्थ 'शत्रु' होता है।

इन शब्द युग्मों को 'समोच्चरित शब्द-युग्म' या 'समध्वनि भिन्नार्थक युग्म' भी कहते हैं।

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
	अ		
● अंत -	समाप्ति	● अजर -	जो वृद्ध न हो
अंत्य -	नीच	अजिर -	आँगन
● अतराल -	बीच में	● अतल -	पाताल का एक प्रकार
अंतराय -	विघ्न	अतुल -	अत्यधिक
● अन्न -	अनाज	● अथक -	जो थके नहीं
अन्य -	दूसरा	अकथ -	जो कहा न जा सके
● अंब -	माता	● अधृत -	धारण न किया हुआ
अम्बु -	जल	आधृत -	जो आधारित हो
● अंबुज -	कमल	● अध्ययन -	पढ़ना, पढ़ाई
अम्बुधि -	सागर	अध्यशन -	अति भोजन
● अंस -	कन्या	● अनंग -	बिना शरीर का
अंश -	खण्ड या भाग	अनग -	बिना नग का
● अग -	अचल	● अनल -	अग्नि
अघ -	पाप	अनिल -	वायु
● अगम -	दुर्लभ	● अनाशा -	निराश, आशारहित
आगम -	प्राप्ति	अनाशी -	अनश्वर (आत्मा, ब्रह्म)
● अचर -	न चलने वाला, अचल	● अनिष्ट -	हानि
अनुचर -	सेवक	अनिष्ठ -	निष्ठारहित
● अचरा -	आँचल	● अनु -	पीछे, एक उपसर्ग
अचला -	पृथ्वी	अणु -	पदार्थ का छोटा-से-छोटा भाग, सूक्ष्म कण
● अचार -	मिर्च-मसाले से आम, नींबू आदि का बनाया हुआ चटपटा पदार्थ	● अपकार -	बुराई
आचार -	आचरण से सम्बन्धित	उपकार -	भलाई
		● अपत्य -	सन्तान
		अपथ्य -	रोगी के अनुकूल भोजन न होना

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● अपभोग - उपभोग	बुरा व्यवहार आस्वादन	● अवगत - अवगथ	ज्ञात प्रातःकाल का स्नान
● अपमान - उपमान	निरादर जिसकी तुलना हो	● अवदान - अवधान	प्रशस्तकर्म, अंशदान, सफलता मनोयोग, ध्यानपूर्वक
● अपेक्षा - उपेक्षा	आशा अवहेलना	● अवधि - अवधी	निश्चित समय एक प्रकार की बोली का नाम
● अब - आब	तत्काल, अभी पानी	● अवधूत - अधूत	संन्यासी अकम्पित, निडर
● अब्ज - अब्द	कमल बादल	● अवरोध - अविरोध	बाधा, घेरा, आवरण विरोध का अभाव
● अभय - उभय	निर्भय दोनों	● अवलम्ब - अविलम्ब	सहारा शीघ्र
● अभिसार - अभीसार	प्रिय से मिलने का स्थान आक्रमण	● अवलि - आविल	पंक्ति कलुषपूर्ण
● अभिज्ञ - अविज्ञ	जानकार मूर्ख	● अविराम - अभिराम	निरन्तर सुन्दर
● अभ्याश - अभ्यास	निकट बार-बार प्रयत्न करना	● अवृत्ति - आवृत्ति	बेकारी दोहराना
● अभ्यास - अभ्यास	बार-बार प्रयत्न करना मिथ्या ज्ञान	● अशक्त - आसक्त	शक्तिहीन, असमर्थ अनुरक्त, लिप्त, मोहित
● अयश - अयस	अपशय लौह धातु	● अशन - असन	भोजन फेंकना, छोड़ना
● अराति - आरति	शत्रु विराम	● अशित - असित	खाया हुआ काला
● अरि - अरी !	शत्रु, दुश्मन स्त्रीलिंग का सम्बोधन	● अशीत - अशीति	गरम अस्सी की संख्या
● अरुज - अरुझ	निरोग, तन्दुरुस्त उलझना, फँसना	● अशोच - अशौच	चिन्ता का अभाव, शान्ति अपवित्रता, नापाकी
● अलक - अलग	बाल भिन्न, पृथक्	● अश्व - अश्म	घोड़ा पत्थर
● अलि - अली	भ्रमर सखी	● असत्त्व - असत्य	सार-रहित, तत्त्व-रहित शूठ
● अलोक - अलोक्य	निर्जन, अदृश्य असाधारण		

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● असन -	भोजन	● आपाद -	प्राप्ति, पुरस्कार
आसन -	बैठने की वस्तु	आपदा -	प्राकृतिक प्रकोप
● आसन -	निकट, समीपस्थ	● आभरण -	गहना, आभूषण
आसान -	सरल	आमरण -	मृत्यु-पर्यन्त
● असि -	तलवार	● आयत -	समकोण चतुर्भुज
असी -	काशी की एक नदी का नाम	आयात -	बाहर से मँगाना
● अस्त्र -	फेंककर चलाया जाने वाला हथियार (तीर, बन्दूक)	● आरति -	दुःख, विरक्ति
अस्त -	डूबना	आरती -	धूप-दीप से पूजा
● अर्घ्य -	हवन सामग्री	● आरि -	हठ, जिद
अर्घ -	जलदान	आरी -	लकड़ी काटने का एक औजार
● अक्षि -	आँख	● आर्त्त -	दुःखी
अक्षी -	आँख वाली	आर्द्र -	गीला
● अश्रि -	कोना, नोक, धार	● आली -	सहेली
अश्रु -	आँसू	आलि -	निरर्थक, सुस्त
आ		● आवास -	निवास स्थान
● आँटी -	सूत का लच्छा	आभास -	झलक
आँठी -	गाँठ, गुठली	● आसन -	बैठने की वस्तु
● आन्त -	अन्तिम, अन्त का	आसन -	निकट
आँत -	पाचन-संस्थान का एक अंग	● आस्तिक -	ईश्वर में आस्था रखने वाला
● आकार -	रूप, सूरत, आकृति	आस्तीक -	एक ऋषि का नाम
आकर -	खदान, खान	● आहुत -	अतिथि-सत्कार
● आजानु -	जन्म, उत्पत्ति, जन्मस्थान	आहूत -	निमन्त्रित
आजनु -	घुटने तक	● आहूत -	निमन्त्रित
● आदर्श -	अनुकरणीय	आहुति -	होम
आदर्य -	आदरणीय	● आश्रुत -	न सुना हुआ, अवैदिक
● आदि -	आरम्भ, इत्यादि	आश्रुति -	कर्णहीन, विस्मृति
आदी -	अभ्यस्त	इ ई	
● आधि -	मानसिक चिन्ता	● इंक -	स्याही
आधी -	आधा भाग	इंग -	संकेत
● आपत् -	आपद् से सम्बन्धित	● इंदु -	चन्द्रमा
आपात् -	आकस्मिक रूप से	इंदुर -	चूहा
		● इति -	पूर्णता
		ईति -	विघ्न

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● इबादत -	पूजा, उपासना	● उदय -	सूर्य
इबारत -	लेखन-शैली	उदधि -	समुद्र, मेघ, वृक्ष
● इस्तरी -	वह उपकरण, जिससे कपड़ों को 'प्रेस' किया जाता है।	● उद्धत -	उजड़, उद्दण्ड, अविनीत
स्त्री -	औरत, महिला	उद्यत -	तैयार, तत्पर
● इत्र -	पुष्पसार	● उधार -	ऋण देना/ऋण लेना
इतर -	दूसरा, भिन्न	उद्धार -	मुक्ति, कल्याण, सद्फल की प्राप्ति
● ईडा -	स्तुति	● उपचार -	सेवा, इलाज
इड़ा -	भूमि	उपकार -	भलाई
● ईर्ष्या -	डाह	● उपधि -	छल, धोखा
ईछा -	इच्छा	उपाधि -	पदवी, योग्यता-सूचक शब्द, प्रमाण पत्र
● ईश -	स्वामी, ईश्वर, राजा	● उपल -	पत्थर
ईष -	शिव का एक अनुचर, आश्विन मास	उत्पल -	कमल
● ईशा -	ऐश्वर्य, अधिकार, दुर्गा	● उपलब्ध -	प्राप्त हुआ
ईसा -	ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह	उपलभ्य -	प्राप्त करने योग्य
● ईक्षक -	दर्शक	● उपवर्ण -	विस्तृत, ब्यौरेवार वर्णन
ईक्षण -	दर्शन, विचार	उपवर्ण्य -	उपमान, अवर्ण्य
उ		● उपार -	भूल, दोष
		अपार -	सीमा-रहित
		● उर -	हृदय, छाती
		उरु -	जाँघ, जंघा
		ऊ	
● उग्र -	उत्कट, तीव्र, भयानक	● ऊत -	निरा बेवकूफ
उग्रा -	दुर्गा, महाकाली	ऊति -	सिलाई, सीने की मजदूरी
● उच्च -	ऊँचा, लम्बा, बड़ा, श्रेष्ठ	● ऊबट -	अगम्य, टेढ़ा मार्ग
उच्य -	ढेर, राशि, चयन	ऊबटि -	उबटन लगाकर
● उच्चरण -	ऊपर उठना, आना	● ऊभ -	ऊँचा, उभरा हुआ
उच्चारण -	बोलना, ध्वनि का मुँह से निकलना	उभ -	उर्ध्व
● उज्ज्वल -	धारा के प्रतिकूल	● ऊर्ध्व -	ऊँचा, सीधा
उज्ज्वल -	स्वच्छ, प्रकाशमान	ऊर्ध्वा -	प्राचीनकाल की एक नाव
● उत -	उस ओर, वहाँ	● ऊसर -	बंजर, परती जमीन
ऊत -	निःसन्तान	ऊस्त्र -	किरण, सूर्य, दिन
● उतर -	उतारना		
उत्तर -	प्रश्न का उत्तर, जवाब		
● उत्कच -	जिसके बाल खड़े हों, गंजा		
उत्कट -	तीव्र, उग्र, प्रबल		
● उत्पाट -	उखाड़ना, जड़ से नाश करना		
उत्पात -	उपद्रव		

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
ऋ		ओ	
● ऋक्थ - धन, जायदाद, सोना		● ओंठ - अधर	
● ऋक् - ऋचा		● ओंठ - छोर	
● ऋत - सत्य, यथार्थ, मोक्ष		● ओर - तरफ	
● ऋति - गति, आक्रमण, मार्ग, मंगल		● और - तथा, अधिक, एवं	
● ऋद्ध - समृद्ध, संपन्न		औ	
● ऋद्धि - संपन्नता, सफलता, लक्ष्मी		● औटना - खौलना	
ए		● ओटना - बिनौले अलग करना	
● ऐंच - उलझन, घात		● औंड़ा - अथाह, गम्भीर	
● ऐंच - संकोच, खिंचाव		● ओड़ा - गड़ढा, सेंध, बड़ा टोकरा	
● ऐंड़ा - उलटा-सीधा		क	
● ऐंड़ा - ऐंठा हुआ		● कंकण - कड़ा, कंगन	
● एक - अनोखा, बेजोड़, पहला अंक (1)		● कंकड़ - पत्थर का छोटा टुकड़ा	
● ऐक्य - एकता		● कंकाल - ठठरी, हड्डियों का समूह	
● एकतः - एक ओर से		● कंगाल - गरीब	
● एकक - इकाई, यूनिट		● कंजर - एक घुमक्कड़ जाति, खानाबदोश	
● एकता - ऐक्य, समानता		● कुंजर - हाथी	
● एकदा - केवल एक बार		● कटक - सेना	
● एकांकी - एक अंक वाला (नाटक)		● कंटक - बाधा, काँटा	
● एकांगी - एक अंग वाला		● कटुक - कड़वा/कड़ुआ/कड़ुवा	
● एड - बहरा		● कटिबन्ध - कमरबन्द, करधनी	
● एड़ - एड़ी		● कटिबद्ध - तैयार, संकल्पबद्ध	
● एव - ही		● कदन - हिंसा	
● एवं - और भी		● कदन - खराब अन्न	
ऐ		● कपि - बन्दर	
● ऐन - आँख, चश्मा, सोता		● कपी - घिरनी	
● ऐन्य - स्वामी अथवा सूर्य सम्बन्धी		● कपिश - मटमैला, भूरा	
● ऐल - इला का पुत्र पुरुरवा		● कपीश - हनुमान, सुग्रीव	
● एला - इलायची		● कर्कट - केकड़ा	
● ऐहिक - सांसारिक		● करकट - कूड़ा	
● ऐहि - इसको		● कर्ण - कान, महाभारत का एक प्रमुख पात्र	
		● करण - कारक की तृतीय विभक्ति	

[illegible]

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● जन्त्र - यन्त्र	ताबीज, ताला मशीन	● ढरना - ढारना	गिरना, रिसना उड़ेलना
● जगत - जगत्	कुएँ का चबूतरा संसार	● ढलाई - ढिलाई	ढालने की क्रिया शिथिलता
● जर - ज़र	बुढ़ापा, विनाश, वृद्ध सोना, धन, दौलत	● ढाल - डाल	रक्षक, उतार वृक्ष-शाखा
● जरा - ज़रा	बुढ़ापा, वृद्धावस्था अल्प, तनिक, थोड़ा	● दाढ़ी - दाढ़ी	एक प्रकार के मुसलमान गवैए तुड़डी और दाढ़ के बाल
● जलज - जलद	कमल बादल	त	
● जड़ - जड़ा	अचेतन, निर्बुद्धि, मूर्ख जड़ने-मढ़ने की क्रिया	● तनु - तनू	सुकुमार, सुन्दर माप
● जामन - जामुन	दही जमाने हेतु छोड़ी गई खट्टी दही एक प्रकार का फल (जंबूफल)	● तब - तव	बाद में तुम्हारा
● जिजिया - जज़िया	बड़ी बहन वह कर जो मुसलमान शासक हिन्दुओं पर लगाते थे	● तप - तप्य - तप्त	ताप, तपस्या तपाने योग्य, तप करने वाला गर्म, तपाया हुआ
● जीवनि - जीवनी	संजीवनी बूटी जीवन-चरित्	● तरंग - तुरंग	लहर घोड़ा, चित्त/मन
झ ट ठ ड		● तरणी - तरुणी	नौका नवयुवती
● झक - झट	धुन, सनक शीघ्र, तत्काल	● तरणि - तारीक - तारीख	सूर्य अँधेरा, काला तिथि, मिति, दिनौक
● टोटा - टोंटा	घाटा कारतूस	● तूणक - तूणन	पन्द्रह अक्षरों वाला एक छन्द बाँसुरी, वेणु
● ठीका - ठीहा	नियत समय, ठेका ऊँची जगह, गद्दी, सीमा	● तूणि - तूणी	शीघ्र, तेज तरकश, नील का पौधा
● डोंगी - ढोंगी	छोटी नाव पाखण्डी	थ	
ढ		● थन - थान	स्तन ठौर-ठिकाना
● ढंख - ढंग	पलाश, ढाक रीति, शैली, तरीका, तर्ज, चलन		

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● थल - थाल -	पृथ्वी थाली		ध
	द	● धन्य - धन्व -	कृतार्थ, प्रशंसनीय मरुस्थल, तट, आकाश
● दन्त - दन्त्य -	दाँत जिसका उच्चारण दाँत से हो	● धरा - धारा -	पृथ्वी प्रवाह
● दंश - दश -	डंक मारने या काटने का घाव दस की संख्या	● धुरा - धूर -	अक्ष धूल
● दस - दसन -	एक संख्या का नाम (10) दाँत, कवच		न
● दान -	दान करने की क्रिया का पुल्लिङ्ग शब्द, खैरात	● नकाम - नाकाम -	पर्याप्त, काफ़ी असफल
धान -	एक प्रकार का अन्न	● नगण -	एक गण, जिसमें तीनों अक्षर लघु होते हैं।
● दार - द्वार -	पत्नी, दारा दरवाजा	नगण्य -	जो गणना में न आ सके, तुच्छ, हेय
● दास - दास्य -	गुलाम दासत्व, दासपन	● नगर -	शहर
● दिक् - दिक् -	एक प्रकार का ज्वर दिशा	नागर -	नगरवासी, होशियार
● दिन - दीन -	दिवस गरीब, दरिद्र	● नन्दि - नन्दी -	आनन्द पुत्र, शिव का वाहन
● दिया - दीया -	देने की क्रिया दीपक	● नमः - नम -	प्रणाम तरल, गोला, आर्द्र
● दुर्जेय - दुर्जेय -	दुर्जय, जिसे जीतना कठिन हो दुर्बोध, जिसे जानना कठिन हो	● नारी - नाड़ी -	स्त्री रक्तवाहिनी नलिका
● दूत - द्यूत/धूत -	संदेशवाहक जुआ	● नाश - नशा -	नष्ट, बरबादी नशीली चीज/मादक द्रव्य, लत
● देव - दैव -	देवता भाग्य	● निर्धन - निधन -	गरीब मृत्यु
● द्रव - द्रव्य -	तरल पदार्थ पदार्थ, वस्तु	● निर्वाण - निर्माण -	बुझा हुआ, मृत, मोक्ष बनाना, तैयार करना
● द्वन्द - द्वन्द्व -	घण्टा बजाने का घड़ियाल युगल, दो युग्म, संघर्ष	● निवृत - निवृत्त -	ओढ़नी, उत्तरीय लौटा हुआ, जो लौट आया हो।
● द्विप - द्वीप -	हाथी टापू	● नीर - नीड़ -	पानी घोंसला

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● निष्क्रय -	खरीद, क्रय, वेतन, भृत्ति	● परुष -	कठोर
निष्क्रिय -	कोई काम न करने वाला	पुरुष -	आदमी
● निष्पन्द -	गतिहीन	● पर्यय -	परिवर्तन
निष्पद -	जिसके चरण न हो	पर्याय -	समानार्थक शब्द
● निसान -	नगाड़ा/दुन्दुभि, झण्डा	● पवन -	हवा
निशान -	चिह्न	पावन -	पवित्र
● न्यंक -	रथ का एक विशेष अंग	● पड़ना -	गिरना, स्थित होना
न्यंग -	चिह्न, भेद, प्रकार	पढ़ना -	अध्ययन-मनन करना
न्यंकु -	बारहसींगा, एक मुनि	● पत्री -	चिट्ठी
प		पत्ती -	पेड़-पौधों का बहुत छोटा पत्ता
		● पाँव -	पैर
● पतन -	हास, गिरना	पाव -	चौथाई भाग
पत्तन -	बंदरगाह, पोताश्रय	● पाट -	विस्तार, चौड़ाई, तट
● पत्ति -	पैदल चलने वाला यात्री	पाठ -	पढ़ने की क्रिया
पति -	स्वामी	● पाणि -	हाथ
● पद्य (पदम्) -	कमल	पानी -	जल
पद्य (पद्य) -	कविता	● पायक -	दूत
● परक -	युक्त होना	पावक -	अग्नि
परख -	परीक्षा	● पाश -	बन्धन
● परश -	पारस पत्थर	पास -	निकटता, निकट, समीप
परस -	स्पर्श करना	● पितृ -	पिता
● परायण -	अति आसक्त, निरत, निष्ठा	पित्त -	शरीर के तीन प्रसिद्ध दोषों में से एक
पारायण -	पूरा पाठ	● पुनः -	फिर, दोबारा
● पराशर -	एक ऋषि का नाम	पुन -	दान, पुण्य
पराश्रय -	दूसरे पर आश्रित	● पुश्त -	पीढ़ी, सहारा का शिल्प
● परिचारक -	सेवक, नौकर	पुस्त -	मिट्टी, लोहे या लकड़ी आदि से बनाई गई वस्तु, कारीगरी, पुस्तक
प्रचारक -	प्रचार करने वाला	● पुष्कल -	पर्याप्त
● परिणीत -	विवाहित	पुष्कर -	सरोवर, एक तीर्थस्थान
प्रणीत -	चित्त	● पिटना -	किसी के द्वारा पिट जाना
● परिमाण -	मात्रा	पीटना -	दूसरों को मारना
परिणाम -	प्रभाव, नतीजा	● पृष्ट -	पूछा हुआ
● परिक्षा -	कीचड़, गोली मिट्टी	पृष्ठ -	पीठ, पन्ना
परीक्षा -	जाँच		
● परीक्षित -	जिसकी परीक्षा ली गयी हो		
परीक्षित् -	अभिमन्यु का पुत्र		

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● प्रक्रम -	क्रम	● बलि -	देवताओं को चढ़ायी जाने वाली भोग, नैवेद्य, पशु-बलि
पराक्रम -	वीरता	बली -	बलवान, पराक्रमी
● प्रभव -	उत्पत्ति	● बहि -	बाहर
प्रभाव -	परिणाम, असर	बहिः -	बाहर से
● प्रमाण -	साक्षी	● बहु -	अनेक, अधिक, ज्यादा
प्रणाम -	बड़ों को अभिवादन	बहू -	पुत्रवधु, दुल्हन
● प्रवाद -	वार्ता, बातचीत	● बड़ -	वट वृक्ष
परिवाद -	निन्दा, शिकायत, दोषारोपण	बढ़ -	बढ़ना, फैलना
● प्रवाह -	बहाव	● बात -	वार्ता, कथन
परवाह -	चिन्ता, फिक्र	वात -	हवा
● प्रवेश -	अन्दर आना	● बाद -	पश्चात्
परिवेश -	वातावरण	वाद -	प्रकरण, मुकदमा
● प्रसाद -	भोग, कृपा	● बार -	द्वार, घेरा, किनारा
प्रासाद -	महल	वार -	दिन
● प्रहार -	मारक	● बाला -	बालिका
परिहार -	त्यागना	वाला -	किसी वस्तु से युक्त, जैसे- खोजने वाला
● प्राप्त -	पाना	● बाड़ -	फसल की रक्षा के लिए बनाया गया घेरा
पर्याप्त -	भरपूर, काफ़ी	बाढ़ -	नदी के जल के फैलाव, सैलाव, बढ़ाव
● प्रेषित -	भेजा हुआ	● बाण -	तीर
प्रोषित -	प्रवासी	बात -	चर्चा, कथन
फ		● बूड़ा -	डूब गया
		बूढ़ा -	वृद्ध
		● बेल -	एक फल का नाम
		बैल -	हल, गाड़ी में जोतने के काम आने वाला पालतू पशु
		● बेश -	ज्यादा, अधिक
● फन -	साँप का सिर, फण	वेश -	वेशभूषा
फ़न -	गुण, हुनर		
● फर्ज -	दरार		
फ़र्ज -	कर्तव्य		
● फल -	खानेवाला फल, नतीजा, परिणाम		
फाल -	कटा हुआ टुकड़ा, डग		
ब			
● बदन -	शरीर, देह		
बदन -	मुख		
● बदि -	बदला, पलटा		
बदी -	कृष्ण पक्ष, अहित, चुराई		

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
भ		य	
● भंगि - लहर, टेढ़ापन		● यक्ष - देवताओं का एक वर्ग	
● भंगी - मेहतर		● अक्ष - धुरी	
● भर - पूरा भरा हुआ		● युक्त - जुड़ा हुआ, सम्मिलित	
● भार - बोझ		● युक्ति - उपाय, तरकीब	
● भवन - घर		● योग - जोड़ने की क्रिया, योगदर्शन	
● भुवन - संसार		● योग्य - उपयुक्त	
● भाँड़ - भाँड़ा, बरतन		● योगा - सीता की एक सखी	
● भाँड - मसखरा, नकल उतारने वाला		● योग्या - अभ्यास, स्त्री	
● भारती - सरस्वती		र	
● भारतीय - भारत का		● रण - युद्ध	
● भावित्र - त्रिलोक		● रन - ताल, झील	
● भावित्य - होनहार		● राज - शासन, हुकूमत	
● भित्ति - दीवार, छत		● राज्ञ - रहस्य, भेद	
● भीति - डर, भय		● रुख - चेहरा, मुख, गाल, कपोल	
म		● रुख - तृण, घास, वृक्ष	
● मणि - बहुमूल्य पत्थर		● रूढ़ - उत्पन्न, प्रचलित, वह	
● मढ़ी - छोटा मठ, छोटा मंदिर, कुटिया		● रूढ़ - संख्या जो विभक्त न हो	
● मणी - सांप		● रूढ़ - आरूढ़, चढ़ा हुआ, प्रसिद्ध,	
● मद - मतवाला		● रूढ़ - उजड़, कठोर, अकेला	
● मद्य - मदिरा, शराब		● रेचक - दस्तावर, कब्ज दूर करने की औषधि	
● मध्य - बीच में		● रोचक - मनोरंजक, दिलचस्प	
● मिल - उद्योग संयंत्र, कारखाना		● रेश - बड़ी और लम्बी दाढ़ी	
● मील - दूरी की नाप		● रेष - हानि, क्षति, हिंसा	
● मूल - जड़		ल	
● मूल्य - क्रीमत		● लगन - धुन, निष्ठा	
● मृत - मरा हुआ		● लग्न - शुभ मुहूर्त	
● मृत् - मिट्टी		● लपट - ज्वाला	
● मेला - किसी उत्सव पर लोगों का किसी		● लिपट - लिपटना, चिपकना	
		● लवण - नमक	
● मैला - गन्दा		● लवन - खेती से कटाई, छेदना	

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● लक्ष - लक्ष्य	सौ हजार, लाख उद्देश्य, निशाना लगाने की वस्तु		श
	व	● शंकर - संकर	महादेव वर्णसंकर, मिश्रित
● वक - बक - वक्र	बगुला पक्षी बकासुर टेढ़ा, झुका हुआ	● शकट - शकठ	बैलगाड़ी मचान
● वरण - वारण	चुनाव न्यौछावर करना	● शकल - सकल	मुखड़ा सम्पूर्ण
● वलि - वली	सिकुड़न, झुरी स्वामी	● शती - सदी - सती	सैकड़ा शताब्दी पतिव्रता स्त्री
● वशा - वसा	स्त्री, गाय, हथिनी भेद, चरबी वाला पदार्थ	● शबल - सबल	चितकबरा ताकतवर
● वसन - व्यसन	कपड़ा आदत	● शम - सम	शान्ति, मानसिक स्थिरता समान
● वस्तु - वास्तु	चीज भवन-निर्माण सम्बन्धी कला, स्थापत्य	● शय्या - सज्जा	सेज, बिछावन सजावट, शृंगार
● वाण - वात	बाण, तीर कथन, वचन	● शर - सर	बाण सरोवर (बड़ा तालाब या ताल)
● वास - बास	निवास दुर्गन्ध	● शशधर - शशिधर	चन्द्रमा शिव
● विद्ध - विद्	छेदा हुआ जानकार	● शस्त्र - शास्त्र	हथियार ग्रन्थ
● विपिन - विपन्न	जंगल गरीब	● शाख - साख	शाखा प्रतिष्ठा
● विलक्षण - विचक्षण	असाधारण, अद्भुत, अनोखा निपुण, दक्ष	● शाला - साला	घर, विद्यालय, विशेष मकान जैसे-गोशाला, अश्वशाला पत्नी का भाई
● वृत् - वृत्त	वरण किया, चुना हुआ गोलाकार, चरित्र	● शित - शीत	दुर्बल, धारदार ठण्डा, शीतल
● वेग - वेग	गति सामंत, अमीर	● शील - सील	चरित्र, आचरणवान् मुहर, ठप्पा
● व्यंग - व्यंग्य	अंगरहित, विकलांग साहित्य की एक विधा का नाम, ताना (जैसे-व्यंग्य कसना)	● शीशा - सीसा	काँच, दर्पण एक धातु का नाम

शब्द युग्म	अर्थ	शब्द युग्म	अर्थ
● शुक -	तोता/सुग्गा	● सुकर -	आसानी
शूक -	जौ	शूकर -	सुअर
शुक्र -	एक ग्रह का नाम	● सुत -	बेटा, पुत्र
● शुक्ति -	सीप	सूत -	सारथि, धागा
सूक्ति -	अच्छा कथन, उक्ति	● सुधी -	विद्वान्, बुद्धिमान्
● शुचि -	पवित्र	सुधि -	स्मरण, सुध
सूची -	नामावली	● सुना -	सुनने से सम्बन्धित
● शुल्क -	फ़ीस, चन्दा	सूना -	एकान्त
शुक्ल -	उज्ज्वल, एक पक्ष का नाम	● सुर -	स्वर
● शूर -	वीर	सूर -	सूर्य, सूरदास/अंधा
सूर -	सूर्य, अन्धा	● सूची -	सारणी, तालिका
● शौक -	अभिरुचि	सूचि -	सूई
शोक -	स्वजन की मृत्यु पर उत्पन्न दुःख	● सेव -	बेसन का पकवान, नमकीन
● श्वेत -	सफेद, उजला	सेब -	एक फल
स्वेद -	पसीना	● सो -	इसलिए
		सौ -	एक सैकड़ा
		● स्वर्ग -	तीसरा लोक
		सर्ग -	सृष्टि, अध्याय
ष		ह	
● षष्टि -	60 वर्ष	● हंस -	एक सफेद जल पक्षी
षष्ठी -	छठी	हँस -	हँसना
स		ह	
● सम्प्रति -	इस समय	● हय -	घोड़ा
सम्प्राप्ति -	प्राप्त होना	है -	वर्तमान काल की सहायक क्रिया
● सदेह -	देह के साथ	● हाल -	समाचार, बड़ा कमरा
सन्देह -	शक, संशय	हाला -	शराब, मदिरा
● सम -	बराबर	● हास -	हँसी
शम -	शान्ति	हास -	क्षय, कमी
● समान -	तरह, सदृश		
सामान -	सामग्री		
● सर्वदा -	हमेशा		
सर्वथा -	सब तरह से		
● सवर्ण -	समान वर्ण का, समान रूप-रंग का		
सुवर्ण -	सोना, सुंदर वर्ण का		

क्ष	त्र	ज्ञ
-----	-----	-----

- क्षति - हानि
- क्षिति - पृथ्वी
- क्षेत्र - क्षेत्रिय
- छत्र - छाता
- क्षात्र - क्षत्रिय-सम्बन्धी
- छात्र - विद्यार्थी

- त्रस - चलनशील
- त्रास - भय, खौफ, तकलीफ
- ज्ञ - जानने वाला
- ज्ञात - जाना हुआ, विदित
- ज्ञाता - जानकार

-----▲▲▲▲▲▲-----

अनेकार्थक शब्द

परिभाषा - जिन शब्दों से कई अर्थों का बोध होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं।

हमारी भाषिक सम्पदा में बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ऐसे शब्दों का अर्थ प्रयोगों के आधार पर प्रसंगानुसार ही होते हैं। भाषा सौष्ठव की दृष्टि से इनका अत्यंत महत्व है।

अ

- अंक - चिह्न 1 से 9 तक की गणना, नाटक के अंक, गोद, शरीर, भाग्य, परिच्छेद, संख्या, चिह्न, अध्याय
- अंकुश- नियन्त्रण, दबाव, हाथी को चलाने-रोकने का काँटा (जो लौह निर्मित होता है)
- अंग - पक्ष, अंश, शाखा, शरीर, अवयव, एक प्राचीन देश का नाम, भाग
- अँधेरा- अंधकार, उदासी, प्रकाश के बिना
- अंचल- साड़ी का पल्लू, प्रदेश, सिरा, कोना
- अंत- सिरा, समाप्ति, मृत्यु, भेद (रहस्य)
- अंतरंग- गुप्त, घनिष्ठ, अन्दर का (भीतरी)
- अंबर- आकाश, वस्त्र, बादल
- अंबुज- कमल, बेंत, ब्रह्मा, शंख
- अम्भोज- कमल, सारस, चन्द्रमा
- अमृत- न मरने वाला, अमर, सुंदर, सुधा, देवता, मृत्युरहित, सोमरस, जल, घी, दूध
- अकाल- दुर्भिक्ष, अभाव (कमी), असमय
- अतिरिक्त- फालतू, अलावा, अलग (भिन्न)
- अध्यक्ष- सभापति, विभाग का मुखिया
- अनन्त - विष्णु, बहुत अधिक, आकाश, अविनाशी, अन्तहीन, शेषनाग, बाजूबंद (बाँह पर पहनने वाला एक आभूषण)
- अनर्थ- विपत्ति, अनुचित अर्थ, अर्थ का अभाव, अशुभ घटना
- अनुरूप- मिलता-जुलता (सदृश); अनुकूल, उपयुक्त
- अपवाद- खंडन, बदनामी, दोष, नियम से छूट (सामान्य नियम से भिन्न बात)

- अबोध- नासमझ, दुरूह, दुर्बोध, मूर्ख
- अब्ज- कपूर, शंख, चन्द्रमा, कमल
- अर्थ- धन, अभिप्राय (मतलब), प्रयोजन, कारण (निमित्त), शब्द की शक्ति, किसी बात या शब्द की व्याख्या, मूल्य
- अलग- पृथक्, भिन्न, अछूता, न लगा हुआ
- अवली- झुण्ड, श्रेणी, माला, पंक्ति
- अवस्था- उम्र, दशा, स्थिति
- अशुद्ध- अपवित्र, गलत, गन्दा
- असली- मौलिक, वास्तविक, शुद्ध, सच्चा, खालिस
- अहि- साँप, सूर्य, राहु, जल, पृथ्वी, वृत्रासुर, ठग, पथिक, सीसा, बादल, नाभि
- अक्ष- ज्ञान, मण्डल, आत्मा, पहिया, धुरी, आँख, रथ, सूर्य, सर्प, चौसर का पासा
- अक्षत- बिना घाव, पूरा (समूचा), कच्चा चावल
- अक्षर- वर्ण, सत्य, मोक्ष, आकाश, ब्रह्म, आत्मा, नित्य, अविनाशी

आ

- आँख- नेत्र, निगरानी, दृष्टि
- आकर- खान, स्त्रोत, कोष
- आगम- ज्ञान, शास्त्र, आना
- आचार्य- गुरु, महापण्डित, शिक्षक (अध्यापक), मुख्य पुरोहित, वेदाचार्य (वेदशास्त्रों का ज्ञाता)
- आदि- आरंभ (शुरू), पहला, प्रारंभिक, वगैरह (इसी प्रकार अन्य भी), परमेश्वर (परमात्मा), पुरातन
- आपत्ति- विपत्ति (मुसीबत), एतराज, संकट
- आब- चमक, छवि (शोभा), इज्जत, पानी
- आराम- सुख, विश्राम, राहत, सुविधा, वाटिका
- आली- सखी, पंक्ति, गोला, मान्यवर
- आज्ञा- अनुमति, आदेश, हुक्म
- आश्रम- जीवन के चार अंगों में से एक, तपोभूमि, आश्रय-स्थान

इ

- इन्दु- चन्द्रमा, कपूर, गणित में एक की संख्या
- इष्ट- कुलदेव, वांछित, प्रिय, परमात्मा, आराध्यदेवता, पूजित
- इह- इस काल में, यहाँ, इस लोक में

ई

- ईशान- पूर्व और उत्तर के बीच का कोण, विष्णु, ज्योति, ईश्वर, अधिपति (स्वामी), महादेव (शिव)
- ईक्षण- विवेचन, दर्शन (देखना), जाँच, विचार, आँख

उ

- उगना- पैदा होना, उदय होना, निकल आना
- उग्र- भयानक, क्रूर, तीव्र, कष्टदायक
- उच्च- श्रेष्ठ, बड़ा, जोर का, उठा हुआ
- उत्पात- हो-हल्ला, शरारत, दंगा
- उपस्कर- अलंकार, सामान, संयंत्र
- उमा- पार्वती, दुर्गा, कांति, शांति, कीर्ति
- उड़ाना- चुराना, तेजी से चलाना, उड़ने में प्रवृत्त करना, फैलाना, नष्ट करना, अपव्यय करना

ऊ

- ऊँचा- उन्नत, लंबा, श्रेष्ठ (उत्तम), सम्मानित, पद-प्रतिष्ठा में बड़ा
- ऊत- निःसंतान, मूर्ख
- ऊना- न्यून, हीन, तुच्छ, सुस्त

ऋ

- ऋजु- प्रसन्न, अनुकूल, सीधा, सरल (सहज), सज्जन
- ऋण- कर्ज, दायित्व, उपकार (एहसान), घटाने का निशान या चिह्न (-)

ए

- एकांत- अत्यन्त, अकेला, अलग, निर्जन

ऐ

- ऐरावत- इन्द्रधनुष, इन्द्र का हाथी, बिजली से चमकता हुआ बादल

ओ

- ओक- घर, ठिकाना, नक्षत्रों का समूह, ग्रहों का समूह
- ओकपति- चन्द्रमा, सूर्य

औ

- औघड़- अंडबंड, अनोखा, भद्दा, विलक्षण (अजीबोगरीब), अघोरी, फक्कड़, मनमौजी

क

- कंज- ब्रह्मा, कमल, अमृत, केश
- कंटक- काँटा, बाधा (विघ्न), दुश्मन
- कंस- काँसा, प्याला, सुराही, मँजीरा, श्रीकृष्ण का मामा
- कटक- सेना, कड़ा, चटाई, शृंखला, शिविर, समूह
- कटाक्ष- व्यंग्य, तिरछी नज़र, आक्षेप
- कट्टर- अपने मत का जिद्दी, दृढ़प्रतिज्ञ, कठोर
- कनक- सोना, धतूरा, टेसू, पलाश, खजूर, गेहूँ
- कन्या- कुमारी, एक राशि, पुत्री, लड़की
- कपि- बन्दर (मर्कट), हाथी, सूर्य, एक ऋषि
- कर- किरण, हाथ, टैक्स (महसूल), सूँड़
- कर्ण- कान, कुन्ती का पुत्र, त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा
- कर्तन- कतरना, काटना, कातना
- कर्ता- करने वाला, बनाने वाला, परिवार का मुखिया, पहला कारक
- कर्म- क्रिया (काम), आचरण, भाग्य, मृतक-संस्कार, दूसरा कारक
- करीब- समीप, लगभग, सगा
- कलम- लेखनी, कूँची, काटना, कनपटी के बाल, काटकर लगाने की टहनी (जैसे- गुलाब के पौधे की कलम क्यारी में लगा देना)

- कपिल- भूरा (बादामी), अग्नि, सूर्य, महादेव, सांख्य दर्शन के प्रणेता मुनि
- कला- अंश, चन्द्रमा का सोलहवाँ भाग, सूर्य का बारहवाँ भाग, कौशल (हुनर), आर्ट
- कलि- कलह, दुःख, पाप, चार युगों में चौथा युग (कलयुग)
- कलुष- कलंक, पाप, अपवित्रता, गंदगी
- कड़ा- कठिन, कठोर, कंकण
- कक्ष- कमरा, सूखी घास, कक्षा (सूर्य की), कछौटा, काँख
- कक्षा- परिधि, ग्रह के घूमने का मार्ग, काँख, दर्जा
- काँटा- कीला, तौलने का एक साधन, पेड़-पौधों की नोक, मछली की हड्डी
- काटना- डंक मारना, दाँत चुभाना, रद्द करना, कटाई करना, अलग करना
- काम- इच्छा, कार्य, कामवासना, स्वार्थ, चार पुरुषार्थ में एक, कामदेव
- कायदा- नियम, तरीका, रिवाज
- काल- समय, मृत्यु (मौत), यमराज
- किनारा- तट, सिरा, पार्श्व, हाशिया
- कुल- परिवार, वंश, जाति, समूह, घर, वाममार्ग, सम्पूर्ण
- कुशल- प्रशिक्षित, चतुर, खैरियत
- केतु- ध्वजा (झंडा), पुच्छल तारा, ज्योतिष में सौरमंडल का नौवाँ ग्रह
- कोटि- धनुष का सिरा, करोड़, श्रेणी
- कोरा- बिलकुल, नया, अप्रयुक्त, अलिखित (कागज), गुणरहित (व्यक्ति)
- कसरत- अधिकता, व्यायाम (वर्जिश), मेहनत (परिश्रम)

ख

- खंड- टुकड़ा, भाग, प्रदेश, मंजिल/तल्ला
- खंडन- टुकड़े करना, विरोध, प्रत्याख्यान, हिस्सों में बाँटना
- खग- पक्षी, बाण, तारा, तलवार, सूर्य, चन्द्रमा
- खर- गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम, दुष्ट, प्रखर
- खराब- गंदा, बुरा, बरबाद, नष्ट, न चालू

- खल- दुष्ट, तलछट, खरल, चुगलखोर, धतूरा
- खून- रक्त, मार-काट, हत्या

ग

- गंदा- बुरा, अश्लील, मैला, अशुद्ध, घृणित
- गंभीर- गहरा, घना, भारी, जटिल, चिंताजनक, शांत (व्यक्ति)
- गठीला- गाँठों वाला, हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ
- गण- समूह, श्रेणी, सेना का एक भाग, छंदशास्त्र में तीन वर्णों का समूह, शिव के अनुचर, गिरोह, वर्ग (श्रेणी), संघ, सेवक (नौकर)
- गहन- जटिल, घना, गहरा, दुर्गम, दुरूह, ग्रहण, दोष, कष्ट, जल
- गायत्री- एक वैदिक छन्द, एक वैदिक मन्त्र, दुर्गा, सावित्री
- गाढ़ा- दृढ़, घना, मोटा, घनिष्ठ
- गिरा- वाणी, सरस्वती, जिह्वा, वाक्शक्ति
- गुरु- अध्यापक, दीर्घ, भारी, बृहस्पति, ग्रह, दीर्घ मात्रा (ऽ), विद्या या कला सिखाने वाला व्यक्ति (उस्ताद)
- गो- गाय, किरण, वृष-राशि, इन्द्रिय, वाणी, सरस्वती, आँख, बिजली, पृथ्वी, दिशा, स्वर्ग
- गौतमी- गोदावरी नदी, गौतम ऋषि की पत्नी (अहल्या), दुर्गा
- गौर- गोरा, लाल रंग, पीला रंग, चन्द्रमा, सोना, केसर, सफेद

घ

- घन- बादल, कपूर, घना, गणित में किसी संख्या को उसी संख्या से तीन बार गुणा करना, भारी हथौड़ा, समूह, घण्टा
- घड़ी- समय बताने वाला यन्त्र (कालसूचिका), 24 मिनट का समय, क्षण, अवसर
- घात- चोट, हत्या, गणित में किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल (पावर), अहित (बुराई)
- घोर- भयानक, सघन, कठिन, गहरा, बहुत अधिक, गर्जन, बहुत बुरा (जघन्य)

च

- चंचला- बिजली, लक्ष्मी, चंचल, स्त्री
- चक्र- चाक, पहिया, चक्कर, घेरा, मंडल
- चपला- बिजली, जिह्वा, चंचल स्त्री, लक्ष्मी
- चश्मा- ऐनक, स्त्रोत
- चाप- परिधि का आधा, टिकिया (आलू), दबाव, धनुष
- चाल- गति, चलने का ढंग, आहट, चालाकी, मोहरों का हिलना, रिवाज, धोखा, रफ्तार
- चुनना- छाँटना, चुनाव करना, क्रम में रखना, बीनना
- चौका- चार का समूह, इकट्ठे चार रन (क्रिकेट), रसोई घर, चार बूटी वाला पत्ता
- चौकी- लकड़ी का आसन, पहरा, पड़ाव, वह स्थान जहाँ पुलिस या सेना के कुछ जवान तैनात किए जाते हैं

छ

- छादन- कपड़ा/वस्त्र, पर्दा, छिपाव, आवरण/आच्छादन, छाने की क्रिया
- छाप- प्रभाव/असर, मुहर का निशान, छापने की क्रिया, छापने का साँचा/ठप्पा, छापे का चिह्न
- छौंटा- बूँदें, हल्की वर्षा, व्यंग्य, कलंक

ज

- जलज- कमल, मोती, मछली, शंख, जल जंतु
- जलधर- बादल, समुद्र, जलाशय
- जड़ना- जमाना, लगाना, प्रहार करना
- जाँच- खोज, परीक्षण, छानबीन, परीक्षा
- जुड़ना- जुटना, मिलना, जोड़ा जाना, सम्मिलित होना
- जोड़- योग, गाँठ, मेल, संधि
- जोड़ना- योग करना, एकत्र करना, बढ़ाना, टूटे हुए को जोड़ना, मिलाना
- ज्येष्ठ- बड़ा, श्रेष्ठ, जेठ का महीना, पति का बड़ा भाई, परमेश्वर, वृद्ध
- ज्योति- प्रकाश, लपट, अग्नि, सूर्य, नक्षत्र, आँख की पुतली के मध्य का बिन्दु, दृष्टि

झ

- झाड़ना- झाड़न से धूल हटाना, झाड़-फूँक करना (टोना), झटकना, फटकारना
- झोंका- वर्षा का थपेड़ा, झटका, थोड़ी नींद, वायुलहरी

ट

- टंक- सिक्का, छेनी, कुल्हाड़ी, सुहागा
- टीका- तिलक, फलदान, व्याख्या, भेंट/नजराना

ठ

- ठहरना- टिकना, पक्का होना, शान्त हो जाना, रुकना
- ठाकुर- देवता, ईश्वर, मालिक, क्षत्रिय, नाई, सरदार, मुखिया
- ठोंकना- प्रहार करना, मारना, पीटना, आघात करना, धँसाना, जकड़ना

ड

- डंड- डण्डा, बाहुदण्ड, सजा, घाटा, बाँह, हाथ-पैर के पंजों के बल पट पड़कर की जाने वाली एक प्रकार की कसरत
- डूबना- अस्त होना, पानी के नीचे जाना, नष्ट होना, समाप्त होना, बर्बाद होना, कलंकित होना

ढ

- ढंग- प्रणाली, प्रकार, युक्ति, पाखण्ड, लक्षण, कुशलता, शैली, तरीका, चलन, उपाय, आचरण
- ढर्रा- पद्धति, व्यवहार, रूप, चाल-चलन, मार्ग, उपाय
- ढीला- कम कसा हुआ, शिथिल, सुस्त, शांत, मंद, आलसी

त

- तंग- सँकरा, परेशान, सकुंचित, चुस्त
- तम- अंधकार, राहु, पाप, क्रोध, अज्ञान, कालिख, नरक, मोह
- तरंग- लहर, उमंग, स्वर, लहरी, उछाल
- तलब- खोज, चाह, आवश्यकता, बुलावा, वेतन
- तक्षक- विश्वकर्मा, बड़ई, साँप, एक नाग जिसने राजा परीक्षित को डसा था, भारत की प्राचीन अनार्य जाति

न

- तात- पिता, पूज्य, गुरु, भाई, मित्र, बड़ा
- ताप- ज्वर, आँच, कष्ट, मानसिक कष्ट
- तारा- नक्षत्र, आँख की पुतली, बालि की स्त्री का नाम, भाग्य
- ताव- गर्मी/ताप, आवेश, कागज का चौकोर टुकड़ा
- तीर- नदी, तट, बाण, समीप, सौसा धातु, रांगा
- तीक्ष्ण- उग्र, तेज, धारदार, प्रचंड, चरपरा, कर्णकटु
- तुहिन- पाला, बर्फ, चाँदनी
- तेज- प्रचंड, पैना, तीखा, शीघ्रगामी, चमकीला, फुर्तीला, उग्र

थ

- थामना- रोकना, पकड़ना, सहारा देना, उत्तरदायित्व लेना
- थोथा- जिसके भीतर कुछ सार न हो, खाली, पोला, जिसकी धार तेज न हो, व्यर्थ का

द

- दल- समूह, छोटा पत्ता, पार्टी, गुट, सेना की टुकड़ी, टुकड़ा, झुंड
- दाम- धन, मूल्य, रस्सी, धन का प्रलोभन, पुराना एक छोटा सिक्का
- दारू- दवा, शराब, बारूद
- दोष- कमी, विकार, अपराध, बुराई/ऐब, पाप, कलंक, अशुद्धि
- द्वार- दरवाजा, माध्यम, साधन, उपाय, छिद्र, प्रवेश मार्ग
- द्विज- प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण, चन्द्रमा, दाँत

ध

- धनंजय- अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अर्जुन का नाम, अर्जुन वृक्ष, विष्णु, शरीर की पाँच वायु में से एक
- धन- संपत्ति, योग, योग का चिह्न (+), रुपया-पैसा, वित्त, पूँजी
- धर्म- कर्तव्य, स्वभाव, गुण, पुण्य, सदाचार, विश्वास, मत, कानून (नीति), संप्रदाय
- धर्मराज- न्यायाधीश, युधिष्ठिर, यमराज
- धवल- उजला, सफेद, साफ़, निष्कलंक, निर्मल, सुन्दर, स्वच्छ
- धार- धारा, प्रवाह, पैना किनारा (चाकू का), सेना, सिरा, समूह, तलवार, दिशा, तेज

- नक़ली- बनावटी, काल्पनिक, झूठा, खोटा, नक़ल करके बनाया हुआ
- नक्शा- मानचित्र, तस्वीर, आकृति, रेखाचित्र, रूपरेखा, रूपरंग, बनावट
- नग- पर्वत, नगीना, सूर्य, सर्प, वृक्ष, अदद, संख्या
- नाग- साँप, हाथी, पर्वत, बादल
- नाथ- स्वामी, शिव, पति, प्रभु, बैल आदि की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी
- नायक- सेनापति, मुखिया, नाटक का मुख्य पात्र, नेता, सरदार, स्वामी, प्रभु
- निशाचर- गीदड़, सर्प, चोर, उल्लू, प्रेत, राक्षस
- निशान- चिह्न, प्राकृतिक चिह्न, मोहर, धब्बा, पता-ठिकाना
- निष्कर्ष- सारांश, अन्तिम, परिणाम, निश्चय
- नीलकंठ- मोर, शिव, एक पक्षी विशेष
- न्यास- धरोहर, भेंट, ट्रस्ट, अमानत, त्यागना।

प

- पंचानन- सिंह, शिव, विद्वान्
- पट- कपड़ा, परदा, किवाड़
- पट्टी- पाठ, शिक्षा, बुरी सलाह, टाट, लिखने की तख्ती, चारपाई की पाटी, कपड़े का लंबा टुकड़ा
- पतंग- सूर्य, पक्षी, कनकौआ, पतिंगा, टिड्डी
- पता- ठिकाना, भेद, मालूम, जानकारी, खोज, सूचना
- पद- कदम, ओहदा, पाँव, स्थान
- पय- दूध, जल, अन्न
- पयोधर- बादल, स्तन, पर्वत, तालाब
- परचा- कागज, अखबार, प्रश्नपत्र
- परिकर- समूह, कमरबन्द, परिवार, नौकर-चाकर
- पल्ला- आँचल, तराजू का पलड़ा, दिशा, किवाड़
- पक्ष- पंख, ओर, पार्श्व, दल-पार्टी
- पत्र- चिट्ठी, पत्ता, समाचार पत्र, धातु का पत्तर
- पाटी- पंक्ति, रीति, तख्ती, चारपाई की पट्टी, चट्टान

- पाठ- सबक्र, वाचन, शिक्षा, सीख, अध्याय
- पानी- जल, वर्षा, लज्जा, स्वाभिमान
- पालन- भरण-पोषण, कर्तव्य का निर्वाह, वचन पूरा करना
- पालि- पंक्ति, सीमा, एक प्रसिद्ध भाषा, कर्णलताग्र
- पात्र- बरतन, नदी का पाट, कहानी का व्यक्ति, पानी पीने/रखने का बर्तन, अधिकारी व्यक्ति
- पिंगल- छन्दशास्त्र, पीला, एक पक्षी, बन्दर, एक प्राचीन देश का नाम
- पिंजर- पिंजरा, सुनहरा रंग, अस्थि पंजर, सोना
- पुष्कर- तालाब, जल, कमल, राजस्थान में अजमेर के पास एक तीर्थ स्थल जहाँ ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है
- पृष्ठ- पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, ऊपरी सतह
- पैदा- अर्जित, उत्पन्न, प्रकट
- प्रत्यक्ष- आँखों के सामने, स्पष्ट, सीधा, साफ़
- प्रपंच- बखेड़ा, झंझट, मिथ्या, विस्तार, प्रतिकूलता, ढोंग

फ

- फटकारना- झटके से हिलाना, पटककर धोना, डाँटना
- फल- मेवा, परिणाम, लाभ, शस्त्र का अग्रभाग, कर्मभोग
- फूटना- छेद होना, प्रकट होना, मवाद निकलना, अंकुर निकलना, अलग हो जाना, बिगड़ना
- फूलना- पुष्पित होना, घमंड करना, रूठना, सूजना, बहुत प्रसन्न होना, मोटा होना

व

- बंधन- बांधने की चीज, कैद, बाँधना, बाधा, पुल, बाँध, रुकावट
- बंसी- बाँसुरी, मछली फँसाने का काँटा, विष्णु-कृष्ण-राम के चरणों का रेखाचिह्न
- बट्टा- पत्थर का टुकड़ा, लोढ़ा, कमी, घाटा, छूट (डिस्काउंट), तौल का बाट, काट (व्यापार में)
- बनाना- रचना, मरम्मत करना, तैयार करना, सुसज्जित करना, संबंध जोड़ना, प्रतिष्ठित करना, झूठी बातें कहना
- बल- शक्ति, मरोड़, सहारा, चक्कर, सेना, दबाव

- बहना- प्रवाहित होना, धारा में आगे बढ़ना, हवा चलना, आचरण भ्रष्ट होना, अत्यधिक व्यय होना, डूब जाना
- बढ़ना- उन्नत होना, अधिक होना, आगे जाना, लाभ होना, महँगा होना
- बाबा- पिता, दादा, साधु, बुढ़ा, बच्चा
- बिंदी- माथे पर लगाया जाने वाला गोल टीका, शून्य का सूचक चिह्न, अनुस्वार चिह्न, कोई छोटा गोल चिह्न, टिकुली
- बिंदु- बूँद, कण, शून्य, चिह्न, अनुस्वार
- बिजली- विद्युत, तड़ित, कान का एक गहना
- बैठक- बैठने का कमरा, बैठने की मुद्रा, अधिवेशन, एक कसरत, बैठने का आसन

भ

- भगवान- ईश्वर, पूज्य, ऐश्वर्यशाली, महापुरुष, परमात्मा, खुदा
- भेद- अन्तर, फूट, छेदन, रहस्य
- भूत- प्रेत, बीता हुआ, भूतकाल, पहले का

म

- मंडल- वृत्त, भूखंड, सूर्य-चंद्रमा का घेरा, डिविजन, समिति, चक्कर, नगर खंड
- मंत्र- वेद का श्लोक, सलाह, राय, स्तुति, मंत्रणा, सूत्रवाक्य
- मद- निंदनीय, अहंकार, मद्य, शराब, नशा, पागलपन, मस्ती, खाता, शीर्षक
- मधु- फूलों का रस, वसन्त ऋतु, शहद, चैत्रमास, मीठा, शराब
- मन- अन्तःकरण, इच्छा, मणि, दिल, 40 सेर का वजन
- महावीर- बहुत बलवान, हनुमान, गौतम बुद्ध, सिंह, चौबीसवें एवं अंतिम जैन तीर्थंकर
- मान- तौल, पैमाना, सम्मान, घमंड, रूठना
- माया- भ्रम, इंद्रजाल, भगवान की लीला, दौलत, कपट
- मिलाना- मिश्रित करना, जोड़ना, तुलना करना, मिलान करना, किसी को अपनी ओर करना, भेंट या परिचय कराना
- मित्र- दोस्त, सहयोगी, सूर्य, एक आर्य देवता
- मुद्रा- सिक्का, मोहर, अँगूठी, छाया, चिह्न, आकृति, रुपया, मुख्यचेष्टा

- मुड़ना- लौटना, झुकना, घूमना, हिचकना
- मूक- चुप, विवश, गूँगा, अवाक्
- मूल- उन्नीसवाँ नक्षत्र, जड़, कंद, आरंभ, पूँजी, नौव, मूलधन
- मोहर- अशर्फी, छाप, ठप्पा

य

- युक्त- जुड़ा हुआ, सम्मिलित, नियुक्त, संपन्न, उचित
- युक्ति- कौशल, योग, तरक्रीब, दलील, मिलन, उपाय
- योग- मेल, लगाव, ध्यान, कुल, जोड़, शुभकाल, मन की साधना
- योनि- उत्पत्ति-स्थान, प्राणियों के विभाग (जिनकी संख्या चौरासी लाख बतायी गयी है।)

र

- रंग- शोभा, मनोविनोद, रोब, नाच-गाना, ढंग, युद्धक्षेत्र, रौनक, राँगा नामक धातु
- रक्त- खून, केसर, लाल रंग, लाल कमल, सिंदूर
- रस- निचोड़, स्वाद, आनन्द, सत्त, धातु का भस्म, जूस
- रसाल- स्वादिष्ट, आम, रसीला, मीठा, ईख

ल

- लगना- सटना, जुड़ना, चिपकना, घाव (चोट करना), खर्च होना, चुभना, नियुक्त होना, आरम्भ करना, रगड़ खाना
- लगाना- जोड़ना, चिपकाना, कान भरना, खर्च कर देना, नियुक्त करना, आरम्भ कराना, सटाना, टाँकना
- लहर- तरंग, उमंग, झोंका, झूलना, हर्ष

व

- वन- जंगल, जल, बाग
- वर- दूल्हा, श्रेष्ठ, वरदान, आशीर्वाद
- वर्ग- श्रेणी, कोटि, प्रकोष्ठ, जमात, समान लंबाई-चौड़ाई वाला समकोण चतुर्भुज, गणित में समान अंकों का घात, परिच्छेद
- वर्ण- भेद, अक्षर, रंग, जाति, रूप, चातुर्वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र)

- विचार- राय, सलाह, ध्यान, मान्यता, ख्याल
- विधि- तरीका, कानून, युक्ति, विधाता, व्यवस्था
- विभूति- वृद्धि, बहुतायत, ऐश्वर्य, दौलत, दिव्यशक्ति, राख, महिमामय, प्रभुता
- विषम- असमान, भयानक, विपरीत, विलक्षण
- वृत्त- गोल घेरा, चरित्र, वृत्तांत, वर्णिलेख, समाचार, इतिहास
- व्यवहार- काम, महाजनी, बर्ताव, आचरण, संबंध, प्रथा, मुकदमा

श

- शक्ति- ताकत, अधिकार, माया, दुर्गा, बल, क्षमता, प्रभुता, प्रकृति
- शिव- कल्याण, महादेव, भाग्यशाली, मोक्ष, महाकाल, परमात्मा
- शुद्ध- साफ, ठीक, पवित्र, खालिस, निर्दोष

ष

- षड्यंत्र- धोखा देने की योजना, दुरभिसंधि, साजिश, गुप्त रूप से की जाने वाली कार्रवाई (कांसपिरेसी)

स

- संकोच- असमंजस, लज्जा, हिचकिचाहट, सिकुड़ना
- संधि- जोड़, मेल, दोस्ती, गाँठ, संयोग, भेद
- संबंध- जोड़, रिश्ता, ताल्लुक, मेल-जोल, व्याकरण में छटा कारक, घनिष्ठता, मैत्री, लगाव
- संस्कार- परिशोधन, आचार-व्यवहार, धार्मिक कृत्य, मन पर पड़ने वाला प्रभाव, सुधारना, सजाना, व्यवस्थित करना
- संज्ञा- चेतना, संकेत, नाम, ज्ञान
- सरल- ईमानदार, सीधा, आसान, खरा, साधारण
- सही- प्रामाणिक, सत्य, ठीक, हस्ताक्षर, यथार्थ, वास्तविक, सच
- साफ़- चमकीला, सादा, निर्मल, निर्दोष, समतल, शुद्ध, स्पष्ट, निश्चल, चुकता (हिसाब), बेदाग, उज्ज्वल, खाली

- सारंग- मृग, सिंह, हाथी, कामदेव, कोयल, चातक, मोर, बाज, घोड़ा, सूर्य, हंस, स्वर्ण, भौरा, चंद्रमा, समुद्र, शंख, धनुष, बादल, हिरण, विद्युत, कमल, साँप
- सार- तत्व, निष्कर्ष, रस, शक्ति, शौर्य, साहस, सारांश
- सारस- एक प्रकार का श्वेत पक्षी, हंस, चंद्रमा, कमल
- सिद्ध- प्रमाणित, प्राप्त, पूरा किया हुआ, निश्चित, दृढ़, सत्य माना हुआ, योगी
- सिलसिला- शृंखला, व्यवस्था, क्रम, श्रेणी, परम्परा, लड़ी
- सीधा- सरल, निश्छल, प्रत्यक्ष, दाहिना, भला, जो टेढ़ा न हो, शांत
- सुधा- जल, मधु, दूध, पृथ्वी, अमृत
- सुरभि- वसन्त ऋतु, सुगन्ध, शराब, पृथ्वी, गाय, कामधेनु
- सुवर्ण- सुनहरा, सुन्दर वर्ण का, सोना
- सूत्र- जनेऊ, सूत, संकेत, पता, नियम, गूढ़ अर्थ भरा संक्षिप्त वाक्य, धागा, माध्यम
- स्थिर- पक्का, निश्चल, निश्चित, धीर, शांत, नियत, स्थायी
- स्नेह- कोमलता, प्रेम, तेल, मुलायम, वात्सल्य

ह

- हंस- आत्मा, प्राण, सूर्य, ब्रह्मा, पक्षि-विशेष (मराल पक्षी), जीवात्मा

- हर- वध अथवा नाश करने वाला, प्रत्येक, शिव, हरण करने वाला, भिन्न के अंक के नीचे की संख्या
- हरकत- गति, चेष्टा, नटखटपन, हिलना-डोलना
- हार- पराजय, थकावट, हानि, माला, नाश करने वाला, सुन्दर, भाजक
- हरि- विष्णु, इन्द्र, सूर्य, घोड़ा, चाँद, किरण, आग, हाथी, कामदेव, सर्प, मेंढक, सिंह, तोता, वानर, हवा, यमराज, ब्रह्मा, शिव, कोयल, पहाड़, हरा रंग
- हीन- दीन, रहित, थोड़ा, निकृष्ट, तुच्छ, नीच, खाली, खराब, निम्न कोटि का
- ह्रस्व- छोटा, नाटा, नीचा, तुच्छ, थोड़ा

क्षत्रज्ञश्र

- क्षुद्र- नीच, कंजूस, छोटा, थोड़ा
- त्रस- चलनशील, जंगल, चलने-फिरने वाले समस्त जीव
- ज्ञापक- ज्ञान प्राप्त कराने वाला, परिचय देने वाला, सूचक
- श्री- आदरसूचक शब्द को नाम के प्रारम्भ में रखा जाता है, सरस्वती, संपत्ति, गौरव, यश, ऐश्वर्य, चमक, लक्ष्मी

-----▲▲▲▲▲-----

संख्यावाची गूढ़ अर्थ वाले शब्द

परिभाषा- संस्कृत के साथ हिन्दी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो हैं तो संख्याओं से संबंधित, परन्तु ये संख्याएँ तथा संज्ञाएँ विशेष अर्थ अथवा गूढ़ अर्थ प्रकट करती हैं। इन्हें ही 'संख्यावाची गूढ़ अर्थ वाले शब्द' या 'संख्यावाची गूढ़ार्थक' शब्द कहते हैं।

- शून्य- अंतरिक्ष, आकाश
- एक- ईश्वर, चन्द्र, पृथ्वी, सूर्य
- दो अयन- उत्तरायण, दक्षिणायन
- दो उपासना- निर्गुण, संगुण
- दो पक्ष- कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष
- तीन अग्नि- जठराग्नि (पेट की अग्नि), दावाग्नि (जंगल की अग्नि), बड़वाग्नि (समुद्र की अग्नि)
- तीन अवस्था- बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था
- तीन कांड (वेद के)- उपासना, कर्म, ज्ञान
- तीन काल/त्रिकाल- वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल
- तीन गुण/त्रिगुण- तम, रज, सत्व
- तीन जीव- जलचर, थलचर, नभचर
- तीन दुःख (ताप) - दैविक (ईश्वरीय या अनायास ही होने वाले दुःख), दैहिक (शरीर संबंधी), भौतिक (अभाव संबंधी)
- तीन दिव्य पदार्थ- जीव, ब्रह्म, प्रकृति
- तीन देव/त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु, महेश
- तीन दोष/त्रिदोष- कफ, पित्त, वात
- तीन बल/त्रिबल- तन, मन, धन
- तीन लोक/त्रिलोक- पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक
- तीन वायु- मन्द, शीतल, सुगन्ध
- तीन राम- राम, बलराम, परशुराम
- सेना के तीन अंग (आधुनिक)-थल सेना, नौसेना, वायुसेना
- चार अंग - (नीति के) साम, दाम, दण्ड, भेद
- चार अवस्था- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त, तुरीय
- चार आभूषण- (भगवान विष्णु के हाथों में) शंख, चक्र, गदा, पद्म
- चार आश्रम- ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास
- चार दिशा- पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
- चार धाम- बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ, रामेश्वरम
- चार पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
- चार युग- सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग
- चार वर्ण- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
- चार वेद- ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद
- चार उपवेद- आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्धर्व वेद, शिल्पवेद
- चार शत्रु- काम, क्रोध, मोह, लोभ
- चार सेना- हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल
- पंचगव्य/पाँच गव्य- दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र
- पंचतत्त्व/पाँच तत्त्व- आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी
- पंच महायज्ञ- देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म (ऋषि) यज्ञ, नृ (मनुष्य) यज्ञ
- पंचमहाव्रत/पाँच यम- सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह
- पंचामृत/पाँच अमृत- दूध, दही, घी, शक्कर, शहद
- पाँच उँगलियाँ- अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका
- पाँच कर्मेन्द्रियाँ- हाथ, पाँव, मुख, लिंग, गुदा
- पाँच दिव्य कन्या- अहिल्या, कुन्ती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी
- पाँच देव- विष्णु, शिव, दुर्गा, गणेश, सूर्य
- पाँच नियम- शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान
- पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ- आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा
- छः ऋतु- वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त, शिशिर
- छः घोर दुःख- गर्भ-दुःख, जन्म-दुःख, रोग-दुःख, जरा-दुःख, क्षुधा-दुःख, मरण-दुःख
- छः रस- मीठा, कड़ुवा, कसैला, खट्टा, चरपरा (तोखा), खारा
- छः वेदांग- शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कला, छन्द, ज्योतिष
- छः शास्त्र- न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, योग, सांख्य, ज्योतिष

- सात ऋषि- गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि
- सात वार- सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि
- सात स्वर-षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, (सा, रे, ग, म, प, ध, नि)
- सात सागर- क्षीर, दधि, घृत, इक्षु, मधु, मदिरा, लवण
- अष्ट धातु- सोना, चांदी, ताँबा, पीतल, लोहा, कांसा, शीशा, राँगा
- अष्टसिद्धि- अणिमा, महिमा, लहिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व
- आठ (योग के) अंग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि
- आठ पहर - पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायं, प्रदोष, निशीथ, त्रियामा, उषा
- आठ विवाह- देव, ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्य, असुर, गन्धर्व, पैशाच, राक्षस
- नवग्रह- सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु
- नवदुर्गा- ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, चन्द्रघण्टा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायिनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री
- नवरत्न- हीरा, माणिक, पन्ना, मोती, मूँगा, गोमेद, लहसुनिया, पुखराज, नीलम
- नवरस- शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत, शान्त
- दस अवतार- मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि
- दस दिक्पाल- कुबेर, यमराज, इंद्र, वरुण, रुद्र, अग्नि, नैऋत, पवन, ब्रह्मा, विष्णु
- दस दिशा- उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान्य, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्वा (ऊपर), ध्रुवा (नीचे)
- दस नियम- शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, संयम
- बारह मास- चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन
- बारह राशि- मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन
- चौदह रत्न - श्री, रम्भा, वारुणि, विष, अमृत, शंख, ऐरावत, धनुष, धन्वन्तरि, कामधेनु, कल्पवृक्ष, चन्द्रमा, उच्चैःश्रवा, कौस्तुभमणि (ये चौदह रत्न समुद्रमंथन से प्राप्त हुए थे।)
- चौदह लोक- तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवर्लोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक
- पन्द्रह तिथि- प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक तथा प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक
- सोलह चंद्रकलाएँ- अमृता, मानदा, पूषा, पुष्टि, तुष्टि, रति, धृति, शशनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण, पूर्णमृता।
- सोलह संस्कार- गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णबोध, उपनयन, वेदारम्भ, विवाह, समावर्तन, वानप्रस्थ, संन्यास, अन्त्येष्टि।
- सोलह शृंगार- अंगशौच, मंजन, दिव्यवस्त्र, महावर, केश, माँग, ठोड़ी, माथा, मेंहदी, उबटन, भूषण, सुगन्ध, मुखराग, दंतराग, अधरराग, काजल
- षोडशोपचार पूजा विधि- आह्वान, स्थापन, पद्म, सिंहासन, अर्घ्य, आचमन, स्थान, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल, प्रदक्षिणा, नमस्कार, फूल, आरती
- अठारह पुराण- ब्रह्मा, विष्णु, शिव, पद्म, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग, वराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्माण्ड।
- सत्ताईस नक्षत्र- अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और रेवती
- अक्षौहिणी सेना- (चतुरंगिनी सेना) 109350 पैदल, 65610 घोड़े, 31870 रथ, 11870 हाथी
- चौरासी लाख योनियाँ- 4 लाख मनुष्य + 9 लाख जलचर + 11 लाख कीड़े-मकोड़े + 23 लाख पशु + 27 लाख स्थावर (पहाड़, नदी आदि) + 10 लाख नभचर पक्षी।

खण्ड - 8

40. तत्सम एवं तद्भव शब्द
41. वर्तनी/शब्द शुद्धि
42. वाक्य संरचना
43. वाक्य शुद्धि

नोट्स (Notes)

तत्सम एवं तद्भव शब्द

भाषा : अर्थ और परिभाषा- 'भाषा' शब्द संस्कृत के 'भाष्' धातु से निष्पन्न माना जाता है। इसका अर्थ है, व्यक्त करना अथवा कहना। भाषा का मुख्य अभिप्राय ध्वनि भाषा से है। 'भाष्यते इति भाषा'- भाव यह है कि भाषा व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा की प्रथम इकाई को वर्ण अथवा अक्षर कहा जाता है। हिन्दी आरम्भ से ही समन्वयशील भाषा रही है। उसके शब्द भंडार में भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ अनार्य और अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी घुल-मिल गये हैं।

हिन्दी में भारतीय आर्यभाषाओं के शब्द दो रूपों में मिलते हैं-

प्रथम : तत्सम रूप में।

द्वितीय : तद्भव रूप में।

तत्सम- वे शब्द हैं जिन्हें हिन्दी ने मूल रूप में स्वीकार किया है अर्थात् जिसके मूल रूपों में प्राचीनकाल से लेकर आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। 'तत्सम' का शाब्दिक अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों।

तद्भव- तद्भव शब्द का अर्थ है 'उससे उत्पन्न।' यहाँ 'उससे' का तात्पर्य केवल संस्कृत शब्दों से नहीं वरन् अन्य आर्य भाषाओं के शब्दों से भी है। हिन्दी आरम्भ से ही समन्वयशील भाषा रही है। उसके शब्द भंडार में भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दों के साथ-साथ अनार्य और अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द भी घुल-मिल गये हैं। संप्रति, तद्भव वे शब्द हैं जो मूल रूपों से परिवर्तित होकर अन्यान्य भाषाओं से हिन्दी में आए हैं।

अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि के तत्सम शब्दों से निकले हुए शब्द भी तद्भव कहे जाएंगे। वास्तव में तद्भव शब्द ही किसी भाषा की पूँजी होती है। हिन्दी में शब्द के दोनों रूपों- तत्सम व तद्भव का प्रयोग बोलचाल व लेखन में होता है।

महत्वपूर्ण तद्भव-तत्सम शब्द

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
	अ	अकड़ना	आकड़न	अट्ठाईस	अष्टविंशति
अँगरखा	अंगरक्षक	अकाज	अकार्य	अट्ठासी	अष्टाशीति
अंगारा	अंगार	अकेला	एकल	अदरक	आर्द्रक
अँगीठी	अग्निष्टिका	अगम	अगम्य	अनाज	अन्न
अँगूठा	अंगुष्ठ	अगुवा	अग्रणी	अढ़ाई	अर्धतृतीया
अँगूठी	अंगुष्ठिका	अखरोट	अक्षोट	अनाड़ी	अनार्य
अंजली	अञ्जलि, अञ्जलि	अचरज	आश्चर्य	अफीम	अहिफेन
अंडी	एरंडी	अच्छत	अक्षत	अमचूर	आम्रचूर्ण
अँतड़ी	अंत्र	अच्छर	अक्षर	अमावस	अमावस्या
अंधा	अन्ध	अजान	अज्ञान	अमिय, अमी	अमृत
अँधेरा	अंधकार	अटारी	अट्टालिका	अमोल	अमूल्य
				अलग	अलग्न

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
अश्वगंधा	असगंध		ई		ऐ
असाढ़	आषाढ़	ईट	इष्टिका/इसिका	ऐनक	उपचक्षु
असीस	आशीष	ईख	इक्षु	ऐना	दर्पण
अस्तुति	स्तुति	ईधन	इंधन		ओ
अहेर	आखेट	ईषां	ईर्ष्या	ओंठ	ओष्ठ
	आ		उ	ओखली	उलूखल
आँक	अंक (संख्या का सूचक)	उँगली	अंगुलि/अंगुली	ओझा	उपाध्याय
आँख	अक्षि	उगना	उद्गत	ओर	अवर
आँत	आंत्र	उगलना	उद्गलन	ओला	उपल
आँवला	आमलक	उघाड़ना	उद्घाटन		औ
आँसू	अश्रु	उछाह	उत्साह	औगुन	अवगुण
आक	अर्क	उजाला	उज्ज्वल	औचक	अकस्मात्
आग	अग्नि	उन्चास	ऊनपचाशत्		क
आज	अद्य	उपजना	उत्पद्यते	कंगन	कंकण
आठ	अष्ट	उबटन	उद्धर्तन/उद्वर्तन	कंधी	कंकती
आधा	अर्ध/अर्द्ध	उबालना	उद्बालन	कंधा	स्कंध
आम	आम्र	उल्लू	उलूक	कँवल	कमल
आलस	आलस्य	उलाहना	उपालंभ	कचहरी	कृत्यगृह
आस	आशा		ऊ	कछुआ	कच्छप
आसरा	आश्रय	ऊँचा	उच्च	कटहल	कंटफल
	इ	ऊँट	उष्ट्र	कठपुतली	काष्ठपुतलिका
इकट्ठा	एकत्र	ऊन	ऊर्णा	कपड़ा	कर्पट
इतना	इयत		ऋ	कपास	कर्पास
इक्कीस	एकविंशति	ऋनी	ऋणी	कपूत	कुपुत्र
इतवार	आदित्यवार		ए	कपूर	कर्पूर
इमली	अम्लिका	एका	ऐक्य	कबूतर	कपोत
इलायची	एला			करोड़	कोटि
				कल	कल्य

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
कलेश	क्लेश	कैंची	कर्त्तरी	गधा	गर्दभ
कसेरा	कांस्यकार	कोई	कोऽपि	गनेश	गणेश
कसौटी	कर्षपट्टिका/कर्षपट्टिका	कोख	कुक्षि	गर्दन	ग्रीवा
कहानी	कथानिका	कोना	कोण	गर्मी	ग्रीष्म
कडुआ	कटुक	कोठा	कोष्ठक	गलना	गलन
काँच	काच	कोठारी	कोष्ठागारिक	गला	कण्ठ
काँटा	कण्टक/कंटक	कोठी	कोष्ठिका	गवैया	गायक
का	कृत	क्रोधित	क्रुद्ध	गहरा	गम्भीर
काज	कार्य	कोयल	कोकिल	गाँठ	ग्रन्थि
काजल	कज्जल	कोढ़	कुष्ठ	गाँव	ग्राम
काटना	कर्तन	कौआ	काक	गागर	गर्गर
काठ	काष्ठ	कौड़ी	कपर्दिका	गाजर	गृञ्जन
कातिक	कार्तिक	क्या	किम्	गाय	गो
कान	कर्ण			गाहक	ग्राहक
कान्ह	कृष्ण			गिद्ध/गीध	गृध्र
काम	कर्म	खंडहर	खंडगृह	गिनना	गणन
काढ़ा	क्वाथ	खजूर	खर्जूर	गिरगिट	गलगित
किरन	किरण	खप्पर	खर्पर	गुफा	गुहा
किवाड़	कपाट	खंभा	स्कंभ/स्तंभ	गुन	गुण
किसन	कृष्ण	खरगोश	शशक	गुसाई	गोस्वामी
किसम	कृषाण	खाट	खट्वा	गूँजना	गुञ्जन/गुंजन
किसान	कृषक	खान	खादन	गेह/घर	गृह
कीड़ा	कटक	खार	क्षार	गेहूँ	गोधूम
कुंजी	कुञ्जिका	खीर	क्षीर	गोत	गोत्र
कुआँ	कूप	खुजली	खर्जू	गोद	क्रोड
कुत्ता	कुक्कुर	खेत	क्षेत्र	गोबर	गोमय/गोविष्ट
कुम्हार	कुम्भकार	खेल	खेला	गोरा	गौर
कूची	कूर्चिका	खोदना	क्षोदन	गौना	गमन
कृप्या	कृपया			ग्यारह	एकादश
केकड़ा	कर्कट			ग्वाल	गोपाल
केला	कदली				

ख

ग

गड्ढा

गर्त

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
	घ	चोरी	चौरिका	जड़	जटा
घर	गृह	चौकी	चतुष्पादिका	जाँघ	जंघा
घड़	घट	चौकोर	चतुष्कोण	जागना	जागरण
घड़ी	घटिका	चौखट	चतुष्काठ	जानना	ज्ञान
घाव	घात	चौथा	चतुर्थ	जाना	याति
घास	तृण	चौदह	चतुर्दश	जामुन	जम्बुल
घोड़ा	घोटक	चौपाया	चतुष्पद	जाड़ा	जाड़य
घिन	घृणा	चौराहा	चतुष्पथ	जीभ	जिह्वा/जिह्वा
घी	घृत		छ	जेठ	ज्येष्ठ
	च	छठा	षष्ठ	जोगी	योगी
चक्का	चक्र	छत	छत्र	जोबन	यौवन
चख	चक्षु	छाँह	छाया	जौ	यव
चना	चणक	छाजन	छादन		झ
चबाना	चर्वण	छाता	छत्रक	झरना	निर्झर
चमगादड़	चर्मचटक	छिलका	शकल	झीना	जीर्ण
चमड़ा	चर्म	छुरी	क्षुरिका	झूठा	जुष्ट
चमार	चर्मकार	छेद	छिद्र		ट
चाँद	चंद्र	छेनी	छेदनी	टकसाल	टंकशाला
चाँदनी	चन्द्रिका		ज	टीका	तिलक
चार	चत्वारि	जंगला	वातायन		ठ
चिकना	चिक्कण	जँवाई, जमाई	जामातृ/जामाता	ठंडा	स्तब्ध
चितेरा	चित्रकार	जजमान	यजमान	ठाँव	स्थान
चिड़िया	चटिका	जत्था	यूथ		ड
चीता	चित्रक	जनेऊ	यज्ञोपवीत	डंक	दंश
चूना	चूर्ण	जब	यदा	डसना	दंशन
चूमना	चुम्बन/चुंबन	जम	यम	डाँड़	दण्ड
चैत	चैत्र	जमुना	यमुना	डाह	दाह
चोंच	चञ्चु/चंचु	जम्हाई	जृम्भिका		
चोर	चौर	जलना	ज्वलन		
चौक	चतुष्क	जहाँ	यत्र		

तदभव	तत्सम	तदभव	तत्सम	तदभव	तत्सम
ढ		दही	दधि	न	
ढाई	अर्धतृतीया	दाई	धात्री/धाया	नंगा	नग्न
ढीला	शिथिल	दाँत	दन्त	नब्बे	नवति
त		दातुन	दंतधावन	नया	नव
तपसी	तपस्वी	दाद	दह	नस	नस्या
तब	तदा	दामाद	जामाता	नाई	नापित
तमोली	ताम्बूलिक	दाहिना	दक्षिण	नाक	नक्र, नासिका
तलवार	तरवारि	दाढ़	दंष्ट्रा	नाखून	नख
ताँबा	ताम्र	दाढ़ी	दंष्ट्रिका	नाच	नृत्य
तालाब	तडाग	दीया	दीपक	नाती	नप्तु
तिगुना	त्रिगुण	दीयासलाई	दीपशलाका	नारियल	नारिकेल
तिनका	तृण	दीवाली	दीपावली	निदुर	निष्ठुर
तिली	तिल	दुख	दुःख	नींद	निद्रा
तीखा	तीक्ष्ण	दुपट्टा	द्विपट/द्विपट	नीम	निम्ब
तीजा	तृतीयक	दुपहरी	द्विप्रहरी/द्विप्रहरी	नेउता	निमंत्रण
तीरथ	तीर्थ	दुबला	दुर्बल	नेवला	नकुल
तुरंत	त्वरित	दुबे	द्विवेदी/द्विवेदी	नेह	स्नेह
तेरह	त्रयोदश	दूज	द्वितीया	नैन	नयन
तेल	तैल	दूध	दुग्ध	प	
तोंद	तुंद	दूना	द्विगुण	पंख	पक्ष
त्योहार/त्यौहार	तिथिवार	दूब	दूर्वा	पंगत	पंक्ति
थ		दोना	द्रौण	पंछी	पक्षी
थका हुआ	क्लांत	ध		पतोहू	पुत्रवधू
थन	स्तन	धनिया	धनिका	पत्थर	प्रस्तर
थल	स्थल	धान	धान्य	पत्ता	पत्र
थान	स्थान	धीरज	धैर्य	पन्ना	पर्ण
द		धुआँ	धूम	पपड़ी	पपंटी
दस	दश	धूल	धूलि	परख	परीक्षा
दसवाँ	दशम	धोना	धावन	परछाई	प्रतिछाया, प्रतिच्छाया
				परपोता	परपौत्र

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
परपोती	परपौत्री		फ	बाँस	वंश
पराठा	पर्पट	फाँसी	पाशिका	बाँसुरी	वंशी
पलंग	पर्यङ्क	फागुन	फाल्गुन	बाँह	बाहु
पलड़ा	पटल	फिटकरी	स्फटिक	बाघ	व्याघ्र
पल्ला	पल्लव	फुटना	स्फुटन	बाजा	वाद्य
पसीना	प्रस्विन्न	फुरती	स्फूर्ति	बादल	वारिद
पहचान	प्रत्यभिज्ञान	फूल	फुल्ल/पुष्प	बायाँ	वाम
पहनना	परिधान	फेफड़ा	फुफ्फुस	बालू	बालुका
पड़ोस	प्रतिवेश	फोड़ा	स्फोट	बिकना	विक्रयण
पड़ोसी	प्रतिवेशी		ब	बिगाड़	विकार
पढ़	पठ			बिच्छू	वृश्चिक
पढ़ना	पठन	बंदर	वानर	बिजली	विद्युत
पाँच	पञ्च/पंच	बखान	व्याख्यान	बीस	विंशति
पाँव/पाव	पाद	बगुला	वक	बुरा	विरूप
पाख	पक्ष	बच्चा	वत्स	बैल	बलीवर्द
पाती	पत्रिका	बछड़ा	वत्स	बौना	वामन
पान	पर्ण	बटेर	वर्तक	ब्याह	विवाह
पानी	पानीय	बयार	वायु		भ
पापड़	पर्पट	बरसना	वर्षण	भंडार	भांडागार
पास	पार्श्व	बरात	वरयात्रा	भगत	भक्त
पिटारा	पिटक	बसेरी	वासगृह	भतीज	भ्रातृव्य
पीपल	पिप्पल	बहन/बहिन	भगिनी	भभूत	विभूति
पुआ	पूप	बहनोई	भगिनीपति	भला	भद्रक
पूँछ	पुच्छ	बहू	वधू	भांजा	भागिनेय
पूँजी	पुंज	बड़	वट	भांजी	भागिनेयी
पूत	पुत्र	बड़ई	वर्द्धकि	भाई	भ्रातृ/भ्राता
पैंतीस	पंचत्रिंशत्	बढ़ना	वर्धन	भादों	भाद्रपद
पोखरा	पुष्कर	बाँका	वक्र	भाप	वाष्प
पोता	पौत्र	बाँझ	वन्ध्या/बंध्या	भाभी	भ्रातृवधू/भ्रातृभार्या
पोती	पौत्री	बाँध	बंध	भालू	भल्लुक
पोथी	पुस्तिका			भावज/भौजाई	भ्रातृजाया
प्यास	पिपासा				

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
भिखारी	भिक्षाकारी	मीठा	मिष्ट		ल
भी	अपि	मीत	मित्र	लंगोट	लिङ्गपट्ट/लिंगपट्ट
भीख	भिक्षा	मुँह	मुख	लहसुन	लशुन
भूख	बुभुक्षा	मुखिया	मुख्य	लाख	लक्ष/लाक्षा
भेस	वेष	मुट्ठी	मुष्टि, मूठ	लाज	लज्जा
भेड़िया	वृक्	मुँछ	श्मश्रु	लीपना	लेपन
भैंस	महिषी	मेढक	मंडूक	लुहार/लोहार	लौहकार
भैंसा	महिष	मैल	मल	लेई	लेपिका
भौंरा	भ्रमर	मोर	मयूर	लोमड़ी	लोमशा
भौंह	भ्रू	मौत	मृत्यु	लोहा	लौह
	म	मौर	मुकुट	लौंग	लवंग
मकड़ी	मर्कटी	मौसी	मातृश्वसा		व
मक्खन/माखन	म्रक्षण		य	वहाँ	तत्र
मक्खी	मक्षिका	यह	एष	विछोह	विक्षोभ
मच्छर	मत्सर	यहाँ	अत्र	वीभत्स	बीभत्स
मछली	मत्स्य	यों	एवम्		श
मटका	घड़ा		र	शक्कर	शर्करा
मदारी	मंत्रकारी	रखना	रक्षण		स
मरना	मरण	राख	क्षार	सच	सत्य
मसान	श्मशान	राखी	रक्षा	सतसई	सप्तशती
महावत	महापात्र	राजपूत	राजपुत्र	सत्त	सत्त्व
महीना	मास	रात	रात्रि	सन्यासी	संन्यासी
महुआ	मधूक	रानी	राज्ञी	सपना	स्वप्न
माँ	माता	रीता	रिक्त	सपूत	सुपुत्र
माई	मातृ	रीस	ईर्ष्या	सबद	शब्द
माथा	मस्तक	रूख	वृक्ष	समक्ष	संबुद्धि
मानुस	मनुष्य	रूखा	रूक्ष	समेटना	समावर्तन
मामा	मातुल	रूठा	रूष्ट	सवा	सपाद
मिट्टी/मट्टी	मृत्तिका	रोआँ	रोम		
मिठाई	मिष्टि				
मिर्च	मरीच				

तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम	तद्भव	तत्सम
ससुर	श्वसुर	सिर	शिर	सोना	स्वर्ण
साँई	स्वामी	सीख	शिक्षा	सोलह	षोडश
सांझ	संध्या	सींग	शृंग	सौ	शत
साँप	सर्प	सीला	शीतल		ह
साँवला	श्यामल	सुआ	शुक	हाँसी	हास्य
साँस	श्वास	सुई/सूई	सूचिका, सूची	हड्डी	अस्थि
साग	शाक	सुनार	स्वर्णकार	हथिनी	हस्तिनी
साठ	षष्ठि	सुहाग	सौभाग्य	हरा	हरित
सात	सप्त	सूअर	शूकर	हल्दी	हस्त्रिदा
सातवाँ	सप्तम	सूखा	शुष्क	हाथ	हस्त
सावन	श्रावण	सूत	सूत्र	हाथी	हस्ती
सिंगार	शृंगार	सूना	शून्य	हिया	हृदय
सिख	शिष्य	सूरज	सूर्य	हिरन	हरिण
सितार	सप्ततार	सेज	शय्या	हीरा	हीराक
सियार	शृंगाल	सेठ	श्रेष्ठी	होली	होलिका
				होंठ	ओष्ठ

-----▲▲▲▲▲▲-----

वर्तनी/शब्द शुद्धि

परिभाषा- किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द वर्णमाला के अनुक्रम में जिस रूप में लिखा जाता है, उसे वर्तनी कहते हैं।

- वर्तनी की एकरूपता भाषा की शुद्धता के लिए परमावश्यक है। वर्तनी का संबंध लिखित भाषा से है।
- वर्तनी की अशुद्धि से अर्थ बदलने की संभावना बनी रहती है।
- वर्तनी की शुद्धता शब्दों के उच्चारण पर निर्भर रहता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण से उसका लिखित भाषा के रूप में सही टंकण संभव हो पाता है।
- वर्तनी की अशुद्धता के कारण अन्य भाषाओं में अनुवाद करने पर उसमें भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं।
- वर्तनी का संबंध भाषागत ध्वनियों से है। किसी भाषा में अन्य भाषाओं की ध्वनियों को ग्रहण करने की सामर्थ्य जितनी अधिक होती है, वर्तनी की दृष्टि से वह उतनी ही समर्थ भाषा मानी जाती है।

- प्रायः अपनी मातृभाषा या मुख्य रूप से स्थानीय बोली के व्यवहार एवं व्याकरण संबंधी ज्ञान की कमी के कारण उच्चारण में अशुद्धियाँ आ जाती हैं जिनके कारण वर्तनी में भी अशुद्धियाँ आ जाती हैं। इसी कारण क्षेत्र विशेष में उच्चारण के साथ वर्तनी में अशुद्धियाँ बहुतायत से देखी जा सकती हैं।

जैसे-	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध
	कक्षा	कच्चा	परीक्षा	परीच्चा
	अक्षर	अक्क्षर	आगामी	आगामी
	अज्ञान	अग्यान	अंत्येष्टि	अंत्येष्टि

इसी तरह कुछ तत्सम शब्दों का अंतिम स्वर ह्रस्व 'इ' (i) की मात्रा है किन्तु हिंदी की बोलचाल में वह दीर्घ ई (ī) की मात्रा हो गया है, इसलिए इसके लेखन में अशुद्धियाँ होती हैं।

जैसे-

अतिथि (शुद्ध)	-	अतिथी (अशुद्ध)
निधि (शुद्ध)	-	निधी (अशुद्ध)
भृकुटि (शुद्ध)	-	भृकुटी (अशुद्ध)

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
	अ				
अँकुर	अंकुर	अच्छर	अक्षर	अधःवस्त्र	अधोवस्त्र
अंधेरा	अँधेरा	अजमाइश	आजमाइश	अध्यन	अध्ययन
अंतकरण	अंतःकरण	अट्टारी	अट्टालिका	अध्यात्मक	आध्यात्मिक
अंतरगत	अंतर्गत	अणू	अणु	अध्यावसाय	अध्यवसाय
अंतर्धान	अंतर्धान	अत्याधिक	अत्यधिक	अधार	आधार
अंतरात्मा	अंतरात्मा	अत्योक्ति	अत्युक्ति	अधिक्य/आधिक्यता	आधिक्य/अधिकता
अंत्येष्टि	अंत्येष्टि	अतिंद्रीय	अतींद्रिय	अधिक्यता	अधिकता, आधिक्य
अंताक्षरी	अंत्याक्षरी	अतिथी	अतिथि	अधिग्रहीत	अधिगृहीत
अकस्मात्	अकस्मात्	अतीक्रमण	अतिक्रमण	अधिशाषी	अधिशासी
अगामी	आगामी	अतैव, अतःएव	अतएव	अधिक्षक	अधीक्षक
अग्नी	अग्नि	अर्थात्	अर्थात्	अधीनस्त	अधीनस्थ
अग्यान	अज्ञान	अद्वितिय/अद्वितिय	अद्वितीय/अद्वितीय	अनभिग्य	अनभिज्ञ
अज्ञानतावश	अज्ञानवश	अधगति	अधोगति	अनाधिकार	अनधिकार
		अर्ध	अर्द्ध/अर्द्ध	अनिष्ठ	अनिष्ट

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
अनील	अनिल	अहर्निश	अहर्निश	आहुत	आहूत
अनुगृह	अनुग्रह	अहार	आहार	आहूती	आहुति
अनुग्रहित, अनुग्रहीत	अनुगृहीत	अहिल्या	अहल्या		
अनुछेद	अनुच्छेद	अहोरात्रि	अहोरात्र		
अनुत्तर	अनुत्तर	अष्टवक्र	अष्टावक्र		
अनुसूया	अनसूया	अड्डयल	अड्डियल		
अनूकूल	अनुकूल	अक्षुण्य	अक्षुण्ण		
अनूजा	अनुजा	अक्षौहिणी	अक्षौहिणी		
अनूदीत	अनूदित	अज्ञानवस	अज्ञानवश		
अनुपातिक	आनुपातिक	आदेस	आदेश		
अनूपम	अनुपम	आधीन	अधीन		
अनेकों	अनेक				
अन्वीष्ट	अन्विष्ट				
अन्वेशण	अन्वेषण				
अतिशयोक्ति	अतिशयोक्ति				
अपकीर्त्ती	अपकीर्त्ति				
अपराह्	अपराह्न/अपराह				
अप्सरी	अप्सरा				
अभिशापित	अभिशाप्त				
अभिष्ट	अभीष्ट				
अभिष्टित	अभीष्ट				
अभिसेक	अभिषेक				
अभीमान	अभिमान				
अध्यांतर	अभ्यंतर				
अमावश्या	अमावस्या				
अम्रत	अमृत				
अवकास	अवकाश				
अवशान	अवसान				
अवश्यक	आवश्यक				
अयकर	आयकर				
अलौकिक	अलौकिक				

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
उदीप्त	उद्दीप्त	ऋषी	ऋषि	करम	कर्म
उद्धम	उद्दम/उद्धम	ए ऐ		करूणा	करुणा
उधम	ऊधम			कलस	कलश
उद्योग	उद्योग/उद्योग	एक्ट	ऐक्ट	कलेश	क्लेश
उनयन	उन्नयन	एक्य	ऐक्य	कविंद्र	कवींद्र
उन्नती	उन्नति	एच्छिक	ऐच्छिक	कवियत्री/कवित्री	कवयित्री
उन्मिलित	उन्मीलित	एतरेय	ऐतरेय (उपनिषद् का नाम)	कांच	काँच
उपनिवेशिक	औपनिवेशिक	एतिहासिक	ऐतिहासिक	कारन	कारण
उपन्यासिक	औपन्यासिक	एब	ऐब	कारवाही	कार्यवाही, कारवाई
	(उपन्यास संबंधी)	एवम	एवं	कार्यकर्म	कार्यक्रम
औपन्यासिका	उपन्यासिका (अर्थात् लघु उपन्यास)	ऐक्यता	ऐक्यता या ऐक्य	कालंदी	कालिंदी
उपयोग्यता/ उपयोगता	उपयोगिता	ऐश्वर्य, ऐश्वर्य	ऐश्वर्य	कालीदास	कालिदास
उपलक्ष	उपलक्ष्य	ओ औ		किंचित	किंचित्
उमर	उम्र			किजिए	कीजिए
उमीद	उम्मीद	ओकात	औकात	क्रियाक्रम	क्रियाकर्म
उरिण	उरुण	ओचित्य	औचित्य	कीरीट	किरीट
उलंघन	उल्लंघन	ओजल	ओझल	कीर्ती	कीर्ति
उल्लेखित	उल्लिखित	ओतसुक्य	औत्सुक्य	कुआ	कुआँ
ऊषा	उषा	ओद्योगिक/	औद्योगिक/	कुदूब	कुदुंब
ऊ		ओद्योगिक	औद्योगिक	कुतुहल	कौतूहल, कुतूहल
		ओदार्य/ओदार्यता	औदार्य	कुमुदनी	कुमुदिनी
उँचा	ऊँचा	ओषध	औषध	कुशाण	कुषाण
उर्जा	ऊर्जा	औषधी	औषधि	कुष्ट	कुष्ठ
उर्ध्व	ऊर्ध्व	औद्योगिकीकरण/	औद्योगीकरण/	कृतघ्नी	कृतघ्न
उर्मि	ऊर्मि	औद्योगिकीकरण	औद्योगीकरण	कृत्यकृत्य	कृतकृत्य
उष्मा	ऊष्मा	क		कृप्या	कृपया
उहापोह	ऊहापोह			कृतिज्ञ	कृतज्ञ
ऊखली	ओखली	कंटीला	कँटीला	कृया	क्रिया
ऋ		कठनाई	कठिनाई	कृषी	कृषि
		कनिष्ठ	कनिष्ठ	केंचवा	केंचुआ
ऋती	ऋति	कमायनी	कामायनी	केंद्रिय	केंद्रीय
ऋतू	ऋतु				

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
डमरू	डमरू		थ	द्वारिका	द्वारका
डोरी	डोरी	थर्मामीटर	थर्मामीटर		घ
	ढ	थोग	थोक	धनाइय	धनाइय
		थूँक	थूँक	धराशाई	धराशायी
ढालना	ढालना		द	धातू	धातु
ढोलक	ढोलक	दंपति	दंपती	धात्रि	धात्री
ढिलाई	ढिलाई	दयालू	दयालु	धुरंदर	धुरंधर
	त	दर्शनाभिलाषी	दर्शनाभिलाषी	धुवाँ/धूआँ	धुआँ
तखत	तख़त	दवायी	दवा, दवाई	धैर्यता	धैर्य
तत्कालिक	तात्कालिक	द्वंद्व/द्वन्द	द्वंद्व/द्वन्द	ध्वनी	ध्वनि
तत्त्वाधान	तत्त्वावधान	द्वितिय	द्वितीय	ध्रष्ट	धृष्ट
तदंतर	तदनंतर	द्वेश	द्वेष		न
तदानुकूल	तदनुकूल	द्रष्टि	दृष्टि	नराज	नाराज
तदानुसार	तदनुसार	द्रष्ट्य/दृष्य	दृश्य	नही	नहीं
तदोपरांत	तदुपरांत	द्रढ़	दृढ़	नृसंश	नृशंस
तनखा	तनख्खाह	दाँया	दायाँ	न्यौछावर	न्योछावर
तपश्या	तपस्या	दाइत्व	दायित्व	नृप	नृप
तमाकू	तंबाकू	दावागिन	दावागिनि	नाँव	नाव
तरिका	तरीक़ा	दिनाँक	दिनांक	नामावलि	नामावली
तलाब	तालाब	दिया	दीया	निकस	निकष
तस्तरी	तश्तरी	दिवार	दीवार	निजि	निजी
तहसिलदारी	तहसीलदारी	दिवारात्रि	दिवारात्र	निधी	निधि
तिथी	तिथि	दीयासलाई	दियासलाई	निर्पेक्ष	निरपेक्ष
तिरष्कार	तिरस्कार	दुर्गति	दुर्गति	निमोहो	निर्मोही
तिलांजली	तिलांजलि	दुर्गम	दुर्गम	निरव	नीरव
तुफान	तूफान	दूसरा	दूसरा	निरस	नीरस
तुकोण	त्रिकोण	दुस्कर	दुष्कर	निरसता	नीरसता
तोल	तौल	दूकान	दुकान	निरुत्तर	निरूत्तर
तीर्थकर	तीर्थकर	दूरावस्था	दुरावस्था	निरिक्षण	निरीक्षण
त्यार	तैयार	देहिक	दैहिक	निरोग	नीरोग

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
निशुल्क	निश्शुल्क/निःशुल्क	परिवेक्षण	पर्यवेक्षण	प्रसीद्ध	प्रसिद्ध
निसंकोच	निस्संकोच/निःसंकोच	परिषद	परिषद्	प्रागेतिहासिक	प्रागैतिहासिक
निसंतान	निस्संतान/निःसंतान	परिक्षण	परीक्षण	प्राणि	प्राणी
निसंदेह	निस्संदेह/निःसंदेह	परिक्षा	परीक्षा	प्राणीमात्र	प्राणिमात्र
निस्कलंक	निष्कलंक	परिक्षित	परीक्षित	प्राणीविज्ञान	प्राणिविज्ञान
निष्क्रमण	निष्क्रमण	परीपाक	परिपाक	प्रातकाल	प्रातःकाल
निष्फल	निष्फल	पश्चात	पश्चात्	प्रादुभाव	प्रादुर्भाव
निसिद्ध/निसिद्ध	निषिद्ध/निषिद्ध	पक्षि	पक्षी	पार्वतीय	पर्वतीय
निषेध	निषेध	प्रकृती	प्रकृति	पिंजड़ा	पिंजरा
निहारिका	नीहारिका	प्रगट	प्रकट	पितरऋण	पितृऋण
नीर्णय	निर्णय	प्रगती	प्रगति	पितांबर	पीतांबर
नीतिवान	नीतिमान्	प्रज्वलित	प्रज्वलित	पिसाच	पिशाच
नीती	नीति	प्रतिछाया	प्रतिच्छाया	प्रियदर्शनी	प्रियदर्शिनी
नीपात	निपात	प्रतिद्वंदी	प्रतिद्वंद्वी	प्रिष्ट	पृष्ठ
नीराशा	निराशा	प्रतिनिधी	प्रतिनिधि	पीड़ीत	पीड़ित
नीसा	निशा	प्रतिलिपी	प्रतिलिपि	प्रीती	प्रीति
नुपुर	नूपुर	प्रतिशठा	प्रतिष्ठा	पुज्य, पूज्यनीय	पूज्य, पूजनीय
नेपथ	नेपथ्य	प्रतिष्ठित	प्रतिष्ठित	पुनरोत्थान	पुनरुत्थान
नेत्रत्व	नेतृत्व	प्रतिक्षा	प्रतीक्षा	पुनरोक्ति	पुनरुक्ति
		प्रत्यार्पण	प्रत्यर्पण	पुनर्जन्म	पुनर्जन्म
		प्रत्युत	प्रत्युत	पुरंधर	पुरंदर
		प्रत्योपकार	प्रत्युपकार	पुरषोत्तम	पुरुषोत्तम
		प्रदर्शिनी	प्रदर्शनी	पुरुस्कार	पुरस्कार
		प्रभू	प्रभु	पूर्वापर	पूर्वापर
		प्रमाणिक	प्रामाणिक	पुष्टी	पुष्टि
		प्रलयंकार	प्रलयंकर	पूर्ती	पूर्ति
		प्रल्हाद	प्रह्लाद	पूर्वान्ह	पूर्वाह्न
		प्रविष्ट	प्रविष्ट	पृथक्	पृथक्
		प्रसंगिक	प्रासंगिक	पैत्रिक	पैतृक
		प्रस्तूती	प्रस्तुति	प्रोद्योगिकी/	प्रौद्योगिकी/
		प्रसासन	प्रशासन	प्रोद्योगिकी	प्रौद्योगिकी

प

पंचसती	पंचशती
पंचसील	पंचशील
पत्नि	पत्नी
परंतू	परंतु/परन्तु
परणीता	परिणीता
परम्	परम
परलौकिक	पारलौकिक
परशिष्ट	परिशिष्ट
परिप्रेक्ष	परिप्रेक्ष्य
परिवर्तन	परिवर्तन

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
प्रोढ़	प्रौढ़	भगीरथी/भागिरथी	भागीरथी	मुहुर्त	मुहूर्त
	फ	भागवत्	भागवत	मैथली	मैथिली
फक्कड़	फक्कड़	भानू	भानु		य
फफूँद	फफूँद	भारतिय	भारतीय	यद्यपी/यद्यपी	यद्यपि/यद्यपि
फैंकना	फैंकना	भारवी	भारवि	यथेष्ट	यथेष्ट
	ब	भाषायि	भाषायी	यावत्जीवन	यावज्जीवन
बदाम	बादाम	भाषायें	भाषाएँ	युक्ती	युक्ति
बधाईयाँ	बधाइयाँ	भुजंगनी	भुजंगिनी	युद्द	युद्ध/युद्ध
बनस्पति	वनस्पति	भृकुटी	भृकुटि	युधष्ठर	युधिष्ठिर
बलिष्ट	बलिष्ठ	भोगोलिक	भौगोलिक	युयूत्सा	युयुत्सा
बलीदान	बलिदान	भ्रांती	भ्रांति	योधा	योद्धा/योद्धा
बहु	बहू		म		र
बहिस्कार	बहिष्कार	मंजू	मंजु	रँग	रंग
बाँझ	बाँझ	मँहगाई	महँगाई	रचयता, रचियता	रचयिता
बाँया	बायाँ	मंत्रीमंडल	मंत्रिमंडल	रनभूमि	रणभूमि
बाली	बालि	मधू	मधु	रविंद्र	रवींद्र
बाल्मीक, बाल्मीकी	वाल्मीकि	मध्यान्ह	मध्याह्न/मध्याह्न	रहिम	रहीम
बारात	बरात	मरीचका	मरीचिका	रागनी	रागिनी
बाहू	बाहु	महत्त्व	महत्त्व	राजाभिषेक	राज्याभिषेक
बिंदू	बिंदु	महाबलि	महाबली	रामायन	रामायण
बिमारी	बीमारी	महिना	महीना	रासायनीक	रासायनिक
बेइमान	बेईमान	मत्री	मंत्री	रात्री	रात्रि
बुद्धी/बुद्धी	बुद्धि/बुद्धि	मृत्युदंड/	मृत्युदंड/	रिण	ऋण
ब्रम्हा	ब्रह्मा/ब्रह्मा	मृत्युदण्ड	मृत्युदण्ड	रितिकाल	रीतिकाल
ब्रह्मस्पति	बृहस्पति	माँस	मांस	रितु	ऋतु
ब्राम्हण	ब्राह्मण/ब्राह्मण	मानवीकरण	मानवीकरण	रिद्धि/रिद्धि	ऋद्धि/ऋद्धि
	भ	मारूती	मारुति	रिषी	ऋषि
भगवतगीता	भगवद्गीता	मालुम	मालूम	रुठना	रूठना
भगनी	भगिनी	मुनी	मुनि	रुप	रूप
		मुमुर्ष	मुमुर्षा	रूद्र	रुद्र

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
ल		वेदिक	वैदिक	षट्मास	षण्मास
लघुत्तर	लघूत्तर	वेदेही	वैदेही	षष्ठम्	षष्ठ
लावण्य	लावण्य	वेषभूषा	वेशभूषा	षष्ठि	षष्ठी
लिपी	लिपि	व्यंग	व्यंग्य	षड्दर्शन	षड्दर्शन
लौकिक	लौकिक	व्यंगोक्ति	व्यंग्योक्ति	षड्यंत्र	षड्यंत्र
व		व्यवहरित	व्यवहृत	षोडशी	षोडशी
वधु	वधू	व्याकरण/व्याकरण	व्याकरण	स	
वरिष्ठ	वरिष्ठ	व्यावसायिक	व्यावसायिक	संगठन	संगठन
वांगमय	वाङ्मय	व्यावहारिक	व्यावहारिक	संगृह	संग्रह
वाँछनीय	वांछनीय	व्योहार	व्यवहार	संग्रहीत	संगृहीत
वाकपटु	वाक्पटु	व्रथा	वृथा	संघटन	संघटन
वाल्मीकी	वाल्मीकि	व्रंद	वृंद	संतती	संतति
वाहनी	वाहिनी	श		संधी	संधि
विच्छुब्ध	विशुब्ध	शांती	शांति	सन्मान	सम्मान
विदीत	विदित	शारिरिक	शारीरिक	संपति	संपत्ति
विधार्थी	विद्यार्थी/विद्यार्थी	शाबास	शाबाश	सम्मती	सम्मति
विधी	विधि	सारांस/शारांश	सारांश	सम्वाद	संवाद
विना	वीणा	शाषकीय/शाशकीय	शासकीय	संश्लिष्ट	संश्लिष्ट
विभीषण/	विभीषण	स्वसुर	श्वसुर	संस्कर्ण	संस्करण
विभीषन	विमर्श	शत्रू	शत्रु	सन्सार	संसार
विमर्ष	विमर्श	शताब्दि	शताब्दी	संसारिक	सांसारिक
विरहणी	विरहिणी	शनैः/शनैः	शनैः/शनैः	संसोधन	संशोधन
बिराट्/विराट	विराट	शंभू	शंभु	संसोधित	संशोधित
विलच्छण	विलक्षण	शुरू	शुरू	संक्षिप्तिकरण	संक्षिप्तीकरण
विश्वासनीय	विश्वसनीय	शेश	शेष	सकुशलपूर्वक	सकुशल/कुशलपूर्वक
विशिष्ट	विशिष्ट	शुद्धी	शुद्धि	सतगुण	सद्गुण
वृद्धी/वृद्धी	वृद्धि/वृद्धि	ष		सतत्	सतत
		षटानन	षडानन	सत्मार्ग	सन्मार्ग
		षट्मुख	षण्मुख	सदृश्य	सादृश्य/सदृश
				सदोपदेश	सदुपदेश

अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध	अशुद्ध	शुद्ध
सप्ताहिक	साप्ताहिक	सुक्ष्म	सूक्ष्म	हिरन	हिरण
समर्पन	समर्पण	सूँड	सूँड	हेतू	हेतु
समृद्ध/सम्रद्ध	समृद्ध/समृद्ध	सृष्टी	सृष्टि	क्षत्रज्ञ	
समृद्धि/सम्रद्धि	समृद्धि/समृद्धि	सौन्दर्य/सौंदर्य	सौंदर्य/सौन्दर्य		
समाजिक	सामाजिक	सोम्य	सौम्य	क्षती	क्षति
समाधी	समाधि	सौजन्यता	सौजन्य	क्षत्रीय	क्षत्रिय
समिक्षा	समीक्षा	सौन्दर्यता	सौन्दर्य/सुंदरता	क्षिती	क्षिति (पृथ्वी)
समीति	समिति	सौहार्द्र	सौहार्द	क्षीन	क्षीण
सरोजनी	सरोजिनी	स्थाई	स्थायी	क्षुदा	क्षुधा
सहस	साहस	स्थायीत्व	स्थायित्व	क्षुब्ध	क्षुब्ध
सहाब	साहब	स्थिती	स्थिति	क्षेत्र	क्षेत्र
साईकिल	साइकिल	स्वयं	स्वयं	क्षेत्रिय	क्षेत्रीय
साधू	साधु	स्वयंवर/स्वयम्बर	स्वयंवर	त्रीभुवन	त्रिभुवन
सार्मथ्य, सामर्थ	सामर्थ्य	स्वस्थ्य	स्वस्थ/स्वास्थ्य	त्रिपुरारी	त्रिपुरारि
सारिणी	सारणी	स्वातंत्रोत्तर	स्वातंत्र्योत्तर	त्रण	तृण
साहित्यक	साहित्यिक	स्वास्तिक	स्वस्तिक	त्रिप्त	तृप्त
साक्ष	साक्ष्य	स्त्री	स्त्री	त्रिष्णा	तृष्णा
सिंघासन	सिंहासन	ह		त्रिमासिक	त्रैमासिक
सिंदूर/सिन्दुर	सिंदूर/सिन्दूर			ज्ञानूदय	ज्ञानोदय
सिंहिनी	सिंहनी	हंसी	हँसी	श्र	
सिमांत	सीमांत	हट	हठ		
सीधा-साधा	सीधा-सादा	हरितिमा, हरीतमा	हरीतिमा	श्रंखला	शृंखला
सीढ़ी	सीढ़ी	हस्ताक्षेप	हस्तक्षेप	श्रृंग	शृंग
सुई	सूई	हृदयवान	हृदयवान्	श्रृंगार	शृंगार
सुक्ति	सूक्ति	हात, हाँथ	हाथ	श्रवन	श्रवण
सुचिपत्र	सूचीपत्र	हानी	हानि	श्राद	श्राद्ध/श्राद्ध
सुदरता	सुंदरता	हिंदी/हिन्दी	हिन्दी/हिंदी	श्रद्धा	श्रद्धा
सुसमा	सुषमा	हिंदु	हिंदू	श्रीमति	श्रीमती
सुसुप्ति	सुषुप्ति	हितैशी/हितैषी	हितैषी	श्रीमान	श्रीमान
		हिरण्यकश्यप	हिरण्यकशिपु		

वाक्य संरचना

वाक्य- किसी न किसी भाव या विचार को सम्पूर्ण रूप से प्रगट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं।

जैसे- वह जा रहा है।

शब्दों के ऐसे समूह जो किसी भाव या विचार को प्रगट नहीं करते-वह वाक्य नहीं कहलाता।

जैसे- 'आम नहीं उठना सोता'

वर्णों का समूह भी वाक्य की श्रेणी में नहीं आते।

जैसे- यगलजबफतखपत

वाक्य के मुख्य अवयव (अंग) दो होते हैं

1. उद्देश्य

2. विधेय

1. **उद्देश्य-** जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे बताने वाले शब्द (शब्दों) को उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए-

क. राम ने रावण को मारा।

ख. फूल सुन्दर है।

वाक्यों में क्रमशः 'राम ने' और 'फूल' उद्देश्य हैं क्योंकि वाक्य के शेष भाग में इनके विषय में कहा गया है।

2. **विधेय-** उद्देश्य के बारे में जो विधान किया जाता है अर्थात् जो कहा जाता है, उन शब्दों को विधेय कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में 'रावण को मारा' तथा 'सुन्दर है' विधेय हैं क्योंकि ये उद्देश्य के बारे में कहे जाने वाले शब्द हैं।

वाक्य के आवश्यक तत्व

वाक्य के मुख्यतः छः आवश्यक तत्व हैं-

1. सार्थकता 2. योग्यता 3. आकांक्षा 4. निकटता या आसक्ति 5. पदक्रम 6. अन्वय

1. **सार्थकता-** वाक्य के शब्द सार्थक होने चाहिए।

जैसे- मैं आम खाता हूँ।

2. **योग्यता-** शब्दों में प्रसंग के अनुसार भाव बोध की क्षमता होनी चाहिए। निम्न वाक्य पर विचार करें-

वह 'दुकान' की 'सम्मुख' जा रहा है।

उपर्युक्त वाक्य के सभी शब्द सार्थक हैं परन्तु 'सम्मुख' शब्द वाक्य के अनुकूल नहीं है यदि उसके स्थान में 'ओर' का प्रयोग किया जावे तो वह वाक्य का सही अर्थ प्रगट

कर रहा है। अतएव वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में भाव प्रगट करने की योग्यता होनी चाहिए।

3. **आकांक्षा-** वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उससे पूरा अर्थ प्रगट हो, जिससे कुछ और जानने की आकांक्षा न रहे।

निम्न वाक्य पर विचार करें- 'संतरा खा रहा है'

उपर्युक्त वाक्य में 'कर्ता' को जानने की आकांक्षा होगी कि 'कौन खा रहा है?'- इस तरह यह पूर्ण अर्थ प्रगट नहीं कर रहा है।

यदि हम यह लिखें-'राम संतरा खा रहा है।' तब यह पूर्ण अर्थ प्रगट कर रहा है, यही वाक्य का आवश्यक तत्व भी है।

4. **निकटता या आसक्ति-** किसी भी वाक्य के पद या शब्दों में निरन्तर प्रवाह होना चाहिए ताकि सार्थक भाव प्रगट हो सके। शब्दों की निकटता/आसक्ति अथवा दूरी से भाव में अन्तर आ सकता है। जैसे-

अ. रोको, मत जाने दो।

ब. रोको मत, जाने दो।

उपर्युक्त दोनों वाक्यों के शब्द वही हैं, परन्तु विराम चिह्न के कारण दोनों के अर्थ भिन्न हैं।

5. **पदक्रम-** वाक्यों में पदों (शब्दों) का एक निश्चित क्रम होता है, तभी सार्थक भाव प्रगट होते हैं। जैसे- वह लकड़ी काट रहा है।

उपर्युक्त वाक्य से सार्थक भाव प्रगट हो रहा है। यदि हम उसे यह लिखें-'है वह रहा काट लकड़ी'-तो पदक्रम ठीक न होने के कारण सार्थक भाव प्रगट नहीं हो पा रहा है।

6. **अन्वय-** 'अन्वय' का अर्थ है-मेल। वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया के साथ ठीक-ठीक मेल होना चाहिए। जैसे-'राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर चले।' उपर्युक्त वाक्य सार्थक है क्योंकि उसमें व्याकरणिक दृष्टि से एकरूपता है। यदि उसे 'राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाता' लिख दें तो व्याकरणिक दृष्टि से वह उचित नहीं होगा।

उपवाक्य

पदों का ऐसा समूह जिसमें वाक्य के सारे गुण हो सिर्फ 'आकांक्षा' शेष रह जाए और इसी कारण से उसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो सके परन्तु वाक्य के साथ वह प्रयोग

किया जा सके-उसे 'उपवाक्य' कहते हैं। जैसे-

'मैंने उनसे कहा था कि....'

यह उपवाक्य है।

यदि हम इसे इस तरह लिखें..

'मैंने उनसे कहा था कि इस समय दिल्ली जाना ठीक नहीं।'

तो यह पूर्ण वाक्य होगा।

इस तरह एक वाक्य में कई उपवाक्य मिले होते हैं जिसमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं।

(क) प्रधान उपवाक्य- जो 'उपवाक्य' पूर्ण वाक्य से पृथक् होकर भी अपना पूर्ण एवं स्वतंत्र अर्थ रखता है उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं।

जैसे- वहाँ न जाएँ।

(ख) आश्रित उपवाक्य- जो उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के बिना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाते 'आश्रित उपवाक्य' कहते हैं।
जैसे- 'मैंने उनसे कहा था कि.....'

इसी तरह 'राम ने कहा कि मैं खेलूँगा।' वाक्य में 'राम ने कहा' (प्रधान उपवाक्य है), 'कि मैं खेलूँगा।' (आश्रित उपवाक्य है।)

आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं-

1. संज्ञा उपवाक्य
2. विशेषण उपवाक्य
3. क्रिया विशेषण उपवाक्य

1. संज्ञा उपवाक्य- जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह प्रयोग में आवे, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य की पहचान है कि इस उपवाक्य का प्रारंभ 'कि' से होता है। जैसे-सोहन ने कहा कि मैं पढ़ूँगा। यहाँ 'मैं पढ़ूँगा' संज्ञा उपवाक्य है।

2. विशेषण उपवाक्य- जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग हो, वह विशेषण उपवाक्य होता है।
जैसे-वह आदमी जो कल स्कूल में मिला था, आज आया है।
यहाँ 'जो कल स्कूल में मिला था' विशेषण उपवाक्य है।
इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है।

3. क्रिया विशेषण उपवाक्य- जो वाक्य क्रिया विशेषण का काम करे, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे- जब पानी बरसता है, तब मेंढक बोलते हैं। यहाँ 'जब पानी बरसता' है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्रायः, जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि, जैसे इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है।

पदबंध (वाक्यांश)

'पदबंध' का शाब्दिक अर्थ है 'अनेक पदों का बंधा समूह या बंध।'

परिभाषा- डॉ. हरदेव बाहरी के अनुसार-'वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर सम्बद्ध होकर अर्थ तो देते हैं, किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते हैं- पदबंध या वाक्यांश कहते हैं।'

इस परिभाषा में चार बातें हैं-

1. पदबंध में एक से अधिक पद होते हैं।
2. पदबंध परस्पर संबद्ध होकर एक इकाई बना लेते हैं।
3. पदबंध किसी वाक्य के अंश होते हैं-वाक्य नहीं।
4. पदबन्ध का शब्दक्रम निश्चित होता है।

पदबन्ध के भेद-

1. संज्ञा पदबन्ध- वाक्य में संज्ञा का कार्य करने वाला पद समूह को संज्ञा पदबन्ध कहते हैं।

जैसे-भारत के उपराष्ट्रपति, सेना का नायक, धनी-मानी व्यक्ति, समाज का सेवक, बम से घायल व्यक्ति, मिट्टी का तेल।

2. विशेषण पदबन्ध- इसके अन्तर्गत संज्ञा की विशेषता बताने वाले पदबन्ध आते हैं। जैसे-

विशेषण	संज्ञा	विशेषण	संज्ञा
चाँद-सा सुन्दर	मुख	ध्यान में मग्न	साधक
कुल दस	आदमी	शेर-सा बलशाली	व्यक्ति

3. सर्वनाम पदबन्ध- ऐसा पदसमूह जो वाक्य में सर्वनाम का काम करे। जैसे-

तकदीर का मारा वह।

उस अभाग ने।

भूख का मारा मैं।

मुझ अभाग ने।

4. क्रिया पदबन्ध- वाक्य में क्रिया का काम करने वाले पद समूह को क्रिया पदबन्ध कहते हैं। जैसे-

पलटकर भागने लगा।

बुलाया जा सकता है।

गुनगुनाता रहता था।

खेलता रहता था।

5. क्रिया विशेषण पदबन्ध- वाक्य में क्रियाविशेषण का काम करने वाले पदसमूह को क्रिया विशेषण पदबन्ध कहते हैं। जैसे-

क्रिया विशेषण	क्रिया
पहले से बहुत तेज	चलने वाला
खुशी से उछलते हुए	आया
तुम्हारे घर से होकर	जाऊँगा
किसी न किसी तरह	पहुँचा

वाक्य भेद

वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो दृष्टियों से होता है-

अ. रचना या स्वरूप की दृष्टि से

ब. अर्थ की दृष्टि से

अ. रचना की दृष्टि से वर्गीकरण

रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार के होते हैं-

1. सरल या साधारण वाक्य 2. मिश्र वाक्य 3. संयुक्त वाक्य

1. सरल वाक्य- जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) वह हँसता है।

(ii) राम दूध पीता है।

2. मिश्र वाक्य- जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अलावा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) यह वही महाविद्यालय है, जहाँ राहुल पढ़ता था।

(ii) राम उसी गली में रहता है, जहाँ आयुक्त रहते थे।

3. संयुक्त वाक्य- जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य किसी अव्यय द्वारा जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे संसृष्ट या संयोजक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है।

(i) वह गरीब है लेकिन स्वाभिमानी है। (लेकिन-अव्यय)

(ii) सुबह हुई और वहाँ चहल-पहल शुरू हो गई। (और-अव्यय)

पहचान- मिश्र वाक्यों में संयोजक अव्यय (और, अथवा, या, व, तथा, इसीलिए, किन्तु, परन्तु) की सहायता से वाक्यों का मेल होता है।

ब. अर्थ की दृष्टि से वर्गीकरण

अर्थ के अनुसार वाक्य के आठ भेद हैं- 1. विधिवाचक

2. निषेधवाचक 3. आज्ञावाचक 4. प्रश्नवाचक 5. विस्मयवाचक 6. सन्देहवाचक 7. इच्छावाचक और 8. संकेतवाचक

1. विधिवाचक वाक्य- जिस वाक्य से किसी बात के होने का बोध हो, उसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) वह खेल रही है।

(ii) वे स्कूल जा रहे हैं।

2. निषेधवाचक वाक्य- जिस वाक्य से किसी बात के न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) वह आम नहीं खाता।

(ii) बाजार में भीड़ नहीं है।

3. प्रश्नवाचक वाक्य- जिस वाक्य से किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) तुम कहाँ जा रहे हो?

(ii) वे कौन लोग हैं?

4. आज्ञावाचक वाक्य- जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुरोध आदि का भाव प्रकट हो, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) तुम दूध खरीदकर तुरन्त लाओ।

(ii) असहायों की मदद करना तुम्हारा धर्म है।

5. इच्छावाचक वाक्य- जिस वाक्य से इच्छा या शुभकामना का भाव प्रकट हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे-

(i) सदा सुखी रहो।

(ii) तुम्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी।

6. संदेहवाचक वाक्य— जिस वाक्य से किसी प्रकार के संदेह का भाव प्रकट हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—

(i) वह घर पहुँच ही गया होगा।

(ii) वहाँ संभवतः चाचा जी आए होंगे।

7. विस्मयादिबोधक वाक्य— जिस वाक्य से सुख/दुःख/आश्चर्य आदि तीव्र भाव प्रकट हो उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे—

(i) आह! यह क्या हो गया?

(ii) अरे वाह! तुम प्रथम आ गए।

8. संकेतवाचक वाक्य— जिस वाक्य से किसी संकेत या शर्त का बोध हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे—

(i) यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास होगे।

(ii) यदि बरसात न होगी तो अकाल पड़ जाएगा।

वाक्य रूपांतरण

किसी वाक्य को दूसरे वाक्य में बिना अर्थ बदले परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहते हैं।

ध्यान योग्य बातें— वाक्य परिवर्तन करते समय एक बात का खास-तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का मूल अर्थ किसी भी हालत में विकृत न हो।

रचना के अनुसार वाक्य रूपांतरण

1. सरल वाक्य से मिश्र वाक्य

सरल वाक्य— स्वावलंबी व्यक्ति सुखी रहते हैं।

मिश्र वाक्य— जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं, वे सदा सुखी रहते हैं।

2. सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य

सरल वाक्य— सूर्योदय होते ही पक्षी चहकने लगे।

संयुक्त वाक्य— सूर्योदय हुआ और पक्षी चहकने लगे।

3. मिश्र वाक्य से सरल वाक्य

मिश्र वाक्य— उसने कहा कि मैं ईमानदार हूँ।

सरल वाक्य— उसने स्वयं को ईमानदार कहा।

4. मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य

मिश्र वाक्य— मेरे गुरुजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं।

संयुक्त वाक्य— वे मेरे गुरुजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं।

5. संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य

संयुक्त वाक्य— माँ ने डांटा तो बालक रोने लगा।

सरल वाक्य— माँ के डांटने पर बच्चा रोने लगा।

6. संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य

संयुक्त वाक्य— सुबह हुई और वहाँ चहल-पहल शुरू हो गई।

मिश्र वाक्य— सुबह हुई, फिर वहाँ चहल-पहल शुरू हो गई।

एक ही भाव वाले तीनों प्रकार के वाक्यों

के कुछ उदाहरण

(i) सरल वाक्य— सूर्योदय होते ही पक्षी चहकने लगे।

संयुक्त वाक्य— सूर्योदय हुआ और पक्षी चहकने लगे।

मिश्र वाक्य— सूर्योदय हुआ फिर पक्षी चहकने लगे।

(ii) सरल वाक्य— प्रातःकाल उठते ही ईश्वर का स्मरण करो।

संयुक्त वाक्य— प्रातःकाल उठो और ईश्वर का स्मरण करो।

मिश्र वाक्य— प्रातःकाल जब भी उठो, तब ईश्वर का स्मरण करो।

(iii) सरल वाक्य— परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है।

संयुक्त वाक्य— वह व्यक्ति परिश्रमी है इसलिए अवश्य सफल होगा।

मिश्र वाक्य— जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, वह अवश्य सफल होता है।

अर्थ के अनुसार एक ही वाक्य का रूपांतरण

1. विधिवाचक वाक्य— वह स्कूल जा रही है।

2. निषेधवाचक वाक्य— वह स्कूल नहीं जा रही है।

3. प्रश्नवाचक वाक्य— वह स्कूल क्यों जा रही है?

4. आज्ञावाचक वाक्य— वह स्कूल जाएगी।

5. इच्छावाचक वाक्य— उसे स्कूल जाना चाहिए।

6. संदेहवाचक वाक्य— वह स्कूल पहुँच ही गई होगी।

7. विस्मयादिबोधक वाक्य— अरे वाह! वह स्कूल पहुँच गई।

8. संकेतवाचक वाक्य— वह स्कूल जा ही रही है।

वाक्य शुद्धि

'वाक्य' भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है। वाक्य रचना में अनेक गलतियाँ होती हैं अतएव परिष्कृत भाषा के लिए वाक्य-शुद्धि का ज्ञान आवश्यक है। वाक्य-रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय से संबंधित या अन्य प्रकार की भी अशुद्धियाँ हो सकती हैं; इसी को आधार बनाकर वाक्य-शुद्धि हेतु यह अध्याय लिखा गया है।

(1) संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : अपना मन लघु न करो।
शुद्ध : अपना मन छोटा न करो।
- अशुद्ध : अपने घोड़ा का इलाज करो।
शुद्ध : अपने घोड़े का इलाज करो।
- अशुद्ध : गड़ित मेरा प्रिय विषय है।
शुद्ध : गणित मेरा प्रिय विषय है।
- अशुद्ध : नगर की सारी जनसंख्या परेशान है।
शुद्ध : नगर की सारी जनता परेशान है।
- अशुद्ध : यह आगरे की मिठाई है।
शुद्ध : यह आगरा की मिठाई है।

(2) सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : आपको मेरे से क्या काम है?
शुद्ध : आपको मुझसे क्या काम है?
- अशुद्ध : मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा।
शुद्ध : मुझे कुछ याद नहीं आ रहा।
- अशुद्ध : मैंने दिल्ली जाना है।
शुद्ध : मुझे दिल्ली जाना है।
- अशुद्ध : मैं मेरे भाई के पास गया था।
शुद्ध : मैं अपने भाई के पास गया था।
- अशुद्ध : यह आदमी कौन है?
शुद्ध : ये आदमी कौन है?

(3) विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : अधिकांश लोग बैठक में अनुपस्थित थे।
शुद्ध : अधिकतर लोग बैठक में अनुपस्थित थे।
- अशुद्ध : आज बेशुमार ठंड है।
शुद्ध : आज बेहद ठंड है।

- अशुद्ध : आप लोग अपनी राय दें।
शुद्ध : आप लोग अपनी-अपनी राय दें।
- अशुद्ध : कृपया निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिये।
शुद्ध : कृपया निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए।
- अशुद्ध : मुझे भारी भूख लगी है।
शुद्ध : मुझे बहुत भूख लगी है।

(4) क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : उसका होश उड़ गया।
शुद्ध : उसके होश उड़ गए।
- अशुद्ध : उसने मेरा गाना और घर देखा।
शुद्ध : उसने मेरा गाना सुना और घर देखा।
- अशुद्ध : मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।
शुद्ध : मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।
- अशुद्ध : मैंने दर्शन कर लिया।
शुद्ध : मैंने दर्शन कर लिए।
- अशुद्ध : वहाँ घना अँधेरा घिरा था।
शुद्ध : वहाँ घना अँधेरा छाया था।

(5) अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : आपकी आज्ञा के अनुकूल कार्य होगा।
शुद्ध : आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य होगा।
- अशुद्ध : जब भी मैं खेलता हूँ, जभी तुम आ जाते हो।
शुद्ध : जब भी मैं खेलता हूँ तभी तुम आ जाते हो।
- अशुद्ध : ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा वैसे ही वह चला गया।
शुद्ध : ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही वह चला गया।
- अशुद्ध : शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत उनका देश है।
शुद्ध : शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा कि भारत हमारा देश है।

- अशुद्ध : सीता तथा गीता और श्यामा एक साथ खेलती हैं।
शुद्ध : सीता, गीता और श्यामा एक साथ खेलती हैं।

(6) कारक संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली।
शुद्ध : मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। (कर्ताकारक)
- अशुद्ध : बिल्ली चूहे खा गई।
शुद्ध : बिल्ली चूहे को खा गई।
(कर्मकारक)
- अशुद्ध : वह बस में यात्रा कर रहा था।
शुद्ध : वह बस से यात्रा कर रहा था।
(करण कारक)
- अशुद्ध : राधा ने अपनी सहेली को उपहार खरीदा।
शुद्ध : राधा ने अपनी सहेली के लिए उपहार खरीदा।
(संप्रदान कारक)
- अशुद्ध : वह शहर का कपड़ा लाकर बेच रहा था।
शुद्ध : वह शहर से कपड़ा लाकर बेच रहा था।
(अपादान कारक)
- अशुद्ध : नगर में गलियाँ तंग हैं।
शुद्ध : नगर की गलियाँ तंग हैं। (संबंध कारक)
- अशुद्ध : कुएँ में कौन पानी भर रहा है?
शुद्ध : कुएँ पर कौन पानी भर रहा है?
(अधिकरण कारक)
- अशुद्ध : खेत पर क्या बोया है?
शुद्ध : खेत में क्या बोया है? (अधिकरण कारक)
- अशुद्ध : हमारे समाज के बीच अनेक कुरीतियाँ अब भी प्रचलित हैं।
शुद्ध : हमारे समाज में अनेक कुरीतियाँ अब भी प्रचलित हैं।
(अधिकरण कारक)
- अशुद्ध : हे राम, यह क्या हो गया?
शुद्ध : हे राम! यह क्या हो गया?
(संबोधन कारक)

(7) लिंग संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : अंकों की औसत अच्छी है।
शुद्ध : अंकों का औसत अच्छा है।
- अशुद्ध : उसके सामने मेरी होश उड़ गई।
शुद्ध : उसके सामने मेरे होश उड़ गए।
- अशुद्ध : उसने अनेक ग्रन्थों का रचना किया।
शुद्ध : उसने अनेक ग्रन्थों की रचना की।
- अशुद्ध : कल मैंने नया पुस्तक खरीदा।
शुद्ध : कल मैंने नयी पुस्तक खरीदी।
- अशुद्ध : दही बहुत खट्टा है।
शुद्ध : दही बहुत खट्टी है।
- अशुद्ध : मुझे आपसे एक बात कहना है।
शुद्ध : मुझे आपसे एक बात कहनी है।
- अशुद्ध : सड़कों को चौड़ी करनी जरूरी है।
शुद्ध : सड़कों को चौड़ा करना जरूरी है।
- अशुद्ध : हमारा भाषा हिन्दी है।
शुद्ध : हमारी भाषा हिन्दी है।

(8) वचन संबंधी अशुद्धियाँ

- अशुद्ध : उसने चार-पाँच जलेबी खाई।
शुद्ध : उसने चार-पाँच जलेबियाँ खाई।
- अशुद्ध : चारों लड़कों का नाम बताओ।
शुद्ध : चारों लड़कों के नाम बताओ।
- अशुद्ध : तीन आदमी ने गाँव की यात्रा की।
शुद्ध : तीन आदमियों ने गाँव की यात्रा की।
- अशुद्ध : महाभारत अठारह दिनों तक चलता रहा।
शुद्ध : महाभारत अठारह दिन तक चलता रहा।
- अशुद्ध : मुंशी प्रेमचंद ने अनेकों उपन्यास लिखे।
शुद्ध : मुंशी प्रेमचंद ने अनेक उपन्यास लिखे।

वाक्य शुद्धि के विभिन्न उदाहरण

- अशुद्ध : अत्याधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है।
शुद्ध : अत्यधिक व्यस्तता स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है।

- अशुद्ध : अध्यापक हमसे लेख लिखवाया।
शुद्ध : अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया।
- अशुद्ध : अनेकों बार देख चुका हूँ।
शुद्ध : अनेक बार देख चुका हूँ।
- अशुद्ध : अनेकों स्त्री-पुरुष उसे देखने लगे।
शुद्ध : अनेक स्त्री-पुरुष उसे देखने लगे।
- अशुद्ध : अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया।
शुद्ध : अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया।
- अशुद्ध : अपना माता-पिता की सेवा करनी चाहिए।
शुद्ध : अपने माता-पिता की सेवा करनी चाहिए।
- अशुद्ध : अपराधी और निरपराधी में अंतर होना चाहिए।
शुद्ध : अपराधी और निरपराध में अंतर होना चाहिए।
- अशुद्ध : अपराधी को रस्सी बाँधकर ले गये।
शुद्ध : अपराधी को रस्सी से बाँधकर ले गये।
- अशुद्ध : अभियोग मढ़ा जाता है।
शुद्ध : अभियोग लगाया जाता है।
- अशुद्ध : आँखों से आँसू निकल पड़ा।
शुद्ध : आँखों से आँसू निकल पड़े।
- अशुद्ध : आकाश पर वायुयान दौड़ रहा है।
शुद्ध : आकाश में वायुयान उड़ रहा है।
- अशुद्ध : आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया।
शुद्ध : आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया।
- अशुद्ध : आतंकवादियों के भय से लोग डरे हुए हैं।
शुद्ध : आतंकवादियों से लोग डरे हुए हैं।
- अशुद्ध : आप इस पत्र में हस्ताक्षर बना दीजिए।
शुद्ध : आप इस पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए।
- अशुद्ध : आपका पत्र सधन्यवाद सहित मिला।
शुद्ध : आपका पत्र सधन्यवाद मिला। (अथवा)
आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। (अथवा)
सधन्यवाद आपका पत्र मिला।
- अशुद्ध : आपकी बातें बहुत मीठी हैं।
शुद्ध : आपकी बातें बहुत मीठी हैं।
- अशुद्ध : आपकी महान् कृपा होगी।
शुद्ध : आपकी बड़ी कृपा होगी।
- अशुद्ध : आपकी रचना श्रेष्ठतम है।
शुद्ध : आपकी रचना श्रेष्ठतम है।
- अशुद्ध : आप प्रातःकाल के समय आइए।
शुद्ध : आप प्रातःकाल आइए।
- अशुद्ध : आप हमसे नहीं बोलो।
शुद्ध : आप हमसे नहीं बोलिए।
- अशुद्ध : इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी।
शुद्ध : इस काम में देर होना स्वाभाविक था।
- अशुद्ध : इसका मूल्य नापा या तौला नहीं जा सकता।
शुद्ध : इसका मूल्य आँका नहीं जा सकता।
- अशुद्ध : इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलते।
शुद्ध : इस दुकान में आलू और सब्जी नहीं मिलती।
- अशुद्ध : इस पुस्तक में यही विशेषता है।
शुद्ध : इस पुस्तक की यही विशेषता है।
- अशुद्ध : इस बात को वे नहीं समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं।
शुद्ध : इस बात को वे न तो समझ सकते हैं, न बोल सकते हैं।
- अशुद्ध : इस वस्तु का मूल्य नापा नहीं जा सकता।
शुद्ध : इस वस्तु का मूल्य आँका नहीं जा सकता।
- अशुद्ध : इस विद्वान महिला का सम्मान किया गया।
शुद्ध : इस विदुषी का सम्मान किया गया।
- अशुद्ध : इस वृक्ष के अंदर बहुत से फल हैं।
शुद्ध : इस वृक्ष पर बहुत से फल हैं।
- अशुद्ध : इस विषय पर मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ।
शुद्ध : इस विषय पर मैं अपना विचार पहले ही प्रकट कर चुका हूँ।
- अशुद्ध : इस स्कूल में सबसे कौन अच्छा विद्यार्थी है?
शुद्ध : इस स्कूल में सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है?
- अशुद्ध : ईश्वर के अनेकों नाम हैं।
शुद्ध : ईश्वर के अनेक नाम हैं।
- अशुद्ध : उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए।
शुद्ध : उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए।

- अशुद्ध : उनकी प्रखर बुद्धि हर काम में प्रकट होती है।
शुद्ध : उनकी प्रखर बुद्धि हर काम से प्रकट होती है।
- अशुद्ध : उन्होंने मुस्कुरा दिया।
शुद्ध : वे मुस्कुरा दिये।
- अशुद्ध : उपरोक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक लिखिए।
शुद्ध : उपर्युक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
- अशुद्ध : उसका आवाज सुनायी पड़ी।
शुद्ध : उसकी आवाज सुनायी पड़ी।
- अशुद्ध : उसका सिर शर्म से उड़ गया।
शुद्ध : उसका सिर शर्म से झुक गया।
- अशुद्ध : उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है।
शुद्ध : उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है।
- अशुद्ध : उसकी सौन्दर्यता आकर्षक है।
शुद्ध : उसकी सुन्दरता आकर्षक है।
- अशुद्ध : मेरा प्राण संकट में है।
शुद्ध : मेरे प्राण संकट में है।
- अशुद्ध : उसने अनेकों ग्रन्थों का सृजन किया।
शुद्ध : उसने अनेक ग्रन्थों का सृजन किया।
- अशुद्ध : उसने गांधीजी के उपर कविता लिखी है।
शुद्ध : उसने गांधी पर कविता लिखी है।
- अशुद्ध : उसने तरह-तरह का रूप धारण किया।
शुद्ध : उसने तरह-तरह के रूप धारण किये।
- अशुद्ध : उसने मोती का एक हार खरीदा।
शुद्ध : उसने मोतियों का एक हार खरीदा।
- अशुद्ध : उसने लेख को पढ़ लिया।
शुद्ध : उसने लेख पढ़ लिया।
- अशुद्ध : उसने सीता को पूछा कि सीता कहाँ चली गयी थी?
शुद्ध : उसने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गयी थी?
- अशुद्ध : उसे कह दो कि भाग जाये।
शुद्ध : उससे कह दो कि भाग जाये।
- अशुद्ध : उसे भारी प्यास लगी है।
शुद्ध : उसे बहुत प्यास लगी है।
- अशुद्ध : उसे मरणोपरान्त बाद राष्ट्रीय सम्मान मिला।
शुद्ध : उसे मरणोपरान्त राष्ट्रीय सम्मान मिला।
- अशुद्ध : उसे मृत्युदंड मिली है।
शुद्ध : उसे मृत्युदंड मिला है।
- अशुद्ध : उसे सजा मिला है।
शुद्ध : उसे सजा मिली है।
- अशुद्ध : एक किलो में कितना ग्राम होता है?
शुद्ध : एक किलो में कितने ग्राम होते हैं?
- अशुद्ध : एक पानी गिलास दीजिए।
शुद्ध : एक गिलास पानी दीजिए।
- अशुद्ध : एक विश्वविद्यालय का कर्मचारी गिरफ्तार हो गया।
शुद्ध : विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया।
- अशुद्ध : एक सज्जन व्यक्ति ने मुझ पर बड़ा उपकार किया।
शुद्ध : एक सज्जन ने मुझ पर बड़ा उपकार किया।
- अशुद्ध : कई सौ बरस तक भारतमाता के गले में बेड़ियाँ पड़ी रही।
शुद्ध : कई सौ वर्षों तक भारतमाता के पैरों में बेड़ियाँ पड़ी रहीं।
- अशुद्ध : कभी चाँदनी की नाम सुना है?
शुद्ध : कभी चाँदनी का नाम सुना है?
- अशुद्ध : कमल को पास बैठो।
शुद्ध : कमल के पास बैठो।
- अशुद्ध : कमीज की अस्तीन फटी है।
शुद्ध : कमीज की आस्तीन फटी है।
- अशुद्ध : कलकत्ता से अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है।
शुद्ध : कलकत्ता से अनेक पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन होते हैं।
- अशुद्ध : कल मंदिर का स्थापना हुआ।
शुद्ध : कल मंदिर की स्थापना हुई।
- अशुद्ध : कल रात में वह सो न सका।
शुद्ध : कल रात वह सो न सका।

- अशुद्ध : किसी और दूसरे आदमी को भेजो।
शुद्ध : किसी दूसरे आदमी को भेजो।
- अशुद्ध : कुछ महीने पूर्व आयोग की रिपोर्ट के उपर बहस हुई थी।
शुद्ध : कुछ महीने पूर्व आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई थी।
- अशुद्ध : कुछ स्थलों में कहा गया है।
शुद्ध : कुछ स्थलों पर कहा गया है।
- अशुद्ध : किसी और दूसरे आदमी को वहाँ भेजो।
शुद्ध : वहाँ किसी दूसरे आदमी को भेजो।
- अशुद्ध : कृतज्ञता से बढ़कर कोई पाप नहीं है।
शुद्ध : कृतज्ञता से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है।
- अशुद्ध : कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।
शुद्ध : मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें।
- अशुद्ध : कृष्णा पिताम्बर धारण करते थे।
शुद्ध : कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे।
- अशुद्ध : केवल मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे।
शुद्ध : मात्र आपके दर्शन पर्याप्त होंगे।
- अशुद्ध : केवल यहाँ दो पुस्तकें रखी हैं।
शुद्ध : यहाँ केवल दो पुस्तकें रखी हैं।
- अशुद्ध : कोयल का कण्ठ सबसे मधुरतम है।
शुद्ध : कोयल का कण्ठ सबसे मधुर है।
- अशुद्ध : कोयल बोलता है।
शुद्ध : कोयल बोलती है।
- अशुद्ध : गत रविवार को वह मुम्बई जाएगा।
शुद्ध : आगामी रविवार को वह मुम्बई जाएगा।
- अशुद्ध : गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका।
शुद्ध : गोलियों की बीछार के सामने कोई न टिक सका।
- अशुद्ध : 'गोदान' प्रेमचंद की एक श्रेष्ठ उपन्यास है।
शुद्ध : 'गोदान' प्रेमचंद का एक श्रेष्ठ उपन्यास है।
- अशुद्ध : घी बहुत अच्छी नहीं है।
शुद्ध : घी बहुत अच्छा नहीं है।
- अशुद्ध : घोड़ा को पानी पिलाओ।
शुद्ध : घोड़े को पानी पिलाओ।
- अशुद्ध : घोड़े बैलों से तेज दौड़ता है।
शुद्ध : घोड़े बैलों से तेज दौड़ते हैं।
- अशुद्ध : चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता।
शुद्ध : चक्की के दो पाटों में कोई साबुत नहीं बचता।
- अशुद्ध : जब भी आप आओ, मुझसे मिलो।
शुद्ध : जब भी आप आयें, मुझसे मिलें।
- अशुद्ध : जिसकी लाठी उसके भैंस वाला कहावत चरितार्थ होती है।
शुद्ध : जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है।
- अशुद्ध : जीवन और साहित्य का घोर संबंध है।
शुद्ध : जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है।
- अशुद्ध : जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है।
शुद्ध : जीवन और विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है।
- अशुद्ध : जुलूस में जोरदार भीड़ थी।
शुद्ध : जुलूस में बहुत भीड़ थी।
- अशुद्ध : डाल में चिड़िया बैठी है।
शुद्ध : डाल पर चिड़िया बैठी है।
- अशुद्ध : दरअसल मैं उसने यह बात कही ही नहीं।
शुद्ध : दरअसल उसने यह बात कही ही नहीं।
- अशुद्ध : तमाम देश भर में यह बात फैल गयी।
शुद्ध : देश भर में यह बात फैल गयी।
- अशुद्ध : ताजमहल का शान निराली है।
शुद्ध : ताजमहल की शान निराली है।
- अशुद्ध : ताजमहल की सौन्दर्य अनुपम है।
शुद्ध : ताजमहल का सौन्दर्य अनुपम है।
- अशुद्ध : तितली के पास सुन्दर पंख होते हैं।
शुद्ध : तितली के सुन्दर पंख होते हैं।
- अशुद्ध : तुम कौन से गाँव से आये हो?
शुद्ध : तुम किस गाँव से आये हो?
- अशुद्ध : तुमने अच्छा काम करा।
शुद्ध : तुमने अच्छा काम किया।

- अशुद्ध : तुम मोहन को देखे हो?
शुद्ध : तुमने मोहन को देखा है?
- अशुद्ध : तुम्हारा गाँव किसका है?
शुद्ध : तुम्हारा गाँव कहाँ है?
- अशुद्ध : तुम्हारी बातों से मालूम चल जाएगा कि तुम बहुत योग्य थे।
शुद्ध : तुम्हारी बातों से मालूम हो जाएगा कि तुम बहुत योग्य हो।
- अशुद्ध : तुम्हारे भाई कल घर में जो किया था, वही तुम कर रहे हो।
शुद्ध : तुम्हारे भाई ने कल घर में जो किया था, वही तुम कर रहे हो।
- अशुद्ध : तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता।
शुद्ध : तुमसे कोई काम नहीं हो सकता।
- अशुद्ध : तुम्हें पग-पग में काँट मिलेंगे।
शुद्ध : तुम्हें पग-पग पर काँट मिलेंगे।
- अशुद्ध : थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट आये।
शुद्ध : थोड़ी देर बाद संन्यासी लौट आये।
- अशुद्ध : दर्शकगणों से अनुरोध है।
शुद्ध : दर्शकों से अनुरोध है।
- अशुद्ध : दस रुपया में क्या आता है?
शुद्ध : दस रुपये में क्या आता है?
- अशुद्ध : दस स्त्रियाँ और पाँच बालकों को भोजन दो।
शुद्ध : दस स्त्रियों और पाँच बालकों को भोजन दो।
- अशुद्ध : देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई।
शुद्ध : देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई।
- अशुद्ध : देशभक्त बड़ी-बड़ी याचनाएँ सहते थे।
शुद्ध : देशभक्त बड़ी-बड़ी यातनाएँ सहते थे।
- अशुद्ध : दोनों की दशा एक-सी है।
शुद्ध : दोनों की दशाएँ एक-सी हैं।
- अशुद्ध : नाव-दुर्घटना में पचास लोगों के मरने की संभावना है।
शुद्ध : नाव-दुर्घटना में पचास लोगों के मरने की आशंका है।
- अशुद्ध : निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।
शुद्ध : निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।
- अशुद्ध : परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए।
शुद्ध : परीक्षा की प्रणाली बदलनी चाहिए।
- अशुद्ध : पाँच रेलवे के कर्मचारी पकड़े गए।
शुद्ध : रेलवे के पाँच कर्मचारी पकड़े गए।
- अशुद्ध : पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता।
शुद्ध : पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती।
- अशुद्ध : पियार और घिरणा मनुष्य-जीवन की परभावी संवेदनाये हैं।
शुद्ध : प्यार और घृणा मनुष्य-जीवन की प्रभावी संवेदनाएँ हैं।
- अशुद्ध : पुराणों के अंदर बहुत-सी कथाएँ हैं।
शुद्ध : पुराणों में बहुत-सी कथाएँ हैं।
- अशुद्ध : पुस्तक को जहाँ से उठाओ वहीं रख दो।
शुद्ध : पुस्तक जहाँ से उठाओ, वहीं रख दो।
- अशुद्ध : पर्वत का शिखर ऊँचे हैं।
शुद्ध : पर्वत के शिखर ऊँचे हैं।
- अशुद्ध : पूजनीय पिता को प्रणाम कहना।
शुद्ध : पूजनीय पिताजी को प्रणाम कहना।
पूज्य पिताजी को प्रणाम कहना।
- अशुद्ध : प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए।
शुद्ध : प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए।
- अशुद्ध : प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए।
शुद्ध : प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए।
- अशुद्ध : प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे।
शुद्ध : प्रेमचन्द ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे।
- अशुद्ध : फूलों पर हिमबिन्दुएँ चमक रही हैं।
शुद्ध : फूलों पर ओस की बूँदें चमक रही हैं।
- अशुद्ध : बच्चे से गुस्सा न करो।
शुद्ध : बच्चों से गुस्सा मत करो।

- अशुद्ध : बच्चों से गुस्सा न करो।
शुद्ध : बच्चों पर गुस्सा न करो।
- अशुद्ध : बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गये हैं।
शुद्ध : भारत के बहुत-से वैज्ञानिक विदेश गये हैं।
- अशुद्ध : बिजली गरज रही है।
शुद्ध : बिजली चमक रही है।
- अशुद्ध : बुराई सुनते-सुनते मेरा कान पक गया।
शुद्ध : बुराई सुनते-सुनते मेरे कान पक गये।
- अशुद्ध : भारत में अनेकों भाषाएँ बोली जाती हैं।
शुद्ध : भारत में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं।
- अशुद्ध : भारत सरकार ने स्व. कामराज को 'भारत रत्न' की उपाधि अर्पित की।
शुद्ध : भारत सरकार ने स्व- कामराज को 'भारत रत्न' की उपाधि प्रदान की।
- अशुद्ध : भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया।
शुद्ध : भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया।
- अशुद्ध : भोजन बहुत सुन्दर बना है।
शुद्ध : भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है।
- अशुद्ध : मनोहर का मकान श्याम के मकान से ज्यादा बेहतर है।
शुद्ध : मनोहर का मकान श्याम के मकान से बेहतर है।
- अशुद्ध : महावीर प्रसाद द्विवेदी की व्यक्तित्व महान है।
शुद्ध : महावीरप्रसाद द्विवेदी का व्यक्तित्व महान है।
- अशुद्ध : माँ ने आशीर्वाद दिया।
शुद्ध : माँ ने आशीर्वाद दिया।
- अशुद्ध : माला गुंधा जाता है।
शुद्ध : माला गुंधी जाती है।
- अशुद्ध : माली एक फूलों की माला लाया।
शुद्ध : माली फूलों की एक माला लाया।
- अशुद्ध : माता-पिता पर आदर रखना चाहिए।
शुद्ध : माता-पिता के प्रति आदर रखना चाहिए।
- अशुद्ध : मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता।
शुद्ध : मुझसे यह काम संभव नहीं है।
- अशुद्ध : मुझे आज मेरी बहन को रायपुर भेजना है।
शुद्ध : मुझे आज अपनी बहन को रायपुर भेजना है।
- अशुद्ध : मुझे केवल सौ रुपये मात्र मिले।
शुद्ध : मुझे केवल सौ रुपये मिले।
मुझे मात्र सौ रुपये मिले।
- अशुद्ध : मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैत्रिक सम्पत्ति है।
शुद्ध : मुझे नहीं मालूम था कि वह आपकी पैतृक सम्पत्ति है।
- अशुद्ध : मुझे संतोष अनुभव हो रहा है।
शुद्ध : मुझे संतोष हो रहा है।
- अशुद्ध : मेरा नाम श्री मोहन सिंह जी है।
शुद्ध : मेरा नाम मोहन सिंह है।
- अशुद्ध : मेरा प्राण संकट में है।
शुद्ध : मेरे प्राण संकट में है।
- अशुद्ध : मेरी इतनी बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई।
शुद्ध : मेरी इतनी दुर्गति कभी नहीं हुई।
- अशुद्ध : मेरी रोम-रोम खील उठी।
शुद्ध : मेरा रोम-रोम खिल उठा।
- अशुद्ध : मेरे को तेरे से सौ रूपया लेना है।
शुद्ध : मुझे तुमसे सौ रूपया लेना है।
- अशुद्ध : मेरे को पुस्तक चाहिए।
शुद्ध : मुझे पुस्तक चाहिए।
- अशुद्ध : मेरे मन के अन्दर कोई बुरी बात नहीं है।
शुद्ध : मेरे मन में कोई बुरी बात नहीं है।
- अशुद्ध : मेरे मित्र ने यह पुस्तक आपको समर्पण की है।
शुद्ध : मेरे मित्र ने यह पुस्तक आपको समर्पित की है।
- अशुद्ध : मैं अनुग्रहीत हूँ।
शुद्ध : मैं अनुगृहीत हूँ।
- अशुद्ध : मैं अपनी बातों को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ।
शुद्ध : मैं अपनी बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ।
- अशुद्ध : मैं आपका दर्शन करने आया हूँ।
शुद्ध : मैं आपके दर्शन करने आया हूँ।
- अशुद्ध : मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा।
शुद्ध : मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहा।

- अशुद्ध : मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था।
शुद्ध : मैंने ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था।
- अशुद्ध : मैं कपड़े नहीं दिया हूँ।
शुद्ध : मैंने कपड़े नहीं दिये हैं।
- अशुद्ध : मैं कड़ा से कड़ा काम कर सकता हूँ।
शुद्ध : मैं कठिन-से-कठिन काम कर सकता हूँ।
- अशुद्ध : मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ।
शुद्ध : मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ।
- अशुद्ध : मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी हैं।
शुद्ध : मैंने अनेक कहानियाँ पढ़ी हैं।
- अशुद्ध : मैंने उनकी प्रतीक्षा देखी।
शुद्ध : मैंने उनकी प्रतीक्षा की।
- अशुद्ध : मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा देखी।
शुद्ध : मैंने कई वर्षों तक उनकी प्रतीक्षा की।
- अशुद्ध : मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी।
शुद्ध : मैंने एक वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की।
- अशुद्ध : मैंने कल मुम्बई जाना है।
शुद्ध : मुझे कल मुम्बई जाना है।
- अशुद्ध : मैंने कानपुर जाना है।
शुद्ध : मुझे कानपुर जाना है।
- अशुद्ध : मैंने तुमको अनेकों बार कहा है।
शुद्ध : मैंने तुमको अनेक बार कहा है।
- अशुद्ध : मैंने दो घड़ियों को खरीदीं।
शुद्ध : मैंने दो घड़ियाँ खरीदीं।
- अशुद्ध : मैंने भगवद्गीता पढ़ा है।
शुद्ध : मैंने भगवद्गीता पढ़ी है।
- अशुद्ध : मैं तेरे को एक घड़ी दूँगा।
शुद्ध : मैं तुझे एक घड़ी दूँगा।
- अशुद्ध : मैं बन-बन भटक रहा हूँ।
शुद्ध : मैं वन-वन भटक रहा हूँ।
- अशुद्ध : मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका हूँ।
शुद्ध : मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूँ।
- अशुद्ध : मैं मेरी कलम से लिखता हूँ।
शुद्ध : मैं अपनी कलम से लिखता हूँ।
- अशुद्ध : मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ।
शुद्ध : मैं सप्रमाण कहता हूँ। (अथवा)
मैं प्रमाण सहित कहता हूँ।
- अशुद्ध : मैं सौ रुपये का टिकट खरीदा।
शुद्ध : मैंने सौ रुपये का टिकट खरीदा।
- अशुद्ध : मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा।
शुद्ध : मैं प्रातःकाल आऊँगा।
- अशुद्ध : मोहन की व्यवहार अच्छी नहीं है।
शुद्ध : मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है।
- अशुद्ध : मोहन नया पोशाक पहनकर आया है।
शुद्ध : मोहन नई पोशाक पहनकर आया है।
- अशुद्ध : यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ पर मैं आपका यह कार्य नहीं कर सकता।
शुद्ध : यद्यपि मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ तथापि आपका यह कार्य नहीं कर सकता।
- अशुद्ध : यद्यपि वह निर्धन है, किन्तु ईमानदार है।
शुद्ध : यद्यपि वह निर्धन है, तथापि ईमानदार है।
- अशुद्ध : यह आँखों से देखी घटना है।
शुद्ध : यह आँखों-देखी घटना है।
- अशुद्ध : यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है।
शुद्ध : यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है।
- अशुद्ध : यह कहानी जो है, यह सुदर्शन ने लिखी है।
शुद्ध : यह कहानी सुदर्शन की लिखी है।
- अशुद्ध : यह काम आप पर निर्भर करता है।
शुद्ध : यह काम आप पर निर्भर है।
- अशुद्ध : यह घी की शुद्ध दुकान है।
शुद्ध : यह शुद्ध घी की दुकान है।
- अशुद्ध : यह नगर दृष्टव्य है।
शुद्ध : यह नगर द्रष्टव्य है।
- अशुद्ध : यह पुस्तक पठनीय योग्य है।
शुद्ध : यह पुस्तक पठनीय है।
- अशुद्ध : यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है।
शुद्ध : यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट हो सकती है।
- अशुद्ध : यह बात तमाम देशभर में फैल गई।
शुद्ध : यह बात देश-भर में फैल गई।

- अशुद्ध : यह लोग क्या करेंगे?
शुद्ध : ये लोग क्या करेंगे?
- अशुद्ध : यहाँ अनाधिकार परवेश वर्जित है।
शुद्ध : यहाँ अनधिकृत प्रवेश वर्जित है।
- अशुद्ध : यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठी थी।
शुद्ध : यहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे थे।
- अशुद्ध : यामा की रचियता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
शुद्ध : यामा की रचयिता को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
- अशुद्ध : युग की माँग का यह बीड़ा कौन चबाता है?
शुद्ध : युग की माँग का यह बीड़ा कौन उठाता है?
- अशुद्ध : राकेश नया पोशाक पहनकर गया है।
शुद्ध : राकेश नयी पोशाक पहनकर गया है।
- अशुद्ध : राधा एक विधवा स्त्री है।
शुद्ध : राधा एक विधवा है।
- अशुद्ध : राम और लक्ष्मण की जन्म अयोध्या में हुए थे।
शुद्ध : राम और लक्ष्मण का जन्म अयोध्या में हुआ था।
- अशुद्ध : रामलाल गेहूँ आटा पिसाने गया था।
शुद्ध : रामलाल गेहूँ पिसाने गया था।
- अशुद्ध : लड़कू और शरबत पीकर हमने यात्रा की।
शुद्ध : लड़कू खाकर और शरबत पीकर हमने यात्रा की।
- अशुद्ध : लड़के ने लड़की देखा।
शुद्ध : लड़के ने लड़की को देखा।
- अशुद्ध : लिखने से शुद्धता बरतो।
शुद्ध : लिखने में शुद्धता बरतो।
- अशुद्ध : लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए।
शुद्ध : लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए।
- अशुद्ध : वह एक महान अपराधी है।
शुद्ध : वह एक कुख्यात अपराधी है।
- अशुद्ध : वह कमरे के भीतर में है।
शुद्ध : वह कमरे के भीतर है।
- अशुद्ध : वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है।
शुद्ध : वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है।
- अशुद्ध : वह दण्ड देने योग्य है।
शुद्ध : वह दण्ड पाने योग्य है।
- अशुद्ध : वह दो नौ ग्यारह हो गया।
शुद्ध : वह नौ दो ग्यारह हो गया।
- अशुद्ध : वह पतिव्रता स्त्री है।
शुद्ध : वह पतिव्रता है।
- अशुद्ध : वह मेरा सबसे बड़ा ज्येष्ठ भ्राता है।
शुद्ध : वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है।
- अशुद्ध : वह विलाप करके रोने लगी।
शुद्ध : वह विलाप करने लगी।
- अशुद्ध : वह सकुशल सहित अपने घर में पहुँच गया।
शुद्ध : वह सकुशल अपने घर पहुँच गया।
- अशुद्ध : वह सज्जन व्यक्ति है।
शुद्ध : वह सज्जन है।
- अशुद्ध : वहाँ अनेकों लोग थे।
शुद्ध : वहाँ अनेक लोग थे।
- अशुद्ध : विद्यार्थियों ने पंडित नेहरु को अभिनंदन पत्र साँपा।
शुद्ध : विद्यार्थियों ने पंडित नेहरु को अभिनंदन पत्र अर्पित किया।
- अशुद्ध : विश्वनाथ और गोविन्द में सबसे अधिक तेज कौन है?
शुद्ध : विश्वनाथ और गोविन्द में अधिक तेज कौन है?
- अशुद्ध : वीरता मनुष्य की गुण है।
शुद्ध : वीरता मनुष्य का गुण है।
- अशुद्ध : वे अनेक विषय के ज्ञाता था।
शुद्ध : वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे।
- अशुद्ध : वे प्रातःकाल के समय आये।
शुद्ध : वे प्रातःकाल आये।
- अशुद्ध : शब्द केवल संकेत मात्र होते हैं।
शुद्ध : शब्द केवल संकेत होते हैं।
अथवा
शब्द संकेत-मात्र होते हैं।
- अशुद्ध : शिकारी ने उस पर गोली चलायी पर शेर बच निकला।
शुद्ध : शिकारी ने शेर पर गोली चलायी पर वह बच निकला।

- अशुद्ध : शेर को देख उसका प्राण सूख गया।
शुद्ध : शेर को देखकर उसके प्राण सूख गये।
- अशुद्ध : शैलकुमारी हिन्दी की शोधार्थिनी है।
शुद्ध : शैलकुमारी हिन्दी की शोधार्थी है।
- अशुद्ध : शोक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका।
शुद्ध : खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर न दे सका।
- अशुद्ध : सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई।
शुद्ध : सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई।
- अशुद्ध : समाज व्यक्तियों से बनती है।
शुद्ध : समाज व्यक्तियों से बनता है।
- अशुद्ध : सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी।
शुद्ध : सभा में प्रत्येक सदस्य की यही राय थी।
- अशुद्ध : सायंकाल का समय गोधूलिबेला कहलाता है।
शुद्ध : सायंकाल गोधूलिबेला कहलाता है।
- अशुद्ध : सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा।
शुद्ध : आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा।
- अशुद्ध : सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है।
शुद्ध : सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उगता है।
- अशुद्ध : सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा लिया।
शुद्ध : सोहन ने श्याम की घड़ी चुरा ली।
- अशुद्ध : हम तो अवश्य ही जाएंगे।
शुद्ध : हम अवश्य जाएंगे।
- अशुद्ध : हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह है।
शुद्ध : हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह है।
- अशुद्ध : हमें अपनी काम खुद करना चाहिए।
शुद्ध : हमें अपना काम खुद करना चाहिए।
- अशुद्ध : हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए।
शुद्ध : हर व्यक्ति को दस्तकारी का काम सीखना चाहिए।
- अशुद्ध : हवन सामग्री जल गया।
शुद्ध : हवन-सामग्री जल गयी।
- अशुद्ध : हिन्दी की ऐसी खिचड़ी बन जायेगी जो किसी को समझ में नहीं आयेगी।
शुद्ध : हिन्दी ऐसी खिचड़ी बन जाएगी जो किसी की समझ में नहीं आयेगी।
- अशुद्ध : श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं।
शुद्ध : श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं।
- अशुद्ध : श्री मोहनसिंह मेरा पिता है।
शुद्ध : श्री मोहनसिंह मेरे पिता हैं।
- अशुद्ध : श्रीराम सिंह मेरे अपने पिता हैं।
शुद्ध : श्रीराम सिंह मेरे पिता हैं।



नोट्स (Notes)

खण्ड 9

44. पत्र-लेखन

(छत्तीसगढ़ के शासकीय पत्रों के संदर्भ में)

45. पाद-टिप्पणी/टिप्पण-लेखन

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

46. अनुवाद

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

47. पल्लवन

48. सार-लेखन

49. अपठित गद्यांश

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

नोट्स (Notes)

पत्र-लेखन

(छत्तीसगढ़ के शासकीय पत्रों के संदर्भ में)

पत्र-लेखन एक कला है। आज के अति व्यस्त युग में इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। दिन-प्रतिदिन के कार्यों में हमें अनेक व्यक्तियों, संबंधियों, कार्यालयों आदि से संपर्क साधना पड़ता है। यह संभव भी नहीं है कि हम हर स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकें। पति-पत्नी, भाई-बहन, पिता-पुत्र व अन्य संबंधियों से पत्र-व्यवहार हमारे जीवन का अभिन्न अंग है; हालांकि 21वीं शताब्दी में आधुनिक प्रौद्योगिकी की बदौलत मोबाईल, इंटरनेट, फेस-बुक, वाट्स-एप आदि माध्यमों ने निजी पत्र-व्यवहार का स्थान ले लिया है, परन्तु कार्यालयीन पत्र, प्रार्थना-पत्र आदि का व्यावहारिक उपयोग हमारे दैनिक जीवन में सर्वविदित है। आज की जीवन शैली में यह एक ऐसा सेतु है जिसका उपयोग हमें बार-बार करना पड़ता है। पत्र-लेखन का व्यावसायिक उपयोग भी सर्वविदित है व्यक्तिगत पत्रों में लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि की झलक मिलती है जबकि शासकीय व व्यावसायिक पत्रों में संक्षिप्तता और सम्पूर्णता रहती है व इसमें अंतरंग भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं होती या कम होती है।

अच्छे पत्र की विशेषताएँ

क. सरल भाषा शैली— पत्र की भाषा साधारणतः सरल होनी चाहिए अर्थात् बोलचाल में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग अधिक से अधिक होना चाहिए ताकि वह बोधगम्य हो। क्लिष्ट व संस्कृतनिष्ठ भाषा शैली का प्रयोग साहित्यिक लेखन में किया जा सकता है परन्तु पत्र-लेखन के लिए यह उपयोगी नहीं है।

ख. विचारों की सुस्पष्टता— पत्र में लेखक के विचार सुस्पष्ट और सुलझे होने चाहिए। पत्र में बनावटीपन या पाण्डित्य-प्रदर्शन की चेष्टा नहीं होनी चाहिए।

ग. संक्षिप्त और संपूर्णता— पत्र अधिक लम्बा नहीं होना चाहिए। वह अपने आप में सम्पूर्ण और संक्षिप्त हो। पत्र में अतिशयोक्तिपूर्ण कथन व विस्तृत विवरण के साथ ही एक बात को बार-बार लिखना एक दोष माना गया है।

घ. शिष्टाचार— पत्र में शिष्टाचार का प्रयोग होना चाहिए। यदि हम अपने से बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में सम्मान का भाव होना चाहिए। इसी तरह छोटों को पत्र लिखते समय हमारा स्नेह प्रदर्शित होना चाहिए। पत्र के आरंभ व अंत में नम्रता और और सौहार्द का भाव होना चाहिए।

ड. लेखन की सुस्पष्टता— सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लेखन की सुस्पष्टता होती है। यदि लिखावट ही समझ में न आये तो सब व्यर्थ है। लिखावट जितनी ज्यादा सुन्दर, साफ और पुष्ट होगी, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। पत्र की पंक्तियाँ सटाकर नहीं रखना चाहिए।

च. व्याकरणिक प्रयोग— विरामादि चिन्हों का प्रयोग यथास्थान होने पर पत्र प्रभावशील बन जाता है। इसके साथ ही तिथि, अभिवादन, विषय-संदर्भ आदि अपने-अपने स्थान पर होना चाहिए।

पत्र के प्रकार

पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं—

अ. अनौपचारिक पत्र— अपने निजी संबंधों के आधार पर जो पत्र लिखते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। जैसे— पुत्र का पत्र-पिता को, भाई का पत्र-बहन को, मित्र का पत्र-मित्र को, निमंत्रण-पत्र आदि।

ब. औपचारिक पत्र— ऐसा पत्र जो सूचनाओं, तथ्यों, जानकारीयों आदि के आदान-प्रदान के लिए लिखा जाता है, उसे औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत संबंधों का न तो उल्लेख होता है न ही व्यक्तिगत भावनाएँ इसमें व्यक्त की जाती हैं। जैसे— शासकीय पत्र, अधिसूचना, व्यावसायिक कार्य के सिलसिले में लिखे गए पत्र आदि।

अ. अनौपचारिक पत्र के दो प्रकार होते हैं

1. व्यक्तिगत पत्र— वह पत्र जो पति-पत्नी, भाई-बहन, माता-पिता, पिता-पुत्र, मित्र-मित्र आदि स्वजनों के मध्य लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं।

2. सामाजिक पत्र— सामाजिक स्तर पर लिखे गए पत्र जैसे— विवाहादि, मांगलिक कार्यों, गृहप्रवेश, जन्मदिन आदि अवसरों पर सामाजिक लोगों को आमंत्रित करने के लिए जो निमंत्रण-पत्र आदि छपवाये जाते हैं वे सामाजिक पत्र कहलाते हैं।

ब. औपचारिक पत्र के दो प्रकार होते हैं

1. **व्यावसायिक पत्र**— किसी व्यवसाय आदि के सिलसिले में व्यापारियों, दुकानदारों, ग्राहकों, फर्मों के बीच जो पत्र-व्यवहार होता है उसे व्यावसायिक पत्र कहते हैं।

2. **शासकीय पत्र**— जो पत्र किसी मंत्रालय, सचिवालय, विभाग, अर्धशासकीय कार्यालयों आदि से जारी किया जाता है वे शासकीय पत्र माने जाते हैं।

सामान्यतः शासकीय पत्रों के निम्न प्रकार होते हैं

1. सामान्य शासकीय पत्र (Ordinary official letter)
2. अर्धशासकीय पत्र (Demi official letter or DO letter)
3. परिपत्र (Circular)
4. कार्यालय-ज्ञापन (Office Memorandum)
5. कार्यालय-आदेश (Office order)
6. अधिसूचना (Notification)
7. अ. पृष्ठांकन (Endorsement)
 - आ. अनुस्मारक (Reminder)
8. प्रेस-विज्ञप्ति
9. प्रेस-नोट (Press-note)
10. सूचना (Notice)
11. निदेश (Directive)
12. अनुदेश (Instruction)
13. आदेश (Order)
14. विज्ञापन (Advertisement)
15. निविदा (Tender)
16. संधिदा (Contract)
17. घोषणा (Proclamation)
18. शोक-सूचना (Obituary-Notice)
19. आमंत्रण-सूचना (Invitation)
20. परीक्षक का शोध-रिपोर्ट
21. प्रतिवेदन
22. प्रपत्र

इस अध्याय में सामान्य शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, पृष्ठांकन, प्रतिवेदन एवं प्रपत्र की विस्तृत चर्चा की गई है।

प्रारूप-लेखन (Draft Writing)

शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यालयों को कभी कभी पदों अथवा वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, कभी कभी निर्णयों/तथ्यों की जनता को जानकारी देने के लिए पत्रों या समाचार पत्रों द्वारा विज्ञप्ति अथवा अधिसूचना जारी करवानी होती है, कभी किसी माल की आपूर्ति के लिए निविदा प्रकाशित करवानी होती है तो कभी परिपत्र, आदेश, ज्ञापन आदि जारी करने होते हैं। कार्यालय के ये विविध कार्य एक निश्चित रूप में संपादित करने होते हैं, अतः इन मसविदों के प्रारूप की जानकारी आवश्यक होती है।

प्रारूप मूलतः कार्यालयीन कार्य-प्रक्रिया के अंग हैं और इनकी एकरूपता किसी भी नियम द्वारा निर्धारित नहीं है, अतः व्यवहार में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें अपने अलग-अलग संगठनात्मक ढांचे के कारण अलग-अलग प्रारूपों को अपनाये हुए हैं।

विभिन्न कार्यालयों द्वारा जारी होने वाले शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, आदेश, विज्ञापन, सूचना, प्रतिवेदन, पृष्ठांकन, अनुस्मारक आदि के बाबत जानकारी लिपिक से लेकर उच्चाधिकारियों तक को होना चाहिए— यह आवश्यक भी है।

सामान्य शासकीय पत्र

वह पत्र जो शासन के किसी मंत्रालय, सचिवालय, विभाग अथवा कार्यालय से निकलता है, वह सरकारी या शासकीय पत्र कहा जाता है। शासकीय पत्र की सामग्री तथ्यपरक, संयत, स्पष्ट और शुद्ध होती है। उसमें अलंकार, कल्पना, मुहावरे, हास्य-विनोद की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसमें पत्र-लेखक या प्रेषक अधिकारी के निजी विचारों के लिए कोई स्थान नहीं होता। उसमें केवल विषय से सम्बद्ध बात कहनी होती है—वह भी तर्कसंगत और विधि-विधान सम्मत। सभी तथ्य यथार्थपरक होते हैं, उसमें नियमों, उपनियमों और मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे पत्र की भाषा और शैली संयत, स्पष्ट, सरल और शुद्ध होती है, उसमें किसी भी शब्द का एक ही अर्थ निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं होता।

शासकीय पत्र की विशेषताएँ—

1. यह पत्र शासकीय अधिकारियों द्वारा लिखे जाते हैं।
2. इन पत्रों को लिखने का उद्देश्य शासकीय कार्यों का सम्पादन करना है।

3. ये पत्र शासकीय अधिकारियों द्वारा शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों को तो लिखे जाते ही हैं इसके साथ व्यापारिक संस्थाओं, आम जनता आदि को भी इन पत्रों के माध्यम से आदेश या दिशा-निर्देश दिए जाते हैं।
4. ये पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होते हैं इसलिए इसमें व्यक्तिगत परिचय का अभाव होता है।
5. शासकीय पत्रों का निश्चित प्रारूप होता है इसलिए लिखते समय उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है।
6. शासकीय पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं।
7. शासकीय पत्रों को वैधानिक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
8. इन पत्रों में सरकार की नीति, समस्या या किसी विषय पर निर्णय आदि का उल्लेख होता है।

शासकीय पत्र के अंग

1. **विभाग का नाम-** शासकीय पत्र के ऊपर मध्य-भाग में प्रेषक कार्यालय या विभाग का नाम लिखा जाता है। जैसे- कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
2. **पत्र क्रमांक-** 'विभाग के नाम' के नीचे एक पंक्ति में पत्र क्रमांक, सेक्सन का संकेतिक नाम, दिनांक लिखा जाता है ताकि भविष्य में उसका संदर्भ देकर पत्र व्यवहार किया जा सके। जैसे-
क्र./लेखा/20/2175 बिलासपुर, दिनांक 14/04/2020
3. **प्रेषक का नाम व पता-** पत्र क्रमांक ने ठीक नीचे बायीं ओर प्रेषक व पद का नाम अर्धशासकीय पत्रों में लिखा जाता है। शासकीय पत्रों में प्रेषक का नाम व पता ऊपर बायें भाग में लिखा जाता है।
4. **प्रेषिती का नाम-** 'पत्र क्रमांक' के ठीक नीचे बायीं ओर प्रेषिती (पत्र पाने वाले) का नाम-पता लिखा जाता है। (अर्धशासकीय पत्रों में प्रेषक के नाम के नीचे प्रेषिती का नाम लिखा जाता है।) जैसे-

सेवा में,

कुलपति जी,

पं. रविशंकर विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ.ग.)

5. **विषय-** प्रेषिती (पत्र पाने वाले) के नाम के नीचे विषय की जानकारी सूत्र वाक्य में लिखी जाती है। जैसे-
विषय- बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में सहायता राशि के भुगतान बाबत।
6. **संदर्भ-** विषय के नीचे 'संदर्भ' में पूर्व पत्र का विवरण अंकित रहता है। जैसे-
संदर्भ- आपका पत्र क्र./जु.-195, बिलासपुर जिला 22/9/18
7. **अभिवादन-** संदर्भ के नीचे पुरुष के लिए 'महोदय', स्त्रियों के लिए 'महोदया' शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी सम्माननीय व्यक्ति या उच्च पदस्थ व्यक्ति के लिए 'मान्यवर' का प्रयोग करना चाहिए। अर्धशासकीय पत्रों में 'प्रिय...' का प्रयोग किया जाता है। यदि पत्र की प्रकृति सामान्य है तो उसमें अभिवादन-वाचक शब्द नहीं लिखे जाते।

8. **पत्र का मूल विषय-** अभिवादन के बाद पत्र के मूल विषय को तथ्यपरक और स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। उसमें पत्र-लेखक या प्रेषित अधिकारी के निजी विचारों के साथ अलंकार, मुहावरे आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। पत्र का मूल विषय तर्क-संगत, विधि-सम्मत और यथार्थपरक होता है। भाषा शैली संयत, सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए।
9. **हस्ताक्षर व पदनाम-** पत्र के अंत में दाहिने तरफ पदनाम अंकित किया जाता है जिसके ऊपर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है।
10. **संलग्नक-** पत्र के अंत में दाहिने तरफ पदनाम व अधिकारी का हस्ताक्षर होता है जबकि बायें तरफ संलग्नक की सूची रहती है जैसे-संलग्न-चार प्रमाण पत्र।
11. **पृष्ठांकन क्रमांक-** शासकीय पत्रों की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अन्य कार्यालय, कर्मचारियों, अधिकारियों आदि को देनी पड़ती है। अतएव हस्ताक्षर व संलग्नक के नीचे पृष्ठांकन क्रमांक का उल्लेख होता है।
जैसे-

पृष्ठांकन क्र./लेखा/20/2176-80 बिलासपुर, दिनांक 14/04/2000

12. **प्रतिलिपि-** जिन्हें सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र की प्रतिलिपि भेजी जाती है उनका क्रम से उल्लेख होता है
जैसे- प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु-

शासकीय पत्र के तीन नमूने आगे दिया जा रहा है-

शासकीय पत्र (नमूना-1)

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

क्र. एफ 10-11/2019/1/5 नवा रायपुर अटल नगर 18 नवंबर 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी
छत्तीसगढ़।

विषय:- "अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार" को राज्य
गीत घोषित किए जाने के संबंध में।

--00--

विभागीय अधिसूचना दिनांक 18/11/2019 द्वारा राज्य शासन ने डॉ. नरेन्द्र दैव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत "अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार" को राज्य गीत घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना की छायाप्रति सुलभ-संदर्भ हेतु संलग्न है।

2/ आदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त राज्य-गीत का गायन सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में किया जाना सुनिश्चित करें। सहपत्र:- उपरोक्तानुसार

आर.पी.राठिया

(उप सचिव)

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 10-11/2019/1/5 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक, 18 नवंबर, 2019

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, सचिवालय, रायपुर
4. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

1. उपसंचालक, लोक स्वास्थ्य, दुर्ग
2. सहायक संचालक, लोक स्वास्थ्य, दुर्ग
3. निज सचिव, जिलाधीश, दुर्ग
13. टाइप करने वाले का हस्ताक्षर- पत्र टाइप करने वाले कर्मचारी द्वारा अधिकारी के पदनाम के बगल में अपना संक्षिप्त हस्ताक्षर करता है ताकि अशुद्धि की दशा में उसे भी उत्तरदायी ठहराया जा सके।

शासकीय पत्र का प्रारूप

1. विभाग का नाम

2. पत्र क्रमांक..

दिनांक....

3. प्रेषक का नाम (केवल अर्धशासकीय पत्रों में)

4. प्रेषिती (पाने वाले) का नाम

5. विषय-

6. संदर्भ-

7. अभिवादन

8. पत्र का मुख्य भाग

9. हस्ताक्षर व पदनाम

10. संलग्नक

11. पृष्ठांकन क्रमांक

दिनांक....

12. प्रतिलिपि..

1.

2.

3.

हस्ताक्षर व पदनाम

13. टाइपिस्ट का संक्षिप्त हस्ताक्षर

(अधिकारी के पदनाम के बगल में किया जाता है।)

शासकीय पत्र (नमूना-2)**छत्तीसगढ़ शासन****सामान्य प्रशासन विभाग**

मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटल नगर-492002

क्र. एफ 10-11/2019/1/5 नवा रायपुर, अटल नगर 04 फरवरी, 2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागायुक्त,

समस्त कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी,

छत्तीसगढ़।

विषय- “अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार” राज्य-गीत का मानकीकरण स्वरूप का वंदन/गायन किए जाने के संबंध में।

संदर्भ- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 18/11/2019

--00--

राज्य शासन द्वारा डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत “अरपा पैरी के धार, महानदी हे अपार” को राज्य गीत घोषित किया गया है। संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त राज्य-गीत का गायन सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में किए जाने के संबंध में लेख किया गया था। मंत्रि-परिषद में लिये गए निर्णय के अनुसार सार्वजनिक कार्यक्रमों में गायन हेतु राज्य-गीत का मानकीकरण किया गया है जो जनसंपर्क एवं सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाइट <http://www.dprcg.gov.in> एवं <http://gad.cg.gov.in/notice-display.aspx> में अपलोड किया गया है।

(2) विभिन्न कार्यक्रमों के प्रारंभ में गाये जाने वाले राज्य-गीत में इसका उपयोग किया जा सकता है इसकी अवधि 1 मिनट 15 सेकंड है। मानकीकरण पश्चात् गाये जाने वाले राज्य-गीत निम्नानुसार है:-

“अरपा पड़ी के धार महानदी हे अपार,
इन्द्रावती ह पखारय तोर पड़ैया।
महूँ पाँव परँव तोर भुड़ैया,

जय हो जय हो छत्तिसगढ़ मड़ैया।।

सोहय बिन्दिया सही घाते डोंगरी, पहार

चन्दा, सुरूज बने तोर नयना,

सोनहा धाने के संग, लुगरा के हरियर रंग

तोर बोली जइसे सुघर मड़ना।

अँचरा तोरे डोलावय पुरवड़ैया।।

(महूँ पाँव परँव तोर भुड़ैया, जय हो जय हो छत्तिसगढ़ मड़ैया।।)”

2/ आदेशानुसार अनुरोध है कि उक्त राज्य-गीत का मानकीकरण स्वरूप का वंदन/गायन सभी शासकीय कार्यक्रमों के प्रारंभ में किया जाना सुनिश्चित करें।

(आर.पी.राठिया)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्र. एफ 10-11/2019/1/5 नवा रायपुर अटल नगर 04 फरवरी 2020

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, राज्यपाल, राजभवन, सचिवालय, रायपुर
4. उप सचिव, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

शासकीय पत्र (नमूना-3)

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, अटल नगर, जिला रायपुर

क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 30/01/2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर

समस्त विभागाध्यक्ष,

समस्त संभागीय आयुक्त,

समस्त कलेक्टर,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत

छत्तीसगढ़

विषय- छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट प्रदान किए जाने के संबंध में।

संदर्भ- इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 23.01.2017

इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 23.1.2017 द्वारा राज्य शासन के सभी विभागों/कार्यालयों में सीधी भरती के पदों में की जाने वाली भरती में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट कैलेण्डर वर्ष 2018 तक प्रदान की गई थी उक्त अवधि दिनांक 31.12.2018 को समाप्त हो गई है।

2/ छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए, राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2023 अर्थात् 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होंगी।

3/ दिनांक 01.01.2019 अथवा उसके पश्चात् जारी विज्ञापनों में भी अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार छूट का लाभ प्राप्त होगा। यदि आवश्यक हो तो संबंधित विभाग परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि में वृद्धि कर सकता है।

4/ उक्त छूट गृह (पुलिस) विभाग के लिए लागू नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(ऋचा शर्मा)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

अर्धशासकीय पत्र

अर्धशासकीय पत्र का प्रयोग सामान्यतः समान स्तर के अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान-प्रदान या प्रेषण के लिए होता है। यह विधिक पत्र नहीं होता है और न ही इसके द्वारा कोई विधिक आदेश की सूचना दी जाती है, बल्कि यह ऐसा पत्र होता है, जो सरकारी कामकाज के विषय में सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर लिखे जाते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विभिन्न सरकारी पदाधिकारियों के मध्य एक-दूसरे को सूचना देने आदि के लिए लिखा जाने वाला पत्र 'अर्धशासकीय पत्र' कहलाता है।

इस तरह के पत्र का प्रयोग भी यद्यपि सरकारी काम-काज में ही होता है लेकिन इसे वास्तविक अर्थों में सरकारी पत्र न कहकर, सरकारी पत्र का एक उप-प्रकार कहा जा सकता है। इसका प्रयोग अपेक्षाकृत कम और विशेष स्थिति में ही होता है। ऐसे पत्रों में औपचारिकता का पालन सरकारी पत्रों की तरह नहीं होता है। काम की जल्दी को ध्यान में रखकर ही ऐसे पत्र संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं।

अर्धशासकीय पत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में लिखे जाते हैं-

1. जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी का ध्यान किसी तथ्य विशेष की ओर विशेष रूप से आकृष्ट करना चाहता है।
2. जब किसी पत्र की विषयवस्तु को गोपनीय रखना होता है।
3. जब तत्काल कार्यवाही या स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है।
4. अपने अधीनस्थ शासकीय व्यक्ति की शिकायत वरिष्ठ अधिकारी से करनी होती है या उन्हें किसी विशेष आदेश/निर्देश देने हेतु कुछ सुझाव देना होता है।
5. जब किसी सम्मानित अधिकारी या व्यक्ति को किसी समारोह आदि में सम्मिलित होने के लिए या 'संबोधन' आदि हेतु आमंत्रित किया जाता है।

अर्धशासकीय पत्र की लेखन विधि-

1. सर्वप्रथम कागज की शीर्ष पर दाहिने ओर अर्धशासकीय पत्र संख्या, प्रेषक कार्यालय का नाम, दिनांक लिखना चाहिए।
2. कागज की शीर्ष पर बायें ओर प्रेषक का नाम, पद अंकित रहता है। सामान्य तौर पर अर्धशासकीय पत्र लेटर पैड में

लिखा जाता है जिसमें बायें ओर शीर्ष पर अधिकारी का नाम, पद, फोन नं. आदि पहले से ही छपा रहता है।

3. संबोधन हेतु 'महोदय' या 'मान्यवर' का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि व्यक्तिगत पत्रों की तरह 'प्रिय डॉ. जोशी' या 'माननीय मुख्यमंत्री जी' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
4. पत्र के अंत में दाहिनी ओर 'शुभेच्छु', 'आपका ही' लिखने के बाद उसके नीचे कोष्ठक में भेजने वाले अधिकारी का नाम अंकित रहता है, नाम के ऊपर हस्ताक्षर करने के बाद पत्र प्रेषित किया जाता है।
5. पत्र के सबसे नीचे बायीं ओर प्रेषिती (पत्र पाने वाले) का नाम, पद, पता लिखा रहता है। नाम के पहले 'सेवा में', 'प्रतिष्ठा में' आदि सम्मानजनक शब्द अंकित रहता है।

अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप

प्रेषक का नाम

पदनाम

छत्तीसगढ़ शासन विभाग/कार्यालय का नाम,

अर्धशासकीय पत्र क्र.

पदनाम

स्थान.....दिनांक.....

प्रिय श्री/प्रिय (अधिकारी का नाम/उपनाम)

.....
.....
.....
.....
.....

सादर/सविनय/सप्रेम/आदर सहित।

शुभेच्छु/आपका ही

हस्ताक्षर नाम

प्रति/प्रतिष्ठा में,

प्रेषिती (पत्र पाने वाले) का नाम

पता.....

अर्धशासकीय पत्र (नमूना-1)

आर.पी. मण्डल

छत्तीसगढ़ शासन

मुख्य सचिव

अर्धशासकीय पत्र क्र. 243/CS/2020

नवा रायपुर, अटल नगर, 29 अप्रैल 2020

प्रिय मित्र,

राज्य शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु विभिन्न आवश्यक कदम उठाये गये हैं जिसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति अन्य समकक्ष राज्यों से बेहतर है। राज्य में कोविड-19 के रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु बेहतर प्रबंधन को लक्षित करते हुए आगामी कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु समुदाय स्तर पर सक्रिय निगरानी कर मरीज की त्वरित पहचान व उपचार किया जाना आवश्यक है।

इसी परिप्रेक्ष्य में आगामी कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में गये व्यक्तियों/श्रमिकों के वापस अपने निवास के जिले में आने की संभावना है। छत्तीसगढ़ वापस आने वाले व्यक्तियों/श्रमिकों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें :-

01. सभी जिला कलेक्टर प्रथमतः घर वापसी के इच्छुक श्रमिकों का पूर्ण आकलन करेंगे। प्रवासी श्रमिकों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या, प्रदेश जहाँ से वे आना चाहते हैं एवं संबंधित जिला इत्यादि की जानकारी प्रदेशवार एवं जिलेवार एकत्रित कर लें। यह आकलन श्रमिक हेल्पलाइन/जन-प्रतिनिधि/ एनजीओ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचना, शासन द्वारा जिन्हें सहायता उपलब्ध करायी गई है एवं अन्य व्यक्ति/श्रमिक जो छत्तीसगढ़ में आने के इच्छुक हैं, के आधार पर किया जावेगा।
02. सभी जिला कलेक्टर, संबंधित प्रदेश के जिले के जिला दण्डाधिकारी से चर्चा कर समन्वय करेंगे कि कितनी संख्या में श्रमिक/व्यक्ति किस प्रदेश के किस जिले से कब आ रहे हैं या आने की संभावना है। यह जानकारी पूर्व से ही प्राप्त करेंगे ताकि आवश्यक तैयारी की जा सके।
03. जिले के कलेक्टर द्वारा अन्य राज्यों से प्राप्त डाटा/जानकारी को तत्काल राज्य नोडल अधिकारी से साझा किया जाये।

04. इस संबंध में कार्ययोजना बनाने एवं उसके क्रियान्वयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में सीईओ जिला पंचायत को तथा शहरी क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में कार्य हेतु जिला कलेक्टर द्वारा आदेशित किया जा सकता है।
05. उक्त आकलन के आधार पर वापस आने वाले श्रमिकों एवं परिवार के सदस्यों को क्वारेन्टाईन में रखने हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ जिला प्रशासन के समन्वय से की जायेंगी। ग्राम पंचायत स्तर पर गाँव से दूर उपयुक्त भवन जैसे-स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, आश्रम-छात्रावास इत्यादि में क्वारेन्टाईन करने की कार्य योजना तैयार की जाये। यह कार्य योजना मजदूरों की संख्या के आकलन के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर तैयार की जावेगी। अन्य प्रदेशों से वापस आये समस्त श्रमिकों का संपूर्ण ऑनलाईन डाटा बेस जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया जावेगा, जिस हेतु नमूना प्रारूप संलग्न है। ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी व्यवस्था अन्य राज्यों से वापस आने वाले श्रमिकों/व्यक्तियों के लिए की जाये।
06. क्वारेन्टाईन सेंटर में रहने, भोजन एवं अन्य आवश्यक समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
07. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रवासी श्रमिकों का प्रदेश की सीमा पर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जावेगा। श्रमिकों की अधिकता की स्थिति सीमावर्ती जिले के अतिरिक्त अन्य नजदीकी जिले/अन्य निर्धारित स्थान में भी स्वास्थ्य परीक्षण का काम किया जा सकेगा। जिस हेतु पूर्व से ही स्थान और व्यवस्था का निर्धारण किया जा सके।
08. इन व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से लागू करने के लिए जिलों के मध्य समुचित समन्वय अत्यंत आवश्यक है।
09. महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडिशा एवं तेलंगाना द्वारा वहाँ की बसों से मजदूरों को प्रदेश की सीमा तक पहुँचाने की स्थिति में छत्तीसगढ़ की सीमा पर संबंधित जिले के द्वारा प्रथमतः होल्डिंग एरिया/कैम्प में स्वास्थ्य परीक्षण, विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था की जावेगी।
10. स्वस्थ पाये गये श्रमिकों/व्यक्तियों को एन्ट्री प्वाइंट से उनके गंतव्य जिले तक पहुँचाने की व्यवस्था यात्री वाहनों से परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से किया जाएगा।
11. उपरोक्त व्यवस्था में श्रमिकों/व्यक्तियों के परिवहन, भोजन या अन्य सुविधाओं के लिए कलेक्टर एस.डी.आर.एफ.से भुगतान की व्यवस्था करेंगे।
12. अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों/व्यक्तियों की संख्या को उस राज्य के नोडल अधिकारी से समन्वय कर नियंत्रित किया जाये ताकि अंतर्राज्य सीमाओं पर व्यवस्था बनी रहे।
13. यह कार्य योजनाबद्ध तरीके से तत्परता एवं सावधानीपूर्वक संपादित किया जावे एवं संबंधित राज्य के जिला प्रशासन से समन्वय कर की गई कार्यवाही से राज्य नोडल अधिकारी श्री सोनमणि बोरा, सचिव सह श्रमआयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन को राज्य कंट्रोल रूम (नंबर 75878-22800) के माध्यम से अवगत करायेंगे।
14. अन्य राज्यों में मजदूरी हेतु गये व्यक्तियों के वापस आने पर अनिवार्यतः 14 दिवस के लिए निर्धारित पद्धति से क्वारेन्टाईन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। सीमावर्ती जिलों में श्रमिक/व्यक्तियों को स्वास्थ्य परीक्षण में अस्वस्थ पाए जाने पर क्वारेन्टाईन की व्यवस्था सीमावर्ती जिलों में सुनिश्चित की जायेगी।
15. ऐसे व्यक्ति जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए जायें उन्हें तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर कोविड-19 की जांच कराया जावे।
16. स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित गाईड लाईन अनुसार जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण, क्वारेन्टाईन सेंटर, होम क्वारेन्टाईन संबंधी कार्य संपादित किया जावेगा।
- मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कोरोना वायरस के राज्य में फैलाव को रोकने में हम पूरी तरह सफल होंगे।

शुभकामनाएँ।

भवदीय

आर.पी.मण्डल

समस्त कलेक्टर

छत्तीसगढ़

अर्द्धशासकीय पत्र (नमूना-2)

अ, ब, स
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

अर्द्ध शास.प.सं. 222/2019

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2019

प्रिय श्री क, ख, ग

अगस्त, सितम्बर महीने में महानदी का जलस्तर बढ़ता है और प्रदेश के पूर्वी तटवर्ती जिलों विशेषकर जांजगीर-चाम्पा और रायगढ़ में भारी जन-धन की हानि होती रही है। इस वर्ष की भारी वर्षा को ध्यान में रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया है कि प्रभावित जिलों में लोगों को खाने की सामग्री आटा, दाल, आलू आदि और पहनने को कपड़े तथा ओढ़ने को कम्बल वितरित किये

जायें। इसके लिए प्रभावित जिलों को बीस-बीस लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। जरूरत पड़ने पर राहत का काम आपकी देख-रेख में तुरन्त आरम्भ हो जाना चाहिए।

आपसे अनुरोध है कि इस कार्य को स्वयं अपने स्तर पर देखने का कष्ट करें और शासन को राहत कार्य की प्रगति के बारे में पाक्षिक रिपोर्ट भेजते रहें।

आपका ही

हस्ताक्षर

(सचिव का नाम)

प्रति,

जिलाध्यक्ष,

जांजगीर-चाम्पा, रायगढ़

(छत्तीसगढ़)

शासकीय तथा अर्द्धशासकीय पत्रों में अंतर**शासकीय पत्र**

- ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं।
- यह सदैव 'अन्य पुरुष' की शैली में लिखा जाता है।
- इसमें व्यक्तिगत पहचान का अभाव रहता है।
- इन पत्रों में नपे-तुले (संतुलित) शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मित्रतापूर्ण भाषा का अभाव रहता है।
- इसमें गोपनीयता की कोई शर्त नहीं रहती है।
- पत्र के अन्त में कोई भी सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं होता।
- इसका वैधानिक महत्व होता है अर्थात् उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

अर्द्धशासकीय पत्र

- यह पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है।
- यह सदैव 'उत्तम पुरुष-एकवचन' (मैं) शैली में लिखा जाता है।
- इसमें व्यक्तिगत पहचान का उल्लेख किया जाता है।
- इन पत्रों में मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है जैसे-प्रिय श्री, आदरणीय आदि।
- इसमें आवश्यकता पड़ने पर गोपनीयता जरूरी होता है।
- पत्र के अन्त में सादर, सविनय जैसे सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
- इसका वैधानिक महत्व नहीं होता बल्कि विषय पर शीघ्र कार्यवाही हेतु या लंबित कार्यों के शीघ्र निपटारा हेतु यह प्रेषित किया जाता है।

परिपत्र

परिभाषा- परिपत्र सरकारी पत्र का ही एक प्रकार है। अन्य पत्रों की तरह इसका प्रयोग भी सरकारी कामों में होता है। जब कोई सरकारी पत्र अनेक विभागों व कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है तो यह परिपत्र कहलाता है।

इस प्रकार जब प्रेषक एक हो, विषय एक हो, लेकिन पाने वाले एक से अधिक हों, तो सरकारी पत्र ही परिपत्र बन जाते हैं।

महत्व- परिपत्र अनेक विभागों व कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। जब किसी सूचना/ आदेश का सम्बन्ध कई विभागों से होता है तो सबको अलग-अलग न लिखकर एक परिपत्र सभी को भेज दिया जाता है।

परिपत्र की प्रमुख विशेषताएँ-

1. इसका प्रारूप व रचना शैली सरकारी पत्र जैसी ही होती है दोनों में बस अन्तर इतना है कि सरकारी पत्र किसी एक को भेजा जाता है जबकि परिपत्र एक साथ कई लोगों को।
2. परिपत्र हमेशा उच्च अधिकारी/मुख्य विभाग की ओर से नीचे के अधिकारियों या विभागों को भेजे जाते हैं। यह कभी भी नीचे से ऊपर नहीं भेजे जाते।
3. अन्य विशेषताएँ सरकारी पत्र के समान हैं।

परिपत्र भेजते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना चाहिए-

1. परिपत्र हमेशा उच्च अधिकारी/ मुख्य विभाग की ओर से नीचे के अधिकारियों या विभागों को भेजे जाते हैं। यह कभी भी नीचे से ऊपर नहीं भेजे जाते।
2. परिपत्र एक साथ कई लोगों को भेजे जाते हैं।
3. परिपत्र भेजते समय ऊपर मध्य में 'परिपत्र' लिखा जाता है।
4. जिन-जिन अधिकारी/विभाग/कार्यालय आदि को भेजना होता है उनका उल्लेख 'सेवा में' के बाद किया जाता है।
5. प्रेषक, महोदय का प्रयोग करते हैं।
6. पत्र समाप्त होने पर नीचे दाहिने 'भवदीय' का प्रयोग करते हैं।
7. परिपत्र राजभाषा की शैली में लिखते हैं।
8. इसमें व्यक्तिगत निकटता व पहचान नहीं दर्शायी जाती।
9. क्रमांक एक में आदेश/सूचना आदि एक पैराग्राफ में लिखते हैं। फिर क्रमांक दो, क्रमांक तीन आदि डालकर क्रमशः अन्य जानकारी/निर्देश आदि लिखे जाते हैं।

परिपत्र का प्रारूप

परिपत्र

प्रेषक,

.....

.....

पत्रांक

विभाग

स्थान..... दिनांक.....

सेवा में,

समस्त.....

विषय :

महोदय,

(1) मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि

(2)

.....

हस्ताक्षर

(नाम)

(पद)

प्रतिलिपि

1.

2.

3.

4.

5.

हस्ताक्षर

(नाम)

(पद)

परिपत्र (नमूना-1)

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

परिपत्र

क्रमांक एफ-06-183/2010/25-2 रायपुर दिनांक 25.11.2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़

विषय- अन्य पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों से 1950 के अभिलेख मांगे जाने के संबंध में।

माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन के ध्यान में यह बात लायी गयी है कि कतिपय जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से जाति प्रमाण-पत्र बनाने के संबंध में 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जा रहे हैं, यह उचित नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक 428/2003/1/3 रायपुर दिनांक 22 जुलाई 2003 द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए 1950 के पूर्व के अभिलेख मांगे जाने की आवश्यकता नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(मनोज कुमार पिंगुआ)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आ.जा.तथा अनु.जा.वि.वि.

पृ क्रमांक/ एफ 06-183/2010/25-2 रायपुर, दिनांक 25.11.2011

प्रतिलिपि :

1. सचिव छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
2. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।
3. संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।
4. समस्त संभागायुक्त छ.ग.।
5. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, छ.ग. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन आ.जा. तथा अनु. जा.वि.वि.

परिपत्र (नमूना-2)

परिपत्र

पत्र क्र. /खा.आ.म./2019-20

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

भारत सरकार

प्रेषक,

सचिव

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में,

समस्त राज्य सरकारें।

विषय - खाद्यान्नों की वसूली के सम्बन्ध में।

महोदय,

1. मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस समय देश में खाद्यान्नों की बहुत कमी है। सूखे के कारण कई राज्यों में फसलें बरबाद हो गयी हैं। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में खाद्यान्न अधिक पैदा हुआ है, उन राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली की जाए।
2. राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही का तथा खाद्यान्न वसूली की प्रगति का साप्ताहिक विवरण इस मंत्रालय को भेजते रहें।

भवदीय

हस्ताक्षर

(सचिव का नाम)

सचिव

अधिसूचना

सूचना सर्वमान्य सभी के लिए होती है जबकि 'अधिसूचना' नामानुरूप आधिकारिक सूचना है जो राजपत्र में प्रकाशित होती है। 'अधिसूचना' एक कार्यालयीन पारिभाषिक शब्द है जिसके माध्यम से नियम, आदेश, उसके लागू होने की तिथियाँ तथा राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियाँ, स्थानांतरण, पदोन्नति व सेवानिवृत्ति के आदेशों की सूचनाएँ आदि प्रकाशित होती हैं। अधिसूचना व्यक्ति विशेष की न होकर सामूहिक होती है। यह देश के राष्ट्रपति या प्रदेश के राज्यपाल के आदेश अर्थात् नाम से प्रसारित होती है। इसमें किसी तरह का कोई संबोधन नहीं होता।

अधिसूचना की महत्वपूर्ण विशेषताएँ-

- (1) अधिसूचनाएँ शासकीय, अर्धशासकीय, अशासकीय संस्थाओं द्वारा जारी की जाती हैं। विश्वविद्यालय की ओर से भी अधिसूचनाएँ प्रसारित होती हैं।
- (2) 'राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश से' लिखकर अधिसूचना प्रकाशित करने वाले का हस्ताक्षर और पद आदि का उल्लेख होता है।
- (3) अधिसूचना में किसी तरह की काट-छांट नहीं होता।
- (4) अधिसूचना की मूल प्रति का प्रकाशन राजपत्र (गजट) में अनिवार्य रूप से किया जाता है।
- (5) जनहित या आम जनता के लिए अधिसूचनाओं को समाचार-पत्रों में भी विज्ञापित किया जाता है।
- (6) यह अन्य पुरुष में लिखी जाती है।
- (7) इसमें अधिसूचना संख्या, मंत्रालय या विभाग का नाम, भेजने वाले के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम रहता है।
- (8) भारत सरकार की अधिसूचनाओं में ईसवी सन् के अतिरिक्त शक संवत् भी प्रकाशित किए जाते हैं।
- (9) अधिसूचनाओं में प्रेषक का उल्लेख नहीं होता, न ही इसमें विषय, संबोधन, भवदीय आदि स्वनिर्देशित शब्दों का प्रयोग होता है।
- (10) अधिसूचना में पृष्ठांकन आवश्यक होता है क्योंकि इसमें घोषित सूचनाओं का व्यापक महत्व होता है।

अधिसूचना का प्रयोग

अधिसूचना का प्रयोग निम्नलिखित बातों की सूचना देने के लिए किया जाता है-

- (1) विधिक महत्व के नीतिगत निर्णयों के प्रकाशन हेतु।
- (2) नियमों, अधिनियमों, लोकहित में भूमि-अर्जन, भूमि पर स्वामित्व की कार्यवाही की सूचना।

(3) राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति आदि की सूचना।

(4) शासकीय अधिकारियों को नये अधिकार सौंपने अथवा उनके अधिकारों को वापस लेने के लिए सूचना।

(5) लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, स्थानीय निकायों की चुनाव संबंधी सूचना प्रसारित करने के लिए।

अधिसूचना सदैव राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय की तरफ से जारी किया जाता है, किन्तु उनके नाम का प्रयोग नहीं किया जाता। अधिसूचना शासन के अधिकार प्राप्त उच्चाधिकारी, सचिव, संयुक्त सचिव, कुलसचिव, जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) आदि के पदनाम से जारी किया जाता है।

अधिसूचना का प्रारूप

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग/कार्यालय का नाम

क्रमांक

स्थान

अधिसूचना

.....

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(नाम.....)

पदनाम-

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग/कार्यालय का नाम

पृष्ठांकन क्रमांक.....

प्रतिलिपि-

1.

2.

3.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

हस्ताक्षर

(नाम)

(पदनाम)

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग/ कार्यालय का नाम

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 774 रायपुर, सोमवार दिनांक 18 नवम्बर 2019 कार्तिक 27 शक 1941

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 18 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-11/2019/1/5 - राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. नरेन्द्र देव वर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी गीत को राज्य गीत घोषित करता हूँ जो कि निम्नानुसार है :-

“अरपा पइरी के धार महानदी हे अपार,

इन्द्रावती ह पखारय तोर पईया

महूँ पाँव परँव तोर भुईया,

जय हो जय हो छत्तिसगढ़ मइया।।

सोहय बिन्दिया सही घाते डोंगरी, पहार

चन्दा सुरुज बने तोर नयना,

सोनहा धाने के संग, लुगरा के हरियर रंग

तोर बोली जइसे सुघर मइना।

अँचरा तोरे डोलावय पुरवइया।।

(महूँ पाँव परँव तोर भुईया, जय हो जय हो छत्तिसगढ़ मइया।।)

रइगढ़ हावय सुघर तोरे मँउरे मुकुट

सरगुजा (अऊ) बेलासपुर हे बहियाँ,

रइपुर कनिहा सही घाते सुघर फभय

दुरूग, बस्तर सोहय पयजनियाँ,

नाँदगाँवे नवा करधनियाँ

(महूँ पाँव परँव तोर भुईया, जय हो जय हो छत्तिसगढ़ मइया।।)

उक्त राज्य गीत अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर.पी. राठिया,

उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर अटल नगर 492002

अधिसूचना

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-7/2009/1/5/1766 : इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2018/1/5 दिनांक 28 सितंबर 2018 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं हेतु सामान्य, सार्वजनिक एवं ऐच्छिक अवकाश घोषित किए गए हैं। उक्त अधिसूचना के (ब) ऐच्छिक अवकाश की सूची के सरल क्रमांक 32 में विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर घोषित ऐच्छिक अवकाश को सामान्य अवकाश में परिवर्तित करने तथा छठ पूजा 02 नवम्बर को सामान्य अवकाश घोषित किए जाने का निर्णय लिया गया है। फलतः उक्त अधिसूचना में (अ) सामान्य अवकाश की सूची में निम्नानुसार प्रस्थापित किया जाए :-

क्र.	अवकाश का नाम	घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या	ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख	राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार तिथि (शक संवत्)	सप्ताह का दिन
1	2	3	4	5	6
9 ए	विश्व आदिवासी दिवस	एक	09 अगस्त	श्रावण 18, 1941	शुक्रवार
16 ए	छठ पूजा	एक	02 नवम्बर	कार्तिक 11, 1941	शनिवार

2/ अतएव राज्य शासन एतद् द्वारा दिनांक 09 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस एवं दिनांक 02 नवम्बर 2019 दिन शनिवार को छठ पूजा हेतु सामान्य अवकाश घोषित करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(आर.पी. राठिया)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

परिपत्र और अधिसूचना में अन्तर

1. परिपत्र का सम्बन्ध एक से अधिक व्यक्तियों से होता है। जबकि अधिसूचना का सम्बन्ध एक व्यक्ति से भी हो सकता है।
2. परिपत्र के प्रारूप में तकनीकी जटिलता होती है जबकि अधिसूचना का प्रारूप सीधा सरल होता है।
3. परिपत्र गजट में छपना जरूरी नहीं है जबकि अधिसूचना अनिवार्य रूप से गजट में छपती है।
4. परिपत्र में प्रेषक, महोदय, भवदीय आदि शब्दों का प्रयोग होता है जबकि अधिसूचना में इन शब्दों का प्रयोग नहीं होता।
5. परिपत्र सरकारी पत्र का एक विशिष्ट रूप है जबकि अधिसूचना का प्रारूप सरकारी पत्र से बिल्कुल अलग है।
6. परिपत्र में प्रतिलिपि अनिवार्य नहीं है जबकि अधिसूचना में प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से भेजी जाती है।
7. परिपत्र जारी करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर एक बार होता है जबकि अधिसूचना में अधिकारी/अधिकारियों का हस्ताक्षर दो स्थानों पर होता है।

पृष्ठांकन (Endorsement)

जब किसी पत्र की नकल या प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, अनुरोध, टिप्पणी, राय अथवा संक्षिप्त निर्देश के साथ किसी दूसरे संबंधित अधिकारी, अधीनस्थ कार्यालय या विभाग/अनुभाग को भेजी जाती है, तो उसे पृष्ठांकन कहते हैं।

पृष्ठांकन शासकीय पत्राचार का अति संक्षिप्त रूप है जो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसमें प्रेषक, प्रेषिती, संबोधन तथा विषय नहीं लिखा जाता है। अंत में पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर और उसका पदनाम लिख दिया जाता है।

पृष्ठांकन दो तरह से प्रयोग में लाया जाता है। पहला शासकीय/अन्य पत्रों के अंत में या उसके पिछले पृष्ठ (पीठ) पर ही पृष्ठांकन लिख दिया जाता है। दूसरा स्वतंत्र पत्र के रूप में भी पृष्ठांकन लिखा जाता है।

पृष्ठांकन का प्रारूप

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग कार्यालय का नाम

.....

मंत्रालय

क्रमांक.....

स्थान.....

दिनांक.....

.....

.....

.....

प्रतिलिपि-

1.....

2.....

3.....

की ओर

हस्ताक्षर

पदनाम

विभाग

पृष्ठांकन का नमूना-1

छत्तीसगढ़ शासन

गृह विभाग

मंत्रालय

संख्या 102/ का.शि.नि./07/302 रायपुर, दिनांक 04.04.2020

अधोहस्ताक्षरी विभाग को संलग्न पत्र क्र. /122/मु.सु/175 रायपुर दिनांक 02.01.2010 की प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

1. वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

2. विधि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन

3. सामान्य प्रशासन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपसचिव

छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग

पृष्ठांकन नमूना 2

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार

नई दिल्ली, 5 अगस्त 2005

अधोलिखित अधिकारियों को निम्नलिखित पत्रों की प्रतिलिपियाँ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं-

- (अ) पुलिस महानिरीक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल
(ब) महालेखापाल, मध्यप्रदेश, न्यू बिल्डिंग, झांसी रोड, ग्वालियर
(स) मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल (म.प्र.)

प्रेषित पत्र

- (अ) रक्षा मंत्रालय, परिपत्र क्रमांक 48/29, दिनांक 5.8.2005
(ब) वित्त मंत्रालय, ज्ञापन क्रमांक 29/38, दिनांक 8.8.2005

हस्ताक्षर-अस्पष्ट

अवर सचिव

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

विज्ञापन (Advertisement)

शासकीय विज्ञापन एक प्रकार की शासकीय सूचना है जिसे कोई भी मंत्रालय विभाग, अनुभाग या कार्यालय द्वारा जनहित में या आम जनता को सूचित करने के लिए दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाता है। रिक्त पदों के लिए आवेदन, नीलामी, दावा आपत्ति, शासकीय या न्यायालयीन आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, आम सूचना, सूचना/नोटिस, निविदा आदि विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित किये जाते हैं। वर्तमान समय में विज्ञापन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं इंटरनेट का भी उपयोग बहुतायत से हो रहा है।

(प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन)

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर -492002

विज्ञापन**पण्डित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2019**

राज्य शासन ने सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक क्षेत्रों में किए गए अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय 'पण्डित रविशंकर शुक्ल सम्मान' की स्थापना की है। वर्ष 2019 के लिए उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के एक व्यक्ति/एक संस्था के चयन हेतु सर्वसंबंधितों से दिनांक 26 सितंबर 2019 सायं 5.00 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। उक्त पुरस्कार की राशि रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) चयनित व्यक्ति/संस्था को नगद, सम्मान प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका एवं प्रमाण पत्र भी प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।

2. उक्त पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जुरी) द्वारा चयन होने पर ही दिया जाएगा। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति/संस्था का पूर्ण परिचय

ख. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्र में अभिनव प्रयत्नों के लिए किए कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

घ. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित फोटो प्रति।

च. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।

ज. यदि आवेदक राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग, निगम/मंडल में सेवारत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रविष्टि में किया जाए।

आवेदक जिस जिले का निवासी हो उस जिले के कलेक्टर को अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे इस विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु विज्ञापन)
छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर -492002

विज्ञापन

यतियतन लाल सम्मान 2019

राज्य शासन ने अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में किए गये अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए सम्मानित करने और उनमें एक राष्ट्रीय कीर्तिमान विकसित करने की दृष्टि से राज्य स्तरीय 'यतियतन लाल सम्मान' की स्थापना की है। वर्ष 2019 के लिए उक्त पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के एक व्यक्ति/एक संस्था के चयन हेतु सर्वसंबंधितों से दिनांक 26 सितंबर, 2019 सायं 5.00 बजे तक प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती हैं। उक्त पुरस्कार की राशि रुपये 2.00 लाख (रुपये दो लाख) चयनित व्यक्ति/संस्था को नगद, सम्मान प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका एवं प्रमाण पत्र भी प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी।

2. उक्त पुरस्कार राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जुरी) द्वारा चयन होने पर ही दिया जाएगा। पुरस्कार हेतु प्रविष्टि निर्मांकित अपेक्षाओं की पूर्ति कर प्रस्तुत की जाए :-

क. व्यक्ति/संस्था का पूर्ण परिचय

ख. अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में किए गए अविस्मरणीय कार्य, सेवाओं तथा अभिनव प्रयास के लिए किए कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी।

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण।

घ. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इसके सैद्धांतिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की सत्यापित फोटो प्रति।

च. सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य।

छ. चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में व्यक्ति की लिखित सहमति।

ज. यदि आवेदक राज्य अथवा केन्द्र शासन के किसी विभाग, निगम/मंडल में सेवारत हो तो उसका स्पष्ट उल्लेख प्रविष्टि में किया जाए।

आवेदक जिस जिले का निवासी हो उस जिले के कलेक्टर को अपनी प्रविष्टि निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रस्तुत कर सकेगा। सीधे इस विभाग को प्राप्त प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रतिवेदन (Reporting)

परिभाषा- किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के सूक्ष्म निरीक्षण की जानकारी के बाद तैयार किया गया सम्पूर्ण विवरण प्रतिवेदन कहलाता है।

व्यक्ति विशेष की दुर्घटना संबंधी आदि के संदर्भ में सूक्ष्म निरीक्षण से जानकारी बाबत परीक्षण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया भी प्रतिवेदन का रूप होता है।

कभी किसी संगठन, संस्था या व्यक्ति विशेष के क्रिया-कलापों की छानबीन करने के लिए या उसकी कार्य पद्धति में सुधार लाने के लिए, उसके कार्य के विस्तार के लिए, उसकी उपयोगिता या उपादेयता की परख के लिए जाँच समिति या जाँच अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं फिर उनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है।

कृषि उत्पादन, दूरसंचार की घटनाओं, राजनैतिक घटनाक्रम आदि मामलों की खोजबीन को प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन का ही सहारा लिया जाता है।

प्रतिवेदन के मूलतः दो रूप होते हैं-

(1) विवरणात्मक प्रतिवेदन

(2) शिकायती प्रतिवेदन

प्रतिवेदन लेखन-

विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों, संस्थानों, संस्थाओं तथा कम्पनियों आदि के प्रशासन में सामान्यतः विशेष जानकारी के लिए प्रतिवेदन का सहारा लिया जाता है। सरकार द्वारा नियुक्त विशेष जाँच समिति अथवा आयोग को अपना प्रतिवेदन तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों की ओर ध्यान देना होता है।

(क) समिति अथवा आयोग का गठन सरकार ने किस उद्देश्य से किया है और उन्हें कौन से कार्य पूरे करने हैं?

(ख) आयोग को समिति से सम्बन्धित मामले के किस-किस तथ्य की जाँच या खोजबीन करनी है?

(ग) तथ्य खोजने के लिए किन-किन व्यक्तियों से साक्ष्य लिया?

(घ) समिति या आयोग की बैठकों से किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई? प्रत्येक सदस्य का मत क्या रहा?

(ङ) निष्कर्ष के रूप में कौन-कौन सी सिफारिशें प्रयुक्त की गई?

(च) सामान्यतः सभी सदस्य प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करते हैं।

कभी-कभी केवल अध्यक्ष एवं सचिव हस्ताक्षर करते हैं।

प्रतिवेदन का प्रारूप

प्रतिवेदन सामान्यतया निम्नलिखित ढाँचे के अनुसार तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है-

शीर्षक (जिसके बारे में प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया जा रहा है)

प्रस्तावना-

- (1) विषय - सूची
- (2) उद्देश्य- पूर्ति की संक्षिप्त विवरण.
- (3) विषय- विश्लेषण
- (4) साक्षात्कार एवं साथ ही संकल्प का विश्लेषण
- (5) प्रमुख तथ्यों का उद्धाटन
- (6) मुख्य सिफारिशें
- (7) तालिकाएँ और परिशिष्ट
- (8) सन्दर्भ सूची

प्रतिवेदन की विशेषताएँ-

- (1) प्रतिवेदन का स्वरूप आवेदन, अभ्यावेदन तथा पुनरावेदन से एकदम भिन्न होता है। (कुछ लोग प्रतिवेदन और अभ्यावेदन को एक मानकर बहुत बड़ी भूल करते हैं, वस्तुतः दोनों में काफी और स्पष्ट अन्तर है।)
- (2) प्रतिवेदन में किसी घटना, जानकारी, निरीक्षण तथा सर्वेक्षण आदि तथा अनुसंधान आदि का तथ्यादेयी प्रस्तुतीकरण रहता है।
- (3) प्रतिवेदन में उद्देश्य के अनुरूप साक्षात्कार, सर्वेक्षण तथा अनुसंधान आदि के माध्यम से अनुययी जानकारी प्रकाशित कर उसका सटीक विश्लेषण किया जाता है और तदन्तर उसे विशिष्ट पद्धति से प्रस्तुत किया जाता है।
- (4) प्रतिवेदन की भाषा अत्यंत स्पष्ट, सार्थक तथा एकार्थी होना अपेक्षित है। प्रतिवेदन में सर्वकारिक एवं मुहावरेदार भाषा सर्वथा वर्जित है।
- (5) प्रतिवेदन विषयानुरूप एवं उद्देश्य की पूर्ति करने वाला एक सारगर्भित प्रलेख (Document) होता है।
- (6) प्रतिवेदन में संक्षिप्तता, सारगर्भिता एवं गंभीरता का होना नितान्त आवश्यक होता है।
- (7) प्रतिवेदन में केवल जानकारी, समस्या अथवा घटनाओं का विवरण और विश्लेषण ही नहीं होता अपितु सत्य एवं तथ्यों के अन्वेषण के साथ समस्या का समाधान एवं उपाय प्रस्तुत किये जाते हैं।

प्रतिवेदन (1) विवरणात्मक प्रतिवेदन**लड़कियों के उच्चतर शिक्षा के सम्बन्ध में माता-पिता का रुख**

भारत की स्त्री युग-युग से समाज में उपेक्षित रही है, यद्यपि ऐसी स्त्रियों के नाम गिनाये जा सकते हैं जिन्होंने जीवन के नाना क्षेत्रों में नाम कमाया है और कुछ तो अमर हो गई हैं, पर सामान्य रूप से उनकी शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। आजकल भी उनके लिए जबकि समान अवसर प्राप्त है, उच्चतर शिक्षा की स्थिति विशेष रूप से चिन्तनीय है। इसके कारण जानने के लिए एक वृहत् सर्वेक्षण की आवश्यकता जान पड़ती है।

प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक कदम है और वह भी केवल मार्गदर्शक। जाँच के लिए 100 घरों में एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसको 752 माता-पिता ने भरा जिनके निम्नलिखित वर्ग बनते हैं-

(i) पुरुष	402
स्त्रियाँ	350
कुल	752
(ii) आय (प्रतिमाह)	
900 रु तक	281
901 से 1000 रु. तक	195
1000 से 1500 रु. तक	127
1500 से 3000 रु. तक	93
3000 से ऊपर	56
कुल	752

प्रश्न-पत्र में माता-पिता के विचार। इस पक्ष के अनेक पक्षों को आमंत्रित किए गए। प्राप्त उत्तर के आधार पर उत्तरदाताओं के दो वर्ग बने-

● वर्ग अ में 1500 रुपये प्रतिमाह तक की आय वाले।

● वर्ग ब में 1500 रुपये प्रतिमाह से ज्यादा आय वाले।

इसमें बहुत से लोग गाँवों से आकर बसे हुए हैं।

सब वर्गों के माता-पिता मानते हैं कि उच्चतर शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक लाभ अधिक होता है; परन्तु अ वर्ग लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा इंजीनियरिंग, पी-एच.डी आदि नहीं चाहता, बल्कि उसका यह भी विचार है कि यदि लड़की की शिक्षा अधिक होगी तो घर की तलाश कठिन हो जाती है, योग्य घर नहीं

मिलते। वह यह भी चाहता है कि विवाह के बाद लड़कियों की शिक्षा बन्द हो जाये। वह सहशिक्षा का विरोध करता है।

वर्ग ब सहशिक्षा अथवा अंतर्जातीय विवाह का विरोध नहीं करता। वह यह कहता है कि विवाह के बाद लड़की आगे पढ़े या न पढ़े, यह पति पर छोड़ दिया जाए। वर्ग ब के एक तिहाई माता-पिता बच्चों को बराबर-बराबर शिक्षा दिलाने के पक्ष में हैं जबकि दो-तिहाई केवल पुत्रों को उच्चतर शिक्षा दिलाने के इच्छुक हैं, बेटियों को नहीं।

ह संयोजक

प्रतिवेदन (2) शिकायती प्रतिवेदन

कार्यालय पुलिस आयुक्त, आर्थिक अपराध अनुसंधान
शाखा, भोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 91/151 दिनांक 22.03.2002

आपके गोपनीय आदेश पत्र क्रमांक 20/राजस्व/651/ दिनांक 19.02.2002 के अनुसार श्री के.पी. शर्मा नायब तहसीलदार, इन्दौर के सम्बन्ध में सभी जानकारी प्राप्त की गई हैं। तथ्यों की पूर्ण जाँच के उपरान्त पाया गया विवरण निम्नानुसार है-

- (1) श्री के.पी. शर्मा के कार्यालय में उपलब्ध व्यक्तिगत अभिलेख पंजिका में पिछले दस वर्षों में एक भी ऐसी परिस्थिति नहीं मिली जिसके आधार पर उनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता पर किसी प्रकार का संदेह प्रकट किया जा सके।
- (2) श्री के.पी. शर्मा के कार्यालय में उनके समस्त सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्राप्त विवरणों के अनुसार वे कार्यालय में लगन एवं परिश्रम से कार्य करते हैं, इसके अतिरिक्त सभी कार्य में सबको सहयोग देते थे।
- (3) श्री के.पी. शर्मा जी की आय की सम्पन्नता का कोई अनैतिक स्रोत प्रतीत नहीं होता है।

इस प्रकार विभागीय दृष्टि से श्री शर्मा जी पर लगाये गये समस्त आरोप निराधार, व्यक्तिगत ईर्ष्यापूर्ण, सर्वथा अनुचित एवं मानसिक रूप से पीड़ित करने व सामाजिक प्रतिष्ठा में दाग लगाने की दुर्भावना से प्रेरित जान पड़ता है।

प्रपत्र (PROFORMA)

एक विशेष प्रकार का छपा (टाइप) हुआ पत्र जिसके माध्यम से आवेदनकर्ता से उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ जानकारी मांगी जाती है एवं उसी के आधार पर आगे कार्यवाही की जाती है।

जैसे (1) रेलवे आरक्षण हेतु प्रपत्र

(2) जाति प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र

(3) निवास प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र

(4) चुनाव में नामांकन हेतु प्रपत्र

तत्संबंध में यह भी विदित हो कि अनेक शासकीय आदेश प्रसारित करने हेतु भी छपा हुआ प्रपत्र निर्धारित रहता है जिसमें सक्षम अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त हस्ताक्षर कर सर्वसंबंधित को जारी किया जाता है। जैसे-

(1) निवास प्रमाण पत्र

(2) जाति प्रमाण पत्र

(3) चुनाव में निर्वाचन का प्रमाण पत्र

प्रपत्र का नमूना

(निर्देश क्रमांक 8 (2) देखें)

स्थायी प्रमाण पत्र

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला..... (छ.ग.)

पुस्तक क्रमांक

प्रमाण पत्र क्रमांक

राजस्व प्रकरण क्रमांक /// वी-121

साल 20....

जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती /कु.... पिता /पति का नाम... निवासी ग्राम.. विकासखण्ड... तहसील ... जिला... संभाग... अनुसूचित जाति/ जनजाति का /की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद.... के अधीन छ.ग. राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह... जाति / जनजाति/ अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत छ.ग. की सूची तख्ती में अनुक्रमांक..... पर अंकित है। अतः श्री/ श्रीमती/ कुमारी.... पिता/पति का नाम... अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है।

आदेशानुसार

(अधिकारी का नाम)

दिनांक

पाद-टिप्पणी/टिप्पण-लेखन

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

कार्यालयीन कार्यों के संपादन में पाद-टिप्पणी या टिप्पण-लेखन का बहुत महत्व है। संस्कृत के शब्द 'टिप्पण' का अर्थ-आशय स्पष्ट करने के लिए जोड़ा गया संक्षिप्त टीका है। 'टीका' का अर्थ, संक्षेप में लिखा गया नोट या टिप्पणी है जो नोट-शीट के माध्यम से आगे बढ़ता है। किसी भी आवेदन पत्र के निराकरण के लिए नोट-शीट पर टिप्पण-लेखन निचले स्तर के कर्मचारी/अधिकारी से शुरू होकर स्वीकृति के लिए सक्षम अधिकारी तक जाता है। इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि नोट-शीट में लिपिक/कनिष्ठ अभियंता आदि निचले स्तर के कर्मचारी, अधिकारी से लेकर कार्यालय प्रमुख, प्राचार्य, अधिष्ठाता, आयुक्त, कलेक्टर आदि तक का अभिमत शामिल रहता है। जनहित में आवश्यक होने पर नोट-शीट में सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को भी टिप्पणी लिखनी पड़ती है।

टिप्पण लेखन की विशेषताएँ -

- (1) यह नियम सम्मत संक्षिप्त में लिखा जाता है ताकि सक्षम अधिकारी को निर्णय लेने में आसानी हो।
- (2) टिप्पण संक्षिप्त, सरल और सुबोध होता है।
- (3) संयत भाषा और औपचारिक शैली टिप्पण के लिए अनिवार्य है।
- (4) टिप्पण तर्कसंगत होता है।
- (5) टिप्पण में स्थान व तिथि अंकित होता है यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी कार्यवाही को विलंबित करने का प्रयास करे तो उसमें तिथि अंकित होने के कारण उसकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है।
- (6) इस तरह टिप्पण-लेखन द्वारा निचले स्तर के कर्मचारी/अधिकारी से लेकर उच्च स्तर के सक्षम अधिकारी-सचिव, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाती है।
- (7) नोट-शीट में टिप्पण लेखन सामूहिक उत्तरदायित्व का ऐसा दस्तावेज है जिसे बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के नष्ट नहीं किया जा सकता।

टिप्पण के प्रकार : टिप्पण दो प्रकार के होते हैं-

(1) सामान्य टिप्पण- इसके अन्तर्गत बिना किसी छानबीन, नियम या उपनियम के टिप्पण लिखे जाते हैं। उदाहरणार्थ- कार्यालय में पानी की व्यवस्था के लिए लिखे गये टिप्पण को सामान्य टिप्पण कहा जा सकता है।

(2) संपूर्ण टिप्पण- इसके अन्तर्गत किसी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए लिखा क्रमबद्ध टिप्पण को लिखा जा सकता है। इस हेतु संबंधित कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा समस्त समस्याओं, सूचनाओं, तथ्यों, नियमों, उपनियमों आदि को क्रमबद्ध रूप में संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जाता है।

टिप्पण-लेखन का उदाहरण

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के परिपत्र पर कार्यालय सहायक द्वारा लिखा गया टिप्पण-लेखन)

पत्र क्र./खा.आ.म./2019-20

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

भारत सरकार

प्रेषक,

सचिव

खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक.....

सेवा में,

समस्त राज्य सरकारें।

विषय : खाद्यान्नों की वसूली के सम्बन्ध में

महोदय,

1. मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस समय देश में खाद्यान्नों की बहुत कमी है। सूखे के कारण कई राज्यों में फसलें बरबाद हो गयी हैं। इस आपदा से निपटने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिन राज्यों में खाद्यान्न अधिक पैदा हुआ है, उन राज्यों में खाद्यान्नों की वसूली की जाए।

2. राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में अपनी कार्यवाही का तथा खाद्यान्न वसूली की प्रगति का साप्ताहिक विवरण इस मंत्रालय को भेजते रहें।

भवदीय

ह.....

(अ ब स)

सचिव

पाद-टिप्पणी/टिप्पण लेखन-

विषय महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति संतोषप्रद है। संप्रति, प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों से खाद्यान्न वसूली/खरीदने की साप्ताहिक जानकारी बाबत पत्र निर्गत करने की अनुशंसा है।

हस्ताक्षर

(कार्यालय सहायक)

विशेष द्रष्टव्य

छत्तीसगढ़ के कार्यालयों में शासकीय प्रयोजनों हेतु सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले टिप्पण-लेखन हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा में भी नीचे दिया जा रहा है। वास्तव में टिप्पण कार्यालयों में प्रमुख प्रविधि है जो कार्यालयीन समग्र समस्याओं का निदान और विचार विनिमय के अभिलेखों का उपादान है। इसमें सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अधिकारी और कर्मचारी दायित्व के प्रति सचेष्ट होता है। आंतरिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए चलाए जाने वाले टिप्पण आधिकारिक आदेश के निकाले जाने के साथ समाप्त होते हैं जबकि बाह्य संपर्क के लिए चलाए जाने वाले टिप्पण प्रारूपण एवं पत्र प्रेषण के साथ समाप्त होता है। इस तरह शासकीय कार्यों के निष्पादन में टिप्पण लेखन एक महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज है।

कुछ उपयोगी टिप्पणियाँ

1. अनुमोदित। (Approved.)
2. संस्तुत। (Recommended.)
3. कृपया देख लें। (May please see.)
4. कृपया विचार किया जाय। (May be considered pl.)
5. आवश्यक कार्यवाही हेतु। (For n/a pl.)
6. कृपया चर्चा करें। (Pl. discuss.)
7. अनुवर्ती कार्यवाही करें। (Pl. follow up.)
8. प्रस्ताव प्रस्तुत करें। (Submit the proposal.)
9. अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (Submitted for approval.)
10. वित्तीय सहमति हेतु। (For Financial concurrence.)
11. त्वरित कार्यवाही हेतु। (For immediate action.)
12. कृपया अवलोकनार्थ। (For perusal pl.)
13. अति आवश्यक। (Urgent.)
14. कार्य में शीघ्रता लाएँ। (Pl. expedite.)
15. कृपया प्रस्तुत करें। (Pl. put up.)
16. कृपया प्रमाणित करें। (Pl. certify.)
17. हिन्दी में उत्तर दें। (Reply in Hindi.)
18. इसे स्वयं देख लें। (Pl. attend to this personally.)
19. इसे प्राथमिकता दें। (Pl. attend to this on priority.)
20. कृपया उत्तर की प्रतीक्षा करें। (Pl. wait for reply.)
21. कृपया जांच कर प्रस्तुत करें। (Pl. check and put up.)
22. सभी संबंधितों को सूचित करें।
(Pl. inform all concerned.)
23. देख लिया, धन्यवाद। (Seen, thanks.)
24. तदनुसार कार्यवाही आरंभ करें।
(Pl. initiate action accordingly.)
25. आज ही भेज दें। (Pl. issue today.)
26. कृपया ध्यानपूर्वक नोट करें। (Pl. note carefully.)
27. कृपया भविष्य में मार्गदर्शन के लिए नोट करें।
(Pl. note for future guidance.)
28. की गई कार्यवाही की सूचना दें।
(Pl. intimate action taken.)
29. यथा संशोधित जारी करें। (Pl. issue as amended.)
30. तदनुसार उत्तर भेज दें। (Pl. issue reply accordingly.)
31. मैं सहमत हूँ। (I agree/o.k.)
32. मैं सहमति देने में असमर्थ हूँ।
(I am not able to agree.)

33. इसे बहुत विशेष मामला मानकर मैं सहमति देता हूँ।
(I agree as a very special case.)
34. मैं पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। (I do not fully agree.)
35. मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं हूँ।
(I am not in favour of this proposal.)
36. मैं उचित नहीं समझता हूँ।
(I do not consider proper.)
37. मैं इसे आवश्यक नहीं समझता हूँ।
(I do not feel it necessary.)
38. मुझे कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता।
(I do not find any reason.)
39. ऊपर लिखित टिप्पणी से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
(I fully agree with the above note.)
40. मैं इस मामले को सावधानी से देख चुका हूँ।
(I have gone through the case carefully.)
41. मैं इस मामले पर चर्चा कर चुका हूँ।
(I have discussed the matter with.)
42. मैं निर्णय कर चुका हूँ। (I have decided.)
43. मुझे सन्देह है। (I have own doubt.)
44. मैं एतद् द्वारा अधिकार देता हूँ। (I hareby authorise.)
45. मैं एतद् द्वारा निलंबन का दंड देता हूँ।
(I hareby authorise punishment of suspension.)
46. कृपया देखकर लौटा दें। (Please note and return.)
47. तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करें।
(Put up comparative statement.)
48. उत्तर का प्रारूप प्रस्तुत करें। (Put up draft reply.)
49. कृपया हाशिए में मेरे टिप्पणी देखें।
(Please see my remark in the margin.)
50. आज ही भेज दिया जाय। (Send today.)
51. उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाय। (Seek clarification.)
52. आगे और विवरण की प्रतीक्षा करें।
(Wait for further details.)
53. फैक्स द्वारा सूचित करें। (Intimate by fax.)
54. मामले का संक्षेप तैयार करें। (Prepare in brief.)
55. कार्यालय की टिप्पणी से मैं पूर्णतया सहमत हूँ।
(I agree with the official note.)
56. जब तक अंतिम निर्णय न हो जाय, इसे स्थगित रखें।
(Keep pending till final decision.)
57. कार्यालय इसे सावधानी से नोट कर ले।
(Office to note carefully.)
58. सभी बकाया कागजात का निपटारा कर दें।
(Dispose off all pending papers.)
59. जो आदेश दिया जा चुका है, उसमें संशोधन करने का कोई कारण नहीं है।
(No reason to amend the order given.)
60. कार्यालय ध्यान दे और अनुपालन करे।
(Office to see and comply.)
61. अवकाश स्वीकृत है। (Leave granted.)
62. पड़ताल की और ठीक पाया।
(Inspected and found correct.)
63. शीघ्र कार्यवाही की जाय। (Immediate action.)
64. शीघ्र अनुपालन के लिए। (For quick compliance)
65. आवश्यक कार्यवाही हेतु। (For n/a)
66. तथ्य एकत्रित किये जा रहे हैं।
(Facts being collected.)
67. अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
(Leave can be sanctioned.)
68. केवल सूचना के लिए। (For information only.)
69. आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। (n/a taken.)
70. अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है।
(No decision yet in this regard.)
71. फाइल का निपटारा शीघ्र करने के लिए अनुरोध है।
(Fast disposal of file requested.)
72. इस मामले में अपील नहीं की जा सकती।
(Matter is non-appealable.)
73. इस मामले पर विचार किया जा रहा है।
(Matter under consideration.)
74. मामला अभी वित्त मंत्रालय में है।
(Matter under finance ministry.)

75. यह मामला बहुत समय से अटका हुआ है।
(Matter undecided since long.)
76. प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती।
(Request can not be accepted.)
77. इनका तबादला मई 2015 में हो गया था।
(He was transferred in May 2015.)
78. इनके दुराचरण पर प्रशासनिक कार्यवाही उचित होगा।
(Administrative action required on his mis conduct.)
79. अनुमोदन के लिए महानिदेशक को भेजना उचित होगा।
(DG's approval be sought.)
80. यह जानकारी गृह-मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। MOH
(Ministry of home Affair/MOH be sent this information.)
81. हम पहले ही नियंत्रक से रिपोर्ट मंगा चुके हैं। देखिए पृष्ठ...।
(Report from controller already sought, Refer page...)
82. यह प्रस्ताव नियमानुकूल है।
(This proposal is as per rules.)
83. मंत्रालय से परामर्श किया जाना चाहिए।
(Ministry should be consulted.)
84. औपचारिक अनुमोदन आवश्यक है।
(Formal approval necessary.)
85. संगत विवरणों पर पर्ची लगा दी गयी है।
(Relevant informations flagged.)
86. विचार-विमर्श के लिए तिथि और समय निश्चित करें।
(Fix date/time for discussion.)
87. पावती की अभी तक प्रतीक्षा है।
(Receipt still awaited.)
88. भविष्य निधि पेशगी मंजूर किया जा सकता है।
(Advance from PF may sanctioned.)
89. यह विशेष चिन्ता का विषय है।
(Matter of deep concern.)
90. शासकीय आदेशानुसार कार्यवाही किया जाना चाहिए।
(Action be taken as per Govt. orders.)
91. प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं है।
(Proposal is not as per rules.)
92. इसका उत्तर वापसी डाक से भेजा जा रहा है।
(Reply being sent as per return of post.)
93. अभी तक इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
(No decision taken yet on subject.)
94. आगे कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है।
(No further action required.)
95. आवेदन स्वीकार किया जाये। (Appl. be accepted.)
96. आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है।
(Necessary action taken.)
97. इस मामले का पूरा विवरण साथ में संलग्न है।
(All aspects of matter enclosed.)
98. इस मामले में कोई आश्वासन दिया जाना उचित नहीं होगा।
(Any assurance in this case is undesirable.)
99. बिल की पड़ताल कर ली गयी है, यह ठीक है।
(Bill has been examined, it is Okay.)
100. यह राशि अब वसूल नहीं हो सकेगी।
(Amount not recoverable.)
101. भुगतान के लिए पारित किया जा सकता है।
(Can be passed for payment.)
102. मैं ऊपर 'क' से सहमत हूँ।
(I agree with "A" above.)
103. इसे मुलतवी/स्थगित रखा जाए।
(Keep in abeyance.)
104. अगली रिपोर्ट की प्रतीक्षा करें।
(Await for further report.)
105. आज ही भेजिए/जारी करें। (Issue today.)
106. कृपया एक स्वतः स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत करें।
(Please put up a self contained note.)
107. कृपया संबंधित फाइलों/कागजातों को दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें। (Please put up relevant files/papers with documents.)

108. कृपया नवीनतम अनुदेशों के अनुसार मामले की पुनः दुबारा जांच करें। (Please re-examine with reference to latest instructions.)
109. सहमति प्रस्तुत की जाती है। (Concurred in.)
110. निदेशक महोदय को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (Put up to Director for approval.)
111. विसंगतियों का समाधान कर लिया जाए। (Discrepancy may be reconciled.)
112. तुरन्त अनुस्मारक भेजें। (Issue reminder urgently.)
113. यह मामला... के विचाराधीन है। (The matter is under consideration of...)
114. इसे निदेशक महोदय के पास भेजना जरूरी नहीं है। (Director need not troubled.)
115. कृपया सूचना मंगाएँ। (Please call for information.)
116. आवेदन पत्र में मांगी गयी आकस्मिक अवकाश/ अर्जित अवकाश/लघुकृत अवकाश/प्रतिपूरक अवकाश पेशगी मंजूर की जाती है। (CL/EL/Commuted leave/CH advance sanctioned as applied for.)
117. कृपया इनके उपदान से संबंधित मामले पर उचित कार्यवाही करें। (Please process his/ her gratuity case.)
118. इस व्यय/खर्च के लिए बजट प्रावधान किया गया है। (Budget provision exists for this expenditure.)
119. आंशिक रूप से यथा संशोधित। (As slightly amended.)
120. कृपया... को तदनुसार सूचित करें। (Please inform.....accordingly.)
121. स्पष्टीकरण माँगा जाए। (Explanation may be sought.)
122. देख लिया, धन्यवाद। (Seen, thanks.)
123. भुगतान के लिये पास किया जाता है। (Passed for payment.)
124. अनुमति दी जाती है। (Permitted.)
125. प्रेस-टिप्पणी जारी करें। (Issue press note.)
126. इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। (Give top priority to this work.)
127. न्यूनतम दरें स्वीकार की जावे। (Lowest quotations may be accepted.)
128. कृपया उत्तर का मसौदा/प्रारूप प्रस्तुत करें। (Please put up draft approval.)
129. कृपया अनुमोदनार्थ प्रारूप प्रस्तुत करें। (Please put up draft for approval.)
130. विलम्ब/देरी का क्या कारण है? (Why delays?)
131. कृपया बैठक का मसौदा/प्रारूप प्रस्तुत करें। (Please put up agenda/minutes of the meeting.)
132. पिछली तारीख से/अगली तारीख से प्रभावी (Retrospective/ prospective effect)
133. पदों का सृजन (Creation of post)
134. शक्तियों का प्रत्यायोजन। (Delegation of powers.)
135. स्थायी/अर्धस्थायी/अस्थायी (Permanent/quasi-permanent/Temporary)
136. प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाए। (Administrative approval may be obtained.)
137. ऊपर बतायी गई परिस्थितियों में हम सुझाव मान लें। (In view of the circumstances stated above, we may agree to the proposal.)
138. 14 मार्च 2016 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। (Draft of the minutes of meeting held on 14th March 2016, is submitted for approval.)
139. ...विभाग इस मामले में सामान्य आदेश निकालने की आवश्यकता पर विचार करें। (Department of...may consider the desirability of issuing orders on the subject.)
140. यथा प्रस्तावित कार्यवाही की जाय। (Action may be taken as proposed.)
141. स्वीकृति की प्रतीक्षा है। (Acceptance is awaited.)
142. पावती पहले ही भेजी जा चुकी है। (Acknowledgement has already been sent.)
143. कार्यवाही अभी शुरू नहीं की गयी है। (Action has not been initiated.)

144. शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
(Action is required as early.)
145. सर्वसंबंधित नोट करें। (All concerned should note.)
146. अत्यन्त आवश्यक मामला।
(A matter of extreme urgency.)
147. भुगतान के लिए स्वीकृत। (Accepted for payment.)
148. संक्षिप्त नोट नीचे रखा है।
(A brief note is placed below.)
149. ऊपर 'क' के अनुसार कार्यवाही की जाय।
(Take action as at "A" above.)
150. कृपया फौरन कार्यवाही करें। (Action at once please.)
151. तदनुसार कार्यवाही की जाए।
(Action be taken accordingly.)
152. कार्यसूची साथ भेजी जा रही है।
(Agenda is sent here with.)
153. सहमति है। (Agreed to.)
154. सूची नीचे रखी है। (List is placed below.)
155. अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए।
(Approval may be accorded.)
156. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। (Approved as proposed.)
157. अंतिम उपाय के रूप में। (As a last resort.)
158. जैसा कि पहले बताया जा चुका है।
(As earlier pointed out.)
159. यथार्थतः, वस्तुतः। (As a matter, as fact.)
160. निर्देशानुसार। (As directed.)
161. नीचे लिखे व्यौरों के अनुसार। (As per details below.)
162. जैसा अनुशंसित है। (As recommended.)
163. की ओर ध्यान आकर्षित। (Attention is invited to.)
164. मामले की पृष्ठभूमि (Background of the case)
165. वित्त शाखा की सहमति आवश्यक है।
(Concurrence of the finance deptt. is necessary.)
166. सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि संलग्न है।
(Copy enclosed for ready reference.)
167. सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित।
(Copy forwarded for information and n/a.)
168. मामला समाप्त कर दिया गया है। (Case is closed.)
169. कार्यभार सौंप दिया। (Charge handed over.)
170. कार्यभार ग्रहण किया। (Charge taken over.)
171. जांच की और सही पाया।
(Checked and found correct.)
172. संबंध व्यक्तियों को दिखाकर फाइल किया जाए।
(Show to the concerned and file.)
173. विलंब के लिए खेद है। (Delay regretted.)
174. यथा संशोधित मसौदा/प्रारूप प्रस्तुत है।
(Draft is amended and put up.)
175. उत्तर का प्रारूप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है। (Draft reply is put up for approval.)
176. आगे की कार्यवाही के लिए (for further action)
177. मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपको सूचित करूँ/आपसे निवेदन करूँ/आपसे पूछूँ। (I have been directed to inform you/request you/ ask you.)
178. अनुदेश देने का अनुग्रह करें।
(Kind instructions solicited.)
179. मुझे निवेदन करने के लिए कहा गया है।
(I am directed to request.)
180. यह निवेदन है...(It is requested...)
181. आवश्यक कदम उठाए जाएँ।
(Necessary steps be taken.)
182. सार्वजनिक जानकारी के लिए अधिसूचित।
(Notified for general information.)
183. औपचारिक मंजूरी प्राप्त कर लें।
(Obtain formal sanction.)
184. कृपया इसे सर्वथा गोपनीय समझें।
(Please treat this strictly confidential.)
185. देख लिया, पहले के कागजों के साथ फाइल कर दीजिए।
(Seen, file with previous papers.)
186. विशेष कारण दें। (Give specific reason.)
187. देखकर वापस किया जाता है। (Seen and returned.)

188. सूचनार्थ प्रस्तुत (Submitted for informaiton)
189. अवलोकनार्थ प्रस्तुत (Submitted for persual)
190. समय पर अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाए।
(Timely compliance may be ensured.)
191. कृपया... का अनुपस्थिति विवरण प्रस्तुत करें।
(Please put up the Absent statement of...)
192. कृपया... के शैक्षणिक अर्हता की जांच करे। (Please inquire the academic qualification of...)
193. विद्या-परिषद की कार्य- सूची क्या है? (What is agenda of the academic council ?)
194. निविदा की स्वीकृति (Acceptance of tender)
195. पावती देना (Issue Acknowledgement)
196. दुराचार/अवचार (Act of misconduct)
197. कार्यकारी प्राचार्य (Acting principal)
198. कार्यकारी भत्ता (Acting allowance)
199. अनुशेष (Addendum)
200. तदर्थ नियुक्ति (Ad hoc appointment)
201. बैठक स्थगित किया जाता है।
(Meeting is adjourned.)
202. पदों का समायोजन (Adjustment of posts)
203. वि.वि. का प्रशासकीय समूह
(Administrative body of the V.V.)
204. प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता है।
(Administrative approval is needed.)
205. कृपया प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करें।
(Please put up for administrative sanction.)
206. प्रतिकूल रिपोर्ट के विरुद्ध कार्यवाही की जाय।
(Action against adverse report may be taken.)
207. सेवा-पुस्तिका में प्रतिकूल अभ्युक्ति दर्ज करें।
(Entre the adverse remark in Service Book.)
208. कृपया संज्ञापन (परामर्श) पत्र प्रस्तुत करें।
(Please put up advice note.)
209. कृपया आदेश की पुष्टि करें।
(Please confirm the order.)
210. कृपया...का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें।
(Please put up the affidavit of...)
211. सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है।
(Age of retirement is 62 years.)
212. सहायता-अनुदान कितना है?
(Aid-grant-in is how much?)
213. अतिरिक्त ड्यूटी भत्ता कितना है?
(How much is extra duty allowance ?)
214. वाह्य स्थान भत्ता कितना है?
(How much allowance is out station?)
215. की प्रत्याशा में (In anticipation of)
216. सहायता-अनुदान के लिये आवेदन लिखें।
(Write an application for aid-grant-in.)
217. नियुक्ति प्राधिकारी कौन है?
(Who is apponting authority?)
218. विनियोग लेखा देखें।
(See the appropriation account.)
219. मामले को मध्यस्थ के सामने प्रस्तुत करें।
(Put up before arbitration.)
220. राजस्व दस्तावेजों को शासकीय अभिलेखागार प्रेषित करें।
(Send revenue records to archives.)
221. अनुच्छेद 221 को देखें। (See article 221.)
222. क्या आय पर कर-निर्धारण कर चुके हैं?
(Has done the assessment of income.)
223. उपस्थिति पंजी को देखें।
(See the attendance register.)
224. लेखा-परीक्षा आपत्तियों को प्रस्तुत करें।
(Put up the audit objections.)
225. मैं आपको बैंक में लेन-देन के लिए प्राधिकृत करता हूँ।
(I authorize you for Bank Operation.)
226. विगत दो वर्षों से पंच-निर्णय की प्रतीक्षा है। (The award has been awaiting since two years.)
227. उसे उसके दुराचरण के लिए सजा दिया गया। (He has been punished for his bad conduct.)

228. आय-व्यय पत्रक तैयार है। (Balance-sheet is ready.)
229. उसका मूल वेतनमान क्या है?
(What is his basic salary pay?)
230. ट्रस्ट के उपकारी निधि को देखें।
(See the benevolent fund of the Trust.)
231. कम्पनी पहले से ही काली सूची में है।
(Company is already in black list.)
232. बजट संतुलित है। (The budget is balanced.)
233. कृपया पूरक बजट प्रस्तुत करें। (Please submit the supplementary budget.)
234. कृपया उनसे स्पष्टीकरण माँगें।
(Please explanation from him.)
235. पूंजीगत लेख का विवरण दें।
(Give details of Capital account.)
236. कृपया ... का अंतिम वेतन पत्र प्रस्तुत करें।
(Please put the LPC of...)
237. क्या उसने अपना स्वस्थता (आरोग्य) प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है? (Has he/she submitted his/her certificate of fitness?)
238. उन्हें प्रमाणित प्रतिलिपि दें।
(Give him certified copy.)
239. कृपया लिपिकीय त्रुटि को सुधारें।
(Please correct the clerical errors.)
240. कृपया अन्तशेष-लेखा की जाँच करें।
(Please check the closing balance statement.)
241. प्रकरण का समाप्ति-प्रतिवेदन बनायें।
(Make a closure report of the case.)
242. कृपया प्रतिवेदन को जाँच आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।
(Please put up the report before commission of inquiry.)
243. तुलनात्मक विवरण को देखें।
(See the comparative statement.)
244. क्या उसे विवश किया गया था?
(Was did he/she compelled?)
245. कृपया उन्हें प्रतिकर-भत्ता दें।
(Please give him compensatory allowance.)
246. समवर्ती सूची देखें। (See the concurrent list.)
247. कृपया गोपनीय प्रतिवेदन निदेशक को प्रस्तुत करें।
(Please put up the confidential report to director.)
248. प्रकरण विचाराधीन है।
(The case is under consideration.)
249. क्या वह विवादास्पद मामला है?
(Is that a controversial matter?)
250. तदनु रूप कार्यवाही की जा चुकी है।
(Corresponding action has been taken.)
251. शुद्धि-पत्र जारी करें। (Issue the corrigendum.)
252. क्या वह प्रतिहस्ताक्षरित है? (Is that counter signed?)
253. चालू सत्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
(Put up a proposal in current session.)
254. कटौती प्रस्ताव पारित हो गया। (Cut motion passed.)
255. प्रतिनियुक्ति के लिए एक आदेश जारी करें।
(Issue an order for deputation.)
256. उसे उसके दुराचरण के लिए बर्खास्त कर दिया गया।
(He was dismissed for his bad conduct.)
257. वह अधिकारी 'विशेष ड्यूटी पर' नियुक्त किया गया है।
(The officer is posted on-special duty.)
258. श्री रामकुमार के 'सेवाविधि बढ़ाने' बाबत प्रस्ताव को प्रस्तुत करें। (Put up a proposal for 'extension of service' of Shri Ramkumar.)
259. कृपया अग्रेषण टिप्पणी बनाएँ।
(Please prepare a forwarding note.)
260. विषयान्तर्गत सभी तथ्य गजट-अधिसूचना में हैं।
(Subject cited all the matter is in Gazette notification.)
261. उसे गैरकानूनी आचरण के लिये दंडित किया गया।
(He is punished for his illegal practice.)
262. यह प्रस्ताव अव्यावहारिक है।
(This proposal is impracticable.)

कुछ अन्य मानक टिप्पणियाँ

1. पावती की प्रतीक्षा है।
(Acknowledgement awaited.)
2. पावती दें/प्राप्ति सूचना भेजें। (Give acknowledgement/ Send receipt report.)
3. यथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाए।
(Action may be taken as proposed.)
4. कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं की गयी है।
(Action has not yet been initiated.)
5. समुचित विचार के बाद
(After due consideration)
6. से परामर्श करके (After consultation with)
7. कार्यसूची साथ भेजी जा रही है
(Agenda is sent here with)
8. सहमति है। (Agreed to.)
9. सूची नीचे रख दी है। (A list is placed below.)
10. अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए।
(Approval may be accorded.)
11. यथाप्रस्ताव अनुमोदित।
(Approved as proposed.)
12. सभी संबंधित नोट करें।
(All concerned may note.)
13. जैसा ऊपर दिया है। (As above.)
14. जैसा कि पहले बताया जा चुका है।
(As already pointed out.)
15. यथा संशोधित (As amended)
16. यथा निर्णीत/ निर्णय के अनुसार (As decided)
17. निदेशानुसार (As directed)
18. यथा प्रस्तावित (As proposed)
19. यथा संस्तुत/सिफारिश के अनुसार
(As recommended)
20. जहाँ तक संभव हो/यथासंभव।
(As far as possible.)
21. जैसा ऊपर कहा गया है।
(As mentioned above.)
22. मानक वितरण सूची के अनुसार
(As per standard distribution)
23. नियमों के अंतर्गत यथापेक्षित।
(As required under the rules.)
24. की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।
(Attention is invited to.)
25. अनुप्रमाणित सत्य साक्ष्यांकित प्रति
(Attested true copy)
26. उत्तर की प्रतीक्षा करें। (Await reply.)
27. बजट में प्रावधान है।
(Budget provision exists.)
28. बिल हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत (Bills for signature)
29. संक्षिप्त नोट नीचे दिया है।
(Brief note is placed below.)
30. फाइल मंगायी जाए। (Call for the file.)
31. निपटान के लिए मामला (Cases for disposal)
32. मामले की जाँच-पड़ताल की जा रही है।
(Case under investigation.)
33. मामला समाप्त कर दिया गया है।
(Case has been closed.)
34. कार्यभार सौंप दिया। (Charge handed over.)
34. जाँच की और सही पाया।
(Checked and found correct.)
35. जांच करें और टिप्पणी दें।
(Check and give remark.)
36. संविदा/ठेका समाप्त कर दिया जाए।
(Contract may be terminated.)
37. सुलभ संदर्भ के लिए प्रति संलग्न है।
(Copy enclosed for ready reference.)
38. सूचना/आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषित।
(Copy forwarded for information/
necessary action.)
39. निर्णय की प्रतीक्षा है। (Decision is awaited.)

40. देरी/विलंब के लिए खेद है।
(Delay is regretted.)
41. वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन
(Delegation of financial powers)
42. अर्ध-शासकीय, अर्ध-सरकारी/अ.स
(Demi-official/D.O.)
43. विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
(Departmental action is in progress.)
44. विसंगति का समाधान किया जाए।
(Discrepancy may be reconciled.)
45. जरूरी कार्रवाई करें। (Do the needful.)
46. अनुमोदनार्थ मसौदा/प्रारूप
(Draft for approval)
47. विधिवत् भरा हुआ (Duly filled in)
48. विधिवत् मंजूर किया हुआ। (Duly sanctioned.)
49. विधिवत् पालन किया गया। (Duly complied.)
50. शीघ्र आदेश देने का अनुग्रह करें।
(Early orders are solicited.)
51. मामले की जाँच (Examination of the case)
52. सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं।
(Facilities not available.)
53. स्वच्छ प्रति (Fair copy)
54. अनुवर्ती कार्रवाई शीघ्र की जाए।
(Follow up action should be taken soon.)
55. कार्रवाई के लिए (For action)
56. परामर्श के लिए (For consultation)
57. अनुमोदनार्थ/अनुमोदन के लिए (For approval)
58. टिप्पणी के लिए (For comments)
59. सहमति के लिए (For concurrence)
60. विचारार्थ (For consideration)
61. निपटान के लिए (For disposal)
62. शीघ्र अनुपालन के लिए
(For early compliance)
63. सूचनार्थ/ सूचना के लिए (For information)
64. अवलोकनार्थ (For persual)
65. तत्काल संदर्भ के लिए (For ready reference)
66. रिकार्ड के लिए (For records)
67. अभ्युक्ति के लिए (For remarks)
68. हस्ताक्षरार्थ/ हस्ताक्षर के लिए (For signature)
69. सत्यापन के लिए (For verification)
70. अग्रेषण पत्र (Forwarding letter)
71. निःशुल्क (Free of charge)
72. नई पावती (Fresh receipt)
73. पिछले पृष्ठ से (From pre page)
74. निधि उपलब्ध नहीं है। (Funds not available.)
75. इस कार्य को परम अग्रता दी जाए।
(Give top priority to this work.)
76. विशेष वेतन की स्वीकृति (Grant of special pay)
77. अर्धवार्षिक विवरणी (Half-yearly return)
78. के अनुसार (In accordance with)
79. के अनुपालन में (In compliance with)
80. वास्तव में/वस्तुतः (In fact)
81. सिद्धांततः/ सैद्धांतिक रूप में (In principle)
82. लोकहित में (In public interest)
83. के बावजूद (In spite of)
84. को ध्यान में रखते हुए (In the light of)
85. समय पर/ समय से (In time)
86. को ध्यान से देखते हुए (In view of)
87. मैं अनुगृहीत होऊँगा। (I shall be obliged.)
88. स्वतः स्पष्ट है। (Is self-explanatory.)
89. आज ही जारी करें। (Issue today.)
90. यह पता चला है कि (It has been known)
91. लंबित रखा जाए। (Keep pending.)
92. फाइल में रखिए। (Keep with the file.)
93. कृपया इसे देख लें। (Kindly look into it.)
94. कृपया उत्तर दें। (Kindly reply.)
95. अनुपस्थिति की अनुमति (Leave of absence)
96. अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
(Liable of disciplinary action.)

97. निम्नतम मूल्य (Lowest price)
98. मामले पर पहले ही विचार किया जा चुका है।
(Matter has already been considered.)
99. विचार किया जाय। (May be considered.)
100. भुगतान के लिए पास किया जाए।
(May be passed for payment.)
101. कृपया सूचनार्थ देखें।
(May please see for information.)
102. मंजूर किया जाए। (May be sanctioned.)
103. कृपया देखें। (May please see.)
104. समझौता ज्ञापन/ सहमति ज्ञापन
(Memorandum of understanding)
105. मासिक प्रगति प्रतिवेदन
(Monthly progress report)
106. आवश्यक सुधार कर ली जाए।
(Necessary correction may be done.)
107. अपेक्षित रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।
(Necessary report is still awaited.)
108. आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है।
(Needful done.)
109. टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।
(Needs no comments.)
110. कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
(No action is necessary.)
111. उत्तर भेजने की आवश्यकता नहीं है।
(No need to send a reply.)
112. के कारण (On account of)
113. की ओर से (On behalf of)
114. अनुकंपा के आधार पर
(On compassionate ground)
115. प्रतिनियुक्ति पर (On deputation)
116. नियत तारीख को (On due date)
117. ड्यूटी पर/ काम पर (On duty)
118. बीमारी के कारण (On medical ground)
119. परिवीक्षाधीन (On probation)
120. अस्थायी आधार पर (On temporary basis)
121. आदेश जारी कर दिया जाए।
(Order may be issued.)
122. आज ही भेजिए। (Send out today.)
123. निपटाने के लिए कागजात (Paper for disposal)
124. खुदरा आकस्मिक व्यय वाउचर
(Petty contingent voucher)
125. अनुमति दी गई। (Permitted.)
126. कृपया नियत समय से पहले इसका पालन किया जाए।
(Please comply before due date.)
127. चर्चा कीजिए। (Please discuss.)
128. कागज-पत्रों के साथ चर्चा कीजिए।
(Please discuss with papers.)
129. कृपया हिंदी में हस्ताक्षर करें।
(Please sign in Hindi.)
130. कृपया अत्यंत जरूरी समझें।
(Please treat as most urgent.)
131. प्रस्ताव ठीक है। (Proposal is in order.)
132. सत्यापन के लिए प्रस्तुत करें।
(Put up for verification.)
133. आदेश के लिए प्रस्तुत/पेश है।
(Put up for orders.)
134. प्रश्न नहीं उठता। (Question does not arise)
135. उत्तर आज भेज दिया जाना चाहिए।
(Reply should be issued today.)
136. काम पर हाजिर हों। (Report for duty.)
137. एतद् द्वारा मंजूरी दी जाती है।
(Sanction is here by accorded.)
138. देखकर वापस किया जाता है।
(Seen and returned.)
139. देख लिया, धन्यवाद। (Seen, thanks.)
140. देख लिया और बात कर ली।
(Seen and spoken.)
141. बशर्ते कि अनुमोदन प्राप्त हो।
(Subject to approval.)

142. कोई कार्रवाई न की जाए। (No action taken.)
143. प्रमाणित किया जाता है। (This is to certified.)
144. सूचना दी जाती है। (This is to inform.)
145. कृपया इसकी पावती दें।
(This may please be acknowledged.)
146. निलंबनाधीन (Under suspension)
147. अद्यतन/आज तक का (Up-to-date)
148. अविलंब चाहिए/तुरंत आवश्यकता है।
(Urgently required.)
149. सेवा का सत्यापन (Verification of service)
150. सत्यापित कर लिया और ठीक पाया।
(Verified and found correct.)
151. देरी का क्या कारण है? (Reasons for delays?)
152. इसी समय से/ तत्काल प्रभाव से
(With immediate effect)
153. सादर, शुभकामनाओं सहित (With regard to)
154. वार्षिक निकासी (Yearly clearance)
155. आपको इसके द्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है।
(You are hereby authorised to)
156. आपको इसके द्वारा सूचित किया जाता है
(You are hereby informed that)
157. आपका, भवदीया (Yours sincerely)

-----^ ^ ^ ^ ^ ^-----

अनुवाद (Translation)

(छतीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

एक भाषा से दूसरी भाषा में किसी कथन को सम्प्रेषित करने की कला को अनुवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भाषा में कही या लिखी गयी बात को अन्य भाषा में कहना अथवा लिखना ही अनुवाद है।

अनुवाद का स्वरूप एवं क्षेत्र

अत्यंत प्राचीनकाल से ही साहित्य की प्रसिद्ध कृतियों का अनुवाद अन्यान्य भाषाओं में होता रहा है। जीवित भाषाओं में भारोपीय भाषा परिवार की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। समस्त वेद (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद) पुराण, महाकाव्य-रामायण और महाभारत, चरक संहिता (चिकित्सा), सुश्रुत संहिता (शल्य क्रिया), आर्य भट्टीयम (खगोलविज्ञान और गणित) का संकलन ईसा पूर्व कर लिया गया था। तब ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। वर्तमान में इन सभी ग्रंथों का अनुवाद विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में किया जा चुका है। ये सभी ग्रंथ विश्व-साहित्य की धरोहर माने जाते हैं। सारा विश्व इससे लाभान्वित हुआ है और ज्ञान-विज्ञान की जो वर्तमान स्थिति है उनमें इन ग्रंथों का योगदान सर्वाधिक है। अतएव हम कह सकते हैं कि अनुवाद एक 'सांस्कृतिक' सेतु है जिसके माध्यम से ज्ञान का निरन्तर विकास हो रहा है।

अनुवाद के प्रकार : अनुवाद तीन प्रकार के होते हैं-

(i) भाषानुवाद (ii) भावानुवाद (iii) मुहावरेदार अनुवाद

(i) **भाषानुवाद**- इसमें स्रोत भाषा के शब्दों का पर्याय खोजते हैं और दूसरे भाषा में व्याकरण सम्मत अनुवाद करते हैं। विज्ञान की पुस्तकों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाता है। इसी तरह शासकीय पत्रों-दस्तावेजों का भी अनुवाद अन्यान्य भाषाओं में किया जाता है। केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार केवल अंग्रेजी या हिन्दी में किया जाता है भले ही आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाएँ अलग-अलग राज्यों में प्रयोग की जाती हैं परन्तु केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार उन भाषाओं में नहीं किया जा सकता अतएव अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है।

(ii) **भावानुवाद**- इसमें शब्द रचना पर ध्यान न देकर मूल भाव का अनुवाद किया जाता है। जैसे- आदिकाव्य 'वाल्मीकि रामायण' का भावानुवाद अन्यान्य भारतीय भाषाओं में किया गया। अवधी भाषा में रामायण का अनुवाद गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' के नाम से किया।

(iii) **मुहावरेदार अनुवाद**- इसमें अनुवाद करते समय मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। साहित्य के अनुवाद में (नाट्य, एकांकी, उपन्यास, कहानी आदि) इसका प्रयोग बहुतायत से होता है। खासकर नाटक, एकांकी आदि का अन्यान्य भाषाओं में मुहावरेदार अनुवाद किया गया है।

अनुवादक के गुण

(i) **विपुल शब्द भंडार**- अनुवादक के पास विपुल शब्द भंडार होना चाहिए और दोनों भाषाओं का पर्याप्त ज्ञान भी होना चाहिए। विज्ञान की पुस्तकों में भावपक्ष गौण रहता है। इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, अतएव विज्ञान की पुस्तकों का व्याकरण सम्मत अनुवाद अपेक्षाकृत सरल है। साहित्य (कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक आदि) में भावपक्ष की प्रधानता रहती है अतएव उसके अनुवाद के लिए विपुल शब्द भंडार की आवश्यकता होती है इसलिए साहित्यिक ग्रंथों का अनुवाद अपेक्षाकृत कठिन माना जाता है।

(ii) **सरल और स्वाभाविकता**- अनुवाद में शब्दों का चुनाव सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। जो शब्द लोक व्यवहार में प्रचलित हों उसका चयन करना चाहिए। समय-समय पर भाषा में प्रचलित मुहावरों व लोकोक्तियों का प्रयोग भी प्रसंग के अनुसार करना चाहिए।

(iii) **सामान्य त्रुटियाँ**- अनुवाद में व्याकरणिक त्रुटियों की बहुलता रहती है अतएव उससे बचना चाहिए। अनेक बार एक कामा (,) के प्रयोग से ही अर्थ परिवर्तन हो जाते हैं।

जैसे- रोको, मत जाने दो।

रोको मत, जाने दो।

शब्द वही हैं परन्तु दोनों वाक्यों के अर्थ भिन्न हैं।

हिन्दी का अंग्रेजी में अनुवाद

1

छत्तीसगढ़ राज्य

छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,192 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल लगभग 59,772 वर्ग किलोमीटर है, जो प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.21 प्रतिशत है। वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है।

छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार $17^{\circ}46'$ से $24^{\circ}05'$ उत्तर अक्षांश तथा $80^{\circ}15'$ से $84^{\circ}24'$ पूर्वी देशांतर के मध्य है। राज्य में 4 प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं जिसमें क्रमशः महानदी, गोदावरी, सोन-गंगा और नर्मदा का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। महानदी, इंद्रावती, हसदेव, शिवनाथ, अरपा, ईब राज्य की प्रमुख नदियाँ हैं। राज्य की जलवायु मुख्यतः सह-आर्द्र तथा औसत वार्षिक वर्षा 1200 से 1500 मि.मी. है।

Chhattisgarh state

The geographical area of Chhattisgarh state is 1,35,192 square kilometers, which is 4.1 percent of the country's total area. Forest area of state approx. 59,772 square kilometers, which is 44.21 percent of the state's geographical area. In terms of forest covers, Chhattisgarh stands third rank in the country.

Chhattisgarh state extends $17^{\circ}46'$ to $24^{\circ}05'$ north latitude and $80^{\circ}15'$ to $84^{\circ}24'$ east longitude. The state has four major river systems comprising a catchment area of Mahanadi, Godavari, Son-Ganga and Narmada respectively. Major rivers in the state are Mahanadi, Indravati, Hasdev, Sivanath, Arpa and Ib. The climate of the state is mainly semi-humid and average annual rainfall is 1200 to 1500 mm.

2

गढ़कलेवा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर के बीचोंबीच स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में एक खान-पान स्थल विद्यमान है जहाँ केवल पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन ही उपलब्ध

रहते हैं। गढ़कलेवा नामक इस आस्वाद केन्द्र में मुख्यतः छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले सूखे और गीले नाश्ते तथा भोजन की व्यवस्था रहती है। इस स्थल की स्थापना 26 जनवरी 2016 को की गई थी जहाँ फरा, चीला, धुसका, मुठिया, बरा, आलू-बड़ा, चौसेला, बफौरी, हथफोड़वा, पान रोटी, गुलगुला जैसे ताजे नमकीन नाश्ते और देहरौरी, बोबरा, ठेठरी, खुरमी, पपची, अइरसा, पीड़िया, खाजा, बीड़िया, करी और छोट-लड्डू इत्यादि सूखे नाश्ते हर समय उपलब्ध रहते हैं। दोपहर में लंच भी ग्राहकों को परोसा जाता है किंतु फिलहाल रात के डिनर की व्यवस्था यहाँ पर शुरू नहीं की गई है। इस केन्द्र की स्थापना के पीछे छत्तीसगढ़ की संस्कृति विभाग का उद्देश्य न केवल यहाँ की संस्कृति को बल्कि खान-पान को भी देश में दूर-दूर स्थानों तक लोकप्रिय बनाने की इच्छा है।

Gadhkalewa

In Chhattisgarh's capital Raipur, there is a dining area in Mahant Ghasidas Memorial Museum located in the heart of the city, where only traditional Chhattisgarhi dishes are available. The Gadhkalewa, a tasting center, mainly consists of dry and wet breakfast and food arrangements used in the fields of Chhattisgarh. This site was established on January 26, 2016 where fresh salty snacks such as Fara, Chila, Dhuska, Muthia, Bada, Potato-Bada, Chaosela, Bafouri, Hathfodwa, Pan Roti, Gulgula and dried snacks are available at all times, such as Dehoraori, Bobra, Thethri, Khurmi, Papchi, Irsa, Pidiya, Khaja, Bidiya, Curry and Chhint-laddoo etc. Lunch is served in the form of mid-day meal at lunch time, but arrangement for dinner has not been started yet. The objectives behind establishment of this center is that probably the Department of Culture of Chhattisgarh State desires to popularize not only the culture but also cuisine of Chhattisgarh to the far and wide places of the country.

3

पंडवानी

छत्तीसगढ़ का यह एकल नाट्य है, जिसके बारे में दूसरे देश के लोग भी जानकारी रखते हैं। तीजन बाई ने पंडवानी को आज के संदर्भ में ख्याति दिलाई न सिर्फ हमारे देश में, बल्कि विदेशों में।

पंडवानी का अर्थ है पांडववाणी अर्थात् पांडवकथा, महाभारत की कथा। पंडवानी मुख्य रूप से प्रदर्शन किया जाने वाला लोक गाथागीत है। यह महाकाव्य महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों की कहानी दर्शाता है। यह बहुत ही जीवंत रूप में वर्णित किया जाता है, जो दर्शकों के मन में दृश्यों का निर्माण करता है।

Pandwani

'Pandwani' Chhattisgarh's solo drama, which is also known by the people of other countries. Tijan Bai gave a fame to Pandwani in today's context, not only in our country but also in abroad.

Pandwani means Pandavwani- that is Pandav Katha a story of Mahabharata. Pandwani is a folk ballad form performed predominantly. It depicts the story of the Pandavas, the leading characters in the epic Mahabharata. It is described as very lively form, which creates scenes in the mind of the audience.

4

पंथी नृत्य

पंथी नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य में बसे सतनामी समुदाय का प्रमुख नृत्य है। इस नृत्य से सम्बन्धित गीतों में मनुष्य जीवन की महत्ता के साथ आध्यात्मिक संदेश भी होता है, जिस पर निर्गुण भक्ति व दर्शन का गहरा प्रभाव है। इसमें कबीर, रैदास तथा दादू आदि संतों का आध्यात्मिक संदेश पाया जाता है। गुरु घासीदास के पंथ के लिए माघ माह की पूर्णिमा अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन वे अपने गुरु की जन्म तिथि के अवसर पर 'जैतखाम' की स्थापना कर 'पंथी नृत्य' में मग्न हो जाते हैं। यह द्रुत गति का नृत्य है, जिसमें नर्तक अपना शारीरिक कौशल और चपलता प्रदर्शित करते हैं।

Panthi Dance

Panthi dance is the dominant dance of the Satnami community settled in the state of Chhattisgarh. Songs related with dance depicts importance of human life with strong spiritual message with prime focus on omnipotent devotion and Darshan. The spiritual messages of saints like Kabir, Raidas and Dadu are found in it. For Guru Ghasidas panths Purnima of Magha month is very important because they celebrate this day as birth anniversary of their guru. Their is a 'Jait Khamb'

set up for the occasion and the dancers indulge with their 'Panthi dance'. Panthi dance is known as fast stepping dance in which performers present their dance skill and flexible movements.

5

जिला जांजगीर-चांपा

जिला जांजगीर-चांपा की स्थापना 25 मई 1998 को हुई थी। यह जिला छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य स्थित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ राज्य के हृदय के रूप में माना जाता है। जिला मुख्यालय जांजगीर कलचुरी वंश के महाराजा जाज्वल्य देव की नगरी है। यह जिला छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख अनाज उत्पादक जिलों में से एक है। यहाँ स्थित विष्णु मंदिर सुनहरे अतीत का प्रतीक है। विष्णु मंदिर वैष्णव समुदाय की प्राचीन कलात्मकता की परिचायक है। हसदेव-बांगो परियोजना को जिला जांजगीर-चांपा के लिए जीवन वाहिनी के रूप में माना गया है।

जिला मुख्यालय जांजगीर, राष्ट्रीय राजमार्ग 49 पर स्थित है। यह सड़क मार्ग द्वारा बिलासपुर से 65 किमी और रायपुर से 175 किमी दूरी पर है। यह मुम्बई-हावड़ा मुख्य रेलमार्ग पर स्थित है। रेलमार्ग द्वारा जांजगीर से रायपुर की दूरी 152 किमी है।

District Janjgir-Champa

The District Janjgir-Champa was established on 25 May 1998. The district is situated in the center of Chhattisgarh and so it is considered as heart of Chhattisgarh. The District Head Quarter Janjgir is the city of Maharaja Jajawalya Dev of Kalchury dynasty. The district is a major producer of food grains in the state Chhattisgarh. The Vishnu Mandir reflects the golden past of this district. The Vishnu Mandir is an ancient artistic sample of Vaishnav Community. The Hasdeo-Bango project has been considered as life supporting canal for the district Janjgir-Champa.

The district Head Quarter Janjgir is situated on National Highway 49. Janjgir is 65 km away from Bilaspur and 175 km. from Capital Raipur through road route. It is situated on Howrah-Mumbai main rail line, Raipur is 152 km away from Janjgir through rail route.

कोरबा जिला

कोरबा जिला को 25 मई 1998 में पूर्ण राजस्व जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। इसका मुख्यालय कोरबा शहर है। यह हसदेव और अहिरन नदी के संगम के किनारे स्थित है। कोरबा जिला मुख्यालय राजधानी रायपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।

कोरबा नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जाधानी के नाम से प्रसिद्ध है। कोरबा जिला, बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है, यहाँ मुख्य रूप से संरक्षित आदिवासी जनजाति कोरवा (पहाड़ी कोरवा) निवास करते हैं। कोरबा जिला चारों ओर से हरे-भरे वनों से आच्छादित है, यहाँ आदिवासियों की एक बड़ी जनसंख्या निवास करती है जो वन क्षेत्रों में पर्यावरण के साथ रहना पसंद करते हैं इसी कारण उन्होंने अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं और पारंपरिक प्रथाओं को बरकरार रखा है।

छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिला उत्तर की ओर स्थित है जो कोरिया, सरगुजा, बिलासपुर, जांजगीर, रायगढ़ जिलों से घिरा हुआ है। कोरबा जिले का कुल क्षेत्रफल 7,14,544 हेक्टेयर है जिसमें से 2,83,497 हेक्टेयर वनभूमि है जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 40 प्रतिशत है।

Korba District

Korba district was accorded the status of a full fledged revenue district from 25 May 1998. The district headquarter is Korba city. It is situated on the banks of the confluence of rivers Hasdeo and Ahiran. The headquarter of Korba district is situated about 200 km from the capital city Raipur.

Korba is the power capital of the newly formed state Chhattisgarh. The district comes under Bilaspur division and is inhabited mainly by tribals including the protected tribe **Korwas (Pahadi Korwa)**. Korba is blessed with lush green forest cover, where a sizable number of tribal population is found. The Adivasis in the forest areas live in tandem with the environment and have retained their distinctive cultural characteristics and traditional observances.

Korba district is situated in the northern half of

the Chhattisgarh state and surrounded by the districts Korea, Surguja, Bilaspur, Janjgir. The District's total area is 7,14,544 hectare out of which 2,83,497 hectares is forest land, which is about 40 percent of the total area.

इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान

'इंद्रावती नेशनल पार्क' छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह दुर्लभ जंगली भैंस की आखिरी आबादी में से एक का निवास क्षेत्र है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध वन्यजीव उद्यान है। यह छत्तीसगढ़ में उदंती-सीतानदी के साथ दो परियोजना बाघ स्थल में से एक है। पार्क का नाम इंद्रावती नदी के नाम पर है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और भारतीय राज्य महाराष्ट्र के साथ आरक्षित की उत्तरी सीमा बनाती है। लगभग 2799.08 वर्ग कि.मी. के कुल क्षेत्रफल के साथ 1982 में इंद्रावती ने राष्ट्रीय उद्यान और 1983 में भारत के प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व का दर्जा भारत के सबसे प्रसिद्ध बाघ भंडार में से एक बनने के लिए प्राप्त किया।

Indravati National Park

Indravati National Park is a national park located in Bijapur district of Chhattisgarh. It is home to one of the last population of rare wild buffalo. Indravati National Park is the finest and most famous wildlife parks of Chhattisgarh. It is one among the two Project Tiger sites in Chhattisgarh along with Udanti-Sitanadi. The park derives its names from the Indravati river, which flows from east to west and forms the northern boundary of the reserve with the Indian state of Maharashtra. with a total area of approximately 2799.08 km², Indravati attained the status of a National park in 1982 and a Tiger reserve in 1983 under the famous Project Tiger of India, to become one of the most famous Tiger reserves of India.

चित्रकोट जलप्रपात

चित्रकोट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। इस जलप्रपात की ऊँचाई 90 फीट है। इस जलप्रपात की विशेषता यह है कि वर्षा के दिनों में यह रक्त लालिमा लिए हुए होता है, तो गर्मियों की चाँदनी रात में यह बिल्कुल सफेद दिखाई देता है।

जगदलपुर से 40 किमी और रायपुर से 273 किमी की दूरी पर स्थित यह जलप्रपात छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा, सबसे ऊँचा और सबसे ज्यादा जल की मात्रा प्रवाहित करने वाला जलप्रपात है। जगदलपुर से समीप होने के कारण यह एक प्रमुख पिकनिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। चित्रकोट जलप्रपात बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को बहुत पसन्द आता है। भारतीय नियाग्रा के नाम से प्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात वैसे तो प्रत्येक मौसम में दर्शनीय है, परंतु वर्षा ऋतु में इसे देखना अधिक रोमांचकारी अनुभव है।

Chitrakote Waterfall

Chitrakote waterfall is a beautiful waterfall situated on the river Indravati in Bastar District of Chhattisgarh state of India. The height of this waterfall is 90 feet. The speciality of this waterfall is that during the rainy days, the water is reddish. It looks absolutely white during the summer moonlight night.

The waterfall is located at a distance of 40 km from Jagadapur and 273 km from Raipur, Chitrakote waterfall is Chhattisgarh's largest waterfall. Due to its being adjacent to Jagadapur, it has also gained fame as a major picnic spot. Chitrakote waterfall is very beautiful and tourists like it very much.

The famous Chitrakote falls, 'Niagra of India' is visible in every season but seeing it in the rainy season is a more exciting experience.

माँ बम्लेश्वरी मंदिर

डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव जिले का एक शहर है तथा माँ बम्लेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। राजनांदगांव जिले में एक प्रमुख तीर्थ स्थल, शहर राजनांदगांव से लगभग 35 किमी पश्चिम, दुर्ग से 67 किलोमीटर पश्चिम और भंडारा से 132 किलोमीटर पूर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित है। राजसी पहाड़ों से 'डोंगरगढ़' शब्द लिया गया है 'डोंगढ़' का मतलब पहाड़ और 'गढ़' अर्थ 'किला' होता है। 1,600 फीट ऊँची पहाड़ी की चोटी पर स्थित माँ बम्लेश्वरी देवी मंदिर एक लोकप्रिय स्थल है। यह महान आध्यात्मिक महत्व का है और इस मंदिर के साथ कई किंवदंतियाँ भी जुड़ी हैं।

Maa Bamleshwari Temple

Dongargarh is a city in Rajnandgaon district in the State of Chhattisgarh and famous for the Bamleshwari Temple. A prominent pilgrim destination in Rajnandgaon District, the city lies about 35 km west from Rajnandgaon, 67km west from Durg and 132 km east from Bhandara which are situated on National Highway 6. Featuring majestic mountains and ponds, Dongargarh is derived from the words, 'Dong' meaning 'mountains' and 'garh' meaning 'fort'. The Maa Bamleshwari Devi Temple, situated on a 1,600 feet high hilltop, is a popular landmark. It is of great spiritual importance and several legends are also associated with this temple.

भोरमदेव मंदिर, कवर्धा

'भोरमदेव', छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कवर्धा से 18 किमी दूर तथा रायपुर से 125 किमी दूर चौरागाँव में स्थित एक हजार वर्ष पुराना मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है, यह 7वीं से 11 वीं शताब्दी के बीच बनाया गया। यहाँ मंदिर में खजुराहो मंदिर की झलक दिखाई देती है, इसलिए इस मंदिर को 'छत्तीसगढ़ का खजुराहो' भी कहा जाता है।

मंदिर का मुख पूर्व की ओर है। मंदिर नागर शैली का एक सुन्दर उदाहरण है। मंदिर में तीन ओर से प्रवेश किया जा सकता है। मंदिर एक पाँच फुट ऊँचे चबूतरे पर बनाया गया है। तीनों प्रवेश द्वारों से सीधे मंदिर के मंडप में प्रवेश किया जा सकता है। मंडप की लंबाई 60 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। मंडप के बीच में 4 खंभे हैं और किनारे की ओर 12 खंभे हैं जिन्होंने मंडप की छत को संभाल रखा है। सभी खंभे बहुत ही सुंदर एवं कलात्मक हैं।

Bhoramdev Temple, Kawardha

'Bhoramdev', a thousand year old temple situated in Chouragaon, is 18 km from Kawardha in Kabirdham district of Chhattisgarh and 125 km from Raipur. This temple is dedicated to Lord Shiva. This temple is situated among the mountain range. It was built during 7th to 11th century. There is a glimpse of the Khajuraho temple here, hence this temple is also called "Khajuraho of Chhattisgarh."

The temple's face is east and it is a beautiful example of the 'Naagar' style. The temple can be entered from three sides. The temple is built on a five feet high platform one can enter the Mandap of the temple directly from the three entrances. The length of the Mandap is 60 feet and the width is 40 feet. There are 4 pillars in the middle of the pavilion and 12 pillars on the side, which has kept the roof of the pavilion. All pillars are very beautiful and artistic.

11

राजीव लोचन मंदिर

राजीव लोचन मंदिर, गरियाबंद जिला के उत्तर-पूर्व में महानदी के दाहिने किनारे पर राजिम में स्थित है, जहाँ पैरी और सोंदूर नामक सहायक नदियाँ महानदी से मिलती हैं। राजिम, सड़क मार्ग द्वारा जिला मुख्यालयों से जुड़ा हुआ है और सड़कों पर नियमित बसें चलती हैं। यह मंदिर रायपुर से दक्षिण-पूर्व में 45 किलोमीटर दूर स्थित है। रायपुर-धमतरी छोटी रेल लाइन महानदी के बायें किनारे पर राजिम के ठीक दूसरी ओर स्थित नवापारा को जोड़ती है। राजिम के पास नदी पर ऊँचा पुल बन जाने से बारहमासी सड़क सम्पर्क स्थापित हो गया है।

Rajiv Lochan Temple

Rajiv Lochan Temple is situated in Rajim which is located on the right bank of Mahanadi in the North-East direction of Gariyaband district where Paury and Sondhur, its tributaries, meet the Mahanadi. Rajim is connected by road from the district headquarters and regular buses run on the road. This temple is located 45 km southeast of Raipur. Raipur-Dhamatari narrow gauge rail line connects Nawapara on the left bank of Mahanadi just on the other side of Rajim. Perennial road connectivity has been established with a high bridge over the river near Rajim.

12

दामाखेड़ा

दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप तथा जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में कबीरपंथियों की एक तीर्थस्थल है। यह रायपुर-बिलासपुर सड़क मार्ग पर सिमगा से 10 किमी की दूरी पर स्थित एक छोटा-सा ग्राम है। यह कबीरपंथियों के आस्था का सबसे बड़ा केन्द्र माना जाता है। यहाँ देश-दुनिया से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं।

ऐसा माना जाता है कि आज से 100 वर्ष पूर्व यहाँ कबीरपंथ के 12वें गुरु उग्रनाम साहब द्वारा कबीर मठ की स्थापना की गई थी। समाधि स्थल के समीप ही कबीर कुटिया एवं भवन निर्माण किया गया है, जहाँ कविताएँ, दोहे एवं चौपाई आदि बड़े ही कलात्मक रूप से लिखे गए हैं।

Damakheda

Damakheda is a pilgrimage center of Kabirpanthis near Raipur, the capital of Chhattisgarh and in district Balodabazar-Bhatapara. It is a small village situated 10 km from Simga on Raipur-Bilaspur road. It is considered to be the biggest center of faith of Kabirpanthis. Devotees from all over the world visit this place.

It is believed that 100 years ago Kabir Math was established here by Guru Ugranam Sahab, the 12th Guru of Kabirpanth. Kabir hut and

building have been constructed near the tomb, where poems, couplets and chaupai etc. are written very artistically.

13

रायगढ़

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध रायगढ़ अपनी कथक नृत्य विधा (रायगढ़ घराना) एवं शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। इसका श्रेय महाराजा चक्रधरसिंह को है, जिनकी छत्रछाया में रायगढ़ कला और सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ। प्रत्येक वर्ष गणेश पूजा उत्सव के समय रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन होता है। चक्रधर समारोह छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक महोत्सव है जिसे विशेष रूप से संगीत और नृत्य प्रदर्शन के लिए देश भर में जाना जाता है।

रायगढ़ जिला ढोकरा आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले के झारा आदिवासी समुदाय द्वारा मोम का उपयोग कर इस आर्ट में बेल, ब्रास और ब्रांज मेटल से विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का निर्माण किया जाता है।

Raigarh

Raigarh, known as the 'Cultural city of Chhattisgarh', is famous for its 'Kathak' dance form (Raigarh Gharana) and classical music. Credit goes to Maharaja Chakradhar Singh under whose patronage Raigarh flourished as a centre of art and culture. Every year on the occasion of festival Ganesh Puja, 'Chakradhar Samaroh' is organized in Raigarh. 'Chakradhar Samaroh' is among famous cultural festivals of Chhattisgarh known for its special music and dance performances in whole country.

Dhokra Art is speciality of the Raigarh district. Various types of artifacts are made from bell, brass and bronze metal in this art using wax by the Jharas tribal community of Raigarh district.

14

रामझरना

जिला मुख्यालय रायगढ़ से लगभग 18 किलोमीटर पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे रामझरना स्थित है। इस प्राकृतिक जल के झरने का पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि भगवान राम अपने वनवास काल में सीता और लक्ष्मण के साथ यहाँ आए थे और उन्होंने इस झरने का मीठा जल ग्रहण किया था; इसीलिए इस झरने का नाम रामझरना पड़ा। वर्तमान में यह बहुत अच्छा पिकनिक स्थल है।

Ramjharna

Ramjharna is situated about 18 kilometer west of district headquarter Raigarh on the side of National Highway. This natural waterfall has mythological significance. It is said that Lord Rama came here with Sita and Laxman during his Vanwas and they had taken the sweet water of this waterfall; hence the name of this waterfall is Ramjharna. It is currently a very good picnic spot.

15

चैतुरगढ़

चैतुरगढ़ (लाफागढ़) कोरबा शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यह पाली से 25 किलोमीटर उत्तर की ओर 3060 मीटर की ऊँचाई पर पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है, यह राजा पृथ्वीदेव प्रथम द्वारा बनाया गया था। पुरातत्वविदों ने इसे मजबूत प्राकृतिक किलों में शामिल किया है, यह चारों ओर से मजबूत प्राकृतिक दीवारों से संरक्षित है और केवल कुछ स्थानों पर ही उच्च दीवारों का निर्माण किया गया है। किले के तीन मुख्य प्रवेश द्वार हैं जो मेनका, हुमकारा और सिंहद्वार नाम से जाना जाता है।

Chaiturgarh

Chaiturgarh (Lafagarh) is situated approx. 70 kilometer away from Korba town. It is 25 kilometer north of Pali situated at a height of 3060 meter on the hill top. It was constructed by Raja Prithvidev First. Archaeologists consider it as one of the strongest

natural fort. It is protected by strong natural walls and only at some places high walls have been built. The fort has three main entrances which are named as **Menaka, Humkara and Simhadwar.**

16

मड़वारानी

जिला मुख्यालय कोरबा से 22 किलोमीटर दूर मड़वारानी मन्दिर कोरबा से चांपा रोड पर स्थित है, पहाड़ी की चोटी पर माता मड़वारानी का मंदिर है। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि (सितंबर-अक्टूबर) के दौरान स्थानीय लोगों द्वारा त्यौहार मनाया जाता है।

Madwarani

Madwarani Mandir is situated on the Korba-Champa Road at a distance 22 kilometer from district headquarter Korba. There is a temple of Goddess Madwarani at the top of the hill. The festival is celebrated by the locals every year during Navratri.

17

तातापानी

बलरामपुर जिला मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है तातापानी, जो प्राकृतिक रूप से निकलते गरम पानी के लिए देशभर में प्रसिद्ध है। यहाँ के कुण्डों व झरनों में धरातल से बारहों मास गरम पानी प्रवाहित होता रहता है। स्थानीय भाषा में 'तात्' का अर्थ होता है 'गरम',- इसीलिए इस स्थल का नाम तातापानी पड़ा। यहाँ ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने खेल-खेल में सीता जी की ओर पत्थर फेंका जो कि सीता जी के हाथ में रखे गरम तेल के कटोरे से जा टकराया। गरम तेल छलक कर धरती पर गिरा एवं जहाँ-जहाँ तेल की बूँदें पड़ी वहाँ से गरम पानी धरती से फूटकर निकलने लगी। स्थानीय लोग यहाँ की धरती को पवित्र मानते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने एवं गरम पानी का मजा लेने प्रदेश भर से लोग यहाँ आते हैं। यहाँ के शिव मंदिर में लगभग चार सौ वर्ष पुरानी मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा करने हर वर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आते हैं। इस दौरान यहाँ विशाल मेला आयोजित किया जाता है।

Tatapani

Tatapani is located about 12 kilometer from the district headquarter of Balrampur, which is famous all over the country for the naturally occurring hot water. Here hot water flows from the ground to the reservoirs and springs for twelve months. In the local language, 'Tata' means 'heat',- That is why this place has been named Tatapani. It is believed that Lord Rama threw a stone towards Sitaji in the game which hit the bowl of hot oil placed in the hands of Sitaji. Hot oil spilled and fell on the earth and hot water started to flow out of the ground. The locals consider the land here sacred. People come here from the state to see this wonderful scene and enjoy hot water. There is an idol of about four hundred years old in **Shiva temple** here, which is worshiped every year, millions of tourists come here on the festival of Makar Sankranti. During this time a huge fair is organized.

18

बैगानी करमा नृत्य

छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के जुड़े हुए क्षेत्र में 'बैगा चक' नामक एक पर्वतीय अंचल है जो बैगा नामक आदिम जनजाति का निवास क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम और मुंगेली जिले का वह हिस्सा जो मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले से सटा हुआ है, वह बैगा लोगों का निवास क्षेत्र है। बैगा वर्तमान में मूलतः कृषि पर आधारित जीवनयापन करते हैं किंतु इन प्रकृति पुत्रों का प्रकृति से अनोखा तादात्म्य है। बैगा लोगों के बीच करमा और दशहरा या बिलमा लोकप्रिय नृत्य है। उनके अन्य नृत्यों में बैगा झरपट, रीना और परधौनी उल्लेखनीय हैं।

यूँ तो पूरे छत्तीसगढ़ में करमा नृत्य का प्रचलन किन्हीं न किन्हीं नामों से सर्वत्र देखा जाता है, जिसकी अनेक शैलियाँ छत्तीसगढ़ में विद्यमान हैं, परंतु बैगानी करमा एक अलग ही शैली है, जिसकी एक अलग ही मोहक छटा है। इस नृत्य में बैगा स्त्री-पुरुष अपने-अपने पारंपरिक विशिष्ट शैली में करमा गाते हुए

नृत्य करते हैं। पुरुष नर्तक खूब सिकी मिट्टी से बने हुए मांदर से थाप देते हैं, जिसके साथ नर्तक स्त्रियाँ थिस्की नामक लकड़ी से बने हुए एक पारंपरिक चटका या क्लैपर से ताल मिलाते हुए नृत्य करती हैं। स्त्रियाँ अपने सिर पर लंबी-लंबी स्थानीय घास से बने हुए जंजीर जिसे बीरन कहा जाता है, बांधे रहती हैं जो गुच्छे में कमर तक लटकती रहती हैं। पुरुष अपने सिर पर मोर पंख और कलगी लगाए रहते हैं।

नर्तकों के हावभाव और पद मुद्राएँ लहरों की भांति सरकती-सी प्रतीत होती हैं जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। बैगानी करमा में आज भी एक आदिकालीन नृत्य की झलक देखी जा सकती है।

Baigani Karma Dance

'Baiga Chak' is a hilly-forested area spread in Madhya Pradesh and Chhattisgarh states which is inhabited by the primitive tribal group, Baiga. The part of the Kabirdham, Mungeli and Bilaspur district of Chhattisgarh bordering the Dindori district in Madhya Pradesh are the places where Baiga people live. Main source of livelihood of these people is agriculture, but they have interesting symbiotic relationship with the nature too. Karma and Dasahara or Bilma are the popular dance forms of the Baiga tribe. Other dance forms include Baiga Jharpat, Reena and Pardhauni.

Though Karma dance is performed in nearly all the areas of Chhattisgarh with different names and styles but Baigani Karma has a distinct style and beauty of its own. This dance is performed by both the men and women dancers who dance reciting Karma lyrics. The main instrument played for musical accompaniment in this dance is a earthen drum called Mandar, played by a male dancer. Female dancers hold a wooden clapper called Thiski which produces music in association with the drum beats. Male dancers wear turban tucked with peacock feathers and kalgī, while female dancers decorate their head by tying local grass made string's ornament called Beeran.

Footsteps and expressions of the dancers appear like water waves, mesmerising the viewers.

Baigani Karma is a dance in which the feeling of a primitive rhythm can be experienced.

19

हुलकी नृत्य

हुलकी कोंडागांव एवं नारायणपुर जिले में निवास करने वाली मुरिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। इसमें स्त्री-पुरुष दोनों ही सम्मिलित होते हैं। यह जनमान्यता है कि यह नृत्य मुरिया लोगों के आदि देवता लिंगोपेन को समर्पित है। इस नृत्य में सवाल-जवाब की शैली में गीत गाये जाते हैं जिसमें दैवीय मान्यताओं, किंवदंतियों एवं नृत्य की अवधारणाओं से संबंधित प्रसंग पर सवाल-जवाब होते हैं। इस नृत्य का मुख्य वाद्ययंत्र डहकी पराय है जिसका वादन पुरुष नर्तक करते हैं और महिलाएँ चिटकुलिंग का वादन करती हैं। इस नृत्य में इसके अलावा कोई और वाद्ययंत्र निषिद्ध है। पारंपरिक रूप से हुलकी नृत्य का आरंभ हरियाली त्यौहार के बाद मुरिया युवागृह 'घोटुल' में प्रारंभ होता है जो क्वार महीने तक चलता है।

Hulki Dance

Hulki is a Traditional dance of the Muria Tribe of Kondagaon and Narayanpur district. This dance is performed by both the male and female dancers. It is believed that this dance is dedicated to the Lingopen, the deity of the Muria people. The songs are sung in this dance in a question and answer style, in which, aspects from religious belief, myths and the concept of the dance are asked and replied. Dahaki Parry is the main musical instrument of this performance which is played by male dancers whereas women dancers play chitkuling. Any other musical instrument is prohibited in this dance performance. Hulki dance begins after the Hariyali festival and continues till the Ashwin month of Hindu calendar at Ghotul, the Muria youth dormitory.

20

माओ पाटा नृत्य

मुरिया जनजाति में अनेक प्रदर्शनकारी कलाएँ प्रचलित हैं जो अत्यंत मनोरम तथा लयात्मकता से परिपूर्ण हैं। मुरिया बस्तर अंचल के नारायणपुर और कोंडागांव जिले में निवास करने वाली छत्तीसगढ़ की एक प्रमुख जनजाति है। माओपाटा मुरिया जनजाति का एक ऐसा ही नृत्य है जिसमें नाटक के लगभग सभी तत्व विद्यमान हैं। इस नृत्य को गौर मार नृत्य भी कहा जाता है। माओपाटा का आयोजन घोटुल के प्रांगण में किया जाता है जिसमें युवक और युवतियाँ सम्मिलित होते हैं। नर्तक विशाल आकार के ढोल बजाते हुए घोटुल में प्रवेश करते हैं। पोत से बनी सुंदर माला, कौड़ी और भृंगराज पक्षी के पंख की कलगी जिसे जेलिंग कहा जाता है, युवक अपनी सिर पर सजाए रहते हैं और युवतियाँ पोत और धातुई आभूषण कंधियाँ और कौड़ी से शृंगार किए हुए रहती हैं। एक व्यक्ति 'गौर' पशु का स्वांग लिए रहता है जिसका नृत्य के दौरान शिकार किया जाता है।

Mao Pata Dance

There are many performing art forms among the Muria tribe which are liked for their structural, rhythmic and musical beauty. Muria is a tribal community of Bastar region inhabiting Narayanpur and Kondagaon district of Chhattisgarh. Mao pata is one such dance of the Muria tribe in which almost all the components of the Drama are present. This dance is also called Gaur Maar dance. This dance is usually performed in the Ghotul premises in which participate young men and women. Male dancers enter the Ghotul beating large sized Dhol. They adorn with head decoration of turben having cowrie shells, beads necklaces and feather of Bhringraj bird, jeling tucked on it. The female dancers also decorate their heads

with flowers, beads ornaments and attractive wooden combs. One of the male dancers dresses as the animal, 'Bison', which is hunted during this dance.

21

दंडामी माड़िया नृत्य

दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिले में निवास करने वाले दंडामी माड़िया जनजाति के आकर्षक नृत्य को 'गौर माड़िया नृत्य' के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य में युवक अपने सिर पर गौर नामक पशु के सींग से बना मुकुट, कोकोटा पहनते हैं जो कौड़ियों और कलगी से सजा रहता है। नृत्य करने वाली युवतियाँ अपने सिर पर पीतल का मुकुट, टिगे पहनती हैं और हाथ में लोहे की सरिया से बनी एक छड़ी, गूजरी बड़गी रखती हैं जिसके ऊपर घुँघरू लगे रहते हैं जिसे जमीन पर पटकते हुए आकर्षक ध्वनि उत्पन्न करती हैं। युवकों द्वारा बजाए जाने वाले ढोल के साथ गूजरी बड़गी के ध्वनि से कर्णप्रिय संगीत उत्पन्न होता है और वे सुंदर नृत्य रचना प्रस्तुत करते हैं। यह जनजातीय समुदाय का अत्युत्तम नृत्य माना जाता है।

Dandami Madiya Dance

This attractive dance form of the Dandami Madiya tribe of Dantewada, Bijapur and Sukma district of South Bastar is also known as 'Bison Horn Dance.' For this dance from the headgear made of Bisons horns, feathers, cowrie shells etc, known as Kokota locally, the male dancers wear during the performance. The female dancers adorn a brass made headgear called Tige and hold an iron stick Gujri Bedgi having pebble bells at the top end, which, when slammed on the ground, produces an attractive sound. The melody of the Gujri, Bedgi along with the Dhol played by the youth produce melodious music and they perform beautiful dance compositions. It is considered to be the marvellous dance form of tribal world.



पल्लवन

पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद के अनुसार 'किसी सुगठित एवं गुम्फित विचार अथवा भाव के विस्तार को पल्लवन कहते हैं।' वस्तुतः यह किसी सुभाषित सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति या भावपूर्ण कथन को क्रमबद्ध ढंग से विस्तारित करने की कला है। इसके द्वारा उन सभी मार्मिक पहलुओं को उद्घाटित किया जाता है जो संदर्भित वाक्य या कथन का केन्द्रीय बिन्दु है अर्थात् अर्थोद्घाटन की प्रक्रिया को पल्लवन कहते हैं। जैसे-

“उच्छृंखलता पशु का प्रवृत्ति है।”

पल्लवन- उच्छृंखलता पशु की सामान्य प्रवृत्ति है। पशु अपने स्वभाव से ही किसी प्रकार का नियंत्रण या बन्धन स्वीकार नहीं करता। वह मूल रूप से उन्मुक्त या स्वच्छन्द रहना ही पसंद करता है। मानव और पशु में यही मुख्य अन्तर है। मानव ने अपने बंधन स्वयं बनाए हैं। वह बंधनों से नियंत्रित जीवन जीने का अभ्यस्त हो गया है। समाज में रहते हुए उसे कुछ सामाजिक बंधनों का, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। उसे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। पशु कभी बंधन पसंद नहीं करता। वह स्वच्छन्द और उच्छृंखल जीवन जीना चाहता है। इसलिए जो व्यक्ति बंधनों से, मर्यादाओं से मुक्त रहकर स्वच्छन्द जीवन पसन्द करता है, उसकी तुलना पशु से की जा सकती है। उच्छृंखल मानव और पशु में कोई विशेष अन्तर नहीं।

नोट- पल्लवन को विशदीकरण या विस्तारण भी कहते हैं।

पल्लवन से लेखन शक्ति का विकास होता है। भाव-पल्लवन लिखने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं-

1. किसी उक्ति, सूक्ति, कहावत, लोकोक्ति आदि को समझना,
2. उक्ति, सूक्ति आदि से मूल भाव को स्पष्ट करने वाले विचार बिंदुओं को लिखना,
3. इन बिंदुओं को क्रमवार रखना,
4. इन बिंदुओं का विस्तार करना और
5. मूल भाव का प्रभावपूर्ण शैली में वर्णन करना।

पल्लवन की विधि-

उपर्युक्त नियमों का पालन कर पल्लवन के उत्कृष्ट उदाहरण

प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पल्लवन की विधि निम्नानुसार है-

1. **वाचन-** सर्वप्रथम पल्लवन के लिए दिए गए वाक्य, सूक्ति, लोकोक्ति, कहावत या काव्य-पंक्ति का ध्यानपूर्वक वाचन करना चाहिए ताकि इसके मूलभाव को हृदयंगम कर सकें। यदि एक बार पढ़ने से समझ न आये तो उसे बार-बार पढ़कर मूलभाव को समझने का प्रयत्न करना चाहिए।
2. **पोषक भावों की खोज-** दिये गये संदर्भ में मुख्य भाव के साथ सहायक या पोषक भाव भी होते हैं जिसे पहचानने/ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। इससे मूल भाव के पल्लवन में सहायता मिलती है और वही मूल भाव को पुष्ट करता है।
3. **अनुक्रम से लेखन** - मूल और सहायक भावों के अन्वेषण के बाद उन्हें महत्व के क्रम से लिखना चाहिए।
4. **प्रारूप का निरीक्षण-** प्रारूप तैयार हो जाने के बाद उसका सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए। कोई अनावश्यक प्रसंग या अप्रासंगिक विवरण को तुरन्त निकाल देना चाहिए। भाषा और अभिव्यक्ति की दृष्टि से पल्लवन स्पष्ट और पठनीय होना चाहिए। सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। प्रारूप में व्याकरण और विराम-चिह्न आदि की अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। पल्लवन में पुनरुक्ति वर्जित है। लेखन में अन्यपुरुष का प्रयोग किया जाता है अर्थात् पल्लवन को उत्तमपुरुष या 'मैं' की शैली में नहीं लिखा जाता। पल्लवन का अंतिम वाक्य ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे विचार का समाहार हो।

पल्लवन के कुछ उदाहरण

1. क्रोध अंधा होता है।

पल्लवन- क्रोध एक उग्र मनोविकार है। क्रोध के आवेग में मनुष्य विवेक खो देता है। उसे उचित, अनुचित का ज्ञान नहीं रह जाता। वह क्रोध के परिणामों पर भी विचार नहीं करता। क्रोध के आवेग में व्यक्ति अपना अनिष्ट कर बैठता है। क्रोधित व्यक्ति की दृष्टि सदैव दुःख-दाता पर ही रहती है। वह कभी अपना दोष नहीं देखता। इसीलिए सामाजिक जीवन में क्रोध को शांति भंग करने वाला मनोविकार माना गया है और क्रोध को अंधा कहा गया है। जिस

प्रकार अंधा व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति विवेक के अभाव में अनुचित कार्य कर बैठता है।

2. "नर और नारी, एक गाड़ी के दो पहिए हैं।"

पल्लवन- वर्तमान युग में वरिष्ठता और श्रेष्ठता, अधिकार और कर्तव्य, उचित और अनुचित, अपने और पराये को लेकर अनेक प्रकार के विवाद चलते रहते हैं। भौतिकता और स्वार्थाधता का यह विवाद केवल दो व्यक्तियों, दो पुरुषों और दो नारियों तक सीमित नहीं रह गया है। आजकल इसने अपना प्रभाव जीवन के प्रत्येक अंग पर जमा लिया है। परिणामतः औरों की बात कौन करे, पति और पत्नी में भी परस्पर अधिकारों की होड़ लग गई है। कभी-कभी यह होड़ इतनी बढ़ जाती है कि लोग यह भी भूल जाते हैं कि गाड़ी को चलाने के लिए सभी चक्कों का समान महत्व है। जिस प्रकार किसी एक चक्के के अभाव में गाड़ी पंगु हो जाती है, एक पल्ले के अभाव में तराजू व्यर्थ हो जाती है, उसी तरह नर के अभाव में नारी का और नारी के अभाव में नर का जीवन अपूर्ण, निरर्थक और अनुपयोगी हो जाता है।

3. "सबे दिन जात न एक समान।"

पल्लवन- प्रकृति परिवर्तनशील है। जीवन और जगत् की गति सदैव एक जैसी नहीं रहती। प्रातःकाल का सूर्य संध्याकाल में निस्तेज हो जाता है। जो आज समस्त व्यंजनों का भोग करता पाया जाता है, वह कभी भूख से व्याकुल भी दिख सकता है। बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं की सत्ता जब हाथ से फिसली तो उनके परिजन जान बचाए के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। दाने-दाने को तरसता हुआ व्यक्ति भी अपने परिश्रम, शौर्य और चातुर्य के बल पर धन-सम्पदा के असीम समुद्र में तैरते हुए मिल सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में न तो किसी की गति एक-सी रहती है और न ही समय सदैव एक-सा रहता है।

4. "ज्ञान-राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है।"

पल्लवन- जिस प्रकार कोश (खजाने) में विपुल सम्पत्ति रहती है, उसमें तरह-तरह के सिक्के, मोहरें, रूपए-पैसे विपुल संख्या में रहते हैं, उसी प्रकार साहित्य में ज्ञान का विपुल भंडार है। किसी भी भाषा में जो विभिन्न प्रकार का ज्ञान उपलब्ध रहता है-चाहे वह आध्यात्मिक हो अथवा लौकिक, चाहे उसका

सम्बन्ध राजनीति से हो अथवा धर्म से-वह सम्पूर्ण ज्ञान साहित्य के अन्तर्गत आता है। इस प्रकार उस भाषा में संचित समस्त ज्ञान को साहित्य की संज्ञा दी जा सकती है।

5. "विपत्तियाँ मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुरु है।"

पल्लवन- प्रत्येक मनुष्य सुख-सुविधा को श्रेष्ठ मानकर उसका स्वागत करता है, किन्तु संच तो यह है कि मानव के व्यक्तित्व का सच्चा विकास विपत्तियों में ही होता है। विपत्तियाँ मानव को कर्मठ और कर्तव्यपरायण बनाती हैं। विपत्तियों से घिरा हुआ व्यक्ति स्वयं की साहसिकता को पल्लवित करके दृढ़तापूर्वक उनका सामना करता है। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी विपत्तियों की कटुता का अनुभव नहीं किया, वह जीवन के सच्चे स्वाद से वंचित रह जाता है। विश्व के इतिहास में महापुरुषों के जीवन-चरित्र इस बात के ज्वलंत प्रमाण हैं कि उन्होंने अपने जीवन-मार्ग में दुर्दमनीय विपत्तियों का सामना करके अंततोगत्वा उन्हें पर विजय प्राप्त की। विपत्तियाँ मानव की सहनशक्ति में अपरिमित वृद्धि करती हैं। विद्वानों ने इस सम्बन्ध में ठीक ही कहा है कि विपत्तियों की धमन भट्टियों में तपने पर ही मानव का जीवन कुन्दन बनता है। मैथिलीशरण गुप्त का कथन इसी ओर इंगित करता है-

जितने कष्ट कण्टकों में है, जिनका जीवन-सुमन खिला।

गौर - गंध उन्हें उतना ही, यत्र - तत्र सर्वत्र मिला।

6. 'परहित सरिस धर्म नहीं भाई।'

रूपरेखा-

1. परहित का अर्थ है- दूसरों की भलाई करना।
2. धर्म का अर्थ है- सत्कर्म, पुण्य और सदाचार।
3. मनुष्य सामाजिक प्राणी है और परहित सच्ची मानवता है।
4. मनुष्य को तन, मन, धन से दूसरों की भलाई करनी चाहिए।
5. यदि जड़ पदार्थों में परहित की भावना मिलती है, तो मनुष्य में यह भावना अधिक होनी चाहिए।
6. संसार में सभी धर्मों में परहित को सबसे बड़ा धर्म माना गया है।

पल्लवन- परहित का अर्थ है-दूसरों का भला। इसी को परोपकार भी कहते हैं। दोनों का भाव एक है। यदि परहित में दूसरे के हित की भावना है, तो परोपकार में दूसरों के भला करने

की भावना छिपा हुआ है। अपने हित की चिन्ता न कर दूसरों का उपकार करना ही सच्चे अर्थ में परहित या परोपकार है। धर्म का अर्थ है-पुण्य, कर्तव्य, सत्कर्म और सदाचार। यहाँ धर्म का अर्थ मजहब या मत नहीं है बल्कि वह भलाई करने का भाव लिए हुए है। वास्तव में जिस आचरण या कार्य से समाज का कल्याण होता है, वही धर्म है।

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जीये और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख-दुःख के साथ दूसरों के सुख-दुःख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरे के हित की सोचे। अपनी स्वार्थ सिद्धि करना मानवता नहीं है। परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से या तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति करना भी परहित है। किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुःखी और निराश व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि-मुनियों की तपस्या में भंग डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसामसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान-स्थान पर कुएँ, तालाब आदि खुदवाकर तथा वृक्ष लगवाकर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है।

परहित की प्रवृत्ति तो वृक्षों और नदियों में भी पाई जाती है। वृक्ष सभी प्राणियों को फल एवं छाँव प्रदान करते हैं। मनुष्य तो सभी प्राणियों में उत्कृष्ट है इसलिए उसका परम कर्तव्य है कि वह निःस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों की सेवा करे। वह मन, वाणी और कर्म से दूसरों का उपकार करे, किसी को पीड़ा न पहुँचाए। संसार के सभी धर्मों में परहित ही सबसे महान धर्म है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि

परहित सरिस धर्म नहिं भाई,

परपीड़ा सम नहिं अधमाई।

7. 'अविवेक आपत्तियों का घर है।'

पल्लवन- अविवेक का अर्थ है-विवेक से काम न लेना या ज्ञान की कमी होना। अविवेक अज्ञान का ही एक रूप है। अविवेक और अज्ञान में अंतर भी है। अज्ञान में वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं होता, जबकि अविवेक में वस्तुस्थिति का ज्ञान तो होता है, किंतु अहंकार या किसी अन्य कारण से व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो उचित नहीं होता। यह भी अज्ञानता का ही एक रूप है। अविवेक के कारण व्यक्ति के सभी गुण दब जाते हैं। अविवेकी होने से व्यक्ति को कष्ट भी भोगना पड़ता है और दुःख उस व्यक्ति के यहाँ अपना निवास बना लेता है।

जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विवेक आवश्यक है। विवेक व्यक्ति को विचारशील, सहनशील, धीर और साहसी बनाता है। विवेक से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। संपत्ति की प्राप्ति होती है। विवेक के बिना दुःख और विपत्ति की प्राप्ति होती है। कल्याण के स्थान पर दुर्गति होती है। अविवेक से मानव जीवन के विकास में बाधा पड़ती है। इतिहास में विवेकहीन व्यक्तियों के कई उदाहरण मिल जाते हैं। इसी अविवेक के कारण कई साम्राज्य नष्ट हो गए। इसी के कारण रावण के पूरे वंश का नाश हो गया। इसी विवेकहीनता के कारण भारतीय नरेश परस्पर लड़ते थे, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला और भारत परतंत्रता की जंजीरों में बँध गया। अविवेक मनुष्य का शत्रु है। वह मनुष्य को मनुष्य बने रहने नहीं देता। इससे अहंकार, कपट, दंभ आदि का जन्म होता है। यहाँ से मनुष्य का विनाश प्रारंभ होता है। इसीलिए यह कहा गया है कि विवेक न होने के कारण विपत्तियाँ आ घेरती हैं और मनुष्य सुखी नहीं रह पाता।

-----A A A A A A-----

सार-लेखन

किसी गद्यांश अथवा पद्यांश के मूल पाठ या भावार्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन किए बिना उसे संक्षेप (लगभग एक तिहाई शब्दों) में लिखना सार-लेखन अथवा संक्षेपण कहलाता है। इस तरह 'सार लेखन' संक्षेप में लिखे जाने की प्रक्रिया को कहते हैं।

संक्षेपण के लिए आवश्यक तत्त्व

संक्षेपण करते समय मुख्यतः तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए-

1. अर्थ
2. भाषा
3. आकार अथवा लम्बाई

1. अर्थ-

दिए गए अवतरण का अर्थ समझना आवश्यक है। इसके लिए पूरे अवतरण को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए।

प्रत्येक अवतरण में कोई-न-कोई विचार अवश्य रहता है। यह विचार किसी समस्या, देश अथवा किसी व्यक्ति आदि के विषय में हो सकता है। अतएव इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अवतरण का एक उपयुक्त 'शीर्षक' चुन लेना चाहिए।

प्रधान विचारों को चुन लें। अप्रधान विचारों को छोड़ दें। इसके बाद प्रधान विचारों को स्वाभाविक क्रम में इस तरह रखें कि उसमें तारतम्यता बनी रहे।

2. भाषा-

भाषा व्याकरण सम्मत होना चाहिए। संक्षेपण में हमेशा अन्य पुरुष के सर्वनाम (वह, यह, वे) का प्रयोग करना चाहिए। संक्षेपण करते समय उसी काल का प्रयोग करना चाहिए जो दिए हुए अवतरण में है।

3. आकार तथा लम्बाई-

अवतरण का संक्षेपण कितना बड़ा या छोटा हो-यह हमें निश्चय करना होता है; वह अवतरण का आधा भाग, एक तिहाई हो सकता है या एक चौथाई भी हो सकता है। सामान्यतया

संक्षेपण एक तिहाई भाग में किया जाता है।

इस तरह हम कह सकते हैं कि-

- (i) संक्षेपण में भावगत पूर्णता होनी चाहिए तभी संक्षेपण कलात्मक होगा।
- (ii) संक्षिप्तता संक्षेपण की कुंजी है। आकार की दृष्टि से संक्षेपण की मूल पाठ का तृतीयांश होना चाहिए।
- (iii) भाषा के प्रयोग में क्रमबद्धता, स्पष्टता एवं संक्षिप्तता तीनों आवश्यक है।

संक्षेपण के उदाहरण

उदाहरण-1

वर्तमान में धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक असमानताएँ और साम्प्रदायिकता देश में अपनी चरम सीमा पर पहुँचती दृष्टिगोचर हो रही हैं और इन्होंने देश में दुश्मनों का-सा रूप धारण कर लिया है। यहाँ अनेक व्यक्ति ऐसे हैं, जो अन्न तो भारत का खाते हैं, परन्तु उनके दिल और दिमाग भारत के हित में न होकर विदेशों के हित में हैं। उनकी देशभक्ति मात्र दिखाने की है। ऐसे लोगों को विदेशों से करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है और इसका उपयोग वे देश की आन्तरिक व्यवस्था बिगाड़ने तथा आर्थिक स्थिति को डौंवाडोल करने में करते हैं।

इन भीतरी दुश्मनों के कारण आज देश की स्थिति का यह हाल है कि यदि दुर्भाग्यवश पड़ोसी राष्ट्र के साथ लड़ाई छिड़ जाए या हम संघर्ष करने के लिए विवश हो जायें तो अपने ही देश के ये जयचंद हमारे शत्रु को यहाँ के गुप्त रहस्य बताने के अतिरिक्त तोड़-फोड़ एवं हिंसा के कार्यों में लगकर देश में अशान्ति का वातावरण उत्पन्न करने में नहीं हिचकिचाएँगे। आश्चर्य की बात है कि ज्यों-ज्यों लोगों में साम्प्रदायिकता के प्रति घृणा का भाव पैदा हो रहा है त्यों-त्यों साम्प्रदायिकता का विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है। परछाई की भाँति आज यह सब कुछ दिखाई देती है। संसार का कोई भलामानस आज इसके पक्ष में नहीं है। जिस प्रकार बीमारी का असली रूप और मुख्य लक्षणों को बिना जाने उसका उपचार नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार जब तक साम्प्रदायिकता के सही रूप तथा कारणों को नहीं समझा जाएगा तब तक इसका उपचार होना असम्भव है।

शीर्षक- साम्प्रदायिकता और राष्ट्रद्रोह

उदाहरण-3

सार-लेखन- आज के युग में धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के साथ ही सांप्रदायिकता की भावना बढ़ रही है और देश-प्रेम की भावना धीरे-धीरे नष्ट हो रही है। अनेक लोग इस देश के अन्न से पलकर भी विदेशों का हित सोचते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें विदेशों से धन मिलता है। इस धन से वे देश की भीतरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करते हैं। विदेशी आक्रमण के समय ऐसे लोग देश के गुप्त रहस्य शत्रुओं को बताने में हिचकेंगे नहीं। साम्प्रदायिकता को सही रूप में जाने बिना और इसके कारणों को ठीक-ठीक पहचाने बिना इसका निराकरण नहीं किया जा सकता।

उदाहरण-2

भारत के उत्तर में पर्वतीय सौंदर्य अलौकिक है। उत्तर दिशा में दूर-दूर तक पर्वत श्रृंखलाएँ फैली हुई हैं। उनकी गगनचुम्बी चोटियों पर बादल मँडराते रहते हैं तथा बर्फ गिरती रहती है। विविध मौसम गर्मी, शरद एवं वर्षा एक ही साथ चलते रहते हैं। झर-झर झरने प्रवाहित होते रहते हैं। नदियों के उद्गम स्रोतों की कल-कल ध्वनि गूँजती रहती है। विभिन्न उपयोगी जड़ी-बूटियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। अनेक जीव-जन्तु यहाँ पर निवास करते हैं। ऋषि-मुनि यहीं पर एकान्त साधना में मग्न रहते हैं। इधर-उधर उगी हुई घास तथा देवदार आदि के लम्बे-लम्बे वृक्ष इन प्रदेशों में हरीतिमा व्याप्त करते हैं। प्रातः एवं सायंकाल सूर्य पर्वत-शृंगों पर स्वर्णिम, गुलाबी, लाल रंग विकीर्ण कर प्रकृति सुन्दरी को अलौकिक बनाता है। रात्रि में चन्द्रमा शुभ, शीतल तथा मनोहारिणी चाँदनी से प्रकृति के तन को शृंगारित करता है। ओस की बूँदें उसे विविध अलंकार पहनाती हैं। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानों इस रूप में ईश्वर ने अपनी सुरुचि का परिचय दिया है।

सार लेखन- भारत के उत्तर में स्थित, विस्तृत एवं आकाशगामी पर्वत प्रदेश, नदी स्रोतों, झरनों, विविध वनस्पतियों, वृक्षों आदि से सम्पन्न है। यहाँ पर ओस की झलमलाहट, बर्फ का गिरना, बादलों का मँडराना, रंग-बिरंगा सूर्योदय, सूर्यास्त, रजत-रजनी को देखकर मन-मानस खिल उठता है। पर्वत-प्रदेश अनेक जीव-जन्तुओं का अभ्यारण्य एवं ऋषियों की साधनास्थली है। परमात्मा की अलौकिक रचना हैं- ये पर्वतीय प्रदेश।

गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के केवल तीन उपाय हैं-नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। इनमें नम्रता का स्थान प्रथम है। अतः एक आदर्श विद्यार्थी को विनम्र होना चाहिए। नम्रता के साथ-साथ उसे अनुशासनप्रिय होना चाहिए। जो विद्यार्थी अनुशासनहीन होते हैं, वे अपने देश, अपनी जाति, अपने माता-पिता, अपने और कॉलेज के लिए अप्रतिष्ठाकारक होते हैं। अनुशासनहीन छात्र का न तो मानसिक विकास हो पाता है और न ही बौद्धिक विकास। वह उन गुणों से सदैव-सदैव के लिए वंचित हो जाता है, जो मनुष्य को प्रतिष्ठा के अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन से ही छात्र आदर्श विद्यार्थी की श्रेणी में आ सकता है। आज के युग का छात्र अनुशासनहीनता दिखाने में अपना गौरव समझता है, इसीलिए देश में सभ्य नागरिकों का अभाव-सा होता चला जा रहा है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक बनता है।

प्रश्न- उपर्युक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए।

उत्तर-गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के तीन साधन हैं- नम्रता, जिज्ञासा और सेवा। उनमें नम्रता का स्थान सबसे ऊपर है। विद्यार्थी में विनम्रता के साथ-साथ अनुशासन के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। अनुशासनहीन विद्यार्थी देश व समाज की प्रतिष्ठा गिराते हैं, उनका मानसिक विकास नहीं हो पाता। आज का विद्यार्थी अनुशासनहीन हो रहा है, इसलिए देश में सभ्य नागरिकों का अभाव-सा प्रतीत हो रहा है।

उदाहरण-4

शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को मनुष्य बनाना, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना तथा चरित्र-निर्माण करना होता है। परन्तु वर्तमान शिक्षा-प्रणाली केवल उदर-पूर्ति का साधन-मात्र बन कर रह गया है। वर्तमान में प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों से हजारों नवयुवक डिग्री प्राप्त करके निकल रहे हैं, परन्तु उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। इस प्रकार बेकारी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। यह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का प्रमुख दोष है। दूसरा दोष यह है कि इस शिक्षा-व्यवस्था से विद्यार्थियों की मानसिक, शारीरिक तथा आत्मिक शक्तियों का पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। वर्तमान शिक्षा में पला हुआ विद्यार्थी अपने देश की सभ्यता तथा संस्कृति से, अपने देश की वस्तुओं से तथा भारतीय संस्कारों से परहेज करने लगता है। आधुनिक शिक्षा एकांगी है। इसमें स्त्रियों को पुरुषों के समान लाभ नहीं। यह शिक्षा प्रणाली छात्रों में उद्दण्डता, अनुशासनहीनता, असभ्यता तथा उच्छृंखलता भर रही है।

प्रश्न-1. उपर्युक्त अवतरण का शीर्षक दीजिए।

उत्तर 1. अवतरण का शीर्षक होगा-वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष

प्रश्न-2. उपर्युक्त अवतरण का संक्षेपीकरण कीजिए।

उत्तर-2. वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मानव को पूर्णता प्रदान करना है किन्तु आज की शिक्षा उसे बेकार और अकर्मण्य बना रही है। वह इतनी एकांगी है कि मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधक बन रही है। आज के शिक्षित व्यक्ति अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, फलस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में अराजकता और अनुशासनहीनता का वातावरण बन गया है।

उदाहरण-5

शरीर का खाद्य भोजनीय पदार्थ और मस्तिष्क का खाद्य साहित्य है। यदि हम अपने मस्तिष्क को निष्क्रिय और कालान्तर में निर्जीव-सा नहीं रखना चाहते तो हमें साहित्य का सतत अध्ययन करना चाहिए और उसमें नवीनता और पौष्टिकता लाने के लिए उसका उत्पादन भी करते जाना चाहिए। पर याद रखिए, विकृत भोजन से जैसे शरीर रूग्ण होकर बिगड़ जाता है उसी तरह विकृत साहित्य से मस्तिष्क भी विकारग्रस्त होकर रोगी हो जाता है। मस्तिष्क का बलवान और शक्ति सम्पन्न होना अच्छे साहित्य पर अवलम्बित है।

संक्षिप्तीकरण- अच्छे भोजन से शरीर स्वस्थ रहता है तो बासी से बीमार; उसी प्रकार अच्छा साहित्य मानव के लिए लाभदायक होता है तो बुरा हानिकारक। साहित्य के महत्व को स्वीकारते हुए सदैव अच्छे साहित्य का ही अध्ययन करना चाहिए।

उदाहरण-6

लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब वह बहुत बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपयोग से जी नहीं भरता। मनुष्य चाहता है कि वह बार-बार मिले या बराबर मिलती रहे। धन का लोभ जब रोग होकर चित्त में घर कर लेता है, तब प्राप्ति होने पर भी, और प्राप्ति की इच्छा बराबर बनी रहती है। जिससे मनुष्य सदा आतुर और प्राप्ति के आनन्द से विमुख रहता है। उसका अन्तःकरण सदा अभावग्रस्त रहता है। उसके लिए जो है वह भी नहीं है। असन्तोष या अभाव कल्पना से उत्पन्न दुःख है। अतः जिस किसी में यह काल्पनिक अभाव या असन्तोष रहेगा उसका

सुख से नाता सब दिन के लिए टूट जाता है।

संक्षिप्तीकरण- लोभ एक असाध्य रोग है। लोभी की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं की पूर्ति के अभाव में वह सदैव दुःखी ही रहता है। सुख की प्राप्ति संतोष से ही संभव है।

उदाहरण-7

‘धरती मेरी माता है, मैं उसका पुत्र हूँ।’ यही स्वराज्य की भावना है। जब प्रत्येक व्यक्ति उस धरती को जिसमें उसका जन्म हुआ है, उसे अपनी मातृ-भूमि समझने लगता है, तो उसका मन मातृभूमि से जुड़ जाता है और मातृभूमि के लिए देवत्व की भावना पैदा हो जाती है। जीवन में चाहे जैसी भी स्थिति हो वह मातृभूमि से द्रोह की बात नहीं सोचता। मातृभूमि के प्रति जब यह भाव दृढ़ होता है, वहीं से सच्ची राष्ट्रीय एकता का जन्म होता है। इस स्थिति में मातृभूमि पर बसने वाले नागरिकगण एक-दूसरे से सौदा करने या शर्त तय करने की बात नहीं सोचते बल्कि मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य की बात सोचते हैं।

संक्षिप्तीकरण- जब व्यक्ति अपनी मातृभूमि से माता के समान प्यार करता है तब राष्ट्रीयता का जन्म होता है और मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए वह कभी उसके प्रति कृतघ्नता का व्यवहार नहीं करता।

उदाहरण-8

किसी देश की उन्नति एवं अवनति उस देश के साहित्य पर ही अवलम्बित है। चाहे वह देश-को उन्नति की चरम सीमा पर पहुँचा दे और चाहे तो अवनति के गर्त में गिरा दे। कवि की पहुँच रवि से भी अधिक है और वह रवि से भी अधिक प्रकाशवान है। वह निर्जीव जाति में प्राण-प्रतिष्ठा करता है और निराशापूर्ण हृदय में आशा का संचार करता है। वही राजनीति को प्रेरणा देता है तथा राजनीतिज्ञों का पथ-प्रदर्शन भी करता है। वही अतीत के गौरव-गीत गाता है और साथ ही भविष्य की स्वर्णिम कल्पना करता है। वही सोई हुई जाति को जगाता है और उत्साह का संचार करता है।

संक्षिप्तीकरण- देश का उत्थान-पतन साहित्य पर ही निर्भर है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। साहित्य निर्जीव लोगों में प्राण-प्रतिष्ठा करने वाला, राजनीति का पथ-प्रदर्शक, अतीत का गायक और भविष्य का स्वप्नदर्शी होता है।

अपठित गद्यांश

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

ऐसा गद्यांश जो पढ़ा न गया हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं।
अपठित गद्यांश को अंग्रेजी में 'Unseen' कहते हैं।

वस्तुतः अपठित गद्यांश से परीक्षार्थियों की बौद्धिक गहराई पहुँच और पकड़ की जाँच होती है अर्थात् यह परीक्षार्थियों के सामान्य ज्ञान और स्वतंत्र अध्ययन की परीक्षा है, जिसे परीक्षार्थी अपने बुद्धि-बल से हल कर सकता है। अपठित गद्यांश पाठ्य पुस्तकों से नहीं दिए जाते बल्कि यह समाचार पत्रों, सामान्य ज्ञान की पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं और प्रसिद्ध साहित्यिक पुस्तकों से दिए जाते हैं।

सामान्यतः परीक्षाओं में निम्न प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं-

- अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए।
- अपठित गद्यांश का भावार्थ लिखिए।
- अपठित गद्यांश की व्याख्या कीजिए।
- रेखांकित अंशों की व्याख्या करें।
- अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए।

अपठित गद्यांश का सारांश लिखते समय भाषा सरल व शुद्ध होना चाहिए और उसमें विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। विषय-वस्तु को ध्यान में रखकर कम से कम शब्दों में अपठित गद्यांश का शीर्षक बनाना चाहिए। शीर्षक एक या दो शब्दों का हो या वाक्यांश हो। रेखांकित अंशों की व्याख्या करते समय कठिन शब्दों के स्थान में सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। व्याख्या करते समय अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए, परन्तु यदि आवश्यक हो तो उसे समझाने के लिए किसी उदाहरण का भी सहारा लिया जाता सकता है। व्याख्या में यदि मौलिकता हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है।

अपठित गद्यांश में यदि उत्तर देने के लिए शब्द सीमा निर्धारित हो (जैसे-एक तिहाई शब्दों में सारांश लिखें या रेखांकित वाक्यों की 150 शब्दों में व्याख्या करें।) तो उसका पालन करना आवश्यक है अर्थात् उससे 5-10 शब्द कम या ज्यादा में उत्तर दें। यदि आपने लंबा-चौड़ा उत्तर लिख दिया तो उससे आपके अंक बढ़ेंगे नहीं बल्कि कट जाएँगे।

अपठित गद्यांश का उत्तर देते समय हड़बडी में न लिखें बल्कि आपकी लेखनी सुस्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए।

उदाहरण-1

मध्यप्रदेश के विभाजन के फलस्वरूप 01 नवम्बर 2000 को एक नया राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। यह भारत का 26 वाँ राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दसवाँ बड़ा राज्य है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह देश का 16 वाँ बड़ा राज्य है व इसकी जनसंख्या 2,55,45,198 है।

छत्तीसगढ़ 'भू-आवेष्टित' प्रदेश है। उत्तर में उत्तरप्रदेश, उत्तर-पूर्व में झारखण्ड, उत्तर-पश्चिम में मध्यप्रदेश, पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण-पूर्व में आंध्रप्रदेश एवं दक्षिण में तेलंगाना राज्य स्थित है।

यह भू-भाग चारों ओर पहाड़ों और वनों से घिरा है, उत्तर में छुरी-उदयपुर की पहाड़ियाँ, उत्तर-पूर्व में चाँगभखार-देवगढ़ की पहाड़ियाँ, पूर्व में शिशुपाल पर्वत श्रेणी, दक्षिण में दंडकारण्य तथा उत्तर-पश्चिम में सतपुड़ा की मैकल पर्वत श्रेणी। छत्तीसगढ़ में महानदी की सहायक नदियाँ शिवनाथ, अरपा, पैरी, जोंक, हसदेव, केलो, लीलागर, मनियारी, शबरी, सोन, लात, मांड, तांदुला, सुरंगी, खारून, रिहंद, गोपद आदि बहती हैं, जो अंततोगत्वा महानदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। छत्तीसगढ़ की एक और मुख्य नदी इन्द्रावती का उद्गम ओडिशा के मुंगेर पहाड़ी से हुआ है और यह बस्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में मिलती है।

यह कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है जिसका प्रदेश के कुल उत्पादन में योगदान लगभग 80 प्रतिशत है। यह प्रदेश धान की अधिक पैदावार एवं उसकी विविध किस्मों के कारण 'धान का कटोरा' कहलाता है।

छत्तीसगढ़ की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 44.3 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है। उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र की अपेक्षा बस्तर के पठार में वन-सम्पदा अधिक है। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ अत्यधिक सम्पन्न है। यहाँ की भूमि में कोयला, लौह-अयस्क, टिन-अयस्क, चूना-पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, हीरा, कोरंडम, क्वार्ट्ज, सोना, यूरेनियम, मैंगनीज, तांबा आदि खनिजों की बहुलता है इसके साथ ही लाख, हरा, बाँस, तेंदूपत्ता, साल, बीजा, सागौन, शीशम, कोसा आदि वनोपजों की प्रचुरता है।

प्रश्न 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें।

उत्तर 1. छत्तीसगढ़ राज्य : एक सामान्य परिचय।

प्रश्न 2. छत्तीसगढ़ एक भू-आवेष्टित प्रदेश है-समझाइए।

उत्तर 2. छत्तीसगढ़ की सीमा न तो किसी समुद्र को स्पर्श करती है न ही किसी अन्य देश की सीमा को स्पर्श करती है, इसीलिए इसे भू-आवेष्टित प्रदेश कहा जाता है।

प्रश्न 3. छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख नदियों के नाम लिखें।

उत्तर 3. महानदी और इन्द्रावती।

प्रश्न 4. छत्तीसगढ़ को 'धान का कटोरा' क्यों कहा जाता है?

उत्तर 4. छत्तीसगढ़ को धान की अधिक पैदावार व यहाँ मिलने वाले विविध किस्मों के कारण 'धान का कटोरा' कहा जाता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में धान के लगभग 23,000 जातियों के जर्मप्लाज्म संरक्षित हैं।

प्रश्न 5. छत्तीसगढ़ प्रदेश कितने राज्यों से घिरा है?

उत्तर 5. छत्तीसगढ़ भारत के सात राज्यों- उत्तरप्रदेश, झारखण्ड, ओडिशा, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश से घिरा है।

प्रश्न 6. एक तिहाई शब्दों में सारांश लिखें।

उत्तर 6. 01 नवम्बर 2000 को अस्तित्व में आया छत्तीसगढ़ भारत का 26 वाँ राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से दसवाँ एवं जनसंख्या के अनुसार सोलहवाँ बड़ा राज्य है। यह कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की मुख्य फसल धान है, जिसका प्रदेश के कुल उत्पादन में 80 प्रतिशत की साझेदारी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी महानदी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बस्तर में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित दूसरी सबसे बड़ी नदी इन्द्रावती है, जिसे बस्तर की गंगा कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ चारों ओर से पहाड़ों और वनों से घिरा है। छत्तीसगढ़ में लगभग 44.30 प्रतिशत वन क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों-कोयला, लौह-अयस्क, टिन-अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, हीरा आदि खनिजों की बहुलता है। छत्तीसगढ़ में धान की अधिक पैदावार एवं विविध किस्मों के कारण इसे 'धान का कटोरा' कहा जाता है।

उदाहरण-2

छत्तीसगढ़ राज्य एक नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह अनेक राज्यों से बड़ा है। एक नवंबर 1956 से लेकर अस्तित्व में आने तक यह मध्यप्रदेश का हिस्सा था। वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय मध्यप्रदेश राज्य के छः जिलों क्रमशः सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, रायपुर और बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के भू-भाग को दर्शित करते थे। सन् 1973 दुर्ग जिले का विभाजन कर एक नये जिले राजनांदगाँव का सृजन किया गया था। मई 1998 में सरगुजा जिले से कोरिया, बिलासपुर से कोरवा और जाँजगीर-चांपा, रायगढ़ से जशपुर, रायपुर से धमतरी और महासमुंद तथा बस्तर से कांकेर और दंतेवाड़ा नए जिले बनाए गए। जुलाई 1998 में राजनांदगाँव जिले से एक और नया जिला कवर्धा बना, जिसमें बिलासपुर जिले का कुछ भाग भी सम्मिलित किया गया। मार्च 2003 में राज्य शासन द्वारा तीन जिलों कवर्धा, दंतेवाड़ा और कांकेर के नामों का परिवर्तन कर क्रमशः कबीरधाम, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा और उत्तर बस्तर कांकेर किया गया। अप्रैल 2007 में बस्तर जिले का विभाजन करके एक नया जिला नारायणपुर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले का विभाजन करके नया जिला बीजापुर का सृजन किया गया। ये दोनों जिले मई 2007 को अस्तित्व में आए। 26 जनवरी 2012 को राज्य में नौ नए जिलों का गठन किया गया। बालोद, बलरामपुर-रामानुजगंज, बलौदाबाजार-भाटापारा, बेमेतरा, सूरजपुर, मुंगेली, गरियाबंद, कोंडागाँव और सुकमा। 10 फरवरी 2020 को बिलासपुर जिले को विभाजित कर एक नया जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही बनाया गया। यह सभी जिले 5 संभागों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर एवं सरगुजा के जरिए प्रशासित हैं। दुर्ग राज्य का नया संभाग है, यह संभाग अगस्त 2013 में अस्तित्व में आया।

प्रश्न 1. अपठित गद्यांश का शीर्षक लिखें।

उत्तर 1. छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन।

प्रश्न 2. केरल राज्य का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ से कम है या ज्यादा?

उत्तर 2. कम।

प्रश्न 3. छत्तीसगढ़ अपने मातृ राज्य मध्यप्रदेश का कितने वर्षों तक हिस्सा रहा था?

उत्तर 3. 44 वर्षों तक।

प्रश्न 4. छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय यहाँ कितने जिले थे?

उत्तर 4. 16

प्रश्न 5. बस्तर संभाग में कितने जिले हैं?

उत्तर 5. 7

प्रश्न 6. सन् 1998 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिला वर्तमान में कितने जिलों में विभक्त है एवं उन जिलों के नाम क्या हैं?

उत्तर 6. सन् 1998 से पूर्व अविभाजित बिलासपुर जिले के विभाजन पश्चात वर्तमान में 5 जिले हैं- बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही

उदाहरण-3

छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में स्थित मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जननी माता कौशल्या का मंदिर पूरे भारत में एकमात्र मंदिर होने के कारण न केवल दुर्लभ है बल्कि छत्तीसगढ़ के गौरवपूर्ण अतीत और अस्मिता का प्रतीक है। यह मंदिर रायपुर जिले के आरंग विकासखण्ड के चन्द्रखुरी नामक गाँव में रायपुर से 27 कि.मी. पूर्व, एक बड़े तालाब 'जलसेन जलाशय' के मध्य स्थित है। कहते हैं यहीं माता कौशल्या का जन्म हुआ था। इस मंदिर का निर्माण आठवीं-नौवीं सदी ईस्वी में सोमवंशी राजाओं ने किया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1973 ई. में किया गया।

छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम कोसल था। रामायण काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग दण्डकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। पौराणिक गाथाओं के अनुसार श्रीरामचन्द्र जी अपने वनवासकाल में ऋषि-मुनियों के आग्रह पर आततायी राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए दण्डकवन में प्रवेश करते हैं, जहाँ उनकी भेंट जटायु से होती है। भला जटायु के बलिदान की गाथा को कौन नहीं जानता? वास्तव में दण्डकवन क्षेत्र का नाम ही दण्डकारण्य है। आदिकाल में दण्डकारण्य क्षेत्र अत्यंत घने जंगलों व पहाड़ों के कारण अत्यंत दुर्गम था। यहाँ रामायण काल में राजा भानुमंत राज करते थे। उनके राज्य का नाम कोशल था। उनकी इकलौती पुत्री भानुमति अत्यन्त सुन्दर और गुणवती थी, उन्हें वेद-वेदान्त का अद्भुत ज्ञान था। शास्त्रों के अनुसार उनके आचरण को देखकर ही समकालीन ऋषि-मुनि वेदों के मर्म को हृदयंगम कर लेते थे। भले ही यह अतिशयोक्तिपूर्ण कथन हो परन्तु अयोध्या के राजा दशरथ ने उनके इन्हीं गुणों पर मोहित होकर उनसे विवाह किया और कोसल देश की राजकुमारी होने के कारण उन्हें कौशल्या कहा गया। राजमाता कौशल्या की गणना

त्रेतायुग के महान विदुषियों में की जाती है। छत्तीसगढ़ के लोग भगवान राम को अपना भांजा मानते हैं व इसीलिए अपने बहन के पुत्र को ईश्वरतुल्य मानकर उसके पैर छूने की परंपरा छत्तीसगढ़ में आज भी विद्यमान है।

प्रश्न 1. इस अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें।

उत्तर 1. शीर्षक- 'माता कौशल्या का मंदिर'

प्रश्न 2. जटायु के बलिदान की गाथा क्या है?

उत्तर 2. राम के वनवास काल में रावण द्वारा माता सीता का हरण कर लिया जाता है। माता सीता के आर्तनाद को सुनकर जटायु यह समझ जाता है कि कोई उनका हरण कर वायुमार्ग से दक्षिण की ओर लेकर जा रहा है। जटायु उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब जटायु और रावण में घमासान युद्ध होता है और पंख कटने के बाद घायल होकर वह जंगल में नीचे गिर जाता है। अन्त समय में भगवान राम से भेंट होने पर जटायु उन्हें बताता है कि आततायी वायुमार्ग से दक्षिण की ओर माता को लेकर गया है। इसके बाद ही भगवान राम सीता की खोज में दक्षिण की ओर प्रस्थान करते हैं।

प्रश्न 3. छत्तीसगढ़ में अपने भांजे के पैर छूने की परंपरा क्यों विद्यमान है?

उत्तर 3. छत्तीसगढ़ के लोग ईश्वरतुल्य राम को अपना भांजा मानते हैं क्योंकि वह बहन-तुल्य कौशल्या के पुत्र थे। इसीलिए छत्तीसगढ़ में भांजों के पैर छूकर पूजा करने की परंपरा अभी भी विद्यमान है।

प्रश्न 4. 'भानुमति के आचरण को देखकर ही समकालीन ऋषि-मुनि वेदों के मर्म को हृदयंगम कर लेते थे।' इस कथन को समझाइए।

उत्तर 4. भानुमति अत्यंत गुणवती थी व उन्हें वेद-वेदान्त का अद्भुत ज्ञान था। उनके आचरण में भी ज्ञान का कण-कण झलकता था इसीलिए उनके दर्शनमात्र से ही ऋषि-मुनि वेदों के मर्म को हृदयंगम कर लेते थे।

प्रश्न 5. राजमाता कौशल्या का विवाह पूर्व नाम क्या था? उनकी गणना त्रेतायुग के महान विदुषियों में क्यों की जाती है?

उत्तर 5. राजमाता कौशल्या का विवाह पूर्व नाम भानुमति था। उन्हें वेद-वेदांग का अद्भुत ज्ञान था, इसीलिए उनकी गणना त्रेतायुग के महान विदुषियों में की जाती है।

प्रश्न 6. माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थित है?

उत्तर 6. माता कौशल्या का मंदिर रायपुर जिले के चन्द्रखुरी नामक गाँव में एक बड़े तालाब 'जलसेन जलाशय' के मध्य स्थित है। यह मंदिर माता कौशल्या की जन्मभूमि होने के कारण चन्द्रखुरी नामक गाँव में आठवीं-नौवीं सदी ईस्वी में सोमवंशी राजाओं द्वारा स्थापित किया गया।

प्रश्न 7. रामायण काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश भू-भाग किस क्षेत्र के अन्तर्गत आता था?

उत्तर 7. रामायण काल में छत्तीसगढ़ का अधिकांश भू-भाग दण्डकारण्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता था। यह क्षेत्र पहाड़ों और घने वनों से आच्छादित था।

प्रश्न 8. वनवासकाल में भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ आगमन उनके ननिहाल होने के कारण हुआ या इसका कोई और कारण है? समझाइए।

उत्तर 8. वनवासकाल में भगवान श्रीराम का छत्तीसगढ़ आगमन उनके ननिहाल होने के कारण नहीं बल्कि ऋषि-मुनियों के आग्रह पर इस क्षेत्र को आततायी राक्षसों से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए हुआ। यह भू-भाग दण्डकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था जहाँ पहाड़ों और घने वनों में आततायी राक्षस लोग रहते थे और ऋषि-मुनियों पर आक्रमण करते थे।

उदाहरण-4

गोंड अपनी 41 उपजातियों के साथ न केवल छत्तीसगढ़ राज्य की अपितु भारत की भी प्रमुख जनजाति है। पूर्व में नर्मदा नदी के दोनों ओर सतपुड़ा और विन्ध्याचल में गोंड राज्य गोंडवाना था। गोंड शब्द की व्युत्पत्ति तेलुगू शब्द कोंड से मानी जाती है, जिसका अर्थ पर्वत है। ये द्रविड़ियन भाषा-समूह की बोली बोलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में सभी जनजातियों की जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या गोंडों की है। इस जनजाति के लोग गाँव-शहर से दूर जंगल में रहना पसंद करते हैं। इस समाज के अपने रीति-रिवाज और संस्कार हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक समाज की मान्य परंपराओं का पालन करना ये अनिवार्य मानते हैं। इस जनजाति के लोगों की विशेषता है कि उन्होंने लड़के या लड़की में कभी अंतर नहीं माना। गोंडों में बाल-विवाह का प्रचलन नयी बात नहीं है, लेकिन समय के साथ अब यह प्रचलन लगभग खत्म हो गया है। इससे पहले गोंड समाज के लोग रजस्वला से पूर्व लड़की के

हाथ पीले करना पवित्र कार्य मानते थे। गोंड समगोत्री विवाह से दूर रहते हैं। विवाह की कई रीतियाँ इस जाति में विद्यमान हैं। मगर मण्डप में ये तीन तरह के पहला 'पठौनी विवाह', दूसरा 'चढ़ विवाह' और तीसरा 'लमसेना विवाह' करते हैं, लेकिन इस समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित 'चढ़ विवाह' है। 'पठौनी विवाह' में लड़की की बारात लड़के के यहाँ जाती है। 'चढ़ विवाह' में दूल्हा बारात लेकर जाता है और 'लमसेना' को घर-जमाई कहा जाता है। इसमें लड़का विवाह से पूर्व ससुराल में रहकर सास-ससुर की सेवा करता है। इसके अतिरिक्त गोंडों में कुछ और भी विवाह की प्रचलित परंपराएँ हैं, 'भगेली विवाह' और 'बलात् विवाह' भी इनमें होते हैं। भगेली विवाह में लड़का, लड़की को भगाकर विवाह करता है, वहीं बलात् विवाह में लड़का जबरन लड़की को अपने घर ले आता है या हाट-बाजार में हल्दी झोंट देता है। इनमें विधवा-विवाह भी होता है। अंतरजातीय विवाह पर इनमें पाबंदी नहीं है। इस समाज में आदिम परम्पराओं को मान्यता देते हुए सात त्यौहार मनाने का प्रचलन है। इन सात त्यौहारों में बिदरी, बकबन्धी, हर ढिली, नवाखानी, जंवारा, मड़ई और छेरा शामिल है। इस जनजाति के लोगों में करमा नृत्य, सैला नृत्य, भड़ोनी नृत्य, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवाली नृत्य का प्रचलन है। इनका पारंपरिक व्यवसाय शिकार और मछली मारना था, परन्तु अब ये कृषि करते हैं या खेतिहर मजदूर हैं। इनमें मृतक को दफनाने की परंपरा है परन्तु वर्तमान में मृतक को कभी-कभी जलाया भी जाता है। गोंडों की आबादी मुख्य रूप से बस्तर, दंतवाड़ा, कांकेर, सरगुजा और रायपुर जिलों के आसपास संकेन्द्रित है।

प्रश्न 1. अपठित गद्यांश का शीर्षक दीजिए।

उत्तर 1. गोंड जनजाति।

प्रश्न 2. गोंड जनजाति के लोग किस भाषा समूह की बोली बोलते हैं?

उत्तर 2. द्रविड़ियन भाषा-समूह।

प्रश्न 3. क्या गोंड जनजाति में समगोत्री विवाह होता है?

उत्तर 3. नहीं।

प्रश्न 4. गोंड जनजाति में, मण्डप में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलन है, उसका नाम लिखें?

उत्तर 4. गोंड जनजाति के लोग मंडप में तीन प्रकार का विवाह करते हैं- (i) पठौनी विवाह (ii) चढ़ विवाह (iii) लमसेना विवाह।

प्रश्न 5. लमसेना विवाह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

उत्तर 5. लमसेना विवाह में लड़का विवाह से पूर्व ससुराल में रहकर सास-ससुर की सेवा करता है। लमसेना को घर-जमाई कहा जाता है।

प्रश्न 6. गोंड जनजाति में किन सात त्यौहारों को मनाने की परंपरा है?

उत्तर 6. गोंड जनजाति में निम्न सात त्यौहारों को मनाने की परंपरा है- बिंदरी, बकबंभी, हर ढिली, नवाखानी, जंवारा, मड़ई और छेरता।

प्रश्न 7. गोंड जनजाति में किन नृत्यों का प्रचलन है?

उत्तर 7. गोंड जनजाति में निम्न नृत्यों का प्रचलन प्रमुख रूप से है- करमा नृत्य, सैला नृत्य, भड़ोनी नृत्य, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवाली नृत्य। इनमें सबसे ज्यादा करमा और सैला नृत्य प्रसिद्ध है।

प्रश्न 8. छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के लोग मुख्यतः छत्तीसगढ़ के किन जिलों में निवासरत हैं?

उत्तर 8. छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति के लोग मुख्य रूप से बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सरगुजा और रायपुर जिलों में निवासरत हैं।

उदाहरण-5

किसी भी देश अथवा प्रदेश का लोकसाहित्य उसकी सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं सामाजिक परिवेश का प्रतिबिंब होता है। उसमें लोक-हृदय की धड़कन होती है, माटी की महक का अनुभव होता है, लोक के जीवन की अनुभूति और अनुभव का संगीत सुनाई देता है, संस्कारों की गूँज होती है। लोकसाहित्य अत्यन्त प्राचीन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में- 'ऐसा माना जा सकता है कि जो चीजें लोकचित्त से सीधे उत्पन्न सर्वसाधारण को आंदोलित, चलित और प्रभावित करती हैं, वे ही लोकसाहित्य, लोकशिल्प, लोकनाट्य, लोककथानक आदि नामों से पुकारी जाती हैं।'

लोक-साहित्य मुँहखरा (मुँह-जबानी) होती है और इसी रूप में एक मुँह से दूसरे मुँह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानान्तरित होते हुए युगों-युगों तक जीवित रहती है अर्थात् लोक-साहित्य को वाणी और श्रुति जीवित रखती है- जीवंत रखती है इसलिए लोक-साहित्य की कृतियों में किसी कवि या लेखक का नाम नहीं होता। लोक-साहित्य में रचयिता का नाम न

होने के कारण उसके रचे जाने का समय अज्ञात रहता है। समय काल के अनुरूप उसमें आंशिक परिवर्तन भी होता है। लोक-साहित्य में स्वच्छन्दता के साथ भव्य विशालता होती है।

शिष्ट-साहित्य वह साहित्य है जिसके लिखने वाले का नाम स्पष्ट होता है चाहे वह कवि हो या लेखक। यह व्याकरण सम्मत होता है और लिखने वाले का काल (समय) स्पष्ट होता है।

जब लोक-साहित्य व्याकरण सम्मत हो जाता है तब वह शिष्ट-साहित्य बन जाता है।

छत्तीसगढ़ी साहित्य मौखिक परम्परा (मुँहखरा) द्वारा 1000 ई. से 1900 ई. तक फलती-फूलती रही, जो छत्तीसगढ़ी लोक-साहित्य में द्रष्टव्य है। सन् 1900 के पश्चात् व्याकरण सम्मत शिष्ट-साहित्य का लेखन प्रारंभ हुआ।

प्रश्न 1. उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखें।

उत्तर 1. लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य

प्रश्न 2. लोकसाहित्य को कितने वर्गों में विभक्त किया जा सकता है?

उत्तर 2. लोकसाहित्य को पाँच वर्गों में विभाजित किया गया है-

अ. लोकगीत

ब. लोकगाथा

स. लोककथा

द. लोकनाट्य

इ. लोक सुभाषित

प्रश्न 3. छत्तीसगढ़ी में शिष्ट साहित्य का लेखन कब प्रारंभ हुआ?

उत्तर 3. छत्तीसगढ़ी में शिष्ट साहित्य का लेखन सन् 1900 के पश्चात् प्रारंभ हुई।

प्रश्न 4. एक तिहाई शब्दों में सारांश लिखें।

उत्तर 4. लोकसाहित्य और शिष्ट साहित्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लोकसाहित्य मुँहजबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानान्तरित होती चली आती है। लोरिक-चन्दा, आल्हा-उदल, हीर-रांझा की गाथा मुँहजबानी ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानान्तरित होते हुए वर्तमान तक पहुँची है। समय-काल में इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए हैं परन्तु प्रथमतः इसे किसने लिखा यह किसी को नहीं मालूम। इसी तरह बच्चों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत 'अटकन-बटकन-दही चटाकन, लउहा लाटा, बनके कांटा, तुहुर-तुहुर पानी आवे,' किसने लिखा या कब लिखा यह हमें ज्ञात नहीं। जबकि शिष्ट

साहित्य में लिखने वाले का नाम व काल स्पष्ट होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने भक्तिकाल में 'रामचरित मानस' की रचना की। लोकसाहित्य भले ही प्राचीन है परन्तु लोकसाहित्य और शिष्ट साहित्य दोनों में ही सभ्यता, संस्कृति, रीति-रिवाज एवं सामाजिक परिवेश का प्रतिबिम्ब स्पष्ट झलकता है। लोकसाहित्य से लोक का रंजन होता है। चाहे वे पढ़े-लिखे हों या न हों जबकि शिष्ट साहित्य पढ़ने या लिखने के लिए शिक्षा आवश्यक है।

उदाहरण-6

भारत में लिपि के विकास की परंपरा में ब्राह्मी लिपि को प्रस्थान बिन्दु माना जाता है। मूल रूप से ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। 5 वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईस्वी तक इसका एक ही रूप मिलता है किन्तु आगे चलकर यह दो शाखाओं में विभाजित हो गई। ब्राह्मी लिपि के उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि एवं प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ, जबकि इसकी दक्षिण शैली से तेलुगू, कन्नड़, तमिल, ग्रंथ, कलिंग, मध्यदेशी एवं पश्चिमी लिपि का विकास हुआ। इसी प्राचीन नागरी लिपि से पुनः कई आधुनिक भाषाओं—हिन्दी, गुजराती, मराठी एवं बंगला के लिए अलग-अलग लिपियाँ विकसित हुईं।

यह लिपि बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक लिपि है और न ही वर्णात्मक लिपि। यह भारत और नेपाल की अनुगिड़ा वर्णमाला है। चूँकि नागरी लिपि देवभाषा 'संस्कृत' के लिए प्रयुक्त हुई है इसलिए नागरी के हिन्दी भाषा के लिए व्यवहृत लिपि को 'देवनागरी' कहा गया। वर्ष 1950 के पश्चात हिन्दी के लिए स्वीकृत देवनागरी लिपि को आंशिक परिवर्तन के साथ मराठी भाषा ने भी अपना लिया। इसका उपयोग हिन्दी, मराठी, नेपाली, पालि, कोंकणी, सिंधी, मैथिली सहित

120 से अधिक बोलियों/भाषाओं के लिए किया जाता है। यह विश्व की सर्वाधिक उपयोग की जाने एवं अपनाई जाने वाली लेखन प्रणालियों में से एक है। वर्तमान में 'देवनागरी लिपि' का उपयोग शास्त्रीय संस्कृत लेखन के लिए भी किया जाता है।

प्रश्न 1. उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखें।

उत्तर 1. देवनागरी लिपि।

प्रश्न 2. आदिकाल में संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती थी?

उत्तर 2. ब्राह्मी लिपि।

प्रश्न 3. हिन्दी के लिए प्रयुक्त 'नागरी लिपि' को 'देवनागरी लिपि' क्यों कहा जाता है?

उत्तर 3. ब्राह्मी लिपि से विकसित नागरी लिपि का प्रयोग संस्कृत लेखन के लिए किया गया। संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता है। इसीलिए हिन्दी के लिए प्रयुक्त नागरी लिपि को 'देवनागरी लिपि' कहा गया।

प्रश्न 4. देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली किन्हीं पाँच भारतीय भाषाओं का नाम लिखें जो आठवीं अनुसूची में शामिल हैं।

उत्तर 4. हिन्दी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, मैथिली।

प्रश्न 5. उपर्युक्त गद्यांश का एक तिहाई शब्दों में सारांश लिखें।

उत्तर 5. ब्राह्मी लिपि अधिकांश भारतीय लिपियों की जननी है। इसके उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि एवं प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ जबकि दक्षिणी शैली से तेलुगू, कन्नड़, तमिल आदि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली से विकसित देवनागरी लिपि न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है और न ही वर्णात्मक। इसका प्रयोग हिन्दी, मराठी, नेपाली, कोंकणी, सिंधी, मैथिली सहित अन्यान्य 120 से अधिक बोलियों/भाषाओं के लिए किया जाता है। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली लेखन प्रणालियों में से एक है।



परिशिष्ट

I. संदर्भ ग्रंथ

II. लेखक परिचय : डॉ. विनय कुमार पाठक
डॉ. विनोद कुमार वर्मा

नोट्स (Notes)

I. संदर्भ ग्रंथ

क्र. पुस्तक/पत्र-पत्रिकाएँ	प्रकाशन वर्ष	रचनाकार/संपादक/प्रकाशक
1. अभिनव हिंदी कोश	2010	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, भारत सरकार, नई-दिल्ली
2. आदिनृत्यम	2019	राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव पुस्तिका, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
3. आधुनिक भाषा विज्ञान (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)	2019	डॉ. विवेक शंकर
4. आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना	2012	डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद
5. आधुनिक हिन्दी साहित्य का इतिहास	2019	बच्चन सिंह
6. उत्तरप्रदेश की भाषाएँ (भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण खण्ड 29, भाग-1)	2016	खण्ड संपादक- बद्री नारायण
7. ऐतिहासिक भाषाविज्ञान और हिन्दी भाषा	2017	डॉ. रामविलास शर्मा
8. कार्यशाला संदर्भिका (गृह मंत्रालय, भारत सरकार)	2015	केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग
9. कार्यालयीय हिन्दी	2018	डॉ. कैलाशनाथ पांडेय
10. काव्यांग परिचय (राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर)	2019	डॉ. राजेंद्र कुमार सिंघवी
11. गद्य-साहित्य (राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)	2018	डॉ. विवेक शंकर
12. छत्तीसगढ़ (राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत)	2014	शिव अनुराग पटैरया
13. छत्तीसगढ़ की भाषाएँ (भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण खण्ड-7, भाग-1)	2015	खण्ड संपादक-डॉ. चितरंजन कर
14. छत्तीसगढ़ी का सम्पूर्ण व्याकरण	2019	डॉ. विनय कुमार पाठक एवं डॉ. विनोद कुमार वर्मा
15. देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण (केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)	2019	प्रो. अवनीश कुमार, डॉ. अनुराधा सेंगर, डॉ. नूतन पाण्डेय
16. नवीन हिन्दी व्याकरण एवं रचना (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान)	2012	रतनलाल गोयल 'भावी', डॉ. भगवतीलाल व्यास
17. नागरी लिपि और हिंदी वर्तनी (हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय)	1992	डॉ. अनंत चौधरी
18. नागरी लिपि का उद्भव और विकास	2019	डॉ. ओम्प्रकाश भाटिया 'अराज'
19. पत्र-व्यवहार निर्देशिका	2020	डॉ. भोलानाथ तिवारी, डॉ. विजय कुलश्रेष्ठ

क्र.	पुस्तक/पत्र-पत्रिकाएँ	प्रकाशन वर्ष	रचनाकार/संपादक/प्रकाशक
20.	पर्यायवाची शब्दकोश	2020	अनिल कुमार 'सलिल'
21.	बृहत् हिंदी कोश (खंड 1 एवं खंड 2)	2018	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
22.	भारत का संविधान (Bare act)	2020	इलाहाबाद लॉ पब्लिकेशन
23.	भारत की प्राचीन भाषाएँ (कार्यान्वय निदेशालय, हिन्दी माध्यम, दिल्ली विश्वविद्यालय)	1999	डॉ. राजमल वोरा
24.	भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिन्दी (तीन खण्डों में : खण्ड-1, खण्ड-2, खण्ड-3)	2019	डॉ. रामविलास शर्मा
25.	भारत के भाषा परिवार	2004	डॉ. राजमल वोरा
26.	भारत में हिन्दी पत्रकारिता (बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना)	2015	डॉ. दीनानाथ साहनी
27.	भारतीय भाषा कोश (संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाएँ)	2018	केन्द्रीय हिंदी निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
28.	भारतीय भाषा परिचय	2010	भारत सरकार, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय
29.	भारतीयता के अमर स्वर (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी)	2006	धनंजय वर्मा एवं राजेन्द्र मिश्र
30.	भाषा विज्ञान	2013	डॉ. भोलानाथ तिवारी
31.	भाषा विज्ञान एवं हिंदी भाषा तथा लिपि	2016	डॉ. रघुवंश मणि पाठक
32.	भाषा विज्ञान का रसायन	2012	कैलाश नाथ पाण्डेय
33.	भाषा विज्ञान प्रवेश एवं हिंदी भाषा	2020	डॉ. भोलानाथ तिवारी
34.	मानक हिंदी का व्यवहारपरक व्याकरण	2016	डॉ. रमेशचंद्र महरोत्रा
35.	मानक हिन्दी का स्वरूप	2019	भोलानाथ तिवारी
36.	रस, अलंकार, छन्द तथा अन्य काव्यांग	2019	डॉ. वेंकट शर्मा
37.	राजकाज में हिन्दी	2015	डॉ. हरदेव बाहरी
38.	राजभाषा हिन्दी	2017	डॉ. भोलानाथ तिवारी
39.	राजभाषा हिन्दी और राष्ट्रीय एकता	2019	डॉ. वेद प्रकाश एवं रघुनाथ सहाय
40.	लोकभारती बृहत् प्रामाणिक हिंदी कोश	2017	आचार्य रामचंद्र वर्मा, बदरीनाथ कपूर
41.	लोकव्यवहार और कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी	2017	डॉ. विनय कुमार पाठक
42.	वर्धा हिंदी शब्दकोश (भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली)	2018	रामप्रकाश सक्सेना
43.	विजेता विलोम शब्दकोश	2020	अनिल कुमार 'सलिल'

क्र.	पुस्तक/पत्र-पत्रिकाएँ	प्रकाशन वर्ष	रचनाकार/संपादक/प्रकाशक
44.	विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी	2018	डॉ. विनोद कुमार वर्मा
45.	वृहद लोकोक्ति कोश	2016	डॉ. आद्याप्रसाद सिंह 'प्रदीप'
46.	व्यावहारिक हिन्दी	2019	डॉ. कान्तिकुमार जैन
47.	समकालीन विमर्श के बदले प्रतिमान	2017	डॉ. विनय कुमार पाठक एवं डॉ. विनोद कुमार वर्मा
48.	समग्र छत्तीसगढ़	2018	छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, रायपुर
49.	सरल हिन्दी (विदेशी शिक्षार्थियों के लिए)	2007	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल
50.	सामान्य हिन्दी (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी)	2019	डॉ. राजेंद्र कुमार सिंघवी
51.	साहित्य शास्त्र (राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)	2020	डॉ. विवेक शंकर
52.	सुगम हिन्दी (विदेशी विद्यार्थियों के लिए)	2005	मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी
53.	हिन्दी उद्भव, विकास और रूप	2019	डॉ. हरदेव बाहरी
54.	हिन्दी और उसकी उपभाषाएँ (प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार)	2016	विमलेश कान्ति वर्मा
55.	हिन्दी और उसकी विविध बोलियाँ (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी)	2011	प्रो. दीपचंद जैन, डॉ. कैलाश तिवारी
56.	हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास : छत्तीसगढ़ (छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी, रायपुर)	2011	विभाष कुमार झा
57.	हिंदी पत्रकारिता : विकास और विविध आयाम	2015	डॉ. सुशीला जोशी
58.	हिन्दी पर्यायवाची कोश	2019	डॉ. भोलानाथ तिवारी
59.	हिंदी प्रयोग कोश	2018	बदरीनाथ कपूर
60.	हिन्दी पारिभाषिक लघुकोश	2015	केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार, नई दिल्ली
61.	हिन्दी भाषा	2018	डॉ. भोलानाथ तिवारी
62.	हिन्दी भाषा और उसकी लिपि का इतिहास	2020	विपुल कुमार
63.	हिन्दी भाषा और संस्कृति (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी)	2007	डॉ. राजेन्द्र मिश्र
64.	हिंदी भाषा का इतिहास	2018	डॉ. भोलानाथ तिवारी
65.	हिंदी भाषा का वृहत् ऐतिहासिक व्याकरण	2018	डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी
66.	हिंदी भाषा का स्वरूप-विकास (बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना)	2012	डॉ. अवधेश्वर अरुण
67.	हिन्दी भाषा की संरचना	2018	भोलानाथ तिवारी

क्र.	पुस्तक/पत्र-पत्रिकाएँ	प्रकाशन वर्ष	रचनाकार/संपादक/प्रकाशक
68.	हिन्दी मुहावरा कोश	2010	डॉ. भोलानाथ तिवारी
69.	हिन्दी वर्तनी की समस्याएँ एवं मानकीकरण	2018	डॉ. भोलानाथ तिवारी, किरण बाला
70.	हिन्दी भाषा विकास और स्वरूप	2018	कैलाशचंद्र भाटिया, मोतीलाल चतुर्वेदी
71.	हिन्दी विलोमार्थी शब्द	2017	प्रो. प्रेम सुमन शर्मा
72.	हिन्दी विशिष्ट कक्षा-10वी, 11 वीं, 12 वीं	2013	राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर
73.	हिन्दी व्याकरण	2015	पं. कामता प्रसाद गुरू
74.	हिन्दी व्याकरण प्रबोध (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल)	2017	डॉ. प्रेम भारती
75.	हिन्दी शब्द-अर्थ-प्रयोग	2012	डॉ. हरदेव बाहरी
76.	हिन्दी शब्दकोश	2000	डॉ. हरदेव बाहरी
77.	हिन्दी शब्द सामर्थ्य	2018	कैलाशचंद्र भाटिया
78.	हिन्दी साहित्य (मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, भोपाल)	2013	डॉ. मधु जैन
79.	हिन्दी साहित्य (राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर)	2020	डॉ. विवेक शंकर
80.	हिन्दी साहित्य उद्भव और विकास	2020	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
81.	हिन्दी साहित्य का आदिकाल	2013	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
82.	हिन्दी साहित्य का दूसरा इतिहास	2020	बच्चन सिंह
83.	हिन्दी साहित्य का इतिहास	1986	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
84.	हिन्दी साहित्य का इतिहास	2019	डॉ. नगेन्द्र, डॉ. हरदयाल
85.	हिन्दी साहित्य का छंदोविवेचन (बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना)	2016	डॉ. गौरीशंकर मिश्र 'द्विजेन्द्र'
86.	हिन्दी साहित्य की भूमिका	2019	आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी
87.	हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास	2018	विश्वनाथ त्रिपाठी



डॉ. विनय कुमार पाठक

पूर्व अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग
छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर (छ.ग.)



11 जून 1946 को बिलासपुर में जन्में डॉ. विनय कुमार पाठक ने हिन्दी और भाषाविज्ञान में पी-एच.डी. और डी.लिट्. की दोहरी उपाधि प्राप्त कर अकादमिक दृष्टि से अखिल भारतीय स्तर पर जहाँ कीर्तिमान स्थापित किया है, वहीं साठ से अधिक शोधार्थियों ने आपके निर्देशन में पी-एच.डी. की उपाधि अर्जित की है। छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृत में सर्वाधिक कार्य करके एवं कराकर आप छत्तीसगढ़ के जीवित विश्व-कोश के रूप में विश्रुत-विख्यात हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित कवि, छत्तीसगढ़ी साहित्य के प्रथम प्रामाणिक समीक्षक, संस्मरणात्मक जीवनी-लेखक व गद्य की प्रायः सभी विधाओं के सर्जक व शोधक के रूप में आपने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय क्षितिज प्रदान किया है। आपके हिन्दी व छत्तीसगढ़ी प्रदेश पर जहाँ पी-एच.डी. व डी. लिट्. के आठ शोधकार्य संपन्न हो चुके हैं, वहीं तीन शोधकार्य गतिमान हैं।

स्त्री, दलित, आदिवासी जनजातीय विमर्श पर चर्चित होने के बाद अब विकलांग विमर्श का प्रवर्तन आपको इक्कीसवीं सदी का श्रेष्ठ समीक्षक सिद्ध करता है। गीत-समीक्षा और व्यंग्यालोचन के साथ भाषाविज्ञान और लोकसाहित्य पर भी आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है। तात्पर्य यह है कि आलोचक के रूप में डॉ. पाठक पर जितने कार्य हो रहे हैं, आज तक प्रदेश के किसी भी समीक्षक पर नहीं हुए हैं। अनेक राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सम्मानित, आप एक आदर्श प्राध्यापक, समर्थ साहित्यकार तथा राजभाषा व राष्ट्रभाषा के सेतु-पुरुष के रूप में पांच दशकों से अधिक काल तक छत्तीसगढ़ी और हिन्दी की समर्पित साधना में सतत संलग्न रहे हैं। छत्तीसगढ़ी और हिन्दी में दो दर्जन से अधिक कृतियों के सर्जक, समीक्षक, शोधक, संपादक, प्रकाशक व युग-प्रवर्तक के रूप में आपने एक पीढ़ी का मार्गदर्शन किया है।

राजभाषा विभाग पटना बिहार सरकार द्वारा हिन्दी सेवी राष्ट्रीय सम्मान पुरस्कार के निर्णायक रहे हैं, इसके साथ ही साहित्य अकादमी उदयपुर राजस्थान के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, प्रेमचंद सम्मान, साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश भोपाल के राजेन्द्र अनुरागी पुरस्कार, छत्तीसगढ़ शासन के पंडित सुन्दरलाल शर्मा साहित्य सम्मान, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पुरस्कार, चन्दूलाल चंद्राकर स्मृति तथा मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार आदि के निर्णायक मण्डल के सदस्य रहे हैं।

एक दर्जन से अधिक राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर के सम्मान व पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं।

संप्रति : निदेशक-प्रयास प्रकाशन, सी- 62, अज्ञेय नगर बिलासपुर (छ.ग.)

डॉ. विनोद कुमार वर्मा



शिक्षा- एम.एस-सी. (कृषि) शस्य विज्ञान, पी-एच.डी.

विशेषज्ञता का क्षेत्र- व्याकरणविद्, कहानी लेखन, संपादन, विमर्श लेखन, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं कला-संस्कृति पर शोध कार्य, कृषि अनुसंधान व शिक्षण।

22 फरवरी 1954 को छत्तीसगढ़ के ग्राम फगुरम में जन्में डॉ. विनोद कुमार वर्मा गहन संवेदना के कथाकार हैं। आपकी पहली ही कहानी 'मछुआरे की लड़की' (2000) राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित। प्रकृत्याँचल के बड़े केनवास पर उकेरी गई यह कहानी 'कथा शिल्प' की दृष्टिकोण से बेजोड़ है। इसे बस्तर विश्वविद्यालय के एम.ए. के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके साथ ही इसे अविभाजित मध्यप्रदेश के कथाकारों पर केन्द्रित कथाकोश 'कथा मध्यप्रदेश' (2017) में भी स्थान दिया गया है।

अकादमिक क्षेत्र में अनेक उपलब्धियों के साथ एक लघु उपन्यास 'पुनरावृत्ति' (2001) व कहानी संग्रह 'मेरी प्रतिनिधि कहानियाँ' (2016), समीक्षा ग्रंथ 'समकालीन विमर्श के बदलते प्रतिमान' (डॉ. विनय कुमार पाठक के साथ, 2017), 'विमर्श के निकष पर छत्तीसगढ़ी' (2018), छत्तीसगढ़ी का सम्पूर्ण व्याकरण (डॉ. विनय कुमार पाठक के साथ, 2019) छत्तीसगढ़ी का मानकीकरण : मार्गदर्शिका (मुख्य संपादक ; छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग द्वारा सन् 2022 में प्रकाशित)।

मासिक न्यूज लेटर 'संवाद', 'समन्वय' वार्षिकांक एवं 'संचयन' वार्षिकांक का 12 वर्षों से सतत संपादन। 'संवाद सफरनामा' (2016) का संपादन। वसन्ती वर्मा कृत छत्तीसगढ़ी काव्य संग्रह 'मोर अँगना के फूल' (2012), 'मितानीन' (2013), 'मउरे मोर आमा के डारा' (2015) का संपादन एवं विमर्श लेखन।

'विकलांग विमर्श' पर केन्द्रित 'राष्ट्रीय संगोष्ठी' (2010) के अतिथि वक्ता व 'अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी' (2014) के अध्यक्ष मंडल में शामिल।

अनेक संस्थाओं द्वारा राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय सम्मान- समन्वय रत्न (2001), आदर्श प्राध्यापक सम्मान (2014), छत्तीसगढ़ रत्न (2015), बिलासा साहित्य सम्मान (2017), विकलांग विमर्श का राष्ट्रीय सम्मान (2017), छन्द प्रेरणा सम्मान (2019), भारतीय जीवन बीमा निगम सम्मान (2019), महाकवि कपिलनाथ कश्यप स्मृति छत्तीसगढ़ विभूति अलंकरण (2020), राष्ट्रीय शिक्षक संचेतना द्वारा प्रदत्त संत कबीर विशिष्ट सम्मान (2022)।

सम्प्रति - रिटायर्ड प्रोफेसर, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, बिलासपुर (छ.ग.)

हिन्दी का सम्पूर्ण व्याकरण

(छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में)

हिन्दी व्याकरण की मानक मार्गदर्शिका

तृतीय संस्करण

• डॉ. विनय कुमार पाठक • डॉ. विनोद कुमार वर्मा

मुख्य आकर्षण

- खण्ड 1 - विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण, भारोपीय/प्राक् आर्य भाषा परिवार, हिन्दी भाषा का विकासक्रम एवं उसकी प्रमुख बोलियाँ, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संवैधानिक प्रावधान व संस्थाएँ, राष्ट्रीय पुरस्कार, विश्व हिन्दी सम्मेलन, आठवीं अनुसूची में शामिल भारत की भाषाएँ, भारत की शास्त्रीय भाषाएँ, वैदिककालीन प्राचीन भारतीय ग्रंथ, भारत में लिपियों का विकासक्रम एवं ब्राह्मी लिपि, वर्ण व्यवस्था एवं भाषा बोध, हिन्दी में विराम चिह्नों का प्रयोग ।
- खण्ड 2 - हिन्दी साहित्य का इतिहास एवं काल-विभाजन, हिन्दी साहित्य की प्रमुख विधाएँ, हिन्दी के विकास में पत्र-पत्रिकाओं का योगदान ।
- खण्ड 3 - शब्द साधन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वाच्य, अव्यय/ अविकारी शब्द, कारक, काल, लिंग, वचन ।
- खण्ड 4 - शब्द रचना की विधियाँ, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि, समास ।
- खण्ड 5 - रस, छन्द, अलंकार ।
- खण्ड 6 - कहावत, मुहावरा ।
- खण्ड 7 - पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, संख्यावाची गूढ़ अर्थ वाले शब्द ।
- खण्ड 8 - तत्सम एवं तद्भव शब्द, वर्तनी/शब्द शुद्धि, वाक्य संरचना, वाक्य शुद्धि ।
- खण्ड 9 - पत्र-लेखन, पाद-टिप्पणी, अनुवाद, पल्लवन, सार-लेखन, अपठित गद्यांश ।